यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स कृत

विधि परीक्षा प्लानर

भारतीय दण्ड संहिता, 1860

(Indian Penal Code, 1860)

Diglot Edition

प्रधान सम्पादक
आनन्द कुमार महाजन

सम्पादक/लेखक
अधिवक्ता अभिषेक सिंह

लेखक मण्डल
हर्ष वर्धन सिंह (LLM-NET), वेद प्रकाश तिवारी (LLM-NET), मनीष सिंह (LLM-NET),
अधिवक्ता रोहित सिंह, अधिवक्ता आशुतोष मिश्रा

कम्प्यूटर ग्राफिक्स
बालकृष्ण, श्रेयांश जैन, पंकज कुशवाहा

सम्पादकीय कार्यालय
यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स
12, चर्च लेन, प्रयागराज-211002
फोन : 9415650134
Email : yctap12@gmail.com
website : www.yctbooks.com

प्रकाशन घोषणा
प्रधान सम्पादक एवं प्रकाशक आनन्द कुमार महाजन ने ओम साईं ऑफसेट, प्रयागराज से मुद्रित करवाकर,
यूथ कॉम्पिटिशन, 12, चर्च लेन, प्रयागराज के लिए प्रकाशित किया।

इस पुस्तक को प्रकाशित करने में सम्पादक एवं प्रकाशक द्वारा पूर्ण सावधानी बरती गई है
फिर भी किसी त्रुटि के लिए आपका सुझाव एवं सहयोग सादर अपेक्षित है।
किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र प्रयागराज होगा।

मूल्य : 295/-

विषय सूची

भारतीय दण्ड संहिता (INDIAN PENAL CODE)

- सामान्य प्रस्तावना (General Introduction)..... 5-12
  - अपराध की प्रकृति और परिभाषा.....5
  - अपराध के तत्व 6
  - अपराध में मानसिक तत्व 7
  - अपराध के चरण 9
  - वैधानिकता का सिद्धांत 11
  - दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 एवं 2018 12
- प्रस्तावना (Introduction) (Section 1-5)..... 13-15
- साधारण स्पष्टीकरण (General explanations) (Section 6-52A) 16-39
- दण्डों के विषय में (Punishments) (Section 53-75)..... 40-48
- साधारण अपवाद (General exceptions) (Section 76 - 106)..... 49-92
- दुष्प्रेरण के विषय में (Abetment) (Section 107 - 120) 93-104
- आपराधिक षड्यंत्र (Criminal Conspiracy) (Section 120A - 120B) 105-109
- राज्यों के विरुद्ध अपराध (Offences against State) (Section 121 - 130)..... 110-114
- सेना, नौसेना और वायुसेना के सम्बन्धित अपराध (Offences relating to Army, Navy and Air Force) (Section 131 - 140)..... 115-115
- लोक-प्रशान्ति के विरुद्ध अपराध (Offences against public tranquillity) (Section 141 - 160) 116-125
- लोक-सेवकों द्वारा उनसे सम्बन्धित अपराध (Offences by or relating to public servant) (Section 161 - 171)..... 126-127
- निर्वाचन सम्बन्धी अपराध (Offences relating to election) (Section 171A - 171I) 128-129
- लोक-सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान (Contempt of the lawful authority of public servants) (Section 172 - 190)..... 130-131
- मिथ्या साक्ष्य और लोक-न्याय के विरुद्ध अपराध (False evidence and offences against public justice) (Section 191 - 229A)..... 132-139
- सिक्कों और सरकारी स्टाम्पों से सम्बन्धित अपराध (Offences relating to coin and Government stamps) (Section 230 - 263A)..... 140-141
- लोक-स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराध (Offences affecting public health, safety, convenience, decency and morals) (Section 268 - 294A) 142-145

- धर्म से संबंधित अपराध (Section 295 - 298) 146-146
- मानव-शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध (Offences affecting human body) (Section 299 - 377) 147-219
  - जीवन के लिए संकटकारी अपराध (Offences affecting life) (Section 299 - 311) 147
  - गर्भपात कारित करना आदि (Causing miscarriage etc.) (Section 312 - 318) 175
  - उपहति (Hurt) (Section 319 - 338) 176
  - सदोष अवरोध और सदोष परिरोध (Wrongful restraint and confinement) (Section 339 - 348) 185
  - आपराधिक बल एवं हमलें (Criminal force and assault) (Section 349 - 358) 190
  - व्यपहरण, अपहरण, दासत्व और बलात्श्रम (Of kidnapping, abduction, slavery and forced labour) (Section 359 - 374) 197
  - यौन अपराध एवं प्रकृति-विरुद्ध अपराध (Sexual offences) (Section 375 - 377) 207
- सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध (Offences against property) (Section 378 - 462) 220-258
  - चोरी (Theft) (Section 378 - 382) 220
  - उद्दापन (Extortion) (Section 383 - 389) 227
  - लूट एवं डकैती (Robbery and Dacoity) (Section 390 - 402) 230
  - आपराधिक दुर्विनियोग एवं न्यासभंग (Criminal misappropriation and breach of trust) (Section 403 - 409) 239
  - छल (Cheating) (Section 415 - 420) 249
  - रिष्टी (Mischief) (Section 425 - 440) 253
  - आपराधिक अतिचार (Criminal trespass) (Section 441 - 462) 255
- दस्तावेजों और सम्पत्ति चिन्हों सम्बन्धी अपराध (Offences relating to documents and property marks) (Section 463 - 489E) 259-265
  - सेवा संविदाओं के आपराधिक भंग (Criminal breach of contracts of service) (Section 490 - 492) 262
  - विवाह-सम्बन्धी अपराध (Offences relating to marriage) (Section 493 - 498) 262
- पति या पति के नातेदारों द्वारा क्रूरता (Cruelty by husband or relatives) (Section 498A) 266-271
  - मानहानि (Defamation) (Section 499 - 502) 268
- आपराधिक अभित्रास, अपमान और क्षोभ (Criminal intimidation, insult and annoyance) (Section 503 - 510) 272-304
  - अपराधों को करने के प्रयत्न (Attempt to commit offence) (Section 511) 274
  - महत्त्वपूर्ण एवं नवीनतम वाद (Important and Contemporary cases) 281
  - विविध 285

TREND ANALYSIS OF QUESTION PAPER

No.	Examination Name and Year	Total Paper	Number of questions (IPC, 1860)	Total Questions
A.	Uttar Pradesh Public Service Commision (UPPSC)			
	UPPCS (J) (Pre) 2003-2018	7	15	105
	UPAPO (Pre) 2002-2018	7	35	245
	Vetting Officer 2020	1	8	8
	UPPCS (Pre) 1994-2010	17	15	255
B.	Uttarakhand Public Service Commission			
	UK (J) 2002-2021	12	30	360
	UK (APO) 2009, 2016, 2021	3	35	105
C.	MPHC CJ 1996-2021	21	15	315
	MPPCS (ADPO) 1993-2016	8	15	120
	MPHC (AID)	1	15	15
D.	Jharkhand Public Service Commission			
	Jharkhand (J) 2008-2019	4	12	48
	Jharkhand (APP) 2012-2019	2	25	50
E.	Chhattishgarh Public Service Commission			
	CGPSC (J) 2003-2020	11	10	110
	CGPSC (ADPO) 2008-2021	4	10	40
F.	Bihar Public Service Commission			
	BPSC (APO) 2009 & 2020	2	25	50
G.	Rajasthan Public Service Commission			
	RJS 2013-2021	6	7	42
	RPSC (APP) 2005-2015	6	50	300
	RPSC (PO) 2020	1	10	10
H.	Haryana (ADA) 2021	1	8	8
I.	CBI (APP/PP) 2021	1	25	25
J.	UGC NET-JRF (Law) 2009-2021	38	7	266
K.	UP Higher Education			
	UPHESC 2016 & 2021	2	6	12
L.	Higher Judicial Service			
	UP (HJS) 2009-2021	8	4	32
	MP (HJS) 2013-2020	8	15	130
	BIHAR (HJS) 2015-2021	3	4	12
	Total =	174		2660

नोट- उपरोक्त प्रश्न-पत्रों के सम्यक विश्लेषण के उपरांत भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के 174 प्रश्न-पत्रों के 2660 प्रश्नों का आद्वितीय संकलन प्रस्तुत किया गया है।

अध्याय - 1
सामान्य प्रस्तावना

अपराध की प्रकृति और परिभाषा

1. The draft of the Indian Penal Code was Prepared by :
भारतीय दण्ड संहिता का प्रारूप तैयार किया गया
(a) First Law Commission/प्रथम विधि आयोग द्वारा
(b) Second Law Commission
द्वितीय विधि आयोग द्वारा
(c) Third Law Commission /तृतीय विधि आयोग द्वारा
(d) Sixteenth Law Commission
सोलहवें विधि आयोग द्वारा

UP (APO) 2018

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 का प्रारूप लार्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया था।

2. Who is associated with drafting of Indian Penal Code?
भारतीय दण्ड संहिता का प्रारूप किसने तैयार किया था?
(a) Lord Macaulay/लॉर्ड मैकाले
(b) Mullah/मुल्ला
(c) Sir H.S. Mayne/सर.एच.एस. मेन
(d) Frederick Pollock/फ्रेडरिक पोलक

UP (HJS) 2012
Uttarakhand (J) 2014

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

3. Who was the President of the drafting committee of the Indian Penal Code?
भारतीय दण्ड संहिता के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे?
(a) Lord William Bentick/लार्ड विलियम्स बेटिंग
(b) Lord Curzon/लार्ड कर्जन
(c) Lord Macaulay/लार्ड मैकाले
(d) Lord Irvin /लार्ड इरविन

Bihar (HJS) 2018

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

4. What is the correct definition of offence?
अपराध की सही परिभाषा क्या है?
(a) Act punishable by law/विधि द्वारा दण्डनीय कृत्य
(b) Act prohibited by law/विधि द्वारा निषिद्ध कृत्य
(c) Immoral act/अनैतिक कृत्य
(d) Act punishable by law and also prohibited by law/विधि द्वारा निषिद्ध एवं दण्डनीय कृत्य

UPHESC 2014

Ans. (d) : अपराध की परिभाषा विभिन्न विधिशास्त्रियों ने विभिन्न प्रकार से व्यक्त किया है–
ब्लैक स्टोन के अनुसार–''निषिद्ध या समादेशित करने वाली सार्वजनिक विधि के अतिक्रमण के रूप में किया गया कार्य या लोप अपराध कहलाता है।
स्टीफेन के अनुसार–अपराध, विधि द्वारा निषिद्ध तथा समाज के नैतिक मूल्यों के लिए अरुचिकर एक कार्य है।
केनी के अनुसार–अपराध ऐसे दोष हैं, जिसमें अनुशास्ति दण्डात्मक होती है, जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं है तथा यदि वह क्षम्य है, तो केवल सम्राट द्वारा।
भा.दं.सं. 1860 की धारा 40 अपराध को संहिता द्वारा दण्डनीय होने के आधार पर पारिभाषित करती है।
अतः उपरोक्त दिए गए परिभाषाओं के आधार पर अपराध की सही परिभाषा 'विधि द्वारा निषिद्ध एवं दण्डनीय कृत्य' के रूप में किया जा सकता है।

5. Who among the following defined crime as "an act committed or omitted in violation of public law either forbidding or commanding it"?
निम्नलिखित में से किसने अपराध को ''ऐसा कृत्य जिसे निषेधात्मक या आज्ञात्मक रूप से सार्वजनिक विधि के उल्लंघन में किया गया हो या नहीं किया हो'' के रूप में परिभाषित किया है?
(a) Russel/रसेल
(b) Kenny/केन्नी
(c) Blackstone/ब्लैकस्टोन
(d) J.F.Stephen/जे.एफ. स्टीफन

UGC (NET) December, 2018 Paper-II

Ans. (c) : ब्लैकस्टोन ने अपराध को परिभाषित करते हुए कहा कि ''निषिद्ध या समादेशित करने वाली सार्वजनिक विधि के अतिक्रमण के रूप में किया गया कार्य या लोप अपराध कहलाता है।''

6. Fill in the gap:
खाली स्थान को भरिए:
Disobedience of law is not ordinarily a crime unless that act is declared as crime by some.....
कानून की अवज्ञा सामान्यतः एक अपराध नहीं है जब तक कि उस कार्य को किसी.....के द्वारा अपराध न घोषित कर दिया जाए।
(a) law/कानून
(b) method/प्रणाली
(c) society/समाज
(d) All the above/उपर्युक्त सभी

UGC (NET) December, 2014 Paper-II

Ans. (a) : कानून की अवज्ञा सामान्यतः एक अपराध नहीं है जब तक कि उस कार्य को किसी कानून के द्वारा अपराध न घोषित कर दिया जाय।

7. **Assertion (A) :** Crime is punishable because it is provided in the law.
Reason (R) : Crime is revolting to the moral sense of society.
In the context of the above, which one of the following is correct?
कथन A: अपराध इसलिए दण्डनीय है कि विधि में उसका उपबंध किया गया है।
कारण R: अपराध, समाज की नैतिक चेतना के लिए असह्य है।
(a) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)/(A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है।
(b) Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)/(A) और (R) दोनों सही हैं परन्तु (R), (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है
(c) (A) is true but (R) is false
(A) सही है, परन्तु (R) गलत है।
(d) (A) is false but (R) is true
(A) गलत है, परन्तु (R) सही है।

Uttarakhand (J) 2006

Ans. (b**) :** यह कथन सही है कि अपराध दण्डनीय है क्योंकि विधि में दण्ड का उपबंध किया गया है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की **धारा 2 (n)** के अनुसार, अपराध से कोई ऐसा कार्य या लोप अभिप्रेत है जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा दण्डनीय बना दिया गया है। अपराध, समाज की नैतिक चेतना के लिए असह्य है। सामण्ड के अनुसार, अपराध कानून द्वारा वर्जित समस्त समाज के प्रति एक क्षतिपूर्ण कार्य है चाहे उसका शिकार कोई व्यक्ति ही क्यों न हो।

8. **Observe the statements given below and mark the answer as correct/नीचे दिये गये कथनों का अवलोकन कीजिए तथा सही उत्तर पर चिन्ह लगाइये:**
1. Tort and crime are neither exactly different nor exactly the same
अपकृत्य तथा अपराध न तो बिल्कुल भिन्न हैं और न बिल्कुल समान हैं
2. Murder is outright crime
हत्या पूर्णतया अपराध है।
3. Trespass without intention is only tort
बिना आशय के अतिचार केवल अपकृत्य है।
(a) Statement 1 and 2 are true
कथन 1 एवं 2 सत्य हैं
(b) Statement 2 and 3 are true
कथन 2 एवं 3 सत्य हैं
(c) All the statement are true/सभी कथन सत्य हैं
(d) All statement are false/सभी कथन असत्य हैं

BPSC (APO) 2009

Ans : (c) दण्ड विधि के सामान्य सिद्धान्तों के अनुसार– अपराध तथा अपकृत्य न तो बिल्कुल भिन्न हैं और न ही एकदम समान हैं। हत्या पूर्णतया अपराध है क्योंकि इसमें अपराधिकता (Criminality) की मात्रा अधिक होती है। अतिचार, अपराध के साथ-साथ अपकृत्य भी है किन्तु जब अतिचार में आशय का अभाव होता है तब यह अपराध न होकर केवल एक अपकार के रूप में होता है।
इस प्रकार उक्त तीनों कथन सत्य हैं।

9. **Which in the following is not inchoate crime?**
निम्नलिखित में से कौन अपूर्ण अपराध नहीं है?
(a) Attempt/प्रयत्न
(b) Criminal conspiracy/आपराधिक षड्यंत्र
(c) Abetment/दुष्प्रेरण
(d) Kidnapping/व्यपहरण

Uttarakhand (APO) 2009

Ans. (d) : कुछ मामलों में यद्यपि आपराधिक कृत्य पूर्ण नहीं हुआ हो अर्थात् किसी व्यक्ति को क्षति न हुई हो फिर भी अपराध गठित हो जाता है। ये प्रारम्भिक अपराध के मामले होते हैं। इनको अपूर्ण अपराध कहते हैं, **जैसे-** प्रयत्न, आपराधिक षड्यंत्र तथा दुष्प्रेरण।

अपराध के तत्व

10. **Which one of the following is not an essential element of crime?**
निम्न में से कौन अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है?
(a) Mens rea/दुराशय
(b) Actus reu/आपराधिक कृत्य
(c) Injury/क्षति
(d) Motive/हेतु

Uttarakhand (J) 2002,2008,2015

Ans. (d**) :** हेतु आपराधिक दायित्व के निर्धारण के लिए आवश्यक तत्व नहीं है। आपराधिक दायित्व के चार आवश्यक तत्व है
(1) विधिक बाध्यता के अन्तर्गत कार्य करने वाला मानव
(2) ऐसे मानव के मन में दुराशय या आपराधिक मनःस्थिति
(3) दुराशय को पूरा करने के लिए किया गया कोई आपराधिक कृत्य
(4) आपराधिक कृत्य के परिणामस्वरूप कारित मानवीय या सामाजिक क्षति

11. **Which are the two essential elements of an offence?**
अपराध के कौन-से 2 आवश्यक तत्व हैं ?
(a) Motive and Act/हेतु एवं कृत्य
(b) Motive and Conviction/हेतु एवं दोषसिद्धि
(c) Motive and Injury/हेतु एवं क्षति
(d) Preparation and Punishment/तैयारी एवं दण्ड

Chhattishgarh (J) 2020

Ans. (*) : अपराध के निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं-
(1) मानव
(2) दुराशय (mens rea)
(3) कार्य (actus reus)
(4) क्षति
नोट- इस प्रश्न को आयोग द्वारा हटा दिया गया।

12. The Essential and chief ingredients of 'crime' are:
'अपराध' के मुख्य आवश्यक तत्व हैं :

(a) motive, mens rea and actus reus
हेतु, आपराधिक मनःस्थिति तथा आपराधिक कार्य

(b) motive, intention and knowledge
हेतु, आशय तथा ज्ञान

(c) mens rea and actus reus
आपराधिक मनःस्थिति एवं आपराधिक कार्य

(d) Knowledge, intention and action
ज्ञान, आशय तथा कार्रवाई

MP (ADPO) 2010 Paper-II
MP (ADPO) 2009 Paper-II

Ans. (c) अपराध के निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं – (i) मानव या व्यक्ति, (ii) आपराधिक मनःस्थिति, (iii) आपराधिक कार्य, (iv) क्षति। भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 40 में अपराध को परिभाषित किया गया है।

13. Which of the following are not essential for offence.
निम्नलिखित में से अपराध के लिए क्या आवश्यक नहीं है?

(a) Intention/आशय
(b) Object/उद्देश्य
(c) Prohibited act/वर्जित कार्य
(d) Punishment for act/कार्य के लिए दण्ड

MP (ADPO) 2003

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत किसी कार्य के अपराध होने के लिए निम्न शर्तें आवश्यक हैं-
(1) व्यक्ति (जो विधि के अंतर्गत अपराध करने में सक्षम है।)
(2) दुराशय।
(4) कार्य (कार्य से तात्पर्य है वह कार्य जो विधि द्वारा वर्जित है या जिसके लिए दण्ड का प्रावधान है।)
(4) क्षति।

14. The chief elements of crime are:
अपराध के प्रमुख तत्व हैं-

(a) To act in a particular way otherwise to undergo punishment
किसी विशिष्ट प्रकार से कृत न करने पर दण्ड पाना

(b) An act committed or omitted in furtherance of criminal intent/आपराधिक आशय को आगे बढ़ाने के लिए कोई कृत्य करना या कृत्य को छोड़ना

(c) An act causing injury to another individual or society/ऐसा कृत जिससे किसी दूसरे व्यक्ति अथवा समाज को क्षति पहुँचे

(d) All the above/उपरोक्त सभी

UGC (NET) June, 2011

Ans. (d) : उपरोक्त तीनों विकल्प अपराध के प्रमुख तत्व हैं अर्थात्
(1) किसी विशिष्ट प्रकार से कृत न करने पर दण्ड पाना।
(2) आपराधिक आशय को आगे बढ़ाने के लिए कोई कृत्य करना या कृत्य को छोड़ना।
(3) ऐसा कृत जिससे दूसरे व्यक्ति या समाज को क्षति पहुँचे।

15. Which one of the following is not generally an essential element of crime?
निम्नलिखित में से कौन सामान्यतया अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है?

(a) Actus reus/आपराधिक कृत्य
(b) Mens rea/दुराशय
(c) Motive/हेतु
(d) Human being/मानव

UPPCS (J) 2003
UP (APO) 2002

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता में अपराध को परिभाषित करते हुए कहा जाता है कि "अपराध विधि द्वारा दण्डनीय कार्य है क्योंकि यह अधिनियम द्वारा निषिद्ध है या लोकहित के लिए हानिकारक है।" अपराध के चार आवश्यक तत्व हैं-
(1) एक मानव जिसे विधिक बाध्यता के अधीन कार्य करना है,
(2) ऐसे मानव के मन में दुराशय या आपराधिक मन: स्थिति,
(3) ऐसे मानव द्वारा कार्य (आपराधिक कृत्य) या लोप,
(4) ऐसे कार्य (आपराधिक कृत्य) या लोप से व्यक्ति या समाज को क्षति।
अत: हेतु (Motive) अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है।

अपराध में मानसिक तत्व

16. In which one of the following offences 'mens rea' is not an essential element?
निम्नलिखित में से किस अपराध में 'दुराशय' एक आवश्यक तत्व नहीं है?

(a) Assault/हमला में
(b) Bigamy/द्विविवाह में
(c) Defamation/मानहानि में
(d) None of the above/उपरोक्त में किसी में नहीं

UPPCS (J) 2013
Chhattishgarh (J) 2011

Ans. (b) : दुराशय का अर्थ है "दोषपूर्ण या आपराधिक आशय"। दुराशय का सिद्धान्त सामान्य विधि की सुक्ति **"Actus non-facit reum nisi mens sit rea"** पर आधारित है जिसका अर्थ है- कृत्य स्वयं किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता यदि उसका मन अपराधी न हो।
निम्नलिखित परिस्थितियों में दुराशय का सिद्धान्त लागू नहीं होता-
(i) कठोर दायित्व (ii) पूर्ण दायित्व (iii) लोक न्यूसेन्स (उपताप) (iv) राजद्रोह (v) न्यायालय की मानहानि (vi) द्विविवाह (vii) व्यपहरण और अपहरण (viii) भारत सरकार के विरूद्ध युद्ध करना।

17. In which of the following offences 'Mens rea' is not an essential ingredient?
निम्नलिखित अपराधों में से किसमें 'मेन्स रिया' (आपराधिक मनः स्थिति) एक आवश्यक तत्त्व नहीं है–

(a) Murder/हत्या में (b) Theft/चोरी में
(c) Robbery/लूट में (d) Bigamy/द्विविवाह में

UP (APO) 2002

Ans: (d) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

18. In which of the following offence the "mens rea" is not necessary to make the offender criminally liable?
निम्नलिखित में से किस अपराध में 'मेंस रिया' अपराधी को दायित्वाधीन बनाने के लिए आवश्यक नहीं है?

(a) Culpable Homicide/सदोष मानववध
(b) Wrongful Confinement/सदोष परिरोध
(c) Kidnapping/व्यपहरण
(d) Criminal Conspiracy/आपराधिक षड्यन्त्र

JPSC (APO) 2019

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

19. In which of the following cases, doctrine of 'Mens rea' is NOT applicable?
निम्नलिखित किस मामले में 'दुराशय' का सिद्धान्त मान्य नहीं है?

(a) Theft/चोरी
(b) Murder/हत्या
(c) Public nuisance/लोक उपताप
(d) Thug/ठग

UP (APO) 2018

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

20. The maxim 'ream linguam non facit nisi mens rea' is propounded by
सूत्र वाक्य 'रीम लिंग्वम नॉन फेसिट निसि मेंसरी' के प्रस्तुतकर्त्ता हैं?

(a) Coke/कोक
(b) Lord Kenyon/लॉर्ड केन्यॉन
(c) Augustine/ऑगस्टिन
(d) Lord Arbinger/लॉर्ड अर्बिंजर

UGC (NET) December, 2014 Paper-II

Ans. (c) : सूत्र वाक्यः 'रीम लिंग्वम नॉन फेसिट निसि मेंस री के प्रस्तुतकर्ता आगस्टाइन हैं।

21. If actus non facit reum nisi mens sit rea is a cardinal principle of criminal law, then which one of the following statements correctly reflects the above principle?
यदि 'एक्टस नॉन फेसिट रियम निसि मेन्स सिट रिया' आपराधिक कानून का एक कार्डिनल सिद्धांत है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा कथन उपरोक्त सिद्धांत को सही ढंग से दर्शाता है?

(a) Mens rea is an essential element of a crime and there cannot be a crime without mens rea/'मेन्स रिया' अपराध का एक अनिवार्य तत्व है और इसके बिना कोई अपराध नहीं हो सकता
(b) Criminal liability under Indian law always implies mens rea/भारतीय कानून के तहत आपराधिक दायित्व का तात्पर्य हमेशा 'मेन्स रिया' से है
(c) To constitute a crime, there must be actus reus and mens rea/अपराध का गठन करने के लिए 'एक्टस रीयस' एवं 'मेन्स रिया' का होना अनिवार्य है
(d) Actus reus is not always necessary to constitute a crime/'एक्टस रियस' अपराध का गठन करने के लिए हमेशा आवश्यक नहीं होता

Jharkhand (J) 2019
UGC (NET) June, 2019 Paper-II

Ans. (c) : 'Actus non facit reum nisi mens sit rea' आपराधिक विधि का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसका अर्थ है- 'केवल कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता यदि उसका मन अपराधी न हो'।
अपराध के निम्न आवश्यक तत्व हैं-
1. मानव (व्यक्ति)
2. मेन्स रिया (दुराशय)
3. एक्टस रियस (अवैध कार्य या लोप)
4. अन्य व्यक्ति को क्षति।

अतः अपराध का गठन होने के लिए 'एक्टस रियस' एवं 'मेन्स रिया' का होना अनिवार्य है।

22. The case of R.V. prince was decided by:-
आर. बनाम प्रिंस का वाद निर्णीत किया गया निम्नलिखित द्वारा :

(a) North J./नार्थ ज.
(b) Wright J./राईट ज.
(c) Blackburn J./ब्लेकबर्न ज.
(d) Lord Goddard /लार्ड गुड्डार्ड

Chhattishgarh (ADPO) 2008

Ans. (c) आर. बनाम प्रिंस (1875) L.R. 2 C.C.R. का वाद न्यायाधीश **ब्लैकबर्न** जज द्वारा निर्णीत किया गया था। यह वाद 'दुराशय' पर महत्वपूर्ण दिग्दर्शक वाद है।

23. The maxim "actus non facit reum, nisi mens sit rea" means ''एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मेन्स सिट रिया'' से तात्पर्य है :

(a) crime has to be coupled with guilty mind
अपराध दोषी मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है
(b) there can be no crime without a guilty mind
बिना दोषी मस्तिष्क के कोई अपराध नहीं हो सकता
(c) crime is the result of guilty mind
अपराध दोषी मस्तिष्क का परिणाम है
(d) guilty mind leads to crime
दोषी मस्तिष्क अपराध को अग्रसर करता है

MP (ADPO) 2010 Paper-II

Ans. (b) 'Actus non facit reum nisi mens sit rea' सूक्ति का अर्थ है –''बिना दोषी मस्तिष्क के कोई अपराध नहीं हो सकता।'' **न्यायमूर्ति कोक** ने भी कहा है कि केवल कार्य किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता, यदि उसका मन भी अपराधी न हो। 'एक्टस' अर्थात् कार्य और 'मेन्स' अर्थात् मानसिक प्रक्रिया दोनों को आपराधिक विधि के अंतर्गत दायित्व के लिए आवश्यक माना गया है। भारतीय दण्ड संहिता में यह सूक्ति तीन प्रकार से लागू है – (i) सकारात्मक रूप के अंतर्गत भारतीय दण्ड संहिता में विभिन्न अपराधों की परिभाषा में ही उन अपराधों के लिए विशिष्ट आपराधिक मनःस्थिति का उल्लेख किया गया है। (ii) आपराधिक मनःस्थिति का नकारात्मक रूप साधारण अपवादों में लागू किया गया है। (iii) संहिता के अंतर्गत कठोर दायित्व के अंतर्गत अपराधों के लिए दण्ड का उपबंध करके।

24. Which of the following observed that "Actus non facit reum nisi mens sit sea" is totally irrelevant in Indian Penal Code-
निम्नलिखित में से किसने अवधारित किया है कि ''भारतीय दण्ड संहिता में 'एक्ट्स नॉन फैसिट रियम नीसी मेंस सिट रिया' जैसी उक्ति पूर्णतः अप्रासंगिक है?

(a) J.D. Mynane, Criminal law of India
जे. डी. मायने, क्रिमनल लॉ ऑफ इण्डिया
(b) H.S. Gour, Penal Law of India
एच. एस. गौर, पीनल लॉ ऑफ इण्डिया
(c) Ratan Lal Dhiraj Lal, Law of crimes
रतन लाल धीरज लाल, लॉ ऑफ क्राइम्स
(d) All the above/उपर्युक्त सभी

MP (ADPO) 2003

Ans. (b) : एच0एस0 गौर ने अपनी पुस्तक पीनल लॉ में यह अभिकथन किया है कि **'एक्टस नान फेसिट रियम नीसी मेंस सीट रिया'** की सुक्ति पूर्णतया अप्रासंगिक है। उनका तर्क यह है कि भा0द0सं0 की सभी धाराओं में अपराध के लिए आवश्यक मनः स्थिति समाहित किया गया है इसलिए भारत में यह सुक्ति महत्वहीन है।

25. To find mens rea it is necessary that there must exist:
आपराधिक मनःस्थिति को जानने के लिए यह आवश्यक है कि

(a) The Act was intended/कृत्य इच्छित था
(b) There must be a resultant consequence
उसका परिणाम अनिवार्य था
(c) The Act of causing injury to another
ऐसा कृत्य जिससे दूसरे को क्षति पहुँचे
(d) The knowledge of existence of facts
तथ्यों के अस्तित्व का ज्ञान

UGC (NET) December, 2011

Ans. (a) : आपराधिक मनःस्थिति को जानने के लिए आवश्यक है कि कृत्य इच्छित (आशयित) था। दण्ड विधि का यह स्थापित सिद्धान्त है कि ''कार्य किसी व्यक्ति को दोषी नही बनाता जब तक कि उसका मन दूषित न हो।'' यदि कार्य दूषित आशय से किया गया है तभी दायित्व उत्पन्न होगा अन्यथा नही।

26. Denotion of mens rea is inferred through:
आपराधिक मनःस्थिति को अनुमत किया जाता है

(a) Reason to believe/विश्वास के कारण
(b) Voluntarily/स्वेच्छया
(c) Dishonestly/बेईमानी से
(d) All the above/उपरोक्त सभी से

UGC (NET) June, 2011

Ans. (d) : आपराधिक मनःस्थिति को निम्नलिखित शब्दों से पहचाना जा सकता है।

(1) विश्वास के कारण (2) स्वेच्छया से
(3) बेईमानी से (4) कपटपूर्वक
(5) जानबूझकर (6) धोखे से
(7) स्वैरिता से इत्यादि

27. "In every statute mens- rea is to be implied unless the contrary is shown." This view was expressed in
''प्रत्येक संविधि में दुराशय अर्न्तनिहित माना जाता है जब तक कि इसके प्रतिकूल सिद्ध नहीं कर दिया जाता है।'' यह किस वाद में व्यक्त किया गया है?

(a) Sheras v. De- Rutzen/शेराज बनाम डी-रूटजेन
(b) R v. Dudley & Stephen
आर बनाम डडले एण्ड स्टीफेन
(c) Harding v Price/हार्डिंग बनाम प्राइस
(d) R v. Prince/आर बनाम प्रिन्स

UPPCS (J) 2006,2012
JPSC(APO) 2012

Ans. (a) : शेराज बनाम डी-रूटजेन के वाद में न्यायाधीश राइट ने यह विचार व्यक्त किया कि ''प्रत्येक अधिनियम में दुराशय (mens rea) अन्तर्निहित है जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित न कर दिया जाये।
आर. बनाम डडले एण्ड स्टीफेन का वाद IPC की धारा 81 आवश्यकता के सिद्धान्त से सम्बन्धित है। **आर. बनाम प्रिंस** दुराशय से सम्बन्धित प्रमुख वाद है।''
हार्डिंग बनाम प्राइस का वाद दुराशय अथवा मन:स्थिति की उत्पत्ति एवं विकास से है।

28. Which one of the following cases is not related to Mens rea?
निम्नलिखित में से कौन वाद आपराधिक मनः स्थिति से सम्बन्धित नहीं है?

(a) R. v. Prince/आर बनाम प्रिंस
(b) Queen v. Tolson/क्वीन बनाम टॉल्सन
(c) Sherras v. De Rutzen/शेराज बनाम डी रुटजेन
(d) Barendra Kumar Ghosh v. Emperor
बारेन्द्र कुमार घोष बनाम एम्परर

Uttarakhand (J) 2009

Ans. (d) : बारेन्द्र कुमार घोष बनाम एम्परर (1925 PC) का वाद भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 (सामान्य आशय) से सम्बन्धित है जबकि, शेष तीनो वाद दुराशय से सम्बन्धित हैं।

अपराध के चरण

29. Which one of the following is not punishable under the Indian Penal Code?
निम्नलिखित में से कौन भारतीय दण्ड संहिता के अधीन दण्डनीय नहीं है?

(a) Preparation to commit murder
हत्या करने की तैयारी
(b) Preparation to commit dacoity
डकैती करने की तैयारी
(c) Preparation to wage war against the state
राज्य के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी
(d) Preparation to commit depredation on the territory of a freindly power/किसी मित्र शक्ति के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करने की तैयारी

UP (APO) 2006,2007

Ans : (a) सामान्यतः तैयारी दण्डनीय नहीं है। केवल निम्न अपवादिक दशाओं में अपराध करने की तैयारी को दण्डनीय बनाया गया है—

1. भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रह करना (धारा 122)
2. भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाली शक्ति के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करना अथवा लूटपाट करने की तैयारी करना (धारा 126)
3. सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना (धारा 233)
4. भारतीय सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री उपयोग में लाने के प्रयोजन से उसे कब्जे में रखना, (धारा 235)
5. डकैती करने के लिए तैयारी करना (धारा 399)

30. Preparation to commit murder is–
हत्या कारित करने की तैयारी है–

(a) punishable/दण्डनीय
(b) not punishable/दण्डनीय नहीं
(c) punishable with fine/जुर्माना सहित दण्डनीय
(d) All the above/उपर्युक्त सभी

UP (HJS) 2009

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत **हत्या** कारित करने की **तैयारी को दण्डनीय नहीं बनाया गया है।**

31. Under Indian Penal Code, 1860 which of the following is not a punishable offence?
भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अन्तर्गत निम्न में से कौन-सा दण्डनीय अपराध नहीं है?

(a) Making preparation to commit murder
हत्या करने की तैयारी
(b) Making preparation to commit dacoity
डकैती करने की तैयारी
(c) Making preparation of waging war against the Government of India
भारत सरकार के विरूद्ध युद्ध करने की तैयारी
(d) Making preparation to commit depredation on territories of power at peace with the Government of India
भारत सरकार के साथ शान्ति का सम्बन्ध रखने वाली शक्ति के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करने की तैयारी

Rajasthan (J)2021

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

32. Preparation of which of the following offences is punishable/निम्न में से किस अपराध की तैयारी दण्डनीय है–

1. **Waging war against India/भारत के विरुद्ध युद्ध**
2. **Sedition/राजद्रोह**
3. **Murder/हत्या**
4. **Dacoity/डकैती**

(a) 1, 2 and 4/1, 2 और 4
(b) 1, 2 and 3/1, 2 और 3
(c) 1 and 2/1 और 2
(d) 1 and 4/1 और 4

MPHC CJ 2020

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

33. In which of the following Sections of IPC 'preparation' is punishable?
भा.द.सं. में ''तैयारी'' को निम्नलिखित में से किसमें दण्डनीय माना गया है?

(a) Sections 121, 125, 398/धाराऐं 121, 125, 398
(b) Sections 121, 125, 399/धाराऐं 121, 125, 399
(c) Sections 121, 126, 399/धाराऐं 121, 126, 399
(d) Sections 121, 126, 398/धाराऐं 121, 126, 398

Uttarakhand (J) 2014

Ans : (*) भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 126 तथा 399 में तैयारी को दण्डनीय बनाया गया है जबकि धारा 121, 125 में प्रयत्न को दण्डनीय बनाया गया है।

34. Preparation consists in devising or arranging means necessary for the commission of the offence. Such attempt is not punishable because.
अपराध करने के लिये आवश्यक साधनों की योजना या व्यवस्था करना तैयारी होती है। ऐसी तैयारी दण्डनीय नहीं है क्योंकि:

1. **the motive was harmless/हानिप्रद हेतु नहीं है**
2. **impossibility to reach wrongful end**
दोषपूर्ण लक्ष्य तक पहुँचने की असंभाव्यता
3. **does not effect the security of any person**
किसी व्यक्ति की सुरक्षा को प्रभावित नहीं करता
4. **it remained without culmination**
यह पराकाष्ठा बगैर रहा है

युक्तियुक्त उत्तर है:

(a) Only (i) is correct/केवल 1 सही है
(b) The most probability is (i) and (ii)
सर्वाधिक संभाव्य, 1, 2
(c) There is quite likelihood of (i) and (iii)
1 और 3 काफी संभाव्य है
(d) All the reasons (i) (ii) (iii) and (iv) have to be examined
सभी कारणों 1, 2, 3 और 4 की जांच करें।

UGC (NET) December, 2012 Paper-II

Ans. (d) : अपराध के चार चरण होते हैं-

(1) आशय-यह प्रथम चरण होता है, जो कभी भी दण्डनीय नहीं है।

(2) तैयारी-अपराध का दूसरा चरण है, जो सामान्यतः दण्डनीय नहीं होता है, किन्तु कुछ अपराधों में, जैसे-भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध की तैयारी, यह दण्डनीय होता है।

(3) प्रयत्न-यह अभियुक्त का आशय स्पष्ट कर देता है, अतः यह सदैव दण्डनीय होता है।

(4) अपराध की पूर्णता-वांछित परिणाम प्राप्ति पर वह कृत्य या लोप सदैव दण्डनीय होता है।

वैधानिकता का सिद्धान्त

35. Which of the following statement is correct?
निम्न में से कौन-सा कथन सही है?

(a) Offence is essentially an immoral act
अपराध अनिवार्यतः एक अनैतिक कृत्य है।

(b) Offence is an illegal act
अपराध एक अवैधानिक कृत्य है।

(c) Offence is necessarily an anti-social act
अपराध अनिवार्यतः एक समाज विरोधी कृत्य है

(d) Offence is necessarily an anti-religious act
अपराध अनिवार्यतः एक धर्म विरोधी कृत्य है

Rajasthan (APO) 2007

Ans. (b) : अपराध (Offence) एक अवैधानिक कृत्य है। कोई कार्य अपराध की श्रेणी में तभी आता है जब उस कार्य को विधि द्वारा दण्डनीय बनाया गया हो अर्थात कोई कार्य विधि के विरुद्ध (अवैधानिक) होने पर ही दण्डनीय होता है।

36. Point out the correct statement:
सही कथन कौन-सा है?

(a) Crime is necessarily an immoral act
अपराध अनिवार्यतः अनैतिक कार्य है

(b) Crime is necessarily an anti-social act
अपराध अनिवार्यतः समाज-विरोधी कार्य है

(c) Crime is necessarily an anti-communal act
अपराध अनिवार्यतः सम्प्रदाय-विरोधी कार्य है

(d) Crime is necessarily an anti-religious act
अपराध अनिवार्यतः धर्म-विरोधी कार्य है

UGC (NET) July, 2018 Paper-II

Ans. (b) : अपराध सदैव समाज विरोधी कार्य माना जाता है क्योंकि समाज के भीतर अपराध बढ़ने से अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, जिससे लोगो को सामाजिक आर्थिक एवं मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अपराध अनिवार्यतः अनैतिक, सम्प्रदाय विरोधी या धर्म-विरोधी कार्य नही होता है।

37. The application of doctrine of vicarious liability in crimes seems to have been actuated by a necessity rather than desirability. The justification is based on which of the following?/अपराधों में प्रतिनिधित्व दायित्व के सिद्धांत को लागू करने में वांछनीयता से अधिक आवश्यकता के कारण संभव हुआ। इसका औचित्य किस पर आधारित है?

(a) Public policy/लोक नीति

(b) Failure to supervise/
पर्यवेक्षण की असफलता

(c) Treated as unauthorised/
अनधिकृत समझा गया

(d) Strict liability/कठोर दायित्व

UGC (NET) September 2013
Bihar (J) 2020

Ans. (a) : आपराधिक विधि के अन्तर्गत प्रतिनिधित्व दायित्व का सिद्धान्त आवश्यकता पर आधारित है, न कि वांछनीयता पर। इसका औचित्य लोकनीति पर आधारित है।
आर बनाम हिगिंस के वाद में सर्वप्रथम यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया।

38. Malum Prohibitum means:
'मेलम प्रोहिबिटम' का अर्थ है

(a) Intrinsically wrong/मूल रूप से गलत है

(b) Course of law has made it otherwise
कानून की प्रक्रिया इसे अन्यथा बनाती है।

(c) Innocent but made punishable by statute
निर्दोष परन्तु परिनियम ने दण्डनीय बना दिया

(d) All of them/उपर्युक्त सभी

UGC (NET) June, 2014 Paper-III

Ans. (c) : 'मेलम प्रोहिबिटम' का अर्थ हैं निर्दोष परन्तु परिनियम ने दण्डनीय बना दिया है। ये अपराध मात्र विधि द्वारा निषिद्ध होते हैं। मेलम इन सी (Malum in se) मूल रूप से गलत होते हैं।

39. Wantonly means:
स्वैरता से का भाव है

(a) Things done recklessly/
अंधाधुंध किये गये कार्य

(b) Things done malignantly/
द्वेषपूर्वक किये गये कार्य

(c) Acts done through mischief
शरारत किये गये कृत्य

(d) All the above/उपरोक्त सभी

UGC (NET) June, 2011

Ans. (a) : स्वैरिता से अभिप्रेत है अन्धाधुन्ध बिना सोचे-विचारे और किसी औचित्य अथवा परिणामों को ध्यान में न रखकर किये गये कार्य । इस शब्द का प्रयोग भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 153** में हुआ है।

दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 एवं 2018

40. The Criminal Law (Amendment) Act, 2013 (Act No. 13 of 2013) came into effect from:
दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 13 सन् 2013) प्रभावी हुआः

(a) January 26, 2013/
जनवरी 26, सन् 2013 से

(b) February 1, 2013/
फरवरी 1, सन् 2013 से

(c) February 3, 2013/
फरवरी 3, सन् 2013 से

(d) March 1, 2013/
मार्च 1, सन् 2013 से

(e) None of these/इनमें से कोई नहीं

Chhattishgarh (ADPO) 2013

Ans. (c) : आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013, जिसे निर्भया ऐक्ट के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय विधि है, जो लोकसभा तथा राज्य सभा द्वारा क्रमशः 19 मार्च, 2013 तथा 21 मार्च, 2013 को पास की गई तथा इस पर 2 अप्रैल, 2013 को राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुआ। यह **3 फरवरी, 2013** को प्रवर्तन में आ गई।

41. Which of the following sections have been inserted in the Indian Penal Code, 1860 by the Criminal Law (Amendment) Act, 2013, namely
निम्नलिखित में से कौन सी धाराओं को दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम 2013 द्वारा भारतीय दण्ड संहिता में अन्तःस्थापन किया गया?

(a) Section 376A/धारा 376A को

(b) Section 376B/धारा 376B में

(c) Section 166A, 166B, 354C
धारा 166A, 166B, 354C को

(d) All of the above/उपर्युक्त सभी को

Uttarakhand (J) 2015
Bihar (HJS) 2018

Ans. (c) : दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम 2013 द्वारा भारतीय दण्ड संहिता में **धारा 166A, 166B, 354C** को अन्तःस्थापन किया गया। जबकि, **धारा 376A** तथा **धारा 376B** को दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम 2013 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

42. Which of the following offence was not inserted in the Indian Penal Code by the Criminal Law (Amendment) Act, 2013?
निम्नलिखित में से किसे भारतीय दण्ड संहिता में आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 के द्वारा अन्तःस्थापित नहीं किया गया है?

(a) Sexual harassment/लैंगिक उत्पीड़न को

(b) Stalking/पीछा करने को

(c) Voyeurism/दृश्यरतिकता को

(d) Lurking house-trespass/प्रच्छन गृह-अतिचार को

Uttarakhand (APO) 2015

Ans. (d) : प्रच्छन गृह-अतिचार को भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 443** में परिभाषित किया गया है, जिसे दण्डविधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 द्वारा नहीं जोड़ा गया है। जबकि लैंगिक उत्पीड़न, **(धारा 354-A)** पीछा करना **(धारा 354-D)** तथा दृश्यरतिकता **(धारा 354-C)** को दण्डविधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 की धारा 7 द्वारा अन्तः स्थापित किया गया है।

43. The Criminal Law (Amendment) Act, 2018 comes into force from-
आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 प्रवृत्त होता है–

(a) 11 August, 2018/
11 अगस्त, 2018 से

(b) 21 April, 2018/
21 अप्रैल, 2018 से

(c) 1 September, 2018/
1 सितम्बर, 2018 से

(d) 1 July, 2018/
1 जुलाई, 2018 से

Chhattisgarh (ADPO)2021
UPPCS (J)-2018
UP(APO)-2018

Ans. (b) : आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 - **21 अप्रैल, 2018** को प्रवृत्त हुआ।

44. Justice J.S. Verma Committee Report of January 23, 2013 has recommended that non-penetrative forms of sexual contact should be regarded as
न्यायमूर्ति जे.एस.वर्मा की 23 जनवरी, 2013 की रिपोर्ट में अप्रवेशन वाले यौनिक सम्बन्ध के बारे में क्या संस्तुति की है,

(a) Rape/इन्हें बलात्कार माना जाय

(b) Sexual Assault/इन्हें यौनिक हमला माना जाए

(c) An offence under Section 354 of Indian Penal Code/इन्हें भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 का अपराध माना जाय

(d) Defamation/इन्हें मानहानि माना जाय।

UPPCS (J) 2013

Ans. (b) : न्यायमूर्ति जे0एस0वर्मा की 23 जनवरी 2013 की रिपोर्ट में अप्रवेशन वाले यौनिक सम्बन्ध के बारे में यह संस्तुति दी गयी कि इन्हें यौनिक हमला माना जाए। इस रिपोर्ट के आधार पर भारतीय दण्ड संहिता एवं पॉक्सो एक्ट में संशोधन किया गया।

अध्याय - 2
प्रस्तावना (धारा 01-05)

1. Indian Penal Code came into force on:-
भारतीय दण्ड संहिता प्रभाव में आया :
(a) 6-10-1860 (b) 10-10-1860
(c) 1-1-1861 (d) 1-1-1862

Chhattishgarh (ADPO) 2008, 2013

Ans.–(d) भारतीय दण्ड संहिता, 1860, **1 जनवरी, 1862** को प्रभावी हुआ। इस संहिता का अधिनियम संख्या 45 सन् 1860 है। इस संहिता का प्रवर्तन जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारत पर हैं। इस संहिता को तत्कालीन गवर्नर जनरल की अनुमति **6 अक्टूबर 1860** को प्राप्त हुई। गोवा, दमन तथा दीव में इसका प्रवर्तन 1 जनवरी, 1963 को हुआ।
नोट– 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर में भी भारतीय दण्ड संहिता लागू हो गयी है।

2. When did Indian Penal Code 1860 come in to force? /भारतीय दण्ड संहिता, 1860 को कब लागू किया गया?
(a) 1860 (b) 1861
(c) 1862 (d) 1863

Chhattishgarh (J) 2015

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

3. The Indian Penal Code, 1860 came into force on-/भारतीय दण्ड संहिता प्रवृत्त हुई-
(a) 6th October, 1860/6 अक्टूबर, 1860 से
(b) 6th December, 1860/6 दिसम्बर, 1860 से
(c) 1st January, 1861/1 जनवरी, 1861 से
(d) 1st January, 1862/1 जनवरी, 1862 से

Uttarakhand (J) 2002, 2008

Ans. (d**) :** उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

4. Section 1 of the Indian penal code, 1860 deals with-/भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा-1 सम्बन्धित है
(a) The definition of offence/अपराध की परिभाषा से
(b) Title and extent of operation of the code/संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार से
(c) Title and its jurisdiction/संहिता के नाम और उसके क्षेत्राधिकार से
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

BPSC (APO) 2009

Ans : (b) भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा-1** संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार से सम्बन्धित है। इस धारा के अनुसार यह अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता कहलाएगा और इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर होगा।
नोट– 31 अक्टूबर, 2019 से जम्मू कश्मीर राज्य में भी भारतीय दण्ड संहिता लागू हो गया है।

5. To which of the following is Indian Penal Code not applicable? / निम्नलिखित में से किस पर भारतीय दंड संहिता लागू नहीं होती है?
(a) State of J&K/जम्मू-कश्मीर राज्य
(b) A foreigner committing offence in India/भारत में अपराध करने वाला एक विदेशी नागरिक
(c) Offence committed on Indian Aircraft flying over territory of Japan
जापान के अधिकार-क्षेत्र के ऊपर से उड़ते हुए भारतीय विमान में किया गया अपराध
(d) A foreigner committing offence in territorial water of India/भारत की जलीय क्षेत्र पर एक विदेशी द्वारा किया जाने वाला अपराध

Chhattishgarh (J) 2016

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

6. A national of Pakistan fires from the other side of the borders and a person within the Indian border is killed. The relatives, friends and other Indian rush and drag the Pakistani to border Indian Police Station. Can the Indian courts try the accused for murder?
पाकिस्तान का एक राष्ट्रीक सीमा के दूसरी ओर से गोली चलाता है तथा भारतीय सीमा में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। नातेदार मित्रगण तथा अन्य भारतीय दौड़कर वहाँ पहुँचते हैं तथा पाकिस्तानी को घसीटकर सीमा के भारतीय पुलिस थाने पर ले जाते हैं। क्या भारतीय न्यायालय हत्या के लिए अभियुक्त का विचारण कर सकते है?
(a) No, Indian courts have no jurisdiction/नहीं, भारतीय न्यायालयों को अधिकारिता प्राप्त नहीं है
(b) Yes/हाँ
(c) He shall be handed over to the Pakistani authorities for trial in Pakistan/उसे पाकिस्तान में विचारण हेतु पाकिस्तानी अधिकारियों को सौपा जायेगा
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

UP (APO) 2007

Ans : (b) प्रश्नगत समस्या भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 2** के अन्तर्गत अन्तः प्रादेशिक क्षेत्राधिकार से संबंधित है। एक विदेशी, भारतीय सीमा में अपराध करता है, वह दोषी होगा और दण्डित किया जायेगा इस तथ्य पर ध्यान दिये बिना कि वह कितने दिनों से भारत में है।

7. Read the following :/निम्न पर विचार कीजिए :
(1) Indian Courts have jurisdiction to try crime committed by an Indian in a foreign country.
एक भारतीय द्वारा विदेश में किये गये अपराध के विचारण का क्षेत्राधिकार भारत के न्यायालयों को है।
(2) Indian Courts do not have jurisdiction to try crime committed by a foreigner in India.

एक विदेशी द्वारा भारत में किये गये अपराध के विचारण का क्षेत्राधिकार भारतीय न्यायालयों को नहीं है।
Of the above :/उपरोक्त में

(a) (1) is true but (2) is false.
(1) सही है, किन्तु (2) गलत है।
(b) (1) is false but (2) is true.
(1) गलत है, किन्तु (2) सही है।
(c) Both (1) and (2) are true.
(1) तथा (2) दोनों सही हैं।
(d) Both (1) and (2) are false.
(1) तथा (2) दोनों गलत हैं।

UP (APO) 2015

Ans. (a) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 3 के अनुसार, एक भारतीय द्वारा विदेश में किये गये अपराध के विचारण का क्षेत्राधिकार भारत के न्यायालयों को है। अतः कथन (1) सही है।
जबकि धारा 2 के अनुसार, भारत के भीतर किए गए अपराध के लिए हर व्यक्ति चाहे वह भारतीय हो या विदेशी भारतीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन विचारण का दायी होगा।
अतः कथन (2) गलत है।

8. Which of the following sections give extra-territorial operation under IPC, 1860?/
निम्नलिखित में से कौन-सी धाराएँ क्षेत्रातीत प्रवर्तन का प्रावधान भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में करती हैं?

(a) Sections 3 and 4/धारा 3 और 4
(b) Sections 5 and 6/धारा 5 और 6
(c) Sections 7 and 9/धारा 7 और 9
(d) Sections 10 and 11/धारा 10 और 11

JPSC (APO) 2019

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 3 और 4** संहिता के क्षेत्रातीत प्रवर्तन (Extra-territorial enforcement) का प्रावधान करती है।
धारा 3 के अनुसार, भारत से परे किए गए अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति भारतीय विधि के अनुसार, विचारण का पात्र हो, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जायेगा, मानों वह कार्य भारत के भीतर किया गया था।
धारा 4 में उपबंधित है कि इस संहिता के उपबंध-
1. भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा, या
2. भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, चाहे वह कहीं भी हो किसी व्यक्ति द्वारा, किए गये किसी अपराध भी लागू होता है।
3. भारत से बाहर और परे किसी स्थान में किसी व्यक्ति द्वारा जो भारत में किसी कम्प्यूटर साधन को लक्ष्य बाते हुए अपराध कारित करता है।

9. A an Indian citizen commits adultery in England, which is not an offence in the country. The alleged offence can be tried by:
'अ' एक भारतीय नागरिक, इंग्लैंड में जारकर्म, जो उस देश में अपराध नहीं है, करता है। कथित अपराध का विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है?

(a) The court within whose local jurisdiction the adultery was committed /
वह न्यायालय जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार के अंदर जारकर्म किया गया है।
(b) The court of Judicial Magistrate first class situated at any place in India at which he may be found
भारत के किसी स्थान में स्थित न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी का न्यायालय जहाँ अभियुक्त पाया गया हो
(c) International court of Justice
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय
(d) The supreme Court of India
भारत का सर्वोच्च न्यायालय

MPHC CJ 1996
MP(ADPO) 2009 Paper-II

Ans. (b) भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा 3** के अनुसार, भारत से परे किये गये अपराधों के लिए, जिसके लिए कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, उससे इस संहिता के उपबन्धों के अनुसार ऐसा बरता जायेगा, मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया था। भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा 4** के उपबन्ध भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा किये गये अपराधों पर भी लागू है।
नोट- जारकर्म भारत में अब, **जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ ए.आई.आर. 2018** के विनिश्चिय के उपरांत अपराध नहीं रह गया है।

10. Under which of the following situations would Indian Courts have jurisdiction?
निम्नलिखित किन परिस्थितियों में भारतीय न्यायालयों का क्षेत्राधिकार होगा?

1. **Crime committed by an Indian in foreign country**
विदेश में भारतीय द्वारा किए गए अपराध।
2. **Crime committed by a foreigner in India**
भारत मे विदेशी द्वारा किए गए अपराध।
3. **Crime committed by a person on an Indian ship/**
भारतीय जहाज पर किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध।

choose the correct answer from the code given below
नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए:
Codes:/कूट:

(a) Only 1 and 2/केवल 1 और 2
(b) Only 1 and 3/केवल 1 और 3
(c) Only 2 and 3/केवल 2 और 3
(d) 1, 2 and 3/सभी 1, 2 और 3

UGC (NET) December, 2018 Paper-II
Jharkhand (J) 2019

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा 3 एवं 4** के अनुसार - इस संहिता के उपबन्ध -
- भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर भारत के नागरिक द्वारा
- भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर चाहे कहीं भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा किए गये किसी अपराध भी लागू है।
- कोई व्यक्ति किसी स्थान में भारत से बाहर और परे कोई अपराध भारत में स्थित कम्प्यूटर साधन को लक्ष्य बनाते हुए कारित करता है।
- भारतीय नागरिक विदेश में कोई अपराध करता है।

ऐसी परिस्थितियों में कोई अपराध किया जाता है तो भारतीय न्यायालय का विचारण के लिए क्षेत्राधिकार होगा।
विकल्प 1,2,3 सभी सही हैं।

11. Does any person liable in any court of India for an offence punishable under Indian penal code, 1860 done outside the territory of India
क्या भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अन्तर्गत दण्डनीय कोई अपराध भारत के भूमि के बाहर कारित करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी भारत के न्यायालय में उत्तरदायी होता है?

(a) Yes/हाँ
(b) If he is a citizen of India, only then yes
केवल, यदि वह भारत का नागरिक है तब हाँ
(c) If he comes in India after commit offence
यदि वह जुर्म करने के पश्चात भारत में आता है, तब हाँ
(d) No/नहीं

MP (ADPO) 1995

Ans : (b) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की **धारा 3 एवं 4** और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की **धारा 188** के अन्तर्गत, यदि भारत के किसी नागरिक द्वारा भारत से बाहर और परे किसी स्थान में कोई अपराध कारित किया जाता है तो भारतीय न्यायालय, भारत क्षेत्र के बाहर घटित हुए अपराधों को भी विचारित कर सकते हैं।

12. Which of the following offence is punishable under IPC? /निम्न में से कौन-सा अपराध भा.द.सं. के अन्तर्गत दण्डनीय है?

(a) A citizen of Italy commits murder of an Indian, in Pakishtan/ इटली का नागरिक पाकिस्तान में भारतीय की हत्या करता है।
(b) A Citizen of Italy commits murder of an Indian in Jammu-Kashmir//इटली का नागरिक जम्मू-कश्मीर में भारतीय की हत्या करता है।
(c) A citizen of India commits murder of a citizen of Italy in Italy./भारत का नागरिक इटली में इटली के नागरिक की हत्या करता है।
(d) All of the above /उपरोक्त सभी

Rajasthan (APO) 2007

Ans. (c) : भारत का नागरिक इटली में इटली के नागरिक की हत्या करता है। वह भारत के किसी स्थान में जहाँ वह पाया जाय, भा.द.सं. के तहत हत्या के लिए विचारित और दोषसिद्ध किया जा सकता है। भा.द.सं., 1860 की **धारा 4** के अनुसार इस संहिता के उपबन्ध -
(1) भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा,
(2) भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, चाहे कहीं भी हो किसी व्यक्ति द्वारा
(3) भारत से बाहर और परे किसी स्थान में किसी व्यक्ति द्वारा, जो भारत में किसी कम्प्यूटर साधन को लक्ष्य बनाते हुए अपराध कारित करता है।

नोट- 31 अक्टूबर, 2019 से जम्मू-कश्मीर पर भी भा.द.सं. लागू कर दी गयी है । अतः विकल्प (b) जिसके अनुसार इटली का नागरिक जम्मू कश्मीर में भारतीय की हत्या करता है। वह भी भा.दं.सं. की धारा 2 के तहत दण्डनीय होगा।

13. If a person who is a citizen of India commits any offence out of India— /भारत के एक नागरिक ने जिसने भारत के बाहर अपराध किया है को

(a) Cannot be prosecuted in India, as the act was not committed in India
भारत में अभियोजित नहीं किया जा सकता क्योंकि अपराध भारत में घटित नहीं हुआ है
(b) Can be prosecuted in the country, where the offence was committed/
उस देश में अभियोजित किया जा सकता है, जहाँ उसने अपराध किया है
(c) Can be prosecuted in India in any place in which he may be found /
भारत में अभियोजित किया जा सकता है, जहाँ कहीं भी वह व्यक्ति मिले
(d) Cannot be prosecuted neither in India nor in the country, where the crime was committed/
अभियोजन न तो भारत में किया जा सकता है, और न ही उस देश में जहाँ अपराध घटित हुआ है।

UGC (NET) June, 2009

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 4 (1) के अनुसार इस संहिता के उपबन्ध भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा किए गए अपराध पर लागू होगा। ऐसा व्यक्ति भारत के जिस स्थान पर मिले,वहाँ अभियोजित किया जा सकता है।

14. 'A' who is a citizen of India, commits a murder in England. He is found in indore and arrested accordingly. Where can 'A' be tried/`A' जो कि भारत का नागरिक है, इंग्लैण्ड में एक हत्या करता है। वह इन्दौर में पाये जाने पर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। `A' को हत्या के लिए कहाँ विचारित किया जायेगा?

(a) At New Delhi, the capitalof India
भारत की राजधानी नई दिल्ली में
(b) At Bhopal, the capital of M.P
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में
(c) At Indore. where he was found
इन्दौर में, जहाँ वह पाया गया
(d) At any place in India/भारत में किसी भी स्थान में

MP (ADPO) 2008 Paper-II

Ans. (c) प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा 4 के दृष्टांत** पर आधारित है। धारा 4 राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर इस संहिता का विस्तार निम्नलिखित परिस्थितियों में करती है – (1) जबकि अपराध भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा किया गया है तथा (2) भारत में रजिस्टर्ड किसी पोत या विमान पर चाहे वह कहीं भी हो किसी व्यक्ति द्वारा किया गया हो।

15. 'A' who is a citizen of India commits murder in Uganda. He is arrested in Delhi. He can be tried and convicted of murder—
'क' जो भारत का नागरिक है, उगाण्डा में हत्या करता है। वह दिल्ली में पकड़ा जाता है। हत्या के अपराध के लिए वह विचारित और दोषसिद्ध किया जा सकता है-

(a) Only in Uganda/केवल उगाण्डा में
(b) Only in that country of which the deceased was a citizen
केवल उस देश में,मृतक जहाँ का नागरिक था
(c) In anyone of the above/उपर्युक्त दोनों में से कहीं भी
(d) In Delhi/दिल्ली में

MPHC CJ 2002

Ans. (d) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 4 के दृष्टांत** पर आधारित है। **धारा 4 के अनुसार** यदि भारतीय नागरिक द्वारा भारत की सीमा से बाहर अपराध किया जाता है, तो वह उसी भाँति दण्डनीय होगा मानो वह भारत में कारित किया गया है। ऐसे व्यक्ति का विचारण ऐसे स्थान पर किया जायेगा जहाँ वह पकड़ा जाता है।

अध्याय - 3
साधारण स्पष्टीकरण (धारा 6-52A)

1. In Indian Penal Code the pronoun 'he' and its derivatives are used for-
भारतीय दण्ड संहिता में पुल्लिंग वाचक शब्द प्रयोग किये गये हैं-

(a) Male/नर हेतु
(b) Female/नारी हेतु
(c) Any person whether male or female
हर व्यक्ति हेतु चाहे वह नर हो या नारी
(d) Such words are not used in the Code
ऐसे शब्दों का उपयोग इस संहिता में नहीं है

Rajasthan (J) 2013
UP (HJS) 2018 Part-II
MPHC (DLAO)2021

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 8 के अनुसार पुल्लिंग वाचक शब्द जहाँ प्रयोग किये गये हैं वह हर व्यक्ति के बारे में लागू हैं चाहे वह नर हो या नारी।
भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 8 में लिंग को परिभाषित किया गया है पुलिंग वाचक शब्द जहाँ प्रयोग किए गए हैं वे हर व्यक्ति के बारे में लागू हैं चाहे नर हो या नारी। जहाँ सर्वनाम वह का प्रयोग किया गया हो, वहाँ उसमें पुरुष और स्त्री दोनों सम्मिलित समझे जायेंगे।

2. Man is defined in-/'पुरुष' परिभाषित है

(a) Section 13 of IPC
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 13 में
(b) Section 9 of IPC
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 9 में
(c) Section 11 of IPC
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 11 में
(d) Section 10 of IPC
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 10 में

BPSC (APO) 2009

Ans : (d) भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 10 में 'पुरुष', 'स्त्री' शब्द की परिभाषा दी गई है।
उपरोक्त धारा के अनुसार– 'पुरुष' शब्द किसी भी आयु के मानव नर का द्योतक है।
'स्त्री' शब्द किसी भी आयु की मानव नारी का द्योतक है।

3. Under Section 10 on I.P.C. "man" denotes a male human being of:-
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 10 में ''पुरुष'' शब्द द्योतक है कोई नर मानव :

(a) 16 years/16 वर्ष का
(b) 18 years/18 वर्ष का
(c) 21 years/21 वर्ष का
(d) any age /किसी भी आयु का

Chhattishgarh (ADPO) 2008

Ans. (d) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

4. In I.P.C. the word 'Woman' denotes to
भारतीय दण्ड संहिता में 'स्त्री' शब्द द्योतक है :

(a) A female above the age of fifteen years
15 वर्ष से ऊपर की आयु वाली किसी महिला का
(b) A female above the age of eighteen years
18 वर्ष से ऊपर की आयु वाली किसी महिला का
(c) A female above the age of twenty on years
21 वर्ष से ऊपर की आयु वाली किसी महिला का
(d) A female of any age including newly born female child
जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु की महिला का

MP (ADPO) 2008 Paper-II
MPHC (CJ) 2017

Ans. (d) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

5. In the Indian Penal Code, the word 'woman' denotes:
भारतीय दण्ड संहिता में शब्द 'स्त्री' द्योतक है-

(a) A major woman /वयस्क स्त्री
(b) An unmarried woman /अविवाहित स्त्री
(c) A woman of any age /किसी भी आयु की स्त्री
(d) A married woman /विवाहित स्त्री

MPHC CJ 2011

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

6. Homicide cannot be defined as killing of a person by a person in view of the nature of the definition of the word 'person' in
निम्न में से किस धारा में दी गई व्यक्ति की परिभाषा की प्रकृति को देखते हुए मानव वध को एक व्यक्ति द्वारा एक व्यक्ति की हत्या के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है?

(a) Section 13 of the Indian Penal Code
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 13 में
(b) Section 11 of the Indian Penal Code
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 11 में
(c) Section 9 of the Indian Penal Code
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 9 में
(d) Section 7 of the Indian Penal Code
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 7 में

Jharkhand (J) 2016

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 11 में दी गई व्यक्ति की परिभाषा की प्रकृति को देखते हुए मानव वध को एक व्यक्ति द्वारा एक व्यक्ति की हत्या के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है क्योंकि धारा 11 के तहत व्यक्ति शब्द के अंतर्गत कोई भी कम्पनी या संगम या व्यक्तियों का निकाय आता है, जिनकी हत्या नहीं की जा सकती है।

7. Under section 13 of Indian Penal Code, 1860 definition of 'Queen' was repealed by:-
भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 13 में 'क्वीन' की परिभाषा निरसित की गईः-

(a) Adaptation Order 1937
विधि अनुकूलन आदेश 1937 द्वारा
(b) Adaptation Order 1950
विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा
(c) Adaptation Order 1938
विधि अनुकूलन आदेश 1938 द्वारा
(d) Adaptation Order 1951
विधि अनुकूलन आदेश 1951 द्वारा

Rajasthan (J)2021

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 13 में परिभाषित 'क्वीन' शब्द को विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा निरासित कर दिया गया।

8. Which one of the following is not correctly matched?
निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है?

(a) Judge-Sect.19/न्यायाधीश-धारा 19
(b) Court of Justice-Sect.20/न्यायालय-धारा 20
(c) Dishonestly-Sect.25/बेईमानी से-धारा 25
(d) Valuable Security-Sect.30/मूल्यवान प्रतिभूति-धारा 30

UP (HESC) 2021

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत सही सुमेलन निम्नवत् है-
न्यायाधीश-धारा 19
न्यायालय-धारा 20
बेईमानी-धारा 24
मूल्यवान प्रतिभूति-धारा 30

9. Which of the following person is not a Judge as defined in Section 19 of Indian Penal Code?
भा.द.सं. की धारा 19 के अनुसार कौन व्यक्ति न्यायाधीश नहीं है?

(a) A Magistrate exercising jurisdiction in respect of a charge on which he has power only to commit for trial to another court
किसी आरोप के संबंध में, जिनके लिए उसे केवल अन्य न्यायालय को विचारणार्थ सुपुर्द करने की शक्ति प्राप्त है
(b) A Collector exercising jurisdiction in a suit under Act 10 of 1859
सन् 1859 के अधिनियम, 10 के अधीन किसी वाद में अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कलेक्टर
(c) A Magistrate exercising jurisdiction in respect of a charge on which he has power to sentence to fine or imprisonment with or without appeal/किसी आरोप के संबंध में जिनके लिये उसे जुर्माना या कारावास का दण्ड देने की शक्ति प्राप्त है, चाहे उसकी अपील होती हो या नहीं होती हो
(d) None of these/इनमें से कोई नहीं

MP (HJS) 2020

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 19 के दृष्टान्त (d) के अनुसार-किसी आरोप के सम्बन्ध में, जिनके लिए उसे केवल अन्य न्यायालय को विचाराणार्थ सुपुर्द करने की शक्ति प्राप्त है, अधिकारिता का प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट न्यायाधीश नहीं है।

10. "Court of Justice" is defined in I.P.C. under which section.
''न्यायालय'' शब्द को भारतीय दण्ड संहिता की किस धारा में परिभाषित किया गया है?

(a) Section 17/धारा 17 (b) Section 18/धारा 18
(c) Section 19/धारा 19 (d) Section 20/धारा 20

Uttrakhand (J) 2021
MPHC CJ 2021
UP (APO) 2015

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 20 में 'न्यायालय' शब्द को परिभाषित किया गया है।
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 20 के अन्तर्गत न्यायालय का तात्पर्य निम्न है- (i) न्यायाधीश, जिसे अकेले ही को न्यायिकतः कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। (ii) न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय विधि द्वारा न्यायिकतः कार्य करने के लिए सशक्त हो, (iii) न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय उपयुक्त समय पर न्यायिकतः कार्य कर रहा हो।

11. The words court of justice denote in Indian penal code/भारतीय दण्ड संहिता में ''न्यायालय'' (कोर्ट ऑफ जस्टिस) शब्द द्योतक होता हैः

(a) That chamber in which judge sitting
उस कक्ष को जिसमें न्यायाधीश अपनी बैठक करता है
(b) A court of civil judge
एक सिविल जज के न्यायालय के
(c) A judge who is empowered by law to act judicially alone
ऐसे न्यायाधीश के जिसे केवल न्यायिकत कार्य करने हेतु विधि द्वारा अधिकृत किया गया है
(d) None of the above/उपरोक्त में से किसी का भी नहीं

MP (ADPO) 1995

Ans : (c) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

12. In which section of Indian penal code public servant is defined?
भारतीय दण्ड संहिता की किस धारा में लोक सेवक को परिभाषित किया गया है?

(a) Section 14/धारा 14 (b) Section 20/धारा 20

(c) Section 21/धारा 21 (d) Section 24/धारा 24

Rajasthan (APO) 2007

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 21 में लोक सेवक को परिभाषित किया गया है निम्नलिखित को लोक सेवक माना गया है-

(1) भारत की सेना, नौ सेना या वायुसेना का हर आयुक्त आफिसर
(2) हर न्यायाधीश
(3) न्यायालय का हर आफिसर
(4) किसी न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करने वाला हर जूरी सदस्य कर-निर्धारक या पंचायत का सदस्य
(5) हर मध्यस्थ
(6) हर व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता हो, जिसके आधार से वह किसी व्यक्ति को परिरोध में करने या रखने के लिए सशक्त हो।
(7) सरकार का हर आफिसर जिसका ऐसे आफिसर के नाते यह कर्त्तव्य हो कि वह अपराधों का निवारण करें।
(8) हर आफिसर जिसका ऐसे आफिसर के नाते यह कर्त्तव्य हो कि वह सरकार की ओर से किसी सम्पत्ति को ग्रहण करें, प्राप्त करें, रखें या व्यय करें या सरकार की ओर से कोई सर्वेक्षण निर्धारण या संविदा करें।
(9) हर आफिसर जिसका ऐसे आफिसर के नाते यह कर्त्तव्य है कि वह किसी ग्राम, नगर या जिले के किसी प्रयोजन के लिये किसी सम्पत्ति को ग्रहण करें।
(10) हर ऐसा व्यक्ति जो कोई ऐसा पद धारण करता हो जिसके आधार से वह निर्वाचक नामावली तैयार करता है।
(11) हर व्यक्ति जो सरकार सेवा या वेतन में हो।

13. The word 'Public servent' denotes. A person falling under_
लोक सेवक शब्द उस व्यक्ति का द्योतक है, निम्न में से किसमें आता है?

(a) A Commissioned officer in the military
सेना का प्रत्येक आयुक्त आफिसर
(b) Every judge empowered by Law to do any adjudicatory functions/प्रत्येक न्यायाधीश, जो विधि द्वारा न्यायिकतः कार्य करने के लिए सशक्त है।
(c) Every officer of court of Justice
न्यायालय का प्रत्येक आफिसर
(d) All the above/उपरोक्त सभी

Chhattishgarh (J) 2019

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 21 के अनुसार, उपुर्यक्त सभी लोक सेवक शब्द में सम्मिलित हैं।

14. Which of the following is not included as a "public servant" under section 21 of the Indian penal code 1860.
भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अंतर्गत निम्न में से कौन ''लोक सेवक'' की परिभाषा में नहीं आता है-

(a) Pilot of Indian Airlines
इण्डियन एअरलाइन्स का पायलट
(b) Government school's teacher
सरकारी विद्यालय का शिक्षक
(c) Justice of supreme court
सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश
(d) Chairman of co-operative society
को-ऑपरेटिव सोसाइटी का प्रमुख

MP (ADPO) 2016 Paper-II

Ans. (d) : को-आपरेटिव सोसाइटी का प्रमुख (चेयरमैन) भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 21 के अन्तर्गत 'लोक सेवक' की परिभाषा में नहीं आता है। जबकि इंडियन एयरलाइन्स का पायलट, सरकारी विद्यालय का शिक्षक तथा सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश 'लोक सेवक' हैं।

15. Who, according to Section 21 of Indian Penal Code, 1860, is not a public servent :-
भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अनुसार निम्न में से कौन लोक सेवक नहीं है :-

(a) A commissioned officer in Indian Army, Navy, and air Force/भारतीय थल, जल एवं वायु सेवा में कमीशन प्राप्त अधिकारी,
(b) An arbitrator to whom any case has been referred for adjudication by any court of justice/एक मध्यस्थ, जिसको किसी न्यायालय द्वारा कोई विवाद विनिश्चय हेतु निर्दिष्ट किया गया हो,
(c) An officer, who by virtue of his office, is empowered to place or keep any person in confinement/जो व्यक्ति किसी ऐसे पद को धारण करता हो, जिसके आधार पर वह किसी व्यक्ति को परिरोध में करने या रखने के लिए सशक्त हो,
(d) An advocate, who practices law in a court of justice/एक अधिवक्ता जो न्यायालय के सम्मुख विधि का व्यवसाय करता हो,

Rajasthan (DJC) 2012

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 21 में '**लोक सेवक**' को परिभाषित किया गया है। जिसमें अधिवक्ता को लोक सेवक नहीं माना गया है। अतः एक अधिवक्ता जो न्यायालय के सम्मुख विधि व्यवसाय करता है वह लोक सेवक नहीं है।

16. Which of the following is not a Public Servant?
निम्नलिखित में से कौन-सा लोक-सेवक नहीं है ?

(a) Municipal Commissioner/नगर निगम आयुक्त
(b) Member of Parliament/संसद सदस्य
(c) M.L.A./विधायक
(d) Examiner of University
विश्वविद्यालय का परीक्षक

MPHC CJ 2009, 2010
UP(HJS) 2018 Part-I

Ans. (c, d) : दो विकल्प सही है।
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 में लोकसेवक को परिभाषित किया गया है, जिसके अन्तर्गत नगर निगम आयुक्त तथा संसद सदस्य आते हैं।

आर.एस. नायक बनाम ए.आर. अंतुले (1984) S.C. के बाद में धारित किया गया कि सांसद एवं विधायक भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थों में लोक सेवक नहीं हैं।

गुजरात राज्य बनाम एम.पी. द्विवेदी (1972) S.C. के वाद में विश्वविद्यालय परीक्षक को लोक सेवक नहीं माना गया।

नोटः-प्रश्न को हाईकोर्ट द्वारा हटा दिया गया था।

17. Who among the following is not a public servant?
निम्न में कौन लोक सेवक नहीं है?

(a) Chief Minister of a State/राज्य का मुख्यमंत्री
(b) Chairman of the Central Board of Film Censors/सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेन्सर का सभापति
(c) Surveyor of an Insurance Company
बीमा कम्पनी का बीमा सर्वेक्षक
(d) Employee of a 'Nationalized Bank'
राष्ट्रीयकृत बैंक का कर्मचारी

UP (APO) 2007

Ans : (c) ए0आर0 पुरी बनाम राज्य 1989 बम्बई के वाद में न्यायालय ने बीमा कम्पनी के बीमा सर्वेक्षक को लोक सेवक नहीं माना है। अतः एक बीमा कम्पनी का बीमा सर्वेक्षक लोक सेवक नहीं है। जब कि राज्य का मुख्यमंत्री (एम. करूणानिधि बनाम भारत संघ) सेन्ट्रल बोर्ड आफ फिल्म सेंसर का चेयरमैन (आशा या रेख बनाम बिहार राज्य (1977)) तथा राष्ट्रीयकृत बैंक का कर्मचारी लोक सेवक हैं।

18. Public servant means A person under following category:-
भारतीय दण्ड संहिता : 'लोक सेवक' का अर्थ है। वह व्यक्ति जो निम्न श्रेणी में आता है-

(a) Commissioned officer in the Military
सेना में कमीशन प्राप्त अधिकारी
(b) Every Judge authorises by law to adjudication
विधि द्वारा न्याय निर्णयन हेतु सशक्त प्रत्येक न्यायाधीश।
(c) Every officer of court
न्यायालय का प्रत्येक अधिकारी
(d) All the above/उपरोक्त समस्त

MPHC (DLAO)2021

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

19. Which one of the following is not a public servant?
निम्नलिखित में से कौन लोक सेवक नहीं है?

(a) Liquidator/समापक
(b) A civil judge/सिविल न्यायाधीश
(c) Member of a *panchayat* assisting a Court of Jusitce/पंचायत का सदस्य जो न्यायालय का मददगार है
(d) Secretary of a co-operative society.
सहकारी समिति का सचिव

UGC (NET) June, 2009
Uttrakhand (J) 2002

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा 21** के अधीन, समापक, सिविल न्यायाधीश, पंचायत का सदस्य जो न्यायालय का मददगार है, लोक सेवक की परिभाषा के अन्तर्गत आते हैं किन्तु सहकारी समिति का सचिव लोक सेवक नहीं है।

20. According to section 21 of the Indian penal code 1860, Who among the following is public servant?
भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अनुसार, निम्न में से कौन लोकसेवक है/हैं?

(a) Member of parliament/संसद् का सदस्य
(b) A member of the state legislature
राज्य विधायिका का सदस्य
(c) Chief minister and prime minister
मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री
(d) None of these/इनमें से कोई नहीं

BPSC (APO) 2009

Ans : (c) एम करुनानिधि बनाम भारत संघ 1977 SC के वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारित किया कि मुख्यमंत्री तथा प्रधानमंत्री भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 21 के अर्थों में लोक सेवक हैं जबकि **आर.एस. नायक बनाम ए.आर. अन्तुले 1984 SC** के वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारित किया कि सांसद तथा विधायक भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 21 के अर्थों में लोक सेवक नहीं हैं।

21. Movable Property has been Defined under IPC?
भा.द.सं. के अन्तर्गत 'चल सम्पत्ति' को परिभाषित किया गया है?

(a) Section 21/धारा 21 में
(b) Section 22/धारा 22 में
(c) Section 23/धारा 23 में
(d) Section 24/धारा 24 में

Rajasthan (APO) 2007

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 22 में **'जंगम सम्पत्ति'** की परिभाषा दी गयी है। धारा 22 के अनुसार, जंगम सम्पत्ति के अन्तर्गत हर भांति की मूर्त सम्पत्ति आती है किन्तु भूमि और वे चीजें जो भूबद्ध हो या भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हो, इसके अन्तर्गत नहीं आती।

22. Section 22 of the Indian Penal Code prescribes
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 22 में उपबंध है:

(a) Wrongful gain /सदोष अभिलाभ का
(b) Wrongful loss/सदोष हानि का
(c) Dishonesty/बेईमानी का
(d) Movable property/जंगम सम्पत्ति का

Uttarakhand (J) 2021

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

23. What is not movable property under Section 22 I.P.C.?
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 22 की परिभाषा के अनुसार कौन-सी वस्तु 'चल सम्पत्ति' नहीं है?

(a) Soil /मिट्टी
(b) Cheque /चेक
(c) Tree /वृक्ष
(d) Fish in a tank /तालाब की मछलियाँ

MPHC CJ 2007

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 22 में परिभाषत चल सम्पत्ति में वृक्ष (पेड़) नहीं आता है। वृक्ष भूमि से स्थायी रूप से जुड़ा होती है इसलिए चल सम्पत्ति नहीं है। वृक्ष को भूमि से अलग कर दिये जाने पर यह चल सम्पत्ति हो सकती है।

24. The definition of movable property under section 22 of the Indian Penal Code, 1860 excludes .....
भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 22 के अन्तर्गत चल सम्पत्ति की परिभाषा में शामिल नहीं है-
(a) Land/भूमि
(b) Things attached to the earth
भूमि से संलग्न वस्तुएँ
(c) Things permanently fastened to anything which is attached to the earth
भूमि में स्थायी रूप से जुड़ी हुए वस्तुएँ
(d) All of the above/उपर्युक्त सभी

UP (HJS) 2014

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

25. 'Wrongful gain' and 'Wrongful loss' have been defined under Indian Penal Code, in which of the following Section?
भारतीय दण्ड संहिता में 'सदोष अभिलाभ' एवं 'सदोष हानि' को परिभाषित किया गया है
(a) Section 22/धारा 22 में
(b) Section 23/धारा 23 में
(c) Section 24/धारा 24 में
(d) Section 27/धारा 27 में

Uttarakhand (J) 2008, 2018

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 23 में **'सदोष अभिलाभ'** एवं **'सदोष हानि'** को परिभाषित किया गया है।
सदोष अभिलाभ– ''सदोष अभिलाभ'' विधिविरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी सम्पत्ति का अभिलाभ है, जिसका वैध रूप से हकदार अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति न हो।
सदोष हानि– ''सदोष हानि'' विधिविरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी सम्पत्ति की हानि है, जिसका वैध रूप से हकदार हानि उठाने वाला व्यक्ति हो।

26. Wrongful gain means/सदोष अभिलाभ से अभिप्रेत है :
(a) A gain by lawful means of property which the person gaining is not entitled
विधिपूर्ण साधनों द्वारा ऐसी सम्पत्ति का अभिलाभ है जिसके लिए व्यक्ति हकदार नहीं है
(b) A gain by unlawful means of property to which the person gaining is not legally entitled
विधिविरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी सम्पत्ति का अभिलाभ है जिसका वैध रूप से हकदार अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति न हो
(c) A gain by unlawful means of property which the person gaining is entitled
विधिविरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी सम्पत्ति का अभिलाभ है जिसके लिए अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति हकदार है
(d) All of the above/उपर्युक्त सभी

MP (ADPO) 2010 Paper-II

Ans.(b): उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

27. Loosing wrongfully means:
सदोष हानि से भाव है:
(a) When the property is put to auction
जब सम्पत्ति को नीलामी पर चढ़ाया जाता है
(b) When such person is wrongfully deprived of property/जब किसी व्यक्ति को दोषतः आघात पहुँचा कर उससे सम्पत्ति छीन ली जाती है
(c) When such person is wrongfully kept out of the property/जब किसी व्यक्ति को सदोष उसकी सम्पदा से अलग कर दिया जाए
(d) All the above/उपरोक्त सभी

UGC (NET) June, 2011

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

28. Which of the following section of IPC, 1860 defines 'Dishonestly'?
इनमें से भा. दं. सं., 1860 की कौन-सी धारा 'बेईमानी से' को परिभाषित करती है?
(a) Section 23/धारा 23 (b) Section 24/धारा 24
(c) Section 25/धारा 25 (d) Section 26/धारा 26

JPSC (APO) 2019

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 24 'बेईमानी से' को परिभाषित करती है। इस धारा के अनुसार, जो कोई इस आशय से कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष लाभ (wrongful gain) कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि (wrongful loss) कारित करे, तो यह कहा जाता है कि वह उस कार्य को बेईमानी से करता है।

29. "A" does an act with the intention of causing him wrongful profit and 'B' Causing wrongful loss under which section of the Indian panel code 1860. It would be said that we called that act dishonestly
''क'' एक कार्य इस आशय से करता है कि उसे सदोष लाभ कारित हो और ''ख'' को सदोष हानि कारित हो। भारतीय दण्ड संहिता 1860 की किस धारा के अधीन यह कहा जाएगा कि उसने उस कार्य को ''बेईमानी'' से किया?
(a) Section 21/धारा 21 (b) Section 22/धारा 22
(c) Section 23/धारा 23 (d) Section 24/धारा 24

Rajasthan (APO) 2015

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

30. Word 'Dishonestly' as defined in Section 24 of IPC means:
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 24 में शब्द 'बेईमानी से' परिभाषित है:

(a) With the intention of causing wrongful gain to one person
एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे

(b) With the intention of causing wrongful gain loss to another person
अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे

(c) With the intention of causing wrongful gain to one person or with the intention of causing wrongful loss to another person
एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे

(d) All of the above are true/उपर्युक्त सभी सत्य हैं

MPHC CJ 2012

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के धारा 24 के अनुसार, जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे, वह उस कार्य को 'बेईमानी से' करता है, यह कहा जाता है।

31. Whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to do that thing:
जब कोई एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कुछ भी करता है या किसी अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाता है तो इसे किस तरह की गयी बात कही जाएगी?

(a) Fraudulently/धोखाधड़ी से
(b) Dishonestly/बेईमानी से
(c) Wrongfully/गलत तरीके से
(d) Mischievously/शरारत से

Chhattishgarh (J) 2015

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें

32. Assertion (A) : When an acts is dishonestly it does not require deception or concealment as its ingredient.
अभिकथन (A) : जब कोई कृत्य बेईमानी से किया जाता है तो इसके लिए कपट अथवा छिपाने के तत्त्व अपेक्षित नहीं है।
Reason (R) : Dishonesty requires an intention to cause wrongful loss or gain of property.
तर्क (R) : बेईमानी के लिए गलत ढंग से सम्पदा की हानि अथवा लाभ हेतु आशय की आवश्यकता है।

Codes:/कूट:

(a) (A) is true, but (R) is not the reason
(A) सही है परन्तु (R) कोई कारण नहीं है

(b) Both (A) and (R) are true because (R) is the correct explanation of (A)
(A) और (R) दोनों सही है क्योंकि (A) की (R) सही व्याख्या है

(c) Both (A) and (R) are distinctive offences
(A) और (R) दोनों अलग अपराध है

(d) (A) is false, while (R) is true
(A) असत्य है जबकि (R) सत्य है

UGC (NET) June, 2014 Paper-III

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 24** 'बेईमानी से' को परिभाषित करती है। बेईमानी से कारित अपराध के लिए सदोष अभिलाभ या सदोष हानि कारित करना आवश्यक है न कि कपट या छिपाने द्वारा अपराध करना अपेक्षित है।

33. The Supreme Court of India has observed a clear distinction between dishonestly and fraudulently in the case of
भारतीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा 'बेईमानी से' एवं 'कपटपूर्वक' के बीच एक स्पष्ट अंतर का संप्रेक्षण किया गया?

(a) Nathu Lal v. State of M.P.
नाथू लाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य

(b) Central Bank of India v. Narain
सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया बनाम नारायण

(c) Mubarak Ali v. State of Bombay
मुबारक अली बनाम बम्बई राज्य

(d) Vimla Devi v. Delhi Administration
विमला देवी बनाम दिल्ली प्रशासन

Jharkhand (J) 2016

Ans. (d) : विमला देवी बनाम दिल्ली प्रशासन के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा बेईमानी से एवं कपटपूर्वक के बीच एक स्पष्ट अंतर का संप्रेक्षण किया गया।

34. "There are two facts to the definition of dishonesty and it is sufficient to establish the existence of any one of them. There is no requirement in Law to establish both" Choose the correct case among the following in which the above statement of Supreme Court been laid down as ratio.
''बेईमानी की परिभाषा के दो तथ्य हैं और किसी एक का अस्तित्व इसे निर्धारित करने के लिए काफी है। दोनों को अस्तित्व में लाने की कानून में कोई जरूरत नहीं है''
नीचे दिए गए मामलों में से सही कथन का चयन कीजिए जिसमें उपर्युक्त कथन सर्वोच्च न्यायालय ने अनुपात में दिया।

(a) Tulsi Ram v. State of Uttar Pradesh
तुलसी राम बनाम उत्तर-प्रदेश राज्य

(b) Hari Sao v. State of Bihar
हरि साव बनाम बिहार राज्य

(c) Gurdata Mal v. State of Uttar Pradesh
गुरदत्त मल बनाम उत्तर-प्रदेश राज्य
(d) State of Bihar v. Nathu Pandey
बिहार राज्य बनाम नाथू पाण्डेय

UGC (NET) June, 2015 Paper-III

Ans. (a) : तुलसी राम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (AIR 1962 SC) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि बेईमानी की परिभाषा के दो तथ्य हैं और यह किसी एक का अस्तित्व निर्धारित करने के लिए काफी है। दोनों को अस्तित्व में लाने के लिए कानून की कोई जरुरत नहीं है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 24 में बेईमानी को परिभाषित किया गया है।
बेईमानी से तात्पर्य है इस आशय के साथ कार्य कि वह एक व्यक्ति को सदोष लाभ अथवा अन्य को सदोष हानि करें। अतः कोई कार्य बेईमानी पूर्वक होगा यदि उससे किसी व्यक्ति को लाभ या हानि पहुंचाने का आशय है।

35. I.P.C "counterfeit" is defined under–
भा.द.सं. के अन्तर्गत 'कूटकरण' परिभाषित है-
(a) Section 30/धारा 30 में
(b) Section 28/धारा 28 में
(c) Section 29/धारा 29 में
(d) Section 27/धारा 27 में

Rajasthan (APO) 2007

Ans. (b) : भा.दं.सं., 1860 की धारा 28 में ''कूटकरण'' को परिभाषित किया गया है। धारा 28 के अन्तर्गत कूटकरण को निम्नवत् परिभाषित किया गया है-जो व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सदृश्य इस आशय से करता है कि वह उस सदृश्य से प्रवंचना करे या यह सम्भाव जानते हुए करता है कि तद् द्वारा प्रवंचना की जायेगी, वह कूटकरण करता है।

36. Which one of the following pairs is correctly matched?
निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सही सुमेलित है?

(a) Counterfeit कूटकरण	section- 28 धारा - 28
(b) Valuable security मूल्यवान प्रतिभूति	section -29 धारा - 29
(c) Document दस्तावेज	section- 30 धारा- 30
(d) Omission लोप	section-31 धारा -31

UPPCS (J) 2013

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 28 ''कूटकरण''** का उपबंध करती हैं। संहिता की **धारा 29** में ''दस्तावेज'', ''धारा 30'' ''मूल्यवान प्रतिभूति'' और **धारा 33** ''कार्य'' एवं ''लोप'' तथा **धारा 31** ''विल'' से सम्बन्धित है।

37. Causing one thing to resemble another things is known as:
किसी एक चीज से मिलती-जुलती चीज के सदृश्य करने को क्या कहते हैं?
(a) Counterfeit/कूटकरण
(b) Deception/प्रवंचना
(c) Cheating/छल
(d) All of them/उपर्युक्त सभी

UGC (NET) June, 2014 Paper-II

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

38. 'A power of Attorney' is an example of _____ under section 29 IPC
'पावर ऑफ अटॉर्नी' आई.पी.सी. की धारा 29 के तहत आने वाले ..... का एक उदाहरण है।
(a) Document/दस्तावेज
(b) Contract/अनुबंध
(c) Deed/विलेख
(d) Title/स्वत्वाधिकार
(e) Express authority/अभिव्यक्त प्राधिकार

Chhattishgarh (ADPO) 2017

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 29 में दस्तावेज की परिभाषा दी गयी है। धारा 29 के अनुसार– **'दस्तावेज'** शब्द किसी भी विषय का द्योतक है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरो, अंको या चिन्हों के साधनों द्वारा या उनमें से एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो जो उस विषय के साक्ष्य के रूप में उपयोग किये जाने को आशयित हो या उपयोग किया जा सके।
अतः मुख्यतारनामा एक दस्तावेज है। यह धारा 29 का दृष्टांत है।

39. What is a cheque upon a banker under the Indian Penal Code?
भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत बैंककार पर दिया गया चैक क्या है?
(a) Document /अभिलेख
(b) Counterfeit/कूटकरण
(c) Valuable security /मूल्यवान प्रतिभूति
(d) None of these/इनमें से कोई नहीं

Uttarakhand (J) 2021

Ans. (a) : बैंककार कर दिया गय चैक 'दस्तावेज' है। यह धारा 29 का एक दृष्टान्त है।

40. I.P.C the right to "electronic records is defined
भा.द.सं. के अन्तर्गत 'इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख' को परिभाषित किया गया है?
(a) Section 29/धारा 29 में
(b) Section 29-A/धारा 29-क में
(c) Section 29-B/धारा 29-ख में
(d) Section 29-D/धारा 29-घ में

Rajasthan (APO) 2007
Uttarakhand (APO)2021

Ans. (b) : भा.दं.सं. 1860 की धारा 29-क में ''इलेक्ट्रानिक अभिलेख'' को परिभाषित किया गया है।
धारा 29 - ''दस्तावेज'' को परिभाषित करती है।

41. Section 29A of I.P.C. is related to.
भा.द.सं. की धारा 29क संबंधित है --- से

(a) Documents/दस्तावेज
(b) Valuable Security/मूल्यवान प्रतिभूति
(c) Electronic record/इलेक्ट्रानिक रिकार्ड
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

Chhattishgarh (J) 2019

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 29A को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 91 तथा प्रथम अनुसूची द्वारा अन्तःस्थापित किया गया। धारा 29A के अनुसार इलैक्ट्रानिक अभिलेख शब्दों का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (t) में है।

42. In which provision of Indian Penal Code the definition of 'valuable security' is explained?
भारतीय दंड संहिता के किस प्रावधान के अंतर्गत 'मूल्यवान प्रतिभूति' की व्याख्या की गई है?

(a) Section 29/धारा 29
(b) Section 30/धारा 30
(c) Section 31/धारा 31
(d) Section 13/धारा 13

UGC (NET) June, 2012 Paper-III
UP (APO) 2018

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 30 में मूल्यवान प्रतिभूति को परिभाषित किया गया है।
''मूल्यवान प्रतिभूति'' शब्द उस दस्तावेज का द्योतक है, जो ऐसा दस्तावेज है या होना तात्पर्यित है, जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार सृजित, अन्तरित, निर्बन्धित, व निर्वापित किया जाय, छोड़ा जाय या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति यह स्वीकार करे कि वह विधिक दायित्व के अधीन है या अमुक विधिक अधिकार नहीं रखता है।

43. Which one of the following is not a valuable security?
निम्न में से कौन मूल्यवान प्रतिभूति नहीं है?

(a) A copy of a lease/एक पट्टे की प्रतिलिपि
(b) A rent note/एक किराया पत्र
(c) A deed of divorce/तलाक का विलेख पत्र
(d) A promissory note/एक प्रामिसरी नोट (प्रोनोट)

UP (APO) 2007 (Special)

Ans: (a) तलाक का विलेख पत्र, प्रामिसरी नोट किराया पत्र, बीमा पालिसी मूल्यवान प्रतिभूतियां हैं **परन्तु न्यायालय द्वारा पारित डिक्री की प्रतिलिपि, चेक द्वारा भुगतान किया गया बिल, एक पट्टे की प्रतिलिपि मूल्यवान प्रतिभूति नहीं है।**

44. According to Indian Penal code, such documents by which any person accept that he is under any legal obligation, is called as
भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार ऐसे दस्तावेज को, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति यह अभिस्वीकार करता है कि वह विधिक दायित्व के अधीन है, कहा जाता है।

(a) Bond/बंध पत्र
(b) Acknowledgement deed/अभिस्वीकृति विलेख
(c) Charge deed/भार विलेख
(d) Valuable security/मूल्यवान प्रतिभूति

MPHC (DLAO)2021

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अन्तर्गत ऐसे दस्तावेज को, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति यह अभिस्वीकार करता है कि वह विधिक दायित्व के अधीन उसे मूल्यवान प्रतिभूति कहते हैं। मूल्यवान प्रतिभूति को भा.द.सं. की धारा 30 में परिभाषित किया गया है।

45. Which one of the following is not a valuable security?
निम्नलिखित में कौन मूल्यवान प्रतिभूति नहीं है?

(a) A postal receipt for an insured parcel
किसी बीमाकृत पार्सल की डाक रसीद
(b) A rent note/ एक किराया पत्र
(c) A promissory note/ एक प्रामिसरी नोट (वचन पत्र)
(d) A deed of divorce/तलाक का विलेख पत्र

UPPCS (J) 2003

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 30** के अन्तर्गत **मूल्यवान प्रतिभूति है-** तलाक का विक्रय-विलेख, भय के अन्तर्गत किसी नाबालिग द्वारा निष्पादित प्रामिसरी नोट (वचनपत्र), किराया पत्र, बीमा पालिसी इत्यादि।
मूल्यवान प्रतिभूति नहीं है- किसी बीमाकृत पार्सल के लिए डाक रसीद, न्यायालय द्वारा पारित डिक्री की प्रतिलिपि, चेक द्वारा भुगतान किया गया कोई बिल, एक पट्टे की प्रतिलिपि इत्यादि।
शब्द ''मूल्यवान् प्रतिभूति'' केवल मूल/मौलिक दस्तावेजों (Original documents) के लिए प्रयुक्त होता है, उनकी प्रतिलिपियों के लिये नहीं।

46. For the purpose of IPC word act done denotes-
भारतीय दण्ड संहिता के प्रयोजनार्थ इस संहिता में 'किये गये कार्यों' का निर्देश करने वाले शब्दों:

(a) Voluntarily acts
से आशय केवल स्वेच्छापूर्वक किये गये कार्य से है
(b) All kind of acts
से आशय सभी प्रकार के कार्यों से है
(c) Voluntarily act and ommission
का विस्तार स्वेच्छया कार्यों एवं स्वेच्छया लोपों तक है
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

MP (ADPO) 1993

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 32 के अनुसार, जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो, इस संहिता के हर भाग में किए गए कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों का विस्तार अवैध लोपों पर भी है।

47. In whcih Section of the Indian Penal code, 1860 the word 'Act' is defined?
भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की किस धारा में 'कार्य' शब्द को परिभाषित किया गया है?

(a) Section 33/धारा 33 (b) Section 36/धारा 36
(c) Section 40/धारा 40 (d) Section 45/धारा 45

Bihar (APO) 2020

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 33 में ''कार्य'' को परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार, 'कार्य' शब्द कार्यावली का द्योतक उसी प्रकार है जिस प्रकार एक कार्य का।
''लोप'' शब्द लोपावली का द्योतक उसी प्रकार है जिस प्रकार एक लोप का।

48. Which one of the following sections of the Indian Penal Code, 1860 defines the word 'Act' भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की निम्न किस धारा में 'कार्य' शब्द को परिभाषित किया गया है?

(a) Sec. 32/धारा 32 में (b) Sec. 33/धारा 33 में
(c) Sec. 23/धारा 23 में (d) Sec. 24/धारा 24 में

UPPCS (J) 2015

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

49. Under which one of the following sections of Indian Penal Code, the principle of 'joint criminal liability' is applicable?
भारतीय दण्ड संहिता के अधोलिखित धाराओं में से किस धारा के अंतर्गत 'संयुक्त आपराधिक दायित्व' का सिद्धांत लागू होता है?

(a) Section 36/धारा 36 (b) Section 39/धारा 39
(c) Section 34/धारा 34 (d) Section 40/धारा 40

Uttarakhand (APO) 2009

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 के अंतर्गत **'संयुक्त आपराधिक दायित्व'** (Joint criminal liability) का सिद्धांत लागू होता है। **धारा 34** के अनुसार, जब कि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सब के सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो।

50. Which of the following statement is correct.
निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

(a) Section 34 is a rule of evidence only
धारा 34 सिर्फ एक साक्ष्य का नियम है
(b) Section 34 in itself constitutes a substantive offence
धारा 34 अपने आप में सारभूत अपराध बनाता है
(c) At least 5 person must be for the commission of offence of section 34
धारा 34 का अपराध कारित करने हेतु कम से कम 5 व्यक्तियों का होना आवश्यक है
(d) Section 34 makes It a substantive offence
धारा 34 सारभूत अपराध बनाता है

MP (HJS) 2019

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 सामान्य आशय के अग्रसर में कई व्यक्तियों द्वारा किये गये कार्य को अपराध का दायित्व निर्धारित करती है। धारा 34 सिर्फ एक साक्ष्य का नियम है।

- धारा 34 कोई सारभूत अपराध घोषित नहीं करता है।
- धारा 34 के अधीन दायित्व का निर्धारण करने के लिए कम से कम दो व्यक्तियों के द्वारा सामान्य आशय के अग्रसर में कोई कार्य किया गया होना चाहिए।

51. A and B go to murder C. A stood on guard with a spear in hand but did not hit C at all. B killed C. in this case/'क' और 'ख', 'ग' की हत्या करने जाते हैं। 'क', हाथ में भाला लेकर रक्षा हेतु खड़ा रहा लेकिन उसने 'ग' को नहीं मारा। 'ख', ने 'ग' को मार डाला। इस मामले में :

(a) Only B is liable for murder of C
केवल 'ख', 'ग' की हत्या के लिए उत्तरदायी हैं
(b) A and B both are liable for murder of C/'क' और 'ख', दोनों 'ग' की हत्या के लिए उत्तरदायी है
(c) A is not liable as he did not perform any over act/'क' उत्तरदायी नहीं है क्योंकि उसने कोई अतिरिक्त कृत्य नहीं किया
(d) Both (a) and (c) are correct
उपर्युक्त (a) तथा (c) दोनों सही हैं

UP (HJS) 2009
MP (ADPO) 2010 Paper-II

Ans.(b) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 34 के अंतर्गत 'क' एवं 'ख' दोनों 'ग' की हत्या के लिए उत्तरदायी है। धारा 34 के अनुसार जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन हैं, मानों वह कार्य अकेले उसी ने किया हो। चूंकि 'क' एवं 'ख' का सामान्य आशय 'ग' की हत्या करना था, अतः वे दोनों हत्या के लिए दोषी हैं। वारीन्द्र कुमार घोष बनाम एम्परर के वाद में प्रिवी कौसिल ने कहा कि अपराध में वह भी कार्यरत है जो मात्र खड़े रहते हैं और प्रतिक्षा करते हैं।

52. X and Y both go to murder Z, X stood on guard with a spear in hand but did not hit Z at all. Y killed Z:
X एवं Y दोनों Z की हत्या करने जाते हैं। X हाथ में भाला लिए चौकन्ना खड़ा रहता है। वह Z पर कोई वार नहीं करता। Y, Z को मार डालता है:

(a) only Y is liable for murder to Z
Z की हत्या के लिए केवल Y दोषी है
(b) X and Y both are liable for murder of Z
Z की हत्या के लिए X और Y दोनों दोषी हैं।
(c) X is not liable as he did not peform any overt act /X ने वार नहीं किया, इसलिए वह दोषी नहीं है।
(d) (a) and (c) both are correct
(a) और (c) दोनों उत्तर सही हैं

MPHC CJ 2006

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

53. Which one of the following recognizes the principle of vicarious criminal liability under Indian penal Code, 1860?

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अन्तर्गत निम्न में से किसमें प्रतिनिधिक आपराधिक दायित्व के सिद्धान्त को मान्यता प्रदान की गई है?

(a) Sec. 34/धारा 34 में
(b) Sec. 149/धारा 149 में
(c) Both (a) and (b)/दोनों (a) तथा (b) में
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

UPPCS (J) 2015

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 34** तथा धारा 149 में प्रतिनिधिक आपराधिक दायित्व के सिद्धान्त को मान्यता प्रदान की गई है।
धारा 34 सामान्य आशय से जबकि धारा 149 सामान्य उद्देश्य से सम्बन्धित है।

54. What is false about section 34 & 149 of the Indian penal code-
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 एवं 149 के संबंध में क्या असत्य है-

(a) Section 34 by itself does not constitute a specific offence whereas section 149 does.
धारा 34 स्वयं किसी विशिष्ट अपराध का सृजन नहीं करती है जब कि धारा 149 ऐसा करती है
(b) Section 34 of active participation in the offence, is necessary whereas it is not so in section 149
अपराध में सक्रिय सहभागता की धारा 34 के अंतर्गत आवश्यकता है जब कि धारा 149 में ऐसा नहीं है।
(c) Section 34 is regarding general intent while section 149 tells about general purpose
धारा 34 सामान्य आशय के बारे में जबकि धारा 149 सामान्य उद्देश्य के बारे में बताती है।
(d) At least five person are necessary under section 34 which section 149 requires at least two persons
धारा 34 के अंतर्गत कम से कम पाँच व्यक्तियों का होना अनिवार्य है जो कि सामान्य आशय को साझा करते हैं जबकि धारा 149 में कम से कम दो व्यक्तियों द्वारा सामान्य उद्देश्य को साझा किया जाना वांछित है।

MPHC (DLAO)2021

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 34 एवं 149 के सम्बन्ध में निम्नलिखित कथन-
1. धारा 34 स्वयं किसी विशिष्ट अपराध का सृजन नहीं करती है जब कि धारा 149 ऐसा करती है।
2. अपराध में सक्रिय सहभागिता की धारा 34 के अंतर्गत आवश्यकता है जब कि धारा 149 में ऐसा नहीं है।
3. धारा 34 सामान्य आशय के बारे में जबकि धारा 149 सामान्य उद्देश्य के बारे में बताती है, सत्य है। जबकि धारा 34 के अंतर्गत कम से कम पाँच व्यक्तियों का होना अनिवार्य है जो कि सामान्य आशय को साझा करते हैं जबकि धारा 149 में कम से कम दो व्यक्तियों द्वारा सामान्य उद्देश्य को साझा किया जाना वांछित है। यह कथन असत्य है।

55. 5 persons take illegal possession of a field. The owner (the complainant party) of the field collects his supporters and goes to the field for ousting the trespassers therefrom. In the free fight, which ensues, the trespassers kill one person from the complainant side. All the accused can be convicted–
5 व्यक्ति एक खेत पर अवैध कब्जा करते हैं। भूस्वामी (परिवादी पक्ष) अपने समर्थकों को एकत्रित करके खेत पर अतिचारियों को वहाँ से बाहर निकालने के लिए जाता है। परस्पर मारपीट के आगे बढ़ने पर परिवादी पक्ष के एक व्यक्ति को अतिचारियों द्वारा मार दिया जाता है। सभी अभियुक्तगण दोषसिद्ध किये जा सकते हैं–

(a) With the aid of section 34 of IPC.
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 की सहायता से।
(b) With the aid of section 149 of IPC.
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 149 की सहायता से।
(c) For the individual injuries caused to the members of the complainant party./परिवादी पक्ष के सदस्यों को कारित व्यक्तिगत उपहतियों हेतु।
(d) None of the above./उपरोक्त में से कोई नहीं।

Rajasthan (J) 2017

Ans. (a) : प्रस्तुत समस्या में सभी अभियुक्तगण भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 की सहायता से दोषसिद्ध किये जा सकते हैं।
धारा 34 के अनुसार, जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सब के सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो।
इस प्रकार सभी अभियुक्तगण भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 सपठित धारा 34 के अंतर्गत दायित्वाधीन ठहराये जा सकेंगें।

56. Assertion (A): The principle of common intention applies when a criminal act is done by several persons in furtherance of that intention
Reason (R): A intentional cooperation for committing an offence culminated form several acts.
अभिकथन (A): सामान्य आशय का सिद्धांत तब लागू होता है जब उस आशय को आगे बढ़ाने के लिए अनेक लोगों द्वारा कोई आपराधिक कार्य किया जाता है।
कारण (R): अनेक कृत्यों की पराकाष्ठा के रूप में उत्पन्न अपराध को करने में साभिप्राय सहभागिता
कूटः
(a) (A) is true but (R) is not the reason
(A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है
(b) Both (A) and (R) are true and (R) is the reasonable explanation of (R)/(A) और (R) दोनों सही है और (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है
(c) Both are distinctive offences and (A) is not dependent on (R)
दोनों सुभिन्न अपराध हैं तथा (R), (A) पर निर्भर नही है

(d) (A) is false but (R) is true
(A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है

UGC (NET) June, 2014 Paper-II

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 34** के अनुसार जब कि कोई अपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय के अग्रसर करने में किया जाता है तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो, वही धारा 37 के अनुसार जबकि कोई अपराध कई कार्यों द्वारा किया जाता है तब जो कोई या तो अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ सम्मिलित होकर उन कार्यों में से कोई एक कार्य करके उस अपराध के किये जाने में साशय सहयोग करता है वह उस अपराध को करता है।

57. **Assertion (A):**Common intention implies a pre-arranged plan, prior meeting of minds and prior consultation between all the persons committing the crime.
अभिकथन (A): सामान्य आशय में पूर्व-व्यवस्थित योजना, मस्तिष्कों का पूर्व मिलन और अपराध में शामिल सभी व्यक्तियों के बीच मंत्रणा निहित है।
Reason (R): The law makes no distinction between the persons or the part played by them in doing the criminal act.
कारण (R): आपराधिक कृत्य को करने वाले व्यक्तियों अथवा उनके द्वारा अपराध में निभाई गई भूमिका इन दोनों के बीच कानून किसी प्रकार का भेद नहीं करता।
Codes:/कूट:
(a) (A) is true and (R) is false
(A) सही है परन्तु (R) गलत है
(b) (A) and (R) are both true, but (R) is not the correct explanation of (A)/(A) और (R) दोनों सही है परन्तु (R), (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है
(c) (A) is false and (R) is true
(A) गलत है। (R) सही है।
(d) Both (A) and (R) are true and (R) is most nearest explanation of (A)/(A) और (R) दोनों सही है और (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है

UGC (NET) September, 2013 Paper-II

Ans. (d) : सामान्य आशय में पूर्व-व्यवस्थित योजना, मस्तिष्कों का पूर्व मिलन और अपराध में शामिल सभी व्यक्तियों के बीच मंत्रणा निहित है तथा विधि अपराध करने वाले तथा अपराध करने में कोई भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों में भेद नहीं करता है।
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 उपरोक्त सिद्धान्त को प्रावधानित करता है। इसके अनुसार जब कि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो।
अतः A तथा R दोनों सही हैं और R, A का सही स्पष्टीकरण है।

58. **Common intention means**
सामान्य आशय का अर्थ है–
(a) Similar intention/एक जैसा आशय
(b) Same intention/वही आशय
(c) Sharing of intention by all persons
सभी द्वारा आशय में भागीदारी
(d) Common plans/समान योजना

UP (APO) 2002
Chhattishgarh (ADPO) 2013

Ans: (c) सामान्य आशय का अर्थ है- सभी द्वारा आशय में भागीदारी। सामान्य आशय का अर्थ निम्नलिखित भी है-
(a) पूर्व निर्धारित योजना
(b) परिणाम की परिकल्पना किए बिना आपराधिक कृत्य कारित करने करने की इच्छा
(c) घटित अपराध को निर्मित करने हेतु एक आवश्यक दुराशय
(d) एक आपराधिक कृत्य कारित करने की इच्छा लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि वही कृत्य घटित हो।

59. **'Common intention' signifies :**
'सामान्य आशय' से अभिप्रेत है-
(a) similar intention/समान आशय
(b) prearranged planning/पूर्व व्यवस्थित योजना
(c) presence of common knowledge
सामान्य जानकारी का होना
(d) common design for common objects
सामान्य उद्देश्यों के लिये सामान्य अभिसंधि

Jharkhand (J) 2014

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 34 में परिभाषित 'सामान्य आशय' से अभिप्राय एक ही आशय के प्रति दो या दो से अधिक व्यक्तियों में मानसिक सहमति (पूर्व व्यवस्थित योजना) का होना तथा एक दूसरे की उसमें सहभागिता।
महबूब शाह बनाम एम्परर के वाद में प्रिवी कौंसिल ने अभिनिर्णीत किया कि 'सामान्य आशय' में आपराधिक योजना में शामिल सभी व्यक्तियों के 'मस्तिष्कों का पूर्वमिलन' आवश्यक है।

60. **Which one of the following brings out the distinction between Section 34 and 149 of the IPC?/निम्न में से कौन, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 तथा धारा 149 के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है?**
(a) Section 149 creates a specific offence whereas Section 34 does not/धारा 149 में एक विशिष्ट अपराध जबकि धारा 34 नहीं करता है
(b) Section 34 creates a specific offence whereas Section 149 does not/धारा 34 में एक विशिष्ट अपराध जबकि धारा 149 नहीं करता है
(c) Section 34 as well as Section 149 create specific offences/धारा 34 साथ ही साथ धारा 149 विशिष्ट अपराध बनाता है

(d) Section 34 as well as Section 149 do not create specific offences/धारा 34 साथ ही साथ धारा 149 विशिष्ट अपराधों को पैदा नहीं करते

Jharkhand (J) 2016

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 34 सामान्य आशय (Common intention) तथा 149 सामान्य उद्देश्य (Common object) पर आधारित है। धारा 149 में एक विशिष्ट अपराध का गठन होता है, जबकि धारा 34 केवल साक्ष्य का नियम है तथा मूल अपराध का गठन नहीं करता है।

61. The difference between Section 34 and Section 149 of Indian Penal Code is/भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 एवं धारा 149 में क्या अंतर है?

(a) that in Section 34, there must be at least five persons, whereas Section 149 requires only two persons/धारा 34 में कम से कम पाँच व्यक्तियों का होना अनिवार्य है, जबकि धारा 149 के लिए केवल दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है

(b) that Section 149 is only a 'rule of evidence' whereas Section 34 creates a specific offence and provides for its punishment
धारा 149 केवल साक्ष्य का नियम है, जबकि धारा 34 एक विशिष्ट अपराध बनाता है और इसकी सजा का प्रावधान करता है

(c) that Section 34 requires active participation in action, whereas Section 149 requires mere passive membership of the unlawful assembly/धारा 34 सक्रिय भागीदारी माँगता है, जबकि धारा 149 में गैर कानूनी असेंबली की मात्र निष्क्रिय सदस्यता की आवश्यकता होती है

(d) that Section 34 need not be joined with the principal offence, whereas Section 149 must be combined with the principal offence
धारा 34 को मुख्य अपराध के साथ नहीं जोड़ा जाता है जबकि धारा 149 को जोड़ा जाता है

MP (HJS) 2020
Jharkhand (J) 2019

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 एवं धारा 149 में निम्न प्रमुख अंतर है-

धारा 34	धारा 149
1. व्यक्तियों की संख्या 1 से अधिक होनी चाहिए।	1. व्यक्तियों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए।
2. इस धारा के अंतर्गत दायित्व सामान्य आशय (Common Intention) पर निर्भर करता है।	2. इस धारा के तहत दायित्व सामान्य उद्देश्य (Common object) पर निर्भर करता है।
3. धारा 34 केवल साक्ष्य का नियम है, मूल अपराध सृजित नहीं करता है।	3. यह मूल अपराध का सृजन करता है।
4. धारा 34 के तहत सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है।	4. धारा 149 के अंतर्गत दायित्व के लिए सिर्फ विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना ही पर्याप्त है।

62. Section 34 I.P.C. to establish:
धारा 34 भा.दं.सं. स्थापित करने हेतुः

(a) No open Act is required to be done, only general intention is required to be copied
कोई खुल कर किया गया कार्य प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है केवल सामान्य आशय प्रमाणित करना आवश्यक होता है

(b) Both common intention and open Act have to be proved/सामान्य आशय एवं खुल कर किया गया कार्य दोनों को प्रमाणित करना होता है

(c) It is not necessary to certify common intention but it is necessary to certify the Act done by the person openly that/सामान्य आशय प्रमाणित करना आवश्यक नहीं है किंतु खुल कर किया गया कार्य को प्रमाणित करना आवश्यक है

(d) All the above/ऊपर के सभी

Chhattishgarh (J) 2011

Ans. (a) : भा0द0सं0 1860 की धारा 34 को स्थापित करने हेतु कोई खुल कर कार्य (Overt Act) किया जाना प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है केवल सामान्य आशय प्रमाणित करना आवश्यक होता है।

63. When a criminal act is done by several person in furtherance of common intention of all
जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है-

(a) Each of such person is liable for that act
ऐसा प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिये उत्तरदायी है

(b) Each of such person is liable for that act in the same manners as is it were done by him alone/ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो

(c) Each of such person is liable according to his guilt/ऐसा प्रत्येक व्यक्ति अपने दोष के अनुसार उत्तरदायी है

(d) None of the above is correct
उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है

MP (ADPO) 2009 Paper-II
MP (HJS) 2017

Ans (b): भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 34 के अनुसार जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन हैं मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो। धारा 34 संयुक्त दायित्व का सिद्धान्त प्रतिपादित करती है। अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में 1870 में जोड़ा गया।

64. Sec - 34 of IPC determines:-
भारतीय दण्ड विधान की धारा 34 निर्धारित करती है:

(a) Substituted Liability/प्रतिस्थानिक उत्तरदायित्व

(b) Joint Liability/संयुक्त उत्तरदायित्व

(c) Original Liability/मूल अपराध

(d) An independent offence/एक स्वतंत्र अपराध

MP (ADPO) 1993

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 34 संयुक्त दायित्व के सिद्धांत को प्रतिपादित करती है। यदि दो या अधिक व्यक्ति किसी कार्य को संयुक्त रूप से करते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि उनमें से प्रत्येक ने उस कार्य को वैयक्तिक रूप से किया है।

इस संहिता की धारा 34-38 तथा धारा 149 संयुक्त आपराधिक दायित्व का निर्धारण करती है।

65. Under Section 34 of Indian Penal Code-
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 के लिए–

(a) Physical Presence is necessary
शारीरिक उपस्थिति आवश्यक है

(b) Physical Presence is necessary for participation but not in all cases
शारीरिक उपस्थिति सहभागिता के लिए आवश्यक है, परन्तु सभी प्रकरणों में नहीं

(c) Physical Presence is not necessary
शारीरिक उपस्थिति आवश्यक नहीं है

(d) Physical Presence is necessary with common knowledge
समान ज्ञान के साथ शारीरिक उपस्थिति आवश्यक है

MPHC CJ 2018 Shift-I

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 34 संयुक्त दायित्व के सिद्धान्त पर आधारित है। यह धारा साक्ष्य का एक नियम मात्र है तथा किसी सारभूत अपराध का सृजन नहीं करती है।

धारा 34 लागू होने के लिए आवश्यक तत्व-

1. एक आपराधिक कृत्य।
2. आपराधिक कृत्य एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जाये।
3. आपराधिक कृत्य सामान्य आशय के अग्रसर में होना चाहिए।
4. आपराधिक कृत्य में सभी व्यक्तियों को सम्मिलित होना चाहिए।

धारा 34 के दायित्व के लिए अपराध सभी व्यक्तियों की शारीरिक उपस्थिति में होना चाहिए। परन्तु सभी व्यक्तियों की सभी मामलों में शारीरिक उपस्थिति सदैव आवश्यक नहीं है। इब्राहिम बनाम स्टेट आफ यू.पी. 1998 S.C.

बारेन्द्र कुमार घोष बनाम इम्परर के मामले में अभिनिर्धारित किया गया कि वे लोग भी अपराध में सहयोग करते हैं जो केवल बाहर खड़े होकर इन्तजार करते हैं।

66. Which of the following is the principle of criminal law in the I.P.C. contained in section 34 of?
निम्न में से अपराध विधि का कौन-सा सिद्धांत भा.द.सं. की धारा 34 में निहित है?

(a) Same intention/समान आशय

(b) Common object /सामान्य उद्देश्य

(c) Equal responsibility /समान उत्तरदायित्व

(d) Common intention/सामान्य आशय

Rajasthan (APO) 2007

Ans. (d) : भा.दं.सं., 1860 की धारा 34 में ''सामान्य आशय का सिद्धांत निहित है। धारा 34 के अनुसार'', जब कि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके के सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानों वह कार्य अकेले उसी ने किया हो।

सामान्य उद्देश्य धारा 149 में निहित है।

67. The principle of same intent applies while
समान आशय का सिद्धांत लागू होता है जबकि-

(a) at least 5 persons are involved
कम से कम 5 व्यक्ति लिप्त हों

(b) at least 2 persons are involved
कम से कम 2 व्यक्ति लिप्त हों

(c) at least 1 persons is involved
कम से कम 1 व्यक्ति लिप्त हो

(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

Rajasthan (APO) 2007

Ans. (b) : भा.दं.सं., 1860 की धारा 34 के अनुसार सामान्य आशय के सिद्धांत को लागू होने के लिए कम से कम दो व्यक्तियों की सम्मिलित होना आवश्यक है।

68. Section 34 of the Indian Penal Code defines the term 'common intention' according do this which of the following element is not essential element/भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 'सामान्य आशय' शब्द को परिभाषित करती है। इसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सा तत्व इसका आवश्यक तत्व नहीं है?

(a) A criminal Act must have been committed by some one/किसी के द्वारा आपराधिक कार्य किया गया होना चाहिये

(b) The said Act should be done by many persons/कथित कार्य कई व्यक्तियों द्वारा होना चाहिये

(c) All should have the same intention to plan and execute the Act/कार्य की योजना एवं उसे कार्यान्वित करने का आशय सभी का समान हो

(d) All should get the same benefit
सभी को समान लाभ प्राप्त होना चाहिए

BPSC (APO) 2009

Ans : (d) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 में 'संयुक्त दायित्व' का प्रावधान किया गया है, जिसके निम्न आवश्यक तत्व हैं।

(1) एक आपराधिक कृत्य,

(2) आपराधिक कृत्य एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया हो,

(3) आपराधिक कृत्य ऐसे व्यक्तियों द्वारा सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने हेतु किया गया हो,

(4) ऐसे व्यक्तियों के बीच सामान्य आशय पूर्व निर्धारित योजना के अन्तर्गत होना चाहिए,

(5) अपराध के सभी कथित अभियुक्तों का किसी न किसी प्रकार सम्मिलित होना आवश्यक है।

जब कि सभी को समान लाभ प्राप्त होना चाहिए या सामान्य आशय का तत्व आवश्यक नहीं है।

69. Read the following statements and state where the principles of joint liability is applied instantly flowing from mens rea?
निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और बताएँ कि कहाँ संयुक्त दायित्त्व का सिद्धांत आपराधिक मनःस्थिति के तुरंत बाद उभरता है?

(a) When he himself commits a crime/जब व्यक्ति स्वयं अपराध को अंजाम देता है

(b) When he shares in the commission of crime/जब वह मिलकर अपराध करता है

(c) When he, with a view to the commission of crime, sets, some thire agency to work/जब वह अपराध करने के उद्देश्य से किसी तीसरे पक्ष को नियत करता है

(d) When he helps the offender after commission of the crime a screening the offence/जब वह अपराध होने के पश्चात् अपराध को छिपाने में अपराधी की सहायता करता है

UGC (NET) November, 2017 Paper-II

Ans. (b) : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

70. Several persons can be vicariously liable for the criminal act of another provided there is prior meeting of mind between the persons. which of the objectives of Criminal Law is applied in such a Case?
अनेक व्यक्ति अन्य के आपराधिक कृत्य के लिए प्रतिस्थानिक रूप से जिम्मेदार हो सकते हैं, बशर्ते कि उन व्यक्तियों की पूर्व में दिमागी मिली भगत हो। ऐसे मामले में आपराधिक कानून का कौन-सा उद्देश्य लागू होता है?

(a) A pre-arranged plan with intention of performing the act/कृत्य सम्पादित करने के आशय से पूर्व निर्धारित योजना

(b) a pre-arranged plan for causing injury/क्षति पहुँचाने के लिए पूर्व नियोजित योजना

(c) A pre-arranged plan to kill the deceased whether fatal blow was given by that accused or not/मृतक को मारने की पूर्व नियोजित योजना चाहे आरोपी द्वारा जानलेवा हमला किया गया था अथवा नहीं

(d) The pre-arranged plan must be incompactible with the innocence of the accused/पूर्व नियोजित योजना आरोपी की निर्दोषता के असंगत होना चाहिए

UGC (NET) June, 2015 Paper-II

Ans. (c) : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। ।

71. Which of the following statement is correct?
निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

(a) Section 34 of I.P.C. is only a rule of evidence/भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 सिर्फ एक साक्ष्य का नियम है

(b) Section 34 of I.P.C. does not create a substantive offence/भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 अपने आप में सारभूत अपराध नहीं बनाता है

(c) Both (A) and (B) are correct/उपर्युक्त (A) और (B) दोनों सही हैं

(d) None of these/उपर्युक्त में से कोई नहीं

UGC (NET) December, 2009

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 34 सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य का अर्थ है ''पूर्व नियोजित योजना के अनुसार एक ही उद्देश्य के लिये किया गया कार्य।'' धारा 34 साक्ष्य का नियम है यह धारा किसी विशिष्ट अपराध का सृजन नहीं करती है। उपरोक्त प्रश्न में (a) और (b) दोनों सही हैं।

72. The requirement for fixing joint liability lies particularly on the confederation of parties because of:
संयुक्त दायित्व निश्चित करने के लिये अपेक्षा निम्नलिखित की वजह से पक्षों के संगठन पर रहती है:

(a) Common object/सामान्य उद्देश्य

(b) Common intention/सामान्य आशय

(c) Vicarious liability/प्रतिनिधिक दायित्व

(d) Deemed to be guilty/कसूरवार समझ लेना

UGC (NET) December, 2010

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 के अनुसार-जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सब के सामान्य आशय के अग्रसर करने में किया जाता है तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य स्वयं ने किया है।

सामान्य आशय का अर्थ - जिसमें पूर्व निर्धारित योजना निहित है, विचारो का पूर्व मिलन, सभी व्यक्तियों जो एक गुट को निर्मित करते हैं, के बीच विचार विमर्श।

73. When a criminal act is done by several persons in furtherance of common intention of all, each one of them is liable/जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सब के सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति दायित्व के अधीन है

(a) for an attempt to commit the act
कार्य को करने के प्रयत्न के लिए

(b) for the abetment of the act
कार्य के दुष्प्रेरण के लिए

(c) only for the part each one has done
केवल उस भाग के लिए जो प्रत्येक ने किया है

(d) as if it was done by each one of them in singular capacity
मानों कार्य उनमें से प्रत्येक ने अकेले ही किया है

UP (APO) 2006

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 के अनुसार, जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है तब ऐसे व्यक्ति में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिये उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया है।

74. Which one of the following is not an essential element of Section 34 of Indian Penal Code?
भा0दं0सं0 की धारा 34 का निम्नलिखित में से कौन आवश्यक तत्व नहीं है?

(a) Criminal act done by several persons
कई व्यक्तियों द्वारा आपराधिक कृत्य का किया जाना

(b) Criminal act done in furtherance of a common intention/आपराधिक कृत्य सामान्य आशय के अग्रसर करने में किया जाना

(c) Pre-arranged plan between persons doing criminal act/आपराधिक कृत्य करने वाले व्यक्तियों के मध्य पूर्व निर्धारित योजना का होना

(d) Act done in furtherance of common object
सामान्य उद्देश्य के अग्रसर करने में किया गया कृत्य

UPPCS (J) 2003

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 34** सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किये गये कार्य, को परिभाषित करती है। धारा 34 में प्रयुक्त वाक्यांश **''सभी के सामान्य आशय के अग्रसरण में'' आर. बनाम क्रूस के वाद से 1870** के संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। **धारा 34** में सामान्य आशय के आधार पर संयुक्त दायित्व के सिद्धान्त के आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं–

(1) एक आपराधिक कृत्य,
(2) आपराधिक कृत्य एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया हो,
(3) आपराधिक कृत्य सभी व्यक्तियों के सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया गया हो,
(4) व्यक्तियों के बीच सामान्य आशय पूर्व-निर्धारित योजना के अन्तर्गत
(5) अपराध में सभी अभियुक्त किसी न किसी प्रकार सम्मिलित हों,
(6) अपराध घटित होते समय सभी व्यक्तियों की शारीरिक उपस्थिति (परन्तु सभी मामलों में सदैव जरुरी नहीं)।

अत: विकल्प (d) सामान्य उद्देश्य के अग्रसर करने में किया गया कृत्य **धारा 149** से सम्बन्धित है। **धारा 34, 35 एवं 149** संयुक्त दायित्व से सम्बन्धित है।

75. Section 34 of the Indian Penal Code, 1860
भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 34-

(a) Creates a substantive offence
मौलिक (सारभूत) अपराध कारित करती है।

(b) is a rule of evidence
साक्ष्य विधि का एक नियम है।

(c) both (a) and (b)/दोनों (a) तथा (b)

(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

UPPCS (J) 2015
BIHAR (HJS) 2018

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 34** केवल साक्ष्य विधि का एक नियम है और यह धारा मूल अपराध का सृजन नहीं करती है। ये धारा 'सामान्य आशय' के आधार पर संयुक्त दायित्व से सम्बन्धित प्रावधान करती है। जिसके अनुसार, जब कि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन होगा, मानों वह कार्य अकेले उसी ने किया हो।

धारा 34 पर आधारित प्रमुख वाद **(वारेन्द्र कुमार घोष ब. किंग एम्परर, 1925 PC)** तथा **(महबूब शाह ब. किंग एम्परर, 1943 PC)** है।

76. The phrase "in furtherance of common intention of all" used in Section 34 of Indian Penal Code, is
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 में प्रयुक्त वाक्यांश ''सभी के सामान्य आशय के अग्रसरण में''

(a) in the original draft/मूल ड्राफ्ट में है।

(b) added by Amending Act of 1870
संशोधन अधिनियम, 1870 के द्वारा जोड़ा गया।

(c) not at all there/वहाँ है ही नहीं

(d) Added by Ammending Act of 1986
संशोधन अधिनियम, 1986 के द्वारा जोड़ा गया

UPPCS (J) 2013

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 34** सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किये गये कार्य का उपबंध करती है। धारा 34 केवल केवल साक्ष्य का नियम है और मूल अपराध सृजित नहीं करती- **गिरिजा शंकर बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0, 2004** धारा 34 कोई भिन्न अपराध नहीं करती बल्कि यह संयुक्त आपराधिक दायित्व के सिद्धान्त की विवेचना करती है।

बारेन्द्र कुमार घोष बनाम इम्परर, 1925- बाहर खड़े होकर अपराध कार्य में मदद करना धारा 34 के अन्तर्गत दोषी माना जायेगा। **महबूब शाह बनाम किंग इम्परर, 1945-** सामान्य आशय मस्तिष्कों का पूर्व मिलन की परिकल्पना करता है।

धारा 34 में प्रयुक्त वाक्यांश ''सभी के सामान्य आशय के अग्रसरण **(आर0 बनाम क्रूश 1870 के वाद के निर्णय के परिणामस्वरूप)** में संशोधन अधिनियम, 1870 के द्वारा जोड़ा गया।''

77. When a criminal act is done by several persons in furtherance of the common intention of all–
जब आपराधिक कृत्य अनेक व्यक्तियों द्वारा सभी के सामान्य आशय के अग्रसरण में किया जाता है–

(a) each of such person is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone/ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक उस कार्य के लिए उसी ढंग से दायी होंगे, मानों यह उनके अकेले द्वारा किया गया था

(b) each of such person is liable for his own over act/ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक अपने स्वयं के प्रत्यक्ष कार्य के लिए दायी होता है

(c) each of such person shall be liable according to the extent of his participation in the crime./ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक अपराध में अपनी भागीदारी की सीमा के अनुसार दायी होगा।

(d) both (B) and (C)/दोनों (B) एवं (C)

UP (HJS) 2009

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 34 के अनुसार, जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सब के सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो।

78. Which one of the following is not the ingredients of the Section 34 of the Indian Penal Code?
निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 का आवश्यक घटक नहीं है?

(a) Criminal act done by several person
आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों के द्वारा किया जाना

(b) In the furtherance of common intention
सामान्य आशय में अग्रसर होना

(c) Meeting of the minds of those who involved in crime/अपराध में लिप्त व्यक्तियों में मस्तिष्कों का मिलन होना

(d) Similar intention of those who involved in the crime
अपराध में लिप्त व्यक्तियों में समान आशय का होना

Uttarakhand (J) 2019

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 के अनुसार जब कि कोई आपरधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सब के सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्ति में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया है।

धारा 34 के आवश्यक घटक -

1. एक आपराधिक कृत्य।
2. आपराधिक कृत्य एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया हो,
3. आपराधिक कृत्य सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया गया हो,
4. सामान्य आशय पूर्व निर्धारित योजना के अंतर्गत होना चाहिए,
5. अपराध के सभी अभियुक्त का किसी न किसी प्रकार सम्मिलित होना अवश्यक है।

79. Which one of the following elements is not essential for the application of Section 34 of the Indian Penal Code, 1860?
भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 34 को लागू करने में निम्न में से क्या आवश्यक तत्व नहीं है?

(a) common intention/सामान्य आशय

(b) commission of an offence
अपराध का कारित करना

(c) number of offenders be five
अभियुक्तों की संख्या 5 हो

(d) offence should be committed in furtherance of common intention
अपराध सामान्य आशय के अग्रसरण हो

Uttarakhand (J) 2008

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 34 के अनुसार, जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्ति से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार से दायित्वाधीन है मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो। अर्थात् धारा 34 के अधीन अपराध कारित करने के लिए न्यूनतम दो व्यक्ति होने चाहिए।

80. Which of the following is not a meaning of the expression "common intention" under Section 34 of the Indian Penal Code?
इनमें से कौन-सा धारा 34 भा.द.सं. के तहत ''सामान्य आशय'' पद का अर्थ नहीं है?

(a) A prearranged plan, prior meeting of minds, prior consultation in between all the persons constituting the group
एक पूर्व निर्धारित योजना, पूर्व चित्त मिलन, समूह के सभी सदस्यों के बीच पूर्व मंत्रणा

(b) A desire to commit a criminal act without any contemplation of the consequence/परिणाम पर चिन्तन किये बिना आपराधिक कार्य करने की इच्छा

(c) The mens rea necessary to constitute the offence that has been committed
अपराध जो कारित किया गया है उसे गठित करने के लिए आवश्यक आपराधिक मनःस्थिति

(d) Evil intent to necessarily commit the same offence which is committed
जो अपराध कारित किया गया है उसी अपराध को आवश्यकता करने का दुराशय

MP (HJS) 2020
UP (APO) 2007

Ans. (d) : जो अपराध कारित किया गया है उसी अपराध को आवश्यकता करने का दुराशय भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 34 के अंतर्गत पदावली 'सामान्य आशय' के अर्थ में नहीं है जबकि
एक पूर्व-निर्धारित योजना, विचारों का पूर्व मिलन, सभी व्यक्तियों, जो एक समूह को निर्मित करते हैं, के बीच पूर्व विचार-विमर्श। **(महबूब शाह बनाम इम्परर, 72 पी.सी.)**
परिणाम की कल्पना किये बिना एक आपराधिक कृत्य कारित करने की इच्छा **(इब्रा अंकदा बनाम इम्परर, 1944)** तथा
अपराध जो कारित किया गया है उसे गठित करने के लिए आवश्यकतः आपराधिक मनः स्थिति सामान्य आशय पद के अर्थ में आते हैं।

81. Which of the facts do not include within the principle of joint liability?
निम्नलिखित में से कौन-सा तथ्य संयुक्त दायित्व के सिद्धान्त के अंतर्गत शामिल नहीं है?

(a) The actuated act need not be a crime or when it was foisted/प्रेरित कार्य जरूरी नहीं, कि वह अपराध हो अथवा कार्य आरंभ में ही निष्फल हो गया हो

(b) An act done in a pre-arranged plan between more than one person/कार्य एक से अधिक व्यक्तियों की पूर्व निर्धारित योजना में किया गया हो

(c) Mere participation in some manner in the act constituting the offence/अपराध संस्थापित करने वाले कार्य में कुछ रीति में सिर्फ भागीदारी

(d) An act done in furtherance of an intention to cause harm/अपहानि के किसी आशय को अग्रसर करने में किया गया कोई कार्य

UGC (NET) December, 2015 Paper-II

Ans. (a) : यह तथ्य कि प्रेरित कार्य जरूरी नहीं कि वह अपराध हो अथवा कार्य आरम्भ में ही निष्फल हो गया हो, यह संयुक्त दायित्व के सिद्धान्त के अन्तर्गत शामिल नहीं है जबकि शेष अन्य तथ्य संयुक्त दायित्व के सिद्धान्त के अन्तर्गत शामिल है।

82. Mehboob Shah v/s King Emperor is a leading case on
महबूब शाह बनाम किंग इम्परर एक महत्त्वपूर्ण वाद है

(a) conspiracy/षड़यंत्र

(b) Common Intention/सामान्य आशय

(c) Wrongful Confinement/सदोष परिरोध

(d) Common Object/सामान्य उद्देश्य

UP (APO) 2018

Ans. (b) : महबूब शाह बनाम किंग इम्परर, 1945(p.c.) का वाद भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 के अन्तर्गत सामान्य आशय पर एक महत्वपूर्ण वाद है। इस वाद में यह कहा गया है कि धारा 34 को लागू करके दोषी ठहराने हेतु यह सिद्ध करना चाहिए कि आपराधिक कृत्य पूर्व सुनियोजित योजना के अनुरूप किया गया है।

83. In which case the court made a clear distinction between 'common intention' and 'similar intention'
किस वाद में न्यायालय ने 'सामान्य आशय' तथा 'समान आशय' में अंतर को स्पष्ट किया है?

(a) Barendra Kumar Ghosh vs. King Emperor
बारेन्द्र कुमार घोष बनाम किंग एम्परर

(b) Mahboob Shah vs. Kind Emperor
महबूब शाह बनाम किंग एम्परर

(c) Kripal Singh vs. State of UP
कृपाल सिंह बनाम उ.प्र. राज्य

(d) Rishi Deo Pandey vs. State of UP
ऋषिदेव पाण्डेय बनाम उ.प्र. राज्य

MPHC (CJ), 2021
Uttarakhand 2008,2011,2015,2016
Bihar (APO) 2020
JPSC (APO) 2019
MP (ADPO)2003
BPSC (APO)2009
MP (ADPO) 2010 Paper-II

Ans. (b) : महबूब शाह बनाम किंग एम्परर, 1945(P.C.) के वाद में प्रिवी कौंसिल ने 'सामान्य आशय' तथा 'समान आशय' में अन्तर स्पष्ट किया।

न्यायालय के अनुसार सामान्य आशय तथा वही और समरूप (same and similar) आशय के अन्तर में किसी प्रकार का घपला नहीं होना चाहिए। उनके बीच बहुत ही सूक्ष्म अन्तर है फिर भी अन्तर वास्तविक तथा सारवान है और इस अन्तर की उपेक्षा करना न्याय का गला घोटना होगा।

84. Mehboob Shah Vs. King Emperor case is releted to/महबूब शाह बनाम एम्परर का वाद सम्बन्धित है

(a) Same intention/समान आशय से

(b) Common Intention/सामान्य आशय से

(c) Common Ojbect/सामान्य उद्देश्य से

(d) Distinction between (a) and (b)
(a) और (b) में अंतर से

BPSC (APO) 2009

Ans : (d) महबूब शाह बनाम एम्परर 1887 PC का वाद समान आशय एवं सामान्य आशय के बीच अन्तर से संबंधित है इस वाद में **लॉर्ड राइट** ने सामान्य एवं समान आशय में अंतर स्पष्ट किया है।

85. In which of the following cases the distinction between 'common Intention' and 'similar intention' was clarified?
निम्नलिखित में से किस वाद में 'सामान्य आशय' को 'समान आशय' से विभेदित किया गया?

(a) Barendra Kumar Chosh vs. Emperor
बारेन्द्र कुमार घोष बनाम सम्राट

(b) Emperor vs. Sadashiva Narayan
सम्राट बनाम सदाशिव नारायण

(c) Mahboob Shah vs. Emperor
महबूब शाह बनाम सम्राट

(d) Emperor vs. Vinayak D. Savarkar
सम्राट बनाम विनायक डी. सावरकर

UPHESC 2014

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

86. The 'doctrine of joint liability' as envisaged by Section 34 of the Indian Penal Code. 1860 is based on the decision of the following-
भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 34 के अन्तर्गत यथाविचारित 'संयुक्त दायित्व का सिद्धान्त' निम्नलिखित के निर्णय पर आधारित है–

(a) Barendra Kumar Ghosh V. Emperor
बारेन्द्र कुमार घोष बनाम इम्परर

(b) Mulcahy V.R./मल्काही बनाम आर.

(c) Pandurang V. State of Hyderabad
पांडुरंग बनाम हैदराबाद राज्य

(d) Reg. V. Cruise/रेग बनाम क्रूज

UPPCS (J)-2018

Ans. (d) : आर बनाम क्रूज (1870) के वाद में प्रतिपादित संयुक्त दायित्व के सिद्धान्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 में स्थान दिया गया। इस वाद में पुलिस A के घर पहुँची। वहाँ B,C और D पहले से बैठे थे। उन तीन व्यक्तियों ने पुलिस को देखा तो उनमें से एक ने पुलिस को मुक्का मारा और बाहर कर दिया। B,C और D तीनों को उस अपराध के लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी माना गया।

87. In crimes as in other things "they also serve who only stand and wait" was held in/अन्य बातों की तरह अपराध में ''वे भी कार्य करते हैं जो मात्र खड़े रहते हैं तथा प्रतीक्षा करते है।'' यह अभिकथन है

(a) Mahboob Shah Vs. Emperor
महबूब शाह बनाम एम्परर

(b) Rishideo Panday Vs. State of U.P.
रिषि देव पान्डे बनाम उ. प्र. राज्य

(c) Berandra Kumar Ghosh Vs. Emperor
बारेन्द्र कुमार घोष बनाम एम्परर

(d) Kripal Singh Vs. State of U.P.
कृपाल सिंह बनाम उ. प्र. राज्य

UP (APO) 2011

Ans. (c) : अन्य बातों की तरह अपराध में ''वे भी कार्य करते हैं जो मात्र खड़े रहते हैं तथा प्रतीक्षा करते हैं'' यह अभिकथन **वारेन्द्र कुमार घोष बनाम एम्परर** के वाद मे **लॉर्ड समनर** ने दिया।

88. In which of the following cases Lord Summer said, "they also serve who stand and wait"? निम्नलिखित में से किस वाद में लॉर्ड समनर ने कहा है कि ''वे भी कार्य करते हैं जो खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते है''?

(a) Mahboob Shah v. Emperor
महबूब शाह बनाम इम्परर

(b) Inder Singh v. Emperor/इन्दरसिंह बनाम इम्परर

(c) Barendra Kumar Ghosh v. Emperor
बारेन्द्र कुमार घोष बनाम इम्परर

(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

Uttarakhand (J) 2014

Ans : (c) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

89. Which one of the following cases in a cases relating to Section 34 of the Indian Penal Code?/निम्न वादों में कौन-सा एक वाद भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 से सम्बन्धित है?

(a) K.M. Nanavati v. State of Maharastra
के. एम. नानावटी बनाम महाराष्ट्र राज्य

(b) Niharendu Dutta v. King Emperor
निहारेन्दु दत्त बनाम किंग एम्परर

(c) Barendra Kumar Ghosh v. King Emperor
बारेन्द्र कुमार घोष बनाम किंग एम्परर

(d) Kedar Nath v. State of West Bengal
केदारनाथ बनाम पश्चिम बंगाल राज्य

Uttarakhand (J) 2009

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 से सम्बन्धित वाद-

- बारेन्द्र कुमार घोष बनाम एम्परर का है।
- जबकि के0 एम0 नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य का वाद गम्भीर एवं अचानक प्रकोपन–(धारा 300 अपवाद–1) से तथा
- निहारेन्दु दत्त बनाम एम्परर का वाद – धारा 188
- केदारनाथ बनाम पश्चिम बंगाल का वाद – धारा 120B से सम्बन्धित है।

90. Which one of the following case is related to "joint liability" under Indian Penal Code? निम्न में से कौन सा वाद भारतीय दण्ड संहिता के अधीन ''संयुक्त दायित्व'' से सम्बन्धित है?

(a) R v. Arnold/आर बनाम आरनॉल्ड

(b) Mehboob Shah v. Emperor
महबूब शाह बनाम एम्परर

(c) R v. Heyens/आर बनाम हेन्स

(d) R. v. Prince/आर बनाम प्रिंस

UP PCS 2002
Uttarakhand (APO) 2015

Ans. (b) :

- **महबूब शाह बनाम एम्परर का वाद** –संयुक्त दायित्व (धारा 34) से सम्बन्धित है। जबकि
- **आर. बनाम प्रिंस** – दुराशय (mens rea)
- **आर. बनाम आरनॉल्ड तथा आर. बनाम हेन्स** का वाद धारा 84 (विकृतचित व्यक्ति का कार्य) पर आधारित है।

91. Which one of the following cases is not related to principle of joint liability based on common intention?/निम्नलिखित में से कौन-सा वाद सामान्य आशय पर आधारित संयुक्त दायित्व के सिद्धान्त से संबंधित नहीं है?

(a) Barendra Kumar Ghos V Emperor
बारेन्द्र कुमार घोष ब. एम्परर

(b) Mahboob Shah V Emperor
महबूब शाह ब. एम्परर

(c) J.M. Desai V State of Bombay
जे. एम. देसाई ब. बम्बई राज्य

(d) Reg V Govinda/रेग ब. गोविन्दा

Uttarakhand (J) 2002

Ans. (d) : आर0 बनाम गोविन्दा (1876 Bombay HC) का वाद सामान्य आशय पर आधारित संयुक्त दायित्व के सिद्धान्त से संबंधित नहीं है। जबकि बारेन्द्र कुमार घोष बनाम एम्परर महबूब शाह बनाम एम्परर तथा जे.एम. देसाई बनाम बम्बई राज्य का वाद संयुक्त दायित्व के सिद्धान्त से सम्बन्धित है।

92. In which case the court has held that sharing of common intention could be even at the place of occurrence? किस वाद में न्यायालय ने निर्णीत किया कि सामान्य आशय का मिलना घटनास्थल पर भी हो सकता है?

(a) Barendra Kumar Ghosh V King Emperor
बारेन्द्रकुमार घोष बनाम सम्राट

(b) Mahaboob Shah V King Emperor
महबूब शाह बनाम सम्राट

(c) Kripal Singh v/s State of U.P.
कृपाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

(d) Rishi Deo Pandey v/s. State of U.P.
रिषि देव पाण्डे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

Uttarakhand (APO) 2021

Ans. (b) : महबूब शाह बनाम सम्राट के मामले में न्यायालय ने निर्णित किया कि सामान्य आशय का मिलना (sharing of common intention) घटना स्थल पर भी हो सकता है। जबकि **ऋषिदेव पाण्डेय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य,** (ए.आई.आर. 1955 सु.को. 331) के वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि सामान्य आशय घटना स्थल पर भी उत्पन्न हो सकता है (common intention may also arise at the place incident) जिसे मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों और अभियुक्त के आचरण से निश्चत किया जाता है।

93. Which of the following statements is not correct:-
निम्न में से कौन-सा कथन सही नहीं है-

(a) In a criminal act done by several persons in furtherance of common intention of all, each of them will be held liable for that act
कई व्यक्तियों द्वारा, सब के सामान्य आशय का अग्रसरण में किए गए आपराधिक कार्य में, हर व्यक्ति उस कार्य के लिए दायित्वाधीन होगा।

(b) In an act done by several persons, the act being criminal only by reason of its being done with criminal knowledge or intention, all persons joining in the act, irrespective of such knowledge or intention, will be held liable for that act/कई व्यक्तियों द्वारा किए गये कार्य, जो आपराधिक ज्ञान या आशय से किए जाने के कारण ही आपराधिक है, में सम्मिलित सभी व्यक्ति, उस ज्ञान या आशय का विचार किए बिना, उस कार्य के लिए दायित्वाधीन होगें।

(c) In an offence done by means of several acts, all the persons intentionally cooperating in that act by doing any of those acts, will be held liable for that offence/कई कार्यों द्वारा किए गए एक अपराध में, वे सभी व्यक्ति जो उन कार्यों में से कोई एक कार्य करके, उस अपराध में साशय सहयोग करते हैं, वे उस अपराध के लिए दायित्वाधीन होगें।

(d) In a criminal act done by several persons, all may be held liable for different offences by means of that act
कई व्यक्तियों द्वारा किए गए आपराधिक कार्य में सम्पृक्त सभी व्यक्ति, उस कार्य के आधार पर विभिन्न अपराधों के लिए दायित्वाधीन हो सकते हैं।

Rajasthan (J) 2016

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 35 के अनुसार, जब कभी कोई कार्य, जो आपराधिक ज्ञान या आशय से किए जाने के कारण ही आपराधिक है, कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति जो ऐसे ज्ञान या आशय से उस कार्य में सम्मिलित होता है, उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानो वह कार्य उसी ज्ञान या आशय से अकेले उसी द्वारा किया गया हो।
इस प्रकार कथन (b) सही नहीं है, जबकि कथन (a) धारा 34, (c) धारा 37 तथा (d) धारा 38 के अनुसार सही है।

94. 'A' intentionally causes 'B' death partly by illegality omitting to give B food and partly by beating. A has committed the offence of
'अ' साशय 'ब' की मृत्यु आंशिक रूप से उसे पीटकर तथा आंशिक रूप से उसे गैर कानूनी रूप से भोजन देने से विरत रहकर कारित करता है, 'अ' ने अपराध कारित किया है–

(a) Culpable homicide not amounting to murder
आपराधिक मानव वध जो हत्या नहीं हो

(b) Murder/हत्या

(c) Grievous hurt/घोर उपहति

(d) Hurt/उपहति

Chhattishgarh (J) 2014
UP (APO) 2018

Ans. (b) : प्रस्तुत समस्या में 'A' ने हत्या का अपराध किया है। प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 36 के दृष्टान्त पर आधारित है। धारा 36 के अनुसार– जहाँ कहीं किसी कार्य द्वारा या किसी लोप द्वारा किसी परिणाम का कारित किया जाना या उस परिणाम को कारित करने का प्रयत्न करना अपराध है वहाँ यह समझा जाना है कि उस परिणाम का अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोप द्वारा कारित किया जाना वही अपराध है।

95. 'A' and 'B' are joint jailers and in that capacity they hold the custody of a prisoner 'C' alternately in one of several acts, for six hours at a time. the food which is given to 'A' and 'B' for the purpose of being given to 'C' that food knowingly co-operate in causing the death of 'C'. 'C' dies of hunger. According to which section of the Indian Penal code 1860 'A' and 'B' is guilty of the murder of both 'C'?
''क'' और ''ख'' संयुक्त जेलर हैं और अपनी उस हैसियत से वे एक कैदी ''ग'' का बारी-बारी से एक समय में छह घंटे के लिए संरक्षण-भार रखते हैं। ''ग'' को दिए जाने के प्रयोजन से जो भोजन ''क'' और ''ख'' को दिया जाता है, वह भोजन इस आशय से की ''ग'' की मृत्यु कारित करने में जानते हुए सहयोग करते है। ''ग'' भूख से मर जाता है। भारतीय दण्ड संहिता 1860, की किस धारा के अनुसार ''क'' और ''ख'' दोनों ''ग'' की हत्या के दोषी हैं?

(a) Section 35/ धारा 35 (b) Section 36/ धारा 36
(c) Section 37/ धारा 37 (d) Section 38/ धारा 38

Rajasthan (APO) 2015

Ans. (c) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 37 के दृष्टांत 'ख' पर आधारित है। जब कोई अपराध कई कार्यों द्वारा किया जाता है, तब जो कोई या तो अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ सम्मिलित होकर उन कार्यों में से कोई एक कार्य करके उस अपराध के किए जाने में साशय सहयोग करता है तो वह उस अपराध को करता है जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 37 के अधीन दण्डनीय है।

96. 'A' with intent to murder, administered a fatal dose of poison to 'Z', and then while 'Z' was still alive, a stranger 'B', without A's knowledge attacked 'Z' and shot him dead.
'क' हत्या करने के आशय से, विष की एक प्राणान्तक खुराक 'य' को देता है और जब कि 'य' जीवित था, एक अजनबी 'ख' ने 'क' के ज्ञान के बिना 'य' पर हमला किया और उसको गोली से मार डाला।

(a) 'A' and 'B' both would be guilty of murder.
'क' और 'ख' दोनों हत्या के दोषी होंगे।

(b) 'A' would be guilty of culpable homicide and 'B' would be guilty of murder.
'क' आपराधिक मानववध का दोषी होगा और 'ख' हत्या का दोषी होगा।

(c) 'A' would be guilty of an attempt to murder and 'B' would be guilty of murder.
'क' हत्या के प्रयत्न का दोषी होगा और 'ख' हत्या का दोषी होगा।

(d) 'A' would be guilty of instigating 'B' to commit murder and 'B' would be guilty of murder/'क' हत्या करने के लिए उकसाने का दोषी होगा और 'ख' हत्या का दोषी होगा।

UPPCS (J)-2018

Ans. (c) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 37** पर आधारित है, जिसके अनुसार, जबकि कोई अपराध कई कार्यों द्वारा किया जाता है, तब जो कोई या तो अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ सम्मिलित होकर उन कार्यों में से कोई एक कार्य करके उस अपराध के किए जाने में साशय सहयोग करता है, वह उस अपराध को करता है। अतः प्रस्तुत समस्या में 'क' हत्या के प्रयत्न का दोषी होगा और 'ख' हत्या का दोषी होगा।

97. Which one of the following Sections of the Indian Penal Code, defines 'Voluntarily'?
निम्न में से भारतीय दण्ड संहिता की कौन सी धारा 'स्वेच्छया' को परिभाषित करती है?

(a) Section 39/धारा 39
(b) Section 38/धारा 38
(c) Section 37/धारा 37
(d) Section 36/धारा 36

Uttarakhand (J) 2018

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 39 में 'स्वेच्छया' को परिभाषित किया गया है, जबकि धारा 38 में आपराधिक कार्य में सम्पृक्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे, धारा 37 में किसी अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों में से किसी एक को करके सहयोग करना तथा धारा 36 अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोप द्वारा कारित परिणाम का प्रावधान करती है।

98. A sets fire, to on inhabited house at night, for the purpose of facilitating robbery and thus causes death of a person, The act of 'A' is an offence of:-
'क' लूट को आसान बनाने के प्रयोजन से बसे हुए गृह में रात को आग लगाता है और इस आग से एक व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है, 'क' का कृत्य अपराध है-

(a) only to set fire to the house
मात्र गृह में आग लगाने का
(b) of culpable homicide/आपराधिक मानव वध का
(c) causes death voluntarily
स्वेच्छया मृत्यु कारित करने का
(d) accidental death act
दुर्घटनावश मृत्यु कारित करने का

Rajasthan (APO) 2005

Ans. (c) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 39 के दृष्टान्त पर आधारित है। इस समस्या में 'क' का आशय भले ही मृत्यु कारित करने का न रहा हो और वह दुखी भी हो कि उसके कार्य से मृत्यु कारित हुई है तो भी यदि वह यह जानता था कि सम्भाव्य है कि वह मृत्यु कारित कर दें, तो उसने स्वेच्छया मृत्यु कारित की है।

99. Under which one of the following Sections of the Indian Penal Code the word 'Offence' has been defined
भारतीय दण्ड संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा में 'अपराध' शब्द को परिभाषित किया गया है?

(a) Section 39/धारा 39
(b) Section 40/धारा 40
(c) Section 41/धारा 41
(d) Section 42/धारा 42

JPSC (APO) 2012
Bihar (APO) 2020
Chhattishgarh (ADPO) 2008
Uttarakhand (J) 2011

Ans. (b) : अपराध (Offence) शब्द को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 40 में परिभाषित किया गया है।
धारा 39 - स्वेच्छया (Voluntarily)
धारा 41 - विशेष विधि (Special law)
धारा 42 - स्थानीय विधि (Local law)

100. Definition of offence is given in
अपराध की परिभाषा दी गई है :

(a) Chapter-II of the Indian Penal Code, 1860
भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अध्याय-2 में
(b) Section 2(n) of the Criminal Procedure Code, 1973/दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 (n) में
(c) Section 3 of the Indian Evidence Act, 1872
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा -3 में
(d) both a and b/ a और b दोनों

MP (ADPO) 2009 Paper-II

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अध्याय 2 की धारा 40 में अपराध को परिभाषित किया गया है। इसके अतरिक्त दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (n) में भी अपराध को परिभाषित किया गया है। अतः विकल्प (A) एवं (B) दोनों सही हैं।

101. A sees B drowning in the river, but does not save him. B is drowned. A has committed
A, B को नदी में डूबता हुआ देखता है किन्तु उसकी रक्षा नहीं करता। B डूब जाता है। A ने अपराध किया-

(a) the offence of murder/हत्या का
(b) the offence of abetment of suicide
आत्महत्या के अपराध के दुष्प्रेरण का
(c) the offence of culpable homicide not amounting to murder/आपराधिक मानववध का, जो हत्या की कोटि में नहीं आता
(d) no offence/कोई अपराध नहीं

Jharkhand (J) 2014
MP (HJS) 2017,2020
BPSC (APO) 2009

Ans. (d) :प्रस्तुत समस्या में A ने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि A का कृत्य अपराध नहीं है। अपराध विधि में यह एक मूलभूत सिद्धांत है, ''कोई कार्य तब तक अपराध की श्रेणी में नहीं आता जब तक वह किसी विधि के अन्तर्गत अपराध के रूप में उद्घोषित नहीं कर दिया जाता, बिन विधि के किसी व्यक्ति को दण्डित नहीं किया जा सकता'' (.....Crimen sine lege nulla poena sine lege)

102. 'X' is a good swimmer. He finds, Y, a child of seven years of age drowning in a canal. He could have saved the child but did not do so. The child is drowned. 'X' is guilty of:
'X' एक अच्छा तैराक है। वह एक सात साल के बालक 'Y' को नहर में डूबते हुए देखता है। वह उस बालक को डूबने से बचा सकता था पर उसने ऐसा नहीं किया। बालक डूब गया। 'X'

(a) no offence/ने कोई अपराध नहीं किया।
(b) murder/हत्या का दोषी है।
(c) abetment of suicide
आत्महत्या के दुष्प्रेरण का दोषी है।
(d) culpable homicide not amounting to murder
आपराधिक मानव-वध का दोषी है जो हत्या नहीं है।

Uttarakhand (J) 2006

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

103. 'A' has enough food, but does not give some of it to the other person who is hungry and so the other person dies, A is guilty-
'अ' के पास पर्याप्त भोजन है, लेकिन इसमें से कुछ वह दूसरे व्यक्ति, जो भूखा है, को नहीं देता है और इस कारण वह दूसरा व्यक्ति मर जाता है। 'अ' दोषी है-

(a) not of any offence/किसी अपराध का नहीं
(b) attemp to murder/हत्या के प्रयास का
(c) murder/हत्या का
(d) cause death by negligent Act
उपेक्षापूर्ण कार्य द्वारा मृत्यु कारति करने का

Rajasthan (APO) 2007
BPSC (APO) 2009
UP (APO) 2015
Uttarakhand (APO) 2021

Ans. (a) : प्रस्तुत समस्या में 'अ' ने कोई अपराध नहीं किया है। अ भूखे व्यक्ति को भोजन न देकर नैतिकता का दोषी होगा परन्तु वह विधि द्वारा दण्डनीय किसी अपराध का दोषी नहीं होगा। अपराध विधि में यह एक मूलभूत सिद्धांत है, ''कोई कार्य तब तक अपराध की श्रेणी में नहीं आता जब तक वह किसी विधि के अन्तर्गत अपराध के रूप में उद्घोषित नहीं कर दिया जाता, बिन विधि के किसी व्यक्ति को दण्डित नहीं किया जा सकता'' (.....Crimen sine lege nulla poena sine lege)

104. Rajiv is a good swimmer. He finds Sony, a child of six years of age, drowning in pound. He could have saved the child, but did not do so. The child is drowned. Rajiv is guilty of:
राजीव एक अच्छा तैराक है वह सोनी एक 6 वर्ष के बच्चे को पोखरे में डूबते हुए पाता है। वह बच्चे को बचा सकता था परन्तु उसे नहीं बचाया। बच्चा डूब गया। राजीव दोषी है :

(a) murder/हत्या
(b) culpable homicide not amounting to murder
सदोष मानववध जो हत्या नहीं है
(c) no offence/कोई अपराध नहीं
(d) abetment of suicide /आत्महत्या का दुष्प्रेरण

Bihar (HJS) 2016
MP (HJS) 2017, 2020
BPSC (APO) 2009

Ans. (c) : राजीव ने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि वह सोनी को बचाने के लिए विधिक रूप से बाध्य नहीं था वह उसे बचाने के लिए केवल नैतिक दबाव के अधीन है। नैतिक बाध्यता दण्ड संहिता में कही भी दण्डनीय नहीं है।

105. Section 41 of the Indian Penal Code prescribes definition of
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 41 किसकी परिभाषा को उपबंधित करती है?

(a) Special Law /विशेष विधि का
(b) Local Law /स्थानीय विधि की
(c) Injury /क्षति की
(d) Harbour/संश्रय की

Uttarakhand (J) 2021

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 41 'विशेष विधि' को परिभाषित करती है। 'विशेष विधि' वह विधि है जो किसी विशिष्ट विषय को लागू हो।

106. "Local Law" mentioned under Section 42 of the Indian Penal Code, 1860 means a law applicable to
भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अधीन धारा 42 में प्रयुक्त ''स्थानीय विधि'' कहाँ पर लागू होगी?

(a) whole of India/सम्पूर्ण भारत पर
(b) a particular part of India
भारत के किसी विशिष्ट भाग पर
(c) any part of India/भारत के किसी भी भाग पर
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

Uttarakhand (J) 2014

Ans : (b) भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 42 में स्थानीय विधि की परिभाषा दी गयी है। स्थानीय विधि वह विधि है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग ही लागू हो। जैसे-पोर्ट ट्रस्ट ऐक्ट।

107. The word 'illegal' is defined under which section of IPC, 1860?
शब्द ''अवैध'' भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में कहाँ परिभाषित है?

(a) Section 32/धारा 32
(b) Section 33/धारा 33
(c) Section 43/धारा 43
(d) Section 37/धारा 37

JPSC (APO) 2019

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 43 में **'अवैध'** (Illegal) शब्द को परिभाषित किया गया है, जिसके तहत आते हैं-
1. जो अपराध हो,
2. जो विधि द्वारा प्रतिसिद्ध हो,
3. जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती हो।

108. To which one of the following the word 'Illegal' used under Section 43 of IPC is not applicable?
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 43 में प्रयुक्त 'अवैध' शब्द निम्नलिखित में से किसे लागू नहीं है?

(a) Which is an offence/जो अपराध है
(b) Which is prohibited by law
जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है
(c) Which furnishes a ground for civil action
जो दीवानी कार्यवाही हेतु आधार प्रदान करता है
(d) Which is immoral/जो अनैतिक है

Jharkhand (J) 2014

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 43 में प्रयुक्त 'अवैध' (Illegal) शब्द जो अनैतिक है उसे लागू नहीं है। जबकि-
1. जो अपराध है
2. जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है
3. जो दीवानी कार्यवाही हेतु आधार प्रदान करता है को लागू होता है।

109. The word "illegal" is applicable to everything which/''अवैध'' शब्द उस हर बात को लागू है, जो

(a) is an offence./अपराध हो।
(b) is prohibited by law./विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो।
(c) furnishes ground for civil action
सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती हो।
(d) All the above/उपर्युक्त सभी में

UP (APO) 2011
MP (ADPO) 2008 Paper-II

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्नों की व्याख्या देखे।

110. The word illegal as defined in the Indian Penal Code means:
'अवैध' शब्द को भारतीय दण्ड संहिता में परिभाषित किया गया है:

(a) everything which is an offence only
केवल हर बात जो कि एक अपराध है
(b) everything which is prohibited by law only/केवल हर बात जो कि विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है
(c) everything which furnished ground for a civil action only/केवल हर बात जो कि दीवानी कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती है
(d) All of these/उपरोक्त सभी

Uttarakhand (J) 2019

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

111. What does the word 'illegal' in section 43 of the IPC denote?
1. Everything which is an offence
2. Everything which is prohibited by law
3. Everything which furnishes ground for a civil action
आई.पी.सी. की धारा 43 में 'अवैध' शब्द क्या निरूपित करता है?
1. वह सब जो अपराध है
2. वह सब जो कानून द्वारा निषिद्ध है
3. वे सभी बातें जो दीवानी कार्यवाई के लिए आधार पैदा करती हैं
विकल्प

(a) Only 1/केवल 1
(b) Only 2/केवल 2
(c) Only 3/केवल 3
(d) 1, 2 and 3/1, 2 और 3
(e) Only 1 and 2/केवल 1 और 2

Chhattishgarh (ADPO) 2017

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

112. Under Section 45 of the IPC, life denotes:
भा.द.सं.की धारा 45 के अन्तर्गत जीवन से अभिप्रेत है :

(a) Life of a human being /मानव जीवन से
(b) Life of an animal /जीव-जन्तु के जीवन से
(c) Life of human being and of an animal both
मानव और जीव-जन्तु दोनों के जीवन से
(d) Life of either human being or an animal
या तो मानव या जीव जन्तु के जीवन से

Bihar (HJS) 2018

Ans. (a) : भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 45 के अन्तर्गत 'जीवन' शब्द को परिभाषित किया गया है जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो 'जीवन' शब्द मानव के जीवन का द्योतक है।

113. 'Life' is defined in Indian Penal Code under:-
भारतीय दण्ड संहिता में 'जीवन' परिभाषित है, अन्तर्गत:

(a) Section 44/धारा 44
(b) Section 45/धारा 45

(c) Section 48/धारा 48

(d) Section 50/धारा 50

Uttarakhand (J) 2021

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

114. The word 'good faith' is defined in the Indian Penal Code in:
भारतीय दण्ड संहिता में 'सद्भाव' शब्द परिभाषित है–

(a) Section 44/धारा 44 में

(b) Section 51/ धारा 51 में

(c) Section 52/ धारा 52 में

(d) Section 52-A/धारा 52-क में

UP (APO) 2002

Ans: (c) भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 52 में सद्भावपूर्वक शब्द को परिभाषित किया गया है इस धारा के अनुसार कोई बात 'सद्भावपूर्वक' की गयी या विश्वास की गयी नहीं कही जाती जो सम्यक् सतर्कता और ध्यान के बिना की गयी या विश्वास की गयी हो।

115. Which section of the Indian Penal Code, 1860 according to which nothing is said to be done or believed in good faith which is said to have been done or believed without due to care and attention.
भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की किस धारा के अनुसार कोई बात ''सद्भाव पूर्वक'' की गई या विश्वास की गई नहीं कही जाती जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई या विश्वास की गई हो?

(a) Section 49/धारा 49

(b) Section 50/धारा 50

(c) Section 51/धारा 51

(d) Section 52/धारा 52

Rajasthan (APO) 2015

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 52 के अनुसार कोई बात ''सद्भावपूर्वक'' की गई या विश्वास की गई नहीं कही जाती जो सम्यक् सतर्कता और ध्यान के बिना की गई या विश्वास की गई हो।

116. 'A' a surgeon 'B' amputating the index finger of his right hand with the consent of a thirteen year old beggar does. This Act in the good faith that 'B' will get more aims donation in this case.
'अ' एक सर्जन 'ब' तेरह वर्ष के भिखारी की सहमति से उसके दायें हाथ की तर्जनी अंगुली का अंग विच्छेद कर देता है। यह कार्य इस सद्भावना से कि इससे 'ब' को ज्यादा भिक्षा दान प्राप्त होगा। इस प्रकरण में-

(a) 'A' has not committed any offence because his Act was with the consent of 'B'
'अ' ने कोई अपराध नहीं किया है क्योंकि उसका कृत्य 'ब' की सहमति से था

(b) 'A' has committed the offence because 'B' consents was dishonest/'अ' ने अपराध किया है क्योंकि 'ब' की सहमति बेईमानी थी

(c) 'A' has not committed any offence because his act was done in good faith and for the benefit of 'B' and with the consent of 'B'
'अ' ने कोई अपराध नहीं किया है क्योंकि उसका कृत्य सद्भावना तथा 'ब' के फायदे के लिए तथा 'ब' की सहमति से किया गया था।

(d) A has committed on offence because his act does not fall within the category of goodwill as defined in the Indian Penal Code.
'अ' ने अपराध किया है, क्योंकि उनका यह कृत्य भारतीय दण्ड संहिता में परिभाषित सद्भावना की श्रेणी में नहीं आता है

Rajasthan (APO) 2005

Ans. (d) : प्रस्तुत समस्या में अ ने अपराध किया है क्योकि उसका कृत्य भारतीय दण्ड संहिता में परिभाषित सद्भावना की श्रेणी में नहीं आता है। भारतीय दण्ड संहिता के धारा 52 में सद्भावपूर्वक को परिभाषित किया गया। धारा 52 के अनुसार- ''कोई बात सद्भावपूर्वक'' की गई या विश्वास की गई नहीं कही जाती जो सम्यक् सतर्कता और ध्यान के बिना की गई या विश्वास की गई हो।

117. "Good faith" within the meaning of the IPC means
भा.द.सं. के अन्तर्गत ''सद्भावपूर्वक'' से अभिप्रेत है

(a) an act done with due care and attention
सम्यक सर्तकता और ध्यान के साथ किया गया कार्य

(b) an actual belief that the Act done is not contrary to law/यह वास्तविक विश्वास की किया गया कार्य विधि विरुद्ध नहीं है

(c) an act infact does honestly
कोई कार्य जो वस्तुतः ईमानदारी से किया गया है

(d) an act done under bonafide belief
सद्भावयुक्त विश्वास के अधीन किया गया कार्य

Uttarakhand (J) 2014
MPHC (DLAO)2021

Ans : (a) भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 52 के अनुसार कोई बात ''सद्भावपूर्वक'' की गई या विश्वास की गई नहीं कही जाती जो सम्यक् सतर्कता और ध्यान के बिना की गई या विश्वास की गई हो।

118. Under which of the following Sectioins of the IPC 'harbouring' has been defined?
'संश्रय' को भारतीय दण्ड संहिता की किस धारा में परिभाषित किया गया है?

(a) Section 52A/धारा 52-A

(b) Section 60/धारा 60

(c) Section 212/धारा 212

(d) All of the above/उपर्युक्त सभी

JPSC (APO) 2012
Chhattishgarh (ADPO) 2013

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 52A में ''संश्रय'' को परिभाषित किया गया है। जबकि

- धारा 60 में – दण्डादिष्ट कारावास के कतिपय मामलो में सम्पूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा।
- धारा 212– अपराधी को संश्रय देना का प्रावधान किया गया है।

119. 'A', a woman knowing that his husband 'B has recently committed dacoity, harbours him with the intention of screening him from punishment. In this case 'A' is:
'ए' ऐसी महिला है, जो जानते हुए कि उसके पति 'बी' ने हाल में डकैती की है, उसने पति को दंड से बचाने की मंशा से आश्रय देती है। इस मामले में 'ए':

(a) Guilty for harbouring only
मात्र उसे आश्रय देने के लिए दोषी है

(b) Guilty for screening only
मात्र छिपाने के लिए दोषी है

(c) Guilty for harbouring as well as screening
आश्रय देने और छिपाने दोनों के लिए दोषी है

(d) not guilty/दोषी नहीं है

UGC (NET) December, 2018 Paper-II

Ans. (d) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 52A एवं धारा 212 के अपवाद पर आधारित है। धारा 212 के अपवाद के अनुसार-इस उपबन्ध का विस्तार ऐसे मामलों पर नहीं है जिसमें अपराधी को संश्रय या छिपाना पति या पत्नी द्वारा हो। इसलिए पत्नी दायी नहीं होगी।

120. Assertion (A) : Harbouring includes supplying a person with shelter, food, money or conveyance.
अभिकथन (A) : संश्रय देने में किसी व्यक्ति को आश्रय, भोजन, धन अथवा वाहन देना शामिल हैं।
Reason (R) : The supply must relate to evading apprehension.
तर्क (R) : यह आपूर्ति पकड़े जाने से बचने के साथ संबंधित है।

Codes:/कूटः

(a) (A) is correct clarification but (R) is not the correct reason/(A) सही स्पष्टीकरण है परन्तु (R) सही कारण अथवा तर्क नहीं है

(b) (A) is not true while (R) is the correct explanation/(A) सही नहीं है जबकि (R) सही व्याख्या है

(c) Both (A) and (R) are correct proposition
(A) और (R) दोनों सही प्रस्ताव हैं

(d) Only in exceptional situation (R) is the reason of (A)
केवल अपवादात्मक स्थिति में (R), (A) का तर्क है

UGC (NET) June, 2014 Paper-III

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 52-A** संश्रय को परिभाषित करती है, जिसके अनुसार धारा 157 में के सिवाय और धारा 130 में वहाँ के सिवाय जहाँ कि संश्रय व्यक्ति की पत्नी या पति द्वारा दिया गया हो, संश्रय शब्द के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को आश्रय, भोजन, पेय, धन वस्त्र आयुध गोला बारुद या प्रवहण के साधन देना या किन्ही साधनों से चाहे वह उसी प्रकार के हो या नहीं किसी व्यक्ति की सहायता पकड़े जाने से बचने के लिए किया जाता है।

121. The term "Harbour" defined under Indian Penal Code 1860, a does not include
भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अधीन परिभाषित शब्द 'संश्रय' के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं है-

(a) Supplying a person with shelter
किसी व्यक्ति को आश्रय देना

(b) Supplying a person means of conveyance
किसी व्यक्ति को प्रवहण के साधन देना

(c) Assisting a person to evade apprehension
किसी व्यक्ति की सहायता पकड़े जाने से बचने के लिए करना

(d) Prior to the commission of the offence, facilitating the commission thereof
अपराध के किए जाने से पूर्व उसके किए जाने को सुकर (सरल) बनाना

Uttarakhand (J) 2015

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

122. 'A' has knowledge that her husband 'B' has committed murder knowingly conceals 'B' in order to screen him from legal punishment. 'A' is liable for.....
'अ' यह जानते हुए कि उसके पति 'ब' ने हत्या की है, 'ब' को वैध दण्ड से प्रतिच्छादित करने के लिए जानते हुए छुपा लेती है। 'अ' उत्तरदायी है

(a) Murder by reason knowing common intention
सामान्य आशय रखने के कारण हत्या के लिए

(b) Harbouring/संश्रय देने के लिए

(c) Abetment by aid/सहायता द्वारा दुष्प्रेरण के लिए

(d) 'A' has committed no offence
'अ' ने कोई अपराध नहीं किया

UP (APO) 2011

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 52A में ''संश्रय'' को परिभाषित किया गया है तथा धारा 212 में अपराधी को संश्रय देने के लिए दण्ड का प्रावधान है।
प्रस्तुत समस्या में ''अ'' उत्तरदायी नहीं है क्योंकि धारा 212 के अपवाद के अधीन पति या पत्नी को रखा गया है। यदि कोई पति, अपने पत्नी को या कोई पत्नी अपने पति को अपराध करने के पश्चात संश्रय देती या छिपाती है तो वह किसी अपराध के लिए दोषी नहीं होगा।

अध्याय - 4
दण्डों के विषय में (धारा 53-75)

1. How many types of punishment have been provide under the Indian penal code?
भारतीय दण्ड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दण्डों की व्यवस्था की गई है?

(a) Two/दो (b) Five/पाँच
(c) Four/चार (d) Seven/सात

BPSC (APO) 2009

Ans : (b) भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 53 के अनुसार अपराधी इस संहिता के उपबन्धों के अधीन जिन दण्डों से दण्डनीय है, वे निम्नवत् हैं-
1. मृत्यु
2. आजीवन कारावास
3. कारावास जो दो भांति का है, अर्थात -
   (i) कठिन, अर्थात कठोर श्रम के साथ
   (ii) सादा
4. सम्पत्ति का समपहरण
5. जुर्माना।

2. How many kinds of punishment are provided in Section 53 of the Indian Penal Code, 1860?
भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 53 में कितने प्रकार के दण्डों का प्रावधान है?

(a) Six/छः (b) Four/चार
(c) Five/पांच (d) Seven/सात

Uttarakhand (J) 2022
Rajasthan (J) 2007, 2015

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

3. Which of the following is a kind of punishment under Section 53 of the IPC?
निम्नलिखित में से कौन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 53 के अधीन एक मान्य प्रकार का दण्ड है?

(a) Whipping/कोड़ों से मारना
(b) Fine/जुर्माना
(c) Servitude/दासता
(d) Transportation/आजीवन निर्वासन

UP (APO) 2011

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

4. Which one of the following is not a punishment under Section 53 of the Indian Penal Code, 1860?
भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 53 के अन्तर्गत निम्नलिखित में से कौन-सा दण्ड नहीं है–

(a) Fine/जुर्माना
(b) Transportation/निर्वासन
(c) Forfeiture of property/सम्पत्ति का समपहरण
(d) Death/मृत्यु

UP (APO) 2002

Ans: (b) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

5. Which of the following punishments cannot be awarded under the Indian Penal Code?
निम्नलिखित में से कौन-सा दण्ड भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत प्रदान नहीं किया जा सकता है-

(a) Forfeiture of property/सम्पत्ति का समपहरण
(b) Imprisonment with hard labour
कठोर श्रम के साथ कारावास
(c) Transportation for life/आजीवन निर्वासन
(d) Death/मृत्यु

MPHC CJ 2002
Chhattishgarh (J) 2004

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

6. Which one of the following is not a kind of punishment under the I.P.C.?/भा. द. सं. के अन्तर्गत निम्नांकित में से कौन दण्ड का प्रकार नहीं है?

(a) Imprisonment for life/आजीवन कारावास
(b) Transportation/कालापानी (देश निकाला)
(c) Death sentence/मृत्यु दण्ड
(d) Simple imprisonment/साधारण कारावास

Uttarakhand (J) 2002

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

7. Imprisonment for life means, imprisonment for:-/आजीवन कारावास का अर्थ है ..... के लिए कारावास।

(a) 20 years/20 वर्ष
(b) 24 years/24 वर्ष
(c) 4 years/4 वर्ष
(d) whole of the remaining life
संपूर्ण अवशेष जीवन

MPHC CJ 2010

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 53 'दण्ड' से सम्बन्धित है। **गोपाल विनायक गोडसे बनाम राज्य (1961 SC)** सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारित किया गया कि आजीवन कारावास का अर्थ दोषी व्यक्ति के जीवनपर्यन्त तक का कारावास है।
धारा 57 के अनुसार, दण्डावधियों के भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को 20 वर्षों के कारावास के तुल्य गिना जाएगा।

8. Is the term of life imprisonment?
आजीवन कारावास की अवधि होती है?

(a) 14 years/14 वर्ष
(b) 20 years /20 वर्ष
(c) till death/मृत्यु तक
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

Rajasthan (APO) 2007
Uttarakhand (APO) 2021

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

9. The words "transportation for life" used in Indian penal code means/भारतीय दण्ड संहिता के प्रयुक्त शब्दों ''आजीवन निर्वासन'' से अभिप्राय है:

(a) To send a person outside of India
किसी व्यक्ति को भारत के बाहर भेजना
(b) To send a person in some islands for his remining life/किसी व्यक्ति की उसके शेष जीवन हेतु कतिपय द्वीपों में भेजना
(c) Imprisonment for life/आजीवन कारावास
(d) None of the above/उपरोक्त में से किसी से भी नहीं

MP (ADPO) 1995

Ans : (c) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा **53A** (1) के अनुसार, उपधारा (2) के और उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि में, या किसी ऐसी विधि या निरसित अधिनियमिति के आधार पर प्रभावशील किसी लिखत या आदेश में ''आजीवन निर्वासन'' के प्रति निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह ''आजीवन कारावास'' के प्रति निर्देश है।

10. Under the IPC, power of commutation of sentence of death is vested in
मृत्यु दण्डादेश के लघुकरण की शक्ति भारतीय दण्ड संहिता के अधीन निहित है–

(a) the President of India/भारत के राष्ट्रपति में
(b) the Governor of State/राज्य के राज्यपाल में
(c) the appropriate Government/समुचित सरकार में
(d) All of the above/उपर्युक्त सभी में

JPSC (APO) 2012

Ans. (c) : मृत्यु दण्डादेश के लघुकरण की शक्ति भारतीय दण्ड संहिता की धारा 54 के अधीन **समुचित सरकार** (Appropriate Government) में निहित है।
धारा 54 के तहत समुचित सरकार हर मामले में, जिसमें मृत्यु का दण्डादेश दिया गया हो, उस दण्ड को अपराधी की सम्मति के बिना भी अन्य दण्ड में लघुकृत (Commut) कर सकेगी। **समुचित सरकार** की परिभाषा धारा 55A मे दी गई है।

11. The "appropriate government" may commute the sentence of death of an accused person to any other sentence
''समुचित सरकार'' एक अभियुक्त की मृत्यु दण्ड की सजा को किसी अन्य सजा (दण्ड) में लघुकरण कर सकती है-

(a) with the consent of the accused
अभियुक्त की सहमति से
(b) with the consent of relatives of accused
अभियुक्त के रिश्तेदारों की सहमति से
(c) with the consent of advocate of the accused
अभियुक्त के अधिवक्ता की सहमति से
(d) without the consent of the accused
बिना अभियुक्त की सहमति से

Uttarakhand (J) 2015

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

12. In which of the following, judicial commutation becomes an impossibility?
निम्नलिखित में से किसमें न्यायिक लघुकरण असंभव बन जाता है?

(a) Double murder/दोहरा हत्या
(b) Sedition/राजद्रोह
(c) Gang rape followed by homicide
सामूहिक बलात्संग के बाद मानव वध
(d) Refugee committing a crime in India
भारत में अपराध करने वाला शरणार्थी

UGC (NET) September, 2016 Paper-III

Ans. (c) : सामूहिक बलात्संग के बाद मानव वध में न्यायिक लघुकरण असंभव बन जाता है। सामूहिक बलात्संग को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376-D में प्रावधानित किया गया है तथा इसके अंतर्गत अपराधी को आजीवन कारावास या मृत्यु दण्ड से दण्डित किया जा सकता है।

13. Under which provision of the IPC appropriate Government may commute the punishment of imprisonment for life?
भारतीय दण्ड संहिता के किस प्रावधान के अन्तर्गत समुचित सरकार आजीवन कारावास की सजा को लघुकृत कर सकेगी?

(a) Section 52/धारा 52
(b) Section 53/धारा 53
(c) Section 54/धारा 54
(d) Section 55/धारा 55

MPHC CJ 2013 Shift-I
RAJSTHAN (APO) 2007

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 55 में प्रावधान किया गया है कि समुचित सरकार आजीवन कारावास के दण्डादेश को अपराधी की सम्मति के बिना ऐसी अवधि के कारावास जो 14 वर्ष से अधिक न हो, के कारावास में लघुकृत कर सकती है।

14. In how many years a sentences of imprisonment for life can be commuted by the Government:
आजीवन कारावास के दण्डादेश को सरकार कितने वर्षों के कारावास में लघुकृत कर सकेगी?

(a) 20 years/20 वर्ष
(b) 18 years/18 वर्ष
(c) 14 years/14 वर्ष
(d) 12 years/12 वर्ष

Chhattishgarh (J) 2003

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 55 के अनुसार, समुचित सरकार अपराधी की सम्मति के बिना भी आजीवन कारावास के दण्डादेश को किसी भाँति के कारावास में, जो 14 वर्ष से अधिक न हो, लघुकृत कर सकेगी।

15. In calculation fractions off terms of punishment, the imprisonment for life is reckoned as equivalent to/दण्ड विधियों की भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को कितने वर्ष के कारावास के तुल्य माना जाता है?

(a) Imprisonment for fourteen years
चौदह वर्ष तक का कारावास

(b) Imprisonment for twelve years
12 वर्ष तक का कारावास

(c) Imprisonment for twenty
20 वर्ष तक का कारावास

(d) Imprisonment for seven years
सात वर्ष तक का कारावास

MP (ADPO) 2008 Paper-II
MPHC (DLAO) 2021
CBI (PP/APP)2021
Delhi (APP) 2021

Ans. (c) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 57 के अनुसार दण्ड विधियों की भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को 20 वर्ष तक के कारावास के तुल्य माना जायेगा।

16. Where no sum is expressed to which a fine may extend there the amount of fine to which the offender may be liable will be—
जहाँ कि वह राशि अभिव्यक्त नहीं की गई है जितने तक जुर्माना हो सकता है वहाँ अपराधी जिस रकम से जुर्माने का दायी होगा, वह रकम-

(a) Not exceeding rupees fifty thousand
50,000 रुपये से अधिक नहीं होगी

(b) Not exceeding rupees twenty-five thousand
25,000 रुपये से अधिक नहीं होगी

(c) Not exceeding rupees ten lakh
10 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी

(d) Unlimited but not excessive
असीमित किन्तु अत्यधिक नहीं होगी

MPHC CJ 2002, 2013 Shift II

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 63 के अनुसार – जहाँ वह राशि अभिव्यक्त नही की गई है जितनी तक जुर्माना हो सकता है, वहाँ अपराधी जिस रकम के जुर्माने का दायी है, वह असीमित है किन्तु अत्यधिक नही होगी।

17. Under section 64 IPC Punishment of imprisonment in case of nonpayment of fine?
धारा 64 भा.दं.सं. के अंतर्गत जुर्माना राशि की अदायगी नहीं होने के मामले में कारावास का दण्ड:

(a) Shall be in addition to any other sentence of imprisonment to the offender/अपराधी को कोई भी अन्य कारावास के दण्ड से अतिरिक्त होगा

(b) Shall be parallel with the sentence of another imprisonment /किसी अन्य कारावास के दण्ड के साथ सामानांतर होगा

(c) shall not be in addition to any other imprisonment/किसी अन्य कारावास के दण्ड से अतिरिक्त नहीं होगा

(d) (b) and (c) both/(b) एवं (c) दोनों

Chhattishgarh (J) 2011

Ans. (a) : भा0द0सं0, 1860 की धारा 64 जुर्माना न देने पर कारावास का दण्डादेश का प्रावधान करती है जिसके अनुसार जुर्माना राशि की अदायगी नहीं होने के मामले में कारावास का दण्ड उस अन्य कारावास के अतिरिक्त होगा जिसके लिए वह दण्डादिष्ट हुआ है या जिससे वह दण्डादेश के लघुकरण पर दण्डनीय है।

18. According to which section of Indian Penal code 1860 if the offence is punishable with both imprisonment and fine. Then the period for which to pay the fine, shall the court direct the offender to be imprisoned. In default of payment of a fine shall not exceed one fourth for the term of imprisonment which is the maximum fixed for offence.
भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की किस धारा के अनुसार यदि अपराध कारावास और जुर्माने दोनों से दण्डनीय हो, तो वह अवधि, जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे, कारावास की उस अवधि की एक चौथाई से अधिक न होगी, जो अपराध के लिए अधिकतम नियत है?

(a) Section 64/ धारा 64

(b) Section 65/ धारा 65

(c) Section 66/ धारा 66

(d) Section 67/ धारा 67

Rajasthan (APO) 2015

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 65 के अनुसार यदि अपराध कारावास और जुर्माना दोनो से दण्डनीय हो, तो जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में, न्यायालय अपराधी को उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम अवधि के एक-चौथाई से अनधिक के अवधि के लिए दण्डित कर सकेगा।

19. Where an offence is punishable with imprisonment as well as fine the term for which the imprisoned in default of payment of a fine shall not exceed.
यदि अपराध कारावास और जुर्माना दोनों से दण्डनीय हो, तो वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यक्तिक्रम होने की दशा के लिए न्यायालय अपराधी को करावासित करने का निर्देश दे सकता है।

(a) Equal of the term of imprisonment which is the maximum fixed for the offence/कारावास की

उस अवधि के बराबर होगी जो अपराध के लिए अधिकतम नियत है।

(b) One-half of the term of imprisonment which is the maximum fixed for the offence./कारावास की उस अवधि की आधी से अधिक न होगी जो अपराध के लिए अधिकतम नियत है।

(c) One-third of the term of imprisonment which is the maximum fixed for the offence/कारावास की उस अवधि की एक तिहाई अधिक न होगी, जो अपराध के लिए अधिकतम नियत है।

(d) One-fourth of the term of imprisonment which is the maximum fixed for the offence/कारावास की उस अवधि की एक-चाथाई से अधिक न होगी, जो अपराध के लिए अधिकतम नियम है।

MP CJ 2021

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

20. Under Section 65 of Indian Penal Code, 1860, sentence of imprisonment for non-payment of fine shall be limited to:
भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 65 के अंतर्गत जुर्माना न देने पर कारावास का दण्डादेश ..... तक सीमित होगा।

(a) One-half of the maximum term of imprisonment fixed for the offence
इस अपराध के लिए नियत अधिकतम कारावास की अवधि का आधा

(b) One-third of the maximum term of imprisonment fixed for the offence
इस अपराध के लिए नियत अधिकतम कारावास की अवधि का एक तिहाई

(c) One-fourth of the maximum term of imprisonment fixed for the offence
इस अपराध के लिए नियत अधिकतम कारावास की अवधि का एक चौथाई

(d) One-fifth of the maximum term of imprisonment fixed for the offence
इस अपराध के लिए नियत अधिकतम कारावास की अवधि का पाँचवा हिस्सा

UPPCS (J) 2016
UGC (NET) July, 2018 Paper-II
Rajasthan (J) 2021

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

21. A Magistrate convicts an accused of theft for one year imprisonment and one thousand fine. The maximum punishment for which accused can be sentenced to imprisonment in default of payment of fine shall be-
कोई मजिस्ट्रेट चोरी के अपराध से आरोपित अभियुक्त को एक वर्ष कारावास तथा एक हजार के जुर्माने से दोषसिद्ध करता है। जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास से दण्डादिष्ट किये जा सकने वाले अभियुक्त के लिए अधिकतम दण्ड होगाः-

(a) 1 year/1 वर्ष (b) 9 months/09 महीना
(c) 3 months/03 महीना (d) 6 months/06 महीना

UP(HJS) 2020

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता 1880 की धारा 65 के अनुसार, जब मजिस्ट्रेट द्वारा कारावास के साथ जुर्माना दिया जाता है, तब मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को जिस अपराध के लिए विचारण कर रहा है उसके अधिकतम दण्ड के (1/4) एक चौथाई अवधि का कारावास दे सकता है। चोरी के लिए तीन वर्ष के कारावास का उपबन्ध है अतः जुर्माना भुगतान में व्यतिक्रम की दशा में अधिकतम 9 माह का अतिरिक्त कारावास का दण्डादेश दिया जा सकता है।

22. A person for offence of theft is convicted and sentenced by J.M.F.C. to one year imprisonment and fine. What is the maximum term of imprisonment which can be awarded in default of payment of fine?
एक व्यक्ति को जे.एम.एफ.सी. द्वारा चोरी के अपराध के लिए एक वर्ष के कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड देने में व्यतिक्रम किये जाने पर अधिकतम कितनी अवधि के कारावास से दण्डित किया जा सकता है:

(a) One month/एक माह
(b) Nine months/नौ माह
(c) Six months/छह माह
(d) One year/एक वर्ष

Chhattishgarh (J) 2008

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

23. When the offence is punishable with imprisonment as well as fine, maximum with of imprisonment that can be awarded in default of payment of fine shall not exceed:
कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डनीय अपराध में अर्थदण्ड की अदायगी की चूक पर अपराधी को उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम अवधि के:

(a) One half/आधी
(b) One fourth/एक चौथाई
(c) One eighth/एक आठ (1/8)
(d) One sixth/एक छः (1/6)

of the maximum punishment fixed for the offence
से दण्डित किया जा सकेगा।

Chhattishgarh (J)2003, 2008
MPHC CJ 2012, 2019 Shift II

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 65 के अनुसार यदि अपराध कारावास और जुर्माना दोनो से दण्डनीय हो, तो जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में, न्यायालय अपराधी को उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम अवधि के एक-चौथाई से अनधिक के अवधि के लिए दण्डित कर सकेगा।

24. The Chief Judicial Magistrate has punished the accused with imprisonment of five years and fine often thousand rupees under Section 325 of the IPC. The maximum imprisonment under the Section 325 is seven years. On non-payment of fine, the Magistrate can give him maximum imprisonment upto:
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 325 में पाँच वर्ष के कारावास एवं दस हजार रुपया के जुर्माने से दण्डित किया। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 325 में अधिकतम कारावास सात वर्ष है। मजिस्ट्रेट अभियुक्त को जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर अधिकतम कारावास दे सकता है-

(a) Fifteen months /पन्द्रह माह
(b) Twenty one months /इक्कीस माह
(c) Twelve months /बारह माह
(d) Thirty months /तीस माह

MPHC CJ 2011

Ans. (b) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता की धारा 65 पर आधारित है। धारा 65 के अनुसार, यदि अपराध कारावास एवं जुर्माना दोनों से दण्डनीय हो, तो वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे, कारावास की उस अवधि की एक चौथाई से अधिक नहीं होगी, जो अपराध के लिए अधिकतम नियत है। अतः प्रस्तुत समस्या में धारा 325 के अधीन अपराध किये जाने पर 7 साल की सजा का प्रावधान है इसलिए 7 साल का **एक चौथाई 21 माह** होता है। इस प्रकार जुर्माने के व्यतिक्रम के लिए इक्कीस मास की सजा दी जाएगी।

25. Under Indian Penal Code, the imprisonment, which the Court imposes in default of payment of fine, may be of the following description—
भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार, न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में निम्न भाँति का कारावास अधिरोपित कर सकेगी-

(a) only simple /केवल सादा
(b) rigorous /सश्रम
(c) of either description /किसी भाँति का
(d) depends on the quantum of fine
जुर्माने की मात्रा पर निर्भर

MPHC CJ 2013 Shift-I

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 66 के अनुसार, जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर न्यायालय किसी भाँति (सादा या कठोर कारावास) का कारावास अधिरोपित कर सकता है।

26. In every case of an offence punishable with imprisonment as well as fine, imprisonment for nonpayment of fine may be-
कारावास और जुर्माना दोनों से दण्डनीय अपराध के हर मामले में जुर्माना देने में व्यतिक्रम की दशा में ऐसे कारावास का दण्ड दिया जा सकेगा:

(a) Which shall not exceed the maximum imprisonment prescribed for that offence/जो उस अपराध हेतु निर्धारित अधिकतम कारावास से अधिक न होगा
(b) That imprisonment may be of any kind/वह कारावास किसी भांति का हो सकता है
(c) That imprisonment would be of the description to which the offender have been sentenced for that offence/वह कारावास ऐसा उसी भांति का होगा, जिससे अपराधी को उस अपराध के लिये दण्डित किया जा सकता था
(d) May be directed to suffer that imprisonment with the imprisonment which was sentenced for that offence/वह कारावास के साथ-साथ भुगते जाने का निर्देश दिया जा सकता है, जो उस अपराध के लिये प्रदान किया गया हो

MP (ADPO) 1993

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 66 के अनुसार, वह कारावास, जिसे न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने के लिए अधिरोपित करे, **ऐसे किसी भाँति का हो सकेगा,** जिससे अपराधी को उस अपराध के लिए दण्डादिष्ट किया जा सकता था।

27. Which Section of I.P.C. provide for "imprisonment for non-payment of fine, when offence punishable with fine only"?
भा.दं.सं. की कौन-सी धारा ''जुर्माना न देने पर कारावास जबकि अपराध केवल जुर्माना से दण्डनीय हो'' के बारे में प्रावधान करती है?

(a) Section 63/धारा 63
(b) Section 64/धारा 64
(c) Section 67/धारा 67
(d) None of the above/उक्त में से कोई नहीं

UP (APO) 2015

Ans. (c) : प्रश्नगत धाराओं के प्रावधान निम्न प्रकार से है-
(a) धारा 63 - जुर्माने की रकम
(b) धारा 64 - जुर्माना नहीं देने पर कारावास का दण्डादेश
(c) धारा 67 - जुर्माना न देने पर कारावास जबकि अपराध केवल जुर्माने से दण्डनीय है।

28. In case of an offence punishable with fine only, imprisonment for non-payment of fine.
जहाँ अपराध अर्थदंड से दंडित हो वहाँ अर्थदंड अदायगी में व्यतिक्रम पर कारावास होगा-

(a) has to be simple/साधारण होगा
(b) has to be rigorous/सश्रम होगा
(c) can be partly rigorous and partly simple
आंशिक सश्रम और आंशिक साधारण
(d) either has to be simple or has to be rigorous
साधारण होगा या सश्रम होगा

MPHC CJ 2018 Shift-II
MP(ADPO) 2010 Paper-II 2019

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

29. If the offence be punishable with fine only, imprisonment for non-payment of fine:
ऐसे अपराध के लिए जो केवल अर्थदण्ड से दण्डनीय हो, अर्थदण्ड देने में व्यतिक्रम की दशा में :

(a) has to be simple /कारावास साधारण होगा
(b) has to be rigorous /कारावास सश्रम होगा
(c) can be rigorous or simple
कारावास सश्रम अथवा साधारण हो सकता है
(d) no imprisonment /कोई कारावास नहीं होगा

Rajsthan APO 2005
MPHC CJ 2006
BPSC APO 2009

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 67 के अनुसार ऐसे अपराध के लिए जो केवल अर्थदण्ड से दण्डनीय हो, अर्थदण्ड देने में व्यतिक्रम की दशा में सादा कारावास होगा।

30. 'X' was punished with rupees two hundred fine and for non payment of fine imprisoned of four month 'X' did not paid the amount and send to jail, after completing two months of imprisonment he paid rupees 150. In this situation:-
एक्स को 200 रु. के जुर्माने से दण्डित किया जाता है तथा जुर्माना अदा न करने पर उसे चार माह के कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाता है। एक्स जुर्माना अदा नहीं करता है और चार माह के कारावास में चला जाता है, लेकिन कारावास के 2 माह पूर्ण करने पर वह 150 रु. अदा कर देता है। ऐसी स्थिति में क्या:-

(a) 'X' should be released immediately
एक्स को तुरन्त उन्मुक्त कर देना चाहिये
(b) 'X' should be released only after completing four month of imprisonment/एक्स को चार माह कारावास पूर्ण होने पर ही उन्मुक्त किया जायेगा।
(c) 'X' should be released only after completing three months of imprisonment/एक्स को तीन माह का कारावास पूर्ण करने पर ही उन्मुक्त किया जायेगा।
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

Rajasthan (APO) 2007

Ans. (a) : प्रस्तुत समस्या भा.दं.सं., 1860 की **धारा 67 तथा धारा 69** पर आधारित है। यप्रस्तुत समस्या में एक्स को तुरन्त उन्मुक्त कर देना चाहिये। धारा 67 के अनुसार यदि अपराध केवल जुर्माने से दण्डनीय हो तो न्यायालय निम्नलिखित मापमान में सादा कारावास से अपराधी को कारावासित करने का निदेश दे सकेगा-
जब जुर्माना की रकम 50 रु. तक हो तब दो माह
जब जुर्माना की रकम 100 रु. तक हो चार मास
अन्य रकम की दशा में - छह मास तक कारावास की सजा जुर्माने के अभुगतान के लिए हो सकेगी।

धारा 69 स्पष्ट करती है यदि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए नियत की गई कारावास की अवधि के अवसान से पूर्व जुर्माने का ऐसा अनुपात चुका दिया जाए कि देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास की जो अवधि भोगी जा चुकी हो, वह जुर्माने के तब तक न चुकाए गए भाग के आनुपातिक से कम न हो तो कारावास पर्यवसित हो जाएगा। प्रस्तुत समस्या में चूँकि 'X' 2 माह का कारावास पूर्ण करने पर वह 150 रु. अदा कर देता है तो 'X' को तुरन्त उन्मुक्त कर देना चाहिये क्योंकि 200-150 = 50। अतः चूँकि 50 रु. तक के लिए दो मास का कारावास पूर्ण कर चुका है अतः अब वह तुरन्त उन्मुक्त कर दिया जायेगा।

31. If the offence is punishable with fine only, the imprisonment which the court imposes in default of payment of the fine shall be–
एक अपराध केवल जुर्माने से दण्डनीय है। जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम होने पर न्यायालय दण्ड अधिरोपित कर सकता है–

(a) only simple/केवल सादा
(b) only rigorous/केवल कठोर
(c) either simple or rigorous/या तो सादा या कठोर
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

UP (HJS) 2012

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

32. If the offence be punishable with fine only, and accused has been awarded with fifty rupees fine then, the period of imprisonment in default shall—
यदि कोई अपराध मात्र अर्थदण्ड से दण्डनीय है और अभियुक्त को 50 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है, तो अर्थ दण्ड की अदायगी के व्यतिक्रम की दशा में सजा की अवधि होगी:

(a) Not exceeding one month /एक माह से अनधिक
(b) Not exceeding two months/दो माह से अनधिक
(c) Not exceeding three months
तीन माह से अनधिक
(d) Not exceeding four months/चार माह से अनधिक

MPHC CJ 1997, 2015

Ans. (b) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

33. The maximum term of imprisonment that can be awarded in default of payment of fine, in case of offence punishable with fine only, when the person is sentence to a fine of rupees hundred:
अर्थदण्ड देने में व्यतिक्रम करने पर अधिकतम कितनी अवधि के कारावास से दण्डित किया जा सकता है जबकि अपराध केवल अर्थदण्ड से दण्डनीय हो और किसी व्यक्ति को सौ रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया हो:

(a) Six months/छः माह
(b) Four months/चार माह
(c) One month/एक माह
(d) Two months/दो माह

Chhattishgarh (J) 2008

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

34. If a offender is punished with a fine of rupees 1000 for an offence punishable only with fine, than what will be the maximum period of imprisonment to be given to him in case of default of fine/यदि एक अपराधी को केवल जुर्माने से दण्डनीय अपराध के लिए रु. 1000 के जुर्माने से दण्डित किया गया है, तब जुर्माना न देने की दशा में उसे दिये जाने वाले कारावास की अवधि अधिक से अधिक निम्न हो सकेगी-

(a) Four month's/चार महीने
(b) Six month's/छः महीने
(c) One year/एक साल
(d) Two year/दो साल

MP (ADPO) 1997

Ans : (b) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

35. According to the Indian Penal code which of the following conclusions would be correct?
1. 'A' hits 'Z' fifty times with a stick if the punishment for a strike is 1 year then 'A' will be punished with 50 years of imprisonment.
2. When 'A' is hitting 'Z', 'Y' intervenes and 'A' deliberately kills 'Y' as well 'A' is liable to one punishment for voluntarily causing hurt to 'Z' and another punishment for killing 'Y'
भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही होगा?
1. 'क', 'ज' को छड़ी से पचास बार मारता है। अगर हर प्रहार की सजा 1 साल है तो 'क' को 50 साल के कारावास की सजा दी जाएगी।
2. जब 'क', 'ज' को मार रहा है। 'य' हस्तक्षेप करता है और 'क' जानबूझकर 'य' की मृत्यु कारित कर देता है। 'क' स्वेच्छया से 'ज' को चोट पहुँचाने के लिए एक दंड और 'य' की हत्या के लिए दूसरे दंड के लिए उत्तरदायी है।

(a) Both 1 and 2/1 और 2 दोनों
(b) Only 1/केवल 1
(c) Only 2/केवल 2
(d) Neither 1 nor 2/न तो 1 और न ही 2

MP CJ 2021

Ans. (c) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता की धारा 71 के दृष्टांत (a) तथा (b) पर आधारित है जिसके अनुसार निष्कर्ष 1 गलत है, जबकि निष्कर्ष 2 सही है।

36. A is beating Z, Y interferes and A intentionally strieks Y heas as the blow given to Y is not a part of the act where by A voluntarily causes hurt to Z, A is liable to one punishment for voluntarily causing hurt to Z and to another for the below given to Y:
जब 'क', 'य' को पीट रहा है। 'म' हस्तक्षेप करता है, तब 'क', 'म' को भी पीटता है। 'क' द्वारा 'म' पर किया गया प्रहार उस कार्य का भाग नहीं है, जिसके द्वारा 'क', 'य' को स्वेच्छया उपहति कारित करता है, इसलिये 'क', 'य' को स्वेच्छया कारित की गई उपहति के लिये दण्ड से और 'म' पर किये गये प्रहार के लिये दूसरे दण्ड से दण्डनीय है:

(a) Wrong/गलत
(b) A will be punished once as act is done during the same transaction
एक ही संव्यवहार के दौरान किये जाने वाले अपराध के लिये एक ही दण्ड से दण्डादिष्ट होगा
(c) If Y would have not interfere A would have not beaten him so A is not caused below to Y intentionally so A will not be punished to cause hurt to Y/'म' यदि बचाने नहीं आता तो उसे 'क' नहीं पीटता अतः स्वेच्छया 'क' ने 'म' से मारपीट नहीं की है उसे 'म' को पीटने का दण्ड नहीं मिलेगा
(d) Right/सही है

Chhattishgarh (J) 2003

Ans. (d) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा **71 के दृष्टान्त (b)** पर आधारित है। उक्त समस्या में क, य को स्वेच्छया कारित की गई उपहति के लिए एक दण्ड से और म पर किए गए प्रहार के लिए दूसरे दण्ड से दण्डनीय है, क्योंकि क द्वारा म पर किया गया प्रहार उस कार्य का भाग नहीं है।

37. Which of the following Section of Indian Penal Code deals with solitary confinement?
भारतीय दण्ड संहिता में निम्न में से कौन-सी धारा एकान्त परिरोध से सम्बन्धित है?

(a) Section 71/धारा 71
(b) Section 72/धारा 72
(c) Section 73/धारा 73
(d) Section 74/धारा 74

UP (APO) 2015, 2018
Uttrakhand (J) 2006
UGC(NET) June, 2019 Paper-II

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 73 एकान्त परिरोध के सम्बन्ध में प्रावधान करती है।
धारा 73 के अनुसार एकान्त परिरोध (Solitary confinement) की अवधि निम्न है–
1. यदि कारावास की अवधि 6 मास से अधिक न हो तो एकान्त परिरोध 1 मास।

2. यदि कारावास की अवधि 6 मास से अधिक और 1 वर्ष से कम हो तो एकान्त परिरोध 2 मास।
3. यदि कारावास की अवधि 1 वर्ष से अधिक हो तो एकान्त परिरोध 3 मास।

अतः धारा 73 के अंतर्गत एकान्त परिरोध की अधिकतम सीमा 3 मास है।

धारा 74– एकान्त परिरोध की अवधि (एकान्त परिरोध किसी भी दशा में एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं होगा।)

38. Which provisions of the Indian Penal Code, 1860 deal with the 'Solitary confinement' and 'limits on solitary confinement'?
भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के किन प्रावधानों में 'एकान्त परिरोध' एवं 'एकान्त परिरोध की परिसीमा' को समझाया गया है?

(a) Section 68 and Section 69/धारा 68 एवं धारा 69
(b) Section 59 and Section 60/धारा 59 एवं धारा 60
(c) Section 73 and Section 74/धारा 73 एवं धारा 74
(d) Section 71 and Section 72/धारा 71 एवं धारा 72

Uttarakhand (J) 2008

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

39. The maximum limit of solitary confinement under section 73 of IPC is:
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 73 के अंतर्गत एकान्त परिरोध की अधिकतम सीमा कितनी है

(a) One year/एक वर्ष
(b) Three months/तीन माह
(c) Two years/दो वर्ष
(d) Six months/छः माह

MP (ADPO) 2016 Paper-II
Uttarakhand (J) 2012
UP (HJS) 2012

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

40. For how long, a convicted person for a crime be kept in solitary confinement/अपराध के किसी सिद्धदोष व्यक्ति को कुल मिलाकर कितने समय के लिए एकांत-कारावास में रखा जा सकता है?

(a) 6 Months/छः माह
(b) Three months/तीन माह
(c) Two months/दो माह
(d) One month/एक माह

MP (ADPO) 2008 Paper-II
MPHC (CJ) 2011

Ans.(b): उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

41. Maximum period of solitary confinment is – एकान्त परिरोध की अधिकतम अवधि है-

(a) Three month/3 माह
(b) Six month/6 माह
(c) One month/1 माह
(d) Fifteen days/15 दिन

Rajasthan (APO) 2007
CBI(PP/APP)2021
Delhi (APP) 2021

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

42. Maximum period for which a convicted person may be kept in solitary confinement, is
अधिकतम अवधि, जिसके लिये एक दोषसिद्ध व्यक्ति को एकान्त परिरोध में रखा जा सकता है, है-

(a) two months/दो मास
(b) three months /तीन मास
(c) six months /छः मास
(d) one year/एक वर्ष

Uttarakhand (J) 2016

Ans.(b): उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

43. If the term of rigorous imprisonment shall not exceed six months then the maximum period of solitary confinement shall be
यदि कठोर कारावास की अवधि छह मास से अधिक न हो, तो एकान्त परिरोध की अधिकतम अवधि होगी

(a) Fifteen days/पन्द्रह दिन
(b) One month/एक माह
(c) Three months/तीन माह
(d) Six months/छह माह

UP (APO) 2018

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

44. The time of solitary confinement a time not exceeding…….. months if the term of imprisonment shall exceed 1 year.
एकांत परिरोध की अवधि यदि कारावास की अवधि एक वर्ष से अधिक हो तो .....मास से अनाधिक समय की होगी।

(a) 1 month /1मास
(b) 2 month/2 मास
(c) 3 month/3 मास
(d) 4 month/4 मास

MP CJ 2021

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

45. If an offender is sentenced to an imprisoment for a term exceeding one year, the term of solitary confinement shall not exceed
यदि अभियुक्त किसी मामले में एक वर्ष से अधिक समय की सजा से दण्डित किया गया है, तो एकान्तवास की सजा अधिक नहीं होगी

(a) one month/एक मास से
(b) two month/दो मास से

(c) three months/तीन मास से
(d) no limit/कोई सीमा नहीं है

UPPCS (J) 2016

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

46. According to Sections 73 and 74 of the Indian Penal Code, 1860, a convict can be kept in solitary confinement for any portion or portions of imprisonment to which he is sentenced. Which of the following is incorrect?
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 73 एवं 74 के अनुसार किसी दोषसिद्ध को दिये गये दण्ड के किसी भाग अथवा भोगी गई अवधि के लिए एकान्त परिरोध में रखा जा सकता है। निम्न में से कौन सा सही नहीं है?

(a) For period not exceeding three months in the whole
कुल मिलाकर तीन माह की अवधि से अधिक न हो
(b) For period not exceeding three months, if the term of the imprisonment exceeds six months and does not exceed one year/यदि सजा की अवधि छः माह से अधिक और एक वर्ष से अधिक नहीं है तो तीन माह की अवधि से अधिक नहीं
(c) For period not exceeding three months, if the term of the imprisonment exceeds one year/यदि सजा की अवधि एक वर्ष से अधिक है तो तीन माह की अवधि से अधिक नहीं
(d) The solitary confinement in no case shall exceed 14 days at a time
किसी भी अवस्था मे एकान्त परिरोध की अवधि एक बार में 14 दिवस से अधिक नहीं होगी

Rajasthan (J) 2015

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 73 एवं 74 के अनुसार किसी दोषसिद्ध को दिये गये दण्ड के किसी भाग का अथवा भोगी की अवधि के लिए एकान्त परिरोध यदि कारावास की सम्पूर्ण अवधि छःमाह से अधिक किन्तु एक वर्ष से अधिक नहीं है तो **दो माह** की अवधि से अधिक नहीं होगी।

47. Under Indian Penal Code, 1860 when the imprisonment awarded for solitary confinement shall exceed three months, the solitary confinement shall not exceed ..... in any one month of the whole imprisonment awarded.
भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अन्तर्गत जब एकांत परिरोध का दिया गया कारावास तीन मास से अधिक हो, तब दिये गये सम्पूर्ण कारावास के किसी एक मास में एकांत परिरोध .....से अधिक न होगा।

(a) seven days/सात दिन
(b) fourteen days/चौदह दिन
(c) fifteen days/पन्द्रह दिन
(d) ten days/दस दिन

Rajasthan (J)2021

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 के धारा 74 के अनुसार एकान्त परिरोध के दण्डादेश के निष्पादन में किसी भी दशा में ऐसा परिरोध एक बार में चौदह दिन से अधिक अवधि का न होगा और जब दिया गया कारावास तीन माह से अधिक अवधि का हो तब सम्पूर्ण कारावास के किसी एक माह में एकांत परिरोध सात दिन से अधिक का नहीं होगा।

48. There is an enhanced punishment for prior conviction under section of the India Penal code?/पूर्व दोषसिद्धि के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा–के अधीन वर्धित दण्ड है-

(a) 76
(b) 71
(c) 68
(d) 75

BPSC (APO) 2009

Ans : (d) भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा **75** के अनुसार जो कोई व्यक्ति भारत में किसी न्यायालय के द्वारा इस संहिता के अध्याय 12 या अध्याय 17 के अधीन 3 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि ठहराये जाने के पश्चात् उन दोनों अध्यायों में से किसी अध्याय के अधीन उतनी ही अवधि के लिए वैसे ही कारावास से दण्डनीय किसी अपराध का दोषी हो तो वह हर ऐसे पश्चात्वर्ती अपराध के लिए आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दण्डनीय होगा।

49. Which of the conditions are essential for enhanced punishment to be offender with previous conviction?
पहले से दोषसिद्ध किसी अपराधी को बढ़ी हुई सजा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सी शर्त आवश्यक है?

(a) The previous conviction must have been for not less than 3 years of imprisonment
विगत दोषसिद्ध में उसे कम से कम 3 वर्ष की कैद की सजा हुई हो
(b) The subsequent offence is not punishable with imprisonment for more than 3 years
पश्चातवर्ती अपराध के लिए 3 वर्ष से अधिक की कैद की सजा न बनती हो
(c) The offence must be an offence relating to property or coin or government stamp
अपराध-आवश्यक रूप से सम्पत्ति या सिक्का या सरकारी स्टाम्प से जुड़ा हुआ अपराध हो
(d) The previous conviction was not in India
विगत दोषसिद्धि भारत में न हुई हो

UGC (NET) November, 2017 Paper-III

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

अध्याय - 5
साधारण अपवाद (धारा 76-106)

1. Chapter IV of IPC is related to-
भारतीय दण्ड संहिता का अध्याय IV सम्बन्धित है–
(a) Abetment/दुष्प्रेरण से
(b) General Explation/साधारण स्पष्टीकरण से
(c) Attempt/प्रयास से
(d) General Exceptions/साधारण अपवाद से

BPSC (APO) 2009

Ans : (d) भारतीय दण्ड संहिता का अध्याय IV साधारण अपवाद से सम्बन्धित है। अध्याय 4 में उल्लिखित सिद्धान्त साक्ष्य के सिद्धान्त हैं जो निश्चायत्मक या खण्डनीय उपधारणा से सम्बन्धित है। वे उन परिस्थितियों से सम्बन्धित हैं जो मनः स्थिति के अस्तित्व को प्रतिषिद्ध करती है। यह उन परिस्थितियों के वर्णन हैं जो मनः स्थिति के अस्तित्व के असंगत हैं। हुदा उन सिद्धान्तों को 'अआरोप्यता की शर्तें' (Non-imputability) कहते हैं तथा केनी उन्हें 'आपराधिक दायित्व से मुक्ति की शर्तें' कहते हैं। यदि मामले को किसी भी अपवाद के अन्तर्गत लाने वाली परिस्थितियों या तथ्यों के अस्तित्व को सिद्ध कर दिया जाता है तो यह अपराध के लिए आवश्यक मनः स्थिति के अस्तित्व को समाप्त कर देता है और आपराधिक दायित्व से मुक्ति के लिये आधार प्रदान करता है।

2. General exceptions are contained in:
सामान्य अपवाद निम्नलिखित में उल्लेखित हैः
(a) Chapter III of IPC
भारतीय दण्ड संहिता का अध्याय III
(b) Chapter IV of IPC
भारतीय दण्ड संहिता का अध्याय IV
(c) Chapter V of IPC
भारतीय दण्ड संहिता का अध्याय V
(d) Chapter VI of IPC
भारतीय दण्ड संहिता का अध्याय VI

Chhattisgarh (ADPO)2021

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

3. What punishment may be awarded to the person whose act is covered under general exceptions?
यदि किसी व्यक्ति का कृत्य सामान्य अपवाद के अन्तर्गत आता है, तो उसे कितना दण्ड दिया जा सकेगा?
(a) No punishment /कोई दण्ड नहीं
(b) Half of the punishment prescribed for that offence /उस अपराध के लिये विहित दण्ड का आधा
(c) One-fourth of the punishment prescribed for that offence
उस अपराध के लिये विहित दण्ड का चौथाई
(d) Depends upon discretion of the Court
न्यायालय के स्वविवेक पर निर्भर है।

MPHC CJ 1997
Jharkhand (J) 2014
Chhattishgarh (J) 2004
MP(HJS) 2013

Ans. (a) भारतीय दण्ड संहिता अध्याय 4 के अधीन आने वाले कार्य में या तो मनःस्थिति (Mens rea) का अभाव होता है या ऐसे कार्य को विधि द्वारा न्यायानुमत माना जाता है। अतः सामान्य अपवाद के अन्तर्गत आने वाले कृत्य के लिए कोई दण्ड नहीं दिया जाता है।

4. In which section of Indian Penal Code the maxim 'ignorantia juris non excusat' is incoporated?
भारतीय दण्ड संहिता की किस धारा में ''विधि की अनभिज्ञता कोई प्रतिहेतु नहीं है'' सूत्र का समावेश है?
(a) Section 78/धारा 78
(b) Section 76/धारा 76
(c) Section 79/धारा 79
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

UP (APO) 2007, 2015

Ans : (b) ''विधि की अनभिज्ञता कोई प्रतिहेतु नहीं है'' इस सूत्र का समावेश भारतीय दण्ड संहिता की धारा 76 में किया गया है। विधि की भूल का अर्थ है किसी विशिष्ट विषय पर किसी विधि के अस्तित्ववान होने या अन्यथा के विषय में भूल तथा इसके विषय में भी भूल की विधि क्या है। हेल के अनुसार ''उन वस्तुओं को न जानना जिसे जानने के लिए हर कोई बाध्य है, क्षम्य नहीं है।''

5. Section 76 and section 79 of IPC provide the general exception of:
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 76 और धारा 79 सामान्य अपवाद विहित करती है?
(a) Mistake of law /विधि की भूल का
(b) Mistake of fact/तथ्य की भूल का
(c) Both mistake of law and fact
दोनों तथ्य एवं विधि की भूल का
(d) Either mistake of law or of fact
या तो विधि की भूल या तथ्य की भूल का

Bihar (HJS) 2018

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 76 और 79 सद्भाविक ताथ्यिक भूल को क्षम्य करती है। धारा 76 तथा 79 के अनुसार, तथ्य की भूल क्षम्य है विधि की भूल नहीं। यह सिद्धांत लैटिन सूक्ति Ignosentia facti exeusat, ignoratia Juris non exusat पर आधारित है।

धारा 76 तथा 79 के अनुसार, विधि द्वारा आबद्ध या न्यायानुमत या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध या न्यायानुमत होने की सद्भावनापूर्वक विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है।

6. Section 76 of IPC provides that nothing is an offence which is done by a person who is or who by reason of
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 76 यह प्रावधान करती है कि कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो–

(a) mistake of fact in good faith believes himself to be bound by law to do it
उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो या तथ्य की भूल के कारण सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है

(b) mistake of law in good faith believes himself to be bound by law to do it
उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो या विधि की भूल के कारण सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है

(c) mistake of fact believes himself to be bound by morals to do it/उसे करने के लिए नैतिकता द्वारा आबद्ध हो या तथ्य की भूल के कारण विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है

(d) All the above/उपर्युक्त सभी

UP (HJS) 2009
Chattisgarh (J) 2011

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 76 के अनुसार, कोई बात अपराध नहीं है, जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो या जो तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि की भूल के कारण, सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है।

7. The maxim "ignorantia juris non excusat" means :
''इग्नोरेन्शिया जूरिस नॉन एक्सक्यूसेट'' के सिद्धान्त से तात्पर्य है-

(a) Ignorance of law is no excuse
विधि की जानकारी न होना कोई माफी (क्षम्य) नहीं है

(b) Ignorance of fact is no excuse
तथ्य की जानकारी न होना कोई माफी (क्षम्य) नहीं है

(c) Ignorance of law is an excuse
विधि की जानकारी होना माफी (क्षम्य) योग्य है

(d) Ignorance of fact is an excuse
तथ्य की जानकारी होना माफी (क्षमा) योग्य है

Uttarakhand (J) 2015
UP PCS, 2005, 20008

Ans. (a**) :** ''इग्नोरेन्शिया जूरिस नॉन एक्यक्यूसेट'' (Ignorantia Juris non-excusat) के सिद्धान्त का तात्पर्य है ''विधि की अनभिज्ञता कोई बचाव नहीं है।'' कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा कारित कार्य के परिणाम से यह कहकर बचाव नहीं कर सकता कि उसे कानून (विधि) की जानकारी नहीं थी। Ignorantia Facti-excusat ''तथ्य की भूल क्षम्य है'' इस लैटिन सूत्र को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 76 व 79 में समावेशित किया गया है।

8. The maxim ignorantia juris non excusat
'विधि की अनभिज्ञता प्रति हेतु नहीं है' सूत्र

(a) does not apply to criminal offences
दांडिक अपराधों पर लागू नहीं होता है

(b) admits exceptions/अपवाद ग्रहण करता है

(c) admits exception only in case of a foreigner who cannot reasonably be supposed to know the law of the land/केवल किसी विदेशी के मामले में जिसके बारे में युक्तियुक्त रूप में यह धारणा नहीं की जा सकती है कि वह देश के कानून को जानता था - अपवाद ग्रहण करता है।

(d) admits no exception
कोई अपवाद ग्रहण नहीं करता है

Uttarakhand (APO) 2009

Ans. (d) : सूत्र 'विधि की भूल क्षम्य नहीं है' (ignoratia juris non excusat) सभी अपराधों पर एक जैसे लागू होती है। इसका कोई अपवाद नहीं है। यहाँ तक कि एक विदेशी, जिसके बारे में यह कहा जा सकता है कि वह इस देश की विधियों से अवगत नहीं होगा, वह भी इस सिद्धान्त के दायरे से बाहर नहीं है।

9. The maxim "Ignorantia facit excusat" relates to
सूत्र ''तथ्यगत भूल क्षम्य है'' सम्बन्धित है:

(a) Section 75 of the Indian Penal Code
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 75 से।

(b) Section 76 of the Indian Penal Code
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 76 से।

(c) Section 77 of the Indian Penal Code
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 77 से।

(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं।

Uttarakhand (J) 2009

Ans. (b**) :** भारतीय दण्ड संहिता की धारा 76 ''तथ्यगत भूल क्षम्य है'' के सिद्धान्त से सम्बन्धित है, इसके अनुसार, कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो या जो तथ्य की भूल के कारण न कि विधि की भूल के कारण सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है।

10. Nothing is an offence which is :
कोई बात अपराध नहीं है जो -

(a) Done by any person in mistake of any newely enacted law/किसी नवीन कानून की सद्भावनापूर्ण अज्ञानतावश की जाए

(b) Done by mistake of fact
जो तथ्य की भूल के कारण की जाये

(c) Done in mistake of fact by a person who in good faith believes that he is legaly bound to do so/जो तथ्य की भूल के कारण ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाये, जो सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिये विधि द्वारा आबद्ध है

(d) Done by mistake of fact and law but in good faith/जो तथ्य एवं विधि दोनों की ही भूल के कारण सद्भावपूर्वक की जाये।

MP (ADPO) 1993

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

11. A, a soldier, fires on a mob by the order of his superior officer in conformity with the commands of law. Here, A has
विधि के समादेशों के अनुवर्तन में अपने वरिष्ठ अफसर के आदेश से A, एक सैनिक, भीड़ पर गोली चलाता है। यहाँ A ने–
(a) committed an offence/अपराध कारित किया
(b) committed no offence/कोई अपराध नहीं किया
(c) committed murder/हत्या की है
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

JPSC (APO) 2012

Ans. (b) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 76 के दृष्टांत (क)** पर आधारित है। धारा 76 के अनुसार, कोई बात अपराध नहीं है, जो की भूल के कारण न कि विधि की भूल के कारण सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। यदि 'A' विधि के समादेशों के अनुवर्तन में अपने वरिष्ठ अफसर के आदेश से भीड़ पर गोली चलाता है, तो वह किसी अपराध का दोषी नहीं है।

12. 'A' a solider, fires on a mob by the order of his superior officers in confirmity with the commands of the Law. A has committed no offence, his defence comes under section -- of I.P.C.
विधि के समादेशों के अनुवर्तन में अपने वरिष्ठ आफीसर के आदेश से एक सैनिक भीड़ पर गोली चलाता है। क ने कोई अपराध नहीं किया है यह प्रतिरक्षा भा.द.वि. की किस धारा के अन्तर्गत आती है?
(a) Section 76/धारा 76
(b) Section 77/धारा 77
(c) Section 78/धारा 78
(d) Section 79/धारा 79

Chhattishgarh (J) 2019

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

13. 'A' a soldier, fires on a mob by the order of his superior officer, in confomity with the commands of the law. Work done by 'A' comes under which General Exception of Indian Penal Code, 1860?
विधि के समादेशों के अनुवर्तन में अपने वरिष्ठ ऑफिसर के आदेश से एक सैनिक 'क' भीड़ पर गोली चलाता है। 'क' का कार्य भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के किस साधारण अपवाद के अन्तर्गत आता है?
(a) Act done by a person believeing himself bound by law/विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य।
(b) Act done by a person believeing justified by law/विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य।
(c) Accident in doing a lawful act
विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना।
(d) Act likely to cause harm, but done without criminal intent
कार्य, जिससे अपहानि कारित होना सम्भाव्य है, किन्तु जो आपराधिक आशय के बिना किया गया है।

Rajasthan (J)2021

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

14. 'A' an officer of a court, being ordered N, Y the court to arrest Y, and after due enquiry, believing Z to be Y, arrests, Z to be Y, arrests Z. what mistake has been committed by A/'न्यायालय का अधिकारी' 'A', 'Y' को गिरफ्तार करने के लिए न्यायालय द्वारा आदेशित किए जाने पर तथा सम्यक् जाँच के पश्चात् यह विश्वास करके कि Z, Y है, Z को गिरफ्तार करता है।' 'A' ने कौन-सी भूल कर दी?
(a) Mistake of fact/तथ्य की भूल
(b) Mistake of law/विधि की भूल
(c) Both (a) and (b) above/उपर्युक्त (a) तथा (b) दोनों
(d) None of these/इनमें से कोई नहीं

MP (ADPO) 2008 Paper-II

Ans. (a): प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 76 के दृष्टांत (ख) पर आधारित है। धारा 76 के अनुसार विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है।

15. 'A' an officer of court of justice, being ordered by that court to arrest 'Y' and after due inquiry believing 'Z' to be 'Y' arrest 'Z'/'क' एक न्यायालय का ऑफीसर 'म' को गिरफ्तार करने के लिए उस न्यायालय द्वारा आदिष्ट किये जाने पर और सम्यक् जाँच के पश्चात् यह विश्वास करके कि 'य' ही 'म' है, 'य' को गिरफ्तार कर लेता है।
(a) 'A' has committed the offence of wrongful confinement/'क' ने सदोष परिरोध का अपराध किया है
(b) 'A' has committed no offence
'क' ने कोई अपराध कारित नहीं किया है
(c) 'A' is guilty of criminal negligence
'क' आपराधिक उपेक्षा का दोषी है
(d) None of the above is correct
उपर्युक्त में से कोई भी सही नहीं है

MP (ADPO) 2009 Paper-II
UGC (NET) June, 2020 Paper-II

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

16. 'A' an officer of court of justice, being ordered by that court to arrest 'Y' and after due inquiry believing 'Z' to be 'Y' arrest 'Z'/न्यायालय का एक ऑफिसर A, Y को गिरफ्तार करने के लिए उस न्यायालय द्वारा आदिष्ट किये जाने पर और सम्यक् जाँच के पश्चात् यह विश्वास करके कि Z, Y है, Z को गिरफ्तार कर लेता है। यहाँ A
(a) According to section 76 of IPC A shall not be liable/भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 76 के अनुसार उत्तरदायी नहीं होगा

(b) According to section 79 of IPC A shall not be liable/भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 79 के अनुसार उत्तरदायी नहीं होगा

(c) According to section 109 of IPC A shall not be liable/भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 109 के अनुसार उत्तरदायी नहीं होगा

(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

BPSC (APO) 2009

Ans : (a) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

17. B, a soldier, fires on a mob by the order of his superior officer, in conformity with the commands of the law.
Which of the following is true in the given context?
एक सैनिक B, कानून के समादेशों के अनुरूप अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश पर एक भीड़ पर गोली चलाता है। दी गई परिस्थिति में निम्न में से कौन-सा विकल्प सही है?

(a) B has committed a culpable homicide/B द्वारा आपराधिक मानव वध (कल्पेबल होमिसाइड) हुआ है

(b) B has committed a culpable homicide not amounting to murder/B द्वारा हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध (कल्पेबल होमिसाइड नाट अमाउंटिंग टु मार्डर) हुआ है

(c) b has committed murder in good faith
B द्वारा सद्भावपूर्वक हत्या (मर्डर इन गुड फेथ) हुई है

(d) B has committed no offence
B ने कोई अपराध नहीं किया है

(e) B has committed accident in good faith
B द्वारा सद्भावपूर्वक दुर्घटना हुई है

Chhattishgarh (ADPO) 2017

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

18. Ignorance of law does not permit acquittal as it is built against justification of a crime while in extreme cases it allows:
कानून का ज्ञान नहीं होने से दोषमुक्त होने की अनुमति नहीं दी जाती है क्योंकि यह किसी अपराध के औचित्य के विरुद्ध बना है, परंतु अत्यंत गम्भीर मामलों में यह किसकी अनुमति देता है?

(a) Pardon/माफी

(b) Suspended sentence/निलम्बित सजा

(c) Deferred sentence/आस्थगित सजा

(d) Paper sentence/कागजी सजा

UGC (NET) June, 2015 Paper-II

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 76 एवं 79 इस सूत्र पर आधारित है **Ignorantia facti excusat, ignorantia juris non excusat** अर्थात् **तथ्य की भूल क्षम्य है, जबकि विधि की भूल क्षम्य नही है,** इस सुक्ति के आधार पर कानून का ज्ञान नही होने से दोषमुक्त होने की अनुमति नही दी जाती है।

19. Assertion (A)/कथन (A) : 'A', a soldier, fires on mob by the order of his Superior Officer, in conformity with the commands of law. 'A' has committed no offence./विधि के समादेशों के अनुवर्तन में अपने वरिष्ठ आफिसर के आदेश से एक सैनिक 'क' भीड़ पर गोली चलाता है 'क' ने कोई अपराध नहीं कि

Reason (R)/कारण (R): Nothing is an offence which is done by a person who is bound by law to do it./ कोई बात अपराध नहीं है जो किसी व्यक्ति द्वारा उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है।

Choose the correct answer from the codes given below/नीचे दिये गये कूट की सहायता से सही उत्तर चुनियेः

codes/कूट

(a) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)/(A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है

(b) Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A)/(A) और (R) दोनों सत्य हैं परन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है

(c) (A) is true, but (R) is false
(A) सत्य है, परन्तु (R) असत्य है

(d) (A) is false, but (R) is true
(A) असत्य है, परन्तु (R) सत्य है

UP (APO) 2018

Ans. (a) : कथन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 76 के दृष्टांत (क) पर आधारित है, जो कि सत्य है। जबकि कारण भारतीय दण्ड संहिता की धारा 76 है जिसमें विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है, का प्रावधान है जो कि सत्य है। अतः कारण (R) कथन (A) की सही व्याख्या है।

20. For the defence of mistake of fact under the Indian Penal Code/भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत तथ्य की भूल के बचाव के लिए

(a) actual mistake is sufficient
वास्तविक भूल पर्याप्त है

(b) the act must be reasonable
कार्य युक्तियुक्त होना चाहिये

(c) the act must be reasonable as well as committed in good faith/कार्य युक्तियुक्त तथा सद्भाव पूर्वक किया जाना चाहिये

(d) None of the above is correct
उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है

UP (APO) 2006

Ans. (c) : भूल के बारे में प्रावधान धारा 76 में किया गया है। धारा 76 के आवश्यक तत्व निम्न हैं-

(1) एक व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कार्य जिसे करने के लिए वह विधि द्वारा बाध्य है, या

(2) एक व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कार्य जिसे करने के लिए वह अपने आप को विधि द्वारा बाध्य समझता है।

(3) यह विश्वास तथ्य की भूल के कारण होना चाहिए न कि विधि की भूल के कारण।

(4) उसने सद्भावपूर्वक विश्वास किया हो अर्थात विश्वास यथार्थ तथा सद्भावपूर्वक होना चाहिए।

21. Which of the following statement correct-A mistake of fact is condoned under the penal law.
निम्न में कौन सा कथन सही है - तथ्य की भूल को दण्ड विधि के अंतर्गत क्षमा किया जाता है, क्योंकि:

(a) it is in public interest/ऐसा लोकहित में होता है
(b) there is no criminal mind
इसमें कोई आपराधिक मनःस्थति नहीं होती है
(c) it is in public interest/यह एक भूल मात्र है
(d) it is in the interest of the court
यह न्यायालय के हित में होता है

Chhattishgarh (J) 2011

Ans. (b) : तथ्य की भूल के अधीन किये गए कार्य को दण्ड विधि के अन्तर्गत क्षमा किया जाता है क्योंकि अपराध को निर्मित करने वाली आवश्यक मनः स्थिति या तो अनुपस्थित होती है या शून्य घोषित कर दी जाती है। रेक्स बनाम लीवेट्स के वाद में अभियुक्त एक रात्रि अपने घर में विचित्र आवाज सुनकर जग गया, यह सोचकर कि वह एक चोर पर प्रहार कर रहा है, उसने अन्तः काल में अपनी तलवार घुमाया जहाँ अतिक्रमी छिपा हुआ था और उसने अपने नौकर के मित्र को जो वहाँ नौकर के निमन्त्रण पर आया था, मार डाला। उसे मानव वध नहीं माना गया, क्योंकि 'इसे उसने अज्ञानतावश मृतक को चोट न पहुँचाने की इच्छा से किया था।'

22. Which one of the following sections of the Indian Penal Code, 1860 provides that 'Nothing is an offence which is done by a Judge while acting judicially'?
भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के निम्न प्रावधानों में से किसमें कहा गया है कि ''कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायाधीश द्वारा न्यायिकतः कार्य करते हुए किया गया है''?

(a) Section 75/धारा 75 (b) Section 76/धारा 76
(c) Section 77/धारा 77 (d) Section 79/धारा 79

Uttarakhand (J) 2008

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 77 में प्रावधानित है कि ''कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायिकतः कार्य करते हुये, न्यायाधीश द्वारा ऐसी किसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है जो या जिसके बारे में उसे सद्भावनापूर्वक विश्वास है कि वह उसे विधि द्वारा दी गयी है। धारा 76, में विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध करने का विश्वास करके किया गया कार्य है।
धारा 79 में विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य तथा धारा 75 में पूर्व दोषसिद्धि के पश्चात अध्याय 12 तथा अध्याय 17 के अधीन कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दण्ड का प्रावधान समविष्ट है।

23. An act which is done by a Judge when acting judicially in the exercise of any power which is, or which in good faith he believes to be, given to him by law than act of Judge-
जब न्यायिकतः कार्य करते हुए न्यायाधीश किसी ऐसी शक्ति का प्रयोग करता है जिसके बारे में उसे सद्भावनापूर्वक विश्वास है कि वह विधि द्वारा उसे दी गई है तब न्यायाधीश का कार्य-

(a) Is an offence because Judge should have knowledge of law/अपराध है क्योंकि कानून की जानकारी न्यायाधीश को होनी चाहिए।
(b) is not an offence/अपराध नहीं है
(c) is punishable/दण्डनीय है।
(d) is unpardonable and maximum punishment should be imposed
अक्षम्य है और अधिकतम दण्ड देना चाहिये।

MPHC CJ 2019 Shift-II

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

24. Act done in pursuance of order of court, if done in good faith is coverable under General Exception under which of the following sections of IPC,
न्यायालय की आदेशिका का अनुपालन करते हुए सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य भारतीय दण्ड संहिता की किस धारा के अंतर्गत सामान्य अपवादों के अंतर्गत आता है–

(a) Section 76/धारा 76 (b) Section 77/धारा 77
(c) Section 78/धारा 78 (d) Section 79/धारा 79

Chhattishgarh (J) 2014

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 78** के अनुसार, कोई बात, जो न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में की जाये या उसके द्वारा अधिदिष्ट हो, यदि वह उस निर्णय या आदेश के प्रवृत रहते की जाये, अपराध नहीं है, चाहे उस न्यायालय को ऐसा निर्णय या आदेश देने की अधिकारिता न रही हो, परन्तु यह तब तक कि वह कार्य करने वाला व्यक्ति सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि उस न्यायालय को वैसी अधिकारिता थी।
नोट– जल्लाद को इस धारा के अन्तर्गत संरक्षण प्राप्त है।

25. Under which section of Indian Penal Code, act done in pursuance of the judgement or order of the court is not an offence?
भारतीय दण्ड संहिता की किस धारा के अन्तर्गत न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य अपराध नहीं है?

(a) Section 94 /धारा 94 (b) Section 92 /धारा 92
(c) Section 79 /धारा 79 (d) Section 78 /धारा 78

Uttarakhand (APO) 2021
MP (ADPO) 1997
MPHC CJ 2012

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

26. Under which Section of IPC a hangman who hangs criminals in pursuant to the order of Judge under IPC is exempted from criminal liability?
किस धारा में एक जल्लाद न्यायाधीश के आदेश के अनुपालन में एक अपराधी को भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत फाँसी की सजा देता है, तो वह आपराधिक दायित्व से मुक्त होता है।

(a) Section 76/धारा 76
(b) Section 77/धारा 77
(c) Section 79/धारा 79
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

Uttarakhand (J) 2006, 2011
Bihar (APO) 2020
UPPCS(J) 2015
UP(APO) 2007 Special
MP(HJS) 2017
Chhattishgarh (ADPO) 2013
JPSC (APO) 2019

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

27. A hangman who hangs the prisoner in pursuant to the order of the Court is exempted from criminal liability by virtue of which Section of IPC?
भारतीय दण्ड संहिता की किस धारा के अन्तर्गत कैदी को न्यायालय के आदेश पर फाँसी देने वाला एक जल्लाद आपराधिक दायित्व से मुक्त है?

(a) Section 77/धारा 77
(b) Section 76/धारा 76
(c) Section 79/धारा 79
(d) Section 78/धारा 78

Uttarakhand (J) 2021

Ans. (d**) :** उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

28. 'A' a police officer without warrant apprehends 'Z' who has committed Murder. A has committed the offence of/'क' एक पुलिस ऑफिसर वारन्ट के बिना 'य' को, जिसने हत्या की है, पकड़ लेता है। 'क' ने अपराध किया है

(a) Wrongful Confinement/सदोष परिरोध
(b) Wrongful Restraint/सदोष अवरोध
(c) (a) and (b) both/(a) और (b) दोनों
(d) No offence/कोई अपराध नहीं

UP (APO) 2011
UPPCS (J) 2012

Ans. (d) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

29. A male teacher during the examination considering a girl as a boy inter his hand in her trouser. here teacher has committed offence under which section of Indian penal code.
एक पुरुष शिक्षक ने परीक्षा में तलाशी के दौरान एक लड़की को लड़का समझकर उसकी पैंट की जेब में हाथ डाल दिया। यहाँ शिक्षक ने भारतीय दण्ड संहिता के किस धारा के अन्तर्गत अपराध किया है?

(a) Sec 354/धारा 354 का
(b) Sec 323/धारा 323 का
(c) Sec 509/धारा 509 का
(d) No offence/कोई अपराध नहीं

MP (ADPO) 2003

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता के धारा 79 के अनुसार, शिक्षक ने कोई अपराध नहीं किया। धारा 79 के अनुसार विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल के कारण स्वयं को विधि द्वारा न्यायानुमत समझते हुए किसी व्यक्ति द्वारा सद्भावपूर्वक किये गये कृत्य से किसी अपराध का गठन नहीं होता है।

30. 'A' sees 'Z' commit what appear to 'A' to be 'Q' murder. 'A' in the exercise, to the best of his judgement exerted to good faith, of the power which the law gives to all persons of apprehending murderer in the act seizes, 'Z' in order to bring 'Z' before the proper authorities. 'A' has committed no offence, though it may turn out that 'Z' was acting in self defence.
''क'', ''ख'' को ऐसा कार्य करते देखता है, जो ''क'' को हत्या प्रतीत होता है। ''क'' सद्भावनापूर्वक काम में लाये गए अपने श्रेष्ठ निर्णय के अनुसार उस शक्ति के प्रयोग में लाते हुए, जो विधि ने, हत्याकारियों को उस कार्य को करते हुए पकड़ने के लिए सभी व्यक्तियों को दे रखी है, ''ख'' को अभिग्रहित करता है। भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की किस धारा के अनुसार ''क'' ने कोई अपराध नहीं किया है, चाहे तत्पश्चात असल बात यह निकले की ''ख'' आत्म प्रतिरक्षा में कार्य कर रहा था?

(a) Sec. 77/ धारा 77
(b) Sec. 78/ धारा 78
(c) Sec. 79/ धारा 79
(d) Sec. 80/ धारा 80

Rajasthan (APO) 2015

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 79 के अनुसार - विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। उपरोक्त समस्या धारा 79 के दृष्टान्त पर आधारित है। विधि की भूल किसी दायित्व से मुक्त नहीं करती, पर यह दण्ड आरोपित करने की अवधि की धारणा के लिए सुसंगत हो सकती है।

31. A, husband left his wife without any information. She enquired about him, but in vain. After waiting for about 6 years, the woman remarried. Before expiry of 7 years, the husband came back and prosecuted his wife for bigamy. The wife is :

एक पति अपनी पत्नी को बिना सूचित किए कहीं चला गया। उसने उसके बारे में पता लगाया परन्तु कुछ पता नहीं चला। छः वर्ष तक इन्तजार करने के पश्चात् महिला ने पुनर्विवाह कर लिया। सात वर्ष के अवसान के पूर्व ही पति वापस आ गया और पत्नी पर दूसरा विवाह करने का वाद लाया। पत्नी -

(a) not guilty as she had no mens-rea
द्विविवाह की दोषी नहीं है क्योंकि दुराशय नहीं था

(b) guilty of bigamy as she deliberately remarried
द्विविवाह की दोषी है क्योंकि उसने जानबूझकर दूसरा विवाह किया

(c) guilty of bigamy as her husband was still alive/द्विविवाह की दोषी है क्योंकि उसका पति अभी जीवित था

(d) not guilty as marriage is not a wrong in itself/दोषी नहीं है क्योंकि विवाह करना स्वयं में कोई अपराध नहीं है

UP (APO) 2007 (Special)

Ans: (a) प्रश्नगत समस्या **आर. बनाम टाल्सन** के वाद पर आधारित है। यहाँ पर विवाह समुचित छान-बीन के पश्चात् सद्भाव पूर्ण विश्वास पर किया गया है। अतः पत्नी को धारा 79 के अधीन तथ्य की भूल की प्रतिरक्षा प्राप्त होगी और वह द्विविवाह के लिए दायी नहीं होगी।

32. Which Provision of the Indian Penal Code says, "nothig is an offence which is done by accident"?
भारतीय दण्ड संहिता की कौन-सी धारा कहती है, ''कोई अपराध नहीं है जो दुर्घटना से घटित होता है''?

(a) Section 79 of I.P.C./भा. द. सं. की धारा 79
(b) Section 78 of I.P.C./भा. द. सं. की धारा 78
(c) Section 80 of I.P.C./भा. द. सं. की धारा 80
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

Uttarakhand (J) 2009
Uttarakhand (APO) 2021

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 80 में वर्णित है कि कोई बात अपराध नहीं है, जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से घटित होता है। विधिपूर्ण दुर्घटना के निम्न आवश्यक तत्व हैं—
1. कार्य आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना किया गया हो,
2. कार्य विधिपूर्ण प्रकार और विधिपूर्ण साधनों द्वारा किया गया हो,
3. कार्य उचित सावधानी और सतर्कता से किया गया हो, तथा
4. कार्य विधिपूर्ण हो।

33. A is at work with a hatchet, the head files off and kills a man who is standing by. No want of proper caution on the part of A. His act is:
'क' कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, कुल्हाड़ी का फल उसमें से निकलकर उछल जाता है और निकट खड़ा व्यक्ति उससे मारा जाता है, 'क' की ओर से उचित सावधानी का कोई अभाव नहीं था। 'क' ने कौन-सा अपराध किया है?

(a) Murder/हत्या
(b) Culpable homicide not murder
आपराधिक मानव वध जो हत्या नहीं है
(c) His act is excussable, not an offence
उसका कार्य माफी योग्य है, अपराध नहीं है
(d) Causing death by negligence
उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना

Chhattishgarh (J) 2003

Ans. (c) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता की धारा 80 के दृष्टांत पर आधारित है। धारा 80 के अंतर्गत 'क' ने कोई अपराध नहीं किया। धारा 80 के अनुसार, कोई बात अपराध नहीं है, जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण प्रकार से, विधिपूर्ण साधनों द्वारा उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में हो जाती है। प्रश्नगत समस्या धारा 80 मे दिये गये दृष्टांत के समान है।

34. 'A' with due care is at work with a hatchet. The head of the hatchet files off and kills 'B' who is standing by. A has committed
'क' सावधानीपूर्वक कुल्हाड़ी से काम कर रहा है। कुल्हाड़ी का फल उसमें से निकलकर उछल जाता है और निकट खड़ा हुआ 'ख' उससे मारा जाता है। 'क' ने कारित किया है:

(a) Murder/हत्या
(b) No offence/कोई अपराध नहीं
(c) Criminal negligence/आपराधिक उपेक्षा
(d) None of the above is correct/
उपर्युक्त में से कोई भी सही नहीं है

MP (ADPO) 2009 Paper-II
UP (APO) 2015
Uttarakhand (APO) 2009

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

35. R was working with an axe, exercising due care and caution, Suddenly the head of the axe flew and killed a man standing nearby. Which one of the following is the correct legal position in this case?
'R' एक कुल्हाड़ी से काम कर रहा था और उचित देखभाल और सावधानी बरत रहा था। अचानक कुल्हाड़ी का सिरा उड़ गया जिससे पास खड़े एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस मामले में निम्नलिखित में से कौन-सी सही कानूनी स्थिति है?

(a) R would be guilty of culpable homicide amounting to murder/ 'R' हत्या की कोटि में आने वाले आपराधिक मानव-वध का दोषी होगा।
(b) R would be guilty of culpable homicide not amounting to murder/ 'R' हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध का दोषी होगा।
(c) R would be guilty of causing death by a rash and negligent act/ 'R' उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण कार्य से मृत्यु कारित करने का दोषी होगा।
(d) R would not be guilty of any offence
'R' किसी भी अपराध का दोषी नहीं होगा।

CBI (PP/APP) 2021
Delhi (APP)2021

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

36. X is at work with hatchet, the head of hatchet files off and kills a man Y who was stand by. Here, if there is no want of proper caution on the part of X, has act is:
X कुल्हाड़ी से काम कर रहा है। कुल्हाड़ी का फल उसमें से निकल कर उछल जाता है और पास खड़ा व्यक्ति Y मारा जाता है। यहाँ यदि X की ओर से उचित सावधानी का कोई अभाव नहीं था। तो X का कृत्यः

(a) no excusable and no offence
क्षमायोग्य नहीं है, अपराध ही नही है

(b) excusable and not an offence
क्षमायोग्य है, अपराध नहीं है

(c) an offence but benefit of probation is necessary
अपराध है लेकिन परिवीक्षा का लाभ देना अनिवार्य है

(d) an offence or not is depend on the sweet will of the legal representative of deceased
मृतक के विधिक प्रतिनिधि की इच्छा पर निर्भर करेगा कि यह अपराध है अथवा नहीं

MPHC CJ 2006

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

37. A workman throws snow from a proof giving proper warning. A passer by is killed. The workman is :
एक कामगार उचित चेतावनी देकर छत से बर्फ फेंकता है। एक राहगीर की मृत्यु हो जाती है। कामगार–

(a) Guilty of murder/हत्या का दोषी है

(b) Guilty of culpable homicide not amounting to murder/हत्या की कोटि में न आने वाला मानव वध का दोषी है

(c) Guilty of causing death by negligence
उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने का दोषी है

(d) Not guilty since death was accidental
मृत्यु आकस्मिक थी इसलिए दोषी नहीं है

UP (APO) 2002
MPHC (DLAO) 2021

Ans: (d) प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता की धारा 80 पर आधारित है। कामगार कार्य उचित सावधानी एवं स्वतंत्रता से करता है फिर भी राहगीर की मृत्यु हो जाती है तो भी कामगार दोषी नहीं है। यहाँ पर मृत्यु आकस्मिक है अतः वह इस धारा के अन्तर्गत बचाव प्राप्त कर सकता है।

38. 'A' is cutting the wood with an axe at a place where children are playing? The axe files off and kills a nearby child. 'A' is liable for
'अ' कुल्हाड़ी से ऐसी जगह लकड़ी काट रहा है जहाँ बच्चे खेल रहे है कुल्हाड़ी उछल जाती है और पास में खड़े बच्चे की मृत्यु हो जाती है। 'अ' दोषी है–

(a) No offence/किसी अपराध के लिए नहीं

(b) Murder/हत्या के लिए

(c) Culpable homicide/आपराधिक मानववध के लिए

(d) Causing death by negligence/उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने के लिए

UP (APO) 2002,2015
Uttarakhand (J) 2002

Ans: (d) यहाँ पर 'अ' ने उचित सतर्कता एवं सावधानी से कार्य नहीं किया है अतः 'अ' उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने के अपराध का दोषी होगा। धारा 80 के अन्तर्गत बचाव के लिए यह साबित करना होता है कि उसने जो कार्य किया है उचित सतर्कता एवं सावधानीपूर्वक था या नहीं, यदि सावधानी एवं सतर्कतापूर्वक किया जाता है तो वह किसी अपराध के लिये दोषी नहीं होगा।

39. The exception of accident under section 80 of IPC shall be available when the act to be done is a :
भा.द.सं. की धारा- 80 के तहत दुर्घटना का अपवाद तब उपलब्ध होगा जब किया जाने वाला कार्य एक–

(a) to do a lawful act in a lawful manner by lawful means/विधिपूर्ण साधनों द्वारा विधिपूर्ण तरीके से विधिपूर्ण कार्य करने में हो।

(b) by any means by any manner a lawful work to be done/किसी भी साधन से किसी भी तरीके से एक विधिपूर्ण कार्य करने में हो।

(c) to do a lawful act in a lawful manner by any means/किसी भी साधन द्वारा विधिपूर्ण तरीके से विधिपूर्ण कार्य करने में हो।

(d) all the above/उपरोक्त सभी।

MP (HJS) 2013

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 80 में विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना सम्बन्धी विधि का प्रावधान किया गया है।
धारा 80 के तहत दुर्घटना का अपवाद का लाभ अभियुक्त को तब प्राप्त होगा, जब किया जाने वाला कार्य विधिक साधनों द्वारा, विधिक रीति से किये गये किसी विधिक कार्य का परिणाम हो।

40. To include 'Accident' in exception of crime, which of the following element is essential
अपराध के अपवादों में 'दुर्घटना' को शामिल करने के लिए निम्नांकित में से कौन-सा तत्व आवश्यक है?

(a) It happened by accident or misfortune/
यह दुर्घटना या दुर्भाग्य से घटित हुई

(b) It happened in doing a lawful act in a lawful manner/विधिपूर्ण कार्य को विधिपूर्ण तरीके से करने में हुई

(c) Proper care and caution has been taken
उचित सतर्कता और सावधानी बरती गई

(d) All of the above/उपर्युक्त सभी

MP (ADPO) 2008 Paper-II

Ans. (d): भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 80 में दुर्घटना सम्बन्धी विधि उपबंधित है। धारा 80 के अनुसार, कोई बात अपराध नहीं है, जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण प्रकार से, विधिपूर्ण साधनों द्वारा उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में की जाती है।

41. Necessity may be pleaded as defence under :
''आवश्यकता'' बचाव के रूप में अभिवचित की जा सकती है -

(a) Section 79/धारा 79 (b) Section 80/धारा 80

(c) Section 81/धारा 81 (d) Section 82/धारा 82

JPSC (APO) 2019

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 81 'आवश्यकता' के आधार पर आपराधिक दायित्व से प्रतिरक्षा (बचाव) से सम्बंधित है। अतः आवश्यकता बचाव के रूप में धारा 81 के तहत अभिवचित की जा सकती है।

42. 'A' in a great fire, pull down house in order to prevent the conflagration from spreading. He does this with the intention in good faith of saving human life or property. Here, if it be found that the harm to be prevented was of such nature and so imminent as to excuse 'A'. So 'A' is not guilty under which section of IPC.
एक बड़े अग्निकाण्ड के समय आग एक घर से दूसरे घर में फैल रही थी। ऐसी परिस्थिति में आग को फैलने से रोकने के लिए ''क'' कुछ घरों को गिरा देता है। वह यह कार्य मानव जीवन और सम्पति को बचाने के लिए सद्भावनापूर्वक करता है, यदि यह पाया जाता है की निवारण की जाने वाली अपहानि इस प्रकृति की और इतनी आसन्न थी की ''क'' का कार्य माफी योग्य है तो भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की किस धारा के अनुसार ''क'' अपराध का दोषी नहीं है

(a) Sec. 80/ धारा 80 (b) Sec. 81/ धारा 81
(c) Sec. 90/ धारा 90 (d) Sec. 91/ धारा 91

Rajasthan (APO) 2015

Ans. (b) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 81 के दृष्टांत (ख)** पर आधारित है। क किसी अपराध का दोषी नहीं है। भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 81 के अनुसार कोई बात केवल इस कारण अपराध नहीं है कि वह यह जानते हुए की गई है कि उससे अपहानि कारित होना संभाव्य है, यदि वह अपहानि कारित करने के आपराधिक आशय के बिना और व्यक्ति या सम्पत्ति को अन्य अपहानि का निवारण या परिवर्जन करने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक की गई हो।

43. X and Y swimming in the sea, after a ship wreck, got hold of a plank. The plank was not large enough to support both. X having no other option, pushed Y who was drowned. X has committed-
पोत के डूबने के पश्चात X और Y ने समुद्र में तैरते हुए एक तख्ता पकड़ लिया। तख्ता इतना बड़ा नहीं था कि दोनों को सहारा दे सके। X के पास अन्य विकल्प नहीं होने पर उसने Y को धक्का दे दिया जो डूब गया। X ने किया है-

(a) Culpable homicide/आपराधिक मानववध
(b) Murder/हत्या
(c) The offence of causing death by negligence उपेक्षा द्वारा हत्या का अपराध
(d) No offence/कोई अपराध नहीं

Uttarakhand (J) 2002

Ans. (d) : प्रस्तुत समस्या में 'X' दोषी नहीं होगा यह समस्या धारा 81 पर आधारित है स्टीफेन ने दो डूबते हुए व्यक्तियों के उदाहरण को उद्धृत किया है जो लकड़ी के एक तख्ते को पकड़ने के लिए संघर्ष कर रहे थे परंतु वह तख्ता केवल एक व्यक्ति का बोझ ढो सकता था। यदि उनमें से एक दूसरे को धक्का देता है और उसकी डूबने से मृत्यु हो जाती है तो वह दोषी नहीं होगा, क्योंकि उसने उसे ऐसे अवसर पर छोड़ दिया ताकि वह दूसरा तख्ता ढूंढ सके। उसने ऐसा मात्र आवश्यकतावश किया।

44. The principle of 'Quod necessitas non habet legam' is applied in circumstances of
कुओद नेसेसिटाज नॉन हैबेट लीगम का सिद्धांत किन परिस्थितियों में लागू किया जाता है?

(a) An act done in order to avoid consequence परिणाम की उपेक्षा करने वाली कार्रवाई
(b) in a little harm that resulted in the consequence/परिणामस्वरूप होने वाला मामूली नुकसान
(c) a harm resulted in order to do another evil ऐसा नुकसान जिसने दूसरी बुराई को जन्म दिया
(d) Self-preservation/आत्म संरक्षा

UGC (NET) January, 2017 Paper-II

Ans. (d) : ''कुओद नेसेसिटाज नॉन हैबेट लीगम'' का सिद्धान्त आत्मसंरक्षा के परिस्थितियों में लागू किया जाता है। इसका अर्थ यह होता है कि आवश्यकता विधि नहीं जानती है। यह मैक्सिम भारतीय दण्ड संहिता के धारा 81 से संबंधित है।

45. In which of the following cases 'necessity' under Section 81 of Indian Penal Code cannot be pleaded as a defence?
निम्नलिखित में से किस मामलें में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 81 के अन्तर्गत 'आवश्यकता' को प्रतिरक्षा के रूप में अभिवचन नहीं किया जा सकता है?

(a) Self-defence and prevention of violence आत्म परिरक्षा तथा हिंसा का निवारण
(b) Prevention of harm to the accused at the expense of an innocent person एक निर्दोष व्यक्ति को हानि पहुँचाकर भी अभियुक्त को होने वाली हानि का निवारण
(c) Self-prevention is an absolute necessity आत्म-परिरक्षण एक आत्यान्तिक आवश्यकता है
(d) Choice of evils affecting person other than the accused/अभियुक्त के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति को प्रभावित करने वाली बुराई का चुनाव

UP (APO) 2007

Ans : (c) आत्मपरिरक्षण एक आत्यांतिक आवश्यकता है इस अभिवाक्य को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 81 के अन्तर्गत आवश्यकता के प्रतिरक्षा के रूप में अभिवचन में नहीं लाया जा सकता है **आर० बनाम डडूले एवं स्टेफेन** के वाद के निर्णय से निम्न निष्कर्ष निकलते हैं—

1. आत्म संरक्षण एक परम आवश्यकता नहीं है।
2. किसी व्यक्ति को दूसरे का जीवन लेकर अपना संरक्षण करने का अधिकार नहीं है।
3. कोई भी आवश्यकता मानव वध को न्यायोचित नहीं ठहराती है। इस प्रकार आत्मपरीक्षण एक परम आवश्यकता नहीं है।

46. Which of the following cases is related to 'defence of necessity'?
निम्नलिखित में से कौन-सा वाद 'आवश्यकता की प्रतिरक्षा' से सम्बन्धित है?

(a) R.v. Dudley and Stephen
आर. बनाम डडले एंड स्टीफेन
(b) Bishamber v. Roomal/विशम्भर बनाम रूमल
(c) Browning v. State/ब्राउनिंग बनाम स्टेट
(d) All of the above/ये सभी

Uttarakhand (J) 2016

Ans. (d) : आर. बनाम डडले एंड स्टीफेन (1884) का वाद 'आवश्यकता की प्रतिरक्षा' से सम्बन्धित है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 81 आवश्यकता के आधार पर आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति का प्रावधान करती है।
विशम्भर बनाम रूमल (1950) तथा **ब्राउनिंग बनाम स्टेट (2008)** का वाद भी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 81 से सम्बन्धित है।

47. "Necessity" as a defence cannot be claimed when the act has been done
''आवश्यकता'' का बचाव नहीं लिया जा सकता है, जबकि कार्य किया जाता है-

(a) with good faith/सद्भावनापूर्वक
(b) without criminal intent/बिना अपराधिक आशय के
(c) with inherent risk of causing harm
क्षति कारित करने में अन्तर्निहित खतरे पर
(d) for avoiding other greater harm
दूसरी उससे बड़ी क्षति रोकने में

Uttarakhand (J) 2015

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 81 जो ''आवश्यकता के सिद्धांत'' से सम्बन्धित है, निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं—
(1) कार्य बिना किसी आपराधिक आशय के किया गया हो,
(2) कार्य सद्भावपूर्वक किया गया हो,
(3) कार्य किसी अन्य अपहानि के निवारण या परिवर्जन हेतु किया गया हो, तथा
(4) अपहानि जिसे निवारित या परिवर्जित किया जाना है, किसी व्यक्ति या सम्पत्ति से सम्बन्धित हो।

48. Which one of the following cases is related to the defence of necessity?
निम्नलिखित में से कौन-सा वाद आवश्यकता के आधार पर बचाव से संबंधित है?

(a) M'c Naugten Case/मैकनाटन का मामला
(b) DPP V/s Beard/डी. पी. पी. ब. बियर्ड
(c) R. V/s Dudley and Stephen
आर. ब. डडले और स्टीफेन
(d) K.M. Nanavati V/s State of Bombay
के. एम. नानावती ब. बम्बई राज्य

Uttarakhand (J) 2002

Ans. (c) : आर. ब. डडले और स्टीफेन का वाद भारतीय दण्ड संहिता की धारा 81 से सम्बन्धित है जो आवश्यकता के सिद्धान्त से सम्बन्धित है।

डी.पी.पी. बनाम बियर्ड - धारा 85 (अनैच्छिक मत्तता)
मैकनाटन का मामला - धारा 84 (विकृत चित्तता)
के.एम. नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य - धारा 300 (अपवाद 1)

49. R. Vs. Dudley and Stephan is relevant to the general exception to criminal liability on the ground of :
आर. बनाम डडले एण्ड स्टीफेन का वाद सुसंगत है, आपराधिक दायित्व के सामान्य अपवाद :

(a) accident/दुर्घटना से
(b) mistake of fact/तथ्य की भूल से
(c) right of private defence/प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से
(d) necessity/आवश्यकता से

UPPCS (J) 2003
UP (APO) 2007 (Special)

Ans: (d) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

50. "To preserve one's life is generally speaking a duty but it may be the highest duty to sacrifice it." This observation was made in Queen Vs. Dadly and Stephens by/ ''अपने जीवन को सुरक्षित रखना सामान्यतः एक कर्त्तव्य है, परन्तु इसको दूसरों के लिए बलिदान कर देना परम कर्त्तव्य है।'' यह टिप्पणी क्वीन बनाम डडले एण्ड स्टीफेन्स वाद में की गई थी, द्वारा

(a) Lord Denman/लॉर्ड डैनमैन
(b) Lord Coleridge/लॉर्ड कॉलरिज
(c) Lord Action/लॉर्ड ऐक्शन
(d) Justice Pollock/न्यायाधीश पोलक

UP (APO) 2011
UPPCS (J) 2012

Ans. (b) : जस्टिस कालरिज ने क्वीन बनाम डडले एण्ड स्टीफेन के वाद में कहा कि ''अपने जीवन को सुरक्षित रखना सामान्यतः एक कर्त्तव्य है, परन्तु इसको दूसरों के लिए बलिदान कर देना परम कर्त्तव्य है।'' यह कथन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 81 पर आधारित है।

51. Read the following principle:
"There is always an imposed duty on a person to act on moral necessity to preserve one's life, yet there may be justifiable occasions of causing harm of innocent persons." In following circumstances the accused can claim doctrine of self-preservation under the provisions of sec. 81 of IPC?
निम्नलिखित सिद्धांत को पढ़िये:
''एक व्यक्ति पर यह सदैव अधिरोपित कर्त्तव्य है कि वह अपने जीवन के परिरक्षण के लिए नैतिक आवश्यकता के आधार पर कार्रवाई करे, फिर भी निर्दोष व्यक्तियों को अपहानि करने के न्यायोचित अवसर हो सकते हैं।''

उपर्युक्त के आलोक में, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में अभियुक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 81 के प्रावधानों के अंतर्गत आत्म-परीक्षण के सिद्धांत का दावा कर सकता है?

(a) When necessity is pleaded as a means of defece under sections 96 to 106/जब धारा 96 से 106 तक के अंतर्गत रक्षा के साधन के रूप में आवश्यकता का अभिवचन करता है

(b) Self-preservation is not an absolute necessity, so killing the weaker is justifiable by the stronger/आत्म परिरक्षण परम आवश्यक नहीं है, इसलिए बलशाली के द्वारा दुर्बल की हत्या न्यायोचित है

(c) Arresting a drunken person moving in great danger at a public place/सार्वजनिक स्थान पर अत्यधिक खतरा की ओर बढ़ रहे मतान्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करना

(d) When there is no choice of evil affecting the accused/जब अभियुक्त को प्रभावित करने वाली बुराई का कोई विकल्प नहीं है

UGC (NET) July, 2016 Paper-II

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 81 में आवश्यकता का सिद्धान्त निहित है। आवश्यकता के सिद्धान्त के तहत यदि कोई कार्य किसी व्यक्ति या सम्पत्ति को दूसरी हानि से रोकने या बचाने के उद्देश्य से की गई है तो वह अपराध नहीं है। उपरोक्त के आधार पर अत्यधिक खतरे की ओर बढ़ रहे मतान्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करने में आत्म-परिरक्षण का दावा किया जा सकता है। अतः स्पष्ट है कि अभिष्ट उत्तर (c) सही है।

52. Acts of the child to whom IPC as general exceptions described in
बालक के कृत्य, जिनको भा.दं.सं. में सामान्य अपवादों के रूप में उपबंधित किया गया है, वर्णित है?

(a) Section 81-82 /धारा 81-82

(b) Section 82-83/धारा 82-83

(c) Section 83-84/धारा 83-84

(d) Section 84-85/धारा 84-85

Rajasthan (APO) 2007

Ans. (b) : बालक के कृत्य जिनको भा.दं.सं. में सामान्य अपवादों के रूप में उपबंधित किया गया है, वह धारा 82 तथा धारा 83 में वर्णित है।
धारा 82 के अनुसार, कोई बात अपराध नहीं है जो सात वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है।
धारा 83 के अनुसार, कोई बात अपराध नहीं है, जो सात वर्ष से ऊपर और बारह वर्ष से कम आयु के ऐसे शिशु द्वारा की जाती है जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हुयी है, कि वह उस अवसर पर अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों का निर्णय कर सके।

53. Which provision of the Indian Penal Code says, "Nothing is an offence which is done by a child under 7 years of age"?
भारतीय दंड संहिता का कौन-सा प्रावधान कहता है- 'कोई कार्य अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है -

(a) Section 79/धारा 79 (b) Section 80/धारा 80

(c) Section 82/धारा 82 (d) Section 85/धारा 85

Chhattishgarh (J) 2020

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

54. Under Indian Penal code act of a child under seven years of age is provided as an exception/भारतीय दण्ड संहिता में सात वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य एक अपवाद के रूप में उपबन्धित है :

(a) Section 80/धारा 80 में

(b) Section 81/धारा 81 में

(c) Section 82/धारा 82 में

(d) Section 84/धारा 84 में

MP (ADPO) 2010 Paper-II

Ans.(c): भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 82 में यह उपबंध है कि कोई बात अपराध नहीं है, जो सात वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा किया जाता है। अतः सात वर्ष से कम आयु के बालक को आपराधिक दायित्व से पूर्ण उन्मुक्ति प्राप्त है।

55. 'A' who is a boy of 6 years old, push B with the intention of causing harm, as a result B falls down and his arm is broken, what would A liable/अ, जो कि 6 वर्षीय बालक है, ब को चोट पहुँचाने के आशय से धक्का देता है जिसके फलस्वरूप ब नीचे गिर जाता है एवं उसकी अग्रभुजा की हड्डी टूट जाती है। तब क्या अ होगाः

(a) None of the any offence
किसी भी अपराध का दोषी नहीं

(b) offence of causing grievous hurt
घोर उपहति कारित करने के अपराध का दोषी

(c) offence of causing general hurt
साधारण उपहति कारित करने के अपराध का दोषी

(d) offence of causing assault
हमला करने के अपराध का दोषी

MP (ADPO) 1995

Ans : (a) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 82 के प्रभाव से प्रस्तुत समस्या में 'अ' किसी भी अपराध का दोषी नहीं होगा, क्योंकि सात वर्ष से कम आयु का शिशु आपराधिक दायित्व से पूर्णतया उन्मुक्त है अर्थात 7 वर्ष से कम आयु के शिशु को 'अपराध करने में अक्षम' (doli incapax) माना जाता है।

56. Nothing is an 'offence' which is done by a child under
बच्चे के द्वारा किया गया कोई कृत्य 'अपराध' नहीं है, यदि वह बच्चा–

(a) twelve years of age/बारह वर्ष से कम आयु का है

(b) seven years of age/सात वर्ष से कम आयु का है

(c) eighteen years of age/अठारह वर्ष से कम आयु का है

(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

JPSC (APO) 2012
Uttarakhand (J) 2006,2009

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 82 के अनुसार, कोई बात अपराध नहीं है, जो सात वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा की जाती है। बच्चे को ''Doli incapax" माना जाता है।

57. State the age limit prescribed under section 82 of Indian Penal Code in which if a child commits an overt act is not considered as an offence?
भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अंतर्गत क्या आयु सीमा निर्धारित की गई है जिसमें बच्चा यदि कोई कृत्य करता है तो उसे वह अपराध नहीं समझा जाता है?

(a) Under the age of 12 years
12 वर्ष से कम की आयु
(b) Under the age of 7 years/7 वर्ष से कम की आयु
(c) Under the age of 16 years
16 वर्ष से कम की आयु
(d) Between 7 and 12 years of age
7 वर्ष और 12 वर्ष की आयु के बीच का

UGC (NET) June, 2012 Paper-III
Uttarakhand (J) 2012

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

58. Nothing is an offence which is done by a child below the age of-
कोई बात अपराध नहीं है, जो:

(a) Eight years/आठ वर्ष
(b) Ten years/दस वर्ष
(c) Seven years/सात वर्ष
(d) Twelve years/बारह वर्ष
से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है।

Chhattishgarh (J) 2004, 2016
Uttarakhand 2015
MPHC (CJ) 2002, 2015
MP(ADPO) 2008 Paper-II
UP (HJS) 2012

Ans. (c) : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

59. In which of the following cases the person is not guilty of any offence?
निम्नलिखित परिस्थितियों में से किस परिस्थिति में कोई व्यक्ति अपराधी नहीं होता?

(a) An adult man kills another person with a knife/एक वयस्क व्यक्ति चाकू से दूसरे व्यक्ति की हत्या करता है
(b) an adult woman kills her newly born child
एक वयस्क महिला अपने नवजात शिशु की हत्या करती है
(c) A man of 75 years of age commits rape on woman /एक 75 वर्षीय व्यक्ति एक महिला के साथ बलात्कार करता है
(d) A child under the age of 7 years shoots his father with a revolver and the father dies
एक 7 वर्ष से कम आयु का बालक रिवाल्वर से अपने पिता पर गोली चलाता है जिससे पिता की मृत्यु हो जाती है

MPHC CJ 2011

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

60. 'Nothing is an offence which is done by child under seven years of age is based on legal maxim of-
''कोई बात अपराध नहीं होती है जो सात वर्ष के कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है'' यह सिद्धांत निम्नलिखित सूक्ति पर आधारित है-

(a) Doli capax/डोली केपेक्स
(b) Doli incapax/डोली इन्केपेक्स
(c) Di minimis non curat lex
डी मिनिमिस नॉन क्यूरट लैक्स
(d) None of these/इनमें से कोई नहीं

MPHC CJ 2019 Shift-II

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 82 के अनुसार – ''कोई बात अपराध नहीं होती है जो सात वर्ष के कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है'' सात वर्ष से कम आयु का बालक अपराध करने में अक्षम होता है। यह सिद्धान्त **डोली इन्केपेक्स** नामक सुक्ति पर आधारित है। **डोली इन्केपेक्स** का तात्पर्य है- 'अपराध करने में अक्षम'। 7 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सन्दर्भ में यह माना जाता है कि वह अपराध करने में असमर्थ होता है।

61. Which one of the following section of the Indian Penal Code, is based on the principles of 'dole incapax'?
भारतीय दण्ड संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से कौन-सी धारा 'अपराध करने में अक्षम' के सिद्धान्त पर आधारित है?

(a) Section 82/धारा 82 (b) Section 81/धारा 81
(c) Section 84/धारा 84 (d) Section 87/धारा 87

Uttarakhand (J) 2021

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

62. Principle of 'Doli in Capex' is related of which section of IPC?
''डोली इन्कापेक्स'' का सिद्धान्त भा.दं.सं. की किस धारा से सम्बन्धित है?

(a) Section 509 / धारा 509
(b) Section 309/धारा 309
(c) Section 59/धारा 59
(d) Section 82/धारा 82

MP (HJS) 2017

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

63. The maxim of 'doli incapax' under Indian Penal Code, is an exception of criminal liability in which of the following Section?
भारतीय दण्ड संहिता में 'न समझ गुड़िया' का सिद्धान्त, आपराधिक दायित्व का अपवाद निम्न किस धारा में है?

(a) Section 80/धारा 80 (b) Section 82/धारा 82
(c) Section 83/धारा 83 (d) Section 88/धारा 88

UP (APO) 2018
UPPCS (J) 2015

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 82 सात वर्ष से कम आयु के शिशु के कार्य के संबंध में प्रावधान करती है जिसके अनुसार कोई बात अपराध नहीं है, जो सात वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। इसे **'न समझ गुड़िया'** का सिद्धांत भी कहा जाता है।

64. 'A', a child of exact seven years of age commits an offence. 'A' will—
'क', जिसकी आयु सही सात वर्ष है, अपराध कारित करता है। 'क'

(a) not be guilty under Section 82 of Indian Penal Code/भारतीय दण्ड संहिता की धारा 82 के अधीन दोषी नहीं होगा

(b) be guilty if he is of sufficient maturity
यदि पर्याप्त परिपक्वता का है, तो दोषी होगा

(c) not be covered by Secions 82 and 83 of Indian Penal Code/भारतीय दण्ड संहिता की धारा 82 और धारा 83 के अन्तर्गत नहीं आयेगा

(d) be guilty under Section 83 of Indian Penal Code/भारतीय दण्ड संहिता की धारा 83 के अधीन दोषी होगा।

UP (APO) 2007

Ans : (a) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

65. Under the Indian Penal Code a child below the age of seven years is :
भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत एक सात वर्ष से कम आयु का बालक है-

(a) Absolutely Doli incapax
अपराध करने में पूर्णतः अक्षम

(b) Absolutely Doli capax
अपराध करने में पूर्णतः सक्षम

(c) Doli capax or Doli Incapax depends on the circumstances of a case/अपराध करने में सक्षम या अक्षम पूर्णतः वाद के तथ्यों पर निर्भर करता है

(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

Uttarakhand (J) 2016

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 82 सात वर्ष से कम आयु के शिशु को आपराधिक दायित्व से पूर्ण उन्मुक्ति प्रदान करती है। अर्थात् शिशु को अपराध करने से पूर्णतः अक्षम (Doli Incapax) माना जाता है।
धारा 82 में प्रावधान किया गया है कि कोई बात अपराध नहीं है, जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है।

66. Which of the following is not an exception as per provision contained in IPC:
निम्न में से भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत सामान्य अपवाद के अंतर्गत नहीं है-

(a) act of a child below the age of 7 years
7 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा किया गया कार्य

(b) act of person who was at such time unable to know the nature of the act due to unsoundness of mind/ऐसे व्यक्ति का कार्य जो मानसिक अस्वस्थता के कारण से कार्य की प्रकृति को जानने में ऐसे समय में असमर्थ था

(c) act done by a person after consuming alcohol/कार्य जो शराब का सेवन उपरांत व्यक्ति द्वारा किया गया

(d) act done by a child of above 7 years and below 12 years age of immature understanding to know the nature and consequence of his act/7 वर्ष से अधिक एवं 12 वर्ष से कम आयु का बालक जो अपरिपक्व समझदारी का होते हुए ऐसा कार्य करता है

Chhattishgarh (J) 2011

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 के धारा 85 तथा 86 के अंतर्गत मत्तता की स्थिति में किये गये अपराध से सम्बन्धित प्रावधान दिया गया है।

धारा 86 के अनुसार, यदि कार्य ऐसा हो जो किसी व्यक्ति द्वारा मत्तता की हालात में किया गया हो और वह कार्य ऐसा हो जिसके लिए विशिष्ट ज्ञान या आशय अपेक्षित है वहां वह व्यक्ति उसी प्रकार उत्तरदायी होगा मानो उसे वही ज्ञान था जो उसे होता यदि वह मत्तता में न होता जब तक कि वह चीज जिससे उसे मत्तता हुई है उसके ज्ञान के बिना या उसकी इच्छा के विरूद्ध न दिया गया हो। अतः विकल्प 'C' की स्थिति में सामान्य अपवाद का बचाव नहीं मिलेगा। विकल्प a, d तथा b की स्थिति में धारा 82, 83 तथा 84 का बचाव उपलब्ध है।

67. Which of the following is not an exception as per provisions contained in Chapter IV of Indian Penal Code, 1860 : -
निम्न में से क्या भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अध्याय 4 में दिये गये साधारण अपवाद की श्रेणी में नहीं आता है-

(a) Act of a child under age of 7 years/7वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा किया गया कोई कृत्य,

(b) An act done pursuant to judgment or order of a court of justice/किसी न्यायालय के निर्णय अथवा आदेश के अनुसरण में किया गया कृत्य,

(c) An act by the security guard of a Judge that otherwise constitutes an offence
किसी न्यायाधीश के सुरक्षा गार्ड द्वारा किया गया कोई कृत्य जो अन्यथा अपराध की श्रेणी में आता है।

(d) An act of a person of unsound mind
विकृत चित्त व्यक्ति के द्वारा किया गया कृत्य

Rajasthan (DJC) 2012

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अध्याय 4 में साधारण अपवाद का उपबन्ध किया गया है।

- धारा 82 के अधीन 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है।
- धारा 78 के अधीन न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य अपराध नहीं है।
- धारा 84 के अधीन विकृतचित्त व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है।

जबकि किसी न्यायाधीश के सुरक्षा गार्ड द्वारा किया गया कोई कार्य जो अन्यथा अपराध की श्रेणी में आता है, वह साधारण अपवाद के अधीन नहीं आता है बल्कि वह अपराध माना जायेगा।

68. Doli Capax is the principle which decides--
डोली केपेक्स वह सिद्धांत है जो विनिश्चित करती है:

(a) Immunity from punishment as there is no understanding of the consequences/दण्ड से उन्मुक्ति, क्योंकि परिणामों की समझ नहीं होती है

(b) That there was discern between good and evil for which punishment would be justified
अच्छे और बुरे का फर्क ज्ञात नहीं था जिसके लिए दण्ड न्यायोचित होता

(c) Proof of innocence would ipso facto be an answer for imposing a sentnce/निर्दोषिता का सबूत तथ्यतः दण्ड अधिरोपित करने का उत्तर होगा

(d) Before punishment a person his immaturity of intellect is to be assessed
किसी व्यक्ति को दण्डित करने से पूर्व उसकी बुद्धि की अपरिपक्वता का आँकलन करना चाहिए

UGC (NET) July, 2016 Paper-III

Ans. (b) : डोली केपेक्स वह सिद्धान्त है जो विनिश्चित करता है कि अच्छे और बुरे का फर्क ज्ञात नहीं था जिसके लिए दण्ड न्यायोचित होता। भारतीय दण्ड सहिता की धारा 83 के प्रावधान **डोली केपेक्स** के सिद्धान्त पर आधारित है।

69. Assertion (A) : 'A' a boy aged nine year intentionally kills 'B'. 'A' is liable to be convicted.
Reason (R) : A child up to the age of 12 year is, immune from criminal liability :
कथन (A) :'अ' एक नौ वर्ष की आयु का बालक है। वह साशय 'ब' को मार डालता है। 'अ' को सिद्ध दोषी ठहराया जा सकता है।
कारण (R) : बारह वर्ष से कम आयु के शिशु को आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति है।
Codes/कूट :

(a) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)/A तथा R दोनों सही हैं, तथा R, A की सही व्याख्या है।

(b) Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A)/A तथा R दोनों सही हैं, किन्तु R, A की सही व्याख्या नहीं है।

(c) (A) is true but (R) is false
A सही है, किन्तु R गलत है।

(d) (A) is false but (R) is true
A गलत है, किन्तु R सही है।

UP (APO) 2002

Ans: (c) प्रस्तुत समस्या में 'अ' को धारा 83 का लाभ प्राप्त नहीं होगा और दोषसिद्धि किया जा सकेगा। धारा 83 के अनुसार– कोई बात अपराध नहीं है जो सात वर्ष से ऊपर और बारह वर्ष से कम आयु के ऐसे शिशु द्वारा की जाती है जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि वह उस अवसर पर अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों का निर्णय कर सके। प्रस्तुत समस्या में 'अ' का आशय हत्या करने का था। इस से स्पष्ट होता है कि उसकी समझ परिपक्व थी कि अपने कार्यों के प्रकृति एवं परिणामों का निर्णय कर सकता था।

70. In which of the following, nothing is an offence which is done by a child who consequence of his conduct on that occasion?
निम्न में से कौन कोई अपराध नहीं है जो ऐसे शिशु द्वारा किया जाता है जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि वह उस अवसर पर अपने आचरण की प्रकृति और परिणाम का आकलन कर सके?

(a) below 7 years/7 वर्ष से कम

(b) between 7 and 12 years/ 7 वर्ष एवं 12 वर्ष के मध्य

(c) below 14 years/14 वर्ष से कम

(d) below 16 years/16 वर्ष से कम

(e) None of these/उपरोक्त में कोई नहीं

Chhattishgarh (ADPO) 2013

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा-83 के अनुसार–
कोई बात अपराध नहीं है, जो 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु के ऐसे शिशु द्वारा किया जाता है, जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि वह उस अवसर पर अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों का निर्णय कर सके।
जबकि धारा-82, 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा किए गए किसी कार्य को अपराध नहीं मानता है।

71. Which of the following is liable to commit offence-
निम्न में से कौन अपराध कारित करने के लिए उत्तरदायी है?

(a) A child between age of 7 to 10
सात वर्ष से 10 वर्ष के बीच की उम्र का बच्चा

(b) A child below ten year
दस वर्ष से कम उम्र का बच्चा

(c) A child between 7 to 12 which has reasonable sense
सात वर्ष से 12 वर्ष के बीच की उम्र का बच्चा जिसमें उचित समझदारी हो

(d) A child below than eight year
आठ वर्ष से कम उम्र का बच्चा

Rajasthan (APO) 2005

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

72. That offence under IPC, 1860 not punishable by what is done by an infant
भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के तहत वह अपराध दण्डनीय नहीं है, जो एक शिशु के द्वारा किया जाता है–

(a) work done by a child below 12 years of age is not an offence whose understanding has not matured or it is not an offence to be committed by a child below 7 years of age

12 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है जिसकी समझ परिपक्व नहीं हुई है या 7 वर्ष से कम आयु के शिशु।

(b) 14 years of age by a child who has not matured to understanding or a child below the age of 8 years/14 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है जिसकी समझ परिपक्व नहीं हुई है या 8 वर्ष से कम आयु के शिशु।

(c) 15 years is not an offence whose understanding has not matured or the child below the age of 9/15 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है जिसकी समझ परिपक्व नहीं हुई है या 9 वर्ष से कम आयु के शिशु।

(d) the act done by the child below the age of 16 years is not an offence whose understanding has not matured or a child below 10 years of age/16 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है जिसकी समझ परिपक्व नहीं हुई है या 10 वर्ष से कम आयु के शिशु।

MP (HJS) 2018

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

73. Leading case on Section 83 of I.P.C. is:-
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 83 के अंतर्गत कौन सर्वप्रथम वाद है?

(a) Bishamber V. Roomal /बिशम्भर बनाम रूमल
(b) Deo Narain V. State /देव नरायन बनाम राज्य
(c) Ulla Vs. King /उल्ला बनाम किंग
(d) Dayabhai Chhaganbhai Thakkar V. Gujarat
दयाभाई छगनभाई ठक्कर बनाम गुजरात

Chhattishgarh (ADPO) 2008

Ans. (c): उल्ला महापात्र बनाम किंग, (1950) का मामला भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 83 पर आधारित है।

74. Under which Section of the Indian Penal Code the act of a person of unsound mind is not an offence/भारतीय दण्ड संहिता की किस धारा के अन्तर्गत विकृत चित्त व्यक्ति के कार्य को अपराध नहीं माना जाता है?

(a) Section 82/धारा 82 (b) Section 84/धारा 84
(c) Section 83/धारा 83 (d) Section 85/धारा 85

Rajasthan (APO) 2007
MP (ADPO) 2009 Paper-II

Ans. (b): भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 84 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है, जो उसे करते समय चित-विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है जानने में असमर्थ है।

75. Which one of the following provisions of the Indian Penal Code, is based on "Mc Nagten Rule"?/भारतीय दण्ड संहिता का निम्न में से कौन-सा प्रावधान 'मैक्नाटेन नियम'' पर आधारित है?

(a) Section 83/धारा 83 (b) Section 84/धारा 84
(c) Section 85/धारा 85 (d) Section 86/धारा 86

Uttarakhand (J) 2008,2014,2018

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 84 **'मैक्नाटेन नियम''** पर आधारित है **आर0 बनाम मैक्नाटन** के वाद में प्रतिपादित सिद्धान्तों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 84 में लागू किया गया है।

76. Someone was suffering from legal insanity, the crucial time to decide it
कोई व्यक्ति विधिक मानसिक विकृति से पीड़ित था, यह तय करने का निर्णायक समय होता है-

(a) At the time of doing/कार्य करते समय
(b) before work/कार्य से पूर्व
(c) After work/कार्य के पश्चात
(d) None of the above/उपरोक्त में कोई नहीं

MP (ADPO) 1997
Rajasthan (APO) 2005

Ans : (a) भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 84 प्रावधान करती है कि किसी विकृतचित्त व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है, जब वह विकृतचित्तता के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ भी वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है जानने में असमर्थ है। ऐसी विकृतचित्ता कार्य किये जाते समय रहनी चाहिये।

77. Irresistable impulse/'अप्रतिरोध्य आवेग'-

(a) Does not come to unsoundness
'पागलपन' के अन्तर्गत नहीं आता है
(b) Under unsoundness/पागलपन के अन्तर्गत आता है
(c) Under certain circumstances
कुछ विशेष परिस्थितियों में आता है
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

MP (ADPO) 1997

Ans : (c) अप्रतिरोध्य आवेग (Irresistible Impulse) को प्रिवी कौंसिल ने **सौडमैन बनाम आर (1936)** में परिभाषित किया- अप्रतिरोध्य आवेग का तर्क अपने आप में एक बचाव नहीं है किन्तु उस स्थान पर अच्छा-बचाव साबित हो सकेगा जहाँ कि एक मस्तिष्कीय पूर्ण अस्वस्थता का साक्ष्य उपलब्ध है।

78. Non-Compos *mentis* denotes:
विकृतचित इंगित करता है:

(a) Every person is considered to be sane unless contrary is proved/प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ-चित्त माना जाता है जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो
(b) When a criminal act is performed during derangement/जब कोई अपराधिक कार्य अव्यवस्थित चित्त में किया जाए
(c) When the cognitive facilities are such that he does not know what he has done
जब संज्ञानात्मक क्षमता ऐसे हो कि व्यक्ति को यह ज्ञान न हो कि उसने क्या किया है
(d) Non-secrene memory not from birth
अप्रशांत स्मृति जन्मजात नहीं है

UGC (NET) November, 2017 Paper-III

Ans. (c) : नान कमपोस मेन्टिस (विचारहीनता) एक लैटिन लीगल फ्रेज (Legal phrase) है जिसका अर्थ होता है-विकृतचित्तता। जब संज्ञानात्मक क्षमता ऐसे हो कि व्यक्ति को यह ज्ञान न हो कि उसने क्या किया है तो उसे नान कमपोस मेन्टिस (विचारहीनता/विकृतचित्तता) कहते हैं।

79. The accused at the time of committing the act because of unsoundness of mind is incapable of knowing
अभियुक्त कृत्य को करते समय अपने होशोहवास में नहीं था और वह जानने में असक्षम था

1. **the nature of the act/कृत्य की प्रकृति**
2. **that the act is wrong or contrary to law कि कृत्य गलत है अथवा कानून के विरुद्ध है**
3. **that the act is unethical and wrong कि कृत्य अनैतिक और गलत है**
4. **that the act is morally wrong but not contrary to law/कि कृत्य नैतिक रूप से गलत है, परंतु कानून के विरुद्ध नहीं है**

To claim the benefit of Section 84 of IPC which of the above needs to be proved? Give the correct answer:
भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के लाभों का दावा करने के लिए उपरोक्त में से किन्हें प्रमाणित करने की जरूरत है? सही उत्तर दीजिए:

(a) 1 and 4/1 और 4 (b) 1 and 2/1 और 2
(c) 2 and 3/2 और 3 (d) 3 and 4/3 और 4

UGC (NET) June, 2019 Paper-II

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 84 विकृत चित्त व्यक्ति के द्वारा किये गये कार्य के बचाव का उपबंध करती है, जिसके अनुसार, कोई बात अपराध नहीं है, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है, जो उसे करते समय चित्त विकृत के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ वह कर रहा है, जानने में असमर्थ है। धारा 84 के अन्तर्गत अभियुक्त को बचाव तभी प्राप्त हो सकेगा जब वह अपने कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ था तथा यह जानने में असमर्थ था कि कार्य गलत या विधि के विरूद्ध है।

80. Nothing is an offence which is done by a person who at the time of doing it, was of unsound mind, because
कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय चित्त विकृत था, क्योंकि-

(a) he is unable of knowing the nature of the act/वह कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ है।
(b) committed offence impulsively/उसने उत्तेजना (इम्पल्स) के कारण अपराध कारित किया।
(c) Both (a) and (b)/दोनों (a) और (b)
(d) None of these/उपर्युक्त में से कोई नहीं

Uttarakhand (APO) 2021

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

81. An offender claiming exemption of criminal liability under Section 84 of Indian Penal Code must be incapable of knowing
एक अपराधी जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 84 के अधीन, आपराधिक दायित्व की छूट का दावा करता है, वह व्यक्ति यह जानने में सक्षम नही है

(a) the nature of the act/कार्य की प्रकृति
(b) the act was contrary to law कार्य कानून के प्रतिकूल है
(c) the act was wrong/कार्य गलत है
(d) All of the above/उपर्युक्त सभी

UGC (NET) September, 2013 Paper-III

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

82. In the absence of any cogent definition of unsoundness of mind, the world wide acceptance of its equivalent to insanity was propounded by
चित्त-विकृति की किसी तर्क पूर्ण परिभाषा के अभाव में, उन्मत्तता से इसकी समतुल्यता की विश्व व्यापी स्वीकार्यता का प्रतिपादन किसने किया था?

(a) Stephan/स्टीफन्स (b) Harris/हैरिस
(c) Kenny/केनी (d) Davis/डेविस

UGC (NET) July, 2016 Paper-II

Ans. (a) : स्टीफेन महोदय ने चित्त-विकृति की किसी तर्क पूर्ण परिभाषा के अभाव में उन्मत्तता से इसकी समतुल्यता की विश्व व्यापी स्वीकार्यता का प्रतिपादन किया।

83. Insanity is :
उन्मत्तता (पागलपन) है–

(a) Lack of free will/स्वतंत्र इच्छा का अभाव
(b) Incapacity produced due to drunkness/मत्तता के कारण उत्पन्न अक्षमता
(c) Incapable of knowing the nature of act committed किसी कृत्य की प्रकृति को समझने में अक्षमता
(d) Diseased mind/रोगग्रस्त मस्तिष्क

UP (APO) 2002

Ans: (c) उन्मतता (पागलपन) किसी कृत्य की प्रकृति को समझने में अक्षमता है।

84. According to Mc naughten's Rule, legal insanity is quite different from medical insanity. It relates to the/मेक नाटन नियम के अनुसार विधिक पागलपन, चिकित्सीय पागलपन से सर्वथा भिन्न है। इसका सम्बन्ध है

(a) total loss of conative faculties इच्छाशक्ति के पूर्ण लोप से
(b) total loss of cognitive faculties बोध शक्ति के पूर्ण लोप से
(c) congential insanity/सहजात (जन्मजात) उन्मत्तता से
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

UP PCS 1994
UP (APO) 2006, 2007

Ans. (b) : मेकनाटन का वाद भारतीय दण्ड संहिता की धारा 84 का प्रमुख वाद है। इस वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया कि ''विधिक पागलपन चिकित्सीय पागलपन से सर्वथा भिन्न है। विधिक पागलपन में बोध शक्ति का पूर्णतया लोप होता है। व्यक्ति कार्य के प्रकृति एवं परिणामों को जानने में असमर्थ होता है।

85. Which of the following case lays down the principles relating to the defence of unsoundness of mind?
निम्नलिखित में से कौन-सा वाद विकृत चित्तता के आधार पर बचाव सम्बन्धी सिद्धान्त प्रतिपादित करता है?
(a) R. v. Prince/आर. बनाम प्रिंस
(b) Mc Naghten case/मैकनाटन केस
(c) R. v. Dudley and Stephen
आर. बनाम डडले एण्ड स्टीफेन
(d) Mahboob Shah v. Emperor
महबूब शाह बनाम इम्परर

U.P. Lower (Spl.) 2003
Uttarakhand (J) 2009,2012

Ans : (b) आर0 बनाम मैकनाटन, (1843) का वाद भारतीय दण्ड संहिता के धारा 84 के अधीन 'चित्त विकृतता' से सम्बन्धित है।
आर0 बनाम प्रिंस- दुराशय (विधि की भूल)।
आर0 बनाम डूडले एण्ड स्टीफिन - धारा 81 (आवश्यकता का सिद्धान्त)
महबूब शाह बनाम इम्परर- धारा 34 सामान्य आशय व समान आशय में अन्तर।

86. Which one of the following defences is related to Mc'Naghten's case (1843)?
निम्न बचावों में से कौन-सा मैकनॉटन के वाद (1843) से संबंधित है?
(a) Infancy/बाल्यावस्था
(b) Insanity/पागलपन (उन्मत्तता)
(c) Intoxication/मत्तता
(d) Consent/सम्मति

JPSC (APO)2019
Uttarakhand(APO) 2009

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें–

87. "Expression 'unsoundness of mind' has not been defined in Indian Penal Code and has mainly been treated as a equivalent to insanity. An accused who seek exoneration from liability of any act under Section 84 of IPC is to prove legal insanity and not medical insanity." It was held by the Supreme Court in following case:/ ''चित्त विकृति' अभिव्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता में पारिभाषित नहीं है और मुख्यतः इसे पागलपन के समानान्तर माना जाता है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 84 के अन्तर्गत किस कृत्य के दायित्व से छूट भोगने वाले अभियुक्त को विधिक पागलपन और न कि चिकित्सकीय पागलपन सिद्ध करना होता है।'' यह उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्न वाद में धारित किया गया है:
(a) Abrar Vs. State of U.P./अबरार बनाम उ. प्र. राज्य
(b) Surendra Misra Vs. State of Jharkhand
सुरेन्द्र मिश्रा बनाम झारखंड राज्य
(c) C.M. Sharma Vs. State of A.P.
सी. एम. शर्मा बनाम ए. पी. राज्य
(d) Gita Vs. State of U.P./गीता बनाम उ. प्र. राज्य

UP (APO) 2011

Ans. (b) सुरेन्द्र मिश्रा बनाम झारखंड राज्य के वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि धारा 84 के अंतर्गत दायित्व से छूट के लिए अभियुक्त को विधिक पागलपन को सिद्ध करना होगा, ना कि चिकित्सीय पागलपन को सिद्ध करना होता है।

88. Assertion (A): Nothing is an offence which is done by a person who at the time of doing it by reason of unsoundness of mind, is incapable of knowing the nature of the act.
कथन (A): कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसके करते समय चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति जानने में असमर्थ है।
Reason (R): Mistake of fact is a good defence and Mistake of Law is no defence.
कारण (R): तथ्य की भूल एक अच्छा बचाव है और विधि की भूल बचाव नहीं है।
Codes:/कूट:
(a) Both (A) and (R) are true and (R) is correct explanation of (A)./ (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है।
(b) Both (A) and (R) are correct, but (R) is not correct explanation of (A)./ (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
(c) (A) is true, but (R) is false.
(A) सही है, परन्तु (R) गलत है।
(d) (A) is false, but (R) is true.
(A) गलत है, परन्तु (R) सही है।

UP (APO) 2011

Ans. (b) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 84 के अनुसार, कोई बात अपराध नहीं हैं, जो उसे करते समय चित विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है।
धारा 76 व धारा 79 के अनुसार तथ्य की भूल क्षम्य है, विधि की नहीं। अतः (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

89. Which expression has been used under Section 84 of the Indian Penal Code?
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 84 में कौन-सी अभिव्यक्ति प्रयुक्त की गई है?
(a) Madness/पागलपन
(b) Mental ailment/मानसिक बीमारी
(c) Unsoundness of mind/चित्त-विकृति
(d) Insanity/उनमुक्तता

Uttarakhand (J) 2018

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 84 में **'चित्त-विकृति'** (unsoundness of mind) अभिव्यक्ति प्रयुक्त की गई है। विकृतचित्त व्यक्ति से तात्पर्य, ऐसा व्यक्ति जो स्वस्थचित्त नहीं है ऐसे व्यक्ति 4 प्रकार के होते हैं—

1. जड़, 2. ऐसा व्यक्ति जो किसी बीमारी के कारण विकृतचित्त हो गया हो, 3. उन्मत्त या पागल, 4. मत्त व्यक्ति।

90. The expression "unsoundness of mind?
शब्दावली 'विकृतचित्तता' को

(a) is not defined in IPC
भारतीय दण्ड संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है।

(b) is defined in IPC
भारतीय दण्ड संहिता में परिभाषित किया गया है।

(c) is not treated as equivalent to insanity
पागलपन के समान नहीं माना जाता है।

(d) is not general exception of IPC/भारतीय दण्ड संहिता में साधारण अपवाद नहीं माना गया है।

Uttarakhand (J) 2011

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 में ''विकृतचित्तता'' को परिभाषित नहीं किया गया है लेकिन विकृतचित्तता को अध्याय 4 में सामान्य बचाव के रूप में धारा 84 में प्रावधानित किया गया है अर्थात्,

कोई बात अपराध नहीं है, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय चित-विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति, या यह कि जो कुछ वह कर रहा है, वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है।

91. Acts done in moments of delusion are protect because:
संभ्रांति के क्षणें में किए गए कार्यों का इस कारण से बचाव किया जाता है-

(a) By virtue of absence of free will
संकल्प स्वातंत्र्य के अभाव के कारण

(b) Lack of intelligence to distinguish between good and evil/अच्छे और बुरे के बीच अंतर करने के विवेक की कमी के कारण

(c) Expediency grounds says so
कार्य साधकता आधार इसे प्रेरित करते हैं

(d) Circumstance are such that they are incompatible to the existence of Mens rea.
परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि वे आपराधिक मनःस्थिति की मौजूदगी से असंगत होते हैं

UGC (NET) November, 2017 Paper-II

Ans. (d) : संभ्रांति या विभ्रांति (Delusion) एक प्रकार की विकृतचित्तता है जिसके अधीन किए गए कार्यों का बचाव इस कारण से किया जाता है कि परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि वे आपराधिक मनः स्थिति की मौजूदगी से असंगत होती हैं। विभ्रांति से संबंधित प्रमुख वाद **आर0 बनाम मैकनाटन (1843)** है जो कि भा. द. सं. की धारा 84 पर आधारित है।

92. Which Section of the Indian Penal Code deals with the defence of 'involuntary intoxication'?
भारतीय दण्ड संहिता की कौन-सी धारा 'अनैच्छिक मत्तता' के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है?

(a) Section 84/ धारा 84
(b) Section 85/ धारा 85
(c) Section 86/ धारा 86
(d) Section 87/ धारा 87

U.P.P.CS 2005
Uttarakhand A.P.O. 2016
Bihar (APO) 2020
Uttarakhand (J) 2011

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 85 अनैच्छिक मत्तता से सम्बन्धित है। धारा 85 के अनुसार, ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्तता में होने के कारण निर्णय पर पहुँचने में असमर्थ है के सम्बन्ध में प्रावधान करती है।

93. For a defence of intoxication, to escape criminal liability, the intoxication–
आपराधिक दायित्व से बचने हेतु मत्तता के बचाव के लिए, मत्तता–

(a) can be self administered/स्वयं दी जा सकती है
(b) administered against his will or knowledge
उसकी इच्छा या ज्ञान के बिना दी जा सकती है
(c) should not be self administered
स्वयं नहीं दी जानी चाहिए
(d) All the above/उपर्युक्त सभी

UP (HJS) 2009

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 85 में अनैच्छिक मत्तता से सम्बन्धित प्रावधान किया गया है। धारा 85 के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति के लिए निम्न तत्व आवश्यक हैं–

(1) कार्य करते समय मत्तता के कारण वह (अभियुक्त) समझने में असमर्थ था कि–
(क) कार्य की प्रकृति; या
(ख) यह कि वह जो कुछ कर रहा था वह दोषपूर्ण या विधिविरुद्ध था, और
(2) यह कि जिस चीज ने उसे उन्मत किया था या तो उसके अपने ज्ञान के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध दी गयी थी।

94. Which of the following is a leading case on intoxication
निम्न में से नशे पर कौन-सा मार्ग दर्शक वाद है-

(a) Nathulal v. State of M.P.
नथ्थूलाल बनाम म. प्र. राज्य
(b) Director Public Prosecutions v. Beard
डायरेक्टर पब्लिक प्रोसीक्यूशन बनाम बियर्ड
(c) Barrow v. Issacs/बैरो बनाम आइजक
(d) None of the above/उक्त में से कोई नहीं

UP (APO) 2006

Ans. (b) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 85 पर निदर्शक वाद **डायरेक्टर पब्लिक प्रोसीक्यूशन बनाम बियर्ड** है।

95. Which one of the following case is related to the defence on the ground of intoxication?
निम्नलिखित में से कौन-सा वाद मत्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से सम्बन्धित है?

(a) A. v. Director of Public Prosecution
ए. बनाम डी.पी.पी.

(b) Director of Public Prosecution v. Beard
डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रॉजिक्यूशन बनाम बियर्ड

(c) R. v. Lipman/आर. बनाम लिपमैन

(d) Veed Menezes v. Yufus Khan
वीड मेनेजेस बनाम युसूफ खान

Uttarakhand (J) 2009,2012

Ans : (b) डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रॉसिक्यूशन बनाम बियर्ड (1920) तथा **आर. बनाम लिपमैन** का वाद मत्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से सम्बन्धित है।
भा.द.सं. की धारा 85 अनैच्छिक मत्तता एवं धारा 86 स्वैच्छिक मत्तता से सम्बन्धित है। अतः विकल्प 'b' एवं 'c' सही हैं।

96. Which of the following cases are not related to intoxication?
निम्नलिखित में से कौन-सा वाद नशे से सम्बन्धित नहीं है?

(a) D. P. V Bared/डी. पी. बनाम बेयर्ड

(b) Basudev V. Pepsu State/वासुदेव बनाम पेप्सू राज्य

(c) R. V. Macnaughtan/आर. बनाम मैकनाटन

(d) R. V. Tandy/आर. बनाम टैण्डी

MP (ADPO) 2003

Ans. (c) : डी.पी.पी. बनाम बियर्ड, वासुदेव बनाम पेप्सू राज्य, आर बनाम टैण्डी का वाद मत्तता (नशा) से सम्बन्धित है जबकि **आर0 बनाम मैकनाटन** का वाद विकृतचित्तता (धारा 84) से सम्बन्धित है।

97. Director Public prosecution v. Beard is a leading case on which one of the following?
डायरेक्टर पब्लिक प्रासीक्यूशन बनाम बियर्ड अधोलिखित में से किस पर एक प्रमुख वाद है?

(a) Unsoundness of mind/विकृति चित्तता

(b) Accident/दुर्घटना

(c) Intoxication/मत्तता

(d) Infancy/बाल्यपन

UP (APO) 2018

Ans. (c) : डायरेक्टर पब्लिक प्रसीक्यूशन बनाम बियर्ड, 1920 (a.c.) का वाद **मत्तता** पर एक प्रमुख वाद है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 85 और 86 मत्तता से संबंधित है।

98. Which one of the following cases is not correctly matched?
निम्न वादों में कौन-सा एक सही सुमेलित नहीं है?

(a) Me/Naughten's case Section 84 of I.P.C./मैकनॉटन का वाद - धारा 84, भा.द.सं.

(b) D.P.P. v. Beard Section 84 of I.P.C.
डी. पी. पी. बनाम बीयर्ड - धारा 84, भा.द.सं.

(c) Basudev v. State Section 86 of I.P.C.
वासुदेव बनाम राज्य - धारा 86, भा.द.सं.

(d) Bhawoo Jiwaji v. Moolijee Dayal Section 79 of I.P.C./भाउ जीवाजी बनाम मूलजी दयाल - धारा 79, भा.द.सं.

Uttarakhand (J) 2009

Ans. (b) : डी. पी. पी. बनाम बीयर्ड (1920) का वाद धारा 85 (अनैच्छिक मत्तता) से संबंधित है न कि धारा 84 से। अतः विकल्प (b) सही सुमेलित नहीं है, जबकि शेष विकल्प सही सुमेलित हैं।

99. Which of the following is not correct?
निम्न में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

(a) A person made non compos mentis by illness is exempted from criminal liability, if the act was committed under the influence of his mental disorder/रूग्णता के कारण विकृत चित्त हुआ व्यक्ति आपराधिक दायित्व से छूट प्राप्त होता है, यदि कृत्य मस्तिष्कीय विकृति के प्रभाव के अन्तर्गत कारित किया गया हो

(b) he intoxication, in order to be available as defence must be of that degree and extent as renders the accused practically an automation/प्रतिरक्षा के रूप में उपलब्ध होने के लिए 'मत्तता' ऐसी मात्रा या विस्तार की होनी चाहिए जो अभियुक्त को व्यवहारतः एक स्वचलित यन्त्र बना दे।

(c) Voluntary drunkness is an excuse for knowledge
स्वैच्छिक मत्तता ज्ञान के लिए एक प्रतिहेतु है

(d) Except murder and offences punishable with death, compulsion is an excusable defence, if the act is done under the fear of instant death/हत्या एवं मृत्यु से दण्डनीय अपराधों को छोड़कर विवशता एक क्षम्य प्रतिरक्षा है, यदि कार्य तत्काल मृत्यु के भय के अन्तर्गत किया गया हो।

UP (APO) 2007

Ans : (c) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 86 में स्वैच्छिक मत्तता के बारे में प्रावधान किया गया है। ऐच्छिक मत्तता केवल आशय के संबंध में ही बचाव है। अतः उन प्रकरणों में जिनमें अपराध को पूर्ण होने के लिए आशय का होना आवश्यक है ऐच्छिक मत्तता बचाव है परन्तु ऐच्छिक मत्तता उन अपराधों के लिए बचाव साबित नहीं होती जिनमें आशय से अलग मात्र ज्ञान आवश्यक है।

100. Basudev v. State of Pepsu AIR 1956 S.C. is a leading case on
वासुदेव बनाम पैप्सू राज्य ए0 आई0 आर0 1956 सु0 को0 एक सूचक निर्णय है

(a) Infancy/बालकृत्य पर

(b) Insanity/पागलपन पर

(c) Intoxication/मद्यपान पर

(d) All the above/उपर्युक्त सभी पर

Uttarakhand (J) 2008

Ans. (c) : वासुदेव बनाम पैप्सू राज्य का वाद भारतीय दण्ड संहिता की धारा 86 में वर्णित ऐच्छिक मत्ता से सम्बन्धित प्रमुख वाद है।

101. Which of the following combinations is correctly matched?
निम्नलिखित में से कौन-सा संयोजन सही सुमेलित है

(a) Involuntary Intoxication - Sec.86
अनैच्छिक मत्तता - धारा 86

(b) Basudeo v. State of Pepsu - Sec.86
वासुदेव बनाम पेप्सू राज्य - धारा 86

(c) Attempt to commit suicide - Sec. 306
आत्महत्या करने का प्रयत्न - धारा 306

(d) Bigamy - Sec. 497
द्विविवाह - धारा 497

UPPCS (J) 2003

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 86** पर निदर्शक वाद **वासुदेव बनाम पेप्सू राज्य** का है जो कि स्वैच्छिक मत्तता से संबंधित है। अनैच्छिक मत्तता धारा 85 में, आत्महत्या करने का प्रयत्न धारा 309 में तथा द्विविवाह धारा 494 में दिया गया है। धारा 306 में आत्महत्या का दुष्प्रेरण तथा धारा 497 में जारकर्म के अपराध का वर्णन किया गया है।

102. The maxim 'volenti non fit injuria' has been incorporated in which section of the Indian Penal Code?
सूत्र ''सहमति से कारित क्षति को क्षति नहीं कहते हैं'' भारतीय दण्ड संहिता की किस धारा में समाविष्ट है?

(a) Section 87/धारा 87

(b) Section 90/धारा 90

(c) Section 92/धारा 92

(d) None of the above/उपर्युक्त किसी में नहीं

UP (APO) 2011

Ans. (a) : सहमति का सिद्धान्त भारतीय दण्ड संहिता की धारा 87 में उपबंधित है। धारा 87 का सिद्धांत रोमन विधि के एक विख्यात सूत्र पर आधारित है कि ''**स्वेच्छा से किये गये कार्य के लिए क्षति प्राप्त नहीं होती**'' **(Volenti non fit injuria)**।

103. Which Section of IPC is based on the maxim 'volenti non fit injuria'?
भारतीय दण्ड संहिता (IPC) की कौन-सी धारा 'वोलेन्टी नॉन फिट इन्जूरिया' कहावत पर आधारित है

(a) Section 80/धारा 80

(b) Section 90/धारा 90

(c) Section 94/धारा 94

(d) Section 87/धारा 87

Chhattisgarh (ADPO)2021

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

104. A and B agree to fence with each other for amusement. A while playing fairly hurts B:
'अ' और 'ब' मनोरंजन के लिए एक दूसरे से कुश्ती के खेल को सहमत होते हैं। खेल के समय 'ब' को चोट लग जाती है। क्या:

(a) A is liable for volutarily causing hurt
'अ' स्वेच्छापूर्वक चोट पहुँचाने के अपराध का उत्तरदायी है

(b) A is liable for assault
'अ' हमले के लिए उत्तरदायी है

(c) A has committed no offence
'अ' ने कोई अपराध नहीं किया

(d) A is liable to compensate B
'अ' को प्रतिकर 'ब' को देना पड़ेगा

MPHC CJ 2007

Ans. (c) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 87 पर आधारित है। धारा 87 के अनुसार - सहमति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का आशय एवं ज्ञान न हो, तो कोई अपराध नहीं है। कुश्ती, मनोरंजन, खेल इत्यादि के मामले सहमति से किसी को क्षति होती है तो वह किसी अपराध का दोषी नहीं है। 'अ' ने कोई अपराध नहीं किया।

105. Under the Indian Penal Code, 1860 the defence of 'consent' is not available in cases of
भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 'सहमति' का बचाव निम्नलिखित में से किस/किन मामले/मामलों में उपलब्ध नहीं होता/होते है/हैं?

(a) consent to cause death
मृत्यु कारित करने की सहमति

(b) consent to cause grievous hurt
घोर उपहति कारित करने की सहमति

(c) Both (A) and (B)/(A) तथा (B) दोनों

(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

UP PCS (J) 2015
Bihar (APO) 2020

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 87 के अनुसार, 'सहमति' का बचाव मृत्यु तथा घोर उपहति कारित करने की सहमति के मामलों में उपलब्ध नहीं होता है।

106. Section 87 of IPC is based on the legal maxim of
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 87 किस विधिक सूक्ति पर आधारित है?

(a) De minimis non curat lex
डी मिनिमिस नॉन क्यूरट लैक्स

(b) Volenti non fit injuria
वोलेन्टी नॉन फिट इन्जूरिया

(c) Actus non facit reum nisi mens sit rea
एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेन्स सिट रिया

(d) Doli incapax /डॉली इनकेपॉक्स

MPHC CJ 2017

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 87 विधिक सूक्ति **'वालेन्टी नॉन फिट इन्जूरिया'** पर आधारित है। इस धारा में प्रावधान किया गया है कि सम्मति से किया गया कोई कार्य 'जिसमें मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का आशय न हो' अपराध नही है।

107. Baboolan Hizra case is related to :
बाबूलन हिजरा का वाद सम्बन्धित है–

(a) Mistake of fact/तथ्य की भूल से

(b) Consent/सहमति से

(c) Goodfaith/सद्भावनापूर्वक
(d) Murder/हत्या से

UPHESC 2014

Ans. (b) : क्वीन बनाम बाबूलन हिजरा (1866) S W.R. (Cr.) 7 के वाद में यह अवधारित किया गया कि जहाँ यह अभिकथित किया जाता है कि एक 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति की मृत्यु उसकी सम्मति से कारित किया गया था वहाँ कृत्य को सद्भावपूर्वक किया गया अवधारित किया जायेगा और अभियुक्त व्यक्ति आपराधिक मानव वध का दोषी माना जायेगा तब तक कि यह साबित न कर दिया जाय कि उसने सद्भावपूर्वक कार्य नहीं किया था।

108. The underlying principle covering the law on concernt is based on absolute and unconditional provision on the gravity of the offence relating -to:
'सम्मति' सम्बन्धी कानून को दायरे में समेटने वाले आधारभूत सिद्धांत निम्नलिखित में से किस अपराध की गम्भीरता सम्बन्धी परम और बिना शर्त प्रतिषेध पर आधारित हैं?
(a) Simple hurt/साधारण उपहति
(b) Death/मृत्यु
(c) Theft from an unlocked house
खुले हुए घर से चोरी
(d) Submission for detaining indecent liberties
अशिष्ट स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए निवेदन

UGC (NET) July, 2016 Paper-II

Ans. (b) **:** मृत्यु के अपराध में सम्मति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तथा ऐसे अपराध के लिए कोई उन्मुक्ति नहीं है जबकि विकल्प के अन्य अपराधों में सम्मति से प्रभाव पड़ता है।

109. The Indian Penal Code prohibits fixing of liability on a person so long he is authorised or gives assent to it. but there is an exceptional situation arising out of:
भारतीय दंड संहिता एक व्यक्ति पर देनदारी तय करने से रोकती है जब तक कि वह प्राधिकृत है अथवा उसके लिए सहमति देता है। लेकिन किसके कारण एक विशेष स्थिति पैदा हो जाती है?
(a) Libel/अपमान लेख
(b) Public nuisance/सार्वजनिक उत्पात
(c) Contempt of Court/न्यायालय की मानहानि
(d) All of them/उपर्युक्त सभी

UGC (NET) December, 2014 Paper-II

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता एक व्यक्ति पर दायित्व तय करने से रोकती है, जब कार्य प्राधिकृत है या वह कार्य सहमति के तहत किया गया है। लेकिन कुछ अपराधों में सम्मति या प्राधिकार बचाव नही होते जैसे अपमान लेख, सार्वजनिक उपताप तथा न्यायालय की अवमानना, क्योंकि ऐसे अपराध कठोर दायित्व के तहत आते हैं।

110. The provision that "act done in good faith for benefit of child or insane person, by or by consent of guardian" is provided under which Section of the Indian Penal Code?
''संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के लाभ के लिए सद्भावनापूर्वक किया गया कोई कार्य'' शब्दावली भारतीय दण्ड संहिता की किस धारा से सम्बन्धित है?
(a) Section 89/धारा 89 से
(b) Section 88/धारा 88 से
(c) Section 90/धारा 90 से
(d) Section 87/धारा 87 से

Uttarakhand (APO) 2015

Ans. (a) : धारा 89 - संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य।
धारा 88 - किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावपूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है।
धारा 90 - सम्मति, जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है।
धारा 87 - सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का आशय न हो और न उसकी सम्भाव्यता का ज्ञान हो।

111. That 'A', in good faith for the benefit of his child but without his consent, knowing it fully well that death of the child might be caused, if he was subjected to surgery and got him operated upon by a surgeon with intention of getting the stone removed but the child died. The act of 'A' is:
यह कि 'क', सद्भावनापूर्वक अपने शिशु के फायदे के लिये अपने शिशु की सम्मति के बिना यह संभाव्य जानते हुए कि यदि उसकी शल्यक्रिया की जाती है तो उसकी मृत्यु कारित हो सकती है, पथरी निकलवाने के आशय से शल्यक्रिया करवाता है, किन्तु शिशु की मृत्यु हो जाती है। 'क' का कृत्यः–
(a) a cognizable offence because 'A' has not taken required precautions before the surgery./संज्ञेय अपराध है, क्योंकि शल्य क्रिया से पूर्व 'क' ने अपेक्षित पूर्व सावधानियाँ नहीं बरती।
(b) punishable under law, if negligence of 'A' is proved./विधितः दण्डनीय है, यदि 'क' की लापरवाही प्रमाणित होती है।
(c) is not an offence because 'A' did so in good faith for the benefit of the child so that he was cured of the disease and therefore his act being covered by the general exception under Section 89 of the Indian Penal Code is protected from any criminal law./अपराध नहीं है, क्योंकि 'क' ने ऐसा सद्भावनापूर्वक शिशु के हितार्थ, उसको रोगमुक्त होने हेतु किया है अतः उसका कृत्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा 89 के अन्तर्गत सामान्य अपवाद में होने से किसी भी आपराधिक कार्यवाही से संरक्षित है।
(d) is not an offence because he did so in good faith for the benefit of the child without his

consent and therefore is protected by Section 92 of the Indian Penal Code./अपराध नहीं है, क्योंकि उसने ऐसा सद्भावनापूर्वक शिशु के हितार्थ बिना उसकी सहमति के किया है अतः वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 92 के अन्तर्गत संरक्षित है।

Rajasthan (DJC) 2018

Ans. (c) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 89 के दृष्टांत पर आधारित है। 'क' का कृत्य कोई अपराध नहीं है क्योंकि 'क' ने ऐसा कार्य सद्भावपूर्वक शिशु के फायदे के लिए, उसे रोग मुक्त होने हेतु किया है अतः उसका कृत्य भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 89 के अन्तर्गत सामान्य अपवाद में होने से अभियुक्त दोषी नहीं होगा।

112. A, a school teacher for the purposes of enforcing discipline inflicts moderate punishment upon a student aged about 11 years. In this case
क एक विद्यालय का अध्यापक अनुशासन लागू करने के लिए एक विद्यार्थी, जिसकी आयु लगभग 11 वर्ष है, को मामूली सजा देता है। इस मामले में

(a) A is entitled to claim defence under Section 89 of IPC/क धारा 89 भा.दं.सं. के अधीन बचाव का दावा कर सकता है

(b) A is guilty of causing simple hurt
क साधारण उपहति कारित करने का दोषी है

(c) A is guilty of using criminal force
क आपराधिक बल प्रयोग का दोषी है

(d) A is entitled to claim defence under Section 88 of IPC/क भा.दं.सं. की धारा 88 के अधीन बचाव का दावा कर सकता है

Uttarakhand (APO) 2009
UP(APO) 2006
Uttrakhand (J) 2012

Ans. (a) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 89** पर आधारित है, **धारा 89 के अनुसार,** जो कार्य 12 वर्ष से कम आयु के या चित्त विकृत व्यक्ति के लाभ के लिए सद्भावपूर्वक उसके संरक्षक या भारसाधक व्यक्ति की सम्मति के बिना किया जाता है, किसी ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है, जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो। चूँकि कक्षा में अनुशासन बनाये रखने हेतु 11 वर्ष के छात्र को मामूली सजा देना धारा 89 के अंतर्गत छात्र के लाभ के लिए माना जाता है। अतः शिक्षक धारा 89 के अंतर्गत अपना बचाव कर सकता है।

113. Which of the following is not an exception as per provisions contained in Chapter IV of Indian Penal Code, 1860 ?
निम्न में से क्या भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अध्याय 4 में दिये गये साधारण अपवाद की श्रेणी में नहीं आता है?

(a) An act of a Judge when acting judcially
एक न्यायाधीश का कृत्य, जब वह न्यायिक कार्य कर रहा हो।

(b) An act though likely to cause harm but done without criminal intent and good faith, to prvent other harm/ऐसा कृत्य, जिसके करने से अपहानि कारित हो, सम्भाव्य है परन्तु जिसे बिना किसी आपराधिक आशय के कोई अन्य अपहानि के निवारण हेतु सद्भावपूर्वक किया गया है।

(c) An act done to a minor with consent of this parents/ऐसा कृत्य, जो किसी अवयस्क के साथ उसके परिजनों की सहमति से किया जावे।

(d) An act by a person done by mistake of fact and not by reason of a mistake of law in good faith believing hiimself justified by law
ऐसा कृत्य, जो किसी व्यक्ति के द्वारा, तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि की भूल के कारण, जो सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है, किया जावे।

Rajasthan (DJC) 2012

Ans. (c) : ऐसा कृत्य, जो किसी अवयस्क के साथ उसके परिजनों की सहमति से किया जाये भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अध्याय–4 में दिये गये साधारण अपवाद के श्रेणी में नहीं आता है। क्योंकि धारा 89 के अधीन संरक्षक द्वारा या उसकी सहमति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य आता है जो 12 वर्ष से कम आयु का शिशु, विकृतचित्त व्यक्ति के लिए संरक्षक की सहमति से किया गया कार्य हो।

114. Which Section of the Indian Penal Code deals with those conditions, when consent is said to be, not free consent?
भारतीय दण्ड संहिता की कौन-सी धारा उन शर्तों का वर्णन करती है। जिनमें प्राप्त की गई सहमति को स्वतंत्र सहमति नहीं माना जाता है?

(a) Section 90/धारा 90 (b) Section 92/धारा 92
(c) Section 89/धारा 89 (d) Section 87/धारा 87

MPHC CJ 2018 Shift-I
Uttrakhand (J) 2009

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 90 में उन शर्तों का वर्णन किया गया है जिसमें प्राप्त की गई सहमति स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाती है। धारा 90 के अनुसार निम्नलिखित मामलों में दी गयी सहमति स्वतंत्र सहमति नहीं है-

(1) अपहानि के भय में दी गई सहमति,
(2) तथ्य के भ्रम के अन्तर्गत दी गई सहमति,
(3) 12 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा दी गई सहमति,
(4) विकृतचित व्यक्ति द्वारा दी गई सहमति,
(5) मत्त व्यक्ति द्वारा दी गई सहमति।

115. The criminal liability can be fixed for mis-representation as per section 90 of Indian Penal Code, is ascertained when the consent is obtained by
भारतीय दंड संहिता की धारा 90 के अनुसार दुर्व्यपदेशन के लिए आपराधिक दायित्व निर्धारित किया जा सकता है, जब यह सुनिश्चित किया जाता है कि सहमति ली जाती है-

(a) Fraud which prevents exercise of will
कपट द्वारा जो इच्छा के प्रयोग को रोकता है

(b) Fear of being forced to suffer injury
चोट सहने के लिए बाध्य किए जाने के भय द्वारा

(c) Persuaded to cure from snake bite and submitting to it/सर्पदंश से इलाज के लिए तैयार किया जाना और इसे मान लेना

(d) Causing miscarriage to terminate illegal pregnancy/अवैध गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए गर्भपात करवाना

UGC (NET) September, 2016 Paper-III

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

116. In which Section of the Indian Penal Code, 1860 the word 'good faith' has not been used?
भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की किस धारा में 'सद्भाव' शब्द का उपयोग नहीं किया गया है?

(a) Section 89/ धारा 89 (b) Section 90/ धारा 90
(c) Section 92/ धारा 92 (d) Section 93/ धारा 93

Bihar (APO) 2020
Uttrakhand (J) 2011

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 के **धारा 90** में सद्भाव शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। इस धारा के अन्तर्गत यह प्रावधान किया गया है कि कब सम्मति को स्वतंत्र माना जायेगा।

117. Consent given by a child below _____ years of age is not deemed as consent under section 90 of IPC.
आई.पी.सी. की धारा 90 के तहत ..... वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा दी गई स्वीकृति को स्वीकृति नहीं माना जाता है।

(a) 12 (b) 5
(c) 7 (d) 18

MP CJ, 2021
Chhattishgarh (ADPO) 2017

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 90 में सम्मति को परिभाषित किया गया है। धारा 90 के अंतर्गत 12 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा दी गई स्वीकृति (सम्मति) को सम्मति नहीं माना जाता है।

118. Except in case of sexual offences, the consent o a child would be a valid consent in the eyes of the law when the child is above
यौन अपराधों को छोड़कर, बच्चे की सहमति कानून की नजर में वैध सहमति होगी जब बच्चा ऊपर है:

(a) 16 years of age /16 वर्ष की आयु से
(b) 14 years of age /14 वर्ष की आयु से
(c) 12 years of age /12 वर्ष की आयु से
(d) 10 years of age /10 वर्ष की आयु से

CBI (PP/APP) 2021
Delhi (APP)2021

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

119. With reference to section 90 of Indian Penal Code, 1860 'Consent of child' means:-
भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 90 के संदर्भ में 'शिशु की सम्मति' से अभिप्रेत है:-

(a) the consent given by a person who is under 15 years of age
15 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा दी गई सम्मति।

(b) the consent given by a person who is under 14 years of age
14 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा दी गई सम्मति।

(c) the consent given by a person who is under 13 years of age
13 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा दी गई सम्मति।

(d) the consent given by a person who is under 12 years of age
12 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा दी गई सम्मति।

Rajasthan (J)2021

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

120 'Z' is carried off by a tiger, 'A' fires at the tiger knowing it to be likely that the shot may kill Z, but not intending to kill Z, and in good faith intending Z's benefit A's bullet gives Z a mortal wound-
'य' को एक बाघ उठाकर ले जाता है यह जानते हुए कि संभाव्य है कि गोली लगने से 'य' मर जाये किन्तु 'य' का वध करने का आशय न रखते हुए और सद्भावनापूर्वक 'य' के फायदे के आशय से 'क' उस बाघ पर गोली चलाता है 'क' की गोली से 'य' को मृत्युकारक घाव हो जाता है-

(a) 'A' has committed the offence of murder as the malice travels with the bullet
'क' ने हत्या का अपराध किया क्योंकि गोली के साथ बुरा आशय चलता है।

(b) 'A' has attempted to murder 'Z' and wildlife animal the Tiger/'क' ने 'य' एवं वन्य प्राणी बाघ की हत्या के प्रयास का अपराध किया।

(c) 'A' has committed no offence
'क' ने कोई अपराध नहीं किया।

(d) None of these/इनमें से कोई नहीं

MPHC CJ 2019 Shift-I
UP (APO) 2015

Ans. (c) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 92 के दृष्टांत (ख) पर आधारित है। धारा 92 के अनुसार 'क' ने कोई अपराध नहीं किया क्योकि क ने य के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक कार्य किया है।

धारा 92 के आवश्यक तत्व–

- किसी व्यक्ति के फायदे के लिए कोई कार्य किया गया,
- ऐसा कार्य सद्भावपूर्वक हो,
- ऐसे व्यक्ति के सम्मति के बिना किया गया हो,
- ऐसे कार्य के परिणामस्वरूप कोई अपहानि हुई हो,
- ऐसे कार्य से अपहानि होने के परिणामस्वरूप भी अपराध नहीं होगा।

121. The object of Section 92 of Indian Penal Code 1860 is:
भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 92 का उद्देश्य है-

(a) protection to doctors/medical practitioners
चिकित्सकों/चिकित्सा व्यवसायियों को संरक्षण

(b) protection to legal practitioners
विधि व्यवसायियों को संरक्षण

(c) protection to intoxicated persons
मत्तता की स्थिति के व्यक्तियों को संरक्षण

(d) All of these/उपर्युक्त सभी

Uttarakhand (APO) 2021

Ans. (a) : भा.द.सं. की धारा 92 का उद्देश्य चिकित्सकों/व्यवसायियों को संरक्षण प्रदान करना है। धारा 92 सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य के संबंध में प्रावधान करती है।

122. Dr. Mathew, a surgeon knowing well that only a amiracle can save John, who is alling from a critical disease, in good faith operated on John, but as a consequence of that, John died. Which one of the following would be correct?
डॉ. मैथू, एक सर्जन यह जानते हुए कि जॉन जो एक खराब बीमारी से पीड़ित है, को केवल एक चमत्कार ही बचा सकता है, सद्भावना से जॉन का आपरेशन किया लेकिन परिणामस्वरूप जॉन की मृत्यु हो गयी। निम्न में क्या सही होगा?

(a) Dr. Mathew is guilty of murder because the death is direct consequence of the operation
डॉ. मैथू हत्या का दोषी है क्योंकि मृत्यु आपरेशन का प्रत्यक्ष परिणाम है

(b) Dr. Mathew is guilty of causing death due to megligence because the death is consequence of rash and negligent operation/डॉ. मैथू उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने के दोषी हैं क्योंकि मृत्यु उतावलेपन व उपेक्षापूर्ण आपरेशन का परिणाम है

(c) Dr. Mathew is not guilty because he acted in good faith knowing fully well that john will be /डॉ. मैथू दोषी नहीं है क्योंकि उन्होंने सद्भाव से अच्छी तरह यह जानते हुए कार्य किया कि जॉन मरेगा

(d) the matter being subjective, no specific decision can be given/मामला व्यक्तिपरक है, कोई विर्निदिष्ट निर्णय नहीं दिया जा सकता है

Bihar (HJS) 2016

Ans. (c) : उक्त समस्या में डा. मैथ्यू सद्भावपूर्वक मरीज को बचाने के लिए जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है का आपरेशन किया लेकिन मरीज की मृत्यु हो गयी। ऐसी परिस्थिति में डा. मैथ्यू को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 92 का बचाव मिलेगा तथा वह किसी अपराध का दोषी नहीं होगा।

धारा 92 सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किये गए कार्य में संरक्षण प्रदान करता है।

123. A, a surgeon, sees a child suffer an accident which is likely to prove, fatal unless an operation be immediately performed. There is no time to apply to the child's guardian. A performs the operation inspite of the entreaties of the child, in good faith, for the child's benefit. The child died. A has committed :
क, एक शल्य चिकित्सक, यह देखता है कि एक शिशु की ऐसी दुर्घटना हो गई है जिसका प्राणांतक साबित होना सम्भाव्य है, यदि शल्यकर्म तुरन्त न कर दिया जाए। इतना समय नहीं है कि उस शिशु के संरक्षक से आवेदन किया जा सके। क, सद्भावपूर्वक शिशु के फायदे का आशय रखते हुए शिशु के अन्यथा अनुनय करने पर भी शल्यकर्म करता है। शिशु की मृत्यु हो जाती है। क ने अपराध कारित की है -

(a) culpable homicide/आपराधिक मानव वध का

(b) murder/हत्या का

(c) attempt to murder/हत्या करने का प्रयत्न

(d) no offence/कोई अपराध नहीं

UP (APO) 2007 (Special)

Ans: (d) प्रश्नगत समस्या भारतीय दण्ड संहिता की धारा 92 के दृष्टांत (ग) पर आधारित है। धारा 92 के आवश्यक तत्त्व निम्न हैं—

(1) कार्य एक व्यक्ति के फायदे के लिए किया गया हो,

(2) कार्य सद्भावपूर्वक किया गया हो,

(3) मामले की परिस्थितियों के अनुसार कार्य युक्ति संगत हो,

(4) कार्य बिना उसकी सहमति के या उसके बदले किसी अन्य व्यक्ति की सहमति के बिना किया गया हो

धारा 92 के निम्न अपवाद हैं—

(1) साशय मृत्यु कारित करना

(2) कोई ऐसा कार्य करना जिससे कर्ता जानता था कि मृत्यु हो सकती है निम्न के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन के लिए— (क) मृत्यु या गंभीर चोट को अपवर्जित करने, या (ख) किसी घातक बीमारी या व्याधि के उपचार के लिए।

(3) मृत्यु या चोट को अपवर्जित करने के अतिरिक्त अन्य किसी उद्देश्य हेतु स्वेच्छापूर्वक कपट करना या चोट कारित करने का प्रयास करना।

(4) उपरोक्त तीनों को दुष्प्रेरित करना।

124. A is in a house which is on fire, with Z, a child. People below hold out a blanket. A drops the child from the house-top, knowing it to be likely that the fall may kill the child but not intending to kill the child, and intending, in good faith, the child's benefit, and the child dies:-
Which of the following offence has been committed by A?
एक शिशु य के साथ क एक जलते हुए गृह में है। गृह के नीचे लोग एक कम्बल तान लेते हैं। क उस शिशु को यह जानते हुए कि संभाव्य है कि गिरने से वह शिशु मर जाए किन्तु उस शिशु को मार डालने का आशय न रखते हुए और सद्-भावपूर्वक उस शिशु के

फायदे के आशय से गृह-छत पर से नीचे गिरा देता है एवं शिशु की मृत्यु हो जाती है-
क ने निम्न में से कौन-सा अपराध कारित किया है?

(a) Section 304-A, of Indian Penal Code, 1860/भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 304-क
(b) Section 304-A Part-II, of Indian Penal Code, 1860
भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 304 भाग II
(c) Section 302, of Indian Penal Code, 1860
भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 302
(d) A has committed no offence
क ने कोई अपराध कारित नहीं किया है

U.P. P.C.S. 2015
Rajasthan (J) 2015

Ans. (d) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता की धारा 92 के दृष्टान्त (d) पर आधारित है, जिसके अनुसार, A ने कोई अपराध नहीं किया। धारा 92 के अनुसार, सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य अपराध नहीं है।

125. 'K' is in a house which is on fire with a three month old baby. People below hold out a blanket. K drops the baby from the house-top, knowing it well that the fall may kill the baby. His intention was not to kill but in good faith and for the benefit of the baby. Unfortunately the baby dies by the fall. Which one of the following is the correct legal position in this case?
'K' तीन महीने के बच्चे के साथ ऐसे घर में है जिसमें आग लगी है। नीचे के लोग कंबल पकड़े हुए है। 'K' यह अच्छी तरह जानते हुए कि गिरने से बच्चे की मौत हो सकती है, बच्चे को घर के ऊपर से गरा देता है। उसका इरादा बच्चे को मारना नहीं था बल्की वह सद्भावनापूर्वक और बच्चे के लाभ के लिए कार्य कर रहा था। दुर्भाग्यवश गिरने से बच्चे की मौत हो जाती है। इस मामले में निम्नलिखित में से कौन-सी सही कानूनी स्थिति है?

(a) 'K' would be guilty of culpable homicide of third degree / 'K' तीसरे श्रेणी के आपराधिक मानव वध के लिए दोषी होगा।
(b) 'K' would be guilty of causing death by rashness
'K' उतावलेपन से मृत्यु कारित करने का दोषी होगा।
(c) 'K' would be guilty of causing accidental death due to negligent act/'K' लापरवाह कृत्य के द्वारा आकस्मिक मृत्यु कारित करने का दोषी होगा।
(d) 'K' would not be guilty of any offence
'K' किसी अपराध का दोषी नहीं होगा।

CBI (PP/APP) 2021
Delhi (APP)2021

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

126. 'B' is drowning and insensible 'A' in order to save his life, pulls him out of the water with a hook which injures him. 'A' is guilty of
'ख' डूब रहा है और बेहोश है। 'क' उसके जीवन की रक्षा के लिये उसके एक काँटे द्वारा पानी के बाहर खींचता है जिसके परिणामस्वरूप उसको क्षति पहुँचती है। 'क' दोषी है

(a) using criminal force
आपराधिक बल का प्रयोग करने का
(b) voluntarily causing hurt
स्वेच्छया उपहति कारित करने का
(c) voluntarily causing grievous hurt
स्वेच्छया घोर उपहरित कारित करने का
(d) no offence/किसी अपराध का दोषी नहीं है

UP (APO) 2018

Ans. (d) : प्रस्तुत समस्या **भा0द0सं0** की **धारा 92 (सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य)** पर आधारित है। प्रश्न में 'क', 'ख' की सम्मति के बिना उसके फायदे के लिए सद्भावपूर्वक कार्य कर रहा है जिसके परिणामस्वरूप 'स' को क्षति पहुँचती है इसलिए 'क' किसी अपराध का दोषी नही होगा।

127. 'M' a quack, the uneducated in matters of surgery, had performed an operation on a man for internal piles with the help of ordinary Knife, unlike previous occasions, for which the man died due to haemorrhage. Decide on M's liability.
'M' एक नीम हकीम है, सर्जरी के मामलों में अशिक्षित है, उसने साधारण छुरी के साथ आंतरिक अर्श (बवासीर) से ग्रस्त व्यक्ति का ऑपरेशन किया और पिछले अनुभवों के विपरीत इस बार रक्तस्राव के कारण उसकी मृत्यु हो गई। 'M' के दायित्व का फैसला करे–

1. **'M' is a recognised quack and hence not liable**
'M' मान्यता प्राप्त नीम हकीम है, इसलिये दायी नहीं है
2. **'M' profession is not legally acceptable hence liable/'M' का पेशा कानूनी तौर पर स्वीकार्य नहीं है इस कारण वो दायी है**
3. **'M' is not liable because the man consented for such operation/'M' दायी नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति ने इस ऑपरेशन के लिये अपनी सहमति दी थी**
4. **'M' is not liable because the man operational syndrome/'M' दायी नहीं है, क्योंकि यह ऑपरेशन उत्तरोत्तर संलक्षण है**

The probable answer is
उत्तर है–

(a) Statement 1 is correct/अभिकथन 1 सही है
(b) Statement 2 is correct/अभिकथन 2 सही है
(c) Statement 3 is correct/अभिकथन 3 सही है
(d) Statement 3 and 4 are correct
अभिकथन 3 और 4 सही है

UGC (NET) June, 2012

Ans. (b) : प्रस्तुत मामले में 'M' का पेशा कानूनी तौर पर स्वीकार्य नहीं है, अतः वह उत्तरदायी है। भा.द.सं. 1860 के धारा 92 में सद्भावपूर्वक फायदे के लिए सम्मति के बिना कार्य बचाव है किन्तु यह तभी जब कि कृत्य विधिपूर्ण हो प्रस्तुत मामले में 'M' का कृत्य न तो विधिपूर्ण है और न ही वह सद्भाव पूर्वक कार्य किया है। अतः वह उत्तरदायी है।

नोट- सुकरु कविराज का वाद इस विषय पर महत्वपूर्ण है।

128. According to which section of Indian Penal Code 1860, No communication made in good faith is an offence by reason of any harm to the person to whom it is made, If it is made for the benifit of that person?
भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की किस धारा के अनुसार, सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना उस अपहानि के कारण अपराध नहीं है, जो उस व्यक्ति को हो जिसे वह दी गई है, यदि वह उस व्यक्ति के फायदे के लिए दी गई हो?

(a) Sec. 92/धारा 92 (b) Sec. 93/धारा 93
(c) Sec. 94/धारा 94 (d) Sec. 95/धारा 95

Rajasthan (APO) 2015

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 93 के अनुसार, सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना उस अपहानि के कारण अपराध नहीं है, जो उस व्यक्ति को हो जिसे वह दी गई है, यदि वह उस व्यक्ति के फायदे के लिए दी गई हो।

129. 'A' surgeon, in good faith communicates to a patient his opinion that he cannot live. The patient dies in consequence of the shock, Determine the liability of A.
'क' शल्य चिकित्सक सद्भावना से एक रोगी को बताता है कि उसकी राय में वह जीवित नहीं रह सकता है। परिणामतः रोगी की आघात से मृत्यु हो जाती है। 'क' के दायित्व का निर्धारण करें।

(a) A is guilty as he should have withheld the communication
क' दोषी है, उसको जानकारी नहीं बतानी चाहिए थी।
(b) A is not guilty as he did it for the benefit of the person/'क' दोषी नहीं है, उसने ऐसा व्यक्ति के फायदे के लिए किया।
(c) A is not guilty as he did not give any false hopes
'क' दोषी नहीं है, उसने कोई मिथ्या आशा नहीं दी।
(d) Both (b) and (c) are correct
(b) और (c) दोनों सही है।

Uttarakhand (APO) 2021

Ans. (d) : प्रस्तुत समस्या भा.द.सं. की धारा 93 के दृष्टान्त पर आधारित है जिसके अनुसार 'क' दोषी नहीं है क्योंकि उसने ऐसा व्यक्ति के फायदे के लिए किया है। धारा 93 के अनुसार, सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना उस अपहानि के कारण अपराध नहीं है, जो उस व्यक्ति को हो जिसे वह दी गई है, यदि वह उस व्यक्ति के फायदे के लिए दी गई हो।

130. 'A' a doctor says to his patient 'B' that he has been suffering from AIDS. Hearing this B's heart stopped and died. A has committed no offence, because
'अ', एक डॉक्टर, ने अपने मरीज 'ब' को बताया कि उसे एड्स हो गया है। यह सुनकर 'ब' की हृदय गति रुक गई तथा उसकी मृत्यु हो गई। 'अ' ने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि-

(a) It was A's duty to inform the patient about his disease/'अ' का यह कर्तव्य था कि वह रोगी को उसके रोग के विषय में बताए
(b) A did not know that B was suffering from heart disease
'अ' को यह ज्ञात नहीं था कि 'ब' को हृदय रोग है
(c) A informed in good faith
'अ' ने सद्भावनापूर्वक संसूचना दी
(d) A in not obliged to speak only sweet words to his patients/'अ' की यह बाध्यता नहीं है कि वह अपने रोगियों से केवल मधुर बातें ही करे।

Uttarakhand (J) 2015
MPHC CJ 1983

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

131. 'A' a blacksmith is seized by a gang of dacoits and forced by threat of instant death to take his tools and to force the door of B's house. The dacoits ten in numer, loot B's money and jewels and kill B's son 'A':
'अ' एक लुहार, डाकुओं की एक टोली द्वारा अभिगृहित किया जाता है और तत्काल मृत्यु की धमकी द्वारा अपने औजार लेकर 'ब' के गृह का द्वार तोड़ने को विवश किया जाता है। डाकू जिसकी संख्या 10 है, गृह में प्रवेश करते हैं, 'ब' का धन और आभूषण लूट लेते हैं और 'ब' के पुत्र का वध कर देते हैं।

(a) Is guilty of dacoity with murder
हत्या सहित डकैती का दोषी है।
(b) Is guilty of house breaking and abetment of dacoity
गृह भेदन तथा डकैती के दुष्प्रेरण का दोषी है।
(c) Is not guilty of any offence
किसी भी अपराध का दोषी नहीं है।
(d) Is guilty of making preparation to commit dacoity
डकैती करने के लिए तैयारी करने का दोषी है।

MPHC CJ 1996, 2020
Chhattishgarh (J) 2003

Ans. (c) प्रस्तुत समस्या में 'अ' किसी भी अपराध का दोषी नहीं है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 94 के स्पष्टीकरण 2 के अनुसार- डाकुओं की एक टोली द्वारा अभिग्रहीत और तत्काल मृत्यु की धमकी द्वारा किसी बात के करने के लिए, जो विधितः अपराध है, विवश किया गया व्यक्ति इस अपवाद का फायदा उठाने के लिए हकदार है। धारा 94 'अ' को बचाव उपलब्ध कराती है। अत: अ दोषी नहीं है।

132. 'Y' is theatened by 'X' to kill 'P' otherwise 'X' will kill 'Y'. In consequence, 'Y' kills 'P' and 'P' died. Act of 'Y' covers under which section?
'एक्स' के द्वारा 'वाई' को धमकी दी जाती है कि 'वाई', 'पी' को गोली मार दे अन्यथा 'वाई' को 'एक्स' गोली मार देगा। इस पर 'वाई', 'पी' को गोली मार देता है और 'पी' मर जाता है। 'वाई' का कृत्य आयेगा-

(a) Sec. 94/भा.दं.सं. की धारा 94 में
(b) Sec. 93/भा.दं.सं. की धारा 93 में
(c) Sec. 302/भा.दं.सं. की धारा 302 में
(d) None of the above/उपरोक्त में से किसी में नहीं

Rajasthan (APO) 2007

Ans. (a) : प्रस्तुत समस्या में वाई का कृत्य धारा 94 के अन्तर्गत आएगा परन्तु वह धारा 94 का बचाव प्राप्त नहीं कर सकता है। धारा 94 के अनुसार, हत्या और मृत्यु से दण्डनीय उन अपराधों को, जो राज्य के विरुद्ध है, छोड़कर कोई बात अपराध नहीं है, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए, जो उसे करने के लिए ऐसी धमकियों से विवश किया गया हो, जिनसे उस बात को करते समय उसको युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो गई हो कि अन्यथा परिणाम यह होगा कि उस व्यक्ति को तत्काल मृत्यु हो जाए, परन्तु यह तब जब कि उस कार्य को करने वाले व्यक्ति ने अपनी ही इच्छा से या तत्काल मृत्यु से कम अपनी अपहानि की युक्तियुक्त आशंका से अपने को उस स्थिति में न डाला हो, जिसमें कि वह ऐसी मजबूरी के अधीन पड़ गया है।
चूँकि धारा 94 का बचाव हत्या के मामले में नहीं मिलता है अतः वह (वाई) पी की हत्या का दोषी होगा।

133. Read the following :
निम्न पर विचार कीजिए :

(1) The maxim "Actus me invito factus non est mens acts" finds application in Section 94 of I.P.C.
''मेरे द्वारा, मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है।'' सिद्धान्त ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 94 में स्थान पाया है।

(2) The maxim "deminimis non curat lex" has been incorporated in Section 95 of I.P.C.
Of the above :
''विधि तुच्छ कार्यों पर ध्यान नहीं देती है'' का सिद्धान्त भारतीय दण्ड संहिता की धारा 95 में निगमित है।
उपरोक्त में

(a) (1) is true but (2) is false.
(1) सही है, किन्तु (2) गलत है।
(b) (1) is false but (2) is true
(1) गलत है, किन्तु (2) सही है।
(c) Both (1) and (2) are true
(1) तथा (2) दोनों सहीं हैं।
(d) Both (1) and (2) are false.
(1) तथा (2) दोनों गलत हैं।

UP (APO) 2015

Ans. (c) : धारा 94 में 'वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया हो' के बारे में प्रावधान किया गया है जो **"Actus me invito factus non est mens acts" 'मेरे द्वारा मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है'** के सिद्धांत पर आधारित है जबकि धारा 95 में 'तुच्छ अपहानि कारित करने वाले कार्य के बारें में प्रावधान किया गया है जो इस सिद्धांत पर आधारित है कि ''विधि तुच्छ कार्यों पर ध्यान नहीं देती है।' (deminimis non-curat lex) अतः दोनों कथन सत्य हैं।

134. Which Section of IPC is based on the maxim "de minimis non curat lex" (the law takes no account of trifles)?
भारतीय दण्ड संहिता की कौन-सी धारा ''विधि तुच्छ बातों को ध्यान में नहीं लेती'' (*de minimis non curat lex)* के सिद्धान्त पर आधारित है?

(a) Section 91/धारा 91 (b) Section 92/धारा 92
(c) Section 94/धारा 94 (d) Section 95/धारा 95

Uttrakhand (J) 2016
Uttrakhand (APO) 2009
MPHC CJ 2013 Shift-I
MPHC CJ 2018 Shift-II

Ans. (d) : डिमिनिमिस नॉन क्यूरेट लैक्स का सिद्धान्त भारतीय दण्ड संहिता की धारा 95 में उपबंधित है जिसका अर्थ है- ''विधि तुच्छ'' बातों पर ध्यान नहीं देती।
धारा 95 के अनुसार- कोई बात इस कारण से अपराध नहीं है कि उससे कोई अपहानि कारित होती है या कारित की जानी आशयित है या कारित होने की सम्भाव्यता ज्ञात है, यदि वह इतनी तुच्छ है कि मामूली समझ और स्वभाव वाला कोई व्यक्ति उसकी शिकायत न करेगा।

135. 'A' picked up a match box belonging to 'B' and lighted his cigarettee with it. 'B' charged 'A' with the offence of theft of his match box. In these circumstances 'A' can defend himself with the help of which one, of the following maxims?
'A' ने 'B' की माचिस उठा कर अपनी सिगरेट जला ली। 'B' ने अपनी माचिस की चोरी का आरोप 'A' पर लगाया। इन परिस्थितियों में निम्नलिखित में से किस सूत्र की सहायता से 'A' अपना बचाव कर सकता है?

(a) Non compos mentis/ नान कॉपोस मेन्टिस
(b) Doli Incapax /डाली इनकेपेक्स
(c) Deminimis non curat lex
डिमिनिमिस नॉन क्यूरेट लैक्स
(d) Ignorantia juris non excusat
इग्नीरेन्सिया ज्यूरिस नॉन एक्स्क्यूजेट

UPPCS (J) 2013

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

136. The maxim 'de minimis non curat lex' means
मैक्सिम 'डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स' का तात्पर्य है–

(a) law would not take action on small and trifling matter/विधि तुच्छ एवं महत्वहीन मामले में कार्यवाही नहीं करेगी

(b) law does not ignore any act which causes the slightest harm/विधि किसी भी ऐसे कार्य की उपेक्षा नहीं करेगी, जिससे छोटी-से-छोटी उपहानि होती हो

(c) law would not take action in serious matters/ विधि गम्भीर मामलों में कार्यवाही नहीं करेगी

(d) All of the above/उपर्युक्त सभी

JPSC (APO) 2012

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

137. The principle underlying in Section 95 of IPC is/भारतीय दण्ड संहिता की धारा 95 में अन्तर्निहित सिद्धांत है-

(a) de minimis non curat lex
डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स

(b) Volenti non fit injuria/वालेन्टी नॉन फिट इन्जूरिया

(c) Non compos mentis/नॉन कॉम्पोस मेन्टिस

(d) Actus me invito factus non est mens actus
ऐक्टम में इनवाइटो फैक्ट्स नॉनइस्ट मेन्स ऐक्ट्स

Jharkhand (J) 2016

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

138. Which one of the following conclusions can be drawn from the maxim de minimis non-curat lex?/निम्नलिखित में से कौन-सा निष्कर्ष इस कहावत 'डि मिनिमिस नॉन-क्यूरेट लेक्स' से निकाला जा सकता है?

(a) Necessity knows no law
आवश्यकता कोई कानून नहीं जानता है

(b) Nothing is an offence done by a child under 7 years of age/7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे द्वारा किया गया काम अपराध नहीं है

(c) Every person is liable for his own acts
प्रत्येक व्यक्ति अपने कृत्यों के लिए उत्तरदायी है

(d) Trifling acts do not constitute an offence
तुच्छ कृत्य अपराध नहीं बनते

Jharkhand (J) 2019

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

139. Act causing slight harm-
तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य–

(a) is an offence/एक अपराध है

(b) is not an offence /अपराध नहीं है

(c) is not an offence, if that harm is so slight that no person of ordinary sense and temper would complain of such harm./अपराध नहीं है, यदि वह इतनी तुच्छ है कि मामूली समझ और स्वभाव वाला कोई व्यक्ति शिकायत न करे

(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

BPSC (APO) 2009

Ans : (c) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

140. The maxin "De Minimis non curat lex" relates to…….'
''डी मिनिमिस नान कुरट लेक्स''–सूक्ति का संबंध किससे है?

(a) Slight harm/अल्प अपहानि

(b) Trifles/छोटी सी बात

(c) Exhibition of disrespect/अपमान-प्रदर्शन

(d) Annoyance/क्षोभ

UGC (NET) June, 2014 Paper-II

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

141. Which one of the following set of Sections of IPC provides for the right of private defence?
निम्नलिखित में से कौन-सी धाराओं का समूह भा.द.सं. के अधीन प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रावधान करती है?

(a) Sections 107 to 120/धाराएँ 107 से 120

(b) Sections 121 to 133/धाराएँ 121 से 133

(c) Sections 76 to 105/धाराएँ 76 से 105

(d) Sections 96 to 106/धाराएँ 96 से 106

U.P. Lower (SH) 2003
Uttarakhand (J) 2014

Ans : (d) भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 96-106 में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है।

142. Nothing is an offence which is done in the exercise of the right of private defence, has been provided under:
वह कोई अपराध नहीं है, जो निजी रक्षा के अधिकार के रूप में प्रयोग किया जाता है, का प्रावधान है:

(a) Section 88 of IPC/भारतीय दण्ड संहिता 88 में

(b) Section 96 of IPC/भारतीय दण्ड संहिता 96 में

(c) Section 90 of IPC/भारतीय दण्ड संहिता 90 में

(d) Section 92 of IPC/भारतीय दण्ड संहिता 92 में

Chhattisgarh (ADPO)2021

Ans. (b) : भा.द.सं. की धारा 96 में प्रावधान है कि कोई बात अपराध नहीं है, जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है।

143. What is not correct about the self defence?
स्वयं की प्रतिरक्षा के बारे में क्या सत्य नहीं है?

(a) Nothing is offence which is done in exercise of right of private defence
स्वयं की प्रतिरक्षा में किया गया कार्य अपराध नहीं है

(b) Right of private defence is extended to causing death in the case of robbery
लूट के प्रकरण में व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु करने तक विस्तृत है

(c) Right of private defence is extended to causing death in defamation case
मानहानि के प्रकरण में व्यक्तिगत प्रतिरक्षा अधिकार मृत्यु करने तक विस्तृत है

(d) There is no right of private defence, if there is time to have recourse to the protection of public authorities.
यदि लोक सेवक से सुरक्षा प्राप्त करने का समय उपलब्ध हो तो व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है

MPHC CJ 2007

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 96 से 106 तक प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार के सम्बन्ध में प्रावधान है।
धारा 97 के अनुसार - प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर या अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा का अधिकार है।
धारा 100 में उन दशाओं का वर्णन है जिनमें शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा में किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित किया जा सकता है।
धारा 99 के अनुसार - जहाँ लोक सेवक की सहायता प्राप्त किया जा सकता हो वहा प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार नहीं है।
धारा 103 के अनुसार - कब सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है।
अतः मानहानि के प्रकरण में प्राइवेट प्रतिरक्षा में मृत्यु कारित नहीं की जा सकती है।

144. Nothing shall be an offence:
ऐसा कुछ भी अपराध नहीं होगा-

(a) If it done by consent
यदि वह सहमति से किया गया हो
(b) If it done by a person under threat/यदि वह किसी व्यक्ति द्वारा धमकी के अन्तर्गत किया गया हो
(c) If it is communication/यदि वह संचार है
(d) If it done under the right to private defence/यदि वह प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में किया गया हो

MP (ADPO) 1995

Ans : (d) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 96 के अनुसार, कोई बात अपराध नहीं है, जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है।

145. Right to private defence is available to all irrespective of gender and age of persons except:
प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार सभी को उपलब्ध है, व्यक्ति के लिंग व आयु के बावजूद, सिवायः

(a) Police officers/पुलिस अधिकारियों को
(b) Officers of armed forces
सशस्त्र सेना के अधिकारियों को
(c) Aggressors/आक्रमणकर्ताओं को
(d) Officers of B.S.F./बी.एस.एफ. के अधिकारियों को

Uttarakhand (J) 2019

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 96-106 तक प्राइवेट प्रतिरक्षा से सम्बन्धित विधि का उपबंध किया गया है। भारतीय दण्ड संहिता में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आक्रमणकर्ता को उपलब्ध नहीं है। **उ.प्र. राज्य बनाम पुसु 1983 S.C.** के वाद में न्यायालय ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं मिलता जो स्वयं आक्रमणकर्ता हो।

146. Right of private defence is available against
प्राइवेट डिफेंस (निजी प्रतिरक्षा) का अधिकार उपलब्ध हैः

(a) an offence/एक अपराध के विरूद्ध
(b) an offender/एक अपराधी के विरूद्ध
(c) both offence and offender
दोनों अपराध और अपराधी के विरूद्ध
(d) an accused/एक अभियुक्त के विरूद्ध

JPSC (APO) 2019

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 96-106 तक प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में प्रावधान किया गया है। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मानव शरीर या सम्पत्ति के विरुद्ध हुए अपराध में उपलब्ध है (धारा 97), अतः निजी प्रतिरक्षा का अधिकार 'एक अपराध के विरुद्ध' उपलब्ध है न कि अपराधी के विरुद्ध।

147. The right of private defence is available/प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध है–

(a) Only to adults/केवल वयस्कों को
(b) Only to those who are capable of to lawfull commit crime/केवल उनको जो विधिपूर्ण अपराध कारित करने के लिए सक्षम हैं
(c) Only to the public servants/केवल लोक सेवकों को
(d) to all, irrespective of age and capacity/बिना आयु अथवा सक्षमता की अपेक्षा के सभी को

MP (ADPO) 2009 Paper-II

Ans.(d): भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार बिना किसी आयु या सक्षमता की अपेक्षा किये सभी को प्राप्त है। संहिता की धारा 96 के अनुसार, कोई बात अपराध नहीं है, जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है।

148. Read the following situations and choose the correct one, where right of private defence is available:
निम्नलिखित स्थितियों को पढ़कर सही उत्तर का चयन कीजिए जिसमें निजी सुरक्षा का अधिकार उपलब्ध है।

(a) Against an act done or attempted to be done by a public servant
किसी लोक सेवक द्वारा किए जा चुके या करने के लिए प्रयास किए जाने वाले कार्य के विरुद्ध
(b) Where there is time available to have recourse to state authorities/जहाँ राज्य अधिकारियों को सूचित करने का समय उपलब्ध हो
(c) Where there is a reasonable apprehension of causing injury to third person/जहाँ तीसरे पक्ष को हानि पहुँचाए जाने की उचित आशंका हो
(d) Where harm caused in no case should exceed the quantum of harm/जहाँ हानि होती हो वहाँ किसी भी मामले में हानि मात्रा से अधिक न हो

UGC (NET) June, 2015 Paper-III

Ans. (c) : जहां तीसरे पक्ष को हानि पहुँचाए जाने की उचित आशंका हो वहां निजी सुरक्षा का अधिकार उपलब्ध होता है।

भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 96 से 106 तक निजी सुरक्षा के अधिकार से सम्बन्धित प्रावधान है। धारा 97 स्पष्ट करती है कि अपने अथवा अन्य व्यक्ति के शरीर या सम्पत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है।

149. The right of private defence is available to:
निजी प्रतिरक्षा का अधिकार निम्नलिखित को उपलब्ध है–

(a) The aggressor/आक्रामक
(b) The person who has attacked
वो व्यक्ति जिसने प्रहार किया है
(c) The aggressor and the victim
आक्रामक और पीड़ित
(d) The Act done is defence of a person who was attacked/जिस पर प्रहार किया गया है उस व्यक्ति की रक्षा में किये गये कार्य के विरुद्ध आक्रामक

UGC (NET) June, 2010

Ans. (d) : निजी प्रतिरक्षा का अधिकार I.P.C की धारा 96 से 106 तक प्रावधानित किया गया है तथा धारा 97 में उन परिस्थितियों की व्याख्या की गई है जिसके अधीन निजी प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध है।
धारा 97 में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर और सम्पत्ति तथा अन्य व्यक्ति के शरीर और सम्पत्ति की प्रतिरक्षा का अधिकार है।

150. Assertion (A) : Nothing is an offence which is done in the existence of the right of private defence.
Reason (R) : Where the aid of the society cannot be obtained, individual may do everything necessary to protect himself.
कथन (A) : कोई बात अपराध नहीं है, जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है।
कारण (R) : जहाँ समाज की सहायता प्राप्त नहीं हो सकती है, वहाँ व्यक्तिगत रूप से अपनी सुरक्षा हेतु सभी आवश्यक कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं।
Codes/कूट :

(a) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)/A तथा R दोनों सही हैं, तथा R, A की सही व्याख्या है।
(b) Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A)/A तथा R दोनों सही हैं, किन्तु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(c) (A) is true but (R) is false
A सही है, किन्तु R गलत है।
(d) (A) is false but (R) is true
A गलत है, किन्तु R सही है।

UP (APO) 2002

Ans: (a) यहाँ पर कथन A और कारण R दोनो सही हैं। R, A का सही व्याख्या है। क्योंकि जहाँ समाज या राज्य की सहायता व्यथित व्यक्ति को नही मिल सकती वहाँ वह अपनी रक्षा स्वयं कर सकता है।

151. In which of the following cases, the Supreme Court has observed that there is no right of private defence against the right of private defence?
निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होता?

(a) State of Punjab v. Sohan Singh
पंजाब राज्य बनाम सोहन सिंह
(b) Surjeet Singh v. State of Punjab
सुरजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य
(c) State of U.P. v. Ram Swaroop
उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राम स्वरूप
(d) M.R. Singh v. State of Gujrat
एम. आर. सिंह बनाम गुजरात राज्य

UP (APO) 2006

Ans. (c) उ0प्र0 राज्य बनाम राम स्वरूप 1974 S.C. के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के विरूद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होता है। अर्थात् आक्रमणकर्ता को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होता है।

152. In which of the following cases it was held that 'to establish right of private defence' accused has to lay evidence in this respect?
निम्न प्रकरणों में से किसमें यह कहा गया है कि 'व्यक्तिगत प्रतिरक्षा' के अधिकार को स्थापित करने हेतु अभियुक्त को इस संबंध में साक्ष्य पेश करना चाहिये?

(a) V. Subramani and another V. State of Tamil Nadu, 2005 Cr. L.J. 1727/वी. सुब्रमणी एवं अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य, 2005 क्रि.लॉ ज. 1727
(b) Arjun V. State of Maharashtra, AIR 2012 SC 2118/अर्जुन बनाम महाराष्ट्र राज्य, ए.आई.आर. 2012 एस.सी. 2281
(c) Ranjitham V. Basavraj, AIR 2012 SC 2181/रांजीथम बनाम बासव राज, ए.आई.आर. 2012 एस.सी. 2181
(d) Buta Singh V. State, AIR 1991 SC 1316/बूटा सिंह बनाम राज्य, ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 1316
(e) None of these/इनमें से कोई नहीं

Chhattishgarh (ADPO) 2013

Ans. (c) : रंजीथम बनाम बासव राज्य (AIR 2012, SC : 2181) के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि अभियुक्त को ही यह साबित करने के लिए साक्ष्य देना पड़ेगा कि उसका कार्य व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अन्तर्गत आता है।

- **श्री सुब्रमणि बनाम तमिलनाडु राज्य, (2004)**–यह अभिनिर्धारित किया गया कि क्षतियों की संख्या यह अवधारित करने के लिए सुरक्षित नहीं है कि आक्रमणकर्ता कौन है।
- **अर्जुन बनाम महाराष्ट्र राज्य (AIR 2012)**–इस मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि–प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार स्वेच्छा मृत्यु कारित करने के लिए तभी उपलब्ध है, जब अभियुक्त यह दर्शाता है कि या तो मृत्यु या गम्भीर उपहति उसे होगी।

- **बूटा सिंह बनाम राज्य (AIR 1991)**

इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि आक्रमणकर्ताओं को निहत्था करने के लिए उन्हें कितना चोट पहुँचाना आवश्यक है उसका नाप-तौल करना सम्भव नहीं है।

153. In a case of free fight between two parties–
दो पक्षकारों के बीच स्वतंत्र लड़ाई के मामले में–

(a) right of private defence is available to both the parties/प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार दोनों पक्षकारों को उपलब्ध है

(b) right of private defence is available to individuals against individual/प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार व्यक्तियों को व्यक्ति के विरुद्ध उपलब्ध है

(c) no right of private defence is available to either party/किसी पक्षकार को प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार उपलब्ध नहीं है

(d) right of private defence is available only to one party./प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार केवल एक पक्षकार को उपलब्ध है

UP (HJS) 2009

Ans. (c) : दो पक्षकारों के बीच स्वतंत्र लड़ाई के मामले में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार व्यक्तियों को व्यक्ति के विरूद्ध उपलब्ध नहीं है। स्वतंत्र सहमति से फलीभूत क्षति कार्यवाही योग्य नहीं होती है। चूंकि आत्म प्रतिरक्षा का अधिकार सदैव अपराध के विरुद्ध प्राप्त (धारा 96, 97) होता है।

इस प्रकार स्वतंत्र सहमति के अधीन किये गये कार्य के विरुद्ध आत्म प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा।

154. Section 97 of IPC expressly states that the right of private defence is subject to the restrictions contained in/भारतीय दण्ड संहिता की धारा 97 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उन निबन्धनों के अध्यधीन है, जो निहित है-

(a) Section 99 of IPC
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 99 के अंतर्गत

(b) Section 100 of IPC
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 100 के अंतर्गत

(c) Section 98 of IPC
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 98 के अंतर्गत

(d) Section 102 of IPC
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 102 के अंतर्गत

Jharkhand (J) 2016

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 97 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार धारा 99 में अंतर्विष्ट निबन्धनों के अध्यधीन है।

धारा 97 व्यक्ति को शरीर तथा सम्पत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा व अधिकार प्रदान करता है, जबकि धारा 99 प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को नियंत्रित करता है।

155. Right to private defence extends to :
प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार है -

(a) defence of body only
केवल शरीर की प्रतिरक्षा तक

(b) defence of property only
केवल सम्पत्ति की प्रतिरक्षा तक

(c) defence of body and property
शरीर एवं सम्पत्ति दोनों की प्रतिरक्षा तक

(d) none of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

MPHC CJ 2017

Ans. (c) : प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार शरीर एवं सम्पत्ति दोनों तक विस्तारित है। दण्ड संहिता की धारा 97 में वर्णीत है कि हर व्यक्ति को अधिकार है कि वह –

(1) अपने शरीर तथा किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करें,
(2) अपने या अन्य व्यक्ति की सम्पत्ति (चल या अचल) की प्रतिरक्षा करें।

156. No right of private defence of property is available against the offence of:
सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है:

(a) Criminal breach of trust
आपराधिक न्यासभंग के अपराध के प्रति

(b) Theft/चोरी के अपराध के प्रति

(c) Robbery/लूट के अपराध के प्रति

(d) Criminal Trespass
आपराधिक अतिचार के अपराध के प्रति

U.P. Lower -2004
UPPCS (J)-2018

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 97 के खण्ड (2)** के अनुसार, निम्नलिखित अपराधों के विरुद्ध सम्पत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध है-

(1) चोरी
(2) लूट
(3) रिष्टि
(4) आपराधिक अतिचार
(5) इनमें से किसी का प्रयत्न

157. The right to private defence is available to which of the following?
प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार निम्नलिखित में से किसके लिए उपलब्ध है?

(a) Harm to body/शरीर को क्षति के सम्बन्ध में

(b) Harm to movable property
जंगम सम्पत्ति के क्षति के सम्बन्ध में

(c) Harm to immovable property
स्थावर सम्पत्ति के क्षति के सम्बन्ध में

(d) All of the above/उपरोक्त सभी के सम्बन्ध में

Uttarakhand (J) 2012

Ans : (d) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 97 का **प्रथम खण्ड** यह प्रावधान करता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने या किसी दूसरे के शरीर की आत्मरक्षा का अधिकार ऐसे अपराधों के विरुद्ध है, जो मानव शरीर से सम्बन्धित है।

इस धारा के **दूसरे खण्ड** के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, लूट, रिष्टि या आपराधिक अतिचार है, या उनका प्रयत्न है, अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की चाहे व सम्पत्ति जंगम हो या स्थावर की प्रतिरक्षा करने का अधिकार है।

158. Z, under the influence of madness attempts to kill A. In this case which of the following is correct?
य, पागलपन के असर में, क को जान से मारने का प्रयत्न करता है। इस मामले में निम्नलिखित में से कौन सही है?

(a) Z is guilty of attempt to murder, but A has right of private defence/य हत्या के प्रयास का दोषी है, लेकिन क प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार रखता है

(b) Z is guilty of no offence, but A has the right of private defence/य किसी अपराध का दोषी नहीं है, लेकिन क प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार रखता है

(c) Z is guilty of no offence, but A has no right of private defence/य किसी अपराध का दोषी नहीं है, परन्तु क को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं हैं

(d) None of the above is correct
उपरोक्त में कोई सही नहीं है

Uttarakhand (APO) 2009

Ans. (b) : प्रश्नगत समस्या भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 98 के दृष्टांत (क) पर आधारित है। धारा 98** 'ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार' जो विकृतचित्त आदि हो' के सम्बन्ध में प्रावधान करती है, जिसके अनुसार, जबकि कोई कार्य, जो अन्यथा कोई अपराध होता, उस कार्य को करने वाले व्यक्ति के बालकपन, समझ की परिपक्वता के अभाव, चित्तविकृति या मत्तता के कारण या उस व्यक्ति के किसी भ्रम के कारण, वह अपराध नहीं है, तब हर व्यक्ति उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है, जो वह उस कार्य के वैसा अपराध होने की दशा में रखता। **प्रश्न में 'य'** पागलपन के असर में 'क' को जाने से मारने का प्रयत्न करता है। 'य' किसी अपराध का दोषी नहीं है। किन्तु 'क' को प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार है, जो वह 'य' के स्वस्थचित्त होने की दशा में रखता।

159. "Z" under the influence of involuntary drunkenness attempts to kill "A". Here "Z" is guilty of the offence of
''य'' स्वेच्छया मत्तता के प्रभाव में ''क'' को जान से मारने का प्रयत्न करता है। यहाँ ''य'' दोषी है अपराध से

(a) attempt to murder/हत्या के प्रयास से

(b) murder/हत्या के

(c) culpable homicide/आपराधिक मानववध के

(d) no offence/किसी भी अपराध से नहीं

Uttarakhand (APO) 2015

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्यख्या देखें।

160. 'A' an unsound mind, who is unaware of consequences of his act, attacks on 'B' with sward, 'B' defends himself with a stick in result of this event both were hurted graviously. It is right to say that-
'क' एक ऐसा पागल व्यक्ति है जो अपने कार्य के परिणामों से अनभिज्ञ है, 'ख' के ऊपर तलवार से आक्रमण करता है, 'ख' लाठी द्वारा अपना बचाव करता है और इस घटना में इन दोनों व्यक्तियों को गंभीर चोटें आती हैं। यह कहना सही कि:

(a) Both of them were not committed any offence
उक्त दोनों व्यक्तियों ने कोई अपराध नहीं किया है

(b) Only 'A' will be punished under sec-325 IPC/दोनों धारा 325 भारतीय दण्ड विधान के अधीन दोषी है

(c) Only 'A' will be punished under sec-325 IPC/केवल 'क' धारा 325 भारतीय दण्ड विधान में दोषी है

(d) 'B' exceeds his right to private defence/'ख' ने आत्मरक्षा के अपने अधिकार का अतिक्रमण किया है

MP (ADPO) 1993

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 98 के अनुसार, निम्नलिखित व्यक्तियों के विरुद्ध भी किसी व्यक्ति को आत्म प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त होगा-
1- 7 वर्ष से कम आयु के बालक (धारा 82)
2- 7 वर्ष से अधिक किन्तु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ का बालक (धारा 83)
3- विकृतचित्त व्यक्ति (धारा 84)
4- मत्त व्यक्ति (धारा 85,86)
5- भ्रमित व्यक्ति (धारा 90)
इस प्रकार प्रस्तुत समस्या में 'ख' को 'क' के विरुद्ध आत्मप्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त होगा यद्यपि 'क' का कार्य धारा 84 के प्रभाव से अपराध की श्रेणी में नहीं आता है।

161. In connection with right of private defence of body, give the correct response/ शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के सम्बन्ध में सही उत्तर दीजिए :

(a) This right is not available against an unsound person
यह अधिकार विकृतचित्त के विरुद्ध उपलब्ध नहीं होता है

(b) This right is not available against a person below 7 year of age/यह अधिकार 7 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के विरुद्ध उपलब्ध नहीं होता है

(c) This right is available against any person
यह अधिकार किसी के भी विरुद्ध उपलब्ध हो सकता है

(d) This right is not available against parents
यह अधिकार मां-बाप के विरुद्ध उपलब्ध नहीं होता है

MP (ADPO) 2010 Paper-II, 2003

Ans. (c): उपरोक्त प्रश्न की व्यख्या देखें।

162. Assertion (A): The right of private defence does not depend upon the actual criminality of the aggressor but on the wrongful character of the act attempted
Reason (R): Even if an act is treated as offence the right of private defence arises against the author despite his personal incapacity.
अभिकथन (A): प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आक्रामक व्यक्ति की वास्तविक आपराधिकता पर नहीं

बल्कि किए गए कृत्य की सद्भोष प्रकृति पर निर्भर होता है।

कारण (R): यदि किसी कृत्य को अपराध मान भी लिया जाय, कर्ता की वैयक्तिक अक्षमता के बावजूद, उसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उत्पन्न होता है।

Codes/कूट:

(a) (A) is correct principle because (R) is the right reason
(A) सत्य सिद्धांत है क्योंकि (R) सही कारण है

(b) (A) is untenable under law while (R) is the justifiable cause
(A) कानून के अन्तर्गत अमान्य है जबकि (R) न्याय संगत सिद्ध किया जा सकने वाला कारण है

(c) (A) is the law and unlawful act while (R) results without mens rea/(A) गैर कानूनी कृत्य पर कानून है जबकि (R) दुराशय के बिना उत्पन्न होता है

(d) (A) is not true while (R) is false
(A) असत्य है जबकि (R) असत्य है

UGC (NET) June, 2014 Paper-II

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्यख्या देखें।

163. "A" under the influence of unsoundness attempt to kill "B", "B" in attempting to defend himself caused grievous hurt to "A". Here
"A" विकृतचित्तता के प्रभाव में "B" को मारने का प्रयत्न करता है "B" स्वयं को बचाने के प्रयास में घोर उपहति कारित कर देता है यहाँ-

(a) "A" is liable for attempt to murder and "B" is liable for causing hurt/"A" हत्या के प्रयत्न के लिए तथा "B" घोर उपहति कारित करने हेतु दायित्वधीन है

(b) "A" commits no offence and "B" is liable for greivous hurt/"A" ने कोई अपराध नहीं किया, और "B" ने घोर उपहति का अपराध कारित किया।

(c) "B" commits no offence and "A" is liable for attempt to murder/"B" ने कोई अपराध नहीं किया, परन्तु "A" हत्या के प्रयत्न के लिए दोषी हैं।

(d) Both "A" and "B" are excused from liability/दोनों "A" तथा "B" को दायित्व से उन्मुक्त कर दिया जाएगा

Uttarakhand (J) 2015

Ans. (d**) :** उपरोक्त प्रश्न की व्यख्या देखें।

164. 'A' enters into the house of 'B' with the intention to commit theft. 'B' along with other members of his family surround and attack 'A' with wooden sticks. 'A' finding his life in danger fires with pistol causing death to 'B' Here 'A' has committed:
'ए' चोरी करने की मंशा से 'बी' के घर में घुसता है। 'बी' अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ 'ए' को घेरकर लकड़ी के डंडे से हमला करते हैं। अपनी जान को संकट में देखकर 'ए' पिस्टल से गोली चलाता है जिससे 'बी' की मौत हो जाती है। यहाँ 'ए' ने:

(a) No offence, as he acted in self-defence
कोई अपराध नहीं किया है, चूँकि उसने आत्मरक्षा के लिए कार्य किया है

(b) Theft/चोरी की है

(c) Culpable homicide not amounting to murder
हत्या की कोटि में न आने वाला आपराध्कि मानव वध किया है

(d) Murder/हत्या की है

UGC (NET) December, 2018 Paper-II

Ans. (d) : ए ने हत्या का अपराध कारित किया। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग धारा 99 के अधीन ही किया जा सकता है। ए के द्वारा प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के सीमाओं का अतिक्रमण करके हत्या का अपराध किया गया है।

165. "A" found "B" a feeble old woman, stealing his crop, and beats her so violently that she died. Here "A" would be liable for the offence of
''अ'' ने एक कमजोर वृद्धा ''ब'' को अपनी फसल चुराते पाया। ''अ'' ने उसे निर्दयतापूर्वक पीटा जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। यहाँ ''अ'' निम्न में से किस अपराध के लिए दायी होगा?

(a) causing grievous hurt
घोर उपहति कारित करने का

(b) murder/हत्या का

(c) culpable homicide/आपराधिक मानव वध का

(d) no offence on the basis of exercise of right of private defence of property/किसी अपराध के लिए नहीं क्योंकि उसने सम्पत्ति की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा करने के अधिकार का प्रयोग किया है

Uttarakhand (APO) 2015

Ans. (b) : प्रस्तुत समस्या में 'अ' ने एक कमजोर वृद्धा 'ब' को अपनी फसल चुराते पाया, इस कारण उसे धारा 99 के निर्बन्धों के अधीन अपनी सम्पत्ति की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त था और किन्तु धारा 99 के पैरा 4 के अधीन किसी भी व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में उतनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए जितना आवश्यक है। प्रस्तुत समस्या में 'अ' ने निर्दयतापूर्वक B को पीटा जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। 'अ' ने धारा 99 में दी गयी सीमा का अतिक्रमण कर दिया था अतः अः हत्या के लिए दोषी होगा।

166. Which of the factors fall under the limits within which the right of private defense should be exercised?
जिस सीमा के भीतर निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है, उसके अंतर्गत कौन से कारक आते हैं?

(a) Where there is time to have recourse to the protection of the public authorities
जहाँ लोक अधिकारियों की संरक्षा में जाने का समय हो

(b) When a public servant performs an act in good faith
जब कोई जन सेवक सद्भावपूर्वक कोई कृत्य करें

(c) An act committed strictly in conformity with law/जब कोई कृत्य पूरी तरह से विधि के अनुकूल किया गया हो

(d) Where the act was irregular and outside the scope of power/जहाँ किया गया कृत्य अनियमित रहा हो और शक्ति की परिधि के बाहर हो

UGC (NET) January, 2017 Paper-III

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अधीन प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार धारा 99 के अधीन रहते हुए प्रयोग किया जा सकता है। धारा 99 के अनुसार– जब –

1. यदि कोई कार्य लोक सेवक द्वारा सद्भावपूर्वक अपने पदाभास में किया जाता है।
2. यदि कोई कार्य सद्भावपूर्वक पदाभास में कार्य करते हुए लोक सेवक के निर्देश से किया जाता है।
3. लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने का समय हो।
4. किसी भी दशा में आवश्यकता से अधिक अपहानि कारित नहीं होनी चाहिए। उपरोक्त दशा में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होगा।

167. The right to private defence against an act done by a public servant is not available:
किसी लोक सेवक द्वारा किए गए किसी कार्य के विरुद्ध निजी बचाव का अधिकार उपलब्ध नहीं होता:

(a) When it is discharged in good faith
जब वह सद्भाव से किया गया हो

(b) When it is attempted to be done by him
जब उसके द्वारा इसे करने का प्रयास किया गया हो

(c) When it was done while he was not in his office/जब यह कार्य तब किया गया हो जब वह कार्यालय में उपस्थित न हो

(d) When it is strictly to be justifiable by law
जब यह विधि द्वारा न्यायोचित ठहराया जाने वाला हो

UGC (NET) November, 2017 Paper-III

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 99(2) के अनुसार- जो लोक सेवक के निर्देश से किया गया कार्य के बारे में बताता है, लोक सेवक के निर्देश से किसी व्यक्ति द्वारा किये गये किसी कार्य के विरूद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नही है। यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी हो जाती हैं-

(1) कार्य लोक सेवक के निर्देश से या किये जाने का प्रयत्न किया गया है।
(2) कार्य सद्भाव में किया गया हो।
(3) ऐसा लोक सेवक द्वारा पदाभास के अन्तर्गत किया गया हो।
(4) कार्य ऐसा हो जिससे युक्तियुक्त मृत्यु या उपहति या घोर उपहति कारित होने की आशंका न हो।

168. There is no right of private defence against an act done, by any person under the direction of a public servant but is subjected to fulfillment of certain condition like :
किसी कृत्य को करने के लिये कोई निजी सुरक्षा का अधिकार नहीं है, यदि ऐसा कृत्य किसी सरकारी अधिकारी के निर्देशानुसार किया गया हो परन्तु यह कुछ शर्तों को पूर्ण करने के अधीन है, यथा–

(a) the act must be done in good faith
कृत्य सद्भाव से किया गया हो

(b) the direction was not strictly instifiable by law/प्रदत्त निर्देश को कानून द्वारा उचित नहीं ठहराया जा सकता

(c) The directed act has not been generated reasonable apprehension of death/निर्देशित कृत्य से मृत्यु की वास्तविक आशंका न उपजी हो

(d) All of the above/उपर्युक्त सभी

UGC (NET) September, 2013 Paper-III

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 99 के अनुसार कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक के निर्देश से किए गये कार्य के लिए या प्रयत्न के लिए प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार रखता है यदि ऐसा कृत्य-

(i) सद्भावनापूर्ण हो
(ii) प्रदत्त निर्देश विधि द्वारा उचित ठहराया जा सकता हो
(iii) निर्देशित कृत्य से मृत्यु या घोर उपहति की आशंका न हो।

169. Right of private defence is not available:
प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं उपलब्ध होगा-

(a) against an insane/विकृतचित्त व्यक्ति के विरूद्ध

(b) against child/बच्चे के विरूद्ध

(c) where, there is a sufficient time to take recourse of public authorities
जहां लोक अधिकारी की सहायता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय है

(d) All of these/इनमें से सभी में

MPHC CJ 2019 Shift-II

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की **धारा 99 पैरा 3** के अनुसार – उन दशाओं में जिनमें संरक्षा के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने के लिए समय है, तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा।

170. The right of private defence is not allowed in which of the facts leading to?
निम्नलिखित में से किस कारक तथ्य में निजी प्रतिरक्षा का अधिकार अनुमन्य नहीं है?

(a) The death was consequence of the assault
मृत्यु हमले का परिणाम था

(b) More harm was done than necessary
आवश्यकता से अधिक अपहानि की गयी

(c) When the fact is clearly based on conjectures
जब तथ्य स्पष्ट रूप से प्रमाण रहित अनुमानों पर आधारित हो

(d) When the fact revels about imminent danger to self or property/जब तथ्य स्वयं या सम्पत्ति के आसन्न खतरों के बारे में उद्घाटित करता है

UGC (NET) July, 2016 Paper-II

Ans. (b) **:** भारतीय दण्ड सहिता की **99 पैरा 4** के अनुसार, प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार का विस्तार उस स्थिति में प्राप्त नहीं होगा जबकि अपहानि आवश्यकता से अधिक की गयी है।

171. Under which of the following circumstances right to private defence of body or property not arises?
शरीर या संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के संबंध में निम्न में से किस परिस्थिति में अधिकार उत्पन्न नहीं होगा?

(a) Where there is sufficent time to obtain the protection of the public authorities
जहाँ लोक प्राधिकारी से संरक्षण प्राप्त करने का पर्याप्त समय एवं अवसर उपलब्ध हो

(b) There is possibility of criminal trespass by another person equipped with offensive weapons
जब घातक हथियारों से सुसज्जित अन्य व्यक्ति द्वारा आपराधिक अतिक्रमण करने की सम्भावना हो

(c) There is possibility to cause grievous hurt or murder/जब किसी व्यक्ति के गंभीर चोट पहुँचने अथवा मृत्यु की सम्भावना हो

(d) All the above circumstances
उपरोक्त सभी परिस्थितियों में

MP (ADPO) 1997

Ans : (a) भारतीय दण्ड संहिता कि धारा 99 प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार पर निर्बंधन अधिरोपित करती है। धारा 99 के अनुसार, निम्नवत् निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए ही प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग (शरीर या सम्पत्ति की सुरक्षा में) किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकेगा।

(1) जब लोक प्राधिकारी द्वारा सद्भावपूर्वक अपने पदाभास में कार्य किया जा रहा हो और उस कार्य से मृत्यु या घोर उपहति कारित होने की युक्तियुक्त आशंका न हो।

(2) जब कोई व्यक्ति सद्भावर्पूक अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोक सेवक के निदेश के अधीन कोई कार्य करता है या करने का प्रयत्न करता है और उससे मृत्यु या घोर उपहति कारित होने की आशंका न हो।

(3) जब लोक प्राधिकारी से संरक्षण प्राप्त करने का पर्याप्त समय उपलब्ध हो, तब प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उत्पन्न नहीं होता है।

(4) किसी भी दशा में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उतनी अपहानि से अधिक अपहानि करने तक विस्तारित नहीं होगा जितनी प्रतिरक्षा के लिये आवश्यक है।

172. Y picks X's pocket. Next day X while buying 'paan' near his office finds Y paying money from X's purse. X catches hold of Y and tries to take back his purse. Y resists. X twists Y's arm with such force that it is broken. X is charged with causing hurt to Y. X can
Y, X की जेब काटता है। अगले दिन X ने अपने कार्यालय के पास पान खरीदते समय पाया कि Y उसके पर्स से पैसे चुका रहा है। X, Y को पकड़ता है और उससे पर्स वापस लेने की कोशिश करता है। Y प्रतिरोध करता है। X, Y की भुजा को ऐसे बल से मोड़ता है कि वह टूट जाती है। X पर Y को चोट पहुँचाने का आरोप लगता है। X क्या कर सकता है?

(a) say that he was acting under right of private defence of property/कह सकता है कि वह सम्पत्ति की निजी रक्षा के अधिकार के तहत काम कर रहा था

(b) not raise the plea of right of private defence since he had time to seek the help of public authorities/निजी रक्षा के अधिकार की दलील नहीं उठा सकता क्योंकि उसके पास सार्वजनिक अधिकारियों की मदद लेने का समय था

(c) say that his right of private defence was revived as soon as he saw Y with his purse/ यह कह सकता है कि जैसे ही उसने अपने पर्स के साथ Y को देखा, निजी रक्षा का उसका अधिकार पुनर्जीवित हो गया

(d) say that he did not use more force than was required/कह सकता है कि उसने आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग नहीं किया

Jharkhand (J) 2019
UGC (NET) December 2009

Ans. (b) : प्रस्तुत मामले में X निजी रक्षा के अधिकार की दलील नहीं उठा सकता क्योकि उसके पास लोक अधिकारियों की सहायता लेने का अवसर था।

173. In which of the following sets of sections of the I.P.C. even death can be caused in exercise of right to private defence of person and property?
निम्नलिखित भा.दं.सं. की धाराओं के युग्मों में से किनके तहत, शरीर व सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में मृत्यु तक कारित की जा सकती है?

(a) Sections 100 and 101/धारा 100 और 101
(b) Sections 100 and 102/धारा 100 और 102
(c) Sections 100 and 103/धारा 100 और 103
(d) Sections 100 and 105/धारा 100 और 105

MPHC CJ 2013 Shift-II
Uttrakhand (J) 2018
UPPCS (J) 2015

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 100 और 103 के अन्तर्गत शरीर व सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में मृत्यु कारित की जा सकती है।

174. In which section of IPC provides right of private defence of the body to causing death?
भारतीय दण्ड संहिता की किस धारा में शरीर की प्रतिरक्षा में मृत्यु कारित करने का प्रावधान है?

(a) Section 99/ धारा 99
(b) Section 96 /धारा 96
(c) Section 98 /धारा 98
(d) Section 100 /धारा 100

Rajasthan (APO) 2007

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

175. According to which section of IPC, 1860 Right of private defence of the body extends to causing valuntarily death?
भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की किस धारा के अनुसार शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार स्वेछया मृत्यु कारित करने तक विस्तारित हो सकता है?

(a) Section 100/ धारा 100
(b) Section 101/ धारा 101
(c) Section 102/ धारा 102
(d) Section 103/ धारा 103

Rajasthan (APO) 2015

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

176. There were verbal exchanges between the husband 'A' and wife 'B'. A fell the wife, sat on her chest with a knife in his hand. On her cries her sister and mother working nearby in the same field to her rescue. B snatched the knife and inflicted wounds of which A died. Choose the correct answer given below:
क (पति) और ख (पत्नी) के बीच जबानी गहमा-गहमी हुई। क ने पत्नी को पटक दिया और अपने हाथ में एक चाकू लेकर उसके सीने पर बैठ गया। उसके शोर मचाने पर उसकी बहन और माँ, जो पास में ही उसी खेत में काम कर रही थी, उसे बचाने दौड़ पड़ी। ख ने चाकू छीन लिया और क को जख्मी कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए:

(a) B has committed offence of murder of A
ख ने क की हत्या का अपराध कारित किया है
(b) B has acted in her right of self defence
ख ने अपने स्वयं प्रतिरक्षा का कार्य किया है
(c) B has committed offence of culpable homicide
ख ने आपराधिक मानववध का अपराध किया है
(d) B her sister and mother all has committed offence of murder of A/ख, उसकी बहन और माँ सभी ने क की हत्या का अपराध किया है

Uttarakhand (APO) 2009

Ans. (b) : प्रस्तुत समस्या में 'ख' ने अपने स्वयं प्रतिरक्षा में कार्य किया है क्योंकि 'क' द्वारा अपनी पत्नी 'ख' को पटक कर उसके सीने पर चाकू लेकर बैठना ऐसा कार्य या हमला है, जिससे 'ख' को युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो गई कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम मृत्यु होगा। धारा 100 के अंतर्गत, ऐसे कार्य के विरुद्ध शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर होता है।

177. Right of private defence of body extends to causing assailant's death if assailant's act is of such nature that it
शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार हमलावर की मृत्यु कारित करने तक विस्तारित होता है, यदि हमलावर का कृत्य ऐसी प्रकृति का है कि वह–

(a) causes apprehension of death
मृत्यु की आशंका को उत्पन्न करता है
(b) causes apprehension of grievous hurt
घोर उपहति की आशंका को उत्पन्न करता है
(c) expresses intention of committing rape
बलात्संग करने का आशय स्पष्ट करता है
(d) All of the above/उपर्युक्त सभी

JPSC (APO) 2012
Bihar (APO) 2020

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 100 के तहत शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक निम्न परिस्थितियों में है-

1. ऐसा हमला जिससे युक्तियुक्त आशंका मृत्यु का हो,
2. हमला जिससे युक्तियुक्त आशंका घोर उपहति हो,
3. बलात्संग के आशय से किया गया हमला,
4. प्रकृति-विरुद्ध काम-तृष्णा की तृप्ति के आशय से किया गया हमला,
5. व्यपहरण या अपहरण करने के आशय से किया गया हमला,
6. सदोष परिरोध कारित करने के आशय से किया गया हमला,
7. तेजाब फेकने या सेवन कराने का कार्य जिससे युक्तियुक्त आशंका घोर उपहति उत्पन्न होने की हो।

178. Grounds enumerated under Section 100 of I.P.C. for the rights of private defence of the body extends to causing death are:
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 100 में वर्णित आधार जो कि शरीर की वैयक्तिक प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तय करते हैं:

(a) 4 (b) 6
(c) 7 (d) 5

UP (HESC) 2021

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

179. In which one of the following circumstances, the right of private defence of the body extends to causing death?
निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में शरीर की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा मृत्यु कारित करने तक विस्तृत है?

(a) Reasonable apprehension to cause simple hurt/साधारण उपहति कारित करने की युक्तियुक्त आशंका में
(b) Reasonable apprehension to cause simple theft/साधारण चोरी कारित करने की युक्तियुक्त आशंका में
(c) Reasonable apprehension of causing wrongful restraint/सदोष अवरोध कारित करने की युक्तियुक्त आशंका में
(d) An act of throwing or administering acid or of such an attempt that reasonably causes apprehension of grievous hurt
तेजाब फेंकने या प्रयोग करने या उसके प्रयत्न पर गम्भीर उपहति की युक्तियुक्त आशंका में

Jharkhand (J) 2014

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

180. The right of private defence of the body extends to causing death when:
शरीर की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक होता है जब-

(a) assault is with the intention of committing rape/हमला बलात्कार करने के आशय से किया गया है
(b) assault is with the intention of gratifying unnatural lust/हमला प्रकृति विरुद्ध काम-तृष्णा की तृप्ति के आशय से किया गया हो
(c) assault is with the intention of kidnapping or adducting/हमला व्यपहरण या अपहरण करने के आशय से किया गया है
(d) all of the above/उपरोक्त सभी
(e) None of these/उपरोक्त में कोई नहीं

Chhattishgarh (ADPO) 2013

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

181. Right to private defence of the body extends to voluntarily causing death if the offence which occasions the exercise of right:
शरीर की आत्मरक्षा का अधिकार स्वेच्छापूर्वक मृत्यु कारित करने का अधिकार प्रदान करता है, यदि घटित अपराध-

(a) Reasonably causes apprehension that death will be caused/जब मृत्यु कारित की जाएगी ऐसी युक्तियुक्त आशंका हो
(b) Reasonably causes an apprehension of simple hurt/जब साधारण उपहति कारित की जाएगी ऐसी आशंका प्रकट हो
(c) recovery to be made from thief who escaped जब चोर के भागने के बाद सम्पत्ति बरामद करना हो
(d) When the person is escaping after causing hurt/जब स्वेच्छया उपहति कारित करने वाला व्यक्ति भाग रहा हो

Chhattishgarh (J) 2003, 2004
MPHC(CJ) 1996

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

182. An assault with intent to causing rape and gratifying unnatural lust, the right of private defence extent to, voluntarily:
बलात्कार एवं अप्राकृतिक तृप्ति के आशय सहित हेतु हमला के मामले में निजी प्रतिकर का अधिकार उस सीमा तक होता है, जिसमें स्वेच्छापूर्वक -

(a) causing any harm which include death/कोई भी क्षति पहुँचाई जा सकती है जिसमें मृत्यु शामिल है
(b) causing any harm but shall distinct from death कोई भी क्षति पहुँचाई जा सकती है किन्तु यह क्षति मृत्यु से पृथक होगी
(c) any harm, which distinct from grievous hurt कोई भी क्षति जो गंभीर क्षति से पृथक होगी
(d) both (b) and (c) /(b) एवं (c) दोनों

Chhattishgarh (J) 2011

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

183. The right of private defence of body is extend to causing death of offender if the offence, against which the right of private defence may exercise, is-
शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार हमलावर की मृत्यु कारित करने तक होता है यदि वह अपराध जिसके कारण उस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है, हो:

(a) Wrongful restraint /सदोष अवरोध
(b) Assault, with intention of committing rape बलात्संग करने के आशय से किया गया हमला
(c) Hurt/उपहति
(d) Assault /हमला

Chhattishgarh (J) 2012

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

184. In which of following circumstances does the right of private defence of body, subject to restrictions mentioned in Section 99 of Indian penal Code, 1860 not extends to voluntary causing death-
निम्न में से किन परिस्थितियों में शरीर के निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 99 में वर्णित निर्बंधनों के अधीन रहते हुए मृत्युकारित करने तक नहीं है -

(a) An assault with intention of gratifying unnatural lust/प्रकृति-विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति के आशय से किया गया हमला,
(b) An assault which does not cause reasonable apprehension of death or of grievous hurt
ऐसा हमला जो युक्तियुक्त रूप से मृत्यु अथवा गम्भीर उपहति की आशंका उत्पन्न न करता हो,
(c) An assault with intention of committing rape/बलात्संग के आशय से किया गया हमला,
(d) An assault with intention of kidnapping or abducting
व्यपहरण या अपहरण के आशय से किया गया हमला

Rajasthan (DJC) 2012

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

185. The right of private defence of the body does not extend to voluntary causing of death or of any other harm to the assailant, if the offence which occasions the exercise of the right to be of any of the descriptions hereinafter enumerated;
शरीर की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार हमलावर की स्वेच्छा मृत्यु कारित करने अथवा कोई अन्य अपहानि करने की सीमा तक नहीं होता है, यदि वह अपराध, जिसके कारण उस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है, एतस्मिन् पश्चात प्रगणित प्रकारों में से किसी भी प्रकार का है;-

(a) An assault with the intention of committing rape./बलात्संग करने के आशय से किया गया हमला।

(b) An assault with the intention of kidnapping or abducting./व्यपहरण या अपहरण करने के आशय से किया गया हमला।

(c) An assault with the intention of wrongfully confining a person under circumstances which may reasonably cause him to apprehend that he will be unable to have recourse to the public authorities for his release./इस आशय से किया गया हमला कि किसी व्यक्ति का ऐसी परिस्थितियों में सदोष परिरोध किया जाये, जिससे उसे युक्तियुक्त रूप से आशंका हो कि वह अपने को छुड़वाने के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त नहीं कर सकेगा।

(d) An assault of causing of grievous hurt on provocation.
प्रकोपन पर गंभीर उपहति कारित करने हेतु हमला।

Rajasthan (J) 2018, 2019

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

186. In which of the following the right to private defence of body does not extend to causing of death?
शरीर की प्राईवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब मृत्यु कारित करने तक विस्तारित नहीं होगा?

(a) An assault with the intention of committing rape/बलात्संग करने के आशय से किया गया हमला

(b) An assault with the intention of kidnapping व्यपहरण करने के आशय से किया गया हमला

(c) An assault with the intention of abducting अपहरण करने के आशय से किया गया हमला

(d) An assault with the intention of committing wrongful restraint
सदोष अवरोध करने के आशय से किया गया हमला

MP (HJS) 2020
UPPCS (J) 2003
UP(APO) 2002
Uttrakhand (J) 2002

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

187. Under Indian Penal Code, 1860, subject to the restriction laid down under its Sec. 99 in cases of assault causing reasonable apprehension of death or grievous hurt, the right of private defence extends to the voluntary causing of
भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 99 के अन्तर्गत अधिरोपित प्रतिबंधों के अधीन उन मामलों में जहाँ हमला मृत्यु या घोर उपहति कारित किये जाने की युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न करता है, वहाँ व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार के कार्यान्वयन में स्वेच्छया-

(a) grievous hurt/घोर उपहति काारित करने तक की है।

(b) death/मृत्यु कारित करने तक की है।

(c) any harm other than death
मृत्यु के अतिरिक्त अन्य अपहानि करने तक है।

(d) any harm other than death or grievous hurt
मृत्यु या घोर उपहति को छोड़कर अन्य अपहानि कारित करने तक है।

UPPCS (J) 2016

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

188. The Right of Private Defence of body extends to causing deaths if there is :
शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्युकारित करने तक जाता है यदि-

(a) apprehension of death/मृत्यु की आशंका हो

(b) apprehension of grievous hurt
घोर उपहति की आशंका हो

(c) intention of committing rape
बलात्संग करने का आशय

(d) All the above/उपर्युक्त सभी

Uttarakhand (J) 2011

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

189. Under Indian Penal Code, 1860 when the right of private defence of the body extends to causing death-
भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अन्तर्गत कब शरीर के प्रति प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तारित हो जाता है?

(a) Apprehension of death/मृत्यु होने का भय

(b) Kidnapping /व्यपहरण

(c) Acid attack/अम्ल द्वारा हमला

(d) All of these/ये सभी

Uttarakhand (J) 2021

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

190. The right of private defence does not extend to cause death of the offender, in which of the following offences
निम्नलिखित में से किस अपराध में आत्मरक्षा के अधिकार का विस्तार अपराधी की मृत्यु कारित करने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है?

(a) Rape/बलात्कार हेतु

(b) Kidnapping/अपहरण हेतु

(c) Gratifying unnatural lust
अप्राकृतिक मैथुन सन्तुष्टि हेतु

(d) Causing miscarriage/गर्भपात कारित करने हेतु

MPCJ 2021
Uttarakhand (J) 2015
Uttarakhand (APO) 2009

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

191. According to Criminal Law (Amendment) Act 2013, the right of private defence of the body extends to the voluntary causing of death or of any other harm to the assailant if the offence which occasions the exercise of the right is the act of

आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम 2013, के अनुसार शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार आक्रमणकारी की स्वेच्छा से मृत्यु कारित करने या कोई अन्य क्षति कारित करने तक है, यदि अधिकार का उपयोग अपराध करने के अवसर पर किया है-

(a) Stalking/पीछा करना

(b) Voyeurism/ताक-झांक करना

(c) Acid attack cases/अम्ल के आक्रमण के मामले

(d) All of these/उपर्युक्त सभी

Uttarakhand (APO) 2021

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

192. In, an assault with intention of gratifying unnatural lust, the right of private defence may extends to:

प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति के आशय से किये गये हमले में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार होता है–

(a) such harm which include death
ऐसी क्षति जिसमें मृत्यु शामिल है

(b) any harm other than death
मृत्यु से भिन्न अन्य क्षति

(c) any harm other than grievous hurt
गंभीर उपहति से भिन्न अन्य कोई क्षति

(d) any harm which include only grievous hurt
कोई क्षति जिसमें केवल गंभीर क्षति सम्मिलित है

MP (HJS) 2018

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 100 में उन परिस्थितियों का वर्णन किया गया जिसके तहत प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है।
धारा 100 के चौथे खण्ड के अनुसार, प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति के आशय से किये गये हमले में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार हमलावर की मृत्यु कारित करने तक का होता है।

193. In which of the cases the measures of self-defence is considered to be proportionate to the quantum of force by the person accused for an offence?

निम्नलिखित में से किस मामले में आत्मरक्षा का उपाय किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति द्वारा प्रयोग किये गये बल का समानुपाती समझा जाता है?

(a) Aggression/आक्रमण

(b) Accident/दुर्घटना

(c) Apprehension/आशंका

(d) Assault of harmless nature
क्षतिरहित स्वरूप का प्रहार

UGC (NET) June, 2015 Paper-II

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 100 यह प्रावधानित करता है कि विधि एक व्यक्ति को जिसको यह युक्तियुक्त आशंका है कि उसका जीवन खतरे में है- या उसके शरीर को घोर उपहति कारित होने की सम्भावना है, यह अधिकार देती है कि मृत्यु कारित होने की आशंका युक्तियुक्त होना चाहिए मात्र काल्पनिक नही।

194. Which of the following statement is correct?

निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

(a) The right of private defence under Indian Penal Code is available even against an act which is not offence under the code
भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार एक ऐसे कृत्य के विरुद्ध भी उपलब्ध होता है जो इस संहिता को अन्तर्गत अपराध नहीं है।

(b) The right of private defence can be exercised to repeal unlawful aggression and also to retaliate/प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को विधिविरुद्ध आक्रमण के निरसन हेतु तथा प्रतिकार के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है

(c) The right of private defence is available to defend only one's own person and property/प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किसी व्यक्ति को केवल अपने शरीर तथा सम्पत्ति की प्रतिरक्षा के लिए ही उपलब्ध होता है।

(d) The right of private defence extends to the causing of death when the assault is made with the intention of wrongfully confining a person/जब हमला एक व्यक्ति के सदोष परिरोध के आशय से किया गया हो तो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक के लिए होता है।

UP (APO) 2007

Ans : (d) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 100 की **छठवीं शर्त के अनुसार,** इस आशय से किया गया हमला कि किसी व्यक्ति की ऐसी परिस्थितियों में सदोष परिरोध किया जाये जिससे उसे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि वह अपने को छुड़ाने के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता नहीं प्राप्त कर सकेगा, की दशा में हमलावर की स्वेच्छया मृत्युकारित की जा सकती है। अतः कथन (d) सही है। शेष कथन असत्य हैं।

195. What is not correct about the self defence?

आत्म प्रतिरक्षा के बारे में क्या सही नहीं है?

(a) Nothing is an offence which is done in exercise of right of private defence.
प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में किया गया कार्य अपराध नहीं है।

(b) Right to private defence is extended to causing death in the case of defamation.
मानहानि के प्रकरण में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तारित है।

(c) Right of private defence is extended to causing death in the case of robbery
लूट के प्रकरण में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तारित है।

(d) There is no right of private defence if there is time to have recourse to protection of public authorities./यदि लोक प्राधिकारियों से सुरक्षा प्राप्त करने का समय उपलब्ध है, तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है।

Uttarakhand (APO) 2021

Ans. (b) : भा.द.सं., 1860 की धारा 96 के अनुसार, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में किया गया कार्य अपराध नहीं है।
धारा 100 के अनुसार, मानहानि के प्रकरण में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तारित नहीं होता है।
धारा 97 के दूसरे भाग के अनुसार लूट के प्रकरण में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तारित होता है।
धारा 99 के अनुसार, यदि लोक प्राधिकारियों से सुरक्षा प्राप्त करने का समय उपलब्ध है, तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होता है।

196. Which one of the following cases relates to right of private defence?
निम्न में से कौन वाद व्यक्तिगत सुरक्षा के अधिकार से सम्बन्धित है?

(a) Jaidev v. State/जयदेव बनाम राज्य
(b) Ram Rattan v. State/रामरतन बनाम राज्य
(c) Guljar Singh v. State/गुलजार सिंह बनाम राज्य
(d) Rajesh Kumar v. Dharamveer
राजेश कुमार बनाम धर्मवीर

Uttarakhand (J) 2009

Ans. (a, b, d) : राजेश कुमार बनाम धर्मवीर (1997 SC) आत्मप्रतिरक्षा के अधिकार का दावा केवल विधिविरुद्ध आक्रमण को विफल करने हेतु किया जा सकता है।
जयदेव बनाम राज्य (1963) - प्राइवेट प्रतिरक्षा में कारित अपहानि की मात्रा नहीं निश्चित की जा सकती। इसे यथार्थतः परिभाषित करना संभव नहीं है।
रामरतन बनाम राज्य (1977) - किसी सम्पत्ति के वास्तविक स्वामी को यह अधिकार होता है कि एक अतिचारी को जबकि वह अतिचार के कृत्य या प्रक्रिया में संलग्न हो, सम्पत्ति से बेदखल कर दे किन्तु यदि एक बार अतिचार सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाता है, तो वास्तविक स्वामी का अधिकार समाप्त हो जाता है और ऐसे मामले में उसके पास केवल एक ही उपाय बचता है कि वह विधि के अंतर्गत उपलब्ध उपचारों की शरण ले।

197. 'A' and his four brother were plowing in the field which is disputed but in their possession. 'B' and their four friends who were armed came to the field and quarreled and tried to drive 'A' and his brothers out. 'A' and his brothers were objected, in this event 'A' hits B's head with an axe which resulted his death. In this problem-
'क' एवं उसके 4 भाई अपने आधिपत्य के किन्तु विवादग्रस्त एक खेत में हल चला रहे थे। 'ख' एवं उसके 4 साथियों ने जो हथियारबंद थे खेत पर आकर झगड़ा किया तथा 'क' व उसके भाइयों को बाहर निकालना चाहा। 'क' और उसके भाइयों ने प्रतिरोध किया और इस घटना में 'क' ने 'ख' के सिर में कुल्हाड़ी से वार किया जिसके फलस्वरूप 'ख' की मृत्यु हो गयी। क्या यह सही है कि:

(a) 'A' and his brothers did not commit any offence
'क' एवं उनके भाइयों ने कोई अपराध नहीं किया

(b) All of them are liable for murder by help of sec-149 IPC/वह सब धारा 149 भारतीय दण्ड विधान की सहायता से हत्या के अपराध के दोषी हैं

(c) Only 'A' is guilty of murder, remaining brothers' did not committed any offence
'क' अकेला हत्या के अपराध का दोषी है, शेष भाइयों ने कोई अपराध नहीं किया है

(d) 'A' is guilty of murder while there brothers are guilty of rioting/'क' हत्या के अपराध का दोषी है जबकि उसके भाई बलवा करने के लिये दोषी हैं

MP (ADPO) 1993

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 96 सपठित धारा 100 के अनुसार, 'क' तथा उसके भाइयों ने हमलावर (ख व उसके साथी) के विरुद्ध आत्म प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में कार्य किया है। 'ख' व उसके साथी जो हथियार बंद थे, के कार्यों से 'क' तथा उसके भाइयों को मृत्यु की आशंका विद्यमान थी। अतः क तथा उसके भाइयों ने कोई अपराध कारित नहीं किया।

198. A went to his in-laws house for bringing back his wife W; but his father-in-law was not agreeable to let W go with her husband A. A started dragging his reluctant wife W behind him for taking her along forcibly X, the brother of wife on seeing this, stabbed A once with knife, which resulted in A's death :
अ अपनी पत्नी ब को लेने ससुराल पहुंचा, परन्तु उसका ससुर ब को उसके पति अ के साथ भेजने के लिए सहमत नहीं था। अ अपनी अनिच्छुक पत्नी को बलपूर्वक साथ ले जाने के लिए घसीटने लगा। यह देखकर पत्नी के भाई स ने अ पर चाकू से एक प्रहार किया, जिससे अ की मृत्यु हो गई :

(a) X is guilty of committing murder
स हत्या करने का दोषी है

(b) X is guilty of committing culpable homicide not amounting to murder/स आपराधिक मानव वध जो हत्या नहीं है, कारित करने का दोषी है

(c) X had the right of private deence of person, so he is not guilty of any offence

स को शरीर की प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त था अतः वह किसी अपराध के लिए दोषी नहीं है

(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

UP (APO) 2007 (Special)

Ans: (c) प्रश्नगत समस्या भारतीय दण्ड संहिता की धारा 100 तथा **विश्वनाथ बनाम उ.प्र. राज्य 1960 S.C.** के वाद पर आधारित है चूंकि यहाँ पर पति का आशय पत्नी का बलपूर्वक अपहरण करना था अतः स को शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त होगा और वह किसी अपराध की दोषी नहीं होगा।

199. In which provision of Indian Penal Code,1860 the right of private defence of body extends to cause any harm other than death?/भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के निम्न प्रावधानों में से किसमें व्यक्तिगत शारीरिक प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु को छोड़कर अन्य कोई भी हानि करने तक होता है?

(a) Section 99/धारा 99

(b) Section 100/धारा 100

(c) Section 103/धारा 103

(d) Section 101/धारा 101

Uttarakhand (J) 2008

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 101 के अनुसार, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार हमलावार की मृत्यु स्वेच्छा से कारित करने तक नहीं होता है, किन्तु इस अधिकार का विस्तार धारा 99 में वर्णित निर्बन्धों के अधीन रहते हुए हमलावार की मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि स्वेच्छा से कारित करने तक होता है।

200. The right of private defence of the body: शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार :

(a) commences as soon as reasonable apprehension of danger to the body arises from an attempt or threat to commit the offence and it continues as long as such apprehension of the danger to the body continues
उसी क्षण प्रारम्भ हो जाता है जब अपराध करने के प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट की युक्तियुक्त आशंका पैदा होती है। और तब तक बना रहता है जब तक शरीर के संकट की ऐसी आशंका बनी रहती है

(b) commences as soon as reasonable apprehension of danger to the body arises from an attempt or threat to commit the offence and it continues even after that apprehension ceases /उसी क्षण प्रारम्भ हो जाता है जब अपराध करने के प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट की युक्तियुक्त आशंका पैदा होती है और ऐसी आशंका समाप्त होने के बाद भी बना रहता है

(c) commences only when the assault in actually done and continues during the period of asasult /जब वास्तव में हमला कर दिया जाए तब प्रारम्भ होता है और हमले की अवधि तक बना रहता है

(d) commences only when the assault is actually done and continues even after the assailment has left /जब वास्तव में हमला कर दिया जाए तब प्रारम्भ होता है और हमलावर के चले जाने के बाद भी बना रहता है

MPHC CJ 2006
MPHC (J) 2018 Shift-I

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 **की धारा 102** के अनुसार, शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी क्षण प्रारम्भ हो जाता है जब अपराध करने के प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट की युक्तियुक्त आंशका पैदा होती है और तब तक बना रहता है जब तक शरीर के संकट की ऐसी आशंका बनी रहती है।

201. Section 102 of the Indian Penal code deals with the provision relating to/भारतीय दण्ड संहिता की धारा 102 में निम्नलिखित का प्रावधान है-

(a) When the right of private defence of property extends to causing death/जब सम्पत्ति की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार विस्तार मृत्यु कारक हो जाता है।

(b) Right of private defence against deadly assault when there is a risk of harm to an innocent person/घातक हमले के विरुद्ध निजी प्रतिरक्षा का अधिकार जब निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने का खतरा हो जाता है।

(c) Commencement and continuance of a right of private defence of the body/शरीर की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रारंभ और उसका जारी रहना।

(d) When the right of private defence of the body extends to cuasing death/शरीर की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार मृत्युकारक तक बन जाता है।

UGC (NET) June, 2020 Paper-II

Ans. (c) : निजी प्रतिरक्षा का अधिकार सभी आक्रामक कृत्तों के लिए उपलब्ध नहीं होता है ये अधिकार धारा 99 के निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए प्राप्त है।

202. Right to private defence is not available on: निजी बचाव का अधिकार उपलब्ध नहीं है

(a) All acts of self-defence
स्वः बचाव के सभी कृत्य के लिए

(b) All acts of aggression
सभी आक्रामक कृत्यों के लिए

(c) All acts where danger is sensed
उन सभी कृत्यों में जहाँ खतरे का आभास हो

(d) All the above/उपरोक्त सभी

UGC (NET) June, 2011

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 102 एवं धारा 105 में यह प्रावधानित है कि शरीर एवं सम्पत्ति के प्रति निजी बचाव का अधिकार उस क्षण प्रारम्भ होता है जब अपराध करने के प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट की युक्तियुक्त आशंका पैदा होती है, चाहे वह अपराध किया न गया हो और वह तब तक बना रहता है जब तक शरीर के संकट की ऐसी आशंका बनी रहती है।

203. "The right of private defence of body commences as soon as a reasonable apprehension of danger to the body arises and continues as long as such apprehension continues. "This observation was made by the supreme Court in:
''ज्यों ही शरीर संबंधी जोखिम की आशंका उत्पन्न होती है, त्योंहि शरीर की आत्मरक्षा का अधिकार प्रारंभ हो जाता है और तब तक बना रहता है, जब तक खतरे की आशंका बनी रहती है।'' उच्चतम न्यायालय द्वारा किस वाद में यह समुक्ति की गई थी?

(a) Deo Narain v. State of U.P.
देव नारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य
(b) Ram Swaroop v. State of U.P.
राम स्वरूप बनाम उत्तर प्रदेश राज्य
(c) Ranga Billa v. Union of India
रंगा बिल्ला बनाम भारत संघ
(d) State of Punjab v. Nanak Chand
पंजाब राज्य बनाम नानक चंद

UGC (NET) December, 2018 Paper-II

Ans. (a) : सर्वोच्च न्यायालय ने **देव नारायण बनाम उ0प्र0 राज्य 1973(S.C.)** के मामले में कहा कि -ज्यों ही शरीर पर जोखिम की आशंका उत्पन्न होती है त्योंहि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आरम्भ हो जाता है और यह अधिकार तब तक बना रहता है जब तक खतरे की आशंका बनी रहती है। (भारतीय दण्ड संहिता की धारा 102 के अन्तर्गत)

204. Under which Section of Indian Penal Code Right to Private Defence of Property extends to causing death?
भारतीय दण्ड संहिता की किस धारा के अन्तर्गत सम्पत्ति की रक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने (वध) तक हो सकता है?

(a) Section 103/धारा 103
(b) Section 102/धारा 102
(c) Section 101/धारा 101
(d) Section 100/धारा 100

Uttarakhand (J) 2011
Bihar (APO) 2020

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 103 के अनुसार निम्नलिखित मामलों में सम्पत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में हमलावर की मृत्यु कारित की जा सकती है-
1. जबकि हमला लूट का हो,
2. रात्रि गृह भेदन,
3. अग्नि द्वारा रिष्टि, जो किसी ऐसे निर्माण, तम्बू या जलयान को की गई है जो मानव आवास के रूप में या सम्पत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में लाया जाता है।
4. चोरी, रिष्टि या गृह अतिचार जबकि परिणाम मृत्यु/घोर उपहति का हो।

205. In which section of IPC the right of private defence of property extending to causing deaths is given? भारतीय दण्ड संहिता की किस धारा में 'संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्युकारित करने तक बताया है?

(a) Section 320/धारा 320
(b) Section 100/धारा 100
(c) Section 103/धारा 103
(d) Section 105/धारा 105

MP (ADPO) 2008 Paper-II

Ans. (c): उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

206. When the right of private defence of property extends to causing death.
कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक होता है?

(a) Robbary/लूट
(b) House breaking by night/रात्रिगृह भेदन
(c) Mischief by fire committed on any building used for human dwelling
अग्नि द्वारा आवासीय भवन में रिष्टि
(d) All the above/उपरोक्त सभी

Chhattishgarh (J) 2019

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

207. Against which crime, the right of private defence is not available?
किस अपराध के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है?

(a) Criminal trespass/आपराधिक अतिचार
(b) Forgery/जालसाजी
(c) Mischief/रिष्टि
(d) Theft/चोरी

MP (ADPO) 2008 Paper-II

Ans. (b) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

208. The right of private of property extends to voluntarily causing of death or any other harm to the wrong doer, This provided in :
सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार दोषकर्त्ता की मृत्यु या अन्य अपहानि स्वेच्छया कारित करने तक का है। यह उपबन्धित है -

(a) Section 103 I.P.C./धारा 103 भा.द.सं.
(b) Section 105 I.P.C./धारा 105 भा.द.सं.
(c) Section 96 I.P.C./धारा 96 भा.द.सं.
(d) Section 106 I.P.C./धारा 106 भा.द.सं.

MP (ADPO) 2009 Paper-II

Ans. (a): उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

209. Which is the following offence the right to private defence extends to causing death?
निम्न में से किस अपराध के लिये प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने की सीमा तक विस्तारित होगा?

(a) Robbery/लूट
(b) Theft in locked house/तालाबन्द भवन से चोरी
(c) Cheating/छल करना
(d) All of the above/इनमें से सभी तीनों

Rajasthan (APO) 2005
MP (ADPO) 1995

Ans : (a) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

210. Out of these offences against property, the right of private defence is not available?
सम्पत्ति के विरूद्ध इन अपराधों में से किस अपराध के सम्बन्ध में प्राइवेट प्रतिरक्षा उपलब्ध नहीं है?

(a) Criminal breach of trust/
आपराधिक न्यासभंग
(b) Criminal trespass/
आपराधिक अतिचार
(c) Robbery/लूट
(d) attempt to commit mishchief
रिष्टि कार्य करने का प्रयत्न

MPHC CJ 2019 Shift-II

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

211. The right of private defence of property extends, under the restrictions mentioned in Section 99 of the Indian Penal Code, 1860, to the voluntary causing of death or of any other harm to the wrong-doer, if the offence, the committing of which or attempt in to commit which occasions the exercise of the right is of the following description:
सम्पत्ति की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 99 में वर्णित निर्बन्धनों के अध्ययधीन रहते हुए दोषकर्ता की मृत्यु या अन्य अपहानि स्वैच्छया कारित करने तक का है, यदि वह अपराध जिसको किये जाने के या किये जाने के प्रयत्न के कारण उस अधिकार प्रयोग के किये जाने का अवसर आता है, निम्न भांति का हो–

(a) House-breaking by night/रात्री गृह भेदन
(b) Mischief by fire committed on a building used as a human dwelling/
मानव आवास के उपयोग में लिए जाने वाले भवन को अग्नि द्वारा रिष्टि।
(c) Robbery/लूट
(d) All the above/उपरोक्त सभी

Rajasthan (DJC) 2012

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

212. No right of private defence is available against the offence of :
प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है–

(a) Criminal Breach of Trust
आपराधिक न्यास-भंग के अपराध के प्रति
(b) Theft/चोरी के अपराध के प्रति
(c) Robbery/लूट के अपराध के प्रति
(d) Criminal tresspass
आपराधिक अतिचार के अपराध के प्रति

UPHESC 2014

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

213. The act of causing death to a person who has committed or attempted to commit house breaking by night is known as ..... .
रात्रि के समय घर में सेंध लगाने वाले या लगाने का प्रयास करने वाले व्यक्ति की हत्या करने को कहा जाता है–

(a) Marginal excess of right to private defence/
निजी सुरक्षा के अधिकार का सीमान्त आधिक्य
(b) Purported exercise of right of self defence
स्वसुरक्षा के अधिकार का तात्पर्यित प्रयोग करना
(c) Murder/हत्या
(d) No detached objectivity would be possible to weigh the culpability/
सदोषता को जानने के लिये तटस्थ वस्तुनिष्ठता सम्भव न होगी

UGC (NET) September, 2013 Paper-II

Ans. (b) : रात्रि के समय घर में सेंध लगाने या लगाने का प्रयास करने वाले व्यक्ति की हत्या करने वाले को स्वसुरक्षा के अधिकार का तात्पर्यित प्रयोग करना कहा जाएगा। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 103, सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का उपबन्ध प्रावधानित करता है। लूट, रात्रौ गृहभेदन, अग्नि द्वारा रिष्टि आदि अपराध इसके अन्तर्गत आते हैं।

214. In exercise of the right of private defence of property death cannot be caused in the case of
सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन में मृत्यु कारित नहीं की जा सकती है–

(a) Robbery/लूट में
(b) House breaking by night/रात्रौ गृहभेदन में
(c) Mischief by fire in a dwelling house
निवास हेतु निर्मित भवन मे अग्नि द्वारा रिष्टि में
(d) Theft/चोरी में

Uttrakhand (J) 2002
UP (APO) 2002

Ans: (d) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 103 में कहा गया है कि सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तारित होता है यदि **लूट, रात्रौ गृहभेदन या अग्नि द्वारा रिष्टि या इनमें से कोई अपराध किया जा रहा है** या **किये जाने का प्रयत्न किया जा रहा है।** चोरी की दशा में यह धारा तब लागू होगी, जब वह इसके समतुल्य हो जिससे यह आशंका उत्पन्न हो कि इसका परिणाम मृत्यु या घोर उपहति होगा। यह नियम उस समय लागू नहीं होता जबकि मृत्यु की आशंका उस व्यक्ति के हस्तक्षेप के फलस्वरूप उत्पन्न होती है जो वैयक्तिक प्रतिरक्षा का प्रयोग करता है। अतः चोरी इस दशा में लागू नहीं होता।

215. The right of private defence of property extends to causing of death when the offence apprehended is:
सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक तब होता है जब निम्न अपराध की आशंका हो:

(a) theft/चोरी
(b) Mischief/रिष्टि
(c) House trespass/गृह अतिचार
(d) Dacoity/डकैती

UPPCS (J) 2003

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता का **धारा 103** कब सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है वर्णित करती है। **धारा 103 के अनुसार-** सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार, **धारा 99** में वर्णित निर्बन्धनों के अध्यधीन रहते हुए दोषकर्त्ता की मृत्यु या अन्य कोई अपहानि कारित करने तक का विस्तृत है यदि हमलावर द्वारा- (1) लूट (2) रात्रों गृह-भेदन (3) अग्नि द्वारा रिष्टि तथा (4) चोरी, रिष्टि या गृह अतिचार जिनसे युक्तियुक्त रुप से यह आशंका कारित हो कि यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा के ऐसे अधिकार का प्रयोग न किया गया तो परिणाम मृत्यु या घोर उपहति होगा। **धारा 391** में डकैती को परिभाषित किया गया है और डकैती लूट का उग्ररुप है अत: सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार डकैती के विरुद्ध भी प्राप्त है।
उ0प्र0 में धारा-103 में, खण्ड चार के पश्चात् एक पाँचवां खण्ड (उ0प्र0 का 1970 का अधिनियम सं0 29, धारा 2) जोड़ा गया है। पाँचवां- ''अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा कारित रिष्टि''।

216. Against which of the following offences the right to private defence of property extend to voluntary causing of death?/निम्नलिखित में से किस अपराध के विरुद्ध सम्पत्ति की व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार स्वेच्छया मृत्यु कारित करने तक विस्तारित हो जाता है?

(a) Theft/चोरी
(b) Criminal misappropriation of property
सम्पत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग
(c) Robbery/लूट
(d) Criminal trespass/आपराधिक अतिचार

UP (APO) 2011

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 103 के अनुसार, लूट के विरुद्ध सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार स्वेच्छया मृत्यु कारित करने तक विस्तारित हो जाता है।

217. In which of the following offence the right of private defence of property does not extend to causing of death :
निम्न में से किस अपराध में सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्युकारित करने तक नहीं होता है?

(a) Robbery/लूट
(b) House Trespass/गृह अतिचार
(c) House breaking by night/रात्रौ गृह भेदन
(d) Mischief by fire in a dwelling house
मनुष्यों के निवास हेतु घर में अग्नि द्वारा रिष्टि

UP (APO) 2007 (Special)

Ans: (b) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

218. When the right of private defence of property does not extends to causing death?
कब सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित नहीं करने का होता है?

(a) House-breaking by night/रात्रि गृह-भेदन
(b) Mischief or house trespass /रिष्टि या गृह अतिचार
(c) Robbery/लूट
(d) Theft as reasonable caused apprehension of death if right of private defence not exercised. /चोरी जिनसे युक्तिकुक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग न करने पर परिणाम मृत्यु होगा।

Uttarakhand (J) 2021

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

219. The language of Part third of Section 105 is similar to that of/धारा 105 के तृतीय भाग की भाषा, भारतीय दण्ड संहिता की निम्न में से किस धारा के समान है?

(a) Section 39 of IPC
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 39 के समान
(b) Section 37 of IPC
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 37 के समान
(c) Section 38 of IPC
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 38 के समान
(d) Section 40 of IPC
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 40 के समान

Jharkhand (J) 2016

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 105 के तृतीय भाग की भाषा इस प्रकार है - सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार लूट के विरुद्ध तब तक बना रहता है, जब तक अपराधी किसी व्यक्ति की मृत्यु या उपहति या सदोष अवरोध कारित करता रहता है या कारित करने का प्रयत्न करता रहता है अथवा जब तक तत्काल मृत्य का या तत्काल उपहति का या तत्काल वैयक्तिक अवरोध का भय बना रहता है।

धारा 39 के अनुसार, कोई व्यक्ति किसी परिणाम को 'स्वेच्छया' कारित करता है, यह तब कहा जाता है, जब वह उसे उन साधनों द्वारा कारित करता है, जिनके द्वारा उसे कारित करना उसका आशय था, या उन साधनों द्वारा कारित करता है, जिन साधनों को काम में लाते समय यह जानता था या यह विश्वास करके या कारण रखता था कि उनसे उसका कारित होना संभाव्य है। दोनों धाराओं की भाषा लगभग समान है जैसे कारित करना।

अध्याय - 6
दुष्प्रेरण के विषय में (धारा 107-120)

1. Under which Section of the Indian Penal Code, provision for the offence of abetment is provided?/भारतीय दण्ड संहिता की किस धारा के अन्तर्गत दुष्प्रेरण का प्रावधान है?

(a) 106
(b) 107
(c) 108
(d) None of these/उपर्युक्त में से कोई नहीं

Uttarakhand (J) 2018

Ans. (b**) :** भारतीय दण्ड संहिता की धारा 107 के अन्तर्गत दुष्प्रेरण को परिभाषित किया गया है। धारा 107 के अन्तर्गत दुष्प्रेरण का अपराध निम्नलिखित तरीकों से गठित किया जा सकता है—

1. उकसाने द्वारा,
2. षड्यंत्र द्वारा,
3. साशय सहायता द्वारा।

2. Instigation or engaging in a conspiracy or intentionally aiding a persons to commit an offence is better known as...
उकसाना या षड्यंत्र में लगाना अथवा किसी अपराध को करने में किसी व्यक्ति की साभिप्राय सहायता करना– इन्हें क्या कहा जाता है?

(a) Principal crime/मुख्य अपराध
(b) Second degree Crime/द्वितीय डिग्री का अपराध
(c) Wilful mis-representation
जानबूझ कर दुर्व्यपदेशन
(d) Abetment/दुष्प्रेरण

UGC (NET) June, 2014 Paper-II

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

3. The offence of 'abetment' is constituted by 'दुष्प्रेरण' के अपराध में सम्मिलित हैं-

(a) aiding/सहायता करना
(b) conspiring/षड्यंत्र करना
(c) instigating/उकसाना
(d) All of the above/उपर्युक्त सभी

UGC (NET) June 2010
Bihar (APO) 2020
MP(ADPO) 2016 Paper II
Uttrakhand (J) 2011

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

4. Point out incorrect response.
The following are modes of abetment:
गलत उत्तर बताइये।
दुष्प्रेरण की निम्न रीतियाँ हैः

(a) Instigation/उकसाना।
(b) Engaging in conspiracy/षड्यंत्र में सम्मिलित होना।
(c) Aiding/सहायता करना।
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

Uttarakhand (J) 2009

Ans. (d**) :** उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

5. By which of the following the offence of abetment is committed/निम्नलिखित में से किसके द्वारा 'दुष्प्रेरण' का अपराध किया जा सकता है?

(a) Conspiracy/षड्यन्त्र
(b) Attempt/प्रयत्न
(c) Threat/धमकी
(d) Preparation/तैयारी

MP (ADPO) 2009 Paper-II

Ans. (a): उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

6. Which one of the following acts is not a mode of abetment under the IPC?
भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत निम्नलिखित में से कौन-सा कृत्य दुष्प्रेरण का तरीका/प्रकार नहीं है?

(a) Instigation /उकसाना
(b) Aiding /सहायता करना
(c) Conspiracy /षड़यंत्र
(d) An attempt /प्रयत्न

MPHC CJ 2012
UPPCS (J) 2013
MPHCC (CJ) 2019 Shift-I

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

7. The act of abetment results from:
दुष्प्रेरित कार्य की उत्पत्ति किससे होती है?

(a) Counselling/परामर्श द्वारा
(b) Suggesting/सुझाव द्वारा
(c) Processing/प्राप्ति द्वारा
(d) Commanding/समादेश द्वारा

UGC (NET) December, 2011

Ans. (b) : भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 107 के अनुसार- दुष्प्रेरण कार्य की उत्पत्ति - (1) उकसाने के द्वारा,
(2) षड़यन्त्र में सम्मिलित होने के द्वारा और
(3) साशय सहायता द्वारा, होती है। साशय सहायता द्वारा दुष्प्रेरण में सुझाव देना आता है किन्तु इसमें सक्रिय सुझाव आता है। अतः दुष्प्रेरित कार्य की उत्पत्ति सुझाव द्वारा होती है।

8. Sometimes a person himself does not commit an offence, he only aids another person. He is guilty of the offence:
कभी व्यक्ति स्वयं अपराध नहीं करता है, वह दूसरे व्यक्ति को केवल सहायता करता है। वह अपराध का दोषी है:

(a) Common intention/सामान्य आशय
(b) Abetment/दुष्प्रेरण
(c) Common object/सामान्य उद्देश्य
(d) Criminal conspiracy/आपराधिक षड्यन्त्र

Uttarakhand (APO) 2021

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

9. 'a' asks his servant to beat 'B'. The servant did so. 'A' is guilty of/'अ' अपने नौकर से 'ब' की पिटाई करने को कहता है। नौकर ने पिटाई कर दी। 'अ' दोषी है–

(a) Criminal conspiracy/आपराधिक षड्यंत्र का
(b) Criminal assault/आपराधिक हमले का
(c) Abetment by instigation/उकसाकर दुष्प्रेरण का
(d) Criminal conspiracy, assault, as well as abetment/आपराधिक षड्यन्त्र, हमला, साथ ही दुष्प्रेरण का

MP (ADPO) 2009 Paper-II

Ans. (c): प्रस्तुत मामले में 'अ' ने उकसाकर दुष्प्रेरण का अपराध किया है। भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 107 दुष्प्रेरण को परिभाषित करती है।

10. Which of the following is not necessary to constitute abement by conspiracy?
निम्नलिखित में से कौन-सा षड्यन्त्र द्वारा दुष्प्रेरण करने हेतु आवश्यक नहीं है?

(a) A conspiracy between two or more persons
दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य षड्यन्त्र
(b) An act or illegal omission must take place in pursuance of that conspiracy
षड्यन्त्र के अनुसरण मे कोई कार्य या अवैध कार्य लोप किया गया हो
(c) Such an act or illegal omission must also take place in order to do the thing cosnspired
ऐसा कार्य या कार्यलोप षड्यन्त्र के अनुसरण में कार्य को करने के उद्देश्य से हो
(d) The abettor should concert the offence without the person who commit it
दुष्प्रेरक उस अपराध को कारित करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर उस अपराध की योजना बनाए

UP (APO) 2007

Ans : (d) भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 107 (2) में षड्यन्त्र द्वारा दुष्प्रेरण के बारे में प्रावधान है-
षड्यन्त्र द्वारा दुष्प्रेरण गठित करने के लिए निम्न बातें आवश्यक हैं—
(1) दो या अधिक व्यक्तियों के बीच षड्यन्त्र
(2) एक कार्य या अवैध लोप उस षड्यन्त्र के परिणामस्वरूप कारित हुआ हो
(3) ऐसा कार्य या अवैध लोप उस षड़यंत्रित वस्तु को पूर्ण करने में कारित हुआ हो।
धारा 108 के स्पष्टीकरण 5 के अनुसार, षड़यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध करने के लिए यह आवश्यक है कि दुष्प्रेरक इस अपराध को करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर उस अपराध की योजना बनाए।

11. A let his premises to 'B' a police officer with the knowledge that 'B' will torture 'C' who is accused in a case. B torture c. A for the act of:
'ए' अपना परिसर बी एक पुलिस अधिकारी, को किराये पर इस ज्ञान के साथ देता है कि 'बी' एक 'स' जो किसी प्रकरण में मुलजिम है, को यातना देगा। 'बी', 'सी' को यातना देता है। 'ए' इस कृत्य के लिये-

(a) is not guilty of any offence/किसी अपराध का दोषी नहीं है।
(b) is guilty of abetment/दुष्प्रेरण का दोषी है।
(c) is guilty of causing heart/उपहति कारित करने का दोषी है।
(d) is guilty of attempt to commit offence/अपराध करने के प्रयासों का दोषी है।

Rajasthan (APO) 2007

Ans. (b) : प्रस्तुत समस्या में 'ए' साशय सहायता के द्वारा दुष्प्रेरण का दोषी है। यह समस्या **इम्परर बनाम फैयाज हुसैन** के वाद पर आधारित है। इस वाद में एक जमींदार ने अपना मकान एक पुलिस अधिकारी को किराये पर दिया जो एक मामले का अन्वेषण कर रहा था। जमींदार ने यह जानते हुए मकान पुलिस अधिकारी को दिया था कि मकान का उपयोग शंकायुक्त चोर को यातना देने हेतु किया जायेगा। वह भा.दं.सं. की धारा 107 में परिभाषित साशय सहायता द्वारा दुष्प्रेरण का दोषी है।

12. A, a public officer, is authorized by a warrant from a Court of justice to apprehend Z. B, knowing represents to A, that C is Z, and thereby intentionally causes A to apprehend C. In this case B abets the apprehension of C by:
न्यायालय द्वारा 'जेड' को पकड़ने के लिए 'ए', एक लोक अधिकारी को वारंट द्वारा प्राधिकृत किया गया है। 'बी' इस बात को जानते हुए कि 'सी' 'जेड' नहीं है, 'ए' को स्वेच्छा से बताता है कि 'सी' 'जेड' है और इस प्रकार जान-बूझकर 'ए' द्वारा 'सी' को पकड़वा दिया जाता है। इस मामले में 'बी' 'सी' को पकड़वाने के लिए उकसाता है।

(a) Aiding only/मात्र सहायता द्वारा
(b) Instigation only/मात्र उकसाकर
(c) Conspiracy only/मात्र षड्यंत्र द्वारा
(d) Aiding and instigation/सहायता और उकसाकर

UGC (NET) December, 2018 Paper-II

Ans. (b) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 107 के दृष्टांत पर आधारित है जिसके अनुसार 'बी' 'सी' के पकड़े जाने का उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण करता है।

13. Abatement is complete as soon as :
दुष्प्रेरण पूर्ण है, जैसे ही -

(a) the abettor has instigated another to committe an office
दुष्प्रेरक ने दूसरे को अपराध करने के लिए उकसाया

(b) the person instigated has done some over act towards the commission of the offence
उकसाये व्यक्ति ने कोई ऐसा दृश्यमान कार्य अपराध कारित करने हेतु किया

(c) the offence abetted has been committed
दुष्प्रेरित अपराध कारित हो गया

(d) both (b) and (c) of the these/उपर्युक्त (b) तथा (c) दोनों

MP (ADPO) 2010 Paper-II

Ans. (a): भा.द.सं. की धारा 107 में दुष्प्रेरण के अपराध को परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार, दुष्प्रेरण का अपराध निम्न तीन प्रकार से हो सकता है –
(1) उकसाने द्वारा
(2) षडयंत्र द्वारा
(3) सहायता द्वारा
दुष्प्रेरण का अपराध तभी पूर्ण होता जाता है– जैसे ही दुष्प्रेरक किसी अन्य व्यक्ति को अपराध करने के लिए दुष्प्रेरित करता है भले ही दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करे या न करे।

14. A person himself does not commit an offence, he helps or aids another person, he is guilty of:
एक व्यक्ति स्वयं कोई अपराध कारित नहीं करता है, वह अन्य व्यक्तियों की मदद या सहायता करता है, वह दोषी है-

(a) Abetment /दुष्प्रेरण का
(b) Conspiracy /षड्यंत्र का
(c) Incitement /उद्दीपन का
(d) None of these /इनमें से कोई नहीं

MPHC CJ 2009

Ans. (a): उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

15. An Act done by any person shall be called abetment/किसी भी व्यक्ति द्वारा कारित किये गये कृत्य का दुष्प्रेरण तब कहा जायेगा-

(a) When a person committing offence is his best friend/जब अपराध कारित करने वाला व्यक्ति उसका परम मित्र हो

(b) When a person committing offence is his relative/जब अपराध कारित करने वाला उसका निकट सम्बन्धी हो

(c) When a person committing offence see the committing of offence/जब अपराध कारित करने वाले ने अपराध घटित होते देखा हो

(d) When a person, who commit offence, advise by him/जब अपराध कारित करने वाले ने उससे मंत्रणा की हो

MP (ADPO) 1995

Ans : (d) जब अपराध कारित करने वाले ने उससे मंत्रणा की हो, तो वह व्यक्ति षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण के कृत्य के लिए दायी होगा।

16. Which of the following statement are correct?
निम्न में से कौन-सा कथन सही है?

(a) Abement can be done by being silent
सिर्फ चुप रहकर दुष्प्रेरण किया जा सकता है

(b) can not be abetted by just being silent
सिर्फ चुप रहकर दुष्प्रेरण नहीं किया जा सकता है

(c) the abettor is liable even if the offence of abetment is committed./दुष्प्रेरण का अपराध कारित होने पर ही दुष्प्रेरक जिम्मेदार है

(d) If the Instigator is not responsible for the offence for which he was abetted. so the abettor cannot be held responsible
अगर उकसाने वाला उस अपराध के लिये जिसके लिये उसे दुष्प्रेरित किया गया, के लिये जिम्मेवार नहीं है तो दुष्प्रेरक भी जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता।

Rajasthan (APO) 2005

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 107 के **स्पष्टीकरण 1** के अनुसार जब कोई व्यक्ति जानबूझकर दुर्व्यपदेशन द्वारा या तात्विक तथ्य जिसे प्रकट करने के लिए वह आबद्ध है जानबूझकर छिपाने द्वारा, स्वेच्छया किसी बात का किया जाना कारित या उपाप्त करता है या कारित या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है तो वह उस बात का किया जाना उकसाता है। अतः चुप रहकर भी दुष्प्रेरण किया जाता सकता है। इस प्रकार कथन (a) तथा (b) दोनों गलत है। इसी प्रकार धारा 108 के स्पष्टीकरण I के अनुसार विकल्प (d) भी गलत है क्योंकि दुष्प्रेरण के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरक दुष्प्रेरित कृत्य को करने के लिए आबद्ध हो। विकल्प (c) सही है क्योंकि दुष्प्रेरक हर अवस्था में दायित्वाधीन होता है चाहें उसके दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप दुष्प्रेरित व्यक्ति द्वारा वह कार्य किया गया हो या न किया गया हो। (धारा 108 का स्पष्टीकरण II)

17. Which of the following acts do not relate to instigation?
निम्नलिखित में से कौन-से कार्य उकसाना से संबंधित नहीं हैं?

(a) Express solicitation/याचना अभिव्यक्त करना
(b) Counselling to console/सांत्वना के लिए परामर्श
(c) Stimulation/उत्तेजन
(d) Insinuation/कटाक्ष या आक्षेप

UGC (NET) September, 2016 Paper-III

Ans. (b) : उपरोक्त में से याचना अभिव्यक्त करना, उत्तेजना, कटाक्ष या आक्षेप उकसाना के अन्तर्गत आते हैं जबकि सांत्वना के लिए परामर्श उकसाना के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

18. An agreement of which either the object or the means employed are illegal, but does not itself constitute an offence is known as ..... .
एक कार्य जिसका उद्देश्य अथवा जिसमें लगाये गये साधन गैर कानूनी हों, परन्तु फिर भी अपने आप में वह कोई अपराध न बनें, उसे कहते हैं–

(a) Intimidation/अभित्रास
(b) Conspiracy/षड्यंत्र
(c) Abetment/दुष्प्रेरण
(d) All of them/उपर्युक्त सभी

UGC (NET) September, 2013 Paper-II

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 107 दुष्प्रेरण के अपराध को परिभाषित करती है, जो **उकसाने द्वारा, षड्यंत्र द्वारा और सहायता द्वारा** किया जाता है।

19. A, a priest, knowingly officiates a bigamous marriage. A is guilty of:-
'अ', एक पुजारी, जानते हुए भी एक व्यक्ति का दूसरा विवाह, सम्पादित कराता है। 'अ' दोषी है -
(a) Conspiracy /षड्यंत्र का
(b) Abetment by instigation /उकसाने के द्वारा दुष्प्रेरण का
(c) Attempt to bigamy /द्विविवाह के प्रयत्न का
(d) Abetment by intentional aiding
साशय सहायता के द्वारा दुष्प्रेरण का

Chhattishgarh (ADPO) 2008

Ans. (d): प्रस्तुत समस्या में 'अ' साशय सहायता द्वारा दुष्प्रेरण का दोषी है। इस समस्या के तथ्य **इम्परर बनाम उमी (1882)** के वाद पर आधारित हैं। इस मामले में कहा गया था कि जो पुरोहित अवैध विवाह समारोह की अध्यक्षता करता है वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 494 के अंतर्गत सहायता द्वारा द्विविवाह के दुष्प्रेरण का दोषी होगा। मात्र अवैध विवाह के समय उपस्थिति से दुष्प्रेरण के अपराध का गठन नहीं होता है। संहिता की धारा 107 में दुष्प्रेरण को परिभाषित किया गया है। दुष्प्रेरण **षडयंत्र द्वारा, उकसाने द्वारा** या **साशय सहायता** द्वारा किया जा सकता है।

20. A's illegal marriage with B was performed by a priest 'P' knowing that the marriage was illegal; because 'A' was already married A's father 'C' and two other persons 'D' and 'N' were present at the time of marriage. In this case/'अ' के विवाह का अनुष्ठान 'ब' के साथ 'प' नामक पुरोहित द्वारा यह जानते हुए कराया जाता है कि विवाह अवैध है क्योंकि 'अ' पूर्व से ही विवाहित है। विवाह के समय 'अ' का पिता 'स' तथा अन्य दो व्यक्ति 'द' व 'न' उपस्थित रहते हैं। इस मामले में
(a) 'C', 'D' and 'N' are liable for abetment
'स' 'द' एवं 'न' दुष्प्रेरण के लिए दायित्वाधीन हैं
(b) Only A's father 'C' is liable for abetment
केवल 'अ' का पिता 'स' दुष्प्रेरण के लिए दोषी है
(c) 'C', 'D', 'N' and the priest 'P' all are guilty of abetment/'स', 'द', 'न' और पुरोहित 'प' सभी दुष्प्रेरण के लिए दोषी है
(d) Only the priest 'P' is liable for abetting the offence of bigamy/केवल पुरोहित 'प' द्विविवाह के अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी है

UP (APO) 2006

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

21. A priest who solemnised an illegal marriage intentionally and thereby facilitated such marriage, is liable for abetment by :
एक पुरोहित जिसने साशय अवैध विवाह करवाया और इस प्रकार के विवाह के हो जाने में अपना योगदान दिया, दुष्प्रेरण हेतु दायी है-
(a) Instigation/उकसाने द्वारा
(b) Conspiracy/षड्यंत्र द्वारा
(c) Intentional Aid/साशय सहायता द्वारा
(d) None of the above/इनमें से कोई नहीं

Uttarakhand (J) 2016

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

22. 'Encouraging a widow to commit sati is abatement to commit suicide.' The statement is:
'विधवा को 'सती' होने के लिए प्रोत्साहित करना आत्महत्या करने का दुष्प्रेरण है' -
(a) True/सत्य
(b) False/गलत
(c) Partly correct/अंशतः सही
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नही

UP (HJS) 2016

Ans. (a) : क्वीन बनाम मोहित (1871 NWP 316) के वाद में अभियुक्तों की उपस्थिति में एक स्त्री ने सती होने के लिए अपने को तैयार किया। वे लोग उसके साथ चिता तक गये तथा उसके सौतेले पुत्रों के साथ खड़े होकर राम-राम चिल्लाते रहे न्यायालय ने उन्हें दुष्प्रेरण का दोषी माना।

23. The Indian Penal Code makes a broad distinction between principle wrong doer and an abettor and does not recognize the accessory except in case of harboring when
भारतीय दण्ड संहिता प्रमुख गलती करने वाले और दुष्प्रेरक के बीच एक व्यापक भेद करता है और संश्रय देने के मामले के सिवाय वह उपसाधनों को मान्यता नहीं देता जब तक–
(a) Instigating a person to commit an offence/किसी व्यक्ति को किसी अपराध करने के लिए उकसाया न जाए
(b) Engaging in a conspiracy to commit an offence/किसी अपराध को करने के लिए किसी षड्यंत्र से न जुड़ा जाए
(c) Intentionally aiding a person to commit an offence/किसी व्यक्ति द्वारा अपराध के करने के साथ जान बूझकर उसकी सहायता न की जाए
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

UGC (NET) September, 2013 Paper-III

Ans. (d) : साधारणतः भारतीय दण्ड संहिता प्रमुख गलती करने वाले और दुष्प्रेरक में भेद करता है और संश्रय देने के मामले के सिवाय उपसाधनों को मान्यता नहीं देता।

परन्तु निम्नलिखित मामलों में विधि उपसाधनों को मान्यता देता है-
(1) किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए उकसाया जाए। (धारा 107 प्रथम खण्ड)
(2) किसी अपराध को करने के लिए षडयन्त्र से जुड़ने पर। (धारा 107 दूसरा खण्ड)
(3) जान बूझकर सहायता करने पर। (धारा 107 तीसरा खण्ड)

24. Abetment of offence/अपराध का दुष्प्रेरण–
(a) is always an offence/हमेशा एक अपराध है
(b) Never an offence/कभी भी अपराध नहीं है
(c) Offence depending on the circumstance of the case but not always/मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए अपराध हो सकता है परन्तु हमेशा नहीं
(d) the offence may not be committed, depending on the circumstances of the case
मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए अपराध नहीं भी हो सकता है

MP (HJS) 2014

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 के धारा 108 में यह स्पष्ट किया गया है कि दुष्प्रेरक कौन है। इस धारा के स्पष्टीकरण II के अनुसार दुष्प्रेरण का अपराध गठित होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाय या अपेक्षित परिणाम कारित ही हो। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अपराध का दुष्प्रेरण सदैव अपराध है।

25. Which one of the following statements is correct?
निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
(a) Abettor's liability is dependent on the liabilty of the principal offender/दुष्प्रेरक का दायित्व मुख्य अपराधी के दायित्व पर आधारित है
(b) If the abettor is innocent, the principal offender is also not liable
दुष्प्रेरक निर्दोष हो तो मुख्य अपराधी भी दोषी नहीं होगा
(c) Abettor and principal offender may be differently liable for differnt offences
दुष्प्रेरक और मुख्य अपराधी अलग-अलग अपराध के लिए अलग-अलग दोषी हो सकते है
(d) The principal offender must have the same guilty mind as that of the abettor
मुख्य अपराधी की वही आपराधिक मनःस्थिति होनी चाहिए जो दुष्प्रेरक की है

MPHC CJ 2018 Shift-I

Ans. (c) : दुष्प्रेरक को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 108 में परिभाषित किया गया है। दुष्प्रेरक वह व्यक्ति है जो अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है। **धारा 108 के स्पष्टीकरण II** के अनुसार दुष्प्रेरक और मुख्य अपराधी अलग-अलग अपराध के लिए दोषी हो सकते हैं क्योंकि दुष्प्रेरण का अपराध गठित होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाए या अपराध गठित करने के लिए अपेक्षित प्रभाव कारित हो।

26. For abetment/दुष्प्रेरण के लिए:
(a) It is necessary that the act abetted should be committed successfully/यह आवश्यक है कि दुष्प्रेरित कार्य सफलतापूर्वक किया जाए
(b) It is necessary that the act abetted should be committed though unsuccessful
यह आवश्यक है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाएं भले ही वह असफल हो जाए
(c) It is not necessary that the act abetted shoud be committed
यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाएं
(d) Both (a) and (b)/(a) तथा (b) दोनों

JPSC (APO) 2019

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

27. A instigates B to kill C. B refuses to do so-
A, B को उकसाता है C की हत्या के लिए। B हत्या करने से इन्कार कर देता है।
(a) guilty of abetment/A दुष्प्रेरण के लिए दायी है।
(b) not guilty of abetment
A दुष्प्रेरण के लिए दायी नहीं है।
(c) A is guilty of abetment because it does not depend upon commission of the act
A दुष्प्रेरण के लिए दायी है, क्योंकि यह कार्य होने पर निर्भर नहीं करता है।
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

JPSC (APO) 2012
MPHC (J) 2007,2019
MP(HJS) 2017
Jharakhand (J) 2016
MP(ADPO) 2016
BPSC (APO) 2009
Chattisgarh (J) 2003,2014
Uttarakhand (APO) 2021

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

28. 'A' instigates 'B' to murder 'C' who refuses to do so. 'A' is guilty of
'C' की हत्या करने के लिए 'B' को 'A' उकसाता है 'B' वैसा करने से इंकार कर देता है। 'A' दोषी है-
(a) Abetment to commit murder
हत्या करने के लिए दुष्प्रेरण का
(b) No offence/कोई अपराधी नहीं
(c) Criminal conspiracy/आपराधिक षड्यंत्र
(d) Criminal instigation/आपराधिक उपोत्साहन

Uttarakhand (J) 2022, 2016
Jharkhand (J) 2016

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

29. 'A' instigates 'B' to kill 'c'. in this matter, which of the following statement is true
'ब' को 'स' की हत्या के लिए 'अ' उकसाता है। इस मामले में निम्नांकित में से कौन-सा कथन सही है?

(a) 'A' will not be punished if 'B' does not kill 'C
यदि 'स' को 'ब' नहीं मारता है तो 'अ' को दण्डित नहीं किया जायेगा।

(b) 'A' will not be punished if 'B' is a child and he kill 'D' instead of 'C'
यदि 'ब' एक बच्चा है तथा वह 'स' की जगह 'द' को मार देता है तो 'अ' को दण्डित नहीं किया जायेगा।

(c) 'A' shall be punished even if 'B' does not kill 'C'
'स' की हत्या 'ब' नही करता है तो भी 'अ' को दण्डित किया जायेगा

(d) 'A' will not be punished if 'B' attempts to kill 'C' but fails/'अ' को दण्डित नहीं किया जायेगा यदि 'स' को मारने में 'ब' असफल हो जाता है

MP (ADPO) 2008 Paper-II

Ans. (c): उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

30. Under Indian Penal Code, which of the statement represents the correct position of law? To constitute the abetment it is .....
भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत, निम्न में से कौन-सा कथन विधि की सही स्थिति दर्शाता है? दुष्प्रेरण गठित करने के लिए .....

(a) necessary that the act abetted must be committed
दुष्प्रेरित किया गया कृत्य किया जाना आवश्यक है

(b) not necessary that the act abetted must be committed
यह आवश्यक नहीं कि दुष्प्रेरित कृत्य किया ही जाये

(c) necessary that the person abetted must have the same intention or knowledge as that of the abettor /यह आवश्यक है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति वही आशय और ज्ञान रखता हो जो दुष्प्रेरक रखता है

(d) None of these /इनमें से कोई नहीं

MPHC CJ 2016

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

31. Under Indian Penal Code, 1860, which ingredient is not necessary to constitution an offence of abetment?
भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत, दुष्प्रेरण का अपराध गठित करने हेतु कौन-सा तत्व आवश्यक नहीं है?

(a) Conspiracy /षड़यंत्र

(b) Intentional aid /साशय सहायता

(c) Instigation /उकसाना

(d) Act abetted should be committed
दुष्प्रेरित कार्य का किया जाना

MPHC CJ 2015

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

32. A instigates B to murder C. B in pursuance of the instigation stabs C. C recover from the wound. In this matter-
'क' 'ख' को 'ग' की हत्या करने के लिए उकसाता है। 'ख' ऐसे उकसाहट के अनुसरण में 'ग' को विद्ध करता है। ''ग'' का घाव अच्छा हो जाता है। इस मामले में-

(a) A is guilty of instigating B to commit murder/''क'' हत्या करने के लिए ''ख'' को उकसाने का दोषी है

(b) A is guilty of instigating B to commit attempt to murder/''क'' हत्या का प्रयास करने के लिए ''ख'' को उकसाने का दोषी है

(c) A is guilty of instigating B to commit grievous hurt/''क'' घोर उपहति करने के लिए ''ख'' को उकसाने का दोषी है

(d) A is not guilty of any offence
''क'' किसी अपराध का दोषी नहीं है।

Rajasthan (APO) 2015
UPPCS (J)2016
UGC NET July 2016
Uttarakhand (APO) 2021

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

33. A instigates B to muder D in pursuance of the instigation stabs D. D recovers from the wound. Here A is guilty of:
A, B को D की हत्या करने के लिए उकसाता है। B इस उकसाई पर D को चाकू मार देता है। D, घाव से स्वस्थ हो जाता है। यहाँ A ..... का दोषी है।

(a) Instigating B to commit murder
B को हत्या करने के लिए उकसाने

(b) Instigating B to commit attempt to murder
B को हत्या का प्रयास करने के लिए उकसाने

(c) Instigating B to commit grievous hurt
B को गंभीर चोट पहुँचाने के लिए उकसाने

(d) No offence/कोई अपराध नहीं

UGC (NET) July, 2016, 2018 Paper-II

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

34. 'A', with the intention of murdering 'Z', instigates 'B', a child below seven years at age, to do an act which causes 'Z's death. 'B', in consequence of instigation, did the act in the absence of 'A', thereby causes 'Z's death. What offence has been committed by 'A'?
'अ', 'ज' की हत्या के आशय से, 'ब', जिसकी आयु सात वर्ष से कम है, को उकसाता है कि वह ऐसा कार्य करे जिससे 'ज' की मृत्यु हो जाए। 'ब' को उकसाने के

परिणाम स्वरूप 'अ' की अनुपस्थिति में कार्य करता है, जिससे 'ज' की मृत्यु हो जाती है। 'अ' ने क्या अपराध कारित किया है?

(a) No, offence because 'A' was not present at the time of murder/कोई अपराध नहीं, क्योंकि हत्या के समय 'अ' वहाँ उपस्थित नहीं था

(b) Committed simple offence of causing hurt
उपहति पहुंचाने का साधारण अपराध कारित किया है

(c) Committed offence of attempt to murder
हत्या के प्रयत्न का अपराध कारित किया है

(d) Committed murder/हत्या कारित की है।

UP (APO) 2007
Chhattisgarh (ADPO) 2017

Ans : (d) प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 108 के स्पष्टीकरण III के दृष्टांत (ख) पर आधारित है। धारा 108 स्पष्टीकरण III के अनुसार – यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करने के लिए विधि के अनुसार समर्थ हो या उसका वहीं दूषित आशय या ज्ञान हो, जो दुष्प्रेरक का है या कोई भी दुषित आशय या ज्ञान हो।

अतः 'ब' अपराध करने के लिए विधि के अधीन समर्थ नहीं था फिर भी 'अ' उसी प्रकार से दण्डनीय है मानो 'ब' वह अपराध करने के लिए विधि के अनुसार समर्थ हो और उसने हत्या की हो, इसलिए 'अ' मृत्यु दण्ड से दण्डनीय है।

35. Kuldeep, with a guilty intention, abets a lunatic to stab his caretaker. He also supplies a knife to that lunatic in furtherance of his intention. The lunatic does NOT do what Kuldeep had asked him to do and misplaces the knife. Here, Kuldeep would be guilty of

कुलदीप दोषी आशय से, एक पागल को अपने कार्यवाहक को छुरा घोपने के लिए उकसाता है। वह अपनी मंशा को आगे बढ़ाने के लिए उस पागल को चाकू भी देता है। पागल वह नहीं करता जो कुलदीप ने उसे करने के लिए कहा था और चाकू खो देता है। इधर, कुलदीप दोषी होगा-

(a) no offence as no offence took place
किसी अपराध का नहीं क्योंकि कोई अपराध कारित नहीं हुआ।

(b) abetting the commission of murder
हत्या के दुष्प्रेरण के लिए

(c) no offence as nothing is an offence if done by a person suffering from unsoundness of mind/कोई अपराध का नहीं क्योंकि मानसिक अस्वस्थता से पीड़ित व्यक्ति द्वारा किए जाने पर कोई आपराध नहीं होता है।

(d) Supplying dangerous weapon to a person incapable of using it rationally
तर्कसंगत रूप से प्रयोग न कर पाने वाले व्यक्ति को घातक हथियार देने के लिए।

CBI (PP/APP) 2021
Delhi (APP)2021

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

36. The abetment of an abetment is an offence in Indian Penal Code under

भारतीय दण्ड संहिता में किस उपबंध के अंतर्गत दुष्प्रेरण के लिये दुष्प्रेरण एक अपराध है?

(a) Section 107/ धारा 107

(b) Section 108/ धारा 108

(c) Section 109/ धारा 109

(d) Section 110/ धारा 110

Uttarakhand (APO) 2009

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की **धारा 108 के स्पष्टीकरण-4 के अनुसार,** अपराध का दुष्प्रेरण अपराध होने के कारण ऐसे दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है। अतः A, B और C तीनों दण्ड के भागीदार हैं।

37. A instigates B to instigate C to murder Z Accordingly. B instigated C and C committed murder of Z. Who will be liable for punishment?

'A', 'B' को भड़काता है ताकि 'B' को 'C' को 'Z' की हत्या करने के लिए भड़का सके। परिणामस्वरूप 'B' 'C' को भड़काता है और 'C' 'Z' की हत्या कर देता है। सजा का भागीदार कौन होगा?

(a) Only C/केवल 'C'

(b) Only B/केवल 'B'

(c) Only C and B/केवल 'C' और 'B'

(d) A, B and C/'A', 'B' और 'C'

Uttarkhand (J) 2021
MPHC (CJ) 1996
Chhattishgarh (J) 2014, 2016

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

38. Which one of the following statement is not correct?

निम्नलिखित कथनों में कौन-सा सही नहीं है?

(a) Abetment of an abetment is not an offence/दुष्प्रेरणा का दुष्प्रेरण कोई अपराध नहीं है।

(b) Abetment of illegal omission may be an offence/किसी कार्य के अवैध लोप का दुष्प्रेरण अपराध की कोटि में आ सकता है।

(c) To constitute the offence of abetment the effect requisite to constitute the offence need not be

caused/दुष्प्रेरण का अपराध गठित होने के लिए यह आवश्यक नही है कि अपेक्षित प्रभाव कारित हो।

(d) The person abetted need not be capable by law of committing an offence
यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करने के लिए विधि के अनुसार समर्थ हो।

UP (APO) 2002

Ans: (a) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

39. A instigate B to kidnap the boy of Z. B instigate C to do so and C kidnap Z's boy. then-
'ए' 'बी' को 'जेड' के लड़के का व्यपहरण करने के लिए उकसाता है। 'बी', 'सी' को ऐसा करने के लिए उकसाता है एवं 'सी' 'जेड' के लड़के का व्यपहरण कर लेता है। तब–

(a) only B is guilty of abetting 'C'
सिर्फ 'बी' ही 'सी' को उकसाने का अपराधी है

(b) only A is guilty abetment
सिर्फ 'ए' ही उकसाने का अपराधी है

(c) A and B both are guilty of abetment
'ए' और 'बी' दोनों ही उकसाने के अपराधी हैं

(d) None of these/इनमें से कोई नहीं

MP (HJS) 2019
UGC (NET) December, 2009

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

40. X an Indian citizen provoke an Pakistani citizen y in America though telephone from Ajmer that Y kill P an Pakistani citizen in America. Under which section of IPC X is guilty of abetting Y?
एक्स एक भारतीय नागरिक, पाकिस्तानी नागरिक वाई को अजमेर से पाकिस्तानी में टेलीफेान द्वारा उकसाता है कि वाई, पी एक पाकिस्तानी नागरिक की पाकिस्तानी में हत्या कर दे। भा.दं.सं., की किस धारा में एक्स, वाई को उकसाने का दोषी है?

(a) Section 108/धारा 108 में

(b) Section 108-A/धारा 108-क में

(c) Section 110 /धारा 110 में

(d) Section 110-K/धारा 110-के में

Rajasthan (APO) 2007
UPPCS (J) 2003,2012

Ans. (b) : प्रस्तुत समस्या भा.दं.सं., 1860 की धारा 108-A पर आधारित है। धारा 108A के अनुसार- वह व्यक्ति इस संहिता के अर्थ के अन्तर्गत अपराध का दुष्प्रेरण करता है, जो भारत से बाहर और उससे परे किसी ऐसे कार्य के किए जाने का भारत में दुष्प्रेरण करता है, जो अपराध होता, यदि भारत में किया जाए।
अतः प्रस्तुत समस्या में एक्स, वाई को भा.दं.सं. की धारा 108-क के अन्तर्गत उकसाने का दोषी है।

41. 'A' in India, instigates 'B' a foreigner in Goa, to commit a murder in Goa. 'A' is guilty of:
यदि गोवा में कोई भारतीय व्यक्ति 'A' किसी विदेशी नागरिक 'B' को गोवा में हत्या कारित करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, तो 'A' निम्नलिखित में से किस अपराध का दोषी होगा?

(a) Culpable homicide not amounting to murder
हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध का,

(b) Committing the offence of murder
हत्या का अपराध कारित करने का

(c) Criminal conspiracy /आपराधिक षड्यंत्र का

(d) Abetting the murder /हत्या दुष्प्रेरण का

UGC (NET) December, 2019 Paper-II

Ans. (d) : यह समस्या भारतीय दण्ड संहिता 1860 की ''धारा 108A'' के दृष्टान्त पर आधारित है। जिसके अनुसार-
वह व्यक्ति इस संहिता के अर्थ के अन्तर्गत अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो भारत से बाहर और उससे परे किसी ऐसे कार्य के लिए जाने का भारत में दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होगा, यदि भारत में किया जाए।
अतः 'A' हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी होगा।

42. Punishment for which an abettor may be responsible/सजा जिसके लिये कोई दुष्प्रेरक उत्तरदायी होता है:

(a) Always equal to the punishment of abetted offence
हमेशा दुष्प्रेरित अपराध की सजा के समान ही होती है

(b) Always different to the punishment of abetted offence
हमेशा दुष्प्रेरित अपराध की सजा से भिन्न होती है

(c) Always less than the punishment of abetted offence
हमेशा दुष्प्रेरित अपराध की सजा से कम होती है

(d) Circumstance such as offence committed. varies from similar to lessor punishment.
परिस्थितियों जैसे कि वास्तव में अपराध कारित होना, के अनुरूप समान से कम सजा में बदलती रहती है

MP (ADPO) 1995

Ans : (a) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 109 के अनुसार, जो कोई किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया जाता है, और ऐसे दुष्प्रेरण के दण्ड के लिए इस संहिता द्वारा कोई अभिव्यक्त उपबन्ध नहीं किया गया है, तो वह उस दण्ड से दण्डित किया जाएगा, जो उस अपराध के लिए उपबन्धित है।

43. Whoever abets any offence shall if the act abetted is committed in consequence of abetment, be punished with
जो कोई किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया जाता है, तो उसे दण्डित किया जायेगा-

(a) imprisonment not exceeding 2 year
2 वर्ष से अधिक नहीं

(b) Life imprisonment/आजन्म कारावास से

(c) Death sentence/मृत्युदण्ड से

(d) With punishment provided for the offence
उस दण्ड से जो अपराध के लिये उपबन्धित

MP (ADPO) 1997

Ans : (d) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

44. A instigate B to give false evidence. B as a result of provocation, commit such offence. According to which section of IPC 1860 A is guilty of abetment of that offence and is liable to punishment in which 'B'
''क'' ''ख'' को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए उकसाता है। ''ख'' उकसाहट के परिणामस्वरूप, वह अपराध करता है। भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की किस धारा के अनुसार ''क'' उस अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी है और उस दण्ड में दण्डनीय है जिसमें ''ख''

(a) Section 108/धारा 108

(b) Section 109/धारा 109

(c) Section 110/धारा 110

(d) Section 111/धारा 111

Rajasthan (APO) 2015

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

45. A abets B to steal from C's home, B seeing the oppertunity cut C's pocket while he was traveling by bus give the correct answer:
'अ' ने 'ब' को 'स' के घर से चोरी करने के लिए दुष्प्रेरित किया। 'ब' ने मौका देखकर जब 'स' बस से जा रहा था उसकी जेब काट ली। सही उत्तर बताइये:

(a) A is liable for abetment of theft
'अ' चोरी के दुष्प्रेरण का उत्तर दायी है

(b) A is not liable for abetment of pick the pocket.
'अ' जेब काटने के दुष्प्रेरण का उत्तरदायी नहीं है

(c) A is not liable for abetment of theft in house because no theft at home
'अ' घर से चोरी करने के दुष्प्रेरण का भी दोषी नहीं है क्योंकि घर से चोरी नहीं हुई

(d) All are correct/उपर्युक्त सभी सही है

MP (ADPO) 2003

Ans. (b) : प्रस्तुत समस्या में 'अ' जेब काटने के दुष्प्रेरण का उत्तरदायी नहीं है। भा.दं. संहिता की धारा 111 के अनुसार-जब किसी एक कार्य का दुष्प्रेरण किया जाता है और दुष्प्रेरिती उससे भिन्न कार्य करता है तो दुष्प्रेरक उस अपराध के लिए तभी उत्तरदायी होता है जब किया गया कार्य दुष्प्रेरण का अधिसंभाव्य परिणाम होता है तथा कार्य उस उकसाहट के असर में आकर किया गया है या उस षड्यंत्र के अनुसरण में किया गया है जिससे वह दुष्प्रेरण गठित होता है।
प्रस्तुत समस्या में किया गया कार्य दुष्प्रेरण का अधिसंभाव्य परिणाम नही है और कार्य उकसाहट में असर में नहीं है साथ ही षड्यन्त्र के अनुसरण में भी नहीं है। अतः अ जेब काटने के दुष्प्रेरण का उत्तरदायी नहीं हैं। यह कथन कि अ चोरी के दुष्प्रेरण का दोषी है, गलत है।

46. A instigates B to burn Z's house. B sets for to the house and at the same time commits theft of property there. Then A is guilty of which offence?
क, ख को य का घर जलाने के लिए उकसाता है। ख उस घर को आग लगा देता है और उसी समय वहां संपत्ति की चोरी करता है। क किस अपराध का दोषी है?

(a) Guilty of abetting theft
चोरी के लिए दुष्प्रेरण का दोषी

(b) Guilty of abetting the burning of house and theft/घर जलाने और चोरी के लिए दुष्प्रेरण का दोषी है

(c) Guilty of abetting the burning of house but is not guilty of theft/घर जलाने के लिए दुष्प्रेरित करने का दोषी है किन्तु चोरी के दुष्प्रेरण का दोषी नहीं है

(d) None of these/इनमें से कोई नहीं

MPHC CJ 2017, 2019 Sift-I, 2020
Uttrakhand (J) 2008
UPHESC 2021

Ans. (c) : प्रस्तुत समस्या भा.दं.सं. की धारा 111 के दृष्टान्त (b) पर आधारित है, जिसके अनुसार– जबकि किसी एक कार्य का दुष्प्रेरण किया जाता है और कोई भिन्न कार्य किया जाता है तब दुष्प्रेरक उस कार्य के लिए उसी प्रकार से और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन हैं, मानो उसने सीधे उसी कार्य का दुष्प्रेरण किया हो।
परन्तुक – यह तब जब किया गया कार्य दुष्प्रेरण का अधिसम्भाव्य परिणाम था और उकसाहट के असर के अधीन या उस सहायता से या षड्यन्त्र के अनुसारण में किया गया था जिससे वह दुष्प्रेरण गठित होता है। अतः 'क' घर जलाने के दुष्प्रेरण का दोषी है किन्तु चोरी के लिए दोषी नहीं है।

47. When an act is abetted and different act is done, the abeltor shall be liasle for the following -
जब किसी कार्य का दुष्प्रेरण किया जाता है और एक भिन्न कार्य किया जाता है वहाँ दुष्प्रेरक निम्न कार्य के लिये उत्तरदायी होगा–

(a) Abetted/दुष्प्रेरित

(b) Abetted and Committed/दुष्प्रेरित तथा किये गये

(c) For the act done in the same manner and to the same extent as if he had directly abetted the said act/किये गये कार्य के लिये उसी तरीके से और उसी सीमा तक जैसे उसने उक्त कार्य को ही सीधे दुष्प्रेरित किया था।

(d) None of the above/उपरोक्त में कोई नहीं

MP (HJS) 2015

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

48. In which of the circumstances an inchoate instigation to commit a crime is said to be incomplete?
निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में अपराध करने के लिए अपूर्ण उकसाहट अधूरी मानी जाती है?

(a) Withdrew from the act after instigation
उकसाने के बाद कृत्य से पीछे हट गया

(b) The letter posted could not reach the person so sent/डाक द्वारा भेजा गया पत्र लक्षित व्यक्ति तक नहीं पहुँच सका

(c) When the purported crime is different from that of instigation/जब तात्पर्यित अपराध उकसाहट वाले अपराध से भिन्न है

(d) When the crime results through the conspiracy of another person/जब अपराध किसी अन्य व्यक्ति के षड्यंत्र के कारण होता है

UGC (NET) June, 2015 Paper-II

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 111 के अनुसार दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आशयित से भिन्न हो को प्रावधानित करता है ऐसी परिस्थिति में अपराध करने के लिए अपूर्ण उकसाहट अधूरी मानी जाती है।

49. "The presence of abettor when offence is committed" is provided in Indian Penal Code under
''अपराध किये जाने के वक्त दुष्प्रेरक की उपस्थिति'' वर्णित है, भारतीय दण्ड संहिता की

(a) Section 117/धारा 117 में

(b) Section 116/धारा 116 में

(c) Section 113/धारा 113 में

(d) Section 114/धारा 114 में

Uttarakhand (APO) 2015

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

50. Which of the following Sections of IPC has incorporated the English law known as principal in the Second degree?
भारतीय दण्ड संहिता की निम्नलिखित में से कौन-सी धारा अंग्रेजी कानून के द्वितीय डिग्री में प्रमुख के रूप में शामिल करती है?

(a) Section 114/धारा 114

(b) Section 112/धारा 112

(c) Section 110/धारा 110

(d) Section 109/धारा 109

Jharkhand (J) 2016

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 114 अंग्रेजी कानून के द्वितीय डिग्री में प्रमुख के रूप में शामिल करती है।
धारा 114 में प्रावधान किया गया है कि जो व्यक्ति अनुपस्थित होने पर दुष्प्रेरक के नाते दण्डनीय होता, उस समय उपस्थित हो जब अपराध किया जाता है, तब यह समझा जायेगा कि उसने ऐसा कार्य या अपराध किया है।
अतः दुष्प्रेरक जो सामान्यतः द्वितीय श्रेणी का अपराधी होता है, धारा 114 में उसे प्रमुख (Principle) के रूप में शामिल किया गया है।

51. 'A' incites B to beat C. Subsequently, 'A' reaches the plae where B is beating 'C'. 'A' is liable under—
'अ' 'स' को पीटने के लिए 'ब' को उकसाता है। तत्पश्चात 'अ' उस स्थान पर स्वयं पहुँच जाता है, जहाँ 'ब"स' को पीट रहा है। 'अ' दोषी है–

(a) Section 34/धारा 34 के अन्तर्गत

(b) Section 109/धारा 109 के अन्तर्गत

(c) Section 114/धारा 114 के अन्तर्गत

(d) Section 115/धारा 115 के अन्तर्गत

UP (APO) 2002

Ans: (c) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

52. 'A' instigate 'b' to murder 'C'. But the offence is however, not committed. Here "A" is liable
''क'' द्वारा ''ख'' को उकसाया जाता है कि वह ''स'' की हत्या कर दे। किन्तु अन्ततः वह अपराध कारित नहीं किया जाता है। यहाँ के ''क'' उत्तरदायी होगा

(a) to fine of maximum ₹ 10,000
₹ 10,000 के अधिकतम जुर्माने के लिए

(b) to imprisonment for upto 14 years and fine
14 वर्षों तक के कारावास व जुर्माने के लिए

(c) to imprisonment for upto 7 years and fine
7 वर्षों तक के कारावास व जुर्माने के लिए

(d) nothing, as no offence was committed
किसी भी दण्ड या जुर्माने के लिए नहीं चूँकि कोई अपराध कारित नहीं हुआ

Uttarakhand (APO) 2015

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 115 के प्रथम पैरा के अनुसार, जो कोई मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, यदि वह अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप न किया जाए तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दाण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

53. 'A' abets 'B' to murder 'C'. 'B' attacks on 'C'. 'C' survives. 'A' committed following offence-
'क', 'ख' को 'ग' की हत्या के लिये उकसाता है। 'ख', 'ग' पर आक्रमण करता है। 'ग' बच जाता है और केवल उसे साधारण चोट आती हैं। 'क' ने निम्न अपराध किया है:

(a) No any offence/कोई अपराध नहीं
(b) Under sec-323/109 IPC
अंतर्गत धारा 323/109 भारतीय दण्ड विधान
(c) Under sec-307/109 IPC
अंतर्गत धारा 307-109 भारतीय दण्ड विधान
(d) Under sec-115 IPC
अंतर्गत धारा 115 भारतीय दण्ड विधान

MP (ADPO) 1993

Ans. (d) भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा 115 के द्वितीय पैरा के अनुसार,** जो कोई मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा और यदि ऐसे दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को उपहति कारित हो, तब दुष्प्रेरक उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप दायित्व के अधीन होगा और ऐसे दुष्प्रेरक को दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 14 वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी।

54. Whoever abets an offence punishable with imprisonment shall, if that offence is not committed in consequence of the abetment, and no express provision is made for the punishment of such offence, be punished with:
जो कोई कारावास से दण्डनीय अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, यदि वह अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप न किया जाये और ऐसे दुष्प्रेरण के लिए किसी दण्ड का अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है, तो दण्डित किया जाएगा–

(a) Same punishment as is provided for main offence.
समान दण्ड से, जो कि मुख्य अपराध के लिये है।
(b) May extend to one-fourth part of the longest term of imprisonment provided for that offence; or with such fine as is provided for that offence, or with both.
उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि के चौथाई भाग तक अथवा जुर्माना जो उस अपराध के लिए उपबंधित है अथवा दोनों से।
(c) May extend to one-half part of the longest term of imprisonment provided for that offence, and with fine.
उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि के आधे भाग तक और जुर्माना से।
(d) May extend to one third part of the longest term of imprisonment provided for that offence; or with such fine as is provided for that offence, or with both.
उस अपराध के लिये उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि के एक तिहाई भाग तक अथवा जुर्माना, जो उस अपराध के लिए उपबंधित है अथवा दोनों से।

Rajasthan (DJC) 2018

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 116 के अनुसार– जो कोई कारावास से दण्डनीय अपराध का दुष्प्रेरण करेगा यदि वह अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप न किया जाय और ऐसे दुष्प्रेरण के दण्ड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबन्ध इस संहिता में नहीं किया गया है, तो वह उस अपराध के लिए उपबन्धित किसी भाँति के कारावास से ऐसी अवधि के लिए जो उस अपराध के लिए उपबन्धित दीर्घतम् अवधि के **एक चौथाई** भाग तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

55. 'A' offers bribe to 'B' who is a public servant. 'B' refuses to accept the bribe. 'A' is punishable in IPC under:
'A' को जो एक लोक सेवक है, 'B' रिश्वत की प्रस्थापना करता है, 'B' उस रिश्वत को प्रतिग्रहीत करने से इन्कार करता है। 'A' भारतीय दण्ड संहिता में दण्डनीय है, अन्तर्गत:

(a) Section 114/धारा 114
(b) Section 116/धारा 116
(c) Section 110/धारा 110
(d) Section 109/धारा 109

Uttarakhand (J) 2021

Ans. (b) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता की धारा 116 के दृष्टान्त (a) पर आधारित है। A धारा 116 के अधीन दण्डनीय है। चूँकि प्रस्तुत समस्या में रिश्वत की प्रस्थापना एक लोक सेवक को की गई है इसलिए A उस अपराध के लिए उपबन्धित दीर्घतम अवधि के आधे भाग तक या ऐसे जुर्माने से जो उस अपराध के लिए उपबंधित है या दोनों से दण्डनीय होगा।

56. 'A' instigates 'B' to give false evidence. Here, if 'B' does not give false evidence, what offence 'A' has committed?
'अ', 'ब' को मिथ्या साक्ष्य देने के लिये उत्प्रेरित करता है यहाँ यदि 'ब' मिथ्या साक्ष्य नहीं देता, तो 'अ':

(a) 'A' is guilty of no offence
किसी अपराध का दोषी नहीं है।
(b) Attempt to give false evidence
मिथ्या साक्ष्य के प्रयत्न का दोषी है

(c) Offence punishable with imprisonment of any description provided for that offence for a term which may extend to one-fourth part of the longest term provided for that offence and with fine
मिथ्या साक्ष्य के लिये विहित अधिकतम दण्ड के एक चौथाइ दण्ड एवं अर्थदण्ड के लिये दोषी है।

(d) None of the above /उपर्युक्त में से कोई नहीं

MPHC CJ 1997

Ans. (c) प्रस्तुत समस्या भा0द0सं0 1860 की **धारा 116 के दृष्टांत (b) पर आधारित है,** जिसके तहत क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है तथा वह कारावास की ऐसी अवधि जो उस अपराध (मिथ्या साक्ष्य) के लिए उपबंधित दीर्घतम अवधि के 1/4 भाग तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

57. 'A' a police officer, whose duty is to prevent robbery, abets the commission of robbery. 'A' will:-
'क', एक पुलिस अधिकारी, जिसका कर्त्तव्य लूट को निवारित करना है, लूट किये जाने का दुष्प्रेरण करता है। इसके लिये 'क'–

(a) Not be punished /दंडित नहीं किया जायेगा

(b) Be punished with 10 years imprisonment and fine /10 वर्ष का कारावास और जुर्माना से दंडित किया जायेगा।

(c) Be punished with 5 years imprisonment and fine 5 वर्ष का कारावास और जुर्माना से दंडित किया जायेगा

(d) Be punished with 10 years imprisonment
10 वर्ष के कारावास से दंडित किया जायेगा

उत्तर–(c) **Chhattishgarh (ADPO) 2008**

व्याख्या–प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता, **1860 की धारा 116** के दृष्टान्त 'ग' पर आधारित है। धारा 116 कारावास से दण्डनीय अपराध के दुष्प्रेरण से सम्बन्ध अपराध किए जाने को दण्डनीय बनाती है। **धारा 116 का पैरा 2 यह कहता है** कि यदि अपराध का दुष्प्रेरक व्यक्ति लोक सेवक है और जिसका कर्तव्य ऐसे अपराध के किए जाने को निवारित करना हो, तो वह दुष्प्रेरक उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भाँति के कारावास से ऐसी अवधि के लिए जो उस अपराध के लिए उपबंधित दीर्घतम अवधि के आधे भाग तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा। चूँकि लूट के लिए धारा 392 के अधीन अधिकतम 10 वर्ष तक के कारावास का उपबंध है अतः 'क' पाँच वर्ष तक के कारावास और जुर्माने के दण्ड से दंडित किया जायेगा।

58. Aggravated abetment can be found within the public :
भीड़ को उकसाने की प्रक्रिया बन सकती है -

(a) when the act was done by any one of the ten or more members present/जब उपस्थित दस लोगों में से एक या एक से अधिक ने वह काम किया हो।

(b) When the act was done by one of the seven members while collecting funds from other public/जब दूसरे लोगों से फंड एकत्र करते हुए सात सदस्यों में ध्से किसी एक ने वह काम किया हो

(c) While a person affixing a poster on the wall specially called attention of an assembly of five persons to protest against police excesses/जब दीवार पर पोस्टर लगाते हुए पाँच लोगों के एक समूह को विशेष रूप से पुलिस ज्यादती से बचाने के लिए ध्यान दिलाया हो।

(d) When an un-named member of a fluctuating population incite others to undertakes a strike to stop train movement/जब किसी बढ़ती-घटती भीड़ को कोई अज्ञात व्यक्ति दूसरों को ट्रेनें रोकने के लिए हड़ताल करने को उकसा रहा हो।

UGC (NET) January, 2017 Paper-II

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता कि धारा 117 में प्रावधान किया गया है कि जो कोई लोक साधारण द्वारा या दस से अधिक व्यक्तियों की किसी भी संख्या या वर्ग द्वारा किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।
इस प्रकार भीड़ को उकसाने का अपराध तब बनता है जब 10 या अधिक व्यक्तियों को कोई अपराध करने हेतु दुष्प्रेरित किया जाता है।

59. The principle of proximity of crime under criminal law is irrelevant while deciding the libility for the offence of
दाण्डिक विधि में अपराध के निकटता का सिद्धान्त जिस अपराध के लिये दायित्व का विनिश्चय करने में असंगत है, वह है–

(a) theft and dacoity/चोरी और डकैती

(b) culpable homicide and murder
आपराधिक मानव वध एवं हत्या

(c) kidnapping and abduction/अपहरण और व्यपहरण

(d) abetment and conspiracy/ दुष्प्रेरण एवं षड्यन्त्र

UPPCS (J) 2006
UP (APO) 2011

Ans. (d) : दाण्डिक विधि में ''अपराध के निकटता का सिद्धान्त'' दुष्प्रेरण और आपराधिक षड्यंत्र के अपराधों के लिए दायित्व का विनिश्चय करने में असंगत है, क्योंकि षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण (धारा 107 द्वितीय खण्ड) के अपराध के लिए दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य मात्र एक सन्धि अथवा समझौता ही पर्याप्त नहीं होता अपितु षड्यंत्र के तहत दुष्प्रेरण के निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए, एक कार्य अथवा अवैध लोप भी कारित होना आवश्यक है किन्तु षड्यंत्र के अपराध के लिए एक अपराध कारित करने के उद्देश्य से दी गयी सम्मति ही पर्याप्त होती है **(प्रमथ नाथ बनाम सरोज रंजन, 1962 S.C.)।**

अध्याय - 7

आपराधिक षड्यन्त्र (धारा 120A-120B)

1. In which of the following years was the criminal conspiracy incorporated in the Indian Penal Code?
निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय दण्ड संहिता में आपराधिक षड़यन्त्र को सम्मिलित किया गया?
(a) 1870/1870 में
(b) 1913/1913 में
(c) 1923/1923 में
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

JPSC (APO) 2012

Ans. (b) : आपराधिक षड़यन्त्र (criminal conspiracy) को भारतीय दण्ड संहिता में 1913 में अध्याय 5-A के रूप में जोड़ा गया। धारा 120-A में आपराधिक षड़यन्त्र को परिभाषित किया गया है तथा दण्ड का प्रावधान 120-B में किया गया है।

2. Definition of Criminal Conspiracy is given in the IPC, under-
भारतीय दण्ड संहिता में आपराधिक षड्यन्त्र की परिभाषा दी गई है:
(a) Chapter VA/अध्याय VA में
(b) Chapter VI/अध्याय VI में
(c) Chapter VII/अध्याय VII में
(d) Chapter X/अध्याय X में

Uttarakhand (J) 2021

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

3. 'Criminal Conspiracy' has been defined under which Section of IPC, 1860?
''आपराधिक षड्यंत्र' भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की किस धारा में परिभाषित है?
(a) Section 120/धारा 120
(b) Section 120A/धारा 120 क
(c) Section 120B/धारा 120 ख
(d) Section 121/धारा 121

JPSC (APO) 2019
Uttrakhand (APO) 2009
MP (ADPO) 2008 Paper II

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120A अपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित करती है, वहीं धारा 120B षड्यंत्र के दण्ड का प्रावधान करती है।
धारा 120A के अनुसार, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य या कोई ऐसा कार्य जो अन्यथा वैध हो अवैध साधनों द्वारा करने के लिए सहमत होते हैं तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यन्त्र कहलाती है।
परन्तु किसी अपराध को करने के लिए सहमति के सिवाय कोई सहमति तब तक अपराध नहीं है जब तक कि ऐसी सहमति के अनुसरण में कोई कार्य या लोप न कर दिया गया हो।
इस प्रकार आपराधिक षड्यन्त्र के निम्नवत् आवश्यक तत्व हैं-
(1) दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सहमति
(2) सहमति किसी अवैध कार्य या अन्यथा वैध कार्य को अवैध साधनों द्वारा करने के लिए होनी चाहिए।

4. When two or more persons agree to do or cause to be done an illegal act, or an act which is not illegal, by illegal means, such an agreement is/
जब दो या अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य अथवा कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने को सहमत होते हैं तब ऐसा करार
(a) designated as a crimial conspiracy
आपराधिक षड़यन्त्र होता है
(b) designated as a crimial abetment
आपराधिक दुष्प्रेरण होता है
(c) both, criminal conspiracy and abetment
आपराधिक षड़यन्त्र एवं दुष्प्रेरण, दोनों होता है
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

UP (APO) 2006

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

5. For criminal conspiracy the minimum number of persons required is:
आपराधिक षडयंत्र के लिए न्यूनतम व्यक्ति होना आवश्यक है।
(a) 7 (b) 5 (c) 2 (d) 3

MPHC CJ 2006
Uttrakhand (APO) 2015,2021

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 120 क के अनुसार आपराधिक षडयंत्र के लिए न्यूनतम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है।

6. For offence of criminal conspiracy it is important that any act or overact
आपराधिक षड्यन्त्र के अपराध हेतु यह आवश्यक है कि कोई और कार्य (ओवर एक्ट) -
(a) Should be always done infurtherence of the consent of parties
सदैव पक्षकारों की सहमति के अनुसरण में किया जाये
(b) Need not to be done
किया जाना आवश्यक नहीं है
(c) Is necessary to do only in case when such consent is for committing an offence
किया जाना केवल उसी स्थिति में आवश्यक है जबकि यह सहमति किसी अपराध करने हेतु है
(d) None of the above are correct
उपर्युक्त में से कोई भी सही नहीं

MP (ADPO) 1993

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

7. **An agreement is designated a 'Criminal Conspiracy', if/कोई करार (सहमति) 'आपराधिक षडयंत्र' कहलाती है, यदि -**

(a) Two or more persons agree to do an illegal act/दो या अधिक व्यक्ति किसी अवैध कृत्य को करने के लिए सहमत होते हैं

(b) Some illegal act is done by all partie to such agreement in pursuance there of
यदि करार (सहमति) के अनुसरण में उसके सभी पक्षकारों द्वारा कोई अवैध कार्य किया जाता है

(c) Any illegal act is done by at least one party to such agreement
यदि सहमति के अनुसरण में उसके कम-से-कम एक पक्षकार द्वारा कोई अवैध कार्य किया जाता है

(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

MP (ADPO) 2008 Paper-II

Ans.(a): उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

8. **Which one of the following is not an ingrdient of offence of criminal conspiracy.**
इनमें से कौन सा आपराधिक षड्यंत्र के अपराध का तत्व नहीं है।

(a) The agreement between two or more person who are alleged to conspire/दो या अधिक व्यक्तियों, जो षड्यंत्र करना चाहते है, के मध्य सहमति

(b) The agreement should be to do an illegal act
किसी अवैध कार्य को करने की सहमति होनी चाहिए

(c) The agreement should be to do an act which is though not illegal but is done by illegal means/किसी ऐसे कार्य को करने की सहमति होनी चाहिए जो यद्यपि अवैध नहीं है, परंतु अवैध साधनों द्वारा किया गया है

(d) some overt Act in pursuance of the agreement is always necessary to be done even if the agreement is to commit an offence
सहमति के अवसरण में बाह्य कृत्य किया जाना सदैव आवश्यक हैं, चाहे सहमति किसी अपराध को कारित करने के लिए हो

MP (HJS) 2020

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

9. **When two or more persons agree to do an illegal act or to do an act by illegal means, such an act amounts to:**
जब दो या अधिक व्यक्ति एक अवैध कार्य करने हेतु या एक कार्य अवैध साधनों द्वारा करने के लिए सहमत होते हैं तब ऐसा कार्य होता है -

(a) criminal indictment/आपराधिक संलिप्तता

(b) criminal conspiracy /आपराधिक षड्यन्त्र

(c) abetment/दुष्प्रेरण

(d) constructive liability/प्रलक्षित उत्तरदायित्व

Bihar (HJS) 2016

Ans. (b**) :** उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

10. **What is not necessary to constitute an offence of criminal conspiracy?**
आपराधिक षड्यंत्र गठित करने के लिये क्या आवश्यक नहीं है?

(a) Two or more persons
दो या दो से अधिक व्यक्ति

(b) Five or more persons
पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति

(c) Agreement to cause illegal act or an act by illegal means/अवैध कार्य को या किसी कार्य को अवैध साधनों से करने का करार

(d) If act is not crime, to do some act in pursuance of agreement/यदि कार्य अपराध नहीं है तो करार के अनुसरण में कोई कार्य करना

UP (APO) 2011
UPPCS (J) 2012

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

11. **To constitute an offence of criminal conspiracy under Indian Penal Code, what is the necessary condition to be proved?**
भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत, आपराधिक षड्यंत्र का अपराध गठित करने के लिए क्या सिद्ध करना अनिवार्य शर्त है?

(a) There must be a prior meeting of two or more persons/दो या अधिक व्यक्तियों का पूर्व से मिलना

(b) There must be an agreement of two or more persons to do an illegal act or to do a legal act by illegal means/दो या अधिक व्यक्तियों का किसी अवैध कार्य को करने अथवा किसी वैध कार्य को अवैध साधनों से करने का करार

(c) A person does an illegal act with the help of two or more persons/एक व्यक्ति दो या अधिक व्यक्तियों के सहयोग से एक अवैध कृत्य करता है

(d) Two or more persons commit a crime on a sudden provocation with guilty mind
दो या अधिक व्यक्ति अचानक प्रकोपित किये जाने पर दोषी मानसिकता के साथ अपराध करते हैं

MPHC CJ 2018 Shift-II
MPHC (CJ) 2014

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

12. **'A' and 'B' agreed to commit theft in 'C's house but no theft was actually committed they have committed the offence of:**
'A' और 'B', 'C' के मकान में चोरी करने के लिए सहमत हो जाते हैं लेकिन वास्तव में चोरी नहीं करते हैं उन्होंने अपराध किया है

(a) Criminal conspiracy/आपराधिक षड्यंत्र

(b) Abetment by conspiracy/षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण

(c) Abetment by instigation/उकसावे द्वारा दुष्प्रेरण

(d) No offence/कोई अपराध नहीं

MP (ADPO) 2016 Paper-II
BPSC (APO) 2009
Rajsthan (APO) 2005

Ans. (a) : A और B ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120 A के तहत आपराधिक षड्यंत्र का अपराध किया। धारा 120 A के तहत आपराधिक षड्यंत्र के अपराध के लिए सहमति मात्र से ही

दायित्व उत्पन्न हो जाता है। धारा 120 A में उपबंध किया गया है कि जबकि दो या अधिक व्यक्ति–

1. कोई अवैध कार्य अथवा
2. कोई ऐसा कार्य जो अवैध नही है,अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने को सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है।

13. "A" agree with "B" that he will help "B" in copying in his examination this is an act of-
'ए', 'बी' के साथ सहमत होता है कि वह 'बी' को उसकी परीक्षा में नकल करने के लिये सहायता करेगा, यह कृत्य होगा-

(a) Criminal conspiracy/आपराधिक षड़यंत्र
(b) Abetment/दुष्प्रेरण
(c) Common intention/सामान्य आशय
(d) Common object/सामान्य उद्देश्य

MPHC CJ 2019 Shift-II

Ans. (a) : प्रस्तुत समस्या में 'ए', आपराधिक षड्यंत्र का अपराध किया है। यह समस्या भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 120-A तथा 120-B पर आधारित है, जिसके अनुसार जब दो या अधिक व्यक्ति मिलकर कोई अवैध कार्य या ऐसा कार्य जो अवैध नही है, अवैध साधनो द्वारा करने या करवाने को सहमत होते हैं तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है।

14. A concerts and agrees with B for poisoning C in order to murder him for which B agrees to procure the poison, but did not procure. A and B are guilty of:
क और ख विष देकर ग की हत्या करने के लिए सहमत हुए जिसके लिए ख को विष उपाप्त करना था किन्तु उसने विष उपाप्त नहीं किया। क और ख दोषी हैं:

(a) abetment of murder by conspiracy
षड्यंत्र द्वारा हत्या के दुष्प्रेरण के
(b) attempt to murder with the aid of Section 34
धारा 34 की सहायता से हत्या के प्रयास के
(c) criminal conspiracy to murder C
ग की हत्या के आपराधिक षड्यंत्र के
(d) No offence/किसी भी अपराध के नहीं

MPHC CJ 2020

Ans. (c) : 'क' और 'ख' विष देकर 'ग' की हत्या करने के लिए सहमत हुए, जिसके लिए 'ख' को विष उपाप्त करना था, किन्तु उसने विष उपाप्त नहीं किया। 'क' और 'ख', 'ग' की हत्या करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-A में परिभाषित आपराधिक षड्यंत्र के दोषी होंगे।
प्रस्तुत समस्या में 'क' और 'ख' द्वारा 'ग' की हत्या करने के लिए सहमत होना ही आपराधिक षड्यंत्र के अपराध के गठन के लिए पर्याप्त है, भले ही 'ख' द्वारा विष उपाप्त न किया गया हो, क्योंकि किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय किसी सहमति की दशा में उसके अनुसरण में कोई कार्य किया जाना आवश्यक नहीं है।

15. A, B and C conspired to commit a crime A and B later abandoned that plan but C committed the same offence for which those three conspired. When C arrested also mentioned the name of A and B. A and B said in his defence that they had relinquished their intention to commit the crime and they did not participate, than/'अ', 'ब' और 'स' ने एक अपराध करने का षड्यंत्र किया। फिर 'अ' और 'ब' ने बाद में उस योजना को त्याग दिय। परन्तु 'स' ने वही अपराध घटित किया, जिसके लिये उन तीनों ने षड्यन्त्र रचा था। जब 'स' को गिरफ्तार किया गया, तो उसने 'अ' और 'ब' का भी नाम बताया। 'अ' और 'ब' ने अपने बचाव में कहा कि उन्होंने अपराध करने का इरादा त्याग दिया था और उसमें उन्होंने भाग भी नहीं लिया, तब-

(a) Only 'A' will be prosecuted
केवल 'अ' को अभियोजित किया जाएगा
(b) No one will be prosecuted for criminal conspiracy/किसी को भी आपराधिक षड्यन्त्र के लिये अभियोजित नहीं किया जायेगा
(c) A, B and C will be prosecuted for criminal conspiracy /'अ', 'ब', 'स' तीनों को आपरधिक षड्यन्त्र के लिये अभियोजित किया जाएगा
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

MP (ADPO) 1997
MP (ADPO) 2009 Paper-II

Ans : (c) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

16. Conspiracy is an offence having mens rea without any *actus rea?*
षड्यंत्र एक अपराध है जो कृत्य की अनुपस्थिति में दुराशय रखता है–

(a) Yes/हाँ
(b) No/नहीं
(c) Depends upon circumstances
परिस्थितियों पर निर्भर करता है
(d) Depends upon judicial discretion
न्यायिक संविवेक पर निर्भर करता है

UGC (NET) June, 2010

Ans. (c) : षड्यन्त्र एक ऐसा अपराध है जो कृत्य की अनुपस्थिति में भी दुराशय रखता है। यह सिद्धान्त मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है क्योंकि यदि दो या अधिक व्यक्ति किसी अवैध कार्य या अन्यथा वैध कार्य को अवैध साधनों द्वारा करने के लिए सहमत होते हैं तो वह सहमति मात्र षड्यन्त्र के अपराध का गठन कर सकता है किन्तु यदि सहमति अपराध को करने के लिए नहीं है तब मात्र सहमति षड्यन्त्र का अपराध गठित करने हेतु पर्याप्त नहीं है। इस दशा में सहमति के अनुसरण में कार्य या लोप किया जाना साबित करना आवश्यक होता है।

17. What is the basic justification on the law of conspiracy?
षड्यंत्र के सिद्धांत का मूल औचित्य क्या है?

(a) It does not allow a preventive action because an act of conspiracy is derived when the crime results/इसमें निवारक कार्यवाही की गुंजाइश नहीं होती क्योंकि षड्यंत्र का पता तब चलता है जब अपराध घटित होता है

(b) It dispenses the difficult requirement of proximity in attempt/यह प्रयास में निकटता की कठिन आवश्यकता को दूर करता है।

(c) The momentum justifies punishment
इसकी गतिविधि दंड के लायक होती है

(d) The object is simply to make of a crime
इसका उद्देश्य इसे अपराध बनाना है

UGC (NET) November, 2017 Paper-III

Ans. (b) : (1) षड्न्यत्र सम्बन्धी विधि के समर्थन में अनेक तर्क प्रस्तुत किये गये हैं इसके सम्बन्ध में सामान्य न्यायोचिता की यह एक अपरिपक्व अपराध उसी प्रकार है जैसे अन्य अपरिपक्व अपराधों में

(2) द्वितीय षड्न्यत्र का समर्थन इस आधार पर किया गया है कि एक अवैध कार्य करने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सन्धि, कार्य को गति प्रदान करती है।

18. "A" and "B" plan to murder "C", the next day. They are guilty of
''A'' एवं ''B'' अगले दिन ''C'' की हत्या करने की योजना बनाते हैं। वे दोषी हैं

(a) the offence of planning
योजना बनाने के अपराध के

(b) the offence of criminal conspiracy
आपराधिक पड्यंत्र के अपराध के

(c) the offence of attempting to murder
हत्या के प्रयत्न के अपराध के

(d) no offence/किसी अपराध के नहीं

UP (APO) 2011
UPPCS (J) 2012

Ans. (b) : प्रस्तुत समस्या में 'A' एवं 'B' भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 120 A के अन्तर्गत आपराधिक षड्यंत्र के अपराध के दोषी होंगे।

19. X and Y agreed to commit murder of Z by poisoning and Y was to procure poison, but he did not procure it. X and Y are guilty of-
X और Y विष द्वारा Z की हत्या कारित करने के लिए सहमत होते हैं और Y द्वारा विष लाया जाना था जिसे Y नहीं लाया। X और Y दोषी हैं-

(a) Abetment of murder by conspiracy
दुष्प्रेरण द्वारा हत्या के षड्यंत्र के लिए

(b) Attempt to murder with the aid of Section 34, IPC/भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 की सहायता से हत्या के प्रयत्न के लिए

(c) No offence/किसी अपराध के लिए नहीं

(d) Criminal conspiracy to murder Z
Z की हत्या के आपराधिक षडयंत्र के लिए

Uttarakhand (J) 2002
UP (APO) 2007

Ans. (d) : प्रस्तुत समस्या में X और Y, Z की हत्या की हत्या के आपराधिक षड्यंत्र के लिए दोषी होंगे।

चूंकि प्रस्तुत समस्या में X और Y के बीच सहमति आपराधिक कार्य को करने के लिए है इसलिए सहमति के अनुसरण में कार्य किये बिना ही ये अपराधिक षड्यंत्र होगा।

20. Under which provision of the Indian Penal Code, punishment for 'Criminal Conspiracy' is given
भारतीय दण्ड संहिता के किस प्रावधान में 'आपराधिक षड्यन्त्र' के लिए दण्ड दिया गया है?

(a) Section 120-B/धारा 120–B

(b) Section 124/धारा 124

(c) Section 120-A/धारा 120–A

(d) Section 121-A/धारा 121–A

MP (ADPO) 2009 Paper-II, 2010 Paper-II

Ans. (a): भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 120-B में आपराधिक षडयंत्र के दण्ड का प्रावधान है। धारा 120B के अनुसार–

1. जो कोई मृत्यु, आजीवन कारावास या दो वर्ष या उससे अधिक अवधि के कठिन कारावास से दण्डनीय अपराध करने के आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होगा, यदि उस षड्यंत्र के दण्ड के लिए इस संहिता में कोई अभिव्यक्त उपबन्ध नहीं है तो वह उसी प्रकार दण्डित किया जायेगा मानो उसने ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण किया हो।
2. जो कोई दो वर्ष से कम के किसी आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होगा, वह दोनो में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी या जुर्माने से या दोनो से दण्डित किया जायेगा।

21. Punishment for criminal conspiracy is provided in/आपराधिक षड्यन्त्र के लिए दण्ड इसमें दिया गया है :

(a) Section 120-B IPC/धारा 120-ख भारतीय दण्ड संहिता

(b) Section 124 IPC/धारा 124 भारतीय दण्ड संहिता

(c) Section 120-A IPC/धारा 120-क भारतीय दण्ड संहिता

(d) Section 121-A IPC/धारा 121-क भारतीय दण्ड संहिता

MP (ADPO) 2010 Paper-II

Ans. (a): उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

22. Which section of the Indian Penal code 1860 provides that whoever engages in a criminal conspiracy to commit an offence punishable with death, imprisonment for life or rigorous imprisonment for two year or more. If for the punishment of such conspiracy if no expression is provided in this code, he shall be punished as if he had abetted such offences.
भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की किस धारा में यह उपबन्धित है कि जो कोई मृत्यु, आजीवन कारावास या दो वर्ष या उससे अधिक के कठिन कारावास से दण्डनीय एक अपराध करने के लिए एक अपराधिक षड्यंत्र में शरीक होगा, यदि ऐसे पड्यंत्र के दण्ड के लिए इस संहिता में कोई अभिव्यक्त उपबन्ध नहीं है, तो वह उसी प्रकार दण्डित किया जायेगा, मानो उसने ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण किया था।

(a) Section 119/ धारा 119

(b) Section 120/ धारा 120

(c) Section 120-A/ धारा 120-क

(d) Section 120-B/ धारा 120-ख

Rajasthan (APO) 2015

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

23. Is given only for those offences punishable under section 120B of the Indian Penal code?
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी के तहत दण्ड केवल उन्हीं अपराधों के लिये दिया जाता है जो अपराध दण्डनीय है-

(a) With rigorous imprisonment of one year or more/1 वर्ष या अधिक के कठोर कारावास से
(b) With simple imprisonment for 2 year or more/2 वर्ष या अधिक के साधारण कारावास से
(c) With rigorous imprisonment for 2 year or more /2 वर्ष या अधिक के कठोर कारावास से
(d) with simple imprisonment for 3 year or more /3 वर्ष या अधिक के साधारण कारावास से

Rajasthan (APO) 2007

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

24. In which of the following cases husband and wife both were held guilty of criminal conspiracy
निम्न में से किस निर्णय में पति और पत्नी दोनों को आपराधिक षड्यंत्र का दोषी माना गया है?

(a) Tej Khan v. State of M.P.
तेज खान बनाम स्टेट ऑफ एम0 पी0
(b) Kuldeep Singh v. State of Rajasthan
कुलदीप सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान
(c) Darshan Singh v. State/दर्शन सिंह बनाम स्टेट
(d) Pradumma v. State/प्रदुम्मा बनाम स्टेट

Uttarakhand (J) 2008

Ans. (a) : तेज खान बनाम स्टेट ऑफ एम0 पी0 के वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय सुनाते हुए कहा कि पति-पत्नी दोनों इस मामले में अपराधिक षड्यंत्र के दोषी हैं।

25. The definition of criminal conspiracy in Section 120-A, IPC has been taken from that given in/भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-A के अंतर्गत आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा ली गई है-

(a) Muichay v. Queen/मुलचे बनाम क्वीन
(b) Quinn v. Leatham/क्वीन बनाम लीथम
(c) Abdul Rehman v. Emperor
अब्दुल रहमान बनाम इम्पेरर
(d) R v. Vincent/आर. बनाम विन्सेन्ट

Jharkhand (J) 2016

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-A के अंतर्गत आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा **क्वीन बनाम लीथम** के वाद से ली गई है।

26. Which of the following case is known as Nasik Conspiracy case?
निम्नलिखित में से कौन-सा वाद नासिक षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है?

(a) Vinayak Damodar Savarkar's case
विनायक दामोदार सावरकर का वाद
(b) Bal Gangadhar Tilak's case
बाल गंगाधर तिलक का वाद
(c) Madhu Limye's case/मधु लिमये का वाद
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

Uttarakhand (J) 2014

Ans : (a) विनायक दामोदार सावरकर का वाद नासिक षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है, जो भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 120A से सम्बन्धित है।

27. Read Assertion (A) and Reason (R) and with the help of codes given below find the correct explanation:
अभिकथन (A) और तर्क (R) को पढ़िये और नीचे दिये गये कूटों की मदद से सही व्याख्या ढूँढिए:

Assertion (A): The gist of conspiracy lies in forming the scheme between two or more persons to perform the overt act.
अभिकथन (A): षड्यंत्र का सार दो या अधिक व्यक्तियों के बीच प्रकट कृत्य करने हेतु बनाई जाने वाली योजना में है।
Reason (R): The alleged agreement must provide circumstantial evidence about the participation by all to establish conspiracy.
तर्क (R): षड्यंत्र सिद्ध करने हेतु कथित समझौते के लिए सभी की भागीदारी सिद्ध करने वाला पारिस्थितिकीय साक्ष्य उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

Codes/कूट:

(a) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)/(A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है
(b) Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A)/(A) और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है
(c) (A) is correct, but (R) is false
(A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है
(d) (A) is false , but (R) is true
(A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है

UGC (NET) December, 2014 Paper-III

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120A अपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित करती है, वही धारा 120B षड्यंत्र के दण्ड का प्रावधान करती है।
धारा 120A के अनुसार, निम्नलिखित तत्व हैं-
(1) दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच करार, जिन पर षड्यंत्र करने का आरोप हो।
(2) करार-
(A) कोई अवैध कार्य या
(B) कोई कार्य यद्यपि अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने के लिए किया जायें।
उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि (A) (R) दोनों सही हैं और (R) (A) का सही स्पष्टीकरण है।

अध्याय - 8
राज्यों के विरूद्ध अपराध (धारा 121-130)

1. Waging or attempting to wage war or abetting waging of war against the government of India, is punishable under _____of Indian penal code.
भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना, भारतीय दण्ड संहिता ..... में दण्डनीय है

(a) Sec. 121/धारा 121 (b) Sec.132/धारा 132
(c) Sec.122/धारा 122 (d) Sec.124/धारा 124

BPSC (APO) 2009

Ans : (a) भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 121 के अनुसार, जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करेगा या ऐसा युद्ध करने का प्रयत्न करेगा या ऐसा युद्ध करने का दुष्प्रेरण करेगा वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

2. Whoever, wages was against the Government of India or attempts to wages such war shall be punished with
जो कोई भारत सरकार के विरूद्ध युद्ध करेगा युद्ध करने का प्रयत्न करेगा, दण्डनीय होगा--

(a) Imprisionment up to 14 years with fine.
14 वर्ष तक के कारावास एवं जुर्माना
(b) Death or imprisonment of life with fine.
मृत्यु अथवा आजीवन कारावास एवं जुर्माना
(c) Imprisonment up to 10 year with fine.
10 वर्ष तक के कारावास एवं जुर्माना
(d) Impisonment up to 7 year with fine
7 वर्ष तक के कारावास एवं जुर्माना

Chhattishgarh (J) 2019

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

3. 'A' joins an insurrection against the Government of India, 'A' has committed the offence of:
'A' भारत सरकार के विरूद्ध विप्लव में सम्मिलित होता है। 'A' ने अपराध किया:

(a) Criminal Conspiracy/आपराधिक षड्यन्त्र का
(b) Sedition/राजद्रोह का
(c) Waging of war against the Government of India/भारत सरकार के विरूद्ध युद्ध करने का
(d) Criminal Breach of Trust /आपराधिक न्यास भंग का

Uttarakhand (J) 2021

Ans. (c) : 'A' भारत सरकार के विरूद्ध विप्लव में सम्मिलित होता है। 'A' ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 121 में परिभाषित भारत सरकार के विरूद्ध युद्ध करने का अपराध किया है।

4. Which of the following is an offence punishable under the India Penal Code 1860.
भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के तहत कौन-सा प्रयत्न दण्डनीय अपराध है?

(a) Attempting to wage war against the Government of India
भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का प्रयत्न
(b) waging war against any Asiatic Power in alliance with the Government of India
भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाले किसी एशियाई शक्ति की सरकार से युद्ध करने का प्रयत्न
(c) Attempt to commit robbery or docoity when armed with deadly weapon./घातक आयुधों से सुसज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न
(d) All of these/इनमें सभी

MP (HJS) 2018

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के तहत उपरोक्त सभी अपराधों का प्रयत्न निम्नलिखित धाराओं के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है–

धारा 121 में प्रावधान किया गया है कि जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करेगा या ऐसा युद्ध करने का प्रयत्न करेगा, वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 125 में प्रावधान किया गया है कि जो कोई भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाले किसी एशियाई शक्ति के विरुद्ध युद्ध करने का प्रयत्न करेगा, वह आजीवन कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

धारा 398 में प्रावधान किया गया है कि यदि लूट या डकैती करने का प्रयत्न करते समय अपराधी किसी घातक आयुद्ध से सज्जित होगा, तो वह कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम का नहीं होगा, दण्डित किया जायेगा।

5. Under which of the following sections of the Indian Penal Code, 1860 a conspiracy to wage war against the Government of India is punishable?
भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का षड्यंत्र का दण्ड भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की निम्न किस धारा में बताया गया है?

(a) 120/धारा 120 में (b) 120A/धारा 120 क में
(c) 121A/धारा 121 क में (d) 121/धारा 121 में

UPPCS (J) 2016

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा 121-A,** धारा 121 द्वारा दण्डनीय अपराधों को करने के षड्यन्त्र के बारे में प्रावधान करता है। धारा 121-A में प्रावधान किया गया है कि जो कोई धारा 121 द्वारा दण्डनीय अपराधों को करने का षड्यंत्र करेगा वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक ही हो सकेगी, दण्डित किया जाये और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

6. In which of the following offences under the Indian Penal Code, preparation of the offence is punishable?
भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत निम्न में से किस अपराध की तैयारी दण्डनीय है?

(a) Murder/हत्या
(b) Dowry death/दहेज हत्या
(c) Waging war against Government of India
भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना
(d) Theft/चोरी

Uttarakhand (J) 2009

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 122 में प्रावधान किया गया है कि जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध या तो युद्ध करने या युद्ध करने की तैयारी करने के आशय से पुरुष, आयुध या गोला-बारूद संग्रह करेगा, या अन्यथा युद्ध करने की तैयारी करेगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से अधिक की नहीं होगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

7. Preparation for the commission of a crime is/अपराध कारित करने के लिए तैयारी :

(a) punishable under IPC
भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय है
(b) Not punishable under the IPC
भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दण्डनीय नहीं है
(c) Punishable when the preparation is with intension of waging war against the Government of India or committing dacoity
दण्डनीय है जब तैयारी भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से हो अथवा डकैती करने के लिए हो
(d) not punishable when the preparation is with the intension of waging war/दण्डनीय नहीं है, जब तैयारी युद्ध करने के आशय से की गई हो

MP (ADPO) 2010 Paper-II

Ans. (c): भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 122 के अंतर्गत भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से तैयारी तथा धारा 399 के अंतर्गत डकैती डालने की तैयारी को दण्डनीय बनाया गया है।

8. Which Section of the Indian Penal Code defines 'sedition'?
भारतीय दण्ड संहिता की किस धारा में 'राजद्रोह' को परिभाषित किया गया है–

(a) Section 122/धारा 122 में
(b) Section 123/धारा 123 में
(c) Section 124/धारा 124 में
(d) Section 124-A/धारा 124क में

UP (APO) 2002
MP (ADPO) 1997
Uttarakhand (J) 2002

Ans: (d) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 124A में राजद्रोह को परिभाषित किया गया है। धारा 124A के अनुसार जो कोई बोले गये या लिखे गये शब्दों द्वारा या संकेतों या दृश्यरूपण द्वारा या अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेगा या पैदा करने का प्रयत्न करेगा, अप्रीति प्रदीप्त करेगा या प्रदीप्त करने का प्रयत्न करेगा, वह राजद्रोह का अपराध करता है। धारा 124A को 1870 में संशोधन द्वारा संहिता में जोड़ा गया।

9. Which offence is defined in Section 124A of the IPC?/भा.द.सं. की धारा 124 A कौन-से अपराध को परिभाषित करते हैं?

(a) Waging war against the State
राज्य के विरुद्ध युद्ध करना
(b) Conspiracy to wage such war
इस प्रकार के युद्ध का षड्यंत्र करना
(c) Armed rebellion/सशस्त्र विद्रोह
(d) Sedition/राजद्रोह

Uttarakhand (J) 2012

Ans : (d) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

10. Sedition means/राजद्रोह का तात्पर्य है-

(a) expressing disapprobation of the measure of the government with a view to obtain their alteration/सरकार के कदमों के गैरमंजूरी की अभिव्यक्ति ताकि उनका विकल्प प्राप्त किया जा सके
(b) advocacy of boycott of foreign goods as a means of helping Indian industries
विदेशी वस्तुओं के बायकाट (बहिष्कार) का समर्थन ताकि भारतीय उद्योगों की सहायता की जा सके
(c) exciting or attempting to excite hatred towards the government through a writing which remains with the author unpublished
अपनी रचना द्वारा सरकार के विरुद्ध घृणा (बैर) को उत्तेजित करना या कराना जो कि लेखक के पास ही अप्रकाशित रहती है
(d) brings the government into hatred through words, signs or visible representation
सरकार के प्रति घृणा (बैर) को शब्दों, प्रतीकों अथवा दृश्य प्रस्तुतिकरण के माध्यम से प्रकट करना

UGC (NET) June, 2019 Paper-II

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

11. Section 124A of IPC prescribes punishment for: /भारतीय दण्ड संहिता की धारा 124A किसके लिए सजा निर्धारित करती है?

(a) Sedition/राजद्रोह
(b) Waging war against the Government of India/भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए
(c) Abetting mutiny/विद्रोह उकसाने के लिए
(d) Aiding escape of a prisoner
कैदी को भगाने में सहायता के लिए

Chhattishgarh (J) 2015

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 124A के अनुसार, जो कोई राजद्रोह का अपराध करेगा वह आजीवन कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या तीन वर्ष तक के कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा, या जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

12. The punishment provided for offence of sedition under section 124-A of IPC is
धारा 124क भ.द.सं. के अन्तर्गत राजद्रोह के अपराध हेतु सजा का प्रावधान

(a) Imprisonment for life to which fine may be added or with imprisonment which may extended to 2 years to which fine may be added or with fine. /आजीवन कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या दो वर्ष तक के कारावास से, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

(b) Imprisonment for life to which fine may be added or with imprisonment which may extended to 3 years to which fine may be added or with fine./आजीवन कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या तीन वर्ष तक के कारावास से, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

(c) Imprisonment for life to which fine may be added or with imprisonment which may extended to 1 years to which fine may be added or with fine./आजीवन कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या एक वर्ष तक के कारावास से, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

(d) Imprisonment for life to which fine may be added or with imprisonment which may extended to 5 years to which fine may be added or with fine./आजीवन कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या पाँच वर्ष तक के कारावास से, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

MP CJ 2021

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

13. Under which section of the Indian penal code 1860 offence presesibed under the title of sedition, punishement provided. /भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की किस धारा के अधीन ''राजद्रोह'' शीर्षक से उल्लेखित अपराध के लिए दण्ड उपबन्धित है ?

(a) Section 123/धारा 123
(b) Section 124/धारा 124
(c) Section 124A/धारा 124-क
(d) Section 125/धारा 125

Rajasthan (APO) 2015

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

14. 'Whoever by words, either spoken or written, or by signs, or by visible representation, or otherwise, brings or attempts to bring in hatred or contempt or excites or attempts to excite disaffection towards, the government established by law in India; amounts to the offence of:
जो कोई भी व्यक्ति उक्त मौखिक अथवा लिखित शब्दों से अथवा संकेत से अथवा दृश्यमान प्रतिरूपण के माध्यम से अथवा अन्यथा घृणा अथवा अवमान उत्पन्न करता है या करने का प्रयास करता है अथवा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति अप्रीति/दुराग्रह उत्पन्न करता है या करने का प्रयास करता है, तो यह निम्नलिखित में से कौन-सा अपराध करता है?

(a) Defamation/मानहानि
(b) Sedition/राजद्रोह
(c) Criminal Conspiracy/आपराधिक षड्यंत्र
(d) Assault/हमला

UGC (NET) December, 2019 Paper-II

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

15. 'Sedition' as explained in Sec. 124-A is akin to treason and the offences are against the State. But certain gestures like cartoons, although may not have wit or humur could not be penalised because:/धारा 124क की व्याख्या के अनुसार 'राजद्रोह' विश्वासघात के सदृश है और राज्य के विरुद्ध अपराध है। किन्तु कतिपय अंग-विक्षेप जैसे कार्टून, हालांकि उनमें वाकपटुता और हास्य नहीं है, को दंडित नहीं किया जा सकता है क्योंकि -

(a) It carries only anger or disgust
यह सिर्फ क्रोध या विरक्ति का वाहक होता है
(b) The mere act causes dis-affection to the government
इस कार्य से सरकार के प्रति स्नेह कम होता है
(c) Represents dis-loyalty against the government
सरकार के विरुद्ध अविश्वसनीयता को प्रतिबिम्बित करता है
(d) The manner of expression is to change the government/अभिव्यक्ति का तरीका सरकार में परिवर्तन के लिए है

UGC (NET) September, 2016 Paper-II

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 124-A के स्पष्टीकरण 2 में प्रावधान किया गया है कि घृणा, अवमान या अप्रीति को प्रदीप्त किए बिना या प्रदीप्त करने का प्रयत्न किए बिना, सरकार के कामो के प्रति विधिपूर्ण साधनो द्वारा उनको परिवर्तित कराने की दृष्टि से अननुमोदन प्रकट करने वाली टीका-टिप्पणियां इस धारा के अधीन अपराध नहीं है।

16. Which one of the expressive factors does not constitute sedition?
निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजद्रोह नहीं है?

(a) Disapprobation of the government
सरकार का अननुमोदन
(b) Exite disrespect of against government
सरकार के विरुद्ध अनादर भाव उकसाना
(c) Commenting on adminstrative actions of the government
सरकार की प्रशासनिक कार्यवाइयों पर टिप्पणी करना
(d) Attempting to excite disaffection against government/सरकार के विरुद्ध अप्रीति का भाव पैदा करने का प्रयास

UGC (NET) November, 2017 Paper-III

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 124A के स्पष्टीकरण 3 में प्रावधान किया गया है कि घृणा, अवमान या अप्रीति को प्रदीप्त किए बिना या प्रदीप्त करने का प्रयत्न किए बिना सरकार की प्रशासनिक या अन्य क्रिया के प्रति अननुमोदन प्रकट करने वाली टीका-टिप्पणियां इस धारा के अधीन अपराध गठित नहीं करती हैं।

17. Which one of the following is an essential ingredient of sedition/निम्नलिखित में से कौन सा 'राजद्रोह' के लिए आवश्यक तत्व है?

(a) Dishonest intention/बेईमानी का आशय
(b) Malafide intention/दुर्भावनापूर्ण आशय
(c) Word spoken causing violation of public order
बोले गये शब्द लोक व्यवस्था को भंग करने का कारण हो
(d) Word spoken must be capable of exciting disaffection towards the government
बोले गये शब्द सरकार के प्रति अप्रीति प्रदीप्त करने के लिए अवश्य पर्याप्त हो

MP (ADPO) 2009 Paper-II

Ans. (d): भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 124-A में राजद्रोह को परिभाषित किया गया है।
राजद्रोह के निम्नलिखित दो आवश्यक तत्व हैं-
(1) सरकार के प्रति घृणा या अवमान उत्पन्न करना या उत्पन्न करने का प्रयत्न करना या अप्रीति प्रदीप्त करने का प्रयत्न करना।
(2) ऐसे कार्य या प्रयास को बोले या लिखे शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्यरूपण द्वारा करना।

18. Which one of the following is sufficient to prove the offence of sedition?
निम्नलिखित में कौन-सा देशद्रोह का अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त है?

(a) Comments expressing disapproval of the policies of the Government with a view to obtain a change in policies by lawful means /कानूनी तौर पर नीतियों में परिवर्तन करने की मंशा से सरकारी नीतियों की अस्वीकृति व्यक्त करते हुए
(b) Proof of disloyalty or ill feelings/गैर निष्ठा अथवा बीमार भावनाओं का प्रमाण
(c) Comments expressing disapproval of the administrative action even though these do not excite hatred or disloyalty/ऐसी टिप्पणियाँ जो प्रशासनिक कार्यवाई की अस्वीकृति व्यक्त करती हैं भले ही वे घृणा या निष्ठाहीनता को उत्तेजित न करें
(d) Exciting disaffection towards the Government/ सरकार के प्रति अप्रसन्नता को उत्तेजित करना

Jharkhand (J) 2019

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या करें।

19. The essence of sedition is : /राजद्रोह का सार है-

(a) Intention/आशय
(b) finding of the offender/अपराधी की प्राप्तियां
(c) Consequence/परिणाम
(d) Consequence and finding of offenders
परिणाम एवं अपराधी की प्राप्तियां

Rajasthan (APO) 2005

Ans. (c) : राजद्रोह का अपराध होने के लिए हिंसा या लोक व्यवस्था को उकसाने के आशय की आवश्यकता नहीं होती है।
तिलक वाद में यह इंगित किया गया कि यदि लेखों या भाषणो को पढ़ने से लेखों या भाषणों का युक्तियुक्त, वास्तविक तथा सम्भाव्य प्रभाव उनके मस्तिष्क पर जो उसे पढ़ते हैं या जिन्हें सम्बोधित किया गया है, सरकार के प्रति घृणा, तिरस्कार या अप्रीति सृजित करता है तो यह अपराध कारित हुआ समझा जायेगा।

20. Nitesh has spread hatred and defamation against the Bihar Government in one of his published articles. He can be punished for the following affence -
नितेश ने अपने एक प्रकाशित लेख में बिहार सरकार के विरुद्ध नफरत एवं मानहानि को फैलाया है। उसे निम्न अपराध के लिए दण्डित किया जा सकता है

(a) To spread war/युद्ध फैलाने के लिए
(b) For abetment/दुष्प्रेरण के लिए
(c) For Sedition/राजद्रोह के लिए
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

BPSC (APO) 2009

Ans : (c) प्रस्तुत समस्या में नितेश को भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत राजद्रोह के लिए (धारा (124-A) दण्डित किया जा सकता है। राजद्रोह का अपराध गठित करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति गदर या विद्रोह या अन्य किसी प्रकार की अशान्ति उत्तेजित करे या इसका प्रयत्न करें। किसी व्यक्ति द्वारा सरकार के प्रति तिरस्कार या घृणा की भावना उत्तेजित करने का प्रयास करना अपराध गठत करने हेतू पर्याप्त होगा **(बालगंगाधर तिलक वाद (1897)**।

21. Which of the following is punishasle as sedition?/ निम्न में से कौन-सा राजद्रोह के रूप में दण्डनीय है?

(a) Instigating the public to not to obey statutory authority and law/वैधानिक प्राधिकारी एवं विधि का पालन नहीं करने के लिए जनता को भड़काना
(b) Attacking the government by publishing the policies/सरकार की नीतियों पर प्रकाशन द्वारा आक्रमण करना
(c) Hate criticism for overthrowing the government/सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भयंकर आलोचना करना
(d) Trying to remove the minister from power/मंत्री को सत्ता से हटाने का प्रयास करना।

Rajasthan (APO) 2005

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 124A स्पष्ट रूप से उपबंध करता है कि सरकार के उपायों का जिनमें सुधार किये जाने के उद्देश्य से कठोर शब्दों से अननुमोदन व्यक्त करना अथवा वैध साधनों का प्रयोग करना अपराध के अन्तर्गत नहीं आता है। परन्तु वैधानिक प्राधिकारी या विधि की अवहेलना करने को उकसाना इस धारा के अन्तर्गत अपराध होगा।

22. Which one of the following is punishable as sedition?/ निम्नांकित में से राजद्रोह के रूप में कौन-सा दण्डनीय है?

(a) Bitter criticism of the government to overthrow it/सरकार को उलट देने के लिए उसकी कठोर अलोचना
(b) Inducing people to cease to obey law and lawful authority/लोगों की विधि और विधिक प्राधिकार का आज्ञानुवर्तन से प्रवरित रहने को उत्प्रेरित करना

(c) A publicist attack on the policies of the government/सरकार की नीतियों पर प्रचारात्मक आक्रमण

(d) An attempt to remove the Ministers from power/मन्त्रियों को पद से हटाने का प्रयत्न

UP (APO) 2007

Ans : (b) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

23. 'A' sent through the post office, a package containing seditious publications, with a covering letter requesting the addressee to circulate it to others. It was intercepted and never reached the addressee. 'A'—
'अ' ने डाक द्वारा पैकेट में राजद्रोही प्रकाशन सामग्री एक पत्र के साथ भेजी जिसमें प्रेषित से उस सामग्री को और लोगों में वितरित करने का अनुरोध किया गया था। उस पैकेट को रास्ते में ही पकड़ लिया गया और वह प्रेषिती तक कभी नहीं पहुँचा। 'अ'

(a) Committed the offence of sedition/ने राजद्रोह का अपराध कारित किया है

(b) Did not commit any offence/कोई अपराध कारित नहीं किया है

(c) Is guilty of inciting communal riot/साम्प्रदायिक दंगा भड़काने का दोषी है

(d) Is guilty of an attempt to commit sedition/राजद्रोह कारित करने के प्रयत्न का दोषी है

UP (APO) 2007

Ans : (d) प्रस्तुत समस्या में 'अ' भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 124A के अधीन राजद्रोह कारित करने के प्रयत्न का दोषी है। **सुरेश चन्द्र सानयाल (1912)** के मामले में यह मत अभिव्यक्त किया गया कि राजद्रोही वस्तु का डाक द्वारा किसी व्यक्ति को नाम द्वारा सम्बोधित न कर बल्कि पदनाम से सम्बोधित कर भेजना प्रकाशन के तुल्य होगा यदि किसी व्यक्ति द्वारा पत्र खोल दिया जाता है।

24. Which of the following is neither an offence against person nor against property?
निम्नलिखित में से कौन सा अपराध न तो मानव शरीर के विरुद्ध और न ही सम्पत्ति के विरुद्ध है?

(a) Cheating/छल (b) Sedition/राजद्रोह

(c) Robbery/लूट (d) Murder/हत्या

UP (APO) 2007 (Special)

Ans: (b) 'राजद्रोह' राज्य के प्रति अपराध है मानव के शरीर या संपत्ति के विरुद्ध नहीं। राजद्रोह भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय-6 (धारा 124A) के अधीन आता है।

25. Kedarnath Singh v. State of Bihar AIR 1962 SC 955 has decided the constitutional validity of IPC, 1860
केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य, AIR 1962 SC 955 ने भा. दं. सं., 1860 की किस धारा की संवैधानिक वैधता निर्धारित की है?

(a) Section 124A/धारा 124 क

(b) Section 505/धारा 505

(c) Section 124A and 505/धारा 124क और 505

(d) Section 121/धारा 121

JPSC (APO) 2019

Ans. (c) : केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य, (1962 SC) के वाद में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 124-A (राजद्रोह) तथा धारा 505 (लोक रिष्टिकारक वक्तव्य) की संवैधानिक वैधता निर्धारित की गयी।

26. Which one of the following is a case decided by Federal Court on Section 124A of IPC?
निम्नलिखित में से कौन-सा वाद फेडरल कोर्ट द्वारा धारा 124-क भा.दं.सं. पर निर्णित हुआ था?

(a) Kedar Nath v. State/केदारनाथ बनाम राज्य

(b) Niharendu Dutt v. Emperor/निहारेन्दु दत्त बनाम इम्परर

(c) Q. Empress v. Bal Gangadhr Tilak/क्वीन इम्प्रेस बनाम बालगंगाधर तिलक

(d) Emperor v. Sadashivnarayan/इम्परर बनाम सदाशिव नारायण

Uttarakhand (J) 2014

Ans : (b) निहारेन्दु दत्त बनाम इम्परर का वाद 1942 में फेडरल कोर्ट द्वारा निर्णीत किया गया था, जो धारा 124A पर आधारित है। इस वाद में मारिस गायर ने कहा की प्रत्येक सरकार का प्रथम एवं मूलभूत दायित्व व्यवस्था को सुरक्षित रखना है, क्योंकि व्यवस्था ही सभी सभ्यताओं एवं मानव सुखो के उन्नति की पूर्व शर्त है।

27. A is a public servant and in that capacity he was keeping a prisoner in custody. He voluntarily allows the prisoner to escape from the place in which the prisoner was confind. Under which section of IPC 1860 will he be punished ?
''क'' एक लोक सेवक है और उस हैसियत से वह एक राजकैदी को अभिरक्षा में रखे हुए था। वह स्वेच्छया उस कैदी को ऐसे स्थान से जिसमें वह कैदी परिरूद्ध था, निकल भागने देता है। भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की किस धारा के अधीन वो दण्डनीय होगा?

(a) Section 128/धारा 128

(b) Section 129/धारा 129

(c) Section 130/धारा 130

(d) Section 225A/धारा 225-क

Rajasthan (APO) 2015

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 128 के अनुसार, जब किसी लोक सेवक द्वारा स्वेच्छया किसी राजकैदी या युद्धकैदी को निकल भागने दिया जाता है तब ऐसा लोक सेवक आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

अध्याय - 9

सेना, नौ सेना और वायुसेना से सम्बन्धित अपराध (धारा 131-140)

1. Which Sections of the Indian Penal code provide for the offence relating to the Army, Navy and Air Froce?
भारतीय दण्ड संहिता की कौन-सी धाराएँ थलसेना, नौसेना तथा वायुसेना से संबंधित अपराधों के संबंध में प्रावधान करती हैं?

(a) Section 171-A to 171-I/ धारा 171–A से 171-1
(b) Section 124 to 129/ धारा 124 से 129
(c) Section 131 to 140/ धारा 131 से 140
(d) Section 165 to 171/ धारा 165 से 171

Bihar (APO) 2020
Uttrakhand (J) 2011

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 131 से 140 सेना, नौसेना तथा वायुसेना से सम्बन्धित अपराधों के सम्बन्ध में प्रावधान करती है।

2. Provision relating to harboring deserter has been prescribed under Indian Penal Code in
भारतीय दण्ड संहिता में अभित्याजक को संश्रय देना उपबंधित है, अन्तर्गत-

(a) Section 131/धारा 131 में
(b) Section 135/धारा 135 में
(c) Section 136/धारा 136 में
(d) Section 137/धारा 137 में

Uttarakhand (J) 2021

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 136 में अभित्याजक को संश्रय देना उपबंधित है।

3. If any soldier of Indian Army hide in the house of his wife with her help after desertion, then/यदि भारतीय सेना का कोई जवान अभित्याग करने के पश्चात् अपनी पत्नी के मकान में उसकी सहायता से छुपता है, तब:

(a) His wife will not be liable for harbouring/उसकी पत्नी अभित्याजक को संश्रय देने के अपराध की दायी नही होगी
(b) His wife will be liable for harbouring/उसकी पत्नी अभित्याजक को संश्रय देने के अपराध की दायी होगी
(c) His wife will be liable for abettment of desertion/उसकी पत्नी अभित्याग के अपराध के दुष्प्रेरण हेतु दायी होगी
(d) His wife will be liable for an offence of reduce a solider from his duty/उसकी पत्नी एक जवान को अपने कर्तव्यों से विचलित करने के अपराध की दायी होगी

MP (ADPO) 1995

Ans : (a) भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा 136 के अपवाद** के अनुसार, भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी आफिसर, सैनिक, नौसैनिक, या वायुसैनिक ने अभिव्यजन किया है, ऐसे आफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक को यदि पत्नी द्वारा अपने पति को संश्रय दिया जाता है, तब उसकी पत्नी अभित्याजक को संश्रय देने के अपराध की दायी नहीं होगी।

4. Not being a soldier of the Government of India, he, with the intention of believing that he is such a soldier, wears such dress as is used by such soldier. Under which section of the Indian Penal code, 1860 will he be punishable?
''क'' भारत सरकार की सैन्य का एक सैनिक न होते हुए इस आशय से की यह विश्वास किया जाए की वह ऐसा सैनिक है, ऐसी पोशाक पहनता है जो ऐसी सैनिक द्वारा उपयोग में लायी जाती है। भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की किस धारा के अधीन वह दण्डनीय होगा?

(a) Section 140/ धारा 140
(b) Section 139/ धारा 139
(c) Section 138/ धारा 138
(d) Section 137/ धारा 137

Rajasthan (APO) 2015

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 140 के अनुसार, जो कोई भारत सरकार की सैन्य, नाविक या वायुसेना का सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक न होते हुए इस आशय से कि यह विश्वास किया जाय कि वह ऐसा सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक है ऐसा कोई पोशाक पहनेगा या ऐसा टोकन, धारण करेगा जो ऐसे सैनिक नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक या टोकन के सदृश हो, तो वह दोनो में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक हो सकेगी या जुर्माने से जो पाँच सौ रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

अध्याय – 10

लोक-प्रशान्ति के विरूद्ध अपराध

अपराध (धारा 141-160)

1. 'Unlawful Assembly' has been defined in _____ of the Indian Penal Code.
भारतीय दण्ड संहिता की.....में 'विधि-विरुद्ध जमाव' को परिभाषित किया गया है।

(a) Section 141/ धारा 141
(b) Section 142/ धारा 142
(c) Section 146/ धारा 146
(d) Section 148/ धारा 148

UP(APO) 2002
Uttrakhand (J) 2009, 2011,2014
Bihar (APO) 2002

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 141 में विधिविरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है। इस धारा के अनुसार, पाँच या अधिक व्यक्तियों का जमाव विधिविरुद्ध जमाव कहा जाता है यदि उन व्यक्तियों का जिनसे वह जमाव गठित हुआ है, सामान्य उद्देश्य हो–

पहला– केन्द्रीय सरकार को, या किसी राज्य सरकार को या संसद की या किसी राज्य के विधानमण्डल को या किसी लोक सेवक को जबकि वह ऐसे लोक सेवक की विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर रहा हो, आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करना, अथवा

दूसरा- किसी विधि के या किसी वैध आदेशिका के निष्पादन का प्रतिरोध करना, अथवा

तीसरा- किसी रिष्टि या आपराधिक अतिचार या अन्य अपराध का करना, अथवा

चौथा- किसी व्यक्ति पर आपराधिक बल द्वारा या बल के प्रदर्शन द्वारा किसी सम्पत्ति का कब्जा ले लेना या अभिप्रात करना।

पाँचवा- आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा किसी व्यक्ति को वह वैध रूप से आबद्ध न हो या उसका लोप करने के लिए जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध हो, विवश करना।

2. The term "unlawful assembly" means-
'विधि विरूद्ध जमाव' से अभिप्राय है-

(a) An assembly of five or more persons/पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का जमाव
(b) An assembly of five or more persons armed with lethal weapons/पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का घातक हथियारों के साथ जमाव
(c) An assembly of five or more persons with a common object of doing a crime/अपराध कारित करने के समान उद्देश्य से पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का जमाव
(d) An assembly of minimum two persons having common intention to commit a crime/अपराध कारित करने के समान आशय से कम से कम दो व्यक्तियों का जमाव

Rajasthan (J) 2013
UP (HJS) 2018 Part II

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

3. The essential ingredient to form an unlawful assembly as defined in India Penal Code is:
भारतीय दण्ड संहिता में परिभाषित विधि विरुद्ध जमाव गठित करने के लिए सारभूत संघटक हैं-

(a) an assembly of two or more persons with common object of doing a crime/किसी अपराध को कारित करने के सामान्य उद्देश्य के साथ दो या अधिक व्यक्तियों का जमाव
(b) an assembly of five or more persons armed with weapon/आयुध से सज्जित होकर पाँच या अधिक व्यक्तियों का जमाव
(c) an assembly of five or more persons with common object of doing a crime/किसी अपराध को कारित करने के सामान्य उद्देश्य के साथ पाँच या अधिक व्यक्तियों का जमाव
(d) an assembly of five or more persons disturbing public peace and tranquility/लोक शांति एवं प्रशांति भंग करने वाले पाँच या अधिक व्यक्तियों का जमाव

UP (HJS) 2018 Part-I

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

4. For an assembly to be unlawful it must have a common object o the kind specified in:
किसी जमावड़े के गैर-कानूनी होने के लिए उसके पास निम्नलिखित में उल्लेखित एक सामान्य उद्देश्य होना चाहिए:

(a) Section 141, IPC
धारा 141 भारतीय दण्ड संहिता
(b) Section 140, IPC
धारा 140 भारतीय दण्ड संहिता
(c) Section 142, IPC
धारा 142 भारतीय दण्ड संहिता
(d) Section 144, IPC
धारा 144 भारतीय दण्ड संहिता

Chhattisgarh (ADPO)2021

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

5. How many persons are required to form an unlawful assembly?
एक अविधिपूर्ण जमाव के लिए कितने सदस्यों की जरूरत है?

(a) Two persons/दो (b) Three persons/तीन
(c) Four persons/चार (d) Five persons /पाँच

JPSC (APO) 2019
MPHC (CJ) 2006, 2002

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 141 में परिभाषित 'विधि विरुद्ध जमाव' (Unlawful Assembly) के अपराध के लिए 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है।

6. For an unlawful assembly the minimum number of persons are required:
अवैध जमाव के लिए कम से कम कितने व्यक्तियों का होना आवश्यक है?

(a) Five/पाँच
(b) Ten/दस
(c) Seven/सात
(d) Three/तीन

Uttarakhand (APO) 2021

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

7. An unlawful assembly constituted in the meaning of Section 141 of Indian Panal Code, 1860 is comprising of
भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 141के अनुसार विधि विरूद्ध जमाव गठित होता है :-

(a) Two and more persons/दो एवं अधिक व्यक्तियों से
(b) Five and more persons /पांच एवं अधिक व्यक्तियों से
(c) Three and more persons /तीन एवं अधिक व्यक्तियों से
(d) None of above/उक्त में से कोई नहीं

Rajasthan (DJC) 2012
Chhatisgarh (J) 2012
BPSC (APO) 2009

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

8. Which of the following is not an essential element of "unlawful assembly"?/निम्नलिखित में से कौन सा ''विधि विरुद्ध जमाव'' का आवश्यक तत्व नहीं है?

(a) Five or more persons/पाँच या अधिक व्यक्ति
(b) Common object/सामान्य उद्देश्य
(c) Common intention/सामान्य आशय
(d) To resist the execution of any or of any legal process/विधि अथवा विधिक प्रक्रिया के निष्पादन का प्रतिरोध

UP (APO) 2006

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

9. The provision regarding the offences against the Public Tranquility are as follows/लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय के संबंध में उपबंध निम्नलिखित हैं:

(A) Whoever, being aware of facts which render any assembly an unlawful assembly, Intentionally joins that assembly, Or continues in it, is said to be a member of unlawful assembly/जो कोई उन तथ्यों से परिचित होते हुए जो किसी जमाव को विधिविरुद्ध जमाव बनाते हैं, उस जमाव में साशय सम्मिलित होता है या उसमें बना रहता है, वह विधिविरूद्ध जमाव का सदस्य है, यह कहा जाता है।
(B) When two or more persons, by fighting in a public place, disturb the public peace, they are said to commit an affray/जबकि दो या अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं, तब यह कहा जाता है कि वे दंगा करते हैं।
(C) Whoever is a member of an unlawful assembly, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year/जो कोई विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, से दण्डित किया जाएगा।
(D) Whoever commits an affray, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one month, or with fine which may extend to one hundred rupees, or with both/जो कोई दंगा करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो एक सौ रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जाएगा
(E) Whoever is guilty of rioting shall be punished with fine only/जो कोई बल्वा करने का दोषी होगा, मात्र जुर्माने से दण्डित किया जाएगा

निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें:

(a) B and C only /केवल B और C
(b) C and D only/केवल C और D
(c) A, B and D only/केवल A, B और D
(d) A and C only/केवल A और C

UGC (NET) June, 2020 Paper-II

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 142 के अनुसार, जो कोई उन तथ्यों से परिचित होते हुए, जो किसी जमाव को विधिविरुद्ध जमाव बनाते हैं, उस जमाव में साशय सम्मिलित होता है, या उसमें बना रहता है, वह विधि विरूद्ध जमाव का सदस्य है, यह कहा जाता है।
धारा 159 के अनुसार, जबकि दो या अधिक व्यक्ति लोक-स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं, तब यह कहा जाता है कि वे ''दंगा'' करते हैं।
धारा 160 के अनुसार, जो कोई दंगा करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।
इस प्रकार केवल विकल्प (A), (B) और (D) सही हैं।
जबकि धारा 143 के अनुसार विधि विरूद्ध जमाव के सदस्यों के लिए 6 मास तक का कारावास तथा धारा 147 के तहत बल्वा के लिए 2 वर्ष तक के कारावास के दण्ड का प्रावधान किया गया है।

10. Whoever becomes member of an unlawful assembly can be punished under following section of IPC-
जो कोई विधि विरूद्ध जमाव का सदस्य होगा वह भारतीय दण्ड विधान के निम्न धारा में दण्डित किया जायेगा:

(a) Section 142/धारा 142
(b) Section 143/धारा 143
(c) Section 144/धारा 144
(d) Section 147/धारा 147

MP (ADPO) 1993

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 143 के अनुसार, जो कोई विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य होगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

11. Punishment for being a member of unlawful assembly under Indian Penal Code has been provided under
भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होने की सजा का उल्लेख किया गया है:

(a) Section 141/धारा 141 में
(b) Section 142/धारा 142 में
(c) Section 143/धारा 143 में
(d) Section 146/धारा 146 में

Uttarakhand (J) 2008

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

12. Read Assertion (A) and Reason (R) and using the codes given below choose the correct answer:
अभिकथन (A) तथा कारण (R) को पढ़िए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

Assertion (A): A riot is simply an unlawful assembly in a particular state of activity.
अभिकथन (A): एक बल्वा विशिष्ट कार्यकलाप की स्थिति में अवैध सभा मात्र है।
Reason (R): The use of force distinguishes riot from unlawful assembly.
कारण (R): बल का प्रयोग बल्वा को अवैध सभा से अलग करता है।

Codes:/कूट:

(a) Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A)/(A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है
(b) Assertion (A) is correct, but Reason (R) is incorrect/(A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है
(c) Reason (R) is right and Assertion (A) is wrong/(A) सत्य है और (R) असत्य है
(d) Both Assertion (A) and Reason (R) are wrong/(A) और (R) दोनों गलत है

UGC (NET) September, 2016 Paper-III

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 146 के अनुसार जब कभी विधि विरूद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा, ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे जमाव का हर सदस्य बल्वा करने के अपराध का दोषी होगा। इस प्रकार बल का प्रयोग बल्वा को अवैध सभा से अलग करता है।

13. Whenever force or violence is used by an unlawful assembly, or by any member thereof, in prosecution of the common object of such assembly, every member of such assembly is guilty of the offence of:
जब किसी विधि विरूद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे जमाव का हर सदस्य दोषी होगा:

(a) Rioting /बल्वा का
(b) Affray/दंगा का
(c) Sedition/राजद्रोह का
(d) None of these/उपर्युक्त में से कोई नहीं

Uttarakhand (APO) 2021

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

14. A group of more then four person assemble on the roof of a house in a village. In the same time an another group of more than five person assemble on another roof, near first house. After that both group throw stone to each other. will they be liable any offence in the following/किसी ग्राम के एक मकान की छत पर 4 से अधिक व्यक्तियों का एक समूह एकत्रित होता है। उसके पास की एक अन्य छत पर, उसी समय पांच अन्य व्यक्तियों का एक दूसरा समूह एकत्रित होता है। उसके उपरान्त दोनों समूह एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं। क्या वह निम्न में से किसी भी अपराध के लिये दायी होंगे:

(a) Unlawful assembly/विधि विरुद्ध जमाव
(b) Affray/दंगा (अफ्रे)
(c) Rioting/बल्वा (रायटिंग)
(d) None of the above/इन तीनों में से किसी के लिये भी नहीं

MP (ADPO) 1995

Ans : (c) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

15. Use of violence by a member of an assembly of five or more person in furtherance of common object will constitute
पाँच या उससे अधिक सदस्यों के जमाव द्वारा किसी सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में की गई हिंसा का प्रयोग गठित करेगा

(a) Affray/दंगा
(b) Assault/हमला
(c) Rioting/बल्वा
(d) Unlawful assembly/विधि विरूद्ध जमाव

UP (APO) 2006, 2018
UPPCS (J) 2003, 2013

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

16. Which of the following is not essential for the, 'offence of the Riot'?
निम्न में से कौन-सा तत्व बल्वा के अपराध के लिए आवश्यक नहीं है:

(a) Disturbing public peace at a public place/ सार्वजनिक स्थल पर जनशांति भंग करना

(b) Unlawful assembly of five or more persons/ पाँच अथवा अधिक व्यक्तियों का विधि विरुद्ध जमाव

(c) Unlawful assembly having common object as mentioned in section 141 IPC/विधि विरुद्ध जमाव का सामान्य उद्देश्य वह जो कि धारा 141 भा.दं.सं. में उल्लेखित

(d) Accused being a member of such unlawful assembly/अभियुक्त का विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना

Chhattishgarh (J) 2008
MPHC (CJ) 2007

Ans. (a) : 1860 की धारा 146 'बल्वा करना' को परिभाषित करती है। बलवा करने के अपराध के निम्नलिखित अवयव हैं–
(1) पाँच या अधिक व्यक्तियों का विधिविरूद्ध जमाव,
(2) जमाव का सामान्य उद्देश्य हो,
(3) विधि विरूद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा सामान्य उद्देश्य के अनुसरण में बल या हिंसा का प्रयोग होना चाहिए।

17. For 'rioting' which one of the following is correct/ 'बल्वा' के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

(a) Actual force or violence must be used/वास्तविक बल अथवा हिंसा प्रयोग में लाई गई हो

(b) Mere show of 'force' is sufficient/'बल' का प्रदर्शन मात्र पर्याप्त है

(c) Mere possession of deadly weapon is sufficient/खतरनाक हथियार को कब्जे में रखना मात्र पर्याप्त है

(d) All of the above/उपर्युक्त सभी

MP (ADPO) 2010 Paper-II

Ans. (a): उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

18. In case of 'Rioting', which one of the following is not essential'बल्वा' के मामलों में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है?

(a) An unlawful assembly/एक विधिविरुद्ध जमाव

(b) Use of violence by all members indulging in rioting/बल्वा करने में अग्रसर सभी सदस्यों द्वारा हिंसा का प्रयोग

(c) Use of violence by any one member, among the persons indulged in rioting/बल्वा करने में अग्रसर सदस्यों में से किसी एक द्वारा हिंसा का प्रयोग

(d) Use of violence or force is furtheronce of the common object/सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में हिंसा या बल का प्रयोग

MP (ADPO) 2008 Paper-II

Ans. (b): उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

19. An unlawful assembly is a particular state of activity accompanied by the use of force or violence is riot, but it does not include:
बल प्रयोग या हिंसा के साथ गैर कानूनी ढंग से इकट्ठा होने के विशिष्ट क्रियाकलाप को बल्वा कहते हैं। परन्तु इसमें निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं होता?

(a) There must be five or more persons/पाँच या अधिक व्यक्ति अवश्य होने चाहिए

(b) There must be animation by a common object/एक साझे उद्देश्य के साथ अवश्य ही क्रियाशील होने चाहिए

(c) Persons assembled for lawful purpose but started quarrelling without any previous intention/लोग कानूनी उद्देश्य से इकट्ठे हुए हों परन्तु किसी पूर्व आशय के उन्होंने झगड़ना शुरू कर दिया हो

(d) All of them/उपर्युक्त सभी

UGC (NET) June, 2014 Paper-III

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

20. Fill in the blanks with appropriate words:
उपयुक्त शब्दों के साथ रिक्त स्थान भरें,

The distinctive features of riot and unlawful assembly are an activity which is accompanied by.....
बलवा अथवा गैरकानूनी सभा की मुख्य विशेषताएँ वह गतिविधि है, जो ..... के साथ चलती है।

(a) Use of force and violence/बल एवं हिंसा का उपयोग

(b) causing alarm/खतरे का संकेत उत्पन्न करना

(c) violence on a common purpose/सर्वनिष्ठ उद्देश्य के लिये हिंसा

(d) all of them/उपर्युक्त सभी

UGC (NET) December, 2012 Paper-II

Ans. (d) : बल्वा को भारतीय दण्ड संहिता 1860 के धारा 146 में प्रावधानित किया गया है। इस धारा के अनुसार, विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों के सामान्य उद्देश्य हेतु बल या हिंसा का प्रयोग जो खतरे के संकेत के रूप में हो बल्वा कहलाता है। बल्वा के लिए दण्ड धारा 147 में दिया गया है। इस प्रकार प्रश्नगत विकल्पों में से सभी बल्वा में आवश्यक विशेषताएँ हैं।

21. Which of the following statements is not true?/निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य नहीं है?

(a) Rioting and affray have been defined in sections 146 and 159 of I.P.C. respectively/ बल्वा करना और दंगा भा.दं.स. की धारा 146 और 159 में क्रमशः परिभाषित है

(b) Rioting must be committed in public place, affray may be committed in any place/बल्वा अवश्य ही लोक स्थान पर होना चाहिये, दंगा किसी भी स्थान पर हो सकता है

(c) Rioting is punishable with imprisonment extending to two years, affray is punishable with imprisonment extending to one month/ बल्वा करना दो वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय है, दंगा एक माह तक के कारावास से दण्डनीय है

(d) Rioting is committed by 5 or more persons and affray is committed by 2 or more persons/बल्वा 5 या अधिक व्यक्तियों द्वारा होता है, दंगा 2 या अधिक व्यक्तियों द्वारा होता है

UP (APO) 2006

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 146 में बल्वा तथा धारा 159 में दंगा को परिभाषित किया गया है। दंगा एवं बल्वा में मुख्यतः निम्न अंतर होता है-

1. दंगा केवल सार्वजनिक स्थान में ही कारित किया जा सकता है, जबकि बल्वा सार्वजनिक या निजी किसी भी स्थान में कारित किया जा सकता है।
2. दंगा 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा कारित किया जा सकता है, जबकि बल्वा 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा कारिता किया जा सकता है।

22. In IPC punishment for rioting is provided under/ भारतीय दण्ड संहिता में बल्वा के लिए दण्ड का प्रावधान है–

(a) Section 145/धारा 145
(b) Section 146/धारा 146
(c) Section 147/धारा 147
(d) Section 148/धारा 148

Chhattishgarh (J) 2014

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 147 के अनुसार, जो कोई बल्वा करने का दोषी होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि **दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।**

23. For rioting under the Indian Penal code, the punishment is-/भारतीय दण्ड संहिता के अधीन बल्वा करने के लिए दण्ड है-

(a) only two years/केवल दो वर्ष
(b) only three years/केवल तीन वर्ष
(c) Two years or fine or both/दो वर्ष या जुर्माना या दोनों
(d) Three years or fine or both/तीन वर्ष या जुर्माना या दोनों

BPSC (APO) 2009

Ans : (c) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

24. Following are given some provisions of law (IPC). Choose the odd one out.
नीचे आई.पी.सी. कानून के कुछ उपबन्ध दिए गए हैं भिन्न का चयन कीजिए।

(a) Section 149/ धारा 149
(b) Section 141/ धारा 141
(c) Section 34/ धारा 34
(d) Section 147/ धारा 147

UGC (NET) June, 2015 Paper-III

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 149, धारा 141 तथा धारा 34 अपराध के लिए संयुक्त दायित्व का निर्धारण करता है जबकि धारा 147 बल्वा के लिए दण्ड का उपबन्ध करता है।

25. Which of the following statement is not a correct one?
निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा एक सही नहीं है?

(a) An assembly which was not unlawful when it assembled, may subsequently become an unlawful assembly/एक सभा जब इकट्ठा हुई तब गैर कानूनी नहीं थी, बाद में एक गैर-कानूनी सभा बन सकती है
(b) Kidnapping shall be punished with imprisonment which may extend to seven years/अपहरण को कारावास से दंडित किया जाएगा जो सात वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है
(c) It is not defamation to make an imputation on the character of another person provided that the imputation be made in good faith/किसी अन्य व्यक्ति के चरित्र पर आरोप लगाना मानहानि नहीं है बशर्ते आरोप सच्चाई से लगाया जाए
(d) A riot involves minimum of three persons/एक बल्वा में न्यूनतम तीन व्यक्ति शामिल होते हैं

Chhattishgarh (J) 2015

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 146 में परिभाषित बल्वा के अपराध को विधिरूद्ध जमाव के सदस्यों द्वारा किया जाता है। धारा 141 के अनुसार, विधि विरूद्ध जमाव के अपराध के गठन हेतु व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या 5 होनी चाहिए। अतः बल्वा के अपराध के लिए न्यूनतम 5 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है।

26. Armed with deadly weapons to commit riot, punishable under I.P.C.-
घातक आयुधों से सज्जित होकर बलवा करना भा.दं.सं. के तहत दण्डनीय है-

(a) Section 159 /धारा 159 में
(b) Section 146/धारा 146 में
(c) Section 147/धारा 147 में
(d) Section 148/धारा 148 में

Rajasthan (APO) 2007
Uttarakhand (APO)2021

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 148 में घातक आयुधों से सज्जित होकर बल्वा करना दण्डनीय बनाया गया है। धारा 148 के अनुसार, जो कोई घातक आयुध से, या किसी ऐसी चीज से, जिससे आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु कारित होनी सम्भाव्य हो, सज्जित होते हुए बल्वा करने का दोषी होगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

27. In one case it was found that out of nine rioter, only three were carrying deadly weapons and the rest were not armed with any deadly weapons, under which section of the Indian penal code, 1860 would those three rioters be punishable? / एक मामले में यह पाया गया की नौ बलवाइयों में से केवल तीन लोग घातक आयुध लिए हुए थे और बाकी लोग किसी घातक आयुध से सज्जित नहीं थे। भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की किस धारा के अधीन वो तीन बलवाई दण्डनीय होंगे?

(a) Section 145/ धारा 145
(b) Section 146/ धारा 146
(c) Section 147/ धारा 147
(d) Section 148/ धारा 148

Rajasthan (APO) 2015

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

28. Rioting, armed with deadly weapon is punishable with/ घातक आयुध से सज्जित होकर बल्वा करना दंडनीय है:

(a) life imprisonment/आजीवन कारावास से
(b) rigorous imprisonment up to seven years/7 वर्ष तक के कठोर कारावास से

(c) simple imprisonment up to seven years/7 वर्ष तक के साधारण कारावास से

(d) imprisonment of either description for a term up to three years/3 वर्ष तक के किसी भी भांति के कारावास से

CBI (PP/APP) 2021
Delhi (APP)2021

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

29. Section 149 I.P.C.-
धारा 149 भा.दं.सं.

(a) is the declarative provision/घोषणात्मक प्रावधान है

(b) constitutes a seperate offence/पृथक अपराध गठित करता है

(c) is the law of evidence/साक्ष्य का नियम है

(d) all of the above/ऊपर के सभी

Chhattishgarh (J) 2011

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 149 "विधिविरूद्ध जमाव के प्रत्येक सदस्यों के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किये गये कृत्य में प्रतिनिधिक दायित्व की घोषणा करती है। धारा 149 पृथक अपराध गठित करता है, जबकि धारा 34 साक्ष्य का नियम है।

30. Section 149 of the Indian Penal Code, 1860 is
भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 149

(a) a declaratory provision/एक घोषणात्मक प्रावधान है।

(b) creates a distinct offence/पृथक अपराध का सृजन

(c) a rule of evidence/साक्ष्य का नियम

(d) All the above/उपर्युक्त सभी

Uttarakhand (J) 2008

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 149 विशिष्ट अपराध का सृजन करती है तथा यह संयुक्त दायित्व के सिद्धान्त की घोषणा करती है।

31. An offence committed by a member of an unlawful assembly in furtherance of the common object of that assembly. According to which section of the Indian Penal Code, 1860 every person who was a member of that assembly at that time of its taking, would be guitly of that offence?
एक विधि विरूद्ध जमाव के एक सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में एक अपराध किया गया है। भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की किस धारा के अनुसार, हर व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस जमाव का सदस्य था उस अपराध का दोषी होगा?

(a) Section 152 / धारा 152

(b) Section 151/ धारा 151

(c) Section 150/ धारा 150

(d) Section 149/ धारा 149

Rajasthan (APO) 2015

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 के धारा 149 के अनुसार जब विधिविरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया जाता है या कोई ऐसा अपराध किया जाता है जिसका किया जाना उस जमाव के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में सम्भाव्य जानते थे तो हर व्यक्ति, जो उस अपराध के लिए जाने के समय उस जमाव का सदस्य है, उस अपराध का दोषी होगा।

32. The ingredients of Section 149 of the Indian Penal Code are :
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 149 के तत्व हैं–

(1) Knowledge of the probability of the commission of the offence/अपराध करने का संभाव्य ज्ञान

(2) Common intention/सामान्य आशय

(3) Unlawful objects stated in Section 141 of The IPC/धारा 141 में वर्णित अवैध उद्देश्य

(4) Active participation in commission of crime./अपराध करने में सक्रिय भागीदारी

Select the correct answer using the codes given below
नीचे दिये गये कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए–
Codes/कूट :

(a) 1, 3 and 4/1, 3 और 4

(b) 2 and 4/2 और 4

(c) 3 and 4/3 और 4

(d) 1 and 3/1 और 3

UP (APO) 2002

Ans: (d) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 149 के निम्नलिखित तत्त्व हैं-

(1) विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा कोई अपराध किया जाना चाहिए।

(2) ऐसा अपराध जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने मे किया जाना चाहिए या ऐसा हो जिसका किया जाना जमाव का हर सदस्य सम्भाव्य जानता है।

33. Consider the following statements :
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

(i) Section 34 of I.P.C. requires two persons whereas Section 149 of I.P.C. requires five persons./भा.दं.सं. की धारा 34 में दो व्यक्ति अपेक्षित हैं जबकि भा.दं.सं. की धारा 149 में पांच व्यक्तियों की अपेक्षा है।

(ii) Section 34 of I.P.C. requires common intention whereas Section 149 of I.P.C. requires common object./ भा.दं.सं. की धारा 34 में सामान्य आशय की अपेक्षा है जबकि भा.द.सं. की धारा 149 में सामान्य उद्देश्य अपेक्षित है।

(iii) Section 34 of I.P.C. and Section 149 of I.P.C. both require presence of a prior consent./ भा.दं.सं. की धारा 34 और 149 दोनों में पूर्व सहमति की अपेक्षा है।

(iv) Section 34 of I.P.C. and Section 149 of I.P.C. both create specific offence./ भा.दं.सं. की धारा 34 और भा.दं.सं. की धारा 149 दोनों विनिर्दिष्ट अपराध सृजन करती हैं।

Which of the above statements are correct?
उपरोक्त कथनों में कौन सही हैं?

(a) (i) and (iii) (b) (ii) and (iii)
(c) (i) and (ii) (d) (ii) and (iv)

UP (APO) 2007 (Special)

Ans: (c) भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 34 के अन्तर्गत आपराधिक कृत्य सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए किया जाता है, जबकि धारा 149 के अन्तर्गत आपराधिक कृत्य सामान्य उद्देश्य के निष्पादन में किया जाता है।
धारा 34 संयुक्त दायित्व के सिद्धान्त को प्रतिपादित करती है परन्तु किसी विशिष्ट अपराज का सृजन नहीं करती है।

34. The applicability of the principle of common object has two essential features One purpose is that the object must import a high degree of probability; while the other prupose is:
समान उद्देश्य के सिद्धान्त लागू किये जाने के दो पहलू हैं। एक प्रयोजन यह है कि उद्देश्य सम्भाव्यता की उच्च कोटि द्योतित करता है। जबकि दूसरा प्रयोजन यह है कि:

(a) An act committed immediatel connected to the common object of the assembly/किया गया कृत्य व्यक्तियों के जमाव के समान उद्देश्य से तुरंत सम्बद्ध हो जाती है
(b) The member must have prior knowledge that there is possibility of the happening of the act/सदस्यों को इस बात की पूर्व जानकारी होनी चाहिए कि कृत्य किये जाने की सम्भावना है
(c) The co-accused knows that he will be responsible for offence that is likely to be committed/सह-आरोपी को मालूम है कि वह होने वाले अपराध का जिम्मेदार होगा
(d) The object was to cause simple injury but a fatal injury resulted/उद्देश्य सामान्य चोट पहुँचाना था, परन्तु वही चोट जानलेवा हो गयी

UGC (NET) June, 2015 Paper-II

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 149 के अनुसार - इस धारा को दो भागों में बाँटा गया है-
(1) विधि विरुद्ध जमाव के एक सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसर में किया गया कोई अपराध।
(2) कोई अपराध जिसका सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में किया जाना उस जमाव का हर सदस्य सम्भाव्य जानता हो।

35. For the application of section 149 of I.P.C:
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 149 को लागू करने के लिये

(a) Active participation of each of person is necessary/हर व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है
(b) A person should be member of unlawful assembly/व्यक्ति को विधि विरुद्ध-जमाव का सदस्य होना चाहिए
(c) Both (a) and (b) are correct/उपरोक्त दोनों (a) एवं (b) सही है
(d) None of these/उपरोक्त में से कोई भी नहीं

UGC (NET) June, 2009

Ans. (b) : यूनिस बनाम म0प्र0 राज्य (2003 SC) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि दोषसिद्धि के लिए अभियुक्त का विधिविरूद्ध जमाव के सदस्य के रूप में उपस्थिति ही पर्याप्त है। यह तथ्य की अभियुक्त विधि विरूद्ध जमाव का सदस्य था और घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति विवादित नहीं है, उसे दोषी अभिनिर्धारित करने के लिए पर्याप्त है भले ही उस पर कोई प्रत्यक्ष कृत्य करने का दोष नहीं है।

36. A distinction has been well explained by the Supreme Court in Nanakchand v. State of Punjab (A.I.R. 1955 SC 274) relating to which one of the following section of the Indian Penal Code?
उच्चतम न्यायालय ने नानकचंद बनाम पंजाब राज्य (A.I.R. 1955 SC 274) में भारतीय दण्ड संहिता की अधोलिखित किन धाराओं के मध्य अन्तर की व्याख्या अच्छी तरह से की है?

(a) Between Section 378 and Section 383/धारा 378 और धारा 383 के मध्य
(b) Between Section 361 and Section 362/धारा 361 और धारा 362 के मध्य
(c) Between Section 350 and Section 380/धारा 350 और धारा 380 के मध्य
(d) Between Section 34 and Section 149/धारा 341 और धारा 149 के मध्य

UP (APO) 2018

Ans. (d) : नानकचंद बनाम पंजाब राज्य, 1955 (S.C.) के वाद में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 और धारा 149 के मध्य अन्तर की व्याख्या की।
धारा 34 सामान्य आशय और धारा 149 सामान्य उद्देश्य से संबंधित है।

37. Distinction between 34 and 149 of IPC has been authoriatatively expounded by the Supreme Court in :
उच्चतम न्यायालय द्वारा भा.दं.सं. की धारा 34 और 149 के बीच अन्तर की प्रमाणिक व्याख्या निम्न में की गई है।

(a) State of Maharastra v. M.H. George/महाराष्ट्र राज्य बनाम एम.एच.जॉर्ज
(b) Guru Deo Singh v. State of Punjab/गुरूदेव सिंह बनाम पंजाब राज्य
(c) Ram Kumar v. State of Haryana/राम कुमार बनाम हरियाणा राज्य
(d) Nanak Chand v. State of Punjab/नानक चन्द बनाम पंजाब राज्य

UP (APO) 2007

Ans : (d) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

38. Decide on whom criminal liability can be fixed on the following:
The accused 'P' caught hold of the victim and extorted on the main accused 'L' to Strike the victim; upon which he inflicted a kirpan wound and consequently the victim died.
निम्नलिखित के लिये किस पर आपराधिक दायित्व निर्धारित किया जा सकता है फैसला करें?
मुलजिम 'P' ने विपदाग्रस्त व्यक्ति को पकड़ा और मुख्य मुलजिम (अभियुक्त) 'L' को उस पर प्रहार करने के लिये प्रेरित किया, जिस पर उसने अपनी कृपाण से चोट की और फलस्वरूप आहत व्यक्ति मर गया।

Assertions/अभिकथन:

1. **'P' is liable for punishment/'P' दण्ड के योग्य है।**
2. **'P' and 'L' are both liable for common intention/'P' और 'L' दोनों एक जैसे प्रयोजन के लिये दायी हैं।**
3. **'P' and 'L' are both liable for victims death for having common object/'P' और 'L' दोनों सर्वनिष्ठ उद्देश्य के कारण आहत व्यक्ति की मृत्यु के लिये जिम्मेदार है।**
4. **'P' is not liable for any offence/'P' किसी अपराध के लिए दायी नहीं हैं।**

Code/कूट:

(a) 1 is quite possible/1 काफी सम्भावित है
(b) 2 is reasonable/2 युक्तियुक्त है
(c) 3 is as occasion demands/3 अवसर की मांग अनुसार है
(d) 4 is most accurate/4 सर्वाधिक ठीक-ठाक है

UGC (NET) June, 2012

Ans. (c) : प्रस्तुत समस्या में (P) और (L) दोनों ही समान उद्देश्य के कारण पीड़ित की मृत्यु के लिए उत्तरदायी हैं। इस मामले में एक व्यक्ति द्वारा पीड़ित को पकड़ कर दूसरे व्यक्ति को अपराध करने के लिए अवसर उपलब्ध कराया गया है और दूसरे व्यक्ति ने दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप हमला किया है। अतः दोनों एक जैसे प्रयोजन के लिए उत्तरदायी हैं।

39. Under which of the following sections of the Indian Penal Code, 1860, promoting enmity between different groups on grounds of religion, race, place of birth, residence, language, etc. and doing acts prejudicial to maintenance of harmony is dealt with?/भारतीय दंड संहिता, 1860 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत धर्म, मूलवंश, जन्म-स्थान, निवास-स्थान, भाषा, इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द्र बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य से निपटा जाता है?

(a) Section 153/धारा 153
(b) Section 153-A/धारा 153-ए
(c) Section 153-A A/धारा 153-ए ए
(d) Section 153-B/धारा 153-बी

UPPCS (J) 2016
UGC (NET) July, 2018 Paper-II

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 153A में – धर्म मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य को दण्डनीय बनाया गया है।

40. Promoting enmity between different groups on grounds of religion is punished under which Section of the I.P.C/धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन करने को भारतीय दण्ड संहिता की किस धारा में दण्डित किया जाता है?

(a) Section 151/धारा 151
(b) Section 153/धारा 153
(c) Section 153-A/धारा 153-A
(d) Section 153-B/धारा 153-B

MP (ADPO) 2008 Paper-II, 2010 - Paper II
MPHC (CJ) 2017

Ans. (c): उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

41. Section 153AA has been inserted in the IPC 1860, by which of the following Criminal Law Amendment Act
धारा 153-क क को निम्नलिखित में से किस आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम द्वारा भा.दं.सं. 1860, में अंतः स्थापित किया गया?

(a) Act of 2001/2001 के अधिनियम से
(b) Act of 2003/2003 के अधिनियम से
(c) Act of 2005/2005 के अधिनियम से
(d) Act of 2006/2006 के अधिनियम से

Uttarakhand (J) 2014

Ans : (c) भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 153AA को दण्ड विधि संशोधन अधिनियम, 2005 द्वारा अतः स्थापित किया गया था।

42. Indian penal Code makes imputation and assertions prejudicial to national integration as an offence under
भारतीय दण्ड संहिता, राष्ट्रीय अखण्डता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन, प्राख्यानों को अपराध घोषित करता है :

(a) Section 153/धारा 153 में
(b) Section 153A/धारा 153 A
(c) Section 153B /धारा 153 B में
(d) Section 154/धारा 154 में

Chhattishgarh (ADPO) 2008
MPHJS 2017
Uttrakhand (APO) 2009

Ans.(c): भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 153B राष्ट्रीय अखण्डता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन, प्राख्यानों का अपराध घोषित करती है तथा इसके लिए 3 वर्ष तक के कारावास एवं जुर्माने से अथवा दोनों दण्ड का उपबंध करती है।

43. While one of the following sections of Indian Penal Code deals with vicarious liabilities in certain cases? / भारतीय दण्ड संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से कौन-सी धारा कुछ मामलों में प्रतिनिधिक दायित्व से सम्बन्धित है?

(a) Section 120A/धारा 120क
(b) Section 121/धारा 121
(c) Section 154/धारा 154
(d) Section 159/धारा 159

UP(ADO)2002
Uttarakhand (J) 2009
Uttarakhand (APO) 2021

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 154 प्रतिनिधिक दायित्व के सिद्धान्त पर कार्य करते हुए भू-स्वामी अथवा भूमि के अधिभोगी को दण्ड योग्य बनाती है।
काजी जमालुद्दीन अहमद (1901) के मामले में न्यायालय द्वारा यह धारित किया गया कि धारा 154 के अन्तर्गत भू-स्वामी अथवा अधिभोगी को अपने अभिकर्ता के कार्यों अथवा आशय की जानकारी आवश्यक नहीं है।

44. Which of the following Section of I.P.C. is an extension of the doctrine of 'respondent superior' to Criminal Law?
भा.दं. संहिता की निम्न धाराओं में से कौन-सी 'उर्ध्ववर्ती उत्तरदायी' (रेसपान्डेन्ट सुपीरियर) के सिद्धांत का आपराधिक विधि में विस्तार है:
(a) Section 154/धारा 154
(b) Section 159/धारा 159
(c) Section 153/धारा 153
(d) Section 121C/धारा 121-सी
(e) None of these/इनमें से कोई नहीं

Chhattishgarh (ADPO) 2013
UPPCS (J) 2015

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

45. Under Indian Penal Code, 1860 the offence of affray has been defined in
भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की निम्न किस धारा में दंगा को परिभाषित किया गया है?
(a) Sec. 146/धारा 146 में
(b) Sec. 148/धारा 148 में
(c) Sec. 159/धारा 159 में
(d) Sec. 149/धारा 149 में

UPPCS (J) 2015
Uttarakhand (J) 2009,2018

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा 159** में दंगा को परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार, जबकि दो या अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं, तब यह कहा जाता है कि वे 'दंगा' करते हैं।

46. When two or more persons, by fighting in a public place, disturb the public peace, they are liable for / जब कि दो या अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं, तब वह दोषी होंगे-
(a) rioting/बल्वा के
(b) doing acts prejudicial to maintenance of harmony/ सद्भाव बनाये रखने के लिए प्रतिकूल कार्य करना
(c) affray/दंगा के
(d) formation of unlawful assembly/विधि विरूद्ध जमाव के सृजन के लिए।

CBI (PP/APP) 2021
Delhi (APP)2021

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

47. When two or more persons fight in a public place and commit breach of peace, they commit
जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक सार्वजनिक स्थान पर लड़ते हैं तथा लोक शांति भंग करते हैं, तो वे दोषी होंगे
(a) Riot/बलवा के
(b) Robbery/लूट के
(c) Affray/दंगा के
(d) No offence/कोई अपराध नहीं

UP (APO) 2015
Uttrakhand (J) 2016, 2019

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

48. 'A' and 'B' quarrael and fiting during Cinema in Cinema Hall. They are guilty-
'क' और 'ख' एक सिनेमा हाल में सिनेमा के दौरान झगड़ते हैं और मारपीट करते हैं। वे निम्न के दोषी है-
(a) Rioting/बल्वा
(b) Assault/हमला
(c) Affary/दंगा
(d) Criminal intimidation/आपराधिक अभित्रास

MPHC (DLAO)2021

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

49. Which of the following does not constitute an offence of affray?
निम्नलिखित में से किससे दंगा का अपराध गठित नहीं होता?
(a) Five or more persons/पाँच या अधिक व्यक्ति
(b) By fighting/झगड़ा करते हुए
(c) In a public place/एक लोक स्थान पर
(d) Disturb the public peace/लोक शांति को भंग करना

Bihar (APO) 2020
Uttarakhanad (J)2012

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

50. To constitute the crime of 'affray'', what is necessary among the following/'दंगा का अपराध गठित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है?
(a) Fighting at least five persons/
कम-से-कम पाँच लोगों का आपस में लड़ना
(b) Fighting in public place/सार्वजनिक स्थान में लड़ना
(c) Fighting in a market/किसी बाजार में लड़ना
(d) Use of weapons/हथियारों का प्रयोग करना

MP (ADPO) 2008 Paper-II

Ans. (b): उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

51. Which of the following are not essential for the offence of affray? /दंगा के अपराध के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है?
(a) The number of person must be two or more/व्यक्तियों की संख्या दो या दो से अधिक हो
(b) Person are member of unlawful assembly /व्यक्ति विधि-विरूद्ध जमाव के सदस्य हो
(c) Fighting in public place/लड़ाई लोक स्थान पर हो
(d) Disturbing the public peace/लोक शांति भंग होती है

MP (ADPO) 2003

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

52. Which offence does not require of minimum number of 5 persons?
भारतीय दण्ड संहिता :- किस अपराध के लिए न्यूनतम पाँच व्यक्ति होना आवश्यक नहीं है?
(a) Rioting/बलवा करना
(b) Affray/दंगा
(c) Dacoity/डकैती
(d) None of these/इनमें से कोई नहीं

MPHC CJ 2019 Shift-I

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अन्तर्गत बल्वा करना (धारा-146), तथा डकैती (धारा -391) का अपराध गठित होने के लिए कम से कम पाँच व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। जबकि दंगा (धारा 159) के अपराध के लिए दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है।

53. Minimum number of persons required for affray under Section 159 of the IPC is
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 159 में 'दंगे' के अपराध के लिए व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या–

(a) five/पाँच है (b) two/दो है
(c) four/चार है (d) seven/सात है

JPSC (APO) 2012
MPHJS 2019
MPHC(CJ) 2002

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

54. To constitute the offence of Affray under Section 159 of the Indian Penal Code there must be:/ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 159 के अधीन दंगे के अपराध में क्या शामिल होगा?

1. **Only one person/केवल एक व्यक्ति**
2. **Two or more persons/दो या दो से अधिक व्यक्ति**
3. **Fighting in Public place to disturb public peace/लोक शांति को भंग करने के लिए सार्वजनिक स्थल पर लड़ाई**
4. **Fighting in private place/निजी स्थल पर लड़ाई**

Choose the correct option:
सही विकल्प चुनें:

(a) 1 and 3/1 और 3 (b) 2 and 3/2 और 3
(c) 2 and 4/2 और 4 (d) 1 and 4/1 और 4

UGC (NET) December, 2019 Paper-II

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 159 में दंगा (Affray) को परिभाषित किया गया है। जिसके अनुसार, जब दो या अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शान्ति में विघ्न डालते हैं तब यह कहा जाता है कि वे दंगा करते हैं। अतः विकल्प 2 और 3 दंगे के अपराध में शामिल हैं।

55. Point out the statement which is wrong.
उस कथन को निर्दिष्ट करें जो गलत है

(a) Intentionally destruction of property for causing wrongful loss to any person is 'mischief'/किसी व्यक्ति को सदोष हानि कारित करने के लिए साशय सम्पत्ति का नाश 'रिष्टि' है
(b) Intentionally putting any person in fear of injury and thereby dishonestly inducing him to deliver any property is 'extortion'.
किसी व्यक्ति को साशय कोई क्षति कारित करने के भय में डालकर तद्द्वारा उसे कोई सम्पत्ति परिदान करने के लिए बेईमानीपूर्वक उत्प्रेरित करना 'उद्दापन' है।
(c) Five or more persons conjointly committing robbery amounts to 'dacoity'.
पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से लूट करना 'डकैती' की कोटि में आता है।
(d) Two or more persons quarrelling anywhere commit 'affray'/दो या दो से अधिक व्यक्ति कही भी झगड़ा करते है तो वे 'दंगा' कारित करते हैं।

UPPCS (J) 2013

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

56. It cannot be committed in a private place:
यह प्राइवेट स्थान पर नही किया जा सकता है-

(a) Murder/हत्या (b) Riot/बलवा
(c) Assault/हमला (d) Affray/दंगा

Uttarakhand (J) 2006
Uttarakhand (APO) 2009

Ans. (d) : दंगा प्राइवेट स्थान पर नहीं किया जा सकता है। भारतीय दण्ड संहिता धारा 159 के अनुसार जबकि दो या अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शक्ति में विघ्न डालते हैं तब यह दंगा माना जाता है। दंगा के लिए आवश्यक है कि लड़ाई किसी सार्वजनिक या लोक स्थान पर हो, दंगा प्राइवेट स्थान पर नहीं हो सकता है।

57. Chose the wrong pair/गलत जोड़ी चुनिए:

Crime **अपराध**	Minimum person required **कम से कम आवश्यक व्यक्ति**
(a) criminal conspiracy /आपराधिक षड्यंत्र	- Two or more - 2 या अधिक
(b) Unlawful assembly /विधि विरूद्ध जमाव	- Five or more - 5 या अधिक
(c) Rioting /बलवा	- Five or more - 5 या अधिक
(d) Affray /दंगा	- Five or more - 5 या अधिक

MP (ADPO) 1997

Ans : (d) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

58. Maximum sentence of imprisonment that can be awarded for the offence of affray:
दंगा करने के अपराध के लिए अधिकतम सजा:

(a) Three months/तीन माह (b) Two months/दो माह
(c) One month/एक माह (d) Six months/छः माह

Chhattishgarh (J) 2008

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 160 के अनुसार, जो कोई दंगा करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 100 रूपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

59. Two brothers were abusing each other on public road without actual fight. A large crowd gathered and there was a traffic jam. The two brothers are guilty of-/वास्तव में लड़े बिना दो भाई लोकमार्ग पर एक-दूसरे को गाली दे रहे थे, वहाँ भीड़ जमा हो गई और यातायात रुक गया। ये दोनों भाई दोषी हैं-

(a) Affray/दंगा करने के
(b) Riot/बलवा करने के
(c) Mischief/रिष्टि के
(d) None of the above/इनमें से कोई नहीं

निम्नलिखित कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए:

(a) 1 और 2 (b) 2 और 3
(c) 1 (d) 4

Uttarakhand (J) 2002

Ans. (d) : जगन्नाथ शाह के वाद में दो भाई आपस में एक कस्बे के लोक मार्ग पर आपस में झगड़ा कर रहे थे तथा एक दूसरे को गालियाँ बक रहे थे। वहां काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी तथा यातायात बिल्कुल बन्द हो गया था किन्तु आघातों का आदान-प्रदान नहीं हुआ था। यह निर्णय दिया गया कि वास्तविक मारपीट के अभाव में दंगा नहीं कारित हो सकता है अतः वे इनमें से किसी अपराध के दोषी नहीं हैं।

अध्याय – 11

लोक-सेवकों द्वारा उनसे सम्बन्धित अपराध (धारा 161-171)

1. Whoever being a public servant, fails to record any information relating to rape under section 154 of Code of Criminal Procedure, shall be liable to be punished under which one of the following provisions of the Indian Penal Code, 1860?
जो किसी लोक सेवक होने के नाते, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत बलात्कार से संबंधित किसी भी जानकारी को दर्ज करने में विफल रहता है, वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 के निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक के तहत दंडित होने के लिए उत्तरदायी होगा?

(a) Section 166/धारा 166
(b) Section 166A/धारा 166A
(c) Section 166B/धारा 166B
(d) Section 167/धारा 167

CBI (PP/APP) 2021
Delhi (APP)2021

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 166A में प्रावधान किया गया है कि जो कोई लोक सेवक होते हुए धारा 326A,326B, 354, 354B,370, 376, 376A,376AB, 376B, 376C, 376D, 376DA, 376DB, 376E तथा 509 के अधीन दण्डनीय संज्ञेय अपराध के संबंध में उसे दी गई किसी सूचना को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154 के अधीन लेखबद्ध करने में असफल रहता है तो वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि 6 मास से कम की नहीं होगी किंतु जो 2 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

2. The revenue Inspector knowingly disobeys the direction to conduct enquiry at a place for demarcation, what offence, it any, has been caused by him under IPC ?
राजस्व निरीक्षक सीमा-रेखा के स्थान पर जाँच करने में जान-बूझकर निर्देशों की अवज्ञा करता है। उसने भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत यदि कोई किया है, तो किस प्रकार का अपराध किया है ?

(a) An offence as per Sec.166-A/धारा 166-ए के अनुसार अपराध करना
(b) For countinuing to remain in an unlawful assembly as per Sec.145/धारा 145 के अनुसार एक गैर-कानूनी जमावड़े में सतत बने रहने का
(c) For Touching any point material as per Sec.199/धारा 199 के अनुसार किसी भी सामग्री (पॉइट मेटेरियल) को छूने का
(d) For giving false information as per Sec.201/ धारा 201 के अनुसार मिथ्या जानकारी देने का

UGC (NET) December, 2014 Paper-II

Ans. (a) : राजस्व निरीक्षक सीमा रेखा के स्थान पर जाँच करने में जान बूझकर निर्देशों की अवज्ञा किया तो उसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 166-A के अनुसार दण्डित किया जायेगा। धारा 166-A लोक सेवक, जो विधि के अधीन के निदेश की अवज्ञा करता है। (संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा अन्तः स्थापित)

3. Under which section of the Indian Penal Code public or private hospitals punishable?
भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत सार्वजनिक या निजी अस्पतालों द्वारा किसी पीड़ित का उपचार न किया जाना दण्डनीय अपराध है ?

(a) Section 166B/धारा 166B
(b) Section 165A/धारा 165A
(c) Section 228A/धारा 228A
(d) Section 376D/धारा 376D

MP CJ, 2021
Chhattishgarh (J) 2017

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 166B के अनुसार - जो कोई अस्पताल, सार्वजनिक या व्यक्तिगत चाहे केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, स्थानीय निकाय या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संचालित हो, का भारसाधक होते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357C के प्रावधानो का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकेगा या जुर्माने से या दोनो से दण्डित किया जायेगा।

4. Whoever is in charge of any such public or private hospital maintained by the central Government, State Government, local body or any other person, section 357C Cr.P.C. violates the provisions of the Act, under which section will his said act be punishable ?
जो कोई ऐसे किसी लोक या प्राईवेट अस्पताल का चाहे वह केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा हो, का भारसाधक होते हुए धारा 357ग द.प्र.सं. के

उपबंधों का उल्लंघन करेगा, उसका उक्त कृत्य किस धारा के तहत दण्डनीय होगा ?

(a) 166 I.P.C./भा.द.वि. 166
(b) 166A I.P.C./भा.द.वि. 166 A
(c) 166B I.P.C./भा.द.वि. 166 B
(d) 168 I.P.C./भा.द.वि. 168

MP (HJS) 2017

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

5. 'A' a private doctor running his own clinic, refuses to provide medical treatment to 'B', a victim of acid attack.
'A' is liable under which one of the following Section of the Indian Penal Code?
'अ' एक प्राइवेट चिकित्सक जो स्वयं क्लिनिक चलाता है 'ब' को जो अम्ल-आक्रमण (एसिड अटैक) का पीड़ित है, उपचार देने से इन्कार करता है। भारतीय दण्ड संहिता कि निम्न में से किस धारा के अन्तर्गत 'अ' दायी है?

(a) Section 166/धारा 166 में
(b) Section 166-A/धारा 166-A में
(c) Section 166-B/धारा 166-B में
(d) Section 167/धारा 167 में

Uttarakhand (J) 2019

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

6. Whoever being in charge of private hospital contravenes the provision of section 357C of the code of criminal procedure, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to -
जो कोई, किसी निजी अस्पताल का भारसाधक होते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 ग के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो वह ऐसे कारावास से दण्डित किया जायेगा, जिसकी अवधि-

(a) three years/तीन वर्ष
(b) up to one year/एक वर्ष तक
(c) up to seven years/सात वर्ष तक
(d) up to two years/दो वर्ष तक

MP (HJS) 2016

Ans. (b) : उपरोक्त की व्याख्या देखें।

7. Public servant "A" while discharging his official functions, issues a document with incorrect particulars knowing that by this action, he is likely to harm another public servant "B". The public servant "A" is responsible for which of the following offence?
''अ'' एक लोक सेवक, अपने कार्यालयिक कार्यों के निर्वहन के दौरान यह जानते हुए कि उसके इस कार्य से दूसरे लोक सेवक ''ब'' को हानि कारित होना सम्भाव्य है, गलत विवरणों का एक दस्तावेज जारी करता है। लोक सेवक ''अ'' निम्न में से किस अपराध हेतु उत्तरदायी है?

(a) Forgery/कूटरचना
(b) Creating of false document/मिथ्या दस्तावेज रचना
(c) Cheating/छल
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

Rajasthan (J) 2018, 2019

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 167 के अनुसार, जो कोई लोक सेवक होते हुए किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की रचना या अनुवाद करने का भार वहन करते हुए उस दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की रचना तैयार या अनुवाद इस आशय से या यह सम्भाव्य जानते हुए करेगा कि तद्द्वारा वह किसी व्यक्ति की क्षति कारित करें, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

8. 'A', a public servant, having charge of translation of a document, makes an incorrect translation of a document with an intent to cause injury to 'B'. The offence committed by 'A' is:-
एक लोकसेवक 'अ', दस्तावेज का अनुवाद करने का भार वहन करते हुए, दस्तावेज का अशुद्ध अनुवाद 'ब' को क्षति कारित करने के आशय से करता है। 'अ' द्वारा किया गया अपराध है-

(a) Non-Cognizable/असंज्ञेय।
(b) Non-Bailable/अजमानतीय।
(c) Non-Compoundable/अशमनीय।
(d) All of the above/उपरोक्त सभी।

Rajasthan (J) 2016
UP(HJS) 2018 Part III

Ans. (c) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता की धारा 167 पर आधारित है जब लोक सेवक क्षति कारित करने के लिए अशुद्ध दस्तावेज रचता है या अशुद्ध अनुवाद करता है तो उसे **तीन वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से** दण्डित किया जायेगा। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 एवं अनुसूची प्रथम के अनुसार यह अपराध संज्ञेय, जमानतीय तथा अशमनीय है।

9. Personating a public servant is an offence
लोक सेवक का प्रतिरूपण एक अपराध है-

(a) Under Section 186 of IPC/भारतीय दण्ड संहिता की धारा 186 के अंतर्गत
(b) Under Section 171 of IPC/भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 के अंतर्गत
(c) Under Section 170 of IPC/भारतीय दण्ड संहिता की धारा 170 के अंतर्गत
(d) Under Section 169 of IPC/भारतीय दण्ड संहिता की धारा 169 के अंतर्गत

Jharkhand (J) 2016

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 170 में प्रावधान किया गया है कि जो कोई लोक सेवक का प्रतिरूपण करेगा या प्रयत्न करेगा, वह **2 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से** दण्डित किया जायेगा।

अध्याय – 12

निर्वाचन सम्बन्धी अपराध

(धारा 171A-171I)

1. "Bribery" is defined in:-
'रिश्वत' परिभाषित है–

(a) Section 170 of I.P.C./भारतीय दण्ड संहिता की धारा 170 में

(b) Section 171-B of I.P.C./भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171-B में

(c) Section 171-D of I.P.C./भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171-D में

(d) Section 171-E of I.P.C./भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171-E में

Chhattishgarh (ADPO) 2008

Ans. (b): भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 171-B में रिश्वत' शब्द को परिभाषित किया गया है। धारा 171-B को संहिता के भाग-9A (निर्वाचन सम्बन्धी अपराधों के विषय में) के अंतर्गत रखा गया है।

2. A, a candidate at an election propogated that he was Chalanti Vishnu and representative of Lord Jagannath himself and that any one who does not vote for him would be sinner against the Lord and the Hindu religion :
एक निर्वाचन में अ एक अभ्यर्थी ने यह प्रचार किया कि वह चालंती विष्णु होने के कारण स्वयं भगवान जगन्नाथ का प्रतिनिधि है, अतः जो भी उसके पक्ष में मत नहीं देगा, वह हिन्दू धर्म और भगवान जगन्नाथ के प्रति पापी होगा :

(a) He is guilty of committing the offence of undue influence at elections, punishable under I.P.C./वह भा.दं.सं. के अन्तर्गत निर्वाचनों में असम्यक् असर का अपराध कारित करने का दोषी होगा।

(b) He is not guilty of an offence under I.P.C., but his candidature shall be cancelled/
वह भा.दं.सं. के अन्तर्गत किसी अपराध का दोषी नहीं है परन्तु उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।

(c) He is not guilty under any law for the time being in force/
वह तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के अन्तर्गत दोषी नहीं है।

(d) He is guilty of the offence of personation of election/
वह निर्वचनों में प्रतिरूपण के अपराध का दोषी है।

UP (APO) 2007 (Special)

Ans: (a) प्रश्नगत समस्या भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 171C जो कि ''निर्वाचनों में असम्यक् असर डालने'' के बारे में प्रावधान करती है तथा **राजदेव बनाम गंगाधर AIR 1964 ओडिशा** के वाद पर आधारित है। धारा 171C के खण्ड (2) (ख) के अनुसार, जो कोई किसी अभ्यर्थी या मतदाता को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करता है कि यह मेरा कोई ऐसा व्यक्ति जिससे वह हितबद्ध है, दैवी अप्रसाद या आध्यात्मिक परिनिन्दा का भाजन हो जायेगा या बना दिया जायेगा, वह निर्वाचन में असम्यक् असर डालने का प्रयत्न करता है।

3. Which Section of Indian Penal Code defines 'personation at elections'? 'भारतीय दण्ड संहिता की कौन-सी धारा 'निर्वाचन में प्रतिरूपण' को परिभाषित करती है?

(a) Section 171-A/धारा 171-क

(b) Section 171-B/धारा 171-ख

(c) Section 171-C/धारा 171-ग

(d) Section 171-D/धारा 171-घ

MP (ADPO) 2010 Paper-II

Ans. (d): भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 171-D 'निर्वाचनों में प्रतिरूपण' को परिभाषित करती है।

धारा 171D के अनुसार– जो कोई निर्वाचन में किसी अन्य व्यक्ति के नाम से चाहे वह जीवित हो या मृत या किसी कल्पित नाम से मत-पत्र के लिए आवेदन करता या मत देता है या ऐसे निर्वाचन में एक बार मत दे चुकने के पश्चात् उसी निर्वाचन में अपने नाम से मत पत्र के लिए आवेदन करता है और कोई किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे प्रकार से मतदान दुष्प्रेरित करता है, उपाप्त करता है या उपाप्त करने के प्रयत्न करता है वह निर्वाचन में प्रतिरूपण का अपराध करता है।

4. Neeraj's brother is contesting elections. One of his friends and neighbour Kapil gets caught up somewhere on the day of election and does not come to vote. Neeraj tells the polling officer that his name is Kapil and casts Kapil's vote in favour of his brother. Neeraj is guilty of

नीरज के भाई चुनाव लड़ रहे हैं। उनका एक दोस्त और पड़ोसी कपिल चुनाव के दिन कही फंस जाते हैं और वोट देने नहीं आते हैं। नीरज मतदान अधिकारी को बताता है कि उसका नाम कपिल है और उसने अपने कपिल का वोट अपने भाई के पक्ष में डाल दिया। नीरज दोषी है

(a) no offence as he acted in good faith/किसी अपराध का नहीं क्योंकि उसने सद्भावना पूर्वक कार्य किया।

(b) no offence as he had consent (implied) of Kapil /किसी अपराध का नहीं क्योंकि उसके पास कपिल की विवच्छित सम्मती थी।

(c) personation at elections/निर्वाचन में प्रतिरूपण का।

(d) undue influence at elections/चुनावों में अनुचित प्रभाव का।

CBI (PP/APP) 2021
Delhi (APP)2021

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

5. Some provisions of the I. P.C. have been amended by the/भारतीय दण्ड संहिता के कुछ उपबन्धों का संशोधन किया गया है

(a) Administrative Tribunals Act, 1985/ प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 द्वारा

(b) Arbitration and Reconciliation Act, 1996/ मध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 द्वारा

(c) Information Technology Act, 2000/ सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम, 2000 द्वारा

(d) None of the above/ उपर्युक्त में से कोई नहीं

UP (APO) 2006

Ans. (c) : सूचना प्रौद्योगिकी के अधिनियम 2000 द्वारा भारतीय दण्ड संहिता में कुछ संशोधन किये गये हैं, साथ ही साथ निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम 2002 द्वारा भी संहिता की धारा 171-D में एक परन्तुक को जोड़ा गया है।

6. 'False statement in connection with an election' is mentioned under which section of the Indian penal Code, 1860?

'निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन' भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की किस धारा में उल्लिखित है?

(a) Section 171-G/धारा 171-छ

(b) Section 171-H/धारा 171-ज

(c) Section 171-D/धारा 171-घ

(d) Section 171-E/धारा 171-ड़

UP (APO) 2018

Ans. (a) :

भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 171G में ''निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन'' को अपराध घोषित किया गया है। धारा 171G के अनुसार, जो कोई निर्वाचन के परिणाम पर प्रभाव डालने के आशय से किसी अभ्यर्थी के व्यक्तिगत शील या आचरण के सम्बन्ध में तथ्य का कथन तात्पर्यित होने वाला कोई कथन करेगा या प्रकाशित करेगा जो मिथ्या है और मिथ्या होना वह जानता या विश्वास करता है या जिसके सत्य होने का वह विश्वास नहीं करता है वह जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

अध्याय – 13

लोक-सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान (धारा 172-190)

1. Being legally bound to appear as witness before that District Judge in pursuance of a summons issued by the District Judge. Intentionally omits to appear. In which section of the Indian Penal code has 'A committed the offence defined ?

'अ' जिला न्यायाधीश द्वारा निकाले गए समन के पालन में उस जिला न्यायाधीश के समक्ष साक्षी के रूप में उपसंजात होने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए उपसंजात होने में साशय लोप करता है। 'अ' ने भारतीय दण्ड संहिता की कौन-सी धारा में परिभाषित अपराध किया है?

(a) Session 172/धारा 172
(b) Session 173/धारा 173
(c) Session 174/धारा 174
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

Rajasthan (APO) 2015
Chhattishgarh (J) 2012, 2014

Ans. (c) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 174 के दृष्टांत (b) पर आधारित है जिसके अनुसार 'अ' ने इस धारा में (174) परिभाषित अपराध किया है।

धारा 174 में प्रावधान किया गया है कि जो कोई किसी लोक सेवक द्वारा निकाले गये समन, सूचना, आदेश या उद्घोषणा के पालन में किसी निश्चित स्थान और समय पर स्वयं या अभिकर्ता द्वारा हाजिर होने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए, उस स्थान या समय पर हाजिर होने का साशय लोप करेगा वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 500 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

2. A, Who is legally bound to produce a document before a district court, intentionally omits to produce it. Under which section of the Indian Penal code has A committed an offence ?

A, जो एक जिला न्यायालय के समक्ष दस्तावेज पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध है, उसको पेश करने का साशय लोप करता है। A ने भारतीय दण्ड संहिता की किस धारा के अधीन अपराध कारित किया है?

(a) Section 177/धारा 177
(b) Section 173/धारा 173
(c) Section 174/धारा 174
(d) Section 175/धारा 175

BPSC (APO) 2009

Ans : (d) प्रश्नगत समस्या भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 175 के दृष्टांत पर आधारित है,जिसके अनुसार 'A' धारा 175 के अधीन परिभाषित अपराध का दोषी है। धारा 175 दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति का लोक सेवक को दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख पेश करने के लोप को दण्डनीय बनाती है।

3. A, being legally bound to give information on any matter to a public servant, gives such information as true information on that matter which he knows to be false. Under which section of the Indian Penal code, 1860 would 'A' be punished ?

''क'' लोकसेवक को किसी विषय पर इत्तिला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए उस विषय पर सच्ची इत्तिला के रूप में ऐसी इत्तिला देता है जिसे वह जानता है की वह मिथ्या है। भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की किस धारा के अधीन ''क'' दण्डित होगा?

(a) Section 177/धारा 177
(b) Section 178/धारा 178
(c) Section 179/धारा 179
(d) Section 181/धारा 181

Rajasthan (APO) 2015

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 177 के अनुसार - जो कोई किसी लोक सेवक को ऐसे लोक सेवक के नाते किसी विषय पर इत्तिला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए उस विषय पर सच्ची इत्तिला के रूप में ऐसी इत्तिला देगा जिसका मिथ्या होना वह जानता है या जिसके मिथ्या होने का विश्वास करने का कारण उसके पास है, वह सादा कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

अथवा, यदि वह इत्तिला जिसे देने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध हो, कोई अपराध किये जाने के विषय में हो या किसी अपराध के किये जाने का निवारण करने के प्रायोजन से या किसी अपराधी को पकड़ने के लिए अपेक्षित हो तो वह दोनों में से किसी भी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनो से दण्डित किया जायेगा।

4. A, a land holder, knowing of the commission of a murder within the limits of his estate, wilfully mis inform the Magistrate of the district that the death has occurred by accident in consequence of the bite of a snake. In which section A is guilty ?
A एक भू-धारक, यह जानते हुए कि उसकी भू-सम्पदा की सीमाओं में एक हत्या की गई है, उस जिले के मजिस्ट्रेट को जान-बूझकर यह मिथ्या इत्तला देता है कि मृत्यु साँप के काटने के परिणामस्वरूप हुई है। A किस धारा के अधीन दोषी है?

(a) Section 177/धारा 177
(b) Section 179/धारा 179
(c) Section 178/धारा 178
(d) Section 182/धारा 182

BPSC (APO) 2009

Ans : (a) प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता की धारा 177 के दृष्टांत (a) पर आधारित है। धारा 177 के अनुसार A मिथ्या इत्तिला देने के अपराध का दोषी है।

5. The act of a witness in refusing to sign his statement after his evidence is recorded in the court, causes offence under which Section of the Indian Penal Code, 1860:
न्यायालय के समक्ष साक्ष्य देने के उपरांत, साक्षी द्वारा अपने कथन पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करने का कृत्य, भारतीय दण्ड संहिता की कौन-सी धारा का अपराध कारित करता है–

(a) 180 Indian Penal Code/भारतीय दण्ड संहिता की धारा 180 का।
(b) 178 Indian Penal Code/भारतीय दण्ड संहिता की धारा 178 का।
(c) 181 Indian Penal Code/भारतीय दण्ड संहिता की धारा 181 का।
(d) The witness has not committed any offence. His act being of trifle nature, he cannot be proceeded against in view of Section 95 of the Indian Penal Code./साक्षी ने कोई अपराध नहीं किया है क्योंकि उसका कृत्य तुच्छ प्रकृति का होने से, भा.दं.सं. की धारा 95 के अन्तर्गत कार्यवाही योग्य नहीं है।

Rajasthan (DJC) 2018

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 180 के अनुसार, जो कोई अपने द्वारा किये गये किसी कथन पर हस्ताक्षर करने को ऐसे लोक सेवक द्वारा अपेक्षा किये जाने पर जो उससे यह अपेक्षा करने के लिए वैध रूप से सक्षम हो कि वह उस कथन पर हस्ताक्षर करे उस कथन पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करेगा वह सादा कारावास से जिसकी अवधि तीन माह तक ही सकेगी या जुर्माने से जो पाँच सौ रु. तक हो सकेगा या दोनो से दण्डित किया जायेगा।

6. 'A' voluntarily obstructs the discharge of the functions of a public servant. Under which section of the Indian Penal Code 1860 will he be punished ?
''क'' एक लोक सेवक के कृत्यों के निर्वहन में स्वेच्छया बाधा डालता है। भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की किस धारा के अधीन वह दण्डित होगा?

(a) Section 184/धारा 184
(b) Section 185/धारा 185
(c) Section 186/धारा 186
(d) Section 187/धारा 187

Rajasthan (APO) 2015

Ans. (c) : जो कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालता है उसे भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 186 के अधीन तीन मास का कारावास या पाँच सौ रुपये का जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

7. Omission to assist public servant when bound by law to give assistance is a punishable offence under which one of the following Sections of the Indian Penal Code, 1860?
भारतीय दंड संहिता, 1860 की निम्नलिखित में से किस धारा के तहत सहायता देने के लिए कानून द्वारा बाध्य होने पर लोक सेवक की सहायता करने में चूक एक दंडनीय अपराध है?

(a) Section 186 /धारा 186
(b) Section 187/ धारा 187
(c) Section 188/ धारा 188
(d) Section 189/ धारा 189

CBI (PP/APP) 2021
Delhi (APP)2021

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 187 के अनुसार, जो कोई किसी लोक सेवक को उसके लोक कर्त्तव्यों के निष्पादन में सहायता देने या पहुंचाने के लिए विधि द्वारा आबद्ध होते हुए ऐसी सहायता देने का साशय लोप करेगा, वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 200 रूपए तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

8. Disobdience of the order given by a public servant under section 144 Cr. P.C. is punishable under which of the following section of IPC-
लोक सेवक द्वारा प्रख्यापित आदेश अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता, की अवज्ञा भारतीय दण्ड विधान की निम्न धारा के अधीन दण्डनीय अपराध है:

(a) Sec -188/धारा 188
(b) Sec -186/धारा 186
(c) Sec -187/धारा 187
(d) Sec -151/धारा 151 दण्ड प्रक्रिया संहिता

MP (ADPO) 1993

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 188 के अधीन लोक सेवक द्वारा सम्यक् रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा करना दण्डनीय अपराध है।

अध्याय – 14

मिथ्या साक्ष्य और लोक-न्याय के विरूद्ध अपराध (धारा 191-229A)

धारा 191

1. Giving false evidence is defined in IPC/''मिथ्या साक्ष्य देना'' का अपराध परिभाषित है भा. दं. सं. की-

(a) Sec 181/धारा 181
(b) Sec 182/धारा 182
(c) Sec 191/धारा 191
(d) Sec 192/धारा 192

MP (ADPO) 1997

Ans : (c) भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा 191** में मिथ्या साक्ष्य देना परिभाषित है। मिथ्या साक्ष्य के लिए दण्डसंहिता की धारा 193 में दिया गया है।

2. If, a person legally bound to state the truth, state untruth. Which he know to be untrue. which condition would not be in the following/यदि, सत्य बोलने हेतु कोई व्यक्ति आबद्ध है और यह जानते हुए कि असत्य है, असत्य कथन करता है, निम्न में कौन-सी स्थिति नही होगी?

(a) If he has given false statement to the police officer then he will become guilty of giving false evidence/यदि उसने पुलिस अधिकारी को असत्य कथन दिया हो तो मिथ्या साक्ष्य देने के अपराध का दोषी होगा
(b) He will not guilty of any offence/वह किसी भी अपराध का दोषी नहीं होगा
(c) He will be guilty of giving false evidence only he has given such evidence at some stage of judicial proceeding/वह मिथ्या साक्ष्य देने के अपराध का केवल तब ही दोषी होगा जबकि उसने वह कथन न्यायिक कार्यवाही की किसी अवस्था में दिया हो
(d) He will be guilty of giving false evidence if he has given a statement to a senior officer/ वह मिथ्या साक्ष्य देने के अपराध का दोषी होगा यदि उसने किसी वरिष्ठ अधिकारी को बयान दिया हो

MP (ADPO) 1995

Ans : (c) भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 191 के अनुसार, जो कोई शपथ द्वारा या विधि के किसी अभिव्यक्त उपबन्ध द्वारा सत्य कथन करने के लिए वैधरूप से आबद्ध होते हुए, या किसी विषय पर घोषणा करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध होते हुए ऐसा कोई कथन करेगा, जो मिथ्या है, और या तो जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है, या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह मिथ्या साक्ष्य देता है।

धारा 193-मिथ्या साक्ष्य के लिए दण्ड का प्रावधान करती है। इस धारा से स्पष्ट है कि केवल न्यायिक कार्यवाही नहीं बल्कि अन्य मामले में भी मिथ्या साक्ष्य देना दण्डनीय होता है,यथा-किसी पुलिस अधिकारी या अन्य वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष मिथ्या साक्ष्य देना दण्डनीय होता है।

3. Who among the following is liable to proceed against himself for giving false evidence? निम्नलिखित में से कौन झूठा साक्ष्य देने के लिये अपने विरुद्ध कार्यवाही के लिये दायी है–

(a) Whoever is legally bound to state the truth by oath./जो भी शपथ द्वारा सत्य कथन करने के लिये वैध रूप से आबद्ध है।
(b) Whoever is bound to state the truth of any express provision of law/जो भी विधि के किसी अभिव्यक्ति उपबंध का सत्य कथन करने के लिये आबद्ध है।
(c) Whoever is bound by law to make a declaration on any matter/जो भी किसी विषय पर घोषणा करने के लिये, विधि द्वारा आबद्ध है।
(d) all the above/उपरोक्त सभी।

MP (HJS) 2013

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

4. Which of the following statement are not false evidence in discharge of public justice? लोक न्याय के निर्वहन में, निम्नलिखित में से कौन-सा वक्तव्य मिथ्या साक्ष्य नहीं है?

(a) A false statement given under instigation उकसाने के प्रभाव में दिया गया मिथ्या वक्तव्य
(b) A statement known to be false एक वक्तव्य जिसे मिथ्या माना जाता है
(c) A statement not believed to be true एक वक्तव्य जिसे सही नहीं माना जाता
(d) None of above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

UGC (NET) June, 2014 Paper-III

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

5. Which of these facts do not constitute the degree of knowledge for holding a person to be criminally liable for adducing false evidence? निम्न में से कौन सा तथ्य किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य पेश करने के लिए आपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहराने हेतु जानकारी का निर्माण नहीं करता?

(a) A statement known to be false/ऐसा अधिकथन जिसके बारे में ज्ञात हो कि वह असत्य है
(b) A statement believed to be false/ऐसा अधिकथन जिसे असत्य माना जाता हो
(c) A statement not believed to be true/ऐसा अधिकथन जिसे सत्य नहीं माना जाता हो
(d) An offence committed but not affirmed/ऐसा अपराध जो किया गया हो लेकिन जिसका परिणाम न हुआ हो

UGC (NET) December, 2014 Paper-III

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 191 के अनुसार, मिथ्या साक्ष्य देने के बारे में उपबंध किया गया है।
इसके निम्न आवश्यक तत्व हैं-
(1) कोई व्यक्ति
(A) सत्य कथन करने के लिए शपथ द्वारा या विधि के प्रावधान द्वारा आबद्ध था, या
(B) किसी विषय पर घोषणा करने के लिए विधिक रूप से आबद्ध हो।
(2) उस व्यक्ति ने मिथ्या कथन किया हो।
(3) अपने कथन को
(A) वह जानता हो या विश्वास करता हो कि वह मिथ्या है, या
(B) कथन के सत्य होने का उसे विश्वास न हो।
अतः किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए आपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहराने हेतु यह तथ्य की ऐसा अपराध जो किया गया हो, लेकिन जिसका परिणाम न हुआ हो, जानकारी का निर्माण नहीं करता है।

6. Fill in the gap.
रिक्त स्थान को भरें–
'P' in support of a just claim of 'Q' has stated against 'Z', for a sum of rupees one thousand and falsely sweared on a trial that he heard 'Z' admitted as to the just claim of 'Q'. The court decides that it was an affirmation of .....
'P', 'Q' के न्यायसंगत दावे के समर्थन में, एक हजार रुपये के लिये 'Z' के विरुद्ध बयान दिया और न्यायिक विचारण के दौरान झूठी शपथ ली कि उसने 'Z' को 'Q' के न्यायसंगत दावे को स्वीकारते सुना है। न्यायालय ने फैसला किया कि यह ..... की पृष्टि है।
(a) Statement of truth/सत्य का अभिकथन
(b) False evidence/मिथ्या साक्ष्य
(c) Making a declaration/घोषणा करने
(d) None of them/उपर्युक्त में से कोई नहीं

UGC (NET) June, 2012

Ans. (b) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता, **1860 की धारा 191 के दृष्टान्त (A) पर आधारित है ।** प्रस्तुत मामले में P ने मिथ्या साक्ष्य दिया है और धारा 193 के अन्तर्गत दण्डित किया जायेगा।

7. Under Indian Penal Code fabricating false evidence has been defined in
मिथ्या साक्ष्य गढ़ना भारतीय दण्ड संहिता की किस धारा में परिभाषित है?
(a) Section 191/धारा 191
(b) Section 192/धारा 192
(c) Section 193/धारा 193
(d) Section 197/धारा 197

MPHC CJ 2019 Shift-I

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 192 मे मिथ्या साक्ष्य गढ़ना परिभाषित है, तथा धारा 193 में मिथ्या साक्ष्य के लिए दण्ड का प्रावधान है। **धारा 192 के अनुसार–** जो कोई इस आशय से किसी परिस्थिति को अस्तित्व में लाता है या किसी पुस्तक या अभिलेख या इलेक्ट्रानिक अभिलेख में कोई मिथ्या प्रविष्टि करता है या मिथ्या कथन अन्तर्विष्ट रखने वाला कोई दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख रचता है कि ऐसी परिस्थिति, मिथ्या प्रविष्टि या मिथ्या कथन न्यायिक कार्यवाही में या ऐसे किसी कार्यवाही में जो लोक सेवक के समक्ष उसके उस नाते या मध्यस्थ के समक्ष विधि द्वारा की जाती है, साक्ष्य में दर्शित हो और कि इस प्रकार साक्ष्य में दर्शित होने पर ऐसी परिस्थिति, मिथ्या प्रविष्टि या मिथ्या कथन के कारण कोई व्यक्ति जिसे ऐसी कार्यवाही में साक्ष्य के आधार पर राय कायम करनी है ऐसी कार्यवाही के परिणाम के लिए तात्विक किसी बात के सम्बन्ध में गलत राय बनाए, वह ''मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है''।

8. 'A' makes a false entry in the electronic record for the purpose of using it as corroborative evidence in the trial Court. 'A' has :
'अ' अपने इलेक्ट्रानिक रिकार्ड में मिथ्या प्रविष्टि इस प्रयोजन से करता है कि वह न्यायालय में सम्पोषक साक्ष्य के रूप में काम में लाई जाये। 'अ' ने–
(a) Fabricated false evidence/मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है
(b) Not fabricated false evidence/मिथ्या साक्ष्य नहीं गढ़ा है
(c) Committed forgery/कूट रचना की है
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

UP (APO) 2002

Ans: (a) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

9. Kailash makes a false entry in his shop-book for the purpose of using it as a corroborative evidence in a Court of Justice. Kailash is guilty of
कैलाश अपनी दुकान की पुस्तिका में एक न्यायालय में एक पुष्ट साक्ष्य के रूप में उपयोग करने के उद्देश्य से एक झूठी प्रविष्टि करता है। कैलाश दोषी है:
(a) Forgery/कूटरचना का
(b) Perjury/झूठी गवाही का
(c) Giving false evidence/मिथ्या साक्ष्य देने का
(d) fabricating false evidence /मिथ्या साक्ष्य गढ़ने का।

CBI (PP/APP) 2021
Delhi (APP)2021

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

10. "A" puts jewels into a box belonging to "B" with the intention that they may be found in that box, with the result that 'B' may be convicted for the offence of theft. 'A' has committed the offence under
''A'' एक बक्से में जो ''B'' का है, इस आशय से आभूषण रखता है कि वे उस बक्से में पाये जायें और इस परिस्थिति में 'B' चोरी के लिये दोषी सिद्ध ठहराया जाए। 'A' ने अपराध किया है

(a) Section 191 of Indian Penal Code
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 191 के अन्तर्गत
(b) Section 192 of Indian Penal Code
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 192 के अन्तर्गत
(c) Section 193 of Indian Penal Code
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 के अन्तर्गत
(d) 'A' has committed no offence
'A' ने कोई अपराध नहीं किया।

UPPCS (J) 2012
UP (APO) 2011
Uttrakhand (J) 2019

Ans. (b) : प्रश्नगत समस्या भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 192** के दृष्टान्त (a) पर आधारित है। 'A' धारा 192 के अन्तर्गत मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के अपराध का दोषी है।

11. 'A' puts jewels into a box belonging to 'Z' with the intention that they may be found in that box, and that this circumstance may cause 'Z' to be committed of theft. 'A' has committed the offence of
'A' एक बक्से में, जो 'Z' का है, इस आशय से आभूषण रखता है कि वे उस बक्से में पाये जाएँ, और इस परिस्थिति में 'Z' चोरी के लिए दोषसिद्ध ठहराया जाए। 'A' ने अपराध किया:
(a) Fabricated false evidence /मिथ्या साक्ष्य गढ़ना
(b) Theft /चोरी
(c) Threat to injury to public servant/लोक सेवक को क्षति करने की धमकी
(d) None of these /इनमें से कोई नहीं

Uttarakhand (J) 2021

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

12. 'A' makes a false entry in his shop-book for the purpose of using it as corroborative evidence in a court of justice. 'A' is guilty of
'क' अपनी दुकान की बही में एक मिथ्या प्रविष्टि इस प्रयोजन से करता है कि वह न्यायालय में संपोषक साक्ष्य के रूप में प्रयोग की जाए। 'क' दायी है-
(a) Fabricating false evidence/मिथ्या साक्ष्य गढ़ने हेतु
(b) Giving false evidence/मिथ्या साक्ष्य देने हेतु
(c) Abetment/दुष्प्रेरण
(d) Criminal conspiracy/आपराधिक षड्यंत्र

Uttarakhand (J) 2016

Ans. (a) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता की धारा 192 के दृष्टांत (b) पर आधारित है। धारा 192 के अनुसार, 'A' मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के अपराध का दोषी है।

13. Punishment for giving false evidence in court is provided under/न्यायालय में मिथ्या साक्ष्य देने पर दण्ड निर्धारित है :
(a) Section 198 I.P.C./धारा 198 भा.दं.सं.
(b) Section 193 I.P.C./धारा 193 भा.दं.सं.
(c) Section 196 I.P.C./धारा 196 भा.दं.सं
(d) Section 197 I.P.C./धारा 197 भा.द.सं

MP (ADPO) 2009 Paper-II

Ans. (b): भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 193 न्यायालय में मिथ्या साक्ष्य देने पर दण्ड का प्रावधान करती है। धारा 193 के अनुसार, जो कोई साशय किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में मिथ्या साक्ष्य देगा या किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में उपयोग में लाये जाने के प्रयोजन से मिथ्या साक्ष्य गढ़ेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

14. The aggravated form of perjury is known form:/शपथ भंग के गुरुत्तर रूप को किसके रूप में जाना जाता है?
(a) False statement on oath/शपथ में मिथ्या कथन
(b) False evidence in a judicial proceeding/ न्यायिक प्रक्रिया में मिथ्या साक्ष्य
(c) Administering oath to speak truth/सत्य वचन के लिए शपथ दिलाना
(d) False affidavit before honorary Magistrate/ अवैतनिक मजिस्ट्रेट के समक्ष मिथ्या शपथ-पत्र

UGC (NET) December, 2015 Paper-III

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

15. How much punishment may be given to person accused of giving false evidence in a judicial proceeding/न्यायालय में झूठी गवाही देने के अभियुक्त व्यक्ति को कितना दण्ड दिया जा सकता है?
(a) Seven years imprisonment/सात वर्ष तक का कारावास
(b) Seven years imprisonment and fine/ सात वर्ष का कारावास और जुर्माना
(c) Seven years imprisonment or fine/ सात वर्ष का कारावास या जुर्माना
(d) Five years of imprisonment and fine/ पाँच वर्ष का कारावास एवं जुर्माना

MP (ADPO) 2008 Paper-II

Ans. (b): उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

16. "A" himself gives false evidence at a stage of a judicial proceeding. Under which section of the Indian Penal Code, 1860 he will be punished?
''क'' स्वयं एक न्यायिक कार्यवाही के एक प्रकम में मिथ्या साक्ष्य देता है। भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की किस धारा के अधीन वह दण्डित होगा?
(a) Section 192/ धारा 192
(b) Section 193 / धारा 193
(c) Section 194/ धारा 194
(d) Section 195/ धारा 195

Rajasthan (APO) 2015

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

17. 'A' makes a false entry in his shop-book for the purpose of using it as corroborative evidence in a court of justice. A commits punishable offence-/'क' न्यायालय में संपुष्टिकारक साक्ष्य के रूप में उपयोग करने के प्रयोजन से दुकान की पुस्तक में असत्य इन्द्राज करता है। वह दण्डनीय अपराध करता है–

(a) under section 191/धारा 191 के अन्तर्गत
(b) under section 192/धारा 192 के अन्तर्गत
(c) under section 193/धारा 193 के अन्तर्गत
(d) under section 194/धारा 194 के अन्तर्गत

MP (HJS) 2015

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

18. Refusal to answer to an authorised investigating officer could be punished under section 179 of Indian Penal Code, while giving false answer statement in that process could be punishable as per
प्राधिकृत जाँच अधिकारी को उत्तर देने से मना करना भारतीय दंड संहिता की धारा 179 के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है, जबकि उस प्रक्रिया में गलत उत्तर देना किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है?

(a) Section 180/धारा 180
(b) Section 193/धारा 193
(c) Section 181/धारा 181
(d) Section 183/धारा 183

UGC (NET) September, 2016 Paper-II

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

19. Section 195-A I.P.C. is related to:-
धारा 195 - क भा.दं.सं. संबंधित है-

(a) Protection of witness /साक्षी की सुरक्षा से
(b) Protection for victim /आहत की सुरक्षा से
(c) Threat to give false evidence
मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकी
(d) None of these /इनमें से कोई नहीं

MPHC CJ 2010
Uttarakhand (J)2019

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा** 195A किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकी देना या उत्प्रेरित करने से सम्बन्धित है। **धारा 195A के अनुसार,** जो कोई किसी दूसरे व्यक्ति को, उसके शरीर, सम्पत्ति और ख्याति को अथवा ऐसे व्यक्ति के शरीर या ख्याति को जिसमें वह हितबद्ध है, यह कारित करने के आशय से कोई क्षति करने की धमकी देता है, कि वह व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य दे तो वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

20. Threatening or abetting any person to give false testimony is punishable under which section of the Indian Penal Code?/झूठी गवाही देने के लिए किसी व्यक्ति को धमकी देना या उत्प्रेरित करना भारतीय दण्ड संहिता की किस धारा के अधीन दण्डनीय है।

(a) 191 (b) 192
(c) 195A (d) 195

BPSC (APO) 2009

Ans : (c) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

21. As per section 195A of IPC which was inserted by the Criminal Law (Amendment) Act, 2005 the offence of threatening any person to give false evidence, is punishable with:
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 195 क जो दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया, किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने की धमकी देना दण्डनीय बनाया गया है-

(a) Imprisonment upto 7 years or with fine or with/7 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से
(b) Imprisonment upto 5 years or with fine or with both/5 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से
(c) Imprisonment upto 3 years or with fine or with both /3 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से
(d) Imprisonment upto 1 year or with fine or with both/1 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से

UP (HJS) 2014

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

22. Which Section was inserted in to IPC by Criminal Law (Amendment) Act, 2005? आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा भारतीय दण्ड संहिता में कौन-सी धारा सम्मिलित की गई थी?

(a) Section 498-A/धारा 498-क
(b) Section 153-AA/धारा 153-क क
(c) Section 228-A/धारा 228-क
(d) Section 195-A/धारा 195-क

MP (ADPO) 2010 Paper-II

Ans. (d) : आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में धारा 195-A को अंतःस्थापित किया गया है। धारा 195-A मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकी देने के लिए दण्ड का उपबंध करती है।

23. There is a specific provision that the intention to screen the offender must be primary and the only object of the accused. This provision is provided in
एक विनिर्दिष्ट उपबंध है कि अपराधी की पहचान छिपाने का आशय आरोपी का मुख्य और एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। यह उपबंध ..... में उपबंधित है।

(a) Section 202/धारा 202
(b) Section 201/धारा 201
(c) Section 199/धारा 199
(d) Section 203/धारा 203

UGC (NET) December, 2015 Paper-II

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 201 में अपराध के साक्ष्य को छिपाना, दण्डनीय अपराध बनाया गया है। धारा 201 यदि कोई व्यक्ति यह जानते हुए या विश्वास का कारण रखते हुए कि कोई अपराध किया गया है, उस अपराध के किये जाने के साक्ष्य को इस आशय से छिपायेगा की अपराधी को विधिक दण्ड से बचाया जा सके तो वह अपराध के साक्ष्य छिपाने का दोषी होगा।

24. A knowing that B has murdered Z, assists B to hide the body with the intention of screening B from punishment. A is liable to
A यह जानते हुए कि B ने Z की हत्या की है, B को दण्ड से प्रतिच्छादित करने के आशय से मृत शरीर को छिपाने में B की सहायता करता है। A उत्तरदायी है-

(a) imprisonment of either description for seven years and to fine also/सात वर्ष के लिए कारावास अथवा जुर्माने सहित कारावास के लिए
(b) imprisonment for life/आजीवन कारावास के लिए
(c) death sentence/मृत्युदण्ड के
(d) fine only/सिर्फ जुर्माने के लिए

Jharkhand (J) 2014
Chhattishgarh (J) 2014
MPHC CJ 2019 Shift-II
Rajsthan (APO) 2015

Ans. (a) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता की धारा 201 के दृष्टांत पर आधारित है। 'A', धारा 201 के तहत अपराध के साक्ष्य को छिपाने तथा अपराधी को वैध दण्ड से प्रतिच्छादित (Screening) करने का अपराध कारित करता है और चूँकि अपराध मृत्यु से दण्डनीय है,अतः 'A' 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

25. 'A' knowing that 'B' has committed dacoity, hides 'B' knowingly to avoid lawful punishment. Here 'B' is punishable with imprisonment for life, so 'A' is punishable with imprisonment of either description for a term not exceeding 3 years and shall also be liable to fine. What crime does this illustration illustrate.
'अ' यह जानते हुए कि 'ब' ने डकैती की है, 'ब' को वैध दण्ड से प्रतिच्छादित करने के लिए जानते हुए छिपा लेता है। यहां, 'ब' आजीवन कारावास से दण्डनीय है, इसलिए 'अ' तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डनीय है और जुर्माने से भी दण्डनीय है। यह दृष्टांत कौन से अपराध को स्पष्ट करता हैः
(a) to destroy the evidence of the offence committed/किये गये अपराध के साक्ष्य का विलोपन करना
(b) giving false information about the offence committed/किये गये अपराध के लिए मिथ्या इत्तिला देना
(c) Harbouring an offender/एक अपराधी को संश्रय देना
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

Chhattishgarh (J) 2012

Ans. (a) : प्रस्तुत दृष्टांत अपराध के साक्ष्य का विलोपन जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 201 में परिभाषित है, को स्पष्ट करता है।
धारा 201 के अनुसार, जो कोई यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई अपराध किया गया है, उस अपराध के किए जाने के किसी साक्ष्य का विलोपन इस आशय से कारित करेगा कि अपराधी को वैध दण्ड से प्रतिच्छादित करे या उस आशय से उस अपराध से सम्बन्धित कोई ऐसी इत्तिला देगा जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है, और यदि वह अपराध आजीवन कारावास से या ऐसे कारावास से जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा, दण्डनीय हो, तो वह दोनो में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

26. In presence of his wife "B", "A" causes a grievous hurt by a knife to "C". "B" washes that knife and hides in her room with intention of screening her husband from legal punishment. "B" commits an offence described under:
अपनी पत्नी 'ब' की उपस्थिति में, 'अ' चाकू द्वारा 'स' को गम्भीर उपहति कारित करता है। 'ब' अपने पति को वैध दण्ड से प्रतिच्छादित करने के आशय से, चाकू को धोकर अपने कमरे में छिपा लेती है। 'ब' ने किस धारा में वर्णित अपराध किया है–
(a) Section 203 Indian Penal Code/अन्तर्गत धारा 203 भारतीय दण्ड संहिता
(b) Section 206 Indian Penal Code/अन्तर्गत धारा 206 भारतीय दण्ड संहिता
(c) Section 201 Indian Penal Code/अन्तर्गत धारा 201 भारतीय दण्ड संहिता
(d) Section 212 Indian Penal Code/अन्तर्गत धारा 212 भारतीय दण्ड संहिता

Rajasthan (DJC) 2015

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

27. Which of the following is not correctly matched under IPC?
भा.दं.सं. के अधीन निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है?
(a) Furnishing false information-Section 177/मिथ्या इत्तिला देना-धारा 177
(b) Giving false evidence-Section 191/मिथ्या साक्ष्य देना-धारा 191
(c) Causing disappearance of evidence of offence-Section 205/अपराध के साक्ष्य का विलोपन-धारा 205
(d) Counterfeiting coin-Section 231/सिक्के की कूटरचना-धारा 231

Uttarakhand (J) 2014

Ans : (c) भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 201 में अपराध के साक्ष्य के विलोपन का प्रावधान है।
धारा 205 में वाद या अभियोजन में किसी कार्य या कार्य के प्रयोजन से मिथ्या प्रतिरूपण।

28. Intentional omission to give information, of offence by a person legally bound to inform is dealt under section
इत्तिला देने के लिए आबद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की इत्तिला देने का साशय लोप किया जाता है यह भा.द.वि. की किस धारा के अन्तर्गत आता है?
(a) 202 (b) 203
(c) 204 (d) 205

Chhattishgarh (J) 2019

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 202 के अन्तर्गत इत्तिला देने के लिए आबद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की इत्तिला देने का साशय लोप किये जाने को दण्डनीय बनाया गया है। इसके अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति को छः माह तक के कारावास तथा जुर्माने से दण्डित किया जाता है।

29. The offence of destruction to prevent the production of any electronic record as evidence is punishable under the Indian Penal Code:
साक्ष्य के रूप में किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को पेश किया जाना निवारित करने के लिए नष्ट करने का अपराध भा.दं.सं. के तहत दण्डनीय है-

(a) in Section 201 /धारा 201 में
(b) in Section 202/धारा 202 में
(c) in Section 203/धारा 203 में
(d) in Section 204 /धारा 204 में

Rajasthan (APO) 2007
Uttrakhand (J) 2015

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 204 के अनुसार, जो कोई साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख का पेश किया जाना निवारित करने के लिए उसको नष्ट करने का अपराध कारित करता है, तो वह दोनो में से किसी भॉति के कारावास जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

30. A Police Officer destroyed the FIR as he could not conduct the investigation due to other occupation but later, upon media report made a fresh report basing upon totally different fact. What offence, if any, has been committed by him?
एक पुलिस अधिकारी ने एफ.आई.आर. नष्ट कर दिया क्योंकि वह अन्य व्यस्तता के कारण जांच नहीं कर सका, किन्तु बाद में मीडिया में रिपोर्ट आने पर पूरी तरह से भिन्न तथ्य के आधार पर एक नया रिपोर्ट बनाया। यदि उसने कोई अपराध किया है तो वह क्या है?

(a) Secreting the document to prevent its production as evidence as per Section 204 of IPC/आई.पी.सी. की धारा 204 के अनुसार दस्तावेज को छिपाना
(b) Destruction of document to prevent its production as evidence as per Section 204 of IPC/आई.पी.सी. की धारा 204 के अनुसार साक्ष्य के रूप में इसे प्रस्तुत करने से रोकने के लिए दस्तावेज को नष्ट करना
(c) False representation for prosecution as per section 205 of IPC/आई.पी.सी. की धारा 205 के अनुसार अभियोजन के लिए मिथ्या व्यपदेशन
(d) Fraudulent removal of document to avoid seizure as per Section 206 of IPC/आई.पी.सी. की धारा 206 के अनुसार अभिग्रहण से बचने के लिए दस्तावेज को कपटपूर्ण ढंग से हटाना

UGC (NET) September, 2016 Paper-III

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

31. Which section of the Indian penal code provides for punishment for dishonestly making a false claim in court/भारतीय दण्ड संहिता की कौन-सी धारा बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करने के लिए दण्ड का प्रावधान रखती है?

(a) Section 179/धारा 179
(b) Section 205/धारा 205
(c) Section 209/धारा 209
(d) Section 211/धारा 211

BPSC (APO) 2009

Ans : (c) भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 209 के अनुसार, जो कोई कपटपूर्वक या बेईमानी से या किसी व्यक्ति को क्षति या क्षोभ कारित करने के आशय से न्यायालय में कोई ऐसा दावा करेगा जिसका मिथ्या होना वह जानता हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

32. A obtains a decree against B for a sum not due. It may be an offence under IPC. If 'A' has done to
'अ', 'ब' के विरूद्ध, ऐसी राशि के लिए डिक्री प्राप्त करता है जो उसे देय नहीं है। यह भा. दं. सं. के तहत एक अपराध है। यदि 'अ' ने ऐसा-

(a) negligently /उपेक्षापूर्वक किया
(b) fraudulently /कपटपूर्वक किया
(c) in good faith /सद्भावनापूर्वक किया
(d) none of the above /उपरोक्त में से कोई नहीं

MPHC CJ 2013 Shift-I

Ans. (b) : प्रश्नगत समस्या में 'अ' ने भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 210 के अधीन अपराध कारित किया है। धारा 210 के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति, ऐसी राशि के लिए जो शोध्य नहीं है कपटपूर्वक डिक्री अभिप्राप्त करता है तो वह दोषी होगा, जिसे दो वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनो से दण्डित किया जायेगा।

33. 'A' institutes a criminal proceeding against 'B' on a false charge of an offence punishable with imprisonment for seven years, with the intention of causing injury to 'B'. Under which section of the Indian penal code, 1860 will he be punished?
''क'' ''ख'' को क्षति कारित करने के आशय से उसके विरूद्ध एक दाण्डिक कार्यवाही, सात वर्ष के कारावास से दंडनीय अपराध के मिथ्या आरोप पर, संस्थित करता है। भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की किस धारा के अधीन वह दण्डीय होगा?

(a) Section 209 / धारा 209
(b) Section 210/ धारा 210
(c) Section 211/ धारा 211
(d) Section 212/ धारा 212

Rajasthan (APO) 2015

Ans. (c) : प्रश्नगत समस्या के अधीन 'क' ने भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 211 के पैरा 2 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है। धारा 211 के पैरा 2 अधीन कोई व्यक्ति क्षति करने के आशय से मिथ्या आरोप लगाकर दाण्डिक कार्यवाही मृत्यु, आजीवन कारावास या सात वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दण्डनीय अपराध के मिथ्या आरोप पर संस्थित की जाय वह दोनों में से किसी भी भॉति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डित किया जायेगा।

34. **'A' harbours 'B' whom he knows that he has committed a capital offence with the intention of screening him from legal punishment. 'A' will be punished:-**
'क' 'ख' को वैध दण्ड से प्रतिच्छादित करने के आशय से संश्रय देता है जिसके बारे में वह जानता है कि उसने मृत्युदण्ड से दण्डनीय अपराध किया है। 'क' दण्डित किया जायेगा :
(a) With minimum 2 years imprisonment /न्यूनतम 2 वर्ष के कारावास से
(b) With maximum 5 years rigorous imprisonment /अधिकतम 5 वर्ष के कठोर कारावास से
(c) With imprisonment of either description for a maximum period of 7 years /किसी भाँति का अधिकतम 7 वर्ष तक के कारावास से
(d) With fine /जुर्माना से

Chhattishgarh (ADPO) 2008

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता, **1860 की धारा 212 अपराधों को संश्रय देने पर दण्ड का प्रावधान करती है।** धारा 212 के अनुसार जब कोई अपराध किया जा चुका है, तब जो कोई ऐसे व्यक्ति को जिसके बारे में वह जानता हो या विश्वास करने का कारण रखता हो कि वह अपराधी है, वैध दण्ड से प्रतिच्छादित करने के आशय से संश्रय देगा या छिपाएगा, तो **(i) वह पाँच वर्ष तक के किसी भाँति के कारावास से और जुर्माने से दण्डित किया जायेगा, यदि किया गया अपराध मृत्यु दण्ड से दण्डनीय है। (ii) वह तीन वर्ष तक के किसी भाँति के कारावास और जुर्माने से दण्डित किया जायेगा, यदि किया गया अपराध आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय है।**

35. **'A' knowing that her husband 'B' has committed murder, knowingly conceals in order to screen him from legal punishment, "A" is liable for**
'अ' यह जानते हुए कि उसके पति 'ब' ने हत्या की है, 'ब' को वैध दण्ड से प्रतिच्छादित करने के लिये जानते हुए छिपा लेती है। 'अ' उत्तरदायी है-
(a) Murder by reason of having common intention
सामान्य आशय रखने के कारण हत्या के लिये
(b) Harbouring/संश्रय देने के लिये
(c) Abetment by aid/सहायता द्वारा दुष्प्रेरण के लिये
(d) "A" has committed no offence
''अ'' ने कोई अपराध नहीं किया

UPPCS (J) 2012

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की **धारा 212** के अनुसार, किसी अपराधी को संश्रय देना अपराध तथा दण्डनीय है किन्तु **धारा 212 के अपवाद के अनुसार,** इस उपबन्ध का विस्तार किसी ऐसे मामले पर नहीं है, जिसमें अपराधी को संश्रय देना या छिपाना उसके पति या पत्नी द्वारा हो।
अत: प्रस्तुत समस्या में 'अ' किसी अपराध की दोषी नहीं होगी।

36. **When a person tries to escape from lawful custody while taken to a Magistrate to furnish security for good behaviour could be punished under the provision of:**
जब एक व्यक्ति अच्छे व्यवहार किए जाने हेतु जमानत प्रस्तुत करने के लिए मजिस्ट्रेट के पास ले जाते समय वैध हिरासत से भागने का प्रयास करता है तो उसे भा.दं.स. की किस धारा के प्रावधानों के अन्तर्गत दण्डित किया जा सकता है?
(a) Section 224 IPC/धारा 224 में
(b) Section 225 IPC/धारा 225 में
(c) Section 225-A IPC/धारा 225-A में
(d) Section 225-B IPC/धारा 225-B में

Uttarakhand (J) 2019
UGC (Net) July 2016 Paper II

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 225-B के अनुसार, जो कोई स्वयं अपने या किसी अन्य व्यक्ति के विधिपूर्ण पकड़े जाने में साशय कोई प्रतिरोध करेगा या अवैध बाधा डालेगा या किसी अभिरक्षा में से जिसमें वह विधिपूर्वक निरुद्ध हो, निकल भागेगा या भागने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

37. **Punishment for disclosure of identity or name of victim of rape is provided under which of the following provision of IPC.**
बलात्कार पीड़िता की पहचान या नाम का उजागर करने पर दण्ड की व्यवस्था भारतीय दण्ड संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा में की गई है?
(a) Section 225/धारा 225
(b) Section 225A/धारा 225अ
(c) Section 226/धारा 226
(d) Section 228A/धारा 228अ

MP (CJ) 2021
Chhattishgarh (J) 2014
MP (HJS) 2019
MP (ADPO) 2009 Paper II
JPSC (APO) 2019

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 228–A में कतिपय अपराधों आदि से पीड़ित की पहचान के प्रकटीकरण को दण्डनीय बनाया गया है। धारा 376, धारा 376–A, धारा 376–AB, धारा 376–C, धारा 376–D, धारा 376– DA, धारा 376– DB, तथा धारा 376–E के अधीन किसी अपराध के पीड़ित का पहचान प्रकट करना अपराध है। यदि कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन अपराध कारित करता है तो वह किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

38. **Under which one of the following sections, disclosure of identity of a victim of certain sexual offences is punishable?**
निम्नलिखित धाराओं में से किसी एक में कतिपय लैंगिक अपराध से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण दण्डनीय है?

(a) Section 225 I.P.C./धारा 225 भा.दं.सं.
(b) Section 228A I.P.C./धारा 228क भा.दं.सं.
(c) Section 225B I.P.C./धारा 225ख भा.दं.सं.
(d) Section 229A I.P.C./धारा 229क भा.द.सं.

MP (HJS) 2018

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

39. Disclosure of identify of a victim of rape is punishable under:
बलात्कार की पीड़िता की पहचान का प्रकटीकरण दण्डनीय है-

(a) Section 376-D, I.P.C./धारा 376–घ, भा.दं.सं.
(b) Section 376- E, I.P.C./धारा 376–इ, भा.दं.सं.
(c) Section 228, I.P.C./धारा 228, भा.दं.सं.
(d) Section 228-A, I.P.C./धारा 228–क, भा.दं.सं.

UPPCS (J)-2018
UP (APO) 2006, 2018
UPHESC 2003, 2014, 2016
Uttarakhand (J) 2015, 2016, 2022

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

40. "Name of the victim of sexual offence shall not be mentioned".
It was held in which of the following cases?
''बलात्कार पीड़िता के नाम का उल्लेख नहीं किया जाएगा।''
यह निम्नलिखित में से किस वाद में प्रतिपादित किया गया है?

(a) S. Ramkrishna v. State/एस. रामकृष्ण बनाम राज्य में
(b) Balwant Rai v. Changi Ram/बलवन्त राय बनाम चंगीराम में
(c) Gulzari Lal v. State of U.P./गुलजारी लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में
(d) Ramapati v. State of Bihar/रामापती बनाम बिहार राज्य में

Uttarakhand (J) 2019

Ans. (a) : एस. राम कृष्ण बनाम स्टेट (2008 SC) के वाद में उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया कि ''बलात्कार पीड़िता के नाम का उल्लेख नहीं किया जायेगा।
नोटः-भारतीय दण्ड संहिता की धारा 228A के तहत पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण, दण्डनीय अपराध है।

41. In which of the following case it was held that identity of the victim is not to be disclosed even in the judgment of the court?
निम्न किस वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि पीड़िता की पहचान न्यायालय के निर्णय में भी प्रकट नहीं की जा सकती है?

(a) Navinchandra v. State of Uttaranchal, AIR 2007 SC 363/नवीन चंद्र बनाम उत्तरांचल राज्य, ए.आई.आर. 2007 सु.को. 363 में
(b) Shashikant v. CBI AIR 2007 SC 351/शशिकांत बनाम सी.बी.आई., ए.आई.आर. 2007 सु.को. 351 में
(c) Dinesh v. State of Rajasthan, AIR 2006 SC 1267/दिनेश बनाम राजस्थान राज्य, ए.आई.आर. 2006 सु.को. 1267 में
(d) None of the above/उपरोक्त किसी में नहीं

Uttarakhand (APO) 2015

Ans. (c) : दिनेश बनाम राजस्थान राज्य, 2006 एस.सी. के वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि पीड़िता की पहचान न्यायालय के निर्णय में भी प्रकट नहीं की जा सकती है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 228-A पीड़ित की पहचान के प्रकटीकरण को दण्डनीय बनाती है।

42. Which court is competent to proceed under the provisions of section 229A of the Indian Penal Code?
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 229क के प्रावधान के अंतर्गत कार्यवाही करने के लिए कौन सा न्यायालय सक्षम है?

(a) Judicial magistrate second class/न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी
(b) Judicial magistrate first class/न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
(c) Session Court/सत्र न्यायालय
(d) Any Magistrate/कोई भी मजिस्ट्रेट

MP (HJS) 2019

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 229A के अंतर्गत कोई भी मजिस्ट्रेट कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगा। धारा 229A में जमानत या बंधपत्र पर छोड़े गए व्यक्ति द्वारा न्यायालय में हाजिर न होने पर दण्ड का उपबंध किया गया है।

43. 'A' being charged with an offence and released on bail, fails without sufficient cause to appear in court in accordance with the terms of the bail. under which section of the Indian Penal Code, 1860 would he be punishable for his failure to appear in court so?
''क'' एक अपराध से आरोपित किये जाने पर और जमानत पर छोड़ दिए जाने पर जमानत के निबंधनों के अनुसार न्यायालय में पर्याप्त कारणों के बिना हाजिर होने में असफल रहता है। भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की किस धारा के अधीन उसके इस प्रकार न्यायाल में हाजिर होने में असफल होने के लिए वह दण्डनीय होगा?

(a) Section 227/ धारा 227
(b) Section 228/ धारा 228
(c) Section 229/ धारा 229
(d) Section 229-A/ धारा 229-क

Rajasthan (APO) 2015

Ans. (d) : जब किसी व्यक्ति पर आरोप लगाया जाता है, और विचारण के दौरान जब उसे जमानत पर छोड़ दिया जाता है तब यदि वह व्यक्ति बिना पर्याप्त कारण के न्यायालय में उपस्थिति होने में असफल रहता है तब उसे भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 229A के अधीन दण्डित किया जायेगा।

अध्याय – 15

सिक्कों और सरकारी स्टाम्पों से सम्बन्धित अपराध (धारा 230-263A)

1. Chapter XII of the Indian Penal Code deals:-
भारतीय दण्ड संहिता का अध्याय XII संबंधित है–

(a) With false evidence an offence against public justice /मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों से
(b) With offence relating to election /निर्वाचन संबंधी अपराधों से
(c) With offence relating to coin and government stamps /सिक्कों और सरकारी स्टांपों संबंधी अपराधों से
(d) With offence relating weight and measures /बांटों और मापों संबंधी अपराधों से

Chhattishgarh (ADPO) 2008

Ans.(c): भारतीय दण्ड संहिता, 1860 का **अध्याय XII धारा 230 से धारा 263A तक सिक्कों और सरकारी स्टाम्पों** से सम्बन्धित अपराधों के विषय में उपबंध करता है।

2. "Coin" is defined which section.
''सिक्का'' को किस धारा में परिभाषिता किया गया है?

(a) 45 (b) 229
(c) 230 (d) 231

MP CJ 2021

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता की धरा 230 में ''सिक्का'' को परिभषित किया गया है, जिसके अनुसार, ''सिक्का'', तत्समय धन के रूप में उपयोग में लाई जा रही और इस प्रकार उपयोग में लाये जाने के लिए किसी राज्य या सम्पूर्ण प्रभुत्त्व सम्पन्न शक्ति के प्राधिकार द्वारा, स्टाम्पित और प्रचालित धातु है।

3. According to section 230 of the Indian Penal Code, which on of the following is an Indian Coin?/भारतीय दण्ड संहिता की धारा 230 के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन-सा एक 'भारतीय सिक्का' है?

(a) Cowries/कौड़ी
(b) Lumps of unstamped copper which is used as money/अमुद्रांकित ताँबे का टुकड़ा जो कि धन के रूप में उपयोग में लाया जाता है
(c) Farukhabad Rupee/फरूखाबाद रूपया
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

BPSC (APO) 2009

Ans : (c) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 230 के अनुसार, ''फरूखाबाद रुपया'' भारतीय सिक्का है जो धन के रूप में भारत सरकार के प्राधिकार के अधीन पहले कभी उपयोग में लाया जाता था, यद्यपि वह अब उपयोग में नहीं लाया जाता है।

4. According to Section 230 of I.P.C. "Indian Coin" includes:-/भारतीय दण्ड संहिता की धारा 230 के अनुसार 'भारतीय सिक्का' में सम्मिलित हैं/ है :

(a) Cowries /कौड़ियाँ
(b) Company's rupee /कम्पनी का रुपया
(c) Farukhabad rupee /फरुखाबाद रुपया
(d) Both (b) and (c) /(b) तथा (c) दोनों

Chhattishgarh (ADPO) 2008

Ans. (d): भारतीय दण्ड संहिता का 1860 की धारा 230 में ''सिक्का'' तथा ''भारतीय सिक्का'' को परिभाषित किया गया है। धारा 230 पैरा 2 के अनुसार भारतीय सिक्का धन के रूप में उपयोग में लाये जाने के लिए भारत सरकार के प्राधिकार द्वारा स्टाम्पित और प्रचालित धातु हैं और इस प्रकार स्टाम्पित और प्रचलित धातु इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए भारतीय सिक्का बनी रहेगी, यद्यपि धन के रूप में उसका में लाया जाना बंद हो गया हो। धारा 230 के दृष्टान्त (d) एवं (e) के अनुसार **कम्पनी का रुपया तथा फरूखाबाद रूपया** ''भारतीय सिक्का'' है।

5. Under Section 230 of the Indian Penal Code, 1860, which of the following is not or has not been a "Coin"—
धारा 230 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अनुसार निम्न में से कौन-सा ''सिक्का'' में नहीं आता है या नहीं रहा है:-

(a) The coin denominated as the company's rupee
जिस सिक्के का नाम कंपनी रुपया है
(b) The 'Farrukhabad Rupee'/फर्रूखाबाद रुपया
(c) A metal used for the time being as money and stamped and issued by the authority
तत्समय धन के रूप में उपयोग में लाई जा रही और इस प्रकार उपयोग में लाये जाने के लिए किसी राज्य या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शक्ति के प्राधिकार द्वारा स्टाम्पित और प्रचालित धातु
(d) Lumps of unstamped metal used as money
अस्टाम्पित धातु के टुकड़े जो धन के रूप में उपयोग में लाये जाते हैं

MPHC CJ 2016

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 230 में सिक्का को परिभाषित किया गया है। **दृष्टांत (b) अस्टाम्पित तांबे के टुकड़े,** यद्यपि धन के रूप में उपयोग में लाये जाते हैं, वह सिक्का नहीं है। अर्थात् जिस सिक्के का नाम कम्पनी रूपया है, फर्रूखाबाद रूपया, धन के रूप में प्रयोग में लाई जाने वाली धातु या सम्प्रभुत्व सम्पन्न प्राधिकारी द्वारा जारी धातु ये सभी सिक्का हैं।

6. Which of the following is not a crime in order to provide protection to currency?
निम्नलिखित में से कौन 'करेंसी' को संरक्षण प्रदान करने के क्रम में अपराध नहीं है?

(a) A war medal/युद्ध तमगा
(b) Gold Mohar/स्वर्ण मोहर
(c) Current Coin/चालू सिक्का
(d) Genuine specimen of antique coin
प्राचीन सिक्का का असली नमूना

UGC (NET) December, 2015 Paper-III

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 230 के अनुसार– 'सिक्का' (Currency) तत्समय धन के रूप में उपयोग में लाई जा रही तथा इस प्रकार उपयोग में लाये जाने के लिए किसी राज्य या सम्पूर्ण प्रभुतासम्पन्न शक्ति के प्राधिकार द्वारा प्रचलित और स्टाम्पित धातु है। जिसे चालू सिक्का (Currency) संरक्षण प्रदान करने के क्रम में अपराध नहीं माना जाता है।

7. Whoever counterfeits, or knowingly performs, any part of the process of counterfeiting Indian coin under Section 232 by Indian Penal Code shall be punished with/जो कोई भी कूटकरण करता है अथवा जान-बूझकर भारतीय सिक्कों (मुद्रा) के कूटकरण की प्रक्रिया का कोई कार्य करता है, उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 232 के अंतर्गत निम्न में से कौन-सा दंड दिया जा सकता है?

(a) imprisonment which may extend to ten years and fine/10 वर्ष की कैद और जुर्माना
(b) imprisonment which may extend to seven years and fine/7 वर्ष की कैद और जुर्माना
(c) imprisonment which may extend to five years and fine/5 वर्ष की कैद और जुर्माना
(d) imprisonment which may extend to three years and fine/3 वर्ष की कैद और जुर्माना

UGC (NET) June, 2019 Paper-II

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 232 के अनुसार, जो कोई भारतीय सिक्के का कूटकरण करेगा या जानते हुए भारतीय सिक्के के कूटकरण के प्रक्रिया के किसी भाग को करेगा, **वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक होगी दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।**

8. Under I.P.C., the punishment for the offence of making or selling instrument for counterfeiting Indian coin is:
भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत भारतीय सिक्के के कूटकरण हेतु उपकरण बनाने या बेचने के अपराध के लिये दण्ड है:

(a) Which may extend to three years imprisonment and fine/तीन वर्ष तक का कारावास एवं जुर्माना हो सकता है
(b) Which may extend to seven years imprisonment and fine/सात वर्ष तक का कारावास एवं जुर्माना हो सकता है
(c) Which may extend to ten years imprisonment and fine/दस वर्ष तक का कारावास एवं जुर्माना हो सकता है
(d) Which may extend to life-imprisonment/ आजीवन कारावास तक हो सकता है
(e) None of these/इनमें से कोई नहीं

Chhattishgarh (ADPO) 2013

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा-234 के अनुसार–जो कोई भारतीय सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण बनाएगा, बेचेगा या रखेगा वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

9. A imports into India, or exports therefrom, any counter feit coin knowing, the same to be counterfeit is, liable under section ..... of I.P.C.
जो कोई किसी कूटकृत सिक्के को यह जानते हुये कि वह कूटकृत है भारत में आयात करेगा वह भा.दं.वि. की धारा..... के अंतर्गत दोषी है।

(a) 234 (b) 235
(c) 136 (d) 237

Chhattishgarh (J) 2019

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 237 के अनुसार जो कोई किसी कूटकृत सिक्के का यह जानते हुये या विश्वास करने का कारण रखते हुये कि वह कूटकृत है, भारत में आयात करेगा या भारत से निर्यात करेगा, वह दोनों में से किसी भी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

10. A person counterfeits a stamp issued by the Government for the purpose of revenue. Under which section of the Indian Penal Code, 1860 will he be punished?
एक व्यक्ति सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए प्रचलित एक स्टाम्प का कूटकरण करता है। भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की किस धारा के अधीन वह दण्डित होगा?

(a) Section 254/ धारा 254
(b) Section 255/ धारा 255
(c) Section 256/ धारा 256
(d) Section 257/ धारा 257

Rajasthan (APO) 2015

Ans. (b) : यदि कोई व्यक्ति राजस्व के प्रयोजन के लिए प्रचलित एक स्टाम्प का कूटकरण करता है तो उसे भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 255 के अधीन दण्डित किया जायेगा।
धारा 255 के अनुसार, जो कोई सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए प्रचालित किसी स्टाम्प का कूटकरण करेगा या जानते हुए उसके कूटकरण की प्रक्रिया के किसी भाग को करेगा वह आजीवन कारावास से या दोनों से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दण्डित किया जायेगा।

अध्याय – 16

लोक-स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराध (धारा 268-294A)

1. In which of the acts of prostitution it becomes a public nuisance?
वेश्यावृत्ति में वह कौन-सा कृत्य है जो लोक उपताप का कारण बनता है?
(a) The act is carried on in a hidden manner/छिपकर किया गया कृत्य
(b) The act has resulted with an injury to an individual/किसी व्यक्ति को इस कृत्य द्वारा आघात पहुँचा हो
(c) It must be a case of bare solicitation of customers in a public place/ऐसा कृतय जिससे सार्वजनिक स्थानों से ग्राहकों को केवल लुभाने का कार्य किया जाए
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

UGC (NET) December, 2011

Ans. (c) : ऐसा कृत्य जिससे सार्वजनिक स्थानों से ग्राहको को केवल लुभाने का कार्य किया जाए, यह वेश्यावृत्ति में एक ऐसा कृत्य है जो लोक उपताप का कारण बनता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 268 लोक न्यूसेन्स से सम्बन्धित है।

2. Negligent act likely to spread infection of disease dangerous to life is prescribed in IPC under:
भारतीय दण्ड संहिता में उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलाना सम्भाव्य हो उपबंधित है, अन्तर्गत :
(a) Section 268/धारा 268 में
(b) Section 271/धारा 271 में
(c) Section 270/धारा 270 में
(d) Section 269/धारा 269 में

Uttarakhand (J) 2021

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 269 में उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रम फैलना सम्भाव्य हो उपबंधित है जिसके अनुसार-जो कोई विधिविरूद्ध रूप से या उपेक्षा से ऐसा कोई कार्य करेगा, जिससे कि और जिससे वह जानता या विश्वास करने का कारण रखता हो कि, जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रम फैलना संभाव्य है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

3. The punishment for general form of Public Nuisance is provided in/लोक अपदूषण के सामान्य प्रकार के लिए दण्ड उपबन्धित है
(a) Section 268 of I.P.C./भा.दं.स. की धारा 268 में
(b) Section 269 of I.P.C./भा.दं.स. की धारा 269 में
(c) Section 290 of I.P.C./भा.दं.स. की धारा 290 में
(d) Section 291 of I.P.C./भा.दं.स. की धारा 291 में

UP (APO) 2006

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 290 में लोक अपदूषण के सामान्य प्रकार के दण्ड का प्रावधान है। धारा 290 के अनुसार–जो कोई किसी ऐसे मामले में लोक न्यूसेन्स करेगा जो इस संहिता द्वारा अन्यथा दण्डनीय नहीं है, वह जुर्माने से, जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

4. Malignantly and maliciously are synonyms. There is only one provision of Indian Penal Code which covers both the aspect. Provide the correct answer.
परिद्वेषपूर्ण और विद्वेषपूर्ण पर्यायवाची शब्द है। भारतीय दण्ड संहिता का एक ही प्रावधान दोनों पर लागू होता है। सही उत्तर का चयन कीजिये–
(a) Section 153/धारा 153
(b) Section 270/धारा 270
(c) Section 219/धारा 219
(d) Section 220/धारा 220

UGC (NET) September, 2013 Paper-II

Ans. (b) : परिद्वेषपूर्ण और विद्वेषपूर्ण पर्यायवाची शब्द है। भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 270 का उपबन्ध दोनों पर लागू होता है। धारा 270 के अनुसार, जो कोई परिद्वेष से ऐसा कोई कार्य करेगा जिससे कि, और वह जानता या विश्वास करने का कारण रखता हो कि, जीवन के लिए संकटपूर्ण किसी रोग का सक्रमण फैलना सम्भाव्य है, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास, जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

5. A malignant act likely to spread infection or disease dangerous to life and making atmosphere noxious to health are punishable offences for environment protection. But the punishment are meagre to meet objectives. Under which of the following law such meagre punishment is give?
कोई परिद्वेषी कृत्य जिससे ऐसा संक्रमण अथवा रोग फैलने की आशंका हो जो जीवन के लिए हानिकर है और जिसके परिणामस्वरूप वातावरण स्वास्थ्य के लिए विषाक्तपूर्ण हो जाए, पर्यावरणीय संरक्षण के विभिन्न दण्डनीय अपराध है, किन्तु उपबंधित प्रावधान उद्देश्यों

की पूर्ति के लिए अपर्याप्त है। इस तरह के अल्प दण्ड का उपबंध निम्नलिखित में से किस विधि में किया गया है?

(a) Environment Protection Act 1986/पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
(b) Indian Penal Code/भारतीय दण्ड संहिता
(c) The Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981/वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981
(d) The Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974/जल (प्रदूषण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974

UGC (NET) December, 2019 Paper-II

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

6. Which Provision of the Indian Penal Code makes water pollution punishable?
भारतीय दण्ड संहिता का कौन-सा उपबंध जल-प्रदूषण को दण्डनीय बनाता है?

(a) Section 277/धारा 277
(b) Section 278/धारा 278
(c) Section 279/धारा 279
(d) Section 280/धारा 280

Uttarakhand (J) 2009

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 277 जल प्रदूषण अर्थात् लोक जल स्रोत या जलाशय के जल को कलुषित करने को दण्डनीय बनाता है।

7. A hotel situated at the bank of a water reservoir, despite objection, discharges its polluted water in the reservoir, causing fouls to reservoir water. For which offence under Indian Penal Code the Manager of the Hotel can be charged?
एक जलाशय के किनारे पर अवस्थित होटल, आपत्ति किये जाने के उपरांत भी अपने दूषित जल को जलाशय में छोड़ रहा है, जिससे जलाशय का पानी कलुषित हो रहा है। होटल व्यवस्थापक को भारतीय दण्ड संहिता में किस अपराध से आरोपित किया जा सकता है?

(a) Section 277/धारा 277
(b) Section 276/धारा 276
(c) Section 278/धारा 278
(d) Section 282/धारा 282

Rajasthan (J) 2013

Ans. (a) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 277 पर आधारित है। धारा 277 के अनुसार, जो कोई लोक जल स्रोत या जलाशय के जल को स्वेच्छा से इस प्रकार भ्रष्ट या कलुषित करेगा कि वह उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए वह मामूली तौर पर उपयोग में आता हो, कम उपयोगी हो जाय, वह दोनों में से किसी भी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि **तीन मास तक हो सकेगी** या **जुर्माने से जो 500 रुपये तक हो सकेगा** या **दोनों से दण्डित** किया जायेगा।

8. In which one of the following Section of Indian Penal Code, "rash and negligent driving of vehicle on public way" is an offence?
भारतीय दण्ड संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा के अन्तर्गत ''लोक मार्ग पर तेजगति से और लापरवाही से वाहन चलाना'', अपराध है?

(a) Section 278/धारा 278
(b) Section 273/धारा 273
(c) Section 279/धारा 279
(d) Section 280/धारा 280

UP (APO) 2018
Uttrakhand (J) 2014, 2015, 2018

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 279 लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हांकने के लिए दण्ड का प्रावधान करती है, जिसके लिए **छह मास तक का कारावास या 1000 रूपये तक का जुर्माना या दोनों के दण्ड का प्रावधान है।**

9. A drove the car rashly or negligently on the public way and damaged the property of B, thereby he committed offence under what section/sections?
'क' ने लोक मार्ग पर वाहन उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण चलाकर 'ख' की सम्पत्ति को क्षति कारित की। 'क' ने भारतीय दण्ड संहिता की कौन-सी धारा/धाराओं का अपराध किया है?

(a) 279
(b) 279 and 425/279 एवं 425
(c) 425
(d) 279 and 337/279 एवं 337

MPHC CJ 2011

Ans. (b) : प्रस्तुत समस्या में 'क' ने भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 279 एवं धारा 425 में प्रावधानित अपराध किया। धारा 279 के अनुसार, जो कोई किसी लोक मार्ग पर ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से कोई वाहन चलायेगा या सवार होकर हांकेगा, जिससे मानव जीवन संकटपन्न हो जाय या किसी अन्य व्यक्ति को उपहति या क्षति कारित होना सम्भाव्य हो, वह दोनों में से किसी भी भाँति के कारावास जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

10. Which fact is common in both the offence under sec-279 & 273 of IPC
धारा 279 एवं 273 भारतीय दण्ड विधान के दोनों अपराधों में निम्न समान तथ्य हैं:

(a) Offence are committed on public road/अपराध सार्वजनिक मार्ग पर कारित किये जाते हैं
(b) There are equal punishment for both offence causing hurt/अपराधों के लिये समान दण्ड की व्यवस्था है
(c) Causing hurt/चोट पहुँचाना
(d) Existance of element of rush & neglegence/उतावलेपन या उपेक्षा का तत्व विद्यमान है

MP (ADPO) 1993

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 273 में आयकर खाद्य या पेय का विक्रय और धारा 279 में लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हांकना, का प्रावधान किया गया है। इन दोनों ही धाराओं के अन्तर्गत अपराधों के लिए समान दण्ड की व्यवस्था है, जिसके तहत 6 मास तक कारावास या 1000 रूपये तक जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है।

11. What ingredient is not necessary for the offence punishable under Section 279 I.P.C. (Rash driving on public way):
आम रास्ते पर लापरवाही और तेजी से वाहन चलाने के अपराध धारा 279 भारतीय दण्ड संहिता के लिए कौन-सा तथ्य आवश्यक नहीं है?

(a) Driving of Vehicle /वाहन का चलाना
(b) On a public way /आम रास्ते पर
(c) Such driving must be so rash or negligent as to endanger human life
वाहन चालन इतनी तेजी या लापरवाही से हो जिससे मानव जीवन को संकट उत्पन्न हो
(d) Persons were on road /रास्ते पर व्यक्तियों का होना

MPHC CJ 2007

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 के धारा 279 के अन्तर्गत अपराध के गठन हेतु निम्न आवश्यक तत्व होने चाहिए-
- गाड़ी चलाना
- सार्वजनिक मार्ग पर
- ऐसा वाहन उपेक्षा या उतावलेपन से चलाना
- मानव जीवन को संकट उत्पन्न या उपहति या क्षति होना।

अर्थात् प्रस्तुत समस्या का विकल्प (d) गलत है।

12. What is the maximum penalty for hasty driving on a Public road?
सार्वजनिक पथ पर उतावलेपन से गाड़ी चलाने के लिये अधिकतम कितनी सजा का प्रावधान है?

(a) Imprisonment of one year and fine of one thousand /एक वर्ष की सजा व एक हजार रुपये जुर्माना
(b) imprisonment of six month and fine of one thousand/छः महीने की सजा व एक हजार रुपये जुर्माना
(c) imprisonment of two year and fine of five thousand/दो वर्ष की सजा व पाँच हजार रुपये जुर्माना
(d) imprisonment of one year fine of five thousand/एक वर्ष की सजा व पाँच हजार रुपये जुर्माना

Rajasthan (APO) 2005

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 279 में लोक मार्ग पर उतावलेपन से या उपेक्षा से कोई वाहन चलायेगा या सवार होकर हांकेगा जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाय या किसी अन्य व्यक्ति को उपहति या क्षति कारित होना सम्भाव्य हो वह दोनों में से किसी भी भाँति के कारावास से **जिसकी अवधि 6 माह तक हो सकेगी या जुर्माने से जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जायेगा।**

13. To which one of the following Section of IPC Hicklin rule is related to?
भा.दं.सं. की निम्नलिखित किस धारा से हिकलिन का नियम सम्बन्धित है?

(a) Section 292/धारा 292
(b) Section 291/धारा 291
(c) Section 290/धारा 290
(d) Section 294/धारा 294

Uttarakhand (J) 2014
UP (APO) 2018

Ans : (a) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 292 हिकलिन का नियम से संबंधित है। धारा 292 अश्लील पुस्तकों, रेखाचित्रों, रंगचित्र इत्यादि के विक्रय को दण्डनीय अपराध बनाता है।

14. R. v. Hicklin is related to
आर. बनाम हिकलिन सम्बन्धित है:

(a) Bribery/रिश्वत
(b) Culpable Homicide/सदोष मानववध
(c) Obscenity/अश्लीलता
(d) Rape/बलात्संग

JPSC (APO) 2019

Ans. (c) : आर. बनाम हिकलिन अश्लीलता से सम्बन्धित है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 292 हिकलिन नियम से सम्बंधित है।

15. 'A' blind person prosecuted under section 292 IPC for sale of obscene book, his defence was that he did not know that the magazine he sold was obscene/'अ', एक अंधे व्यक्ति को अश्लील पत्रिका विक्रय करने के लिए भा. दं. सं. की धारा 292 के तहत आरोपित किया गया, उसका बचाव था कि उसे वह जानकारी नहीं थी कि जो पत्रिका उसने विक्रय की वह अश्लील थी-

(a) Due to mistake of fact a will be successful/तथ्य की भूल के कारण 'अ' सफल होगा
(b) A will be unsuccessful/'अ' असफल होगा
(c) Court have discretion/न्यायालय का विवेकाधिकार है
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

MP (ADPO) 1997

Ans : (b) प्रस्तुत समस्या में अ द्वारा लिया गया बचाव कि उसे यह जानकारी नहीं थी कि जो पत्रिका उसने विक्रय की वह अश्लील थी, का बचाव नहीं मिलेगा क्योंकि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 292 के तहत यह कृत्य अपराध है। अ असफल होगा क्योंकि **विधि की भूल** भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत बचाव नहीं है।

16. Aveek Sarkar v. State of West Bengal (2014) 4 SCC 257 deals with :
अवीक सरकार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (2014) 4 SCC 257 सम्बन्धित है-

(a) Section 153A/धारा 153 क
(b) Section 292A /धारा 292 क
(c) Section 292/धारा 292
(d) Section 354A/धारा 354 क

JPSC (APO) 2019

Ans. (c) : अवीक सरकार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (2014) का वाद भारतीय दण्ड संहिता की धारा 292 (अश्लील पुस्तकों के विक्रय का आदि) से सम्बंधित है।

17. 'A' distributes compact disk (CD) to 'B', a young boy of 19 years, for seeing obscene pictures for recreation. 'A' has committed an offence under which of the following Sections of Indian Penal Code ?
'क', 'ख' को, जो 19 वर्ष का युवक है, एक काम्पैक्ट डिस्क (सी.डी.), अश्लील तस्वीरें आमोदार्थ देखने के लिये बाँटता है। 'क' ने भारतीय दण्ड संहिता की निम्न में से किस धारा के अन्तर्गत अपराध किया है?

(a) Section 292/धारा 292
(b) Section 293/धारा 293
(c) Section 294/धारा 294
(d) Section 295/धारा 295

UP (APO) 2015

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 293 के अधीन तरुण व्यक्तियों को अश्लील वस्तुओं का विक्रय प्रतिबन्धित है। धारा 293 के अनुसार, जो कोई बीस वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को कोई ऐसी अश्लील वस्तु बेचेगा, भाड़े पर देगा, वितरण करेगा, प्रदर्शित करेगा या परिचालित करेगा या ऐसा करने का प्रस्थापना या प्रयत्न करेगा, प्रथम दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी और 2000/- रु. तक जुर्माना से तथा द्वितीय दोषसिद्धि पर किसी भाँति के कारावास से जो सात वर्ष तक हो सकेगी तथा 5000/- तक का जुर्माना हो सकेगा।

18. Uttering obscene acts and songs on a public place-
लोक स्थान पर अश्लील कार्य और गाने

(a) is not an offence/कोई अपराध नहीं है
(b) is an offence under Section 294 IPC
धारा 294 भां.दं.सं. के अधीन अपराध है
(c) is an offence under Section 290 IPC
धारा 290 भां.दं.सं. के अधीन अपराध है
(d) is an offence under Section 292(2)(b) IPC
धारा 292(2)(बी) भां.दं.सं. के अधीन अपराध है

MPHC CJ 2018 Shift-I

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 294 में प्रावधान किया गया है कि जो कोई किसी लोक-स्थान पर कोई अश्लील कार्य करेगा, या कोई अश्लील गाने सुनाएगा या उच्चारित करेगा जिससे दूसरों को क्षोभ होता हो, वह कारावास से जिसकी अवधि 3 मास तक हो सकती है, या जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

19. A man sings obscene powade in a passenger train which annoyed the passengers. What crime did he commit?
एक व्यक्ति सवारी गाड़ी में अश्लील पवाडे गाता है, जिससे यात्रियों को क्षोभ हुआ। उसने कौन-सा अपराध किया?

(a) singing obscene songs/अश्लील गीत गाने का
(b) Public nuisance/लोक न्यूसेंस
(c) Rishti/रिष्टि
(d) the shame of woman/महिलाओं की लज्जा भंग

Rajasthan (APO) 2015

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

20. 'A' sings obscene songs near the gate of Girls Degree College. What offence he was committed?
'A' महिला विश्वविद्यालय के गेट के पास खड़ा होकर अश्लील गाने गाता है, उसने कौन-सा अपराध किया है?

(a) Assault/हमला
(b) Outraging the modesty of a woman
स्त्री की लज्जा भंग करना
(c) Criminal intimidation/आपराधिक अभित्रास
(d) Obscenity/अश्लील कार्य

Uttarakhand (J) 2018

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

21. (i) Annoyance to others, (ii) obscene act, (iii) proximity to public place, and (iv) out of these four components in public place, which of the following combination of them, punishable under sec 294 of Indian penal code, shall constitute an offence of obscene act/(i) दूसरों को क्षोभ, (ii) अश्लील कृत्य, (iii) सार्वजनिक स्थान से निकटता, एवं (iv) सार्वजनिक स्थान में इन चार घटकों में से, उनका निम्न में से कौन सा संयोजन, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294 के अन्तर्गत दण्डनीय, अश्लील कृत्य के अपराध का गठन करेगा?

(a) All four (i, ii, iii and iv) component/चारों (i, ii, iii एवं iv) ही घटक
(b) First three (i, ii and iii) component/प्रथम तीन (i, ii व iii) घटक
(c) First (i), second (ii) and fourth (iv) component/प्रथम (i), द्वितीय (ii) एवं चतुर्थ (iii) घटक
(d) Only first (i) and second (ii) component/केवल प्रथम दो (i व ii) ही घटक

MP (ADPO) 1995

Ans : (a) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 294 के अनुसार, जो कोई-
(a) किसी लोक स्थान में कोई अश्लील कार्य करेगा, अथवा
(b) किसी लोक स्थान में या उसके समीप कोई अश्लील गाने, पवाड़े या शब्द गाएगा, सुनाएगा या उच्चारित करेगा जिससे दूसरों को क्षोभ होता हो,
वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जो 3 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

अध्याय – 17

धर्म से सम्बन्धित अपराध

(धारा 295-298)

1. A deliberate and malicious Act intended to outrage religious feelings of any class by insulting its religion beliefs is an offence punishable under:

एक सुविमर्शित एवं विद्वेषपूर्ण कृत्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किया गया हो भा.दं. संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध है:

(a) Section 295, I.P.C./धारा 295 में

(b) Section 295-A, I.P.C./धारा 295-A में

(c) Section 296, I.P.C./धारा 296 में

(d) Section 298, I.P.C./धारा 298 में

(e) None of these/उपरोक्त में कोई नहीं

Chhattishgarh (ADPO) 2013

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा-295A के अनुसार, जो कोई भारतीय नागरिकों के किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से मौखिक, लिखित या संकेतों द्वारा अपमान करेगा या करने का प्रयास करेगा, **वह तीन वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जाएगा।**

2. If a person, with a knowledge that the feelings of a group of people is likely to be wounded, trespasses a place set apart for the performance of funeral rights, he commits a crime described under Section :

यदि एक व्यक्ति, लोगों के एक समूह की भावनाओं को आघात पहुंचाने का ज्ञान होते हुए, अंत्येष्टि क्रियाओं के लिए पृथक रखे गए स्थान पर अतिचार करता है तो वह अपराध कारित करता है, जो वर्णित है-

(a) Section 298 Indian Penal Code/धारा 298 भारतीय दण्ड संहिता में

(b) Section 297 Indian Penal Code/धारा 297 भारतीय दण्ड संहिता में

(c) Section 295 Indian Penal Code/धारा 295 भारतीय दण्ड संहिता में

(d) Section 296 Indian Penal Code/धारा 296 भारतीय दण्ड संहिता में

Rajasthan (J) 2013

Ans. (b) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 297 पर आधारित है। **धारा 297 के अनुसार–** जो कोई किसी उपासना स्थान में या किसी कब्रिस्तान पर या अन्त्येष्टि क्रियाओं के लिए या मृतक के अवशेषों के लिए निक्षेप स्थान के रूप में पृथक रखे गये किसी स्थान में अतिचार या किसी मानव शव की अवहेलना इस आशय से करेगा कि व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुँचेगी या किसी व्यक्ति के धर्म का अपमान होगा,वह दोनों में से किसी भी भाँति के कारावास से जिसकी **अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।**

अध्याय – 18
मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध (धारा 299-377)

A. जीवन के लिए संकटकारी अपराध (धारा 299-311)

1. Offences against human body are provided under which of the following chapter of IPC?
मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के संबंध में भारतीय दण्ड संहिता में बताया गया है-
(a) Chapter 11/चैप्टर 11 में
(b) Chapter 12/चैप्टर 12 में
(c) Chapter 13/चैप्टर 13 में
(d) Chapter 16/चैप्टर 16 में

Chhattishgarh (J) 2014

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 के **अध्याय 16** में मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है जो **धारा-299 से धारा 377** तक वर्णित है।

2. **Assertion (A) :** Homicide is the killing of a human being by a human being
Reason (R) : Homicide is always unlawful. Select the correct answer with the help of codes given below :
निम्न कथनों पर विचार कीजिए :
कथन (A) : एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य की मृत्युकारित करना मानव वध है।
कथन (R) : मानव वध सदैव विधि विरुद्ध होता है।
नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए :
Codes/कूट :
(a) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)/A तथा R दोनों सही हैं, तथा R, A की सही व्याख्या है।
(b) Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A)/A तथा R दोनों सही हैं, किन्तु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(c) (A) is true but (R) is false/A सही है, किन्तु R गलत है।
(d) (A) is false but (R) is true/A गलत है, किन्तु R सही है।

Uttrakhand (J) 2006
UP (APO) 2002, 2007
UP PCS (J) 2006, 2013

Ans : (c) एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य को जान से मार डालना मानव वध कहलाता है। मानव वध विधिपूर्ण हो सकता है और यह विधिविरुद्ध भी हो सकता है। भारतीय दण्ड संहिता का अध्याय 4 जो साधारण अपवादों से संबंधित है, में वर्णित अनेक मामले विधिपूर्ण मानव वध के अन्तर्गत आते हैं। विधिविरुद्ध मानव वध के अन्तर्गत निम्न मामले आते हैं—
1. हत्या
2. आपराधिक मानव वध जो हत्या की कोटि में नहीं आता।
3. उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना (धारा 304A)
4. आत्महत्या (धारा 305 तथा धारा 306)

अतः कथन (A) सही है कारण (R) असत्य है।

3. Killing of human being by another human being is called
मानव को अन्य मानव द्वारा मृत्युकारित किया जाना कहा जाता है-
(a) Murder/हत्या
(b) Culpable homicide/सदोष मानव वध
(c) Homicide/मानव वध
(d) Assassination/वध

Uttarakhand (J) 2018

Ans. (c) : एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य की मृत्युकारित किया जाना मानव-वध कहलाता है। मानव-वध विधिपूर्ण हो सकता है या विधिविरुद्ध।

4. Culpable homicide has been defined/आपराधिक मानव वध परिभाषित किया गया है :
(a) Under Section 299IPC/धारा 299 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत
(b) Under Section 300 IPC/धारा 300 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत
(c) Under Section 302 IPC/धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत
(d) Under Section 304 IPC/धारा 304 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत

MP (ADPO) 2010 Paper-II
Rajsthan (J) 2015

Ans. (a) भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा 299** में आपराधिक मानव वध को परिभाषित किया गया है। **धारा 299** के अनुसार, जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से, या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित हो जाना सम्भाव्य हो या यह ज्ञान रखते हुए कि यह सम्भाव्य है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है, वह आपराधिक मानव वध का अपराध करता है।

5. Acts which come in the category of 'culpable homicide not amounting to murder' are mentioned in which section of IPC?/आपराधिक मानव वध जो कि हत्या नहीं है, की श्रेणी में आने वाले कृत्यों का वर्णन भारतीय दण्ड संहिता की किस धारा में किया गया है?

(a) Section 300/धारा 300
(b) Section 299/धारा 299
(c) Section 299 and 300/धारा 299 तथा 300
(d) Section 302/धारा 302

UP (APO) 2011

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की **धारा 299** में आपराधिक मानव वध जो कि हत्या नहीं है की श्रेणी में आने वाले कृत्यों का वर्णन किया गया है। यह धारा आपराधिक मानव वध को परिभाषित करती है।

6. The mens rea required under Section 299 of the Indian Penal Code is/भारतीय दण्ड संहिता की धारा 299 के अधीन आवश्यक दोषी मनः स्थिति है

(a) Intention or knowledge/आशय अथवा ज्ञान
(b) Intention or negligence/आशय अथवा उपेक्षा
(c) Intention or recklessness/आशय अथवा उतावलापन
(d) Negligence or malice/उपेक्षा अथवा विद्वेष

UP (APO) 2006

Ans. (a) : धारा 299 के अन्तर्गत आपराधिक मानव-वध के आवश्यक तत्व निम्न हैं-
(1) किसी मानव की मृत्यु कारित करना।
(2) ऐसी मृत्यु किसी कार्य द्वारा कारित की गयी हो।
(3) उक्त कार्य-
  (क) मृत्यु कारित करने के आशय से, या
  (ख) ऐसी शारीरिक उपहति कारित करने के आशय से जिसमें मृत्यु कारित होना संभाव्य हो, या
  (ग) इस ज्ञान से कि उस कार्य द्वारा मृत्यु कारित होना संभाव्य है, किया गया हो।

7. A person who causes bodily injury to another who is labouring under a disorder, disease or bodily infirmity and thereby accelerates the death of the person. Under which it shall be deemed to have caused his death?
एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की अस्वस्थता, बीमारी या शारीरिक दुर्बलता की स्थिति में श्रम कराता है, को क्षति पहुँचाता है और इस तरह से उसकी मृत्यु कारित कर देता है। यह किसके अन्तर्गत मृत्यु कारित करने वाला माना जायेगा?

(a) Explanation I to Section 299/धारा 299 का स्पष्टीकरण 1
(b) Explanation I to Section 300/धारा 300 का स्पष्टीकरण 1
(c) Explanation II to Section 299/धारा 299 का स्पष्टीकरण 2
(d) Explanation II to Section 300/धारा 300 का स्पष्टीकरण 2

UGC (NET) June, 2012 Paper-III

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 के **धारा 299** के अंतर्गत आपराधिक मानव वध को परिभाषित किया गया है। इस धारा के **स्पष्टीकरण I के अनुसार-** वह व्यक्ति, जो किसी दूसरे व्यक्ति को जो किसी विकार, रोग या अंगशैथिल्य से ग्रस्त है को शारीरिक क्षति कारित कर उसकी मृत्यु त्वरित कर देता है, उसकी मृत्यु कारित कर देता है, यह समझा जायेगा।

8. Under which one of the following provisions of the Indian Penal Code, 1860 causing death of child in the mother's womb is not homicide?
भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की निम्न धाराओं में से किस धारा में माँ के उदर में शिशु की हत्या कारित करना मानव वध नहीं है?

(a) Explanation I of Section 299
धारा 299 के स्पष्टीकरण I के अनुसार
(b) Explanation II of Section 299
धारा 299 के स्पष्टीकरण II के अनुसार
(c) Explanation III of Section 299
धारा 299 के स्पष्टीकरण III के अनुसार
(d) Explanation IV of Section 300
धारा 300 के स्पष्टीकरण IV के अनुसार

Jharakhand (J) 2016
UPPCS (J) 2016

Ans. (c) : धारा 299 के स्पष्टीकरण 3 के अनुसार, मां के गर्भ में स्थित किसी शिशु की मृत्यु कारित करना मानव वध नहीं है। किन्तु किसी जीवित शिशु की मृत्यु कारित करना आपराधिक मानववध की कोटि में आ सकेगा, यदि उस शिशु का कोई भाग बाहर निकल आया हो, यद्यपि उस शिशु ने श्वांस न ली हो या वह पूर्णत: उत्पन्न न हुआ हो।

9. A knows Z to be behind the bush. B does not know it. A induces B to fire at the bush knowing it is likely to cause Z's death. Z dies. A is a guilty of:
'अ' जानता है कि 'जेड' झाड़ियों के पीछे है। 'ब' को यही नहीं मालूम है। 'अ' 'ब' को प्रेरित करता है कि झाड़ियों पर गोली चलाये यह जानते हुए कि ऐसा करने से 'जेड' की मृत्यु हो सकती है। 'जेड' की मृत्यु हो जाती है। 'अ' दोषी है-

(a) Abetment to murder /हत्या के दुष्प्रेरण का
(b) Culpable homicide /आपराधिक मानववध का
(c) Attempt to murder /हत्या के प्रयत्न का
(d) None of these /इनमें से कोई नहीं

MPHC CJ 2011

Ans. (b) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता की धारा 299 के **दृष्टांत (b)** पर आधारित है। प्रस्तुत समस्या में हो सकता है कि 'ब' किसी अपराध का दोषी न हो किन्तु 'अ' आपराधिक मानव वध का दोषी होगा।

10. It is within the knowledge of "R" that "Q" is hiding himself behind a curtain but "S" is having no knowledge of it. "R" intending to cause death of "Q", induces "S" to fire at curtain. "S" fires accordingly, resulting into death of "Q". In this factual background which statement of the following is correct:

"R" को इस बात की जानकारी है कि "Q" ने अपने आपको पर्दे के पीछे छुपा रखा है, परन्तु "S" को इसकी कोई जानकारी नहीं है। "Q" की मृत्यु कारित करने के आशय से "R" "S" को गोली चलाने के लिए उत्प्रेरित करता है। इस पर "S" गोली चलाता है, जिसके परिणामस्वरूप "Q" की मृत्यु हो जाती है। इस तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में निम्न में से कौन-सा वक्तव्य सही है?

(a) "R" has not committed any offence/"R" ने कोई अपराध कारित नहीं किया।

(b) "R" has committed an offence of culpable homicide /"R" ने हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानववध किया

(c) "R" has caused death by negligence./ "R" ने उपेक्षा से मृत्यु कारित की।

(d) "S" may be guilty of offence./ "S" किसी अपराध का दोषी हो सकता है।

Rajasthan (DJC) 2015

Ans. (b) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता की धारा 299 के **दृष्टांत (b)** पर आधारित है। प्रस्तुत समस्या में 'R' हत्या के कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध का दोषी होगा तथा हो सकता है कि 'S' किसी अपराध का दोषी न हो।

11. A knows Z to behind a bush. B does not know it. A, intending to cause, or knowing it to be likely to cause Z's death, induces B to fire at the bush. B fires and kills Z.
What offence has been committed by A and B?
क यह जानता है कि य एक झाड़ी के पीछे है। ख यह नही जानता। य की मृत्यु करने के आशय से या यह जानते हुए कि उससे य कि मृत्यु कारित होना संभाव्य है, ख को उस झाड़ी पर गोली चलाने के लिए क उत्प्रेरित करता है। ख गोली चलाता है और य को मार डालता है।
क और ख द्वारा क्या अपराध कारित किया गया है?

(a) A and B both would be guilty of committing offence punishable under Section 302 IPC/क और ख दोनों भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अन्तर्गत अपराध कारित करने के दोषी होंगे

(b) While A would be guilty of committing offence under Section 302 IPC, B would be guilty of committing offence under Section 304 Part II, IPC/क भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अन्तर्गत अपराध कारित करने का दोषी होगा जबकि ख भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 भाग II का अपराध कारित करने का दोषी होगा

(c) A would be guilty of committing offence punishable under Section 304IPC, B would be guilty of no offence/क भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 के अन्तर्गत अपराध कारित करने का दोषी होगा जबकि ख किसी अपराध का दोषी नहीं होगा

(d) A and B both would be guilty of committing offence punishable under Section 304 Part-I of the IPC/क और ख दोनों भारतीय दण्ड संहिता 304 भाग I के अन्तर्गत अपराध कारित करने के दोषी होंगे

Rajasthan (J) 2015

Ans. (c) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता की धारा 299 के **दृष्टांत (b)** पर आधारित है, जिसके अनुसार B किसी भी अपराध का दोषी नहीं होगा, किन्तु **A ने धारा 299 में परिभाषित** तथा **धारा 304 में दण्डनीय** आपराधिक मानव-वध का अपराध किया है।

12. A, knows Z to be behind a bush, B does not know it, A intending to cause or knowing it to be likely to cause Z's death, induced to B to fire at the bush. B, fires and killed Z. In this case what would be the offence of A and B?
क यह जानता है कि य एक झाड़ी के पीछे है, ख यह नहीं जानता है य कि मृत्यु करने के आशय से या यह जानते हुए कि इससे य की मृत्यु कारित होना संभाव्य है, ख को उस झाड़ी पर गोली चलाने के लिए उत्प्रेरित करता है। ख गोली चलाता है और य को मार डालता है। इस मामले में क और ख का क्या अपराध होगा?

(a) B is not guilty of any offence, but A has committed the offence of murder/ख किसी अपराध के लिए दोषी नहीं है, किन्तु क ने हत्या की है

(b) B is guilty of culpable homicide and A has committed the offence of murder/ख सदोष मानव वध का दोषी है और क ने हत्या का अपराध किया है

(c) B is not guilty of any offence, but A has committed the offence of culpable homicide/ख किसी अपराध का दोषी नहीं है, किन्तु क ने सदोष मानव वध का अपराध किया है

(d) B and A both have not committed any offence/ख और क दोनों ने कोई अपराध नहीं किया है

Uttarakhand (APO) 2009

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

13. A, by shooting at a foul with intent to kill and steal it, kills B, who is behind a bush, A not knowing that he was there. If A is tried for murder, what would you conclude that/एक मुर्गे को मार कर चुराने के आशय से, अ उस पर गोली चलाता है और ब, जो कि एक झाड़ के पीछे था, को मार देता है। अ को ब के वहां होने का ज्ञान नही था। यदि अ का हत्या के लिए विचारण किया जाता है, तब आपका क्या निष्कर्ष होगा?

(a) A has committed the offence of murder/कि, अ ने हत्या के अपराध को कारित किया है

(b) A has committed the offence of culpable homicide/कि, अ ने आपराधिक मानव वध के अपराध को कारित किया है

(c) A has not committed the offence of culpable homicide not amounting to murder/कि, अ ने हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध तक के अपराध को भी कारित नहीं किया है

(d) A has guilty of robbery/कि, अ लूटमार का दोषी था

MP (ADPO) 1995

Ans : (c) प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की **धारा 299 के दृष्टांत (c)** पर आधारित है।
प्रस्तुत समस्या में यद्यपि 'अ' विधिविरूद्ध कार्य कर रहा था, किन्तु वह आपराधिक मानव वध (धारा 299) का दोषी नहीं है क्योंकि 'अ' का आशय 'ब' को मार डालने का या कोई ऐसा कार्य करके, जिससे मृत्यु कारित करना 'अ' सम्भाव्य जानता हो, मृत्यु कारित करने का नहीं था।

14. When an accused, with the belief that a demon has entered in a women, beats her in an attempt to expell her in consequence such women dies, the accused is guilty-
जब कोई आरोपी इस विश्वास के साथ कि एक स्त्री में प्रेतात्मा प्रवेश कर गयी है, उसे निकालने के प्रयास में उसकी पिटाई करता है जिसके परिणामस्वरूप उस स्त्री की मृत्यु हो जाती है। यह आरोपी दोषी है:
(a) Culpable homicide not amounting to murder/हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध हेतु
(b) Voluntarily causing hurt/स्वेच्छया चोट पहुंचाने हेतु
(c) Murder/हत्या
(d) No any offence/कोई अपराध नहीं

MP (ADPO) 1993

Ans. (a) : प्रस्तुत समस्या में आरोपी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 299 के अन्तर्गत हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध हेतु दोषी है, क्योंकि आरोपी यह ज्ञान रखता था कि उसके कार्य से सम्भाव्य है कि वह मृत्यु कारित करेगा,
अतः प्रस्तुत समस्या में आरोपी को आपराधिक मानव-वध के लिये दोषसिद्ध किया जायेगा।
प्रस्तुत समस्या के तथ्य **जमालुद्दीन, (1892)** के वाद पर आधारित हैं।

15. A exorcist beat a girl to free her from the evil spirits. As a result the girl dies. He is guilty of:
एक ओझा (झाड़ फूंक करने वाला) ने एक लड़की को भूतप्रेत के प्रभाव से मुक्त करने हेतु, इतना पीटा की वह मर गयी, वह दोषी है:-
(a) murder/हत्या का
(b) culpable homicide not amounting to murder /आपराधिक मानव वध का जो हत्या नहीं है
(c) causing grievous hurt /घोर उपहति कारित करने का
(d) attempt to murder/हत्या के प्रयत्न का

Rajasthan (APO) 2015

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

16. 'J', a priest, beats a boy for curing him from evil spirit. The boy dies. 'J' is:
'ज' एक पुजारी एक लड़के को प्रेतात्मा (भूत) से छुड़ाने के लिए पीटता है। लड़के की मृत्यु हो जाती है। 'ज':
(a) not liable for any offence
किसी अपराध का दोषी नहीं है
(b) liable for culpable homicide
वह सदोष मानव वध का दोषी है
(c) entitled to the defence of good faith
वह सद्भाव का बचाव का हकदार है
(d) liable for attempt to murder
वह हत्या के प्रयास का दोषी है

UPPCS (J) 2003

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

17. 'A' beat his wife she fell down and become unconscious. Believing her to be dead and to save himself from being arrested for murder. 'A' hanged her in fan with rope. Post mortem disclosed her death from hanging 'A' is laible for?
'ए' ने अपनी पत्नी से मारपीट की जिसमें वह बेहोश हो गई। 'ए' ने यह विश्वास कर कि उसकी मृत्यु हो गई है स्वयं को गिरफ्तारी से बचाने के लिए उसे पंखे से फांसी पर लटका दिया। शवपरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार पत्नी की मृत्यु फाँसी पर लटकने से हुई, तब 'ए' उत्तरदायी होगा?
(a) Murder/हत्या
(b) Causing death by negligence
उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना
(c) Culpable homicide/मानव वध
(d) Grievous hurt/घोर उपहति

MP(ADPO)1993
UP (APO) 2002
MPHC CJ 2018 Shift-II

Ans. (d) : प्रस्तुत समस्या के तथ्य **पलानी गोल्डन (1919) मद्रास** वाद के तथ्य के समान है। इस वाद में अभियुक्त को घोर उपहति कारित करने के लिये दोषसिद्धि प्रदान की गयी न कि आपराधिक मानव वध के लिये। अतः इस समस्या में 'ए' घोर उपहति के लिए उत्तरदायी होगा।

18. Karan hits Nitin on his head with a stick several times. Nitin falls unconscious and succumbs to his injuries after five days of hospitalization. The doctor testifies that the injuries taken cumulatively were likely to cause death. Karan would be held guilty of
करण ने नितिन के सिर पर डंडे से कई बार वार किया। नितिन बेहोश हो जाता है और अस्पताल में भर्ती होने के पाँच दिनों के बाद उसकी मौत हो जाती है। डाक्टर गवाही देते है कि संचयी रूप से दी गई चोट से मृत्यु होने की संभावना थी। करण को दोषी ठहराया जाएगा।
(a) Attempt to murder/हत्या के प्रयास का
(b) Murder/हत्या का
(c) Attempt to culpable homicide /आपराधिक मानव-वध के प्रयास का
(d) Culpable homicide not amounting to murder/हत्या की कोटी में न आने वाले आपराधिक मानववध का

CBI (PP/APP) 2021
Delhi (APP)2021

Ans. (d) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की **धारा 299** पर आधारित है। इस समस्या में करण को हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानववध के लिए दोषी ठहराया जाएगा।
सुमेर सिंह (1941) के वाद के तथ्य इस समस्या से मिलते हैं। इस वाद में न्यायालय ने यह स्वीकार किया कि जहाँ यह ज्ञात है कि प्रहार से मृत्यु होनी सम्भाव्य है वहाँ अभियुक्त को हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानववध के लिए दोषसिद्धि प्रदान की जाएगी।

19. 'X' and 'Y' are at quarrel. It develops into fight in which both suffer bodily injury. However, 'Y' suffers more grievous hurt and dies after three days in hospital. 'X' will be liable for

'X' एवं 'Y' झगड़ा कर रहे है। झगड़ा लड़ाई में बदल जाती है जिसमें दोनों को शारीरिक चोट लगती है। 'Y' को अधिक घोर उपहति होती है और तीन दिन बाद अस्पताल में उसकी मृत्यु हो जाती है। 'X' दायी होगा

(a) Causing greivous hurt
घोर उपहति कारित करने के लिए

(b) Murder/हत्या के लिए

(c) Culpable homicide/सदोष मानव वध के लिए

(d) No offence/कोई अपराध नहीं

Uttarakhand (J) 2018

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 299 के प्रभाव से 'X' सदोष मानव वध के लिए दायी होगा। धारा 299 के अनुसार, जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित हो जाना सम्भाव्य हो, या यह ज्ञान रखते हुए कि यह सम्भाव्य है कि उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है, वह आपराधिक मानव वध का अपराध करता है।

20. Read Assertion (A) and Reason (R) and answer using the code given below:
अभिकथन (A) तथा कारण (R) पढ़ें और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके उत्तर दीजिए:

Assertion (A) : That the act is imminently dangerous or that in all probability it will cause death

अभिकथन (A) : कि कार्रवाई आसन्न रूप से खतरनाक है या कि पूरी अधिसंभाव्यता है कि इससे मृत्यु हो जाएगी।

Reason (R) : Such specific principal apply to punish a person although there is no intention to cause death

कारण (R) : इस प्रकार का विशिष्ट सिद्धान्त व्यक्तियों को दंडित करने के लिए लागू होता है, हालांकि हत्या करने का कोई आशय नहीं है।

Codes/कूट:

(a) Both (A) and (R) are concurrent as per Sec. 299 (c) and 300 (4) respectively/(A) और (R) दोनों क्रमशः धारा 299(c) और धारा 300 (4) के अनुसार समवर्ती है

(b) Both (A) and (R) are intravires as per Sec. 300 and Sec. 302/(A) और (R) दोनों धारा 300 और धारा 302 के अनुसार अधिकारधीन है

(c) Both (A) and (R) are dependant upon facts based as per Sec. 299(b) and Sec. 302/(A) और (R) दोनों धारा 299(b) और धारा 302 के अनुसार तथ्यों पर निर्भर हैं

(d) Both (A) and (R) must co-exit as per Sec. 300(2) and Sec.301/(A) और (R) दोनों धारा 300(2) और धारा 301 के अनुसार सह-अस्तित्व है

UGC (NET) December, 2015 Paper-III

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 299 के तृतीय कोटि आपराधिक मानव वध तथा धारा 300 के चतुर्थ खण्ड में हत्या समवर्ती है।

धारा 299 के तृतीय पैरा में लिखे शब्द- यह ज्ञान रखते हुए कि यह संभाव्य है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर दें, कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है। **धारा 300** के **चतुर्थ खण्ड के अनुसार**, यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि वह कार्य इतना आसन्न सकट है कि पूरी संभावना है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा, जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है और वह मृत्युकारित करने की जोखिम उठाने के लिए किसी प्रतिहेतु के बिना किया हो। इन दोनों से स्पष्ट है कि धारा 299 (c) तथा 300 (4) एक दूसरे के समवर्ती हैं।

21. The offence of.....homicide supposes knowledge of likelihood of causing death.
.....मानव वध का अपराध हत्या करने की संभावना की जानकारी की कल्पना कर लेता है।

(a) unlawful/गैरकानूनी

(b) abnormal/असाधारण

(c) culpable/सदोष

(d) all types of/सभी प्रकार के

UGC (NET) December, 2012 Paper-II

Ans. (c) : सदोष मानव वध का अपराध हत्या करने की संभावना की जानकारी की कल्पना करता है।
सदोष मानव वध का अपराध भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 299** में परिभाषित किया गया है। यह **धारा 304** के अंतर्गत दण्डनीय है। सदोष मानव वध में हत्या की सम्भावना की कल्पना मात्र होती है, जबकि हत्या में मृत्यु कारित होने की पूर्ण सम्भाव्यता होती है। यह हत्या और मानव वध के बीच एक महत्त्वपूर्ण अंतर है।

22. Under what circumstances gross negligence could amount to knowledge as may be required under Section 299 of Indian Penal Code to impose punishment?
किन परिस्थितियों में घोर उपेक्षा को दंड अधिरोपित करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 299 के अंतर्गत यथा अपेक्षित जानकारी मानी जा सकती है?

(a) Bonafide belief about a supernatural thing resulting in the direct consequence of death/अलौकिक चीज के बारे में सद्भावी विश्वास जिसके कारण मृत्यु का सीधा परिणाम हुआ

(b) There was pre-supposition that death will result/पूर्वकल्पना कि परिणामतः मृत्यु होगी

(c) Presumption is that the accused had knowledge about the consequence of his act that resulted in death/उपधारणा कि अभियुक्त को अपने कार्य, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु हुई, के परिणाम की जानकारी थी

(d) When there is clear difference between lower or higher degree of criminality/जब अपराधी की निम्न या उच्च डिग्री के बीच स्पष्ट भेद है

UGC (NET) September, 2016 Paper-II

Ans. (c) : यह उपधारणा कि अभियुक्त को अपने कार्य, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु हुई, के परिणाम की जानकारी थी, ऐसी परिस्थितियों में घोर उपेक्षा को दंड अधिरोपित करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 299** के अंतर्गत यथा अपेक्षित जानकारी मानी जा सकती है।

धारा 299 आपराधिक मानव वध को परिभाषित करती है, **इसके अनुसार–** ''जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से, या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से, जिससे मृत्यु कारित हो जाना सम्भाव्य है, या यह ज्ञान रखते हुए कि यह सम्भाव्य है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है, वह आपराधिक मानव वध का अपराध करता है।

23. Liability for culpable homicide can be fixed if death is caused by effect of words:
आपराधिक मानववध के लिए जिम्मेदारी निर्धारित हो सकती है, यदि वह मृत्यु शब्दों के प्रभावों के कारण हुई हो

(a) If it results in excitement/यदि इसका परिणाम भड़काने में हो
(b) If the anticipated consequence becomes the result/यदि पूर्वानुमानित परिणाम ही घटित हो जाए
(c) By the absence of avoidability to suffer from Lingering torture/पीड़ा टालने के बजाय निरंतर उत्पीड़न करना
(d) All the above/उपर्युक्त सभी

UGC (NET) December, 2011

Ans. (d) : आपराधिक मानव वध के लिए दायित्व निर्धारित हो सकती यदि वह मृत्यु शब्दों के प्रभावों के कारण हुई हो- (1) इसका परिणाम उकसाने में हुआ हो (2) यदि पूर्वानुमानित परिणाम ही घटित हो जाए और (3) पीड़ा टालने के बजाय निरन्तर उत्पीड़न करना।

24. Which one of the following option is correct?
निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही नहीं है?

(a) All murders are culpable homicide but not vice versa/सभी हत्याएं आपराधिक मानव वध हैं लेकिन सभी मानव वध हत्या नहीं है।
(b) All culpable homicide are murder
सभी आपराधिक मानव वध हत्याएं हैं
(c) An intention to kill is not necessary always
हत्या करने के लिए आशय हमेशा आवश्यक नहीं होता
(d) Under section 299 (c) an act with knowledge that such act is likely to cause death /भा.दं.सं. की धारा 299 (सी) के तहत कार्य उस ज्ञान से किया हो कि उस कार्य द्वारा मृत्यु कारित होना संभाव्य है

MPHC CJ 2018 Shift-I

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता के धारा 299 में आपराधिक मानव वध तथा धारा 300 में हत्या को परिभाषित किया गया है इन दोनों का एक साथ अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि सभी मानव वध हत्या नहीं है किन्तु सभी हत्या मानव वध है। मानव वध एक जाति है हत्या उसकी उपजाति है। अतः विकल्प 1 सही है और विकल्प 2 गलत है।
विकल्प 3 भी सही है क्योंकि हत्या के परिभाषा (धारा 300) में 4 श्रेणी के कार्यों को हत्या माना गया है–
1. आशय के साथ किया गया कृत्य
2. ज्ञान के साथ किया गया कृत्य
3. सम्भाव्य जानते हुए कृत्य कि सामान्य अनुक्रम में यह मृत्यु कारित कर देगा।
4. जानते हुए कार्य कि कृत्य आसन्न रूप से खतरनाक है।

विकल्प (4) भी सही है, धारा 299 में इस ज्ञान के साथ कार्य कि मृत्यु कारित हो जायेगा आपराधिक मानव वध की श्रेणी में आता है।

25. It is correct to say that :
यह कहना सही है कि -

(a) Every culpable homicide is murder/प्रत्येक सदोष मानव वध हत्या है
(b) Every murder is culpable homicide/प्रत्येक हत्या सदोष मानव वध है
(c) None of the above are correct/उक्त कोई कथन सही नही है
(d) Both the above (a & b) are correct/उक्त दोनों कथन (a) एवं (b) सही है

MP (ADPO) 1993

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार यह कहना सही है कि ''प्रत्येक हत्या सदोष मानव-वध है, किन्तु प्रत्येक सदोष मानव-वध हत्या नहीं है।''

26. "All murder is culpable homicide but all culaple homicide is not murder." This statement has been given by/ ''सभी हत्या आपराधिक मानव वध हैं लेकिन सभी आपराधिक मानव वध हत्या नहीं हैं।'' यह कथन दिया गया है, द्वारा-

(a) Justice Madhvan Nair/जस्टिस माधवन नायर
(b) Justice Melville/जस्टिस मेलविल
(c) Justice Sharfuddin/जस्टिस शर्फुद्दीन
(d) Justice Sulaiman/जस्टिस सुलेमान

UP (APO) 2011

Ans. (c) : सभी हत्या आपराधिक मानव वध है लेकिन सभी आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है।'' यह कथन **जस्टिस शर्फुद्दीन का है। जस्टिस मेलविल ने रेग बनाम गोविन्दा के वाद** में हत्या तथा आपराधिक मानव वध में अन्तर बताया।

27. The principle of proximity of crime under criminal law is irrelevant, while deciding the liability for the offence of
दाण्डिक विधि में अपराध के निकटता का सिद्धान्त जिस अपराध के लिये दायित्व का विनिश्चय करने में असंगत है, वह है-

(a) theft and dacoity/चोरी और डकैती का
(b) culpable homicide and murder
आपराधिक मानव वध एवं हत्या का
(c) kidnapping and abduction
अपहरण और व्यपहरण का
(d) abetment and conspiracy
दुष्प्रेरण एवं षड्यंत्र का

UPPCS (J) 2012

Ans. (b) : दाण्डिक विधि में अपराध के निकटता का सिद्धान्त आपराधिक मानव वध एवं हत्या के अपराध के लिए दायित्व का विनिश्चय करने में असंगत है।

28. The demarcating line between intention and knowledge is:
आशय और ज्ञान के बीच सीमांकन रेखा–

(a) Non-existing/अविद्यमान है
(b) Existing/विद्यमान है
(c) Thin/पतली है
(d) Wide/चौड़ी है

UGC (NET) December, 2010

Ans. (c) : आशय एवं ज्ञान के बीच सीमांकन रेखा अत्यन्त पतली है। यह सिद्धान्त I. P. C. की धारा 299 एवं 300 के मध्य विभेद करने का आधार है जिसे **बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है।**

29. ..... of the Indian Penal Code defines "Murder".
भारतीय दण्ड संहिता की....."हत्या" को परिभाषित करती है।

(a) Section 299/धारा 299 (b) Section 300/धारा 300
(c) Section 301/धारा 301 (d) Section 302/धारा 302

MPHC CJ 2009

Ans. (b): भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की **धारा 300** में हत्या को परिभाषित किया गया है जबकि **धारा 299** में आपराधिक मानव वध को परिभाषित किया गया है। **धारा 301** जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था, उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानव वध को दण्डनीय घोषित करती है, यह धारा अंग्रेजी विधि के सिद्धान्त विद्वेष के अंतरण से सम्बन्धित है। **धारा 302** हत्या के लिए दण्ड का उपबंध करती है।

30. How many circumstances has enumerated under Section 300 of the Indian Penal Code, under which culpable homicide is murder?
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 300 के अन्तर्गत कितनी परिस्थितियाँ गिनाई गई हैं जिनके अन्तर्गत सदोष मानव वध हत्या है?

(a) 2 (b) 3
(c) 4 (d) 5

Uttarakhand (J) 2018

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 300 के अन्तर्गत 4 परिस्थितियाँ गिनाई गई हैं जिनके अन्तर्गत सदोष मानव वध हत्या है—

1. वह कार्य जिससे मृत्यु कारित की गयी हो, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो, अथवा
2. ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे अपराधी जानता हो कि मृत्यु कारित करना सम्भाव्य है, अथवा
3. ऐसी शारीरिक क्षति प्रकृति के अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो, अथवा
4. वह कार्य जिससे मृत्यु कारित की गई हो उसके बारे में कार्य करने वाला व्यक्ति जानता हो कि वह कार्य इतना आसन्न संकटपूर्ण है कि मृत्यु कारित कर ही देगा।

31. A person can be considered guilty of murder only if: / एक व्यक्ति हत्या का अपराधी तभी माना जा सकता है, जब-

(a) it is done with the intention of causing bodily injury to any person which is sufficient to cause death/यदि वह किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति के आशय से किया गया हो, जो मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो
(b) it is done with the intention of causing bodily injury which the offender knows to be likely to cause the death of the person to whom the harm is caused /यदि वह शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो जिसमें अपराधी जानता हो कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना सम्भाव्य है जिसको वह अपहानि कारित की गई है।
(c) the murder is committed with the knowledge that the act he is doing is likely to cause death/हत्या इस जानकारी से की गई है कि वह जो कार्य कर रहा है उससे मृत्यु कारित होने की सम्भावना है
(d) When the murder has been committed under the influence of a serious and sudden provocation./जब हत्या गम्भीर और अचानक प्रकोपन के प्रभाव में की गई है।

Rajasthan (APO) 2005

Ans. (b) : किसी व्यक्ति को हत्या का अपराधी तभी माना जायेगा जब वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 300 के अधीन निम्न शर्तों को पूरा करता हो-
धारा 300 के अनुसार- आपराधिक मानव वध हत्या है-
(1) यदि कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित हुई है मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया है तथा
(2) यदि वह ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो जिससे अपराधी जानता हो कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना सम्भाव्य है जिसको वह अपहानि कारित की गयी हो।
(3) यदि यह शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया है और वह शारीरिक क्षति जिसे कारित करने का आशय हो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो या
(4) यदि अपराधी जानता है कि कार्य इतना आसन्न संकट है कि पूरी अधिसम्भावना है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा या शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है और ऐसा मृत्यु कारित करने या पूर्वोक्त रूप से क्षति कारित करने की जोखिम उठाने के लिए किसी प्रतिहेतु के बिना ऐसा कार्य करें।
अतः विकल्प (b) सही है।

32. Assertion (A): Culpable homicide becomes murder when the act causes death and is dones with the intention of causing death.
अभिकथन (A): आपराधिक मानव वध तब हत्या की श्रेणी में आता है जब उस कृत्य से मृत्यु हो जाती है और उस कृत्य को जान से मारने के आशय से किया गया हो।

Reason (R): One of the conditions to be satisfied for treating it murder provide the injury intended to be inflicted is sufficient in the ordinary course of nature to cause death.
कारण (R): इस कृत्य को हत्या मानने के लिये एक शर्त यह है कि जो शारीरिक क्षति पहुँचाई गई है, वह प्रकृति के सामान्य प्रक्रम में मृत्यु का पर्याप्त कारण हो सकती है।

Codes:/कूट:

(a) (A) is true, but (R) is not the reason/(A) सही है परन्तु (R) कारण नहीं है
(b) (A) and (R) are both true, but (R) is not the correct explanation of (A)/(A) और (R) दोनों सही हैं परन्तु (A) का (R) सही स्पष्टीकरण नहीं है
(c) (A) is false and (R) is true/(A) गलत है। (R) सही है।
(d) Both (A) and (R) are true and (R) is the reasonable explanation of (A)/(A) और (R) दोनों सही हैं और (A) का (R) सही स्पष्टीकरण है

UGC (NET) September, 2013 Paper-II

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा 299** में आपराधिक मानव वध तथा **धारा 300** में हत्या परिभाषित है।

धारा 300 के प्रथम खण्ड के अनुसार आपराधिक मानव वध हत्या है यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गयी हो मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो।

धारा 300 के तीसरे खण्ड के अनुसार यदि आपराधिक मानव वध किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया हो और वह शारीरिक क्षति जिसे कारित करने का आशय हो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो।

अतः A तथा R दोनों सही हैं तथा A का R सही स्पष्टीकरण है।

33. Give the correct response/सही उत्तर दीजिए–

(a) An intention to kill is not always necessary to make out a case of murder/हत्या के मामले में मृत्युकारित करने का आशय होना सदैव आवश्यक नहीं है

(b) A knowledge that the natural and probable consequence of an act would be death could make out a case of murder/यह ज्ञान कि कार्य का प्राकृतिक और अधिसम्भाव्य परिणाम मृत्यु होगा, हत्या के मामले को बनाता है

(c) Both (a) and (b)/(a) तथा (b) दोनों

(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

MP (ADPO) 2009 Paper-II

Ans. (c): भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 300 में 'हत्या' को परिभाषित किया गया है। धारा 300 के प्रावधानों से स्पष्ट है कि हत्या के मामले में मृत्यु कारित करने का आशय होना सदैव आवश्यक नही है तथा यह ज्ञान कि कार्य का प्राकृतिक और अधिसम्भाव्य परिणाम मृत्यु होगा, हत्या के मामले को बनाता है। अतः विकल्प (c) सही है।

34. 'X' knows that 'Y' is suffering from a disease in which he can die by simple injury. X caused a simple injury to Y with the intention of causing bodily injury to him. 'Y' dies, X is guilty under the Indian Penal Code.
एक्स जानता है कि वाई एक ऐसे रोग से ग्रसित है जिसमें वह साधारण चोट से ही मर सकता है। एक्स ने वाई को एक साधारण चोट इस आशय से कारित की, कि उसे शारीरिक क्षति पहुँचे। वाई की मृत्यु हो जाती है। भा.दं.सं. के अधीन एक्स दोषी है।

(a) murder/हत्या का

(b) culpable homicide not amounting to murder/ आपराधिक मानव वध जो हत्या नहीं है

(c) to cause grievous hurt /गम्भीर चोट पहुँचाने का

(d) to cause simple hurt/साधारण चोट पहुँचाने का

Rajasthan (APO) 2007

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के **अधीन एक्स हत्या का दोषी है।**

धारा 300 हत्या को परिभाषित करती है। धारा 300 के दूसरे खण्ड के अनुसार आपराधिक मानव वध हत्या है, यदि वह ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो जिससे अपराधी जानता हो कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना सम्भाव्य है, जिसको वह अपहानि कारित की गई है।

प्रस्तुत समस्या में चूँकि एक्स जानता है कि वाई एक ऐसे रोग से ग्रसित है जिसमें वह साधारण चोट से ही मर सकता है अतः एक्स हत्या का दोषी होगा।

नोट- यह समस्या भा.दं.सं. की धारा 300 के दृष्टांत ख के समान है।

35. X knows that Y is suffering from a disease in his head and also knows that if a blow is given to Y on his head it is likely to cause his death X gives a first blown to Y on his head. Y died X is:
X जानता है कि Y सिर की बीमारी से ग्रसित है। वह यह भी जानता है कि यदि Y को सिर पर मुक्का मारा गया तो उसकी मृत्यु संभाव्य है। X मुक्के से Y के सिर पर प्रहार करता है। Y की मृत्यु हो जाती है। X:

(a) guilty of culpable homicide not amounting to murder /हत्या की श्रेणी में नहीं आने वाले सदोष मानव वध का दोषी है

(b) guilty of murder /हत्या का दोषी है

(c) guilty of causing hurt
उपहति कारित करने का दोषी है

(d) guilty of no offence /किसी अपराध का दोषी नहीं है क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में मुक्के का प्रहार सामान्य स्वास्थ्य वाले व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

MPHC CJ 2006

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

36. 'X' knows 'Y' is suffering from a disease in his head and a blow to Y on his head is likely to cause his death. 'X' gives a first blow to 'Y' on his head. 'Y' died. 'X' is guilty of:-
'क' यह जानते हुए कि 'ख' सिर में बीमारी से ग्रस्त है एवं 'ख' के सिर पर एक वार से उसकी मृत्यु होना संभाव्य है। 'क', 'ख' के सिर पर घूँसे से वार करता है। 'ख' मर जाता है। 'क' दोषी है:

(a) culpable homicide only
केवल आपराधिक मानव वध का

(b) murder /हत्या का

(c) causing hurt /उपहति कारित करने का

(d) no offence /कोई अपराध नहीं

MPHC CJ 2010

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

37. 'A' who is a specialist in medical science. Strikes 'B' on the head, provoking it to be stage III cancer of the brain. As a result 'B' dies instantly on the spot. 'A' knows the fact that hitting 'B' on the head may kill him. What crime did 'A' commit?/'अ' जो कि एक चिकित्सा शास्त्र का विशेषज्ञ है। 'ब' के सिर पर प्रहार करता है, जिसे कि मस्तिष्क का तृतीय चरण की स्थिति का कैंसर हैं। परिणामस्वरूप 'ब' की घटना स्थल पर ही तुरन्त मृत्यु हो जाती है। 'अ' इस तथ्य को जानता है कि 'ब' के सिर पर प्रहार करने से उसकी मृत्यु हो सकती है। 'अ' ने कौन-सा अपराध किया?

(a) murder, because 'A' knows that by his act 'B' that he is causing hurt is likely to cause death./हत्या, क्योंकि 'अ' यह जानता है कि उसके कृत्य से 'ब' जिसे कि वह उपहति कारित कर रहा है, की मृत्यु हो सकती है

(b) not an offence because the attack is of the common man can not cause death under normal circumstances/कोई अपराध नहीं क्योंकि

प्रहार सामान्य व्यक्ति की सामान्य परिस्थितियों में मृत्यु कारित नहीं कर सकता है

(c) offence other than homicide not amounting to murder or murder/हत्या या हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध के अतिरिक्त अन्य अपराध

(d) Culpable homicide not amounting to murder because A know that he is likely to die /हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध क्योंकि 'अ' यह जानता है कि उसकी मृत्यु हो सकती है

MP (HJS) 2017

Ans. (a) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 300 के दूसरे पैरा ग्राफ पर आधारित है- यदि वह ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो, जिससे अपराधी जानता हो कि उस व्यक्ति की मृत्य कारित करना सम्भाव्य है जिसको वह अपहानि करित की गयी है। **अतः अ हत्या का दोषी होगा।**

38. When the injury is intentional and sufficient to cause death in the ordinary course of nature and death follow, the offence is:
जब उपहति साशय हो एवं प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो तथा परिणामस्वरूप मृत्यु कारित हुई हो तो यह अपराध है:

(a) attempt to murder /हत्या का प्रयास

(b) culpable homicide not amounting to murder सदोष मानव वध जो हत्या की श्रेणी में नहीं आता है

(c) murder /हत्या

(d) grievous hurt /घोर उपहति

Uttarakhand (APO) 2021
MPHC CJ 2006

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा 300 का तीसरे खण्ड के अनुसार,** जब उपहति साशय हो एवं प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो तथा परिणामस्वरूप मृत्यु कारित हो तो यह अपराध हत्या होगा।

39. When the injury is intentional and sufficient to cause death in the ordinary course of nature and death follows. The offence is of the category:
जब क्षति/चोट सउद्देश्य होती है और प्रकृति के साधारण स्थितियों में मृत्यु कारित करने के लिये काफी होती है और मृत्यु हो जाती है, तो अपराध किस वर्ग का है?

(a) Attempt to murder/हत्या का प्रयास

(b) Culpable homicide not amounting to murder/ आपराधिक मानववध परन्तु हत्या नहीं

(c) Murder/हत्या

(d) Attempt to suicide/आत्महत्या का प्रयास

UGC (NET) June, 2012 Paper-III

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 300 में हत्या को परिभाषित किया गया है इस **धारा के खण्ड 3 के अनुसार,** यदि क्षति किसी को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से की गयी हो और वह शारीरिक क्षति ऐसी हो कि वह प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है तो ऐसी क्षति करने वाला 'हत्या' का दोषी माना जायेगा।

40. Intention of cause death is not essential under Section 300 (clauses):
धारा 300 के इस खण्ड में मृत्यु कारित करने का आशय आवश्यक नहीं है-

(a) Firstly /प्रथमतः (b) Secondly /द्वितीयतः

(c) Thirdly /तृतीयतः (d) Fourthly /चतुर्थतः

MPHC CJ 2012

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 300 के खण्ड (4)** में मृत्यु कारित करने का आशय आवश्यक नही है।

धारा 300 के खण्ड (4) के अनुसार, यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता है कि वह कार्य इतना आसन्नसंकट है कि पूरी अधिसंभाव्यता है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा या ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है और वह मृत्यु कारित करने या पूर्वोक्त रूप की क्षति कारित करने की जोखिम उठाने के लिए किसी प्रतिहेतु के बिना ऐसा कार्य करें।

41. A placed a loaded pistol on B's forehead and asked him to follow without looking back. B followed and fell down the steep slope of the hill and died. A has committed the offence.
अ ने ब की कनपटी पर एक भरी हुई पिस्तोल रखकर उसे बिना पीछे देखे पीछे चलने को कहा। ब पीछे चला और पहाड़ी की सीधी ढलान से नीच गिरा और मर गया। अ ने अपराध किया है:-

(a) murder/हत्या का

(b) attempt to murder /हत्या के प्रयास का

(c) of homicide/मानव वध का

(d) of grievous hurt/घोर उपहति का

Rajasthan (APO) 2015

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा 300 के चौथे खण्ड** के अनुसार, यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता है कि वह कार्य इतना आसन्न संकट है कि पूरी अधिसम्भाव्यता है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा या ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है और वह मृत्यु कारित करने या पूर्वोक्त रूप की क्षति कारित करने की जोखिम उठाने के लिए किसी प्रतिहेतु के बिना ऐसा कार्य करे। अतः 'अ' ने हत्या का अपराध कारित किया।

42. 'A' shoots 'Z' with intention of killing him. 'Z' dies in consequences 'A' is liable for
'Z' को मार डालने के आशय से 'A' उस पर गोली चलाता है। परिणामस्वरूप 'Z' मर जाता है। 'A' दोषी है।

(a) Murder/हत्या

(b) Culpable homicide/आपराधिक मानववध

(c) Both (A) and (B)/(A) और (B) दोनो

(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

Uttarakhand (J) 2006
Chhattishgarh (J) 2019

Ans. (a) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 300 के दृष्टांत (a)** पर आधारित है। धारा 300 का खण्ड (1) यह प्रावधान करता है कि आपराधिक मानव वध हत्या है यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गयी है मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो।

43. 'X' drives very fast through a crowded road to catch a flight knowing that his act in all probability may cause death. 'Y' is killed by his vehicle. 'X' is guilty of/ 'क' हवाई जहाज पकड़ने के लिए भीड़ वाले पथ पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाता है और यह जानता है कि इससे पूरी संभावना है कि किसी की मृत्यु हो जाए। 'ख' उसकी गाड़ी से मारा जाता है। 'क' किस अपराध का दोषी है?

(a) Culpable homicide not amounting to murder/ मानव वध जो हत्या की कोटि में नहीं

(b) Murder/हत्या

(c) Grievous hurt/गम्भीर उपहति

(d) Negligence/उपेक्षा

UP (APO) 2011
UPPCS (J) 2012

Ans. (b) : प्रस्तुत समस्या में 'क' ने धारा 300 के खण्ड (4) के अधीन हत्या का अपराध कारित किया। धारा 300 के खण्ड (4) के अनुसार, यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि वह कार्य इतना आसन्न संकट है कि पूरी अधिसम्भाव्यता है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा या ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है और वह मृत्यु कारित करने या पूर्वोक्त रूप की क्षति कारित करने का जोखिम उठाने के लिए किसी प्रतिहेतु के बिना ऐसा कार्य करे।

44. 'A' without any excuse fires a loaded cannon into a crowd of persons and kills one of them. Although he may not have had a premeditated design to kill any particular individual., 'A' committed offence of .....
'क' किसी प्रतिहेतु के बिना व्यक्तियों के समूह पर भरी हुई तोप चलाता है और उनमें से एक का वध कर देता है, यद्यपि किसी विशिष्ट व्यक्ति की मृत्यु कारित करने की उसकी पूर्व चिंतित परिकल्पना न रही हो। 'क' ने कौन-सा अपराध किया है?

(a) Section 299 IPC /धारा 299 भा.दं.वि.

(b) Section 300 IPC /धारा 300 भा.दं.वि.

(c) Section 304 IPC /धारा 304 भा.दं.वि.

(d) Section 304A IPC /धारा 304ए भा.दं.वि.

Uttrakhand (APO) 2015
MPHC CJ 2018 Shift - II

Ans. (b) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा 300 के दृष्टांत (d) पर** आधारित है। क किसी प्रतिहेतु के बिना व्यक्तियों के एक समूह पर भरी हुई तोप चलाता है और उनमें से एक का वध कर देता है। क हत्या का दोषी है यद्यपि किसी विशिष्ट व्यक्ति की मृत्यु कारित करने की उसकी पूर्व चिन्तित परिकल्पना न हो।

45. 'A' without any excuse fires a gun shot into a crowd of persons and kills two of them—A is guilty of:
'अ' बिना किसी प्रतिहेतु के भीड़ पर गोली चलाता है जिससे दो व्यक्ति मर जाते हैं। 'अ' ने क्या अपराध किया:

(a) Murder—Section 302/हत्या-धारा 302

(b) Causing death by negligence—Section 304(A) उपेक्षापूर्ण कार्य से मृत्यु – धारा 304A

(c) Culpable homicide not amounting to murder—Section 304
आपराधिक मानव वध – धारा 304

(d) No offence /कोई अपराध नहीं

MPHC CJ 2007

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

46. 'A' fires on a crowd for no reason. As a result of which 'B' dies. What offence has 'A' committed?/'क' बिना किसी कारण के भीड़ पर गोली चलाता है। परिणामस्वरूप 'ख' की मृत्यु हो जाती है। 'क' ने कौन सा अपराध किया है?

(a) Culpable homicide not amounting to murder/मानव वध जो हत्या की कोटि में नहीं आता

(b) Greivous hurt/घोर उपहति

(c) Murder/हत्या

(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

Uttarakhand (J) 2014

Ans : (c) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

47. Match the following offence:
निम्न अपराधों का मिलान कीजिए-

List-I/सूची-I	List-II/सूची-II
A. Grave and sudden provocation गम्भीर और अचानक प्रकोपन	**1. Exception II to section 300/भारतीय दण्ड संहिता की धारा 300 का अपवाद II**
B. Death caused by sudden quarrel/ अचानक लड़ाई में मृत्यु होना	**2. Exception V to section 300/भारतीय दण्ड संहिता की धारा 300 का अपवाद V**
C. Death caused by consent/सहमति से मृत्यु कारित करना	**3. Exception I to section 300/भारतीय दण्ड संहिता की धारा 300 का अपवाद I**
D. Exceeding right private defence प्राइवेट प्रति-रक्षा के अधिकार के परे	**4. Exception IV to section 300/भारतीय दण्ड संहिता की धारा 300 का अपवाद IV**

Codes/कूट:

	A	B	C	D
(a)	1	3	2	4
(b)	2	3	4	1
(c)	3	4	2	1
(d)	4	1	3	2

UGC (NET) June, 2009

Ans. (c) : मिलान निम्न है-
(A) गम्भीर और अचानक प्रकोपन - भारतीय दण्ड संहिता की धारा 300 अपवाद I
(B) अचानक लड़ाई में मृत्यु होना - भारतीय दण्ड संहिता की धारा 300 अपवाद IV
(C) सहमति से मृत्यु कारित करना - भारतीय दण्ड संहिता की धारा 300 अपवाद V
(D) प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग - भारतीय दण्ड संहिता की धारा 300 अपवाद II

48. Culpable homicide is not murder, if it is committed under
आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि यह कारित किया गया है-

(a) Grave and sudden provocation/गम्भीर और अचानक प्रकोपन के कारण
(b) Self intoxication/स्वयं मत्तता के कारण
(c) Irresistible impulse/अप्रतिरोध्य आवेश के कारण
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

Chhattisgarh (ADPO) 2013
Uttarakhand (J) 2012

Ans : (a) भा0दं0सं0 की **धारा 300 के अपवाद 1 के अनुसार,** आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि अपराधी उस समय जबकि वह गम्भीर और अचानक प्रकोपन से आत्म-संयम की शक्ति से वंचित हो, उस व्यक्ति की जिसने कि वह प्रकोपन दिया था, मृत्यु कारित करे या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु भूल या दुर्घटनावश कारित करे।

49. Select the statement that is most suitalbe in law:
Culpable homicide is not murder when one is deprived of the power of self-control resulting from-
उस कथन का चयन कीजिये, जो विधि में अत्यधिक उपयुक्त हो। आपराधिक मानव वध उस स्थिति में हत्या नहीं है, जब निम्नलिखित के कारण कोई आत्म-नियंत्रण की शक्ति खो देता है–

(a) Grave and sudden provocation/गम्भीर और अचानक उत्तेजना
(b) When death results by voluntary provocation
यदि स्वैच्छिक उत्तेजना के कारण मृत्यु होती है
(c) Where death results incourse of obedience of law/कानून का पालन करने के दौरान मृत्यु हो
(d) When death results by mistake
यदि गलती से मृत्यु हो

UGC (NET) December, 2013 Paper-II

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

50. The distinction between intentional killing in hot blood and intentional killing when the blood was cool may be inferred through
क्रोध में साशय हत्या और शांत मन से साशय हत्या के बीच विभेद का निम्नलिखित में से किसके माध्यम से अनुमान लगाया जा सकता है?

(a) Provocation/प्रकोपन
(b) Self-control/आत्य नियंत्रण
(c) Passion/आवेश
(d) Resentment/रोष

UGC (NET) July, 2016 Paper-II

Ans. (a) **:** क्रोध में साशयपूर्ण की गयी हत्या और शांत मन से साशय हत्या के बीच विभेद **प्रकोपन के माध्यम** किया जाता है।

51. C, under the influence of passion excited by a provocation given by A intentionally kills A's child named B. C has committed an offence of:
'क' द्वारा दिये गये प्रकोपन के कारण प्रदीप्त आवेश के असर में 'ख' का, जो कि 'क' का शिशु है, 'ग' साशय वध कर देता है? 'ग' ने:

(a) murder /हत्या का अपराध किया
(b) culpable homicide not amounting to murder
सदोष मनववध का अपराध किया जो हत्या नहीं है
(c) not committed any offence because he kills 'B' due to provocation /कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि उसने प्रकोपन के फलस्वरूप 'ख' का वध किया
(d) causes the death of 'B' by doing rash or negligent act not amount to culpable homicide
'ख' की मृत्यु उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्ण कार्य से की जो आपराधिक मानवध की कोटि में नहीं आता है

MPHC CJ 2012

Ans. (a) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा 300 के अपवाद 1 के दृष्टान्त (a)** पर आधारित है जिसके अनुसार, 'ग' हत्या का दोषी होगा क्योंकि प्रकोपन उस शिशु द्वारा नहीं दिया गया था और उस शिशु की मृत्यु उस प्रकोपन से किये गये कार्य को करने में दुर्घटना या दुर्भाग्य से नहीं हुई है।

52. 'X' on receiving grave and sudden provocation from 'Z', intentionally causes the death of 'Y'. who is brother of 'Z', 'X' has committed the offence of :
'क' को 'ख' से गम्भीर और अचानक प्रकोपन मिला और उसने साशय 'य' की मृत्यु कारित कर दी। 'य', 'ख' का भाई है। 'क' ने अपराध किया है

(a) Murder/हत्या का
(b) Culpable homicide not amounting to murder.
आपराधिक मानव-वध का जो हत्या नहीं है।
(c) Grievous hurt/घोर उपहति का
(d) Attempt to murder/हत्या के प्रयत्न का

UP (APO) 2015

Ans. (a) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा 300 के अपवाद 1 के दृष्टान्त (a)** पर आधारित है। इस समस्या में 'क' ने हत्या का अपराध कारित किया है, क्योंकि प्रकोपन 'य' द्वारा नहीं दिया गया था और 'य' की मृत्यु उस प्रकोपन से किए गए कार्य को करने में दुर्घटना या दुर्भाग्य से नहीं हुई है।

53. 'Y' gives grave and sudden provocation of 'A'. 'A' on this provocation, fires a pistol at 'Y' neither intending nor knowing himself to be likely to kill 'Z', who is near him, but out of sight. 'A' kills 'Z'. A' is guilty of—
'क' को 'म' गम्भीर और अचानक प्रकोपन देता है। 'क' इस प्रकोपन में 'म' पर पिस्तौल चलाता है जिसमें न तो उसका आशय 'य' का जो समीप ही है किन्तु दृष्टि से बाहर है, वध करने का है, और न वह यह जानता है कि सम्भाव्य है कि वह 'य' का वध कर दे। 'क' 'य' का वध करता है। 'क' दोषी है-

(a) Murder /हत्या का
(b) Culpable homicide
केवल आपराधिक मानव वध का
(c) Attempt to murder /हत्या के प्रयास का
(d) No offence as act falls under general exceptions /किसी अपराध का नहीं क्योंकि उसका कृत्य सामान्य अपवाद के अन्तर्गत आता है

MPHC CJ 2002
UGC (Net) July 2018 Paper II
MP (ADPO) 2010 Paper-II

Ans. (b) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा 300 के अपवाद 1** (गंभीर एवं अचानक प्रकोपन) के **दृष्टान्त (b) पर** आधारित है, जिसके आधार पर 'क' आपराधिक मानव वध का दोषी होगा।

धारा 300 अपवाद 1 के अनुसार, आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि अपराधी उस समय जबकि वह गम्भीर और अचानक प्रकोपन से आत्मसंयम की शक्ति से वंचित हो, उस व्यक्ति की, जिसने कि वह प्रकोपन दिया था, मृत्यु कारित करे या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु भूल या दुर्घटनावश कारित करे।

54. A attempts to pull z's nose. z in the exercise of the right of private defence, lays hold at A to prevent him from doing so. A is moved to sudden and violent passion in consequence and kill z. A has committed the offence of/'अ','य' की नाक खींचने का प्रयास करता है। 'य' प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में ऐसा करने से रोकने के लिए 'अ' को पकड़ लेता है। परिणामस्वरूप 'अ' को अचानक तीव्र आवेश आ जाता है और वह 'य' का वध कर देता है। 'अ' ने अपराध किया-

(a) Murder/हत्या
(b) Culpable homicide not amounting to murder /आपराधिक मानव-वध जो हत्या नहीं है
(c) No offence/कोई अपराध नहीं है
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

MP (ADPO) 1997

Ans : (a) प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 300 के प्रथम अपवाद के दृष्टांत (e)** पर आधारित है जिसके तहत अ हत्या के अपराध का दोषी होगा, क्योंकि प्रकोपन ऐसी बात से हुआ था जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की गई थी।

55. G strikes B. B is by this provocation excited to violent rage. A a by-stander, intending to take advantage of B' s rage, and to cause him to kill G puts a knife in to B's hand for that purpose, B kills G with the knife. Which of the following facts would be right/क्ष, ब पर आघात करता है। इस प्रकोपन से ब हिंसात्मक क्रोध से भर उठता है। अ जो कि पास ही खड़ा था, ब के इस क्रोध का लाभ उठाने और उससे क्ष की हत्या करवाने की नियत से, ब के हाथ में उद्देश्य इस हेतु एक चाकू दे देता है। ब, क्ष की उस चाकू से मृत्यु कारित कर देता है। इन तथ्यों में निम्न में से कौन-सा निष्कर्ष सही होगा?

(a) Both A and B are guilty of "culpable homicide not amount to murder"/दोनों, अ एवं ब ''हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के दोषी हैं''।
(b) A and B both are guilty of murder/अ और ब दोनों ही हत्या के दोषी हैं
(c) B is guilty of culpable homicide and A is its abetment/ब आपराधिक मानव वध तथा अ उसके दुष्प्रेरण का दोषी है
(d) B is guilty of culpable homicide and A is of murder/ब आपराधिक मानव वध तथा अ हत्या का दोषी है

MP (ADPO) 1993, 1995

Ans : (d) प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की **धारा 300 के अपवाद 1 के दृष्टांत (f) पर** आधारित है। इस समस्या में 'ब' आपराधिक मानव वध जो हत्या नहीं है, का दोषी होगा, क्योंकि 'ब' को **धारा 300 के अपवाद 1** का लाभ मिल जायेगा।

अपवाद 1 के अनुसार, आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि अपराधी उस समय जबकि वह गम्भीर और अचानक प्रकोपन से आत्म-संयम की शक्ति से वंचित हो, उस व्यक्ति की, जिसने कि वह प्रकोपन दिया था, मृत्यु कारित करे या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु भूल या दुर्घटनावश कारित करे।

'अ' को धारा 300 के अपवाद 1 का लाभ नहीं मिलेगा और वह हत्या का दोषी होगा।

56. 'Z' strikes 'B'. B is by this provocation excited to violent rage. 'A' a by stander, intending to take advantage of 'B's range and to cause him to kill 'Z' puts a knife into 'B's hand for that purpose. 'B' kills 'Z' with knife. What offence 'A' is guilty of?
'ब' पर 'झ' आघात करता है। 'ब' को इस प्रकोपन से तीव्र क्रोध आ जाता है। 'अ' जो निकट खड़ा हुआ है, 'ब' के क्रोध का लाभ उठाने और उसमें 'झ' का वध कराने के आशय से उसके हाथ से छूरी 'ब' को देता है। 'ब' उस छुरी से 'झ' का वध कर देता है। 'अ' किस अपराध का दोषी है?

(a) Culpable homicide not amounting to murder/हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानववध
(b) Abetting culpable homicide/आपराधिक मानववध करने के लिए दुष्प्रेरण
(c) Attempt to murder/हत्या का प्रयत्न
(d) Murder/हत्या

Chhattishgarh (J) 2004
MPHC CJ 1996

Ans. (d) : प्रश्नगत समस्या **धारा 300 का अपवाद 1 के दृष्टांत (f)** पर आधारित है। इस समस्या में 'अ' हत्या का दोषी है तथा 'ब' केवल आपराधिक मानव वध का दोषी है।

57. The plea of "sudden and grave provocation" under Section 300 Exception (1) of the Indian Penal Code 1860 is a –
भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धार 300 अपवाद (1) में प्रयुक्त शब्दावली गम्भीर व अचानक प्रकोपन का अभिवाक है एक-

(a) Question of law/विधि का प्रश्न
(b) Question of fact/तथ्य का प्रश्न
(c) Mixed question of law and fact/विधि व तथ्य का मिश्रित प्रश्न
(d) Presumption under law/विधि के अन्तर्गत एक उपधारणा

Uttarakhand (J) 2015

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा 300 अपवाद (1) के स्पष्टीकरण के अनुसार,** प्रकोपन इतना गम्भीर और अचानक था या नहीं कि अपराध को हत्या की कोटि में जाने से बचा दे, यह तथ्य का प्रश्न है। ''प्रकोपन'' का निर्धारण न्यायालय के द्वारा प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर किया जाता है।

58. Grave and sudden provocation is :
गम्भीर एवं अचानक प्रकोपन है–

(a) question of fact/तथ्य का प्रश्न
(b) question of law/विधि का प्रश्न
(c) mixed question of law and fact/तथ्य एवं विधि का मिश्रित प्रश्न
(d) presumption under law/विधि की उपधारणा

MP(ADPO) 2010 Paper-II
BPSC (APO) 2009
JPSC (APO) 2012

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

59. A newly wed couple were going for a walk, they met a goon who made some sloppy slap on the wife. Her alleged husband slapped the goon which agitated her and stabbed her to death. He is guilty of-
एक नवविवाहित दम्पति घुमने को जा रहे थे, उन्हे एक गुण्डा मिला जिसने पत्नी पर कुछ फूहड़ छीटाकशई की। उसके क्रोधित पति ने गुंडे को थप्पड़ मारा जिससे वह उत्तेजित हुआ और पति को चाकू घोपकर मार दिया। वह दोषी हैः-

(a) murder/हत्या का
(b) culpable homicide/अपराधिक मानव वध का
(c) attempt to murder/हत्या के प्रयास का
(d) no crime /कोई अपराध नहीं

Rajasthan (APO) 2015

Ans. (a) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा **300 के अपवाद एक के परन्तुक पर आधारित है** जिसमें गुण्डे द्वारा हत्या का अपराध किया गया है। आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है जो गम्भीर और अचानक प्रकोपन के आत्म-संयम की शक्ति से वंचित हो कर किया गया हो परन्तु जहाँ अपराधी द्वारा प्रतिहेतु के रूप में **स्वेच्छया प्रकोपित** होता है तो वह हत्या की कोटि में आयेगा।

60. A, appears as a witness before Z, a magistrate. Z says that he does not believe a words of 'A's deposition, and that A has perjured himself. A is moved to sudden passion by these words and kills Z. This is/य' जो एक मजिस्ट्रेट है, के समक्ष साक्षी के रूप में 'क' उपसंजात होता है। 'य' यह कहता है कि वह 'क' के अभिसाक्ष्य के एक शब्द पर भी विश्वास नहीं करता और यह कि 'क' ने शपथ भंग किया है। 'क' को इन शब्दों से अचानक आवेश आ जाता है और वह 'य' का वध कर देता है। यह हैः

(a) Grave and sudden provocation/
गम्भीर और अचानक प्रकोपन
(b) Murder/हत्या
(c) Culpable Homicide not amounting to murder/
हत्या की कोटि में न आने वाले मानव वध
(d) All of the above/उपर्युक्त सभी

MP (ADPO) 2009 Paper-II

Ans. (b): प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की **धारा 300 के अपवाद (1) के दृष्टान्त (d)** पर आधारित है। 'क' ने **धारा 300 के अपवाद 1 के परन्तुक द्वितीय** के अधीन हत्या का अपराध किया है। **धारा 300 के अपवाद 1** के अनुसार, आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि अपराधी उस समय जबकि वह गम्भीर और अचानक प्रकोपन से आत्म संयम की शक्ति से वंचित हो उस व्यक्ति की, जिसने कि वह प्रकोपन दिया था मृत्यु कारित करे या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु भूल या दुर्घटनावश कारित करे।
किन्तु उपरोक्त अपवाद निम्न परन्तुक के अधीन होगा–
प्रथम– वह प्रकोपन किसी व्यक्ति का वध करने के लिए प्रतिहेतु के रूप में ईप्सित न हो या स्वेच्छया प्रकोपित न हो।
द्वितीय– ऐसा प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा न हो जो विधि के पालन में या लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक की शक्तियों के प्रयोग में की गयी हो।
तृतीय– वह प्रकोपन ऐसी बात द्वारा न हो जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के विधिपूर्ण प्रयोग में किया गया है।

61. K.M. Nanavati v. State of Maharashtra is a leading case on:
के.एम. नानावटी बनाम महाराष्ट्र राज्य एक निदर्शक वाद है-

(a) Exercise of legal powers
विधिक शक्तियों का उपयोग करने
(b) Grave and sudden provocation
गंभीर और अचानक प्रकोपन
(c) Right to private defence/निजी प्रतिरक्षा से
(d) Sudden quarrel/अचानक झगड़ा

Uttarakhand (APO) 2009
MPHC CJ 2018 Shift-II

Ans. (b) : के.एम. नानावती बनाम स्टेट आफ महाराष्ट्र 1962 (S.C.) का वाद IPC की **धारा 300 के अपवाद (1) के** अन्तर्गत गम्भीर एवं अचानक प्रकोपन के परीक्षण के सिद्धान्त से सम्बन्धित है।

62. Choose wrong option:
गलत विकल्प चुनिये-

Culpable homicide is not a murder:
आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है–

(a) If the offender in exercise of good faith of right of private defence of a person or property, exceeds the power given to him by law and causes the death of a person against whom he is exercising such right of defence without premeditation and without any intention of doing more harm than necessary/यदि अपराधी, शरीर या सम्पति की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार को सद्भावपूर्वक प्रयोग में लाते हुये विधि द्वारा उसे दी गई शक्ति का अतिक्रमण कर दे, और पूर्व चिन्तन बिना और ऐसी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से जितनी अपहानि करना आवश्यक हो, उससे अधिक अपहानि करने के आशय से बिना उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दे।
(b) If the person whose death is caused is above the age of 18 years, suffers death or takes the risk of death with his own consent/यदि वह

व्यक्ति जिसकी मृत्यु कारित की जाये, 18 वर्ष से अधिक आयु होते हुये, अपनी सम्मति से मृत्यु होना सहन करे, या मृत्यु का जोखिम उठाये।

(c) If it is committed without premeditation in sudden fight in the heat of passion upon a sudden quarrel and without the offender having taken undue advantage or acted in a cruel or unusual manner/यदि वह मानव वध आकस्मिक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में हुई अचानक लड़ाई में पूर्व चिन्तन बिना और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाये बिना या क्रुरतापूर्ण या अप्रायिक रीति से कार्य किये बिना किया गया हो।

(d) If a public servant acting for advancement of justice, exceeds the power given to him by law and causes death by doing an act, which he does not believe to be lawful and necessary for discharge of his duties/यदि अपराधी ऐसा लोक सेवक होते हुए, जो लोक न्याय की अग्रसरता में कार्य कर रहा है, उसे विधि द्वारा दी गई शक्ति से आगे बढ़ जाये और ऐसा कोई कार्य करके, जिसे वह विधिपूर्ण और ऐसा लोक सेवक के नाते उसके कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए आवश्यक होने का सद्भावपूर्वक विश्वास नहीं करता है।

Rajasthan (DJC) 2012

Ans. (d) : विकल्प a,b तथा c भारतीय दण्ड संहिता की धारा 300 के क्रमशः अपवाद 2, 5 तथा 4 के अन्तर्गत सही है जबकि विकल्प d अपवाद 3 के अन्तर्गत गलत है। अपवाद 3 निम्नलिखित प्रावधान करता है-आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि अपराधी ऐसा लोक सेवक होते हुए, या ऐसे लोक सेवक को मदद देते हुए, जो लोक न्याय की अग्रसरता में कार्य कर रहा है, उसे विधि द्वारा दी गयी शक्ति से आगे बढ़ जाये और ऐसा कोई कार्य करके जिसे वह विधिपूर्ण और ऐसे लोक सेवक के नाते उसके कर्तव्य के सम्यक् निर्वहन के लिए आवश्यक होने का सद्भावपूर्वक विश्वास करता है और उस व्यक्ति के प्रति जिसकी कि मृत्यु कारित की गयी है वैमनस्य के बिना मृत्यु कारित करे।

63. Wife is suffering from an incurable disease, She demands from her husband to poison him. The poison is given in good faith by the husband to unite the wife with pain and saying, as a result of which the wife dies. The act done by the husband is

पत्नी असाध्य रोग से पीड़ित है, वह अपने पति से उसे जहर देने की मांग करती है। पति के द्वारा पत्नी को पीड़ा एवं कष्ट से मुक्त करने हेतु सद्भावनापूर्वक जहर दे दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप पत्नी की मृत्यु हो जाती है। पति के द्वारा किया गया कार्यः

(a) Not an offence/कोई अपराध नहीं है

(b) murder/हत्या है

(c) the offence of causing death by negligence/लापरवाही पूर्वक मृत्यु कारित कर देने का अपराध है

(d) culpable homicide not amounting to murder/हत्या की कोटि में नहीं आने वाला सदोष मानववध है

Chhattishgarh (J) 2011

Ans. (d) : प्रस्तुत मामले में अभियुक्त व्यक्ति हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध का दोषी है। भा0दं0 संहिता 1860 के **धारा 300 के अपवाद (5) के अनुसार,** 18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति यदि सम्मति से मृत्यु होना सहन करे या मृत्यु का जोखिम उठाये, तब अभियुक्त व्यक्ति हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध का दोषी होगा।

64. Kabir, suffering from an extremely painful terminal disease begs his wife to give him poison, so as to put an end to his pain. She reluctantly agrees and gives him poison leading to his death. Which one o the following is the correct legal position in this case?

कबीर एक अत्यन्त दर्दनाक लाइलाज बीमारी से पीड़ित है, अपनी पत्नी से उसे जहर देने के लिए कहता है, ताकि उसका दर्द समाप्त हो जाए। वह अनिच्छा से सहमत हो जाती है और उसे जहर दे देती है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। इस मामले में निम्नलिखित में से कौन-सी सही कानूनी स्थिति है?

(a) She is guilty of murder/वह हत्या की दोषी है।

(b) She is guilty of culpable homicide not amounting to murder /वह हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध की दोषी है।

(c) Her act amounts to abetment of suicide/उसका कार्य आत्महत्या का दुष्प्रेरण है।

(d) She is not guilty of any offence/वह किसी भी अपराध की दोषी नहीं है।

CBI (PP/APP) 2021
Delhi (APP)2021

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

65. A snake charmer playing snakes claimed that he cures snakebite the deceased got himself bitten by the snake but snake charmer could not cure it snake charmer liable :

एक सपेरे ने साँपों का खेल दिखाते हुए यह दावा किया कि वह सर्पदंश को ठीक कर देता है। मृतक ने सर्प से अपने को कटवा लिया परन्तु सपेरा उसे ठीक नहीं कर पाया। सपेरा उत्तरदायी है-

(a) For murder/हत्या के लिए

(b) For cheating/छल के लिए

(c) For culpable homicide/सदोष मानववध के लिए उत्तरदायी हो सकता है

(d) Not liable for any offence/किसी अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं है

MP (ADPO) 2003

Ans. (a) : प्रस्तुत समस्या में सपेरा हत्या के लिए उत्तरदायी है। प्रस्तुत समस्या **पुनाई फत्तेमा बनाम इम्पर (1869)** के वाद के तथ्यों पर आधारित है। इस मामले में न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि मृतक द्वारा दी गयी सम्मति स्वतन्त्र सम्मति नही थी अतः मामला **धारा 300 के अपवाद 5** के अन्तर्गत नहीं आता है। इस मामले में अभियुक्त को हत्या के लिये दोषसिद्धि प्रदान की गई।

66. Culpable homicide is not murder if it is committed/आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि वह किया जाता है-

(a) when the offender is acting in anger/जब अपराधी क्रोध में कार्य कर रहा है
(b) when the offender is acting under the spell of madness/जब अपराधी पागलपन में कार्य कर रहा है
(c) with the consent of the victim, who has completed 18 years of age/पीड़ित की सहमति से, जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है
(d) with the consent of the victim who has completed 12 years of age/पीड़ित की सहमति से, जो 12 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है

UP (APO) 2006

Ans. (c) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 300 में 5 आपवादिक परिस्थितियाँ हैं जब आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है। **धारा 300 के 5वें अपवाद** के अनुसार आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि वह व्यक्ति जिसकी मृत्यु कारित की जाये, 18 वर्ष से अधिक आयु का होते हुए, अपनी सम्मति से मृत्यु होना सहन करें या मृत्यु की जोखिम उठाए।

67. 'A' 21 year old and his lover 'B' 19 year old prepared to commit suicide. A kill B but due to discourage does not kill himself, than A Committed the offence
'अ' उम्र 21 वर्ष और उसकी प्रेमिका 'ब' उम्र 19 वर्ष, दोनों आत्महत्या करने को तैयार होते हैं। 'अ', 'ब' की हत्या कर देता है, परन्तु हिम्मत टूटने से अपने को नहीं मारता है, तब 'अ' ने अपराध किया-
(a) Murder/हत्या
(b) Culpable homicide not amounting to murder /आपराधिक मानव वध जो कि हत्या की कोटि में नहीं आता है
(c) Attempt to suicide/आत्महत्या का प्रयत्न
(d) No offence/कोई अपराध नहीं

MP (ADPO) 1997

Ans : (b) प्रस्तुत समस्या में 'अ' भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 300 के अपवाद 5** के तहत आपराधिक मानव वध जो कि हत्या की कोटि में नहीं आता है, के अपराध का दोषी होगा।

धारा 300 अपवाद 5 में उपबंध किया गया है कि आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि वह व्यक्ति जिसकी मृत्यु कारित की जाए, 18 वर्ष से अधिक आयु का होते हुए, अपनी सम्मति से मृत्यु होना सहन करें, या मृत्यु का जोखिम उठाए। प्रस्तुत समस्या **दशरथ पासवान** के वाद पर आधारित है।

68. State of A.P. v. R. Punnayya case deals with distinction between which of following Sections of Indian Penal Code?
ए. पी. राज्य बनाम आर. पुनाया वाद में भारतीय दण्ड संहिता की किन धाराओं में अन्तर स्पष्ट किया है?
(a) Sections 501 and 502/धारा 501 तथा 502
(b) Sections 299 and 300/धारा 299 तथा 300
(c) Sections 304 Aand 304B
धारा 304-A तथा 304-B
(d) Sections 305 and 306/धारा 305 तथा 306

Uttarakhand (J) 2011

Ans. (b) : स्टेट आफ आन्ध्र प्रदेश बनाम आर0 पुन्नया (1976 SC) का वाद **धारा 299 और धारा 300 I.P.C** से सम्बन्धित है। इस वाद में धारा 299 तथा 300 के बीच के अन्तर को बताया गया है।

69. In Reg v. Govinda the points of distinction between the provisions of the following sections of the IPC were explained:
रेग बनाम गोविंदा में भा.द.सं. की निम्नलिखित धाराओं के प्रावधानों के मध्य अंतर बिंदुओं को स्पष्ट किया गया था:
(a) 34 and 149/34 और 149
(b) 302 and 304/302 और 304
(c) 299 and 300/299 और 300
(d) 403 and 405/403 और 405

MPHC CJ 1996
Chhattishgarh (J) 2003

Ans. (c) : रेग बनाम गोविन्दा (1876 बॉम्बे) के वाद में **जस्टिस मेलविल** ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 299 तथा 300 के मध्य अंतर को स्पष्ट किया था। धारा 299 में आपराधिक मानव-वध तथा धारा 300 में हत्या को परिभाषित किया गया है।

70. Difference between murder and culpable homicide was laid down in the case of:
हत्या एवं मानव वध में अंतर किस वाद में स्थापित किया गया?
(a) Reg Vs Govinda/रेग बनाम गोविन्दा
(b) Bachan Singh Vs State of Punjab/बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य
(c) Tapti Prasad Vs King Emperor/ताप्ती प्रसाद बनाम सम्राट
(d) K.M. Nanwati Vs State of Maharashtra/के.एम. नानावटी बनाम महाराष्ट्र राज्य

Uttrakhand (J) 2002
MP (ADPO) 2016 Paper-II

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

71. The distinction between Section 299 and Section 300 of Indian Penal Code, 1860 was first elaborately discussed in the following case/भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 299 तथा 300 के बीच अन्तर का पहली बार निम्नलिखित केस में विस्तारपूर्वक परीक्षण किया गया :
(a) Vasudev Vs. Uttar Pradesh/वासुदेव बनाम उत्तर प्रदेश
(b) Dau Dayal Vs. State/दाऊ दयाल बनाम स्टेट
(c) Om Prakash Vs. State of Punjab/ओम प्रकाश बनाम पंजाब राज्य
(d) R. Vs. Govinda/आर. बनाम गोविन्दा

MP (ADPO) 2009 Paper-II

Ans. (d) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

72. For what 'Govinda', the accused in the famous case of 'R.V. Govinda' (1876) 1 Bombay 342, was punished?
प्रसिद्ध वाद 'आर बनाम गोविन्द' (1876) 1 बम्बई 342, में अभियुक्त गोविन्दा को किस अपराध के लिए दण्डित किया गया था?
(a) Culpable homicide/सदोष मानव वध
(b) Grievous hurt/घोर उपहति

(c) Murder/हत्या
(d) He was acquitted/उसे दोषमुक्त कर दिया गया था।

Uttarakhand (J) 2018

Ans. (a) : आर बनाम गोविन्दा' (1876) 1 बम्बई 342, के मामले में **न्यायाधीश मेलविल** ने यह अभिनिर्धारित किया कि, चूँकि अभियुक्त का आशय मृत्यु कारित करना नहीं था और न ही उसके द्वारा पहुंचायी गयी क्षति प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी, इसलिए अभियुक्त आपराधिक मानव वध के लिए दोषी था।

73. In which of the following major cases, Justice Vivian Bose has mentioned the distinction between culpable homicide and murder?
निम्नलिखित प्रमुख प्रकरणों में से किसमें न्यायाधिपति विवियन बोस ने सदोष मानव वध तथा हत्या में विभेद उल्लेखित किया है?

(a) Virsa Singh V. State of Punjab AIR 1958 SC 456/विरसा सिंह वि. पंजाब राज्य, ए.आई.आर. 1958 एस.सी. 456
(b) Shivaji Sahvrao Bobde V State of Maharashtra AIR 1973 SC 2822/शिवाजी साहबराव बोबड़े वि. महाराष्ट्र राज्य, ए.आई.आर. 1973 एस.सी. 2822
(c) Rudul Shah V. State of Bihar AIR 1983 SC 1086/रुदुल शाह वि. बिहार राज्य, ए.आई.आर. 1983 एस.सी. 1086
(d) None of the above/ उपरोक्त में से कोई नहीं

MP (HJS) 2015

Ans. (a) : विरसा सिंह वि. पंजाब राज्य, ए.आई.आर. 1958 एस.सी. 456 के वाद में न्यायधिपति **विवियन बोस** ने मानव वध तथा हत्या में विभेद उल्लेखित किया है। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 300 खण्ड 3 का निर्वचन भी किया है।

74. In which of the following landmark case, a three Judges Bench of the Supreme Court prescribed four point test relating to Section 300, thirdly, of I.P.C. :
निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण मामले में सर्वोच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने भा.दं.सं. की धारा 300, तृतीय के संबंध में चार बिन्दु परीक्षण विहित किया है–

(a) Virsa Singh vs. State of Punjab[AIR 1958 SC 465/बिरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य, ए.आई.आर. 1958 एस.सी. 465
(b) State of U.P. vs. Ramesh Prasad Misra; (1996) 10 SCC 360/उ.प्र. राज्य बनाम रमेश प्रसाद मिश्रा, (1996) 10 एस.सी.सी. 360
(c) K.M. Nanavati vs. State of Maharashtra; AIR 1962 SC 605/के.एम. नानावटी बनाम महाराष्ट्र राज्य, ए.आई.आर. 1962 एस.सी. 605
(d) Nehru @ Jawahar vs. State AIR 2008 SC 2574/नेहरू उर्फ जवाहर बनाम स्टेट, ए.आई.आर. 2008 एस.सी. 2574

Jharkhand (J) 2013, 2014
MP (HJS) 2020

Ans. (a) : बिरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य, 1958 एस.सी. के मामले में उच्चतम न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने धारित किया कि, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 300 के खण्ड (3) को लागू करने के लिए निम्नलिखित चार आवश्यक तत्वों का साबित किया जाना आवश्यक है–
(1) अभियोजन पक्ष के द्वारा बिल्कुल वस्तुनिष्ठ रूप से यह साबित किया जाना आवश्यक है कि शारीरिक क्षति विद्यमान है। अर्थात् कोई शारीरिक क्षति की गई है।
(2) क्षति की प्रकृति को साबित करना आवश्यक है।
(3) यह साबित किया जाना आवश्यक है कि शारीरिक क्षति दुर्घटनावश या बिना आशय के नहीं था या किसी अन्य प्रकार की क्षति करने का आशय था।
(4) यह साबित किया जाना आवश्यक है कि उपर्युक्त तीन तत्वों से बनी उक्त क्षति 'प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी।'

75. 'A' kills 'C' thinking 'C' is 'B'. 'A' is guilty of offence punishable under section :-
'क', 'ग' को यह सोचते हुए कि वह 'ख' है, मार डालता है। 'क' निम्नलिखित धारा के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का दोषी है:

(a) 301 (b) 304 Part/भाग -1
(c) 302 (d) 304 Part/भाग -2

MPHC CJ, 2009, 2010

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 301** के अनुसार, ''जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानव वध करे'' तो अपराधी द्वारा किया गया आपराधिक मानव वध उस भांति का होगा, जिस भांति का वह होता, यदि वह उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करता जिसकी मृत्यु कारित करना उसके द्वारा आशयित था या वह जानता था कि उसके द्वारा उसकी मृत्यु कारित होना संभाव्य है।
''विद्वेष अन्तरण का सिद्धान्त'' धारा 301 से ही सम्बन्धित है। जिसको **ट्रान्सफर ऑफ मैलिस** का सिद्धान्त कहा जाता है।

76. 'A' intentionally fired a shot from his pistol at 'B' but it hit 'C' and 'C' died. The offence committed by 'A' is :
'अ' ने 'ब' पर साशय पिस्तौल से गोली चलाई किन्तु वह 'स' को लगी जिससे 'स' की मृत्यु हो गई। 'अ' ने कौन-सा अपराध किया–

(a) Attempt to murder/हत्या का प्रयत्न
(b) Culpable homicide/आपराधिक मानव वध
(c) Murder under Section 300/धारा 300 के अन्तर्गत हत्या
(d) Murder under Section 301/धारा 301 के अन्तर्गत हत्या

UP (APO) 2002

Ans: (d) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

77. The doctrine of 'transfer of malice' is contained under Indian Penal Code in:
भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत 'विद्वेष के अन्तरण' का सिद्धान्त समाहित है-

(a) Section 299/धारा 299 में
(b) Section 301/धारा 301 में

(c) Section 304/धारा 304 में
(d) Section 300/धारा 300 में

Uttarakhand (J) 2011, 2016

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

78. X intended to kill A but instead killed B whom he had no intention to kill under which doctrine is X liable for the murder of B?
'एक्स' का आशय 'ए' का वध करने का था किन्तु उसकी बजाय उसने 'बी' का वध कर दिया जिसके वध का उसका कोई आशय नहीं था। किस सिद्धांत के अधीन ''एक्स'', 'बी' की हत्या के लिए दायी है?

(a) Doctrine of extended malice
विस्तारित विद्वेष का सिद्धांत
(b) Doctrine of means rea
आपराधिक मनःस्थिति का सिद्धांत
(c) Doctrine of diminished responsibility
ह्रसित उत्तरदायित्व का सिद्धांत
(d) Doctrine of transfer of malice
विद्वेष के अंतरण का सिद्धांत

MPHC CJ 2018 Shift-I

Ans. (d) : 'एक्स' 'बी' की हत्या के लिए विद्वेष के अन्तरण के सिद्धान्त' के अधीन दायी होगा। विद्वेष के अन्तरण का सिद्धान्त (Principle of Transfer of Malice) संहिता की **धारा 301** में दिया गया है।

79. "A" gave poisioned "Halwa" (sweet dish) to "B" with intention to kill him. "B" ate one spoon and kept it on the side. "C" who was sitting there, picked up and ate it, "C" dies. Here "A" is guilty of
"A" ने जहरीला हलवा "B" के मारने के आशय से दिया। "B" ने एक चम्मच खाया और बगल में रख दिया। "C" वहाँ पर बैठा हुआ था और उसने वह सारा हलवा खा लिया और उसकी मृत्यु हो गई यहाँ "A" उत्तरदायी है-

(a) Culpable homicide not amounting to murder/हत्या की श्रेणी में न आने वाले आपराधिक मानव वध का
(b) Offence of murder of "C"/"C" की हत्या का
(c) Here "A" is not guilty of murder as he never intended to kill "C"/"A" उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि उसका कभी भी की "C" हत्या का आशय नहीं था
(d) Causing grievous hurt/घोर उपहति कारित होने का

Uttarakhand (J) 2015

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा 301** में "Doctrine of Transfer of malice" का सिद्धांत दिया गया है। **धारा 301** के अनुसार, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय हो और उससे भिन्न किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाती है तो भी अभियुक्त हत्या के लिए दोषी होगा।
प्रस्तुत समस्या में 'A' ने जहरीला हलवा खिलाकर 'B' से भिन्न 'C' व्यक्ति की मृत्यु कारित की है अतः 'A' धारा 301 के अन्तर्गत 'c' की हत्या का दोषी है।

80. Four accused with common intention to kill, shot one B in the bona fide belief that B was A. In this case:
हत्या करने के समान आशय के साथ चार आरोपी इस सद्भावपूर्वक विश्वास के साथ B को गोली मारते है कि B, A था। इस मामले में:

(a) None of them is liable for the offence of murder/उनमें से कोई भी हत्या के अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं है
(b) All accused are guilty of causing death/सभी आरोपी मृत्यु कारित करने के दोषी हैं
(c) Section 34 of Indian penal Code does not apply /भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 लागू नहीं होती है
(d) All accused are guilty of causing death without invoking Section 34/सभी आरोपी धारा 34 के अवलंब के बिना मृत्यु कारित करने के दोषी हैं

UGC (NET) July, 2018 Paper-II

Ans. (b) : प्रस्तुत मामले में सभी आरोपी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 301/302/34 के अन्तर्गत B की मृत्यु कारित करने के दोषी है। इस मामले में विद्वेष के अन्तरण का सिद्धान्त लागू होता है।

81. The Indian Penal Code provides for punishment for the offence of culpable homicide which amount to murder-
भारतीय दण्ड संहिता में हत्या की कोटि में आने वाले आपराधिक मानव वध के अपराध हेतु दण्ड का प्रावधान है:

(a) Session 302/धारा 302 में
(b) Session 303/धारा 303 में
(c) Session 304/धारा 304 में
(d) Session 304 A/धारा 304-क में

Chhattishgarh (J) 2012

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता में हत्या की कोटि में आने वाले आपराधिक मानव वध के अपराध हेतु दण्ड का प्रावधान धारा 302 में है। धारा 302 में प्रावधान किया गया है कि जो कोई हत्या करेगा, वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

82. Punishment for murder is-/हत्या के लिए दण्ड है

(a) death/मृत्यु
(b) imprisonment for life/आजीवन कारावास
(c) both (a) and (b)/ (a) और (b) दोनों
(d) death or imprisonment for life and fine/मृत्यु या आजीवन कारावास और जुर्माना

BPSC (APO) 2009

Ans : (d) भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा 302** में हत्या के दण्ड के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है। **धारा 302** के अनुसार जो कोई हत्या करेगा, वह **मृत्यु या आजीवन कारावास** से दण्डित किया जायेगा और **जुर्माने से** भी दण्डनीय होगा।

83. A and B carrying swords entered X's house with the hope of killing him 'A' attack X and causes death. Under which section of IPC B is guilty- / 'ए' एवं 'बी' तलवार धारण कर एक्स के मकान में उसकी हत्या कर देने के आशय सहित गए। 'ए', एक्स पर हमला करता है और उसकी मृत्यु कारित कर देता है। भा.दं.सं. की धारा जिसके अंतर्गत अपराध का 'बी' दोषी है:

(a) Sec 304 Part-I/धारा 304 भाग-1
(b) Sec. 302/ धारा 302
(c) Sec. 302 r/w 34/302 सहपठित धारा 34
(d) None of the above /ऊपर से कोई नहीं

Chhattishgarh (J) 2011

Ans. (c) : प्रस्तुत प्रश्न में A तथा B दोनों हत्या करने के आशय से तलवार धारण करके मकान में गये हैं अतः वे यहां सामान्य आशय को अग्रसारित कर रहे हैं और भा0दं0सं0 1860 की धारा 34 के अनुसार सामान्य आशय को अग्रसर करने में सभी व्यक्तियों द्वारा या किसी एक व्यक्ति द्वारा किये गये किसी कार्य के लिए सभी व्यक्ति उसी प्रकार उत्तरदायी होते हैं, मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो।
अतः A तथा B दोनों धारा 302 सपठित धारा 34 के दोषी हैं।

84. Which of the mitigating factors do not justify the award of death penalty?
कौन-से अल्पीकरण तत्व मृत्यु दंड के निर्णय को न्यायोचित नहीं ठहराते?
(a) Where the murder has been previously planned/जहाँ हत्या की पहले से योजना बनाई गई हो
(b) Such murder involves exceptional depravity/ जहाँ ऐसी हत्या में विलक्षण दुराचरिता शामिल हो
(c) When such murder was against a public servant while on duty/जहाँ ऐसी हत्या अपनी ड्यूटी कर रहे सरकारी नौकर के विरुद्ध हो
(d) When the offence was committed by the accused under the influence of extreme mental disturbance/जब आरोपी द्वारा अपराध अत्यंत मानसिक अशांति के प्रभाव में किया गया हो

UGC (NET) December, 2014 Paper-III

Ans. (d) : निम्नवत मृत्यु दण्ड के निर्णय को न्यायोचित ठहराते हैं-
(1) जहाँ हत्या की पहले से योजना बनाई गई हो।
(2) जहाँ ऐसी हत्या में विलक्षण दुराचरिता शामिल हो।
(3) जहाँ ऐसी हत्या अपनी ड्यूटी कर रहे सरकारी नौकर के विरुद्ध हो।
अतः जब आरोपी द्वारा अपराध अत्यंत मानसिक अशांति के प्रभाव में किया गया हो, तो यह तथ्य मृत्यु दण्ड के निर्णय को न्यायोचित नहीं ठहराते हैं।

85. In which of the following cases it has been settled that death sentence should be awarded in the 'rarest of the rare cases'?
निम्नलिखित में से किस वाद में यह सिद्धान्त स्थापित किया गया है कि मृत्यदण्ड केवल 'विरलतम मामलों' में ही दिया जाना चाहिये?
(a) R. v. Govinda/आर. बनाम गोविन्दा
(b) Hussainara v. State of Bihar
हुसैनआरा बनाम बिहार राज्य
(c) Bachchan Singh v. State of Punjab
बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य
(d) Sunil Batra v. Delhi Administration
सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन

Uttarakhand (J) 2014, 2016

Ans. (c) : बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980, S.C.) के वाद में यह मत व्यक्त किया गया कि मृत्यदण्ड केवल 'विरल से विरलतम (rarest of rare) मामलों' में ही दिया जाना चाहिये।

86. In which of the following cases the Supreme Court has propounded 'Triple Test' formula for awarding death sentence?
निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने मृत्युदंड के मामले में 'त्रिस्तरीय परीक्षण' का सूत्र प्रतिपादित किया है?
(a) Mohinder Singh v. Delhi Administration
मोहिन्दर सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन
(b) Shankar Kishanrao Khade v. State of Maharashtra/शंकर किशनराव खाडे बनाम महाराष्ट्र राज्य
(c) Shatrughan Chauhan v. Union of India
शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ
(d) Jagmohan Singh v. State of U.P.
जगमोहन सिंह बनाम उ.प्र. राज्य

Uttarakhand (J) 2016

Ans. (d) : जगमोहन सिंह बनाम उ.प्र. राज्य (1972 SC) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने मृत्युदंड के मामले में 'त्रिस्तरीय परीक्षण' का सूत्र प्रतिपादित किया है।

87. In which of the following case, the Supreme Court of India has hold that Section 303 of Indian Penal Code is ultra virus of Article 14 and 21 of the Indian Constitution?
भारतीय उच्चतम न्यायालय ने किस वाद मे ंभारतीय दण्ड संहिता की धारा 303 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 एंव 21 की अधिकारातीत अभिनिर्धारित किया है?
(a) Mitthu v, State of Punjab/मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य
(b) Keshoram v. State of Assam/केशोराम बनाम असम राज्य
(c) Amrita v. State of Maharashtra/अमृता बनाम महाराष्ट्र राज्य
(d) Jaspal Singh v. State of Punjab/जसपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य

UP (HJS) 2009
Uttarakhand (J) 2009
UP (APO) 2018

Ans. (a) : मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य, 1983 (S.C.) के वाद में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 303 (आजीवन सिद्धदोष द्वारा हत्या के लिए दण्ड) को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 21 का उल्लंघन होने के कारण इसे असंवैधानिक घोषित किया गया।

88. In which one of the following cases, the mandatory death penalty from murder by life-convict under Section 303 of Indian Penal Code, 1860 was struck down by the Supreme Court?
निम्नलिखित में से किस मामले में, भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 303 के तहत आजीवन अपराधी द्वारा हत्या के लिए अनिवार्य मौत की सजा को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था/
(a) Bachan Singh V. State of Punjab/बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य
(b) Machi Singh V. State of Punjab/माची सिंह बनाम पंजाब राज्य
(c) Mithu V. State of Punjab/मिठू बनाम पंजाब राज्य

(d) Virsa Singh V. State of Punjab/विरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य

CBI (PP/APP) 2021
Delhi (APP)2021

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

89. In which of the following cases the Supreme Court declared Section 303 of the I.P.C. as unconstitutional?
निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने भा.दं. संहिता की धारा 303 को असंवैधानिक घोषित कर दिया?

(a) Sher Singh v. State of Punjab/शेर सिंह बनाम पंजाब राज्य
(b) Mithu v. State of Punjab/मिठू बनाम पंजाब राज्य
(c) Bachan Singh v. State of Punjab/बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य
(d) Triveni Ben v. State of Gujarat/त्रिवेणी बेन बनाम गुजरात राज्य

Uttarakhand (J) 2002, 2006, 2014
Bihar (HJS) 2016
MP (ADPO) 2008
UP (APO) 2011
UP(J) 2006
UGC (NET) 2019
UP (APO) 2002
JPSC (APO) 2019
BPSC (APO) 2009

Ans: (b) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

90. A, who was not equipped with any dangerous weapon and who did not even express intent to kill, tied B to an electric pole with the help or ropes and attacked him, as a result of which B died. A has committed an offence punishable under which section ?
अ, जो किसी खतरनाक आयुध से सुसज्जित नहीं था और जिसने वध करने का आशय भी प्रकट नहीं किया था, ने ब को रस्सियों की सहायता से एक बिजली के खंभे से बांध दिया और उस पर हमला कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप 'ब' की मृत्यु हो गई, 'अ' ने किस धारा के अंतर्गत दण्डनीय अपराध किया है?

(a) 302 (b) 304
(c) 304A (d) 326

MP (HJS) 2014

Ans. (b) : प्रस्तुत समस्या में अभियुक्त 'अ' ने भारतीय दण्ड संहिता **1860 के धारा 299 खण्ड II** में परिभाषित आपराधिक मानव वध का अपराध किया है। धारा 299 खण्ड II के अन्तर्गत अपराध संरचित करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अभियुक्त का आशय मृत्यु कारित करना हो, इतना ही पर्याप्त होगा यदि उसका आशय ऐसी शारीरिक क्षति कारित करना था जिससे मृत्यु होनी सम्भाव्य थी। अतः **वह धारा 304 के अंतर्गत** दण्डनीय है।

91. A with the intention of causing the death of B gives him a serious punch. B become unconscious. A believing 'B' is dead, throws him into the pond. In the report the cause of B's death was due to drowning in water. A is liable for which offence?
'अ' 'ब' की मृत्यु कारित करने के आशय से उसे सिर पर गंभीर (भंयकर) घूंसा मारता है। 'ब' बेहोश हो जाता है। 'अ' यह विश्वास करते हुए 'ब' की मृत्यु हो चुकी है उसे तालाब में फेंक देता है रिपोर्ट में 'ब' की मृत्यु का कारण 'पानी में डूबने से हुई बताया। 'अ' कौन-से अपराध का दोषी है?

(a) Offence /अपराध
(b) culpable homicide not amount to murder / हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध
(c) Attempt to murder / हत्या का प्रयास
(d) culpable homicide amount to murder /हत्या की कोटि में आने वाला आपराधिक मानव वध

Rajasthan (APO) 2005

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा 304** के अधीन अ को दण्डित किया जायेगा क्योंकि अ के द्वारा घोर उपेक्षा की कल्पना की जायेगी। घोर उपेक्षा इस ज्ञान के समतुल्य हो जाती है कि वह जो कुछ कर रहा है उसका परिणाम वह जानता है इसलिए अ हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध का दोषी होगा।

92. The accused inflicted on non–vital parts of the deceased which were not found to be sufficient in the ordinary course of nature to cause death but it was proved that he inflicted the injuries with a knowledge that with these injuries the victim was likely to die. The case would be punishable under section:
अभियुक्त ने पीड़ित के अममर्शी भाग पर हमला किया जो उसकी सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त नहीं पाया गया लेकिन यह साबित हो गया है कि अभियुक्त को ज्ञान था कि उसके द्वारा पहुँचायी गयी चोट से मृत्यु कारित हो सकती है। अभियुक्त किस धारा के अन्तर्गत दण्डित किया जा सकेगा?

(a) 302 I.P.C. (b) 303 I.P.C.
(c) 304 Part I I.P.C. (d) 304 Part II I.P.C.

UP (HJS) 2012

Ans. (d) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा **304 के द्वितीय खण्ड** पर आधारित है। उक्त प्रावधान के अनुसार, यदि वह कार्य इस ज्ञान के साथ कि उससे मृत्यु कारित करना सम्भाव्य है किन्तु मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति, जिससे मृत्युकारित करना सम्भाव्य है, कारित करने के किसी आशय के बिना किया जाए तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि **दस वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया** जाएगा।

93. Death caused by rash and negligent act is covered in Indian Penal Code under
भारतीय दण्ड संहिता के किस प्रावधान के अन्तर्गत ''उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण कार्य से मृत्यु कारित करने'' का उल्लेख है?

(a) Section 304/धारा 304 में
(b) Section 304 A/धारा 304 A में
(c) Section 300 (exceptions)/धारा 300 (अपवाद) में
(d) Section 301/धारा 301 में

Uttarakhand (J) 2008

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 304A** उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने से सम्बन्धित है। **धारा 304A** के अनुसार, जो कोई **उतावलेपन** से या **उपेक्षापूर्ण** किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा, जो कि आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आता, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि **दो वर्ष तक हो सकेगी** या **जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।**

94. Section 304-A was added in IPC, 1860 in
भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में धारा 304क को जोड़ा गया:

(a) 1870 (b) 1860
(c) 1890 (d) 1913

JPSC (APO) 2019

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा **304-A को 1870** में जोड़ा गया, जिसमें 'उपेक्षा द्वारा मृत्य कारित करना' के लिए दण्ड का प्रावधान किया गया है।

95. Which offence is outside the range of culpable homicide in view of the fact that the accused had neither intention nor knowledge about the consequence, yet it is punishable?
इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दोषी का न तो कोई आशय था और न ही उसे परिणामों की जानकारी थी, कौन सा अपराध मानव वध की सीमा से बाहर अपराध है, यद्यपि यह दण्डनीय है?

(a) When the injury results due to carelessness
जब क्षति, लापरवाही के कारण हुई हो
(b) When the accident was caused due to rash and negligent act. / जब दुर्घटना उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण कार्य के कारण हुई हो
(c) When the contributory act was voluntarily done/जब योगदायी कार्य जान-बूझकर किया गया हो
(d) When the act resulted in course of exasperation/जब कार्य उत्तेजना के दौरान हुआ हो

UGC (NET) July, 2016 Paper-III

Ans. (b) : यदि अभियुक्त का मृत्युकारित करने का न तो आशय था और न ही उसे कारित परिणाम की जानकारी थी फिर भी यदि मृत्यु कारित हो तो अभियुक्त को **धारा 304A** के अधीन दोषी ठहराया जायेगा, बशर्ते दुर्घटना उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण कार्य के कारण हुई हो।

96. The Indian Penal Code no more denote positive evil intent for fixing liability, however there are certain type of act which signifies want of care as culpable resulting out of breach of duty. What it is known as?
भारतीय दण्ड संहिता अब दायित्व को निर्धारित करने के लिये सकारात्मक बुरे आशय को अभिव्यक्त नहीं करती, यद्यपि कर्त्तव्य की अवमानना से उत्पन्न देखभाल की कमी से सम्बन्धित कुछ कृत्य आपराधिक श्रेणी में आते हैं, इसे क्या कहते हैं?

(a) Rashly/उतावलेपन से
(b) Negligently/उपेक्षापूर्वक
(c) Both (A) and (B)/उपर्युक्त (a) तथा (b) दोनों
(d) None of them/उपर्युक्त में से कोई नहीं

UGC (NET) September, 2013 Paper-II

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 दायित्व को निर्धारित करने के लिए बुरे आशय को अभिव्यक्त नहीं करती है, फिर भी कर्त्तव्य की अवमानना से उत्पन्न देखभाल की कमी से सम्बन्धित जो कृत्य आपराधिक श्रेणी में आते हैं उसे उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण कहते हैं। जिसे **धारा 304A** के अधीन दण्डनीय बनाया गया है।

97. If in a trial for 'causing death by negligence' it is establish that the accused had been at fault though victim had also been equally at fault
यदि 'उपेक्षा द्वारा मृत्युकारित करने' हेतु विचारण में यह स्थापित हो जाता है कि अभियुक्त की त्रुटि थी, यद्यपि पीड़ित व्यक्ति ने भी समान त्रुटि की थी-

(a) The fact that the actual injury was brought about by carelessness or contribution of the victim also, will be no defence/यह तथ्य कि वास्तविक चोट पीड़ित के योगदान अथवा असावधानी के कारण लगी थी, प्रतिरक्षा नहीं होगी
(b) Contributory negligence would be a good defence/योगदायी असावधानी एक अच्छी प्रतिरक्षा होगा
(c) The degree of culpability as to the amount of negligence on his part shall be deciding factor/उसके पक्ष पर असावधानी की मात्रा के लिए सदोषिता का स्तर निर्णायक घटक होगा
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

UP (APO) 2007

Ans : (a) आपराधिक मामलों में योगदायी उपेक्षा का बचाव नहीं लिया जा सकता है। यह तथ्य कि चोट पीड़ित के योगदान या असावधानी के कारण हुई है, अभियुक्त इसका बचाव नहीं ले सकता है।

98. By which amendment 304-B.I.P.C. relating to dowry death was inserted/दहेज मृत्यु से संबंधित धारा 304-B भा.द.सं. को किस संशोधन से जोड़ा गया?

(a) Criminal Law (Amendment) Act, 1985/ आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 1985
(b) Criminal Law (Amendment) Act, 1986/ आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 1986
(c) Criminal Law (Amendment) Act, 1987/ आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987
(b) Criminal Law (Amendment) Act, 1988/ आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 1988

MP (ADPO) 2009 Paper-II

Ans. (b): आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 1986 के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की **धारा 304-B** जोड़ी गयी। धारा 304-B दहेज मृत्यु से सम्बन्धित है। **धारा 304-B** के अनुसार जहाँ किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के **सात वर्ष के भीतर** सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी नातेदार ने दहेज की किसी मांग के लिए या उसके सम्बन्ध में उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था, वहाँ ऐसी मृत्यु को 'दहेज-मृत्यु' कहा जायेगा। दहेज मृत्यु के लिए कम से **कम सात वर्ष तक के कारावास जो कि आजीवन कारावास** तक हो सकेगा के दण्ड से दण्डित किया जायेगा।

99. 'Dowry death' under Indian Penal Code, 1860 has been put under the chapter
'दहेज मृत्यु' भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के निम्न में से किस अध्याय में रखी गई है?

(a) offences against human body
मानव शरीर के विरुद्ध अपराध
(b) offences against marriage
विवाह के विरूद्ध अपराध
(c) offences against law and justice
विधि एवं न्याय के विरूद्ध अपराध
(d) offences against public nuisance
लोक दूषण के विरुद्ध अपराध

Uttarakhand (J) 2008

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के **अध्याय 16** में धारा 299 से धारा 377 में मानव शरीर के विरुद्ध अपराध (Offences against human body) से संबंधित प्रावधान है, जिसमें दहेज मृत्यु से संबंधित अपराध धारा 304-B में अंतर्विष्ट है।

100. Bride burning has been made as an offence under Indian Penal Code in which section?/ भारतीय दण्ड संहिता की किस धारा में पत्नी को जलाने के अपराध को परिभाषित व दण्डनीय बनाया गया है?

(a) Section 300/धारा 300
(b) Section 302/धारा 302
(c) Section 304/धारा 304
(d) Section 304 B/धारा 304 B

UP (APO) 2011
UPPCS (J) 2012

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

101. 'Dowry Death' is an offence under :
दहेज हत्या अपराध है, अंतर्गत धारा-

(a) Section 304A of IPC
धारा 304-क, भारतीय दण्ड संहिता
(b) Section 304 of IPC
धारा 304, भारतीय दण्ड संहिता
(c) Section 304B of IPC
धारा 304-ख, भारतीय दण्ड संहिता
(d) Section 302 of IPC
धारा 302, भारतीय दण्ड संहिता

MPHC CJ 2017

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

102. Which of the following Section of the Indian Penal Code is related to 'dowry death'?
भारतीय दण्ड संहिता की निम्नलिखित कौन-सी धारा 'दहेज मृत्यु' से सम्बन्धित है?

(a) Section 304/ धारा 304
(b) Section 304-B/ धारा 304-ख
(c) Section 113-A/ धारा 113-क
(d) Section 113-B/ धारा 113-ख

Uttarakhand (APO) 2009

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

103. Bride burning is an offence as defined under section:
वधू को जलाने का अपराध किस धारा में परिभाषित है?

(a) 302 of IPC/भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302
(b) 304 of IPC/भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304
(c) 300 of IPC/भारतीय दण्ड संहिता की धारा 300
(d) 304 B of IPC/भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304ख

MP (ADPO) 2016 Paper-II
Uttrakhand (J) 2006

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

104. Wife of A, committed suicide after 2 years of her marriage and before her death she was subjected to cruelty and harassment by A and his parents for demand of dowry. A and his parents have committed offence:
'अ' की पत्नी ने शादी होने के दो वर्ष बाद आत्महत्या कर ली। मृत्यु से पूर्व उसे 'अ' और उसके माता-पिता द्वारा दहेज लाने के लिए प्रताड़ित किया व क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया। 'अ' और उसके माता-पिता द्वारा किस धारा के अन्तर्गत अपराध किया गया?

(a) under Section 302 IPC
धारा 320 भारतीय दण्ड संहिता
(b) under Section 304 IPC
धारा 304 भारतीय दण्ड संहिता
(c) under Section 304A IPC
धारा 304ए भारतीय दण्ड संहिता
(d) under Section 304B IPC
धारा 304बी भारतीय दण्ड संहिता

MPHC CJ 2011

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

105. Which is not the ingredient of offence of Dowry Death defined under IPC?
भारतीय दण्ड संहिता के अधीन परिभाषित 'दहेज मृत्यु' के अपराध का निम्न ''घटक'' नहीं है-

(a) Unnatural Death
सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा मृत्यु
(b) Death within 7 years of marriage
विवाह के सात वर्ष के अंदर मृत्यु
(c) Women was subjected to cruelity or harassment by her husband or by any other person /स्त्री को उसके पति या अन्य किसी व्यक्ति ने क्रूरता या तंग किया था
(d) Cruelity or harassment with women should he in connection with demand for dowry
स्त्री के प्रति क्रूरता या तंग, दहेज की किसी मांग के लिये किया जाना था

MPHC CJ 2017

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता के अधीन परिभाषित 'दहेज मृत्यु' के अपराध के निम्न घटक हैं –
(1) पत्नी का दाह के कारण या किसी शारीरिक उपहति के कारण मृत्यु होनी चाहिए,
(2) उसकी मृत्यु सामान्य परिस्थितियों में अन्यथा घटित होनी चाहिए अर्थात् मृत्यु का अप्राकृतिक होना आवश्यक है।

(3) ऐसी मृत्यु उसके विवाह की तिथि से सात वर्ष के भीतर होनी चाहिए।
(4) उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व उसके पति या उसके किसी नातेदार द्वारा क्रूरता या सन्ताप के अध्याधीन किया हुआ होना चाहिए।
(5) ऐसी क्रूरता या सन्ताप दहेज की माँग के लिए या के सम्बन्ध में होना चाहिए।

106. Which is not the essential ingredient of offence of "Dowry Death"?
''दहेज मृत्यु'' के अपराध का आवश्यक तत्त्व नहीं है–

(a) Cruelty or harassment towards woman by her husband or any relative of her husband for or in connection or with any demand for dowry/पति या पति के नातेदार द्वारा दहेज की किसी मांग के लिये या उसके संबंध में स्त्री के प्रति क्रूरता कारित किया जाना या तंग किया जाना
(b) Cruelty must be soon before her death
क्रूरता का कारित किया जाना मुत्यु के कुछ पूर्व था
(c) Eyewitness evidence regarding injuries by accused person to woman/अभियुक्त के द्वारा स्त्री की शारीरिक उपहति कारित करने का प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य
(d) Death of woman otherwise than under normal circumstances within seven years of her marriage/विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा स्त्री की मृत्यु

MPHC CJ 2018 Shift-II

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

107. Which one of the following regarding dowry deaths provided under Section 304B of the Indian Penal Code, 1860 is NOT correct?
भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 304-ब के तहत दहेज से होने वाली मौतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है?

(a) Death, natural or unnatural, is necessary/मृत्यु, प्राकृतिक या अप्राकृतिक आवश्यक है।
(b) Death to take place within seven years of marriage/मृत्यु, शादी के 7 वर्षों के भीतर हो।
(c) Death to be preceded by cruelty or harassment by the husband or his relatives/मौत से पहले, पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न।
(d) The cruelty or harassment should be necessarily in connection with any demand for dowry/दहेज की किसी भी मांग के संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न अनिवार्य रूप से होना चाहिए।

CBI (PP/APP) 2021
Delhi (APP)2021

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

108. In order to attract application of Sec.304-B of Indian Penal Code it is essential that the death has occurred within.....
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304-बी के लागू होने के लिए यह अनिवार्य है कि मृत्यु इतने समय के भीतर हुई हो–

(a) Seven years but as engagement is part of marriage the period of limitation should be counted from that date/सात वर्ष, परन्तु क्योंकि सगाई विवाह का एक भाग है, इसीलिए समय सीमा को सगाई की तिथि से गिना जाना चाहिए
(b) Actual death should have occurred within seven years of her marriage/उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर उसकी मृत्यु हुई हो
(c) Actual cruelty should have been for demand of dowry whether or not death resulted after seven years of marriage/वास्तविक क्रूरता दहेज की माँग के कारण हुआ हो, मृत्यु विवाह के सात वर्ष के बाद चाहे हुई हो अथवा न हुई हो
(d) Depends upon possibility to ruling out, an accidental death within the period of seven years/यह इस सम्भावना पर भी निर्भर करता है कि सात वर्ष की अवधि में दुर्घटनावश तो मृत्यु नहीं हुई है

UGC (NET) September, 2013 Paper-III

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

109. One of the essentials of holding a person responsible for dowry death is :
व्यक्ति को दहेज मृत्यु के लिये उत्तरदायी ठहराने के लिये अनिवार्य तत्त्व है -

(a) subjected to harassment by peer groups/सम-उम्र साथियों के समूह द्वारा परेशान किया गया
(b) subjected to harassment for dowry/दहेज के लिये परेशान किया गया
(c) subjected to harassment under suspicious circumstances/संदेहजनक परिस्थितियों में परेशान किया गया
(d) All of them/उपर्युक्त सभी

UGC (NET) June, 2012

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

110. In order to prove the offence of dowry related act the law prescribes that:
दहेज सम्बन्धित अपराध सिद्ध करने के लिये कानून ने विहित किया है कि–

(a) The demand of dowry should have been made within seven years of marriage/विवाह के सात वर्षों के अन्दर दहेज की माँग की गई हो
(b) There must be cruelty against the woman to inter dowry demand/दहेज की माँग के निर्णय पर पहुँचने के लिये स्त्री के विरुद्ध निर्दयता की गई हो
(c) There must be a conduct of harassment only for such demand/सिर्फ ऐसी माँग के लिये तंग किया गया हो
(d) All of them/उपर्युक्त सभी

UGC (NET) December, 2010

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

111. Section 304-B and Section 498-A of I.P.C. are
भारतीय दण्ड संहिता की धारायें 304-ख तथा 498-क

(a) mutually inclusive
आपस में समावेशी हैं।
(b) not mutually inclusive
आपस में समावेशी नहीं है।
(c) used only by Supreme Court

केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोग में लाई जाती हैं।
(d) not to be used generally
साधारणतया प्रयोग में नहीं लाई जाती हैं।

UP (APO) 2015

Ans. (b) **कालिया पेरूमल बनाम तमिलनाडु राज्य (2003 SC)** के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 304-B और 498-A** दोनों ही धाराओं के अधीन आने वाले अपराधों में क्रूरता एक आवश्यक तत्व के रूप में है। दोनों **धारायें एक दूसरे में प्रविष्ट (Inclusive)** नहीं है, किन्तु दोनों सुभिन्न रूप से पृथक अपराध हैं।

112. For the purpose of sub section (1) of section 304B of the Indian Penal Code. 'dowry' shall have the same meaning as assigned to its that–
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304-ख की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए ''दहेज'' का वही अर्थ है जैसा कि:
(a) is in the evidence Act / साक्ष्य अधिनियम में
(b) is in the contract Act. / संविदा अधिनियम में है
(c) is in the Dowry prohibition Act / दहेज निषेध अधिनियम में है
(d) None of the above /उपरोक्त में से कोई नहीं

Chhattishgarh (J) 2012

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा **304B के स्पष्टीकरण के अनुसार,** धारा 304B(1) के प्रयोजनों के लिए 'दहेज' का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधि0 1961 की धारा 2 में है।

113. How much punishment may be given to an accused "Dowry Death" under Section 304-B of IPC?/'दहेज मृत्यु' के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 304-B के अंतर्गत कितनी सजा दी जा सकती है?
(a) Life imprisonment/आजीवन कारावास की सजा
(b) Upon ten years of imprisonment/
दस वर्ष तक के कारावास की सजा
(c) Upon seven years of imprisonment/
सात वर्ष तक के कारावास की सजा
(d) Death penalty/मृत्युदंड

MP (ADPO) 2008 Paper-II

Ans. (a): भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 304-B के उपखण्ड (2) के अंतर्गत दहेज मृत्यु के दण्ड का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि **सात वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी,** दण्डित किया जाएगा।

114. What punishment is provided for Dowry death? 'दहेज हत्या' के लिये कितनी सजा का प्रावधान है?
(a) Not less than three years /तीन वर्ष से कम न हो
(b) Not less than five years /पाँच वर्ष से कम न हो
(c) Not less than seven years and in rare circumstances may extend to death sentence
सात वर्ष से कम न हो एवं विरल परिस्थितियों में मृत्युदण्ड भी हो सकता है।
(d) Not less than seven years but which may extend to imprisonment for life./सात वर्ष से कम न हो जो कि आजीवन कारावास तक हो सकता है।

MPHC CJ 1997

Ans. (d) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

115. Punishment for Dowry death under section 304-B of Indian Penal Code, 1860 is-
भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 304-B के अन्तर्गत दहेज मृत्यु के लिए दण्ड है:
(a) Life imprisonment /आजीवन कारावास
(b) Imprisonment upto seven years only /सात वर्ष तक का कारावास मात्र
(c) Imprisonment upto ten years /दस वर्ष तक का कारावास
(d) Not less than seven years but which may extend to imprisonment for life./जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी।

Uttarakhand (J) 2021

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

116. Punishment prescribed under section 304B Indian Penal Code :
धारा 304बी भारतीय दण्ड संहिता में दण्ड विहित है-
(a) Imprisonment which shall not be less than 7 year but which may extend to imprisonment for life. / कारावास जिसकी अवधि सात वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी
(b) Imprisonment which shall not be less than 7 year but which may extend to imprisonment for life and fine / कारावास जिसकी अवधि सात वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी एवं अर्थदण्ड
(c) Death or life imprisonment and fine / मृत्यु या आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड
(d) Life imprisonment or imprisonment upto 10 year and fine / आजीवन कारावास या दस वर्ष तक का कारावास एवं अर्थदण्ड

MP (HJS) 2018

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

117. According to Section 304-B of Indian Penal Code, whoever commits "dowry death" is punished with imprisonment which is not less than/भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304-ख के अनुसार, जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वह ऐसे कारावास से दण्डित किया जा सकेगा जिसकी अवधि कम नहीं होगी–
(a) ten years/दस वर्षों से
(b) seven years/सात वर्षों से
(c) twelve years/बारह वर्षों से
(d) twenty years/बीस वर्षों से

Uttarakhand (APO) 2015

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

118. Abetment of suicide has been defined under which Section of IPC?
भारतीय दण्ड संहिता की किस धारा में आत्म हत्या का दुष्प्रेरण परिभाषित है?
(a) Section 309/धारा 309 में
(b) Section 306/ धारा 306 में

(c) Section 305/ धारा 305 में
(d) Section 308/ धारा 308 में

Uttarakhand (J) 2021

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 306** आत्महत्या के दुष्प्रेरण को परिभाषित करती है तथा दण्ड का उपबंध करती है। **धारा 306** के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करे, तो जो कोई ऐसी आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से, किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

119. Which one of the following sections of the Indian Penal Code relates to punishment for abetment to commit suicide?
निम्न में से भारतीय दण्ड संहिता की कौन धारा आत्महत्या दुष्प्रेरण के दण्ड से सम्बन्धित है?
(a) Section 306/धारा 306
(b) Section 307/धारा 307
(c) Section 308/धारा 308
(d) Section 309/धारा 309

Uttarakhand (J) 2009

Ans. (a) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

120. To convict a person for offence under Section 306 I.P.C. :
धारा 306 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध किये जाने के लिए?
(a) Ingredients of Section 107 IPC are to be proved
धारा 107 भा.दं.सं. के अवयव सिद्ध होना चाहिए
(b) Ingredients of Section 107 IPC are not to be proved/धारा 107 भा.दं.सं. के अवयव सिद्ध नहीं होना चाहिए
(c) mere cruelty is sufficient / मात्र क्रूरता पर्याप्त है
(d) None of these/इनमें से कोई नहीं

MPHC CJ 2019 Shift-I

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 306** में आत्महत्या का दुष्प्रेरण को परिभाषित किया गया है। इस धारा के तहत दुष्प्रेरण का वही अर्थ है जो **धारा 107** में परिभाषित किया गया है अतः किसी व्यक्ति को **धारा 306** के तहत दोषसिद्धि हेतु **धारा 107** के तहत दुष्प्रेरण के अवयव को साबित करना होगा।

नेताई दत्ता बनाम स्टेट आफ वेस्ट बंगाल- के मामले में कहा गया कि यदि आत्महत्या पत्र में अभियुक्त के विरुद्ध कोई दुष्प्रेरण का अभिकथन नहीं है तो अभियुक्त को आत्महत्या के दुष्प्रेरण के लिए दायी नहीं ठहराया जा सकता है।

121. For proving an offence under Section 307 of IPC–
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के अधीन अपराध को साबित करने के लिए–
(a) intention to commit murder has to be proved/हत्या कारित करने के आशय को साबित किया जाना है
(b) causing of grievous hurt is to be proved/घोर उपहति कारित करने को साबित किया जाना है
(c) use of lethal weapon is to be proved/घातक अस्त्र के प्रयोग को साबित किया जाना है
(d) actual injury is to be proved/वास्तविक क्षति को साबित किया जाना है

UP (HJS) 2009

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की **धारा 307 हत्या करने के प्रयत्न से संबंधित है।** धारा 307 के अनुसार, जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि वह उस कार्य द्वारा मृत्युकारित कर देता तो वह हत्या का दोषी होता, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

122. Mr. Sohan with intention of causing death of a child of tender years exposes him in a desert place: Mr. Sohan is liable under which section of India penal code?/मि. सोहन एक कोमल वय के शिशु की मृत्यु कारित करने के आशय से उसे एक निर्जन स्थान में छोड़ देता है। भारतीय दण्ड संहिता की किस धारा में वह उत्तरदायी होगा?
(a) Section 304/धारा 304
(b) Section 511/धारा 511
(c) Section 317/धारा 317
(d) Section 307/धारा 307

MP (ADPO) 2016 Paper-II

Ans. (d) : प्रस्तुत समस्या **धारा 307 के दृष्टात (b) पर** आधारित है। किसी कोमल वय के शिशु को मृत्यु कारित करने के आशय से एक निर्जन स्थान पर छोड़ देना भारतीय दण्ड संहिता कि धारा 307 के तहत 'हत्या करने का प्रयत्न' का अपराध गठित होता है।

123. 'A' with the intention of causing the death of a child of tender age, exposes it in deserted place, but death of the child does not ensue 'A' has committed an offence of
'क' कोमलवय के शिशु की मृत्यु कारित करने के आशय से उसे एक निर्जन स्थान में अरक्षित छोड़ देता है, यद्यपि उसके परिणामस्वरूप उस शिशु की मृत्यु नहीं होती। 'क' ने अपराध किया:-
(a) Attempt to Murder/हत्या का प्रयास
(b) Attempt to cause greivous injury
गंभीर उपहति कारित करने का प्रयत्न
(c) No offence has been committed
कोई अपराध कारित नहीं किया
(d) Attempt to cause simple hurt
साधारण उपहति कारित करने का प्रयत्न

MPHC CJ 2014

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

124.'A' intending to murder 'B' by poison, purchases poison and mixes the same with a glass of water. He gives the glass to bearer to serve 'B'. The bearer while approaching 'B' loses balance and the glass drops out of his plate. What offence 'A' committed/जहर द्वारा 'ब' की हत्या के आशय से 'अ' जहर खरीदता है और उसे पानी के गिलास में मिला देता है। उस गिलास को वह 'ब' को देने के लिए नौकर को सौंपता है। नौकर जब 'ब' की ओर जा रहा था, नियंत्रण खो देता है और गिलास उसकी प्लेट से गिर जाता है। 'अ' ने क्या अपराध कारित किया है?

(a) No offence/कोई अपराध नहीं
(b) Attempt to commit Culpable Homicide/ मानव वध का प्रयत्न
(c) Offence of abetment/दुष्प्रेरण का अपराध
(d) Attempt to murder/हत्या का प्रयत्न

MP (ADPO) 2009 Paper-II

Ans. (d): प्रस्तुत मामले में 'अ' हत्या के प्रयत्न का दोषी है। क्योंकि 'अ' ने मृत्यु कारित करने के आशय से जहर खरीदा तथा उसे पानी के गिलास में मिला भी दिया था। धारा 307 हत्या करने के प्रयत्न से सम्बन्धित उपबंध करती है। धारा 307 के अंतर्गत दोषसिद्धि के लिए मात्र इतना ही पर्याप्त है कि कार्य मृत्यु कारित करने योग्य हो और मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो। यह आवश्यक नहीं है कि मृत्यु कारित करने योग्य शारीरिक उपहति कारित की गई हो।

125. X, intending to kill Y, mixes his milk with poison and give him to drink, but Y, gives the milk to his pet dog which kills him. Has X committed any crime?
एक्स, 'वाई' को मारने के आशय से, उसके दूध में विष मिलाकर उसे पिने हेतु देता है, परन्तु 'वाई' ने वह दूध अपने पालतू कुत्ते को दिया जिससे वह मर गया। क्या एक्स ने कोई अपराध किया है?
(a) did not commit any crime /कोई अपराध नहीं किया
(b) murder / हत्या
(c) culpable homicide / आपराधिक मानव वध
(d) Attempt to murder / हत्या का प्रयास

Rajasthan (APO) 2015

Ans. (d) : एक्स द्वारा किया गया कार्य हत्या का प्रयास होगा जिसे भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा 307** में हत्या करने के प्रयत्न का दोषी माना जायेगा। अतः जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि वह उस कार्य द्वारा मृत्यु कारित कर देता तो वह हत्या का दोषी होता, वह हत्या का प्रयत्न का अपराध करता है।

126. 'A' denied food to his wife 'B' for several days by keeping her confined in a room with intention to accelerate her death, 'B' any how managed to escape. What offence 'A' has committed?
'A' अपनी पत्नी 'B' की मृत्यु में अभिवृद्धि करने के आशय से 'B' को एक कमरे में बंद कर देता है और उसे कई दिनों तक खाना भी नहीं देता। 'B' किसी तरह से वहाँ से भाग जाती है। 'A' ने क्या अपराध किया?
(a) Wrongful confinement/सदोष परिरोध
(b) Mental torture/मानसिक उत्पीड़न
(c) Causing grievous hurt/घोर उपहति कारित करना
(d) Attempt to murder/हत्या का प्रयास

Uttarakhand (J) 2021

Ans. (d) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 307 पर आधारित है। इसमें A ने हत्या के प्रयास का अपराध किया। धारा 307 के अनुसार-जो भी कोई ऐसे किसी आशय या बोध के साथ विभिन्न परिस्थितियों में कोई कार्य करता है, जो किसी मृत्यु का कारण बन जाय, तो वह हत्या का दोषी होगा और उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और साथ ही वह जुर्माने के लिए भी दायी होगा।
उपरोक्त समस्या में A अपनी पत्नी की मृत्यु में अभिवृद्धि करने के आशय B को एक कमरे में बन्द कर देता है और उसे कई दिनों तक खाना नहीं देता है, B वहाँ से भाग जाती है। A हत्या का प्रयास का अपराध कारित किया।

127. Which of the following statement is correct?
निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
(a) Section 307 I.P.C, it is not necessary that bodily injury capable of causing death has been caused for the purpose of conviction. / धारा 307 भा.दं.सं. के तहत दोषसिद्धि के लिये, यह आवश्यक नहीं है कि मृत्यु कारित करने के योग्य शारीरिक क्षति कारित की गई हो।
(b) If in the performance of an act, the intention or knowledge is present along with the doing some act. So section 307 IPC is sufficient for the conviction to be justified. / यदि किसी कृत्य के निष्पादन करने में, कुछ कार्य उसको करने के साथ-साथ आशय अथवा ज्ञान मौजूद है तो धारा- 307 भा.दं.सं. के तहत दोषसिद्धि को न्याय संगत होने के लिये पर्याप्त है।
(c) In the absence of the opinion of the doctor, the session judge cannot himself determine that the injury found on the body of the deceased nature to cause death. / डॉक्टर के अभिमत के अभाव में सत्र न्यायाधीश स्वयं यह निर्धारित नहीं कर सकते कि मृत व्यक्ति के शरीर पर पाई गई क्षति (चोट) प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिये पर्याप्त है।
(d) None of the above /उपरोक्त में से कोई नहीं

MP (HJS) 2013

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 307 में हत्या करने के प्रयत्न को दण्डनीय अपराध बनाया गया है। इस धारा के अन्तर्गत दोषसिद्धि के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि मृत्यु कारित करने के योग्य शारीरिक क्षति कारित की गई हो। इस धारा के अन्तर्गत मृत्यु कारित किये जाने के आशय से कोई कार्य या लोप किया जाना आवश्यक है।
ओम प्रकाश बनाम राज्य, AIR 1961 SC 1782 के मामले में अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 307 के अधीन अपराध तब कारित होता है, जब आशय या ज्ञान से आवश्यक परिस्थितियों के अन्तर्गत कोई व्यक्ति कार्य करता है, पर मृत्यु नहीं होती है और इसमें यह तथ्य महत्त्वपूर्ण नहीं है कि वह कार्य पूर्वान्तिम कार्य है या नहीं।

128. The accused fired two shots with a revolver at point blank range at the Acting Governor but the bullets failed to produce the desired result because of some defect in the ammunition or intervention of leather wallet. What offence is caused?
अभियुक्त ने कार्यरत राज्यपाल पर रिवॉल्वर से अत्यन्त निकट से दो बार मारा परन्तु गोलियाँ वांछित परिणाम नहीं उत्पन्न कर सकीं क्योंकि गोलियों में कछ कमी थी अथवा चमड़े का बटुआ आड़े आ गया। क्या अपराध हुआ?
(a) Culpable Homicide/सदोष मानववध
(b) Attempt to Murder/हत्या का प्रयास

(c) Attempt to harm/अपहानि करने का प्रयास
(d) None of them/उपर्युक्त में से कोई नहीं

UGC (NET) December, 2012 Paper-III

Ans. (b) : प्रस्तुत मामले में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 307 के अन्तर्गत हत्या करने के प्रयत्न का अपराध कारित हुआ। हत्या करने के प्रयत्न के लिए दोनों में से किसी भाँति के कारावास जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना से भी दण्डित किया जा सकेगा।

129. A shoots at B with the intention to kill him but misses his mark due to some defect in his gun. A is liable for :
अ ब पर उसकी मृत्यु कारित करने के लिए गोली चलाता है परन्तु बन्दूक में किसी खराबी के कारण उसका निशाना चूक जाता है। अ आबद्ध है :
(a) no offence/कोई अपराध नहीं
(b) attempt to murder/हत्या के प्रयत्न का
(c) preparation to murder/हत्या की तैयारी का
(d) abetment to murder/हत्या के दुष्प्रेरण का

UP (APO) 2007 (Special)

Ans: (b) 'अ' हत्या के प्रत्यन का दोषी है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के तहत उसका कृत्य दण्डनीय है।

130. 'A' picked up a revolver and believing it to be loaded pulled the trigger with the criminal intention of shooting 'B' dead. Fortunately the revolver was not loaded and 'B' escaped unhurt 'A' has committed the offence of/ 'अ' ने एक रिवाल्वर उठाई और 'ब' को जान से मारने के आपराधिक आशय से रिवाल्वर को भरी हुई समझते हुए उसका ट्रिगर दबा दिया। सौभाग्य से रिवाल्वर भरी नहीं थी और 'ब' को कोई नुकसान नहीं हुआ। 'अ' ने कौन सा अपराध किया?
(a) Murder/हत्या
(b) Attempt to murder/हत्या का प्रयास
(c) Culpable homicide not amounting to murder/ हत्या की कोटि में न आने वाला मानव वध
(d) 'A' has committed no offence./'अ' ने कोई अपराध नहीं किया।

UP (APO) 2011
UPPCS (J) 2006

Ans. (b) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 हत्या करने के प्रयत्न के संबंध में प्रावधान करती है। प्रस्तुत समस्या में 'अ' का आशय 'ब' को जान से मारने का है, इसलिए वह हत्या के प्रयत्न के लिए दोषी होगा भले ही रिवाल्वर भरी नहीं थी और 'ब' को कोई नुकसान नहीं हुआ।

131. If a convict undergoing sentence of life imprisonment attempts to murder someone and if hurt is caused
जब कोई व्यक्ति आजीवन कारावास के दण्डादेश के अधीन हो, यदि किसी की हत्या का प्रयास करता है, और यदि उस व्यक्ति को उपहति कारित होती है, तो
(a) he shall be punished with death
उस व्यक्ति को मृत्यु दण्ड से दण्डित किया जाएगा।
(b) he may be punished with death
उस व्यक्ति को मृत्यु दण्ड से दण्डित किया जा सकता है।
(c) he shall be punished for causing hurt
उस व्यक्ति को उपहति कारित करने के अपराध के लिए दण्डित किया जाएगा।
(d) he shall be punished with life imprisonment
उस व्यक्ति को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाएगा।

Uttarakhand (J) 2018

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 307 के अंतिम पैरा** के अनुसार, जबकि इस धारा में वर्णित अपराध करने वाला कोई व्यक्ति आजीवन कारावास के दण्डादेश के अधीन हो, तब यदि उपहति कारित हुई हो, तो वह मृत्यु से दण्डित किया जा सकेगा।

132. Death sentence can be given in the following offence -
मृत्यु दण्ड निम्न अपराध में दिया जा सकता है:
(a) Sedition/राजद्रोह
(b) Culpable homicide by person subject to life /आजीवन कारावास के दण्डादेश अधीन व्यक्ति द्वारा सदोष मानववध का
(c) Murder by person under sentence of life imprisonment/आजीवन कारावास के दण्डादेश के अधीन व्यक्ति द्वारा हत्या
(d) Attempt to murder, by a person subject to life imprisonment, which result hurt/आजीवन कारावास से दण्डित व्यक्ति द्वारा हत्या का प्रयास जिसमें उपहति कारित हुई है

MP (ADPO) 1993

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की **धारा 307 के पैरा 2** के अनुसार, जबकि अपराध करने वाला कोई व्यक्ति आजीवन कारावास के दण्डादेश के अधीन हो, तब यदि उपहति कारित हुई हो, तो वह मृत्यु से दण्डित किया जा सकेगा।

133. The offence of 'attempt to commit culpable homicide' is punishable under which of the following Section of IPC?
'आपराधिक मानव वध के प्रयत्न' का अपराध भा.दं.स. के निम्नलिखित किस धारा में दण्डनीय है?
(a) Section 304/धारा 304 में
(b) Section 308/धारा 308 में
(c) Section 310/धारा 310 में
(d) Section 301/धारा 301 में

Uttarakhand (J) 2019

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 308** के अनुसार, जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि उस कार्य से वह मृत्यु कारित कर देता है तो वह हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानववध का दोषी होता, वह दोनों में से किसी भी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि **तीन वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा** और ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति हो जाय तो वह दोनों में से किसी भी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि **सात वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।**

134. The offence of attempt to commit "culpable homicide" is punishable under Section:-
आपराधिक मानव वध के प्रयत्न का अपराध इस धारा के अन्तर्गत दण्डनीय है-

(a) 304 (b) 308
(c) 307 (d) 301

MPHC CJ 2010
Uttrakhand (J) 2008
Uttrakhand (APO) 2009
MP (HJS) 2019

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

135. Section 308 of Indian Penal Code relates to:
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 308 सम्बन्धित है -

(a) Thug/ठग से
(b) Attempt to commit suicide/आत्महत्या करने के प्रयत्न से
(c) Attempt to murder /हत्या करने के प्रयत्न से
(d) Attempt to commit culpable homicide/सदोष मानववध करने के प्रयत्न से

Uttarakhand (APO) 2021

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

136. A, on grave and sudden provocation from /Z' fires a pistol at Z, who does not die, A is guilty of:
'Z' से गम्भीर और अचानक प्रकोपन प्राप्त होने पर 'Z' पर 'A' पिस्तौल से गोली चलाता है। 'Z' की मृत्यु नहीं होती। 'A' दोषी है।

(a) attempt to murder/हत्या के प्रयत्न का
(b) culpable homicide not amounting to murder/आपराधिक मानव वध जो हत्या नहीं है, का
(c) attempt to commit culpable homicide/ आपराधिक मानव- वध के प्रयत्न का
(d) grievous hurt/घोर उपहति का

Uttarakhand (J) 2006

Ans. (c) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 308 के दृष्टान्त पर आधारित है** जिसके तहत 'A' आपराधिक मानव-वध के प्रयत्न का दोषी होगा। धारा 308 के अनुसार, जो कोई आपराधिक मानव-वध करने का प्रयत्न करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी **अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से** या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

137. Which one of the following Sections of the Indian Penal Code provides the punishment for 'attempt to commit suicide'?
भारतीय दण्ड संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा में 'आत्महत्या के लिए प्रयत्न' के लिए दण्ड का प्रावधान किया गया है?

(a) Section 306/ धारा 306
(b) Section 307/ धारा 307
(c) Section 309/ धारा 309
(d) Section 376/ धारा 376

Bihar (APO) 2020
Uttrakhand (J) 2011

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 309 में 'आत्महत्या के प्रयत्न' के लिए दण्ड के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है। इस धारा के अनुसार जो कोई आत्महत्या करने का प्रयत्न करेगा और उस अपराध के करने के लिए कोई कार्य करेगा, वह **सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माना से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।**

138. Point out the case where actual commission of an offence cannot be punished :
उस मामले को इंगित कीजिए जिसमें वास्तविक अपराध कारित किये जाने पर दण्ड नहीं दिया जा सकता है-

(a) Theft/चोरी
(b) Attempt to theft/चोरी का प्रयत्न
(c) Suicide/आत्महत्या
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

Uttarakhand (APO) 2009

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 309 'आत्महत्या के प्रयत्न' को दण्डनीय अपराध बनाती है। आत्महत्या का प्रयत्न एक ऐसा अपराध है, जो यदि वास्तविक रूप से कारित हो जाए अर्थात् प्रयत्न करने वाले की मृत्यु हो जाए, तो उस दण्डित नहीं किया जा सकता है। अतः स्पष्ट है कि आत्महत्या का अपराध कारित करने पर दण्ड नहीं दिया जा सकता है।

139. In which of the offences the actual commission of offence is not punished but it's attempt is punished?
किस अपराध में वास्तविक अपराध के होने पर दण्ड नहीं दिया जाता परन्तु ऐसा प्रयास करने के लिए दण्ड दिया जाता है?

(a) When the execution of murder falls short
जब हत्या करने का प्रयास विफल हो जाए
(b) Causing miscarriage/गर्भपात कारित करना
(c) Suicide/आत्महत्या
(d) Exposure with intention to abandon the child/बच्चे को परित्याग के आशय से प्रकट करना

UGC (NET) September, 2013 Paper-III

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

140. Which one of the following is not an offence?
निम्नलिखित में से कौन-सा एक अपराध नहीं है?

(a) Suicide/आत्महत्या
(b) Attempt to commit suicide/आत्महत्या का प्रयास
(c) Murder/हत्या
(d) Attempt to murder/हत्या का प्रयास

Bihar (APO) 2020
Uttrakhand (J) 2012
MPHC (CJ) 2019 shift I

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 309 में आत्महत्या का प्रयास, धारा 302 में हत्या तथा धारा 307 में हत्या का प्रयास दण्डनीय अपराध है जबकि **आत्महत्या कोई अपराध नहीं है।**

141. 'A' declares that she wants to commit suicide and runs towards a well but is caught and stopped by 'B' from jumping into the well. 'A' is guilty of which offence under Indian Penal Code?

'क' ने घोषणा की कि वह आत्महत्या करना चाहती है और एक कुएँ की तरफ दौड़ी लेकिन 'ख' द्वारा पकड़ी गई और कुएँ में कूदने से रोकी गई। 'क' ने भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत कौन-सा अपराध किया है?

(a) Attempt to commit suicide/आत्महत्या का प्रयत्न
(b) Attempt to commit culpable homicide
सदोष मानववध का प्रयत्न
(c) Preparation to commit suicide
आत्महत्या कारित करने की तैयारी
(d) No offence/कोई अपराध नहीं

MPHC CJ 2014

Ans. (d) : प्रस्तुत प्रश्न में 'A' ने कोई अपराध नहीं किया है। आत्महत्या के प्रयत्न (IPC-309) के लिए कोई व्यक्ति तब दोषी होता है जब व्यक्ति का कार्य ऐसा हो जो सामान्य दशाओं में उसकी मृत्यु को अवश्यम्भावी बनाता यदि कोई व्यवधान न किया गया होता या बचाया न गया होता। इस मामले में महिला इसलिए दोषी नहीं है क्योंकि कूदने से पूर्व ही पकड़ लिया गया था और यह सम्भव है कि कूदने से पूर्व उसका विचार परिवर्तित हो सकता है।
नोट-इस समस्या के तथ्य **रमक्का (1884) मद्रास** वाद के तथ्य के समान है।

142. What is the Legal position of section 309 IPC.
भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 309 की वैधानिक स्थिति क्या है?

(a) Repeal/निरसित
(b) Not repeal/निरसित नहीं
(c) Illegal/अवैधानिक
(d) Unconsititution/असंवैधानिक

Rajasthan (APO) 2015

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 309 में आत्महत्या करने के प्रयत्न को दण्डनीय बनाया गया है परन्तु यह ऐसा अपराध है जब अपराध पूर्ण हो जाता है तो दण्डित नहीं किया जा सकता है। **पी0 रतिनाम बनाम भारत संघ** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि– धारा 309, अनु0 14 और अनु0 21 के उल्लंघन होने के कारण असंवैधानिक है क्योंकि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है। किन्तु **ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। इसलिए धारा 309 संवैधानिक है और दण्डनीय है।

143. "Right to live with human dignity does not include right to terminate natural life", was held in/''मानवीय सम्मान के साथ जीवित रहने के अधिकार में नैसर्गिक जीवन को समाप्त करने का अधिकार सम्मिलित नहीं है'', अभिनिर्धारित किया गया था

(a) P. Rathinam v. Union of India/पी. रथिनम बनाम भारत संघ में
(b) Gian Kaur v. State of Punjab/ज्ञान और बनाम पंजाब राज्य में
(c) Rajendra Prasad v. State of U.P./राजेन्द्र प्रसाद बनाम उ. प्र. राज्य में
(d) Machhi Singh v. State of Punjab/माछी सिंह बनाम पंजाब राज्य में

UP (APO) 2006

Ans. (b) ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि ''मानवीय सम्मान के साथ जीवित रहने के अधिकार में नैसर्गिक जीवन को समाप्त करने का अधिकार सम्मिलित नहीं है।''

144. In which case the Supreme Court of India has said that the time has come when Section 309 of the IPC should be deleted by Parliament?
किस वाद में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अब समय आ गया है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 309 को संसद द्वारा निकाल देना चाहिये?

(a) Aruna Ramchandra Shanbaug v. Union of India/अरूणा रामचन्द्र शानबाग बनाम भारत संघ
(b) Gian Kaur v. State of Punjab/ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य
(c) Both of the above/उपर्युक्त दोनों में
(d) None of the above/उपर्युक्त में से किसी में नहीं

Uttarakhand (J) 2011

Ans. (d) : पी0 रतिनाम बनाम भारत संघ (1994 SC) के वाद में न्यायालय ने धारित किया कि धारा 309 संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 21 का अतिक्रमण करने के कारण असंवैधानिक है। न्यायालय ने आगे यह भी कहा कि इस धारा को अब संहिता से निकाल दिया जाना चाहिए। परन्तु **ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य (1996 SC)** के वाद में न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय को उलटते हुए निर्णय दिया कि धारा 309 संवैधानिक है तथा जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है।
अरूणा रामचन्द्र शानबाग बनाम भारत संघ (2011 SC) का वाद इच्छा मृत्यु से सम्बन्धित है।

145. Gyan Kaur v. State of Punjab 1996 SC, is related with which of the following offence?
ज्ञानकौर ब. पंजाब राज्य 1996 सु.को. का वाद निम्न में से किस अपराध से संबंधित है?

(a) Murder/हत्या से
(b) Culpable homicide/सदोष मानववध के
(c) Attempt to commit suicide/आत्महत्या करने के प्रयत्न के
(d) Abetment to suicide/आत्महत्या के दुष्प्रेरण के

UP(APO) 2002
Uttarakhand (APO) 2015

Ans. (c) : ज्ञानकौर ब. पंजाब राज्य 1996 सु.को. का वाद 'आत्महत्या करने के प्रयत्न' से सम्बन्धित प्रमुख वाद है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 'जीने के अधिकार' में 'मरने का अधिकार' शामिल नहीं है।

146. Which one of the following sections of the Indian Penal Code, 1860 defines "Thug"?
भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की निम्न में से किस धारा में 'ठग' को परिभाषित किया गया है?

(a) Section 307/धारा 307
(b) Section 310/धारा 310
(c) Section 311/धारा 311
(d) Section 312/धारा 312

Uttarakhand (APO) 2009
Uttarakhand (J) 2008
BPSC (APO) 2009

Ans. (b) **:** भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 310** 'ठग' को परिभाषित करती है। इस धारा के अनुसार, जो कोई इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात किसी समय हत्या द्वारा या हत्या सहित लूट या शिशुओं की चोरी करने के प्रयोजन के लिए अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों से अभ्यासतः,सहयुक्त रहता है, वह ठग है। **धारा 311** के अनुसार, जो कोई ठग होगा, वह आजीवन कारावास से दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

147. Under section 311 IPC, the punishment for a thug is:
आई.पी.सी. की धारा 311 के तहत, एक 'ठग' के लिए क्या सजा है?

(a) Imprisonment for life only/केवल आजीवन कारावास
(b) Imprisonment for 7 years/7 वर्ष कैद
(c) Imprisonment for 5 years/5 वर्ष कैद
(d) Imprisonment for life and fine/आजीवन कारावास और जुर्माना
(e) Only fine/केवल जुर्माना

Chhattishgarh (ADPO) 2017

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

गर्भपात कारित करना (धारा 312-318)

148. The Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 was passed as an exception to:
गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 किसके अपवाद के रूप में पारित किया गया?

(a) Section 88, Indian Penal Code/धारा 88, भारतीय दण्ड संहिता
(b) Section 302, Indian Penal Code/ धारा 302, भारतीय दण्ड संहिता
(c) Section 312, Indian Penal Code/ धारा 312, भारतीय दण्ड संहिता
(d) Artilce 20, Constitution of India/अनुच्छेद 20, भारत का संविधान

Uttarakhand (J) 2016

Ans. (c) : गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971, भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 312** के अपवाद के रूप में पारित किया गया।

भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 312** में प्रावधान किया गया है कि जो कोई गर्भवती स्त्री का स्वेच्छया गर्भपात कारित करेगा, यदि ऐसा गर्भपात उस स्त्री का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक कारित न किया जाए, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा, और यदि वह स्त्री स्पन्दनगर्भा हो तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण - जो स्त्री स्वयं अपना गर्भपात कारित करती है, वह इस धारा के अर्थ के अंतर्गत आती है।

149. X, with the intention to cause miscarriage administered a drug to a pregnant lady, Y. The child in the womb died. X is guilty of :
X गर्भ को गिराने के उद्देश्य से एक गर्भवती महिला Y को एक औषधि देता है। गर्भ में बच्चा मर जाता है। X निम्न में से किसका दोषी है ?

(a) murder/हत्या
(b) culpable homicide not amounting to murder आपराधिक मानव वध जो हत्या नहीं है
(c) no offence/कोई दोष नहीं
(d) causing miscarriage/गर्भ को गिराने के लिए

UGC (NET) June, 2019 Paper-II
Uttrakhand (J) 2006

Ans. (d) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 312** पर आधारित है, जिसके अनुसार, जो कोई यदि गर्भवती स्त्री को स्वेच्छा से गर्भपात कारित करेगा, गर्भपात उस स्त्री का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक कारित न किया जाए, तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारवास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

150. The termination of pregnancy will attract penal provisions of Section 312 I.P.C. if it is done :
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 312 के अन्तर्गत गर्भपात आकर्षित होती है यदि यह किया जाता है–

(a) to prevent injury to the physical or mental health of the pregnant woman/गर्भवती स्त्री के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को क्षति से रोकने के लिए
(b) in view of the substantial risk that if the child is born it would suffer from such physical or mental abnormalities as to be seriously handicapped/सारवान् खतरा है कि यदि बच्चा पैदा हुआ तो वह शारीरिक व मानसिक अयोग्यता से पीड़ित होगा जैसे घोर अपंगता
(c) as the pregnancy is alleged by pregnant woman to have been caused by rape/गर्भवती स्त्री बलात्कार के कारण गर्भवती हुई
(d) None of the above./उपर्युक्त में से कोई नहीं

UP (HJS) 2012

Ans. (d) : गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971 के अनुसार, निम्नलिखित परिस्थितियों में गर्भ समाप्त किया जा सकता है तथा भारतीय दण्ड संहिता ऐसे मामलों में लागू नहीं होगी–
1. 12 सप्ताह तक का गर्भ एक चिकित्सा व्यवसायी या 20 सप्ताह तक का गर्भ दो चिकित्सा व्यवसायी की राय से
2. माता को शारीरिक या मानसिक क्षति का जोखिम हो,
3. बच्चे को शारीरिक या मानसिक विकलांगता का जोखिम हो,
4. गर्भ ब्लात्संग परिणाम है।

151. 'A', claiming to be a family planning expert gave 'X' some chemical. After consuming the chemical, the child in the womb of 'X' die in the womb. 'A' has committed :
परिवार नियोजन का विशेषज्ञ होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति 'क' ने 'य' को कुछ रसायन दिया। रसायन का उपभोग करने से 'य' के गर्भ में पल रहे बच्चे की गर्भ में मृत्यु हो गयी। 'क' ने कौन-सा अपराध कारित किया है?

(a) No offence/कोई अपराध नहीं।
(b) Offence of murder/हत्या का अपराध।
(c) Offence of culpable homicide not amounting to murder
आपराधिक मानववध का अपराध जो हत्या नहीं है।
(d) Offence of causing miscarriage
गर्भपात कारित कराने का अपराध

UP (APO) 2015

Ans. (d) : धारा 313 के अनुसार जो कोई उस स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करेगा वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसका अवधि दस वर्ष तक हो सकेगी दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

इस प्रश्न में रसायन परिवार नियोजन के लिए दिया गया था। अतः स्पष्ट है कि स्त्री की सम्मति परिवार नियोजन के बारे में थी गर्भपात के बारे में नहीं।

152. Death caused by an act done with intent to cause miscarriage is dealt with under:
गर्भपात करवाने के इरादे से हुई मृत्यु के संदर्भ में निम्नलिखित के तहत निपटा जा सकता है -

(a) Section 314, IPC
धारा 314 भारतीय दण्ड संहिता
(b) Section 315, IPC
धारा 315 भारतीय दण्ड संहिता
(c) Section 316, IPC
धारा 316 भारतीय दण्ड संहिता
(d) Section 317, IPC
धारा 317 भारतीय दण्ड संहिता

Chhattisgarh (ADPO)2021

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा 314** गर्भपात कारित करने के आशय से किये गये कार्यों द्वारा कारित मृत्यु के सम्बन्ध में प्रावधान करती है। इस धारा के अनुसार जो कोई गर्भवती स्त्री का गर्भपात कारित करने के आशय से कोई ऐसा कार्य करेगा, जिससे ऐसी स्त्री की मृत्यु कारित हो जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

153. Causing death of quick unborn child :
सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करना–

(a) is an offence/अपराध है
(b) is not an offence/अपराध नहीं है
(c) amounts to culpable homicide/सदोष मानव-वध है
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

JPSC (APO) 2012

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा 316** के अनुसार, जो कोई ऐसा कोई कार्य ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि वह तद्द्वारा मृत्यु कारित कर देता, तो वह आपराधिक मानव वध का दोषी होता और ऐसे कार्य द्वारा किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डित किया जायेगा।

152. Criminal liability for abandonment of a child is based on the principle of loco-parentis. Who else could be responsible for that offence?
बालक को परित्यक्त करने का आपराधिक दायित्व माता-पिता के स्थान पर लोको पैरेन्ट के सिद्धांत पर आधारित है। इस अपराध के लिए अन्य कौन उत्तरदायी हो सकता है?

(a) Adoptive father before the completion of formalities of adoption/दत्तक ग्रहण की औपचारिकताओं को पूरा करने से पूर्व दत्तक पिता
(b) When a mother leaves the house for her husband's ill-treatment and abandons the children to the care of husband/जब माता अपने पति के दुर्व्यवहार के कारण अपना घर छोड़ देती है और बालक को पति की देखभाल में छोड़ देती है
(c) When the school master who has been teaching infants placed under him for education/जब स्कूल मास्टर जो शिक्षा के लिए अपने अधीन रखे गए शिशुओं को पढ़ाता रहा है
(d) A mother leaves a blind child on a foot path promising to return after fetching food but never returned/एक माता अपने नेत्रहीन बालक को फुटपाथ पर यह वायदा कर के छोड़ देती है कि वह खाना लेकर आएगी किन्तु कभी नहीं लौंटती है

UGC (NET) December, 2015 Paper-III

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा 317** के अनुसार जब कोई माता पिता या उसकी देख-रेख रखने वाले व्यक्ति द्वारा बारह वर्ष से कम आयु के शिशु को अरक्षित डाल दिया जाता है और परित्याग कर देता है तो वह ऐसी अवधि से जो सात वर्ष तक के कारावास तक होगी या जुर्माने से या दोनो से दण्डित किया जायेगा।
इसके अंतर्गत एक स्कूल मास्टर जो शिक्षा के लिए अपने अधीन रखे गये शिशुओं को पढ़ाता रहा है इस धारा के अंतर्गत सम्मिलित होगा।

उपहति के विषय में (धारा 319-338)

154. Which of the following offences fall under causing hurt as well as assault?
निम्नलिखित में से कौन-सा अपराध उपहति तथा हमला दोनों के अन्तर्गत आता है?

(a) Digging a pit in the public path
लोक मार्ग में गड्ढा खोदना
(b) Hinging boiling water over a person
किसी व्यक्ति के ऊपर उबलता पानी गिरा देना
(c) Mixing deleterious poison in a liquid and placing the same on another table/किसी तरल पदार्थ में हानिकारक विष मिलाकर किसी दूसरी मेज पर रख देना
(d) Pulling hair of a women
किसी महिला के बाल खींचना

UGC (NET) December, 2015 Paper-II

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा 319** एवं **धारा 351** के अनुसार, किसी व्यक्ति के ऊपर उबलता हुआ पानी गिरा देना, उपहति तथा हमला दोनों के अन्तर्गत अपराध होगा। किसी व्यक्ति के ऊपर उबलता पानी गिरा देना क्रमशः उबलता पानी फेंकना हमला है और जैसे ही उबलता जल शरीर पर गिरता है यह उपहति का अपराध है।

155. Grievous hurt is defined under/घोर उपहति इसके अंतर्गत परिभाषित है :

(a) Section 321 IPC/धारा 321 भारतीय दण्ड संहिता
(b) Section 320 IPC/धारा 320 भारतीय दण्ड संहिता
(c) Section 322 IPC/धारा 322 भारतीय दण्ड संहिता
(d) Section 325 IPC/धारा 325 भारतीय दण्ड संहिता

MP (ADPO) 2010 Paper-II

Ans. (b): भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा 320** में आठ प्रकार की उपहति का उल्लेख है, जो कि घोर कहलाती है। ये निम्नलिखित हैं–
(1) पुंसत्वहरण
(2) दोनों में से किसी नेत्र की दृष्टि का स्थायी विच्छेद
(3) दोनों में से किसी भी कान की श्रवणशक्ति का स्थायी विच्छेद
(4) किसी भी अंग या जोड़ का विच्छेद
(5) किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश या स्थायी ह्रास
(6) सिर या चेहरे का स्थायी विद्रूपीकरण
(7) **अस्थि या दांत का भंग या विसंधान**
(8) कोई उपहति जो जीवन को संकटापन्न करती है या जिसके कारण उपहत **व्यक्ति बीस दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है** या अपने मामूली कामकाज को करने के लिए असमर्थ रहता है।

156. How many kinds of hurts are grievous hurt under Section 320 of I.P.C. ?
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 320 में घोर उपहति के अन्तर्गत कितने प्रकार की उपहतियों को शामिल किया गया है?

(a) 6 (b) 7
(c) 8 (d) 9

UP (APO) 2015
Uttrakhand (APO) 2009,2021
Uttrakhand (J) 2009

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

157. Which kind of hurt is not a grievous hurt.
कौन-सी उपहति घोर उपहति नहीं है।

(a) Emasculation/पुंसत्वहरण
(b) Privation of any member of joint/किसी अंग के जोड़ का विच्छेद
(c) Disfiguration of the head of face/सिर या चेहरे का विद्रुपीकरण
(d) Fracture or dislocation of tooth./दांत का भंग या विसंधान

Chhattishgarh (J) 2019

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

158. Which of the following doesn't fall under grievous hurt?
निम्नलिखित में से कौन घोर उपहति की श्रेणी में नहीं आता है?

(a) Fracture of bone /किसी हड्डी को तोड़ना
(b) Emasculation /नपुंसक बनाना
(c) Temporary privation of the sight of either eye /अस्थायी रूप से किसी आँख की दृष्टि विच्छेद
(d) Hurt which causes severe bodily pain to the sufferer for at least 20 days./ऐसी उपहति जिससे पीड़ित को कम से कम 20 दिनों तक गंभीर शारीरिक कष्ट हुआ हो

Uttarakhand (J) 2021

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

159. Which of the following is/are essential element/s of offence of greivous hurt?
निम्नलिखित में से कौन घोर उपहति के अपराध के लिए आवश्यक तत्त्व है?

(a) Emasculation/पुसंत्वहरण
(b) Privation of any member or joint/किसी भी अंग या जोड़ का विच्छेद
(c) Permanent disfiguration of head or face/सिर या चेहरे का स्थायी विद्रुपीकरण
(d) All of the above/उपरोक्त सभी

Uttarakhand (J) 2014

Ans : (d) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

160. Permanent eliminate of hearing is an offence-
श्रवण शक्ति को स्थायी रूप से समाप्त करना निम्न अपराध है:

(a) Gravious hurt/गंभीर उपहति कारित करना
(b) Criminal assault/आपराधिक प्रहार
(c) Criminal Intimidation/आपराधिक अभित्रास
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

MP (ADPO) 1993

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

161. Fill in the gap:
रिक्त स्थान भरिये:

A disability for..... days constitutes grievous hurt.
दिनों के लिये अक्षमता घोर उपहति होती है:

(a) A week/एक हफ्ता
(b) A fortnight/पन्द्रह दिन/पाक्षिक
(c) A month/एक माह
(d) A minimum of twenty days/कम से कम बीस दिन

UGC (NET) June, 2012 Paper-III

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 320 में घोर उपहति को बताया गया है। इस धारा के अनुसार 8 प्रकार की उपहति घोर उपहति मानी जाती है। **धारा 320 के खण्ड 8 के अनुसार** कोई उपहति जो जीवन को संकटापन्न करे या जिसके कारण उपहत **व्यक्ति 20 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है** या अपने मामूली कार्य करने में असमर्थ रहता है तो ऐसी उपहति घोर उपहति कहलाती है।

162. Any hurt is 'grevious' if it causes the sufferer to be in severe bodily pain or unable to follow his ordinary pursuits during the space to-
कोई उपहति 'घोर' कहलाती है, जिसके कारण उपहत व्यक्ति-

(a) Fifteen days/पन्द्रह दिन
(b) Twenty days/बीस दिन
(c) Twenty five days/पच्चीस दिन
(d) Thirty days/तीस दिन

तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है या अपने मामूली कामकाज को करने के लिए असमर्थ रहता है।

Chhattishgarh (J) 2004

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

163. Any hurt is 'greivous' if it causes the sufferer to be in severe bodily pain or unable to follow his ordinary pursuits during the space of—
कोई उपहति 'घोर' कहलाती है जिसके कारण उपहत व्यक्ति तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है या अपने मामूली काम-काज को करने के लिए असमर्थ रहता है-

(a) Fifteen days /15 दिन
(b) Twenty days /20 दिन
(c) Twenty-five days /25 दिन
(d) Thirty days /30 दिन

MPHC CJ 2002

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

164. Which hurt is not a grievous one?
कौन-सी उपहति घोर उपहति नहीं है?

(a) Permanent privation of the sight of either eye किसी भी नेत्र की दृष्टि का स्थायी विच्छेद
(b) Dislocation of any bone /अस्थि का विसंधान
(c) Permanent impairing of the powers of any joint /किसी जोड़ की शक्ति का स्थायी ह्रास
(d) Suffering of fifteen days from severe bodily pain /पन्द्रह दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहना

Uttarakhand (J) 2012
UP (HJS) 2012
MPHC CJ 2011

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

165. A was beaten by B. In this Act, A's shoulder was dislocated (not fractured). B is liable for/ क को ख पीटता है, इस कृत्य में क के कंधे का विसंधान (अस्थिभंग नहीं) हो जाता है। ख उत्तरदायी है:

(a) simple hurt/साधारण उपहति
(b) grievous hurt/गंभीर उपहति
(c) assault/हमला
(d) affray/बलवा

MPHC CJ 2020

Ans. (b) : 'क' को 'ख' पीटता है। इस कृत्य में 'क' के कंधे का विसंधान (अस्थिभंग नहीं) हो जाता है। 'ख' भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा 320** में परिभाषित गम्भीर उपहति के लिए उत्तरदायी है।

166. 'A' has knocked down four teeth of 'B', 'A' has committed the offence of :
'अ' ने 'ब' के चार दांत तोड़ दिये। 'अ' ने अपराध किया है

(a) Attempt to cause hurt/उपहति कारित करने के प्रयत्न का
(b) Causing hurt/उपहति कारित करने का
(c) Causing grievous hurt/घोर उपहति कारित करने का
(d) Attempt to murder/हत्या के प्रयास का

UP (APO) 2007

Ans : (c) भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 320 में दिए गए घोर उपहति के आठ प्रकारों में से 7वें प्रकार के अनुसार अस्थि या दांत का भंग या विसंधान को घोर उपहति माना गया है। अतः 'अ' ने घोर उपहति कारित करने का अपराध किया है।

167. 'A' has knocked down two teeth of 'B'. 'A' has committed the offence of
'A' ने 'B' के दो दाँत तोड़ दिये, 'A' ने अपराध किया:

(a) Grievous hurt /घोर उपहति का
(b) Hurt/उपहति का
(c) Culpable homicide /आपराधिक मानव वध
(d) Attempt to hurt/उपहति का प्रयत्न

Uttarakhand (J) 2021

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

168. A reprimand B for smoking B got angry he punched A in the face and blew one of his teeth did B commit any offence?
अ ने ब को धूम्रपान करने पर झिड़का. ब को क्रोध आया और उसने अ के चेहरे पर मुक्का मारा और उसका एक दांत हिला दिया। क्या ब ने कोई अपराध किया?

(a) did not commit offence / कोई अपराध नहीं किया
(b) Slight act / तुच्छ कार्य
(c) Simple hurt /साधारण उपहति
(d) Grievous hurt /घोर उपहति का

Rajasthan (APO) 2015

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

169. 'A' has knocked down two teeth of 'B'. In this case 'A' has committed the offence.
'A', 'B' को धक्का दे दिया जिससे 'B' का दांत टूट गया। इस मामले में 'A' ने अपराध कारित किया है-

(a) mischief / रिष्टि
(b) hurt / उपहति
(c) grievous hurt / गम्भीर उपहति
(d) criminal intimidation / आपराधिक अभित्रास

UP (HJS) 2016
UP (HJS) 2018 Part II

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

170. Two ladies of young age, A & B fight with each other, A was having a blade with which 'A' inflicts injury on the face of B leaving a scar on the cheek of B, A is guilty of offence of causing
A एवं B दोनों नवयुवती एक दूसरे से लड़ती हैं। A ने ब्लेड से B के चेहरे पर हमला किया जिसके फलस्वरूप B के गाल पर निशान पड़ गया। A ने अपराध कारित की है-

(a) grievous hurt/घोर उपहति
(b) grievous hurt by rash or negligent act/उपेक्षा या उतावलेपन कार्य से घोर उपहति
(c) simple hurt/साधारण उपहति
(d) simple hurt by rash or negligent act/उपेक्षा या उतावले कार्य से साधारण उपहति

UP (HJS) 2014

Ans. (a) : प्रस्तुत समस्या में 'A' ने भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 320 के छठा खण्ड** (सिर या चेहरे का स्थायी विद्रूपीकरण) के अन्तर्गत घोर उपहति का अपराध कारित की है।

171. Under Section 320 of IPC which of following kinds of hurt is not designated as "Grievous Hurt"
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 320 के अनुसार इनमें से कौन-सी किस्म ''घोर उपहति'' नहीं कहलाती है?
(a) Emasculation/पुंसत्वहरण
(b) Privation of any joint/किसी भी जोड़ का विच्छेद
(c) Permanent disfiguration of the chest
छाती का स्थायी विद्रूपीकरण
(d) Dislocation of tooth/दाँत का विसंधान

MPHC CJ 2017

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 320 के खण्ड (6) के अनुसार सिर या चेहरे का स्थायी विद्रूपीकरण 'घोर उपहति' कहलाती है। छाती का स्थाई विद्रूपीकरण 'घोर उपहति' नहीं कहलाती है।

172. Fill in the gap:
रिक्त स्थान भरें -
An act of grievous hurt is always inferred through enormity to ..... and not merely a slight more than a frolic.
गहरी चोट के कृत्य को हमेशा ..... की घोरता के जरिये समझा जाता है और केवल उछल फांद से जरा ज्यादा नहीं समझ जाता है।
(a) Murder/हत्या
(b) Bodily injury/शारीरिक चोट
(c) Amputation/अंगच्छेदन
(d) All of them/उपर्युक्त सभी

UGC (NET) June, 2012

Ans. (c) : गहरी चोट को भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा 320** में परिभाषित किया गया है। गहरी चोट के कृत्य को हमेशा अंगच्छेदन की घोरता के जरिए ही समझा जाता है क्योंकि प्रत्येक शारीरिक चोट घोर उपहति नहीं होती, वह मात्र उपहति भी हो सकती है।

173. A, attacks B to disfigure his face permanently. A could not do so, but cause B severe bodily pain for ten days. A commits the offence of/'क', 'ख' के चेहरे की स्थायी रूप से विद्रूपित करने हेतु 'ख' पर प्रहार करता है। 'क' ऐसा नहीं कर सका, लेकिन 'ख' को दस दिनों तक तीव्र शारीरिक पीड़ा कारित होती है। 'ख' ने अपराध कारित किया है -
(a) Attempt to murder/हत्या का प्रयत्न
(b) Voluntarily causing hurt/स्वेच्छया उपहति कारित करना
(c) Voluntarily causing grievous hurt/ स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना
(d) Simple hurt/साधारण उपहाति

MP (ADPO) 2009 Paper-II

Ans. (b) : प्रस्तुत मामले में 'ख' ने स्वेच्छया उपहति कारित की है। भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की **धारा 321** के अनुसार जो कोई किसी कार्य को इस आशय से करता है कि तद्द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करे या ज्ञान के साथ करता है कि यह सम्भाव्य है कि वह तद्द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करे और तद्द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करता है। वह 'स्वेच्छया उपहति कारित करता है', यह कहा जाता है। धारा 323 के अनुसार, जो कोई स्वेच्छया उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना, एक हजार तक या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

174. 'A' was beating 'Z', 'B' intervening the child sleeping on B's shoulder got hurted by A's assault and he dies, which crime did 'A' committed?
'क' 'य' को मारता है, 'ख' बीच-बचाव करता है जिसमें 'ख' के कन्धे पर सो रहे बच्चे को 'क' मुक्के की चोट लगती है और वह मर जाता हैं 'क' ने निम्न अपराध किया है-
(a) Hurt/साधारण उपहति
(b) Grievous hurt/गम्भीर उपहति
(c) Culpable Homicide/सदोष मानव वध
(d) Murder/हत्या

MP (ADPO) 1993

Ans. (a) : प्रस्तुत समस्या में 'क' ने साधारण उपहति का अपराध किया है, क्योंकि यदि प्रहार 'क' द्वारा 'य' के ऊपर किया गया होता तो उसे साधारण उपहति कारित हुई होती। अतः 'क' को साधारण उपहति कारित करने के लिए दोषसिद्ध किया जायेगा।
आशय या ज्ञान के अभाव में कारित किया गया अपराध साधारण या घोर उपहति हो सकता है किन्तु आपराधिक मानव-वध नहीं हो सकता प्रस्तुत समस्या के **तथ्य चतुरनाथ, (1919) वाद के** समान है।

175. In a dark night 'A' and 'B' were fighting. B's wife keeping her child on her shoulder reached there for separating them. In the meantime A's fist fell on the backof the child and the child died 'A' is liable for :
एक अंधेरी रात में 'अ' और 'ब' लड़ रहे थे। अपने बच्चे को कन्धे पर रखे हुए 'ब' की पत्नी उनको अलग करने के लिए वहाँ पहुँची। 'अ' का मुक्का बच्चे की कमर पर पड़ गया तथा बच्चे की मृत्यु हो गई। 'अ' दोषी है–
(a) Hurt/उपहति के लिए
(b) Grievous hurt/घोर उपहति के लिए
(c) Culpable homicide/आपराधिक मानव वध के लिए
(d) Murder/हत्या के लिए

UP (APO) 2002

Ans: (a) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

176. Voluntarily causing grievous, hurt has been defined under Section:
स्वेच्छया गंभीर चोट पहुँचाने की परिभाषा दी गई है धारा:
(a) 321 I.P.C./321 में I.P.C.
(b) 322 I.P.C./322 में I.P.C.
(c) 323 I.P.C./323 में I.P.C.
(d) 324 I.P.C./324 में I.P.C.
(e) None of these/इनमें से कोई नहीं

Chhattishgarh (ADPO) 2013
MP(ADPO) 1997

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की **धारा-320** में बताया गया है कि केवल 8 प्रकार की उपहति ही घोर उपहति मानी जाएगी, जबकि **धारा-322** में स्वेच्छा घोर उपहति कारित करने को परिभाषित किया गया है। **धारा-322** के अनुसार–

जो कोई स्वेच्छा उपहति कारित करता है, यदि वह उपहति जिसे कारित करने का उसका आशय है या जिसे वह जानता है कि उसके द्वारा उसका किया जाना सम्भाव्य है, घोर उपहति है और यदि वह उपहति जो वह कारित करता है, घोर उपहति हो, तो वह 'स्वेच्छया घोर उपहति करता है' यह कहा जाता है।

177. A intending of knowing himself to be likely to disfigure Z's face permanently, gives Z a blow does not permanently disfigure Z's face. but which cause Z to suffer server bodily pain for the space of twenty days. What offence has A committed/क' यह आशय रखते हुए या यह सम्भाव्य जानते हुए कि वह 'य' के चेहरे को स्थायी रूप से विद्रूपित कर दे; 'य' के चेहरे पर प्रहार करता है जिससे 'य' का चेहरा स्थायी रूप से विद्रूपित तो नहीं होता किन्तु जिससे 'य' को बीस दिनों तक तीव्र शारीरिक पीड़ा कारित होती है। 'क' ने कौन सा अपराध किया है?

(a) Attempt to murder/हत्या का प्रयत्न

(b) Voluntarily causing grievous hurt/स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना

(c) Voluntarily causing hurt/स्वेच्छया उपहति कारित करना

(d) Simple hurt/साधारण उपहति

MP (ADPO) 2010 Paper-II

Ans. (b): क ने भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की **धारा 322 के अंतर्गत स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने का अपराध किया है।** धारा 320 खण्ड 8 में प्रावधान किया गया है की कोई उपहति जो जीवन को संकटापन्न करती है या जिसके कारण उपहत व्यक्ति 20 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है या अपने मामूली काम-काज को करने के लिए असमर्थ रहता है, वहाँ उपहति घोर उपहति कहलाती है।

178. A, intentionally to disfigure a girl's face, threw acid upon her. Though her face was cured but she suffered severe bodily pain for about six months. A is guilty of :
अ, ने एक लड़की का चेहरा विद्रूपित करने के आशय से उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। यद्यपि उसका चेहरा ठीक हो गया परन्तु लगभग छः माह तक वह घोर शारीरिक पीड़ा झेलती रही। अ दोषी है -

(a) Assault/हमला करने का

(b) An act of criminal force/आपराधिक बल प्रयोग करने का

(c) Voluntarily causing grievous hurt/स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने का

(d) Attempt to commit murder/हत्या का प्रयत्न करने का

UP (APO) 2007 (Special)

Ans: (c) प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 322 के दृष्टान्त के समान है। अतः 'अ' ने स्वेच्छया घोर उपहति कारित किया है।

179. A snatcher cut nostrils of a woman and committed grievus hurt and later she died. What offence if any, he was committed?
कोई झपटमार किसी महिला की नाक काटता है और घोर उपहति कारित करता है और बाद में उस महिला की मृत्यु हो जाती है, उसने कौन-सा अपराध, यदि कोई हो, किया है?

(a) Voluntarity causing grievous hurt of serious nature/गम्भीर प्रकृति की घोर उपहति स्वेच्छा से कारित करना

(b) Grievous hurt and murder/घोर उपहति और हत्या

(c) Accidental death while condition of the deceased, so offence/उद्दापन के दौरान दुर्घटना मृत्यु कारित हुई

(d) No knowledge as to the condition of the deceased, so offence/मृतक की दशा के बारे में कोई जानकारी नहीं, इसलिए अपराध है

UGC (NET) July, 2016 Paper-III

Ans. (a) : प्रस्तुत समस्या में अभियुक्त भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा 325** के तहत गम्भीर प्रकृति की घोर उपहति स्वेच्छा कारित करने का दायी होगा, क्योंकि न तो अभियुक्त ने मृत्यु कारित करने के आशय से कार्य किया और न ही चोट मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है। धारा 325 के अनुसार, जो कोई स्वेच्छया घोर उपहति कारित करेगा वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक हो सकेगी दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

180. In a quarrel between husband and wife, the husband tries to beat the wife with a stick which accidentally falls on the newly born baby in her hand and the baby dies instantly. Husband is guilty of the offence :
पति और पत्नी के झगड़े में पति एक डंडे से पत्नी को पीटने का प्रयास करता जो दुर्घटनावश उसके हाथ से लिए नवजात शिशु पर गिर जाती है और शिशु की तत्काल मृत्यु हो जाती है। पति दोषी है-

(a) Murder/हत्या का

(b) Culpable homicide not amounting to murder/हत्या की कोटि में नही आने वाले आपराधिक मानववध का

(c) Grievous hurt/घोर उपहति का

(d) Causing death by negligent act not amounting to culpable homicide/सदोष मानववध की कोटि में नहीं आने वाली उपेक्षा पूर्ण कार्य द्वारा मृत्यु कारित करने का

Uttarakhand (J) 2002
UP (APO) 2007 (Special)

Ans. (c) : प्रस्तुत समस्या में पति घोर उपहति के लिए दण्डनीय होगा क्योंकि प्रस्तुत समस्या में यह सिद्धान्त लागू होगा कि उन मामलों में जिनमे मृत्यु किसी उपहति का परिणाम है जिसके विषय में अभियुक्त यह नहीं जानता कि उससे मानव जीवन को खतरा हो सकता था, या मृत्यु होनी संभाव्य थी, तो उन मामलों में घोर उपहति हेतु दण्ड देना चाहिए न कि आपराधिक मानव वध या हत्या हेतु, भले ही मृत्यु कारित हो गयी हो। अतः विकल्प c घोर उपहति के रूप में सही उत्तर है।

181. What offence, if any, has been caused by the accused 'X' in the following facts?
निम्न तथ्यों में अरोपी 'X' द्वारा कौन सा, यदि कोई, अपराध किया जाता है?

'X' had some verbal wrangle with his wife 'Y' and in course of that he gave her a blow with great force and after an interval for two hours 'Y' died. Medical evidence provided the causative factor as rapture in the spleen."
'X' का अपनी पत्नी 'Y' के साथ मौखिक झगड़ा हो गया और उसी क्रम में उसने बड़े जोर से उसे मुक्का मारा और दो घंटे के अंतराल के बाद 'Y' मर गई। चिकित्सा साक्ष्य ने तिल्ली के फट जाने को कारणीय कारक के रूप में उपलब्ध कराया।''

(a) Culpable homicide not amounting to murder/हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानववध
(b) Grievous hurt/गंभीर उपहति
(c) Homicide/मानव हत्या
(d) Simple hurt/मामूली चाट

UGC (NET) December, 2014 Paper-III

Ans. (b) : प्रस्तुत समस्या **इन्दू वेग के वाद** पर आधारित है, इस वाद में अभियुक्त और उसकी पत्नी के बीच कुछ वाद-विवाद हो गया, जिसके दौरान उसके शरीर के बायें भाग में जोर से प्रहार किया गया। इस प्रहार के फलस्वरूप उसे कई बार उल्टी हुई और नाक से रुधिर बहने लगा, चोट लगने से लगभग एक घण्टे बाद उसकी मृत्यु हो गई, शव परीक्षण के दौरान यह पाया गया उसकी मृत्यु प्लीहा के नष्ट होने से हुई है।
अतः अभियुक्त को **घोर उपहति के लिए दोषी ठहराया गया।**

182. 'A' voluntarily incites his ferocious dog to spring upon 'B'. The dog holds down 'B' and mutilates him. 'A' has committed an offence punishable under:
'अ' स्वेच्छया अपने खूँखार कुत्ते को 'ब' के ऊपर चढ़ जाने को प्रेरित करता है। वह कुत्ता 'ब' को दबोच लेता है और उसे विकृत कर देता है। 'अ' ने दण्डनीय अपराध किया है, अधीन -

(a) Section 325, I.P.C./धारा 325 भा.दं. संहिता
(b) Section 326, I.P.C./धारा 326 भा.दं. संहिता
(c) Section 326A, I.P.C./धारा 326-अ भा.दं. संहिता
(d) Section 326B, I.P.C./धारा 326-ब भा.दं. संहिता
(e)None of these/उपरोक्त में कोई नहीं

Chhattishgarh (ADPO) 2013

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 326 खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने को दण्डित करती है। इस धारा में खतरनाक साधन में जीव-जन्तु को भी शामिल किया गया है।

अतः प्रस्तुत समस्या में 'अ' को धारा-326 के अन्तर्गत दण्डित किया जाएगा।

183. Two young ladies X and Y fight with each other. X knowingly herself to be likely permanently disfigure Y's face, she inflicts injury with a blade on the face of Y, leaving permanently ugly scar on the check of Y. Here X is guilty of causing:
दो युवतियाँ X तथा Y आपस में लड़ पड़ीं। X ने यह संभाव्य जानते हुए कि वह Y के चेहरे को स्थायी रूप से विद्रूपित कर दें, Y के चेहरे पर ब्लेड से प्रहार किया। इससे Y के गाल पर घाव का स्थायी भद्दा चिह्न बन गया। X दोषी है:

(a) simple hurt /सामान्य उपहति कारित करने की
(b) grievous hurt by dangerous means
खतरनाक साधन द्वारा घोर उपहति कारित करने की
(c) attempt to commit murder /हत्या के प्रयास की
(d) grievous hurt by rash and negligent act /उतावले एवं लापरवाही पूर्ण कृत्य द्वारा घोर उपहति की

MPHC CJ 2006

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 326 के अनुसार 'X' **खतरनाक साधन द्वारा स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने की** दोषी है।

184. Two persons, A & B fight with each other. A was having a blade with which 'A' inflicts injury on the face of 'B' leaving a permanent scar on the face of B. A is guilty of offence of causing:
दो व्यक्ति ए तथा बी आपस में लड़ाई करते हैं। ए, जिसके पास ब्लेड है, ने बी के चेहरे पर ब्लेड से उपहति कारित की, जिससे बी के चेहरे पर घाव का स्थाई निशान बन गया। ए अपराध कारित करने का दोषी है-

(a) Grievous hurt by sharp cutting object
घोर/गंभीर उपहति धारदार वस्तु द्वारा
(b) Grievous hurt by rash or negligent act
असावधानी अथवा उपेक्षा से घोर उपहति
(c) Simple hurt by sharp cutting object
साधारण उपहति धारदार वस्तु द्वारा
(d) Simple hurt by rash or negligent act
असावधानी अथवा उपेक्षा से साधारण उपहति

MPHC CJ 2015

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

185. Punishment regarding voluntarily causing 'grievous hurt' by acid attack contained
तेजाब फेंक कर स्वेच्छया 'घोर उपहति' कारित करना दण्डनीय है-

(a) Section 354A/धारा 354 क
(b) Section 354B/धारा 354 ख
(c) Section 326A/धारा 326 क
(d) Section 228A/धारा 228 क

JPSC (APO) 2019

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा 326-A** के अनुसार, जो कोई किसी व्यक्ति के शरीर के किसी अंग को तेजाब फेंककर या तेजाब का सेवन कराकर स्थायी या आंशिक नुकसान या विद्रूपता कारित करेगा, या इस ज्ञान के साथ कि उसे ऐसी क्षति या उपहति कारित होना संभाव्य है, घोर उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारवास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष से न्यून नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

186. Voluntarily causing grievous hurt by use of acid is punishable under which section of Indian Penal Code?
अम्ल का प्रयोग कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना भ.दं.सं. की किस धारा में दण्डनीय है?
(a) Section 336A/धारा 336क
(b) Section 336B/धारा 336ख
(c) Section 326A/धारा 326क
(d) Section 326B/धारा 326ख

MP (HJS) 2020

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

187. A throws acid on B and causes grievous hurts to him. Under I.P.C. A is liable for minimum punishment of :
'ए' 'बी' पर एसिड फेंकता है, जिससे 'बी' को गम्भीर उपहति कारित होती है। भा.दं.सं. के तहत, 'ए' किस न्यूनतम दण्ड के लिए दायी है?
(a) 7 years /7 वर्ष (b) 5 years /5 वर्ष
(c) 10 years /10 वर्ष (d) 3 years /3 वर्ष

MPHC CJ 2013 Shift-II

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा 326-A** के तहत तेजाब के प्रयोग से स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना दण्डनीय अपराध है जिसके लिए न्यूनतम दण्ड 10 वर्ष का कारावास तथा अधिकतम आजीवन कारावास तक का प्रावधान है।

188. What is minimum punishment for voluntarily causing grievous hurt by use of acid?
अम्ल का प्रयोग करके स्वेच्छया घोर उपहति करने पर न्यूनतम दण्ड क्या है?
(a) 7 years imprisonment with fine
जुर्माने के साथ 7 वर्ष का कारावास
(b) 10 years imprisonment with fine
जुर्माने के साथ 10 वर्ष का कारावास
(c) 15 years imprisonment with fine
जुर्माने के साथ 15 वर्ष का कारावास
(d) 20 years imprisonment with fine
जुर्माने के साथ 20 वर्ष का कारावास

Uttarakhand (J) 2018

Ans. (b**) :** उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

189. A person held guilty for commission of an offence described under Section 326-A of the Indian Penal Code, is liable to be punished with imprisonment which shall not be less than ten years, but which may extend to imprisonment for life with fine, required to be paid to the victim. Such fine shall be-
एक व्यक्ति धारा 326-क में वर्णित अपराध का दोषी पाये जाने पर कारावास से दण्डित किये जाने का अधिकारी होगा, जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा, जो कि पीड़ित को देय होगा। ऐसा जुर्माना-
(a) Not less than Rs. 1,00,000/-/1,00,000 रुपये से कम नहीं होगा
(b) Not more than Rs. 5,00,000/-/5,00,000 रुपये से अधिक नहीं होगा
(c) Just and reasonable to meet the medical expenses of the treatment of victim/पीड़ित को उपचार के चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा
(d) Determined by the Court but in no case shall be less than Rs. 5,00,000/-/न्यायालय द्वारा अवधारित किया जायेगा, किन्तु किसी भी स्थिति में 5,00,000 रुपये से कम नहीं होगा

Rajasthan (J) 2013

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा 326-A** में वर्णित अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को कारावास से दण्डित किया जायेगा, जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा, जो कि ऐसा जुर्माना पीड़िता के उपचार के चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा।

190. Which one of the following is not an essential element of the offence of acid attack mentioned under Section 326-A of the IPC?
निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भा.द.स. की धारा 326-A में वर्णित अम्ल हमला के अपराध का एक आवश्यक तत्त्व नहीं है?
(a) Partial damage, deformity or burn/आंशिक क्षति, विरूपता या जलन
(b) Maiming, disfigurement or disablement/अंग भंग, विद्रूपण या विकलांगता
(c) Damage, disfigurement or greivous hurt/क्षति, विद्रूपण या घोर उपहति
(d) only bodily pain/केवल शारीरिक दर्द

Uttarakhand (J) 2019
Uttarakhand (APO) 2015

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा 326-A** के अनुसार, जो कोई किसी व्यक्ति के शरीर के किसी भाग या किन्हीं भागों को उस व्यक्ति पर अम्ल फेंककर या अम्ल देकर या किसी अन्य साधनों का प्रयोग करके स्थायी या आंशिक नुकसान कारित करता है या अंग विकार करता है या जलाता है या विकलांग बनाता है या विद्रूपित करता है या निःशक्त बनाता है या घोर उपहति करता है, वह दोनों में से किसी भी भाँति के कारावास से जिसकी **अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु आजीवन कारावास तक हो सकेगी** दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

191. Laxmi v. Union of India (2014) 4 SCC 427 is a case which is related to the offence of
लक्ष्मी ब. भारत संघ (2014) 4 एस.सी.सी. 427 का वाद संबंधित है, अपराध से
(a) acid attack/अम्ल से हमले के
(b) dowry death/दहेज मृत्यु के
(c) murder/हत्या के
(d) rape/बलात्कार के

Uttarakhand (APO) 2015

Ans. (a) : लक्ष्मी ब. भारत संघ (2014) 4 एस.सी.सी. 427 का वाद अम्ल हमले से संबंधित प्रमुख वाद है।

192. "Acid Attack" has been made a separate offence in India in year :
'अम्ल फेंककर किसी व्यक्ति को क्षति पहुँचाना भारत में कब से पृथक अपराध बना दिया गया है?

(a) 2003/वर्ष 2003 से (b) 2010/वर्ष 2010 से
(c) 2014/वर्ष 2014 से (d) 2013/वर्ष 2013 से

Uttarakhand (J) 2016

Ans. (d) : अम्ल फेंककर किसी व्यक्ति को क्षति पहुँचाने से संबंधित अपराधों के वाद में कड़े प्रावधान भारतीय दण्ड संहिता में दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम 2013 द्वारा किया गया। ये प्रावधान 3-2-2013 से प्रभावी हैं।

193. Voluntarily throwing or attempting to throw acid is an offence punishable under Indian Penal Code 1860, under
स्वेच्छया तेजाब डालना या तेजाब डालने का प्रयत्न करना भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अधीन एक दण्डनीय अपराध है-

(a) Section 326A/धारा 326A में
(b) Section 326B/धारा 326B में
(c) Section 228A/धारा 228A में
(d) Section 228/धारा 228 में

Uttarakhand (J) 2015
Uttarakhand (APO) 2015,2021
MPHC (CJ) 2017

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा 326-B** में 'स्वेच्छया अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना' को दण्डनीय बनाया गया है। इस धारा को दण्डविधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 द्वारा अन्तः स्थापित किया गया।

194. Under which section of the Indian Penal Code "voluntarily throwing or attempting to throw acid" is an offence?
भारतीय दण्ड संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत ''स्वेच्छया अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना'' एक दण्डनीय अपराध है?

(a) Section 326/धारा 326 में
(b) Section 326-A/धारा 326-क में
(c) Section 326-B/धारा 326-ख में
(d) Section 326-C/धारा 326-ग में

Uttarakhand (APO) 2015

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

195. Administration of unwholesome drug is strictly punishable under law even though it may not cause hurt. Under what provision of law punishment can be inflicted?
अस्वास्थ्यकर ड्रग का दिया जाना कानून के अन्तर्गत कड़ाई से दण्डनीय है चाहे इससे कोई क्षति न हो। किस कानून के प्रावधानों के अधीन दण्ड दिया जा सकता है?

(a) Section 324/धारा 324
(b) Section 328/धारा 328
(c) Section 326/धारा 326
(d) All of the above/उपर्युक्त सभी

UGC (NET) September, 2013 Paper-III

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा 328** अपराध करने के आशय से विष आदि द्वारा उपहति कारित करने का प्रावधान करता है। इसके अनुसार अस्वास्थ्यकर ड्रग का दिया जाना विधि के अन्तर्गत कड़ाई से दण्डनीय है चाहे इससे कोई क्षति न हो।

196. A, a police officer, tortures Z in order to induce Z to confess that he committed a crime. A is guilty of an offence under
A, एक पुलिस अफसर, Z को यह संस्वीकृति करने के लिए उसने अपराध किया है, यातना देता है। A किस धारा के अधीन दोषी है?

(a) Section 330/धारा 330
(b) Section 230/धारा 230
(c) Section 360/धारा 360
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

BPSC (APO) 2009
Chattisgarh (ADPO) 2008
Chattisgarh (J) 2014
JPSC (APO) 2012

Ans. (a) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा 330 के दृष्टांत (a) पर आधारित** है। **धारा 330** में प्रावधान किया गया है कि जो कोई संस्वीकृति उद्दापित करने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डित किया जायेगा।

197. 'A', a police officer tortures 'Z' in order to induce 'Z' to confess that he committed a crime. 'A' is guilty of an offence under-
'अ' एक पुलिस अधिकारी 'ज' को यह संस्वीकृति करने के लिए कि उसने अपराध किया है, उत्प्रेरित करने के लिए यातना देता है। 'अ' किस धारा के अन्तर्गत अपराध का दोषी है?

(a) Section 325 of the Indian Penal Code.
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 325
(b) Section 326 of the Indian Penal Code
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 326
(c) Section 330 of the Indian Penal Code
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 330
(d) Section 331 of the Indian Penal Code
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 331

UPPCS (J)-2006, 2018
UP (APO) 2011, 2018
Uttrakhand (APO) 2009

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

198. "A" a police officer tortures "Z" in order to induce "Z" to confess that he has committed a crime. Here "A" a guilty of the offence of :
एक पुलिस अधिकारी को संस्वीकृति करने को कि उसने अपराध किया है, उत्प्रेरित करने के लिए यातना देता है, यहाँ उत्तरदायी होगा अपराध का-

(a) Assault/हमले के
(b) Causing hurt to extort confession/संस्वीकृति उद्पित करने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करने के
(c) Causing criminal force
आपराधिक बल कारित करने के
(d) Attempt to cause hurt/उपहति कारित करने के प्रयत्न का

Uttarakhand (J) 2015

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

199. A, a police officer, tortures Z in order to induce Z to confess that he committed a crime. A is guilty of an offence under:
'क', एक पुलिस ऑफिसर, 'य' को यह संस्वीकृति करने को, कि उसने अपराध किया है, उत्प्रेरित करने के लिए यातना देता है। 'क' दोषी है, अन्तर्गतः

(a) Section 328 of IPC/भा.दं.स. की धारा 328
(b) Section 329 of IPC /भा.दं.स. की धारा 329
(c) Section 330 of IPC /भा.दं.स. की धारा 330
(d) Section 327 of IPC /भा.दं.स. की धारा 327

Uttarakhand (APO) 2021

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

200. A, a police officer, tortues B to induce him to point out where certain stolen property is deposited. Here A is guilty of an offence under
एक पुलिस अधिकारी 'ए', 'बी' को यह बताने के लिए यातना देता है कि उसने चोरी की हुई संपत्ति कहाँ जमाकर रखी है। यहां 'ए' जिस धारा के अंतर्गत अपराध का दोषी है, वह है

(a) Section 330, I.P.C./धारा 330, भारतीय दंड संहिता
(b) Section 331, I.P.C./धारा 331, भारतीय दंड संहिता
(c) Section 332, I.P.C./धारा 332, भारतीय दंड संहिता
(d) Section 333, I.P.C./धारा 333, भारतीय दंड संहिता

UGC (NET) December, 2018 Paper-II

Ans. (a) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता की धारा 330 के दृष्टांत (b) पर आधारित है। धारा 330 के अनुसार जो कोई संस्वीकृति उद्यापित करने या विवश करके सम्पत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वच्छेया से उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक हो सकेगा तथा जुर्माने से भी दण्डित किया जायेगा।

201. A, a revenue officer tortures Z in order to compel him to pay certain arrears of revenue due from Z. A is guilty of an offence under section?
क, एक राजस्व अधिकारी, राजस्व की बकाया धनराशि जो य पर देय है, देने को य को विवश करने के लिए उसे यातना देता है। क भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की निम्न किस धारा में दोषी है?

(a) 383 of the Indian Penal Code, 1860 धारा 383 में
(b) 328 of the Indian Penal Code, 1860 धारा 328 में
(c) 392 of the Indian Penal Code, 1860 धारा 392 में
(d) 330 of the Indian Penal Code, 1860 धारा 330 में

UPPCS (J) 2016

Ans. (d) : 'क' ने भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 330** के अन्तर्गत परिभाषित संस्वीकृति उद्दापित करने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करने का अपराध किया है। उपर्युक्त समस्या धारा **330 के दृष्टांत 'c' पर आधारित** है, जिसमें 'क' को इस धारा के अधीन दोषी माना गया है। इस धारा के अंतर्गत संस्वीकृति उद्दापित करने या विवश करके सम्पत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करने को सात वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से भी दण्डनीय माना गया है।

202. 'A' a Zamindar tortures a raiyat in order to compel him to pay his rent, 'A' is guilty of an offence in IPC under:
'A' एक जमींदार, भाटक देने को विवश करने के लिए अपनी रैयत को यातना देता है। भारतीय दण्ड संहिता में 'B' अपराध का दोषी है, अन्तर्गतः

(a) Section 329/धारा 329
(b) Section 333/धारा 333
(c) Section 330 /धारा 330
(d) Section 331 /धारा 331

Uttarakhand (J) 2021

Ans. (c) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता की धारा 330 के दृष्टान्त (d) पर आधारित है।

203. What punishment may be awarded for the offence voluntarily causing hurt to deter a public servant from his duty under Section 332 I.P.C.?
लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने हेतु स्वेच्छया उपहति कारित करने पर भा.दं.सं. की धारा 332 के तहत कौन-सा दण्ड दिया जा सकता है?

(a) Imprisonment upto two years/दो वर्षों तक का कारावास
(b) Imprisonment upto five years and fine or both/पांच वर्षों तक का कारावास एवं जुर्माना या दोनों
(c) Imprisonment upto five years and fine or both/सात वर्षों तक का कारावास एवं जुर्माना या दोनों
(d) Imprisonment upto seven year and fine or both/दस वर्षों तक का कारावास एवं जुर्माना या दोनों
(e) None of these/इनमें से कोई नहीं

Chhattishgarh (ADPO) 2013

Ans. (e) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की **धारा-332** के अनुसार–जो कोई लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करता है, वह दोनों में से किसी भी भाँति के कारावास से, जिसकी **अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना से या दोनों से दण्डित किया जाएगा।**

204. What punishment may be awarded for the offence voluntarily causing hurt to deter a public servant from his duty under Section 332 I.P.C.?
शासकीय सेवक को उसके कर्त्तव्य के दौरान उसके कर्त्तव्यों से निवारित करने के लिए चोट पहुँचाने के अपराध में धारा 332 भारतीय दण्ड संहिता में कितनी सजा हो सकती है?

(a) Imprisonment upto three years or fine or both तीन वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों
(b) Imprisonment upto five years or fine or both पाँच वर्ष तक का कारावास और जुर्माना या दोनों
(c) Imprisonment upto seven years or fine or both सात वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों
(d) Imprisonment upto ten years or fine or both दस वर्ष का कारावास और जुर्माना या दोनों

MPHC CJ 2007

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

205. Voluntarily causing hurt on grave and sudden provocation to a person is punishable under:
गंभीर और अचानक प्रकोपन पर किसी व्यक्ति को स्वेच्छया उपहति कारित करना, दण्डनीय है, अंतर्गत-

(a) Section 331/धारा 331 भारतीय दण्ड संहिता
(b) Section 332/धारा 332 भारतीय दण्ड संहिता
(c) Section 333/धारा 333 भारतीय दण्ड संहिता
(d) Section 334/धारा 334 भारतीय दण्ड संहिता

MPHC CJ 2017

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा 334** के तहत गंभीर और अचानक प्रकोपन पर किसी व्यक्ति को स्वेच्छया उपहति कारित करना दण्डनीय है।
धारा 334 के अनुसार- जो कोई गम्भीर और अचानक प्रकोपन पर स्वेच्छया उपहति कारित करेगा, यदि न तो उसका आशय उस व्यक्ति से भिन्न जिसने प्रकोपन दिया था, किसी व्यक्ति को उपहति कारित करने का हो और न वह अपने द्वारा ऐसी उपहति कारित किया जाना सम्भाव्य जानता हो, वह दोनो में से किसी भी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक हो सकेगी या जुर्माने से जो पाँच सौ रूपये तक या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

206. Which one of the following sections of the Indian Penal Code relates to punishment for voluntarily causing hurt on provocation?
निम्न में से भारतीय दण्ड संहिता की कौन-सी धारा प्रकोपन पर स्वेच्छा उपहति कारित करने के दण्ड से संबंधित है?

(a) Section 324/धारा 324
(b) Section 332/धारा 332
(c) Section 334/धारा 334
(d) Section 323/धारा 323

Chhattishgarh (J) 2020

Ans. (c) : जो कोई गम्भीर और अचानक प्रकोपन पर स्वेच्छया उपहति कारित करेगा, यदि न तो उसका आशय उस व्यक्ति से भिन्न जिसने प्रकोपन दिया था किसी व्यक्ति को उपहति कारित करने का हो और न वह अपने द्वारा ऐसी उपहति कारित किया जाना सम्भाव्य जानता हो वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि एक माह तक हो सकेगी या जुर्माने से जो पांच सौ रूपये तक हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

सदोष अवरोध और सदोष परिरोध (धारा 339-348)

207. A obstructs a path along which Z has right to pass. A not believing in good faith that he has a right to stop the path. A has committed an offence of –
'अ' एक मार्ग में, जिससे होकर जाने का 'ब' का अधिकार है, सद्भावपूर्वक यह विश्वास न रखते हुए कि उसको मार्ग रोकने का अधिकार प्राप्त है, बाधा डालता है। 'ब' जाने से तद्द्वारा रोक दिया जाता है। 'अ' ने अपराध कारित किया है:

(a) Wrongful confinement /सदोष परिरोध का
(b) Assault /हमले का
(c) Cheating / छल का
(d) Wrongful restraint / सदोष अवरोध का

Chhattishgarh (J) 2012

Ans. (d) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा 339** के दृष्टांत पर आधारित है जिसके तहत अ ने सदोष अवरोध का अपराध कारित किया।
धारा 339 के अनुसार, जो कोई किसी व्यक्ति को स्वेच्छया ऐसे बाधा डालता है कि उस व्यक्ति को उस दिशा में, जिसमें उस व्यक्ति को जाने का अधिकार है, जाने से निवारित कर दे, वह उस व्यक्ति का सदोष अवरोध करता है।
अपवाद-भूमि के या जल के किसी प्राइवेट मार्ग में बाधा डालना जिसके सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को सद्भावपूर्वक विश्वास है कि वहाँ बाधा डालने का उसे विधिपूर्ण अधिकार है, इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत अपराध नहीं है।

208. A has a right to go to his house by a narrow street. B tied his dreaded dog to an electric pole to prevent A from going home. Has B committed any offence?
एक सकरी गली से अ को अपने घर में जाने का अधिकार है। ब ने अ को घर जाने से रोकने हेतु अपने खूंखार कुत्ते को बिजली के खम्भे से बांध दिया। क्या ब ने कोई अपराध किया है?

(a) Wrongful restraint /सदोष अवरोध
(b) Wrongful confinement / सदोष परिरोध
(c) public nuisance /लोकताप (लोक न्यूसेंस)
(d) Mischief / रिष्टि

Rajasthan (APO) 2015

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

209. 'A' threatens to set a savage dog at 'Z', if 'Z' goes along a path which 'Z' has a right to go. In this case 'A' commits :
'क', 'य' को धमकी देता है कि यदि 'य' उस मार्ग से जाता है, जिसमें होकर जाने का 'य' का अधिकार है, तो वह 'य' पर एक कटखना कुत्ता छोड़ देगा। इस मामले में 'क' कारित करता है-

(a) No offence/कोई अपराध नहीं
(b) Offence of hurt/उपहति
(c) Wrongful restraint/सदोष अवरोध
(d) Wrongful confinement/सदोष परिरोध

Uttarakhand (APO) 2009

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

210. Which of the following distinctive feature do not relate to wrongful restraint and wrongful confinement?
निम्नलिखित में से कौन-सी विशेषता दोषपूर्ण अवरोध और दोषपूर्ण परिरोध से संबंधित नहीं है?

(a) Wrongful restraint is partial restraint of personal liberty while wrongful confinement is absolute restraint of personal liberty/दोषपूर्ण अवरोध व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आंशिक अवरोध है जबकि दोषपूर्ण परिरोध व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पूर्ण अवरोध है
(b) Wrongful restraint implies wrongful confinement/दोषपूर्ण अवरोध दोषपूर्ण परिरोध पर लागू होता है

(c) 'Wrongful confinement' requires circumscribing limits while 'wrongful' restraint is boundryless / दोषपूर्ण परिरोध के लिए परिसीमा की अपेक्षा होती है जबकि दोषपूर्ण अवरोध की कोई सीमा नहीं होती

(d) In wrongful confinement there is restriction of movement in all directions, while in wrongful restriction the movement is not total restriction in all directions/दोषपूर्ण परिरोध में सभी दिशाओं में आने-जाने पर प्रतिबंध होता है जबकि दोषपूर्ण प्रतिबंध में आने-जाने पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं होता है

UGC (NET) September, 2016 Paper-II

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 339– सदोष अवरोध तथा धारा 340 सदोष परिरोध को परिभाषित करती है। दोनों में निम्नलिखित अन्तर है–

(1) सदोष अवरोध व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आंशिक अवरोध है जब कि सदोष परिरोध व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पूर्ण अवरोध है।

(2) सदोष परिरोध के लिए परिसीमा की अपेक्षा होती है जबकि सदोष अवरोध में कोई परिसीमा नहीं होती।

(3) सदोष परिरोध में सभी दिशाओं में आने-जाने पर प्रतिबंध होता है जबकि सदोष अवरोध में सभी दिशाओं में आने-जाने पर पूर्ण प्रतिबन्ध नहीं होता।

(4) सदोष परिरोध में सदोष अवरोध सम्मिलित होता है।

सदोष अवरोध में सदोष परिरोध निहित नहीं हैं।

अतः यह कथन कि दोषपूर्ण अवरोध,दोषपूर्ण परिरोध पर लागू होता है यह दोषपूर्ण अवरोध और दोषपूर्ण परिरोध से सम्बन्धित नहीं है।

211. An individual's act of abridgement of another's right to movement could be an offence of:
एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के गतिविधि के अधिकार का उल्लंघन करना किस अपराध की श्रेणी में आता है?

(a) wrongful confinement as per Section 340, IPC/भारतीय दण्ड संहिता की धारा 340 के अन्तर्गत सदोष परिरोध का अपराध

(b) an act of abridgement of right to movement was done in good faith and hence no offence/क्योंकि गतिविधि के अधिकार का उल्लंघन सद्भावना से किया गया है। इसलिये कोई अपराध नहीं है

(c) the movement route being diverted so assault results/क्योंकि गतिविधि की दिशा बदली जा रही है इसीलिये यह हमले का अपराध है

(d) wrongful restraint as per Section 339, IPC/भारतीय दण्ड संहिता की धारा 339 के अन्तर्गत 'सदोष अवरोध 'का अपराध है।

UGC (NET) December, 2013 Paper-III

Ans. (d) : एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के गतिविधि के अधिकार का उल्लंघन करना भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 339 के तहत सदोष अवरोध के अपराध के अन्तर्गत आता है। भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 339 में सदोष अवरोध को परिभाषित किया गया हैं जिसके अनुसार जो कोई किसी व्यक्ति को स्वेच्छया ऐसे बाधा डालता है कि उस व्यक्ति को उस दिशा में जिसमें उस व्यक्ति को जाने का अधिकार है जाने से निवारित कर दे वह उस व्यक्ति का सदोष अवरोध करता है, यह कहा जाता है।

212. Fill in the gap with appropriate word:
Wrongful restraint means keeping a person from out of his.....of his residence.
उचित शब्द से रिक्त स्थान भरें:
सदोष अवरोध का अर्थ व्यक्ति को अपने आवास स्थान के.....के बाहर रखना है।

(a) House/घर (b) Place/स्थान
(c) Hotel/होटल (d) Guest House/गेस्ट हाउस

UGC (NET) June, 2012 Paper-III

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 339 में परिभाषित 'सदोष अवरोध' का अर्थ है किसी व्यक्ति को उस स्थान से दूर रखना जहाँ वह रहना चाहता है और जहाँ उसे रहने का अधिकार है। अतः सदोष अवरोध का अर्थ व्यक्ति को अपने आवास के स्थान के स्थान (place) के बाहर रखना है।

213. 'A' causes 'Z' to go within a walled space and locks 'Z' in. 'A' shall be guilty of
'य' को दीवार से घिरे हुये स्थान में प्रवेश कराकर 'क' उसमें ताला लगा देता है। 'क' दोषी होगा

(a) Assault/हमले का
(b) Wrongful confinement/सदोष परिरोध का
(c) Wrongful restraint/सदोष अवरोध का
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

MP (ADPO) 2008 Paper-II
BPSC (APO) 2009
UP (APO) 2018

Ans. (b) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड सहिता 1860 की **धारा 340 (सदोष परिरोध) के दृष्टान्त (a) पर आधारित है।** धारा 340 के अनुसार, जो कोई किसी व्यक्ति का इस प्रकार सदोष अवरोध करता है कि उस व्यक्ति को निश्चित परिसीमा से परे जाने से निवारित कर दे, वह उस व्यक्ति का 'सदोष परिरोध' करता है यह कहा जाता है। समस्या में 'क' द्वारा 'य' को दीवार से घिरे हुए स्थान में प्रवेश कराकर उसमें ताला लगा देने से उसे निश्चित परिसीमा से परे जाने से निवारित कर दिया गया है। इसलिए 'क' सदोष परिरोध का दोषी होगा।

214. B place men with firearms at the outlets of a building and tells Z that they will fire at Z, if Z attempts to leave the building.
Which of the following is the most suitable in the given context?
B एक इमारत से बाहर जाने के द्वारों पर अपने बंदूकधारी आदमी खड़े कर देता है और Z से कहता है कि यदि Z ने इमारत छोड़ने का प्रयास किया तो वे Z पर गोली चला देंगे।
दी गयी स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सबसे उपयुक्त है?

(a) This is wrongful restraint/यह गलत तरीके से रोकना है
(b) This is an attempt to cause grievous hurt/यह गंभीर रूप से घायल करने का प्रयास है
(c) This is an attempt to cause hurt/यह घायल करने का प्रयास है
(d) This is criminal force/यह आपराधिक बल है

(e) This is wrongful confinement/यह गलत तरीके से परिरोध करना है

Chhattishgarh (ADPO) 2017
MPHC CJ 2020
UP (APO) 2007

Ans. (e) : प्रस्तुत समस्या में B ने भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 340 में परिभाषित सदोष परिरोध किया है। प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 340 के दृष्टान्त (b) पर आधारित है।

धारा 340 अनुसार, जो कोई किसी व्यक्ति का इस प्रकार सदोष अवरोध करता है कि उस व्यक्ति को निश्चित परिसीमा से परे जाने से निवारित कर दे, वह उस व्यक्ति का 'सदोष परिरोध' करता है, यह कहा जाता है।

215. 'A' places men with firearms at the outlets of building and tells, 'Z' that they will fire at 'Z', if he attempts to leave the building. 'A' has committed the offence of:
'क' एक भवन के बाहर जाने के द्वारों पर बन्दूकधारी मनुष्यों को बैठा देता है, और 'य' से कह देता है कि यदि 'य' भवन के बाहर जाने का प्रयत्न करेगा, तो वे 'य' को गोली मार देंगे। 'क' ने कौन सा अपराध किया?

(a) Wrongful confinement/सदोष परिरोध का
(b) Wrongful restraint/सदोष अवरोध का
(c) Hurt/उपहरित का
(d) None of these/उपर्युक्त में से कोई नहीं

Uttarakhand (APO) 2021

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

216. 'A' causes 'Z' to go within a walled space and locks 'Z' in. 'Z' is thus prevented from proceeding in any direction beyond the circuimscribing line of wall. 'A' has committed an offence of:
'A' 'Z' को किसी चारदीवारी से घिरे स्थान में पहुँचा देता है और उसे ताले में बंद कर देता है। इस प्रकार 'Z' को किसी भी दिशा में चारदीवारी के पार जाने से रोक दिया गया है।
'A' ने किस प्रकार का अपराध किया है?

(a) Wrongful restrain of Z/'Z' का गलत तरीके से अवरोध
(b) wrongful confinement of Z/'Z' का गलत तरीके से परिरोध
(c) Criminal force against Z/'Z' पर आपराधिक बल लगाना
(d) Endangering life and personal safety/'Z' के जीवन और निजी सुरक्षा को खतरा पहुँचाना

Chhattishgarh (J) 2017

Ans. (b) : प्रस्तुत समस्या में A ने भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 340 में परिभाषित सदोष परिरोध किया है। प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 340 के दृष्टान्त (a) पर आधारित है।

217. A police officer arrested and detained a girl in the lock-up despite the bail order. The police officer shall be guilty of :
एक पुलिस अधिकारी एक लड़की को जेल में गिरफ्तार कर निरुद्ध रखता है जबकि उसकी जमानत हो चुकी है, तो वह दोषी है–

(a) Kidnapping/व्यपहरण का
(b) Abduction/अपहरण का
(c) Wrongful restraint/सदोष अवरोध का
(d) Wrongful confinement/सदोष परिरोध का

UPHESC 2014
UGC (Net) June 2010

Ans. (d) : प्रस्तुत समस्या में पुलिस अधिकारी सदोष परिरोध का दोषी होगा। भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 340 सदोष परिरोध को परिभाषित करती है। धारा 340 के अनुसार–जो कोई किसी व्यक्ति का इस प्रकार सदोष अवरोध करता है कि उस व्यक्ति को निश्चित परिसीमा के परे जाने से निवारित कर दे, वह उस व्यक्ति का ''सदोष परिरोध'' करता है, यह कहा जाता है।

इस प्रकार जब एक पुलिस अधिकारी एक लड़की को जेल में गिरफ्तार कर निरुद्ध करता है, जबकि उसकी जमानत हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में वह लड़की एक निश्चित परिसीमा से परे जाने से निवारित कर दी जाती है। अतः पुलिस अधिकारी सदोष परिरोध के अपराध का दोषी होगा।

218. If a police officer arrested and detained a person in the lockup despite producing the bail order from the Court, police officer is guilty of:-
एक पुलिस अधिकारी एक व्यक्ति को कोर्ट का जमानत आदेश पेश करने के बाद भी गिरफ्तार कर लॉक अप में निरुद्ध करता है, पुलिस अधिकारी दोषी है :-

(a) Abduction/अपहरण
(b) Wrongful restraint/सदोष अवरोध
(c) Wrongful Confinement/सदोष परिरोध
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

Chhattishgarh (J) 2020
Rajsthan (APO) 2005
MPHC CJ 1997
MPHC CJ 2019 Shift-I
Rajsthan (J) 2013
Uttrakhand (J) 2016

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

219. 'A' was on his journey by car from Bhopal to Indore. 'B' met him in the way and requested for a lift upto Ujjain. 'A' agreed request. 'B' was carried over by 'A' to Indore against his wishes. Heare/'क' अपनी कार द्वारा भोपाल से इंदौर जा रहा था। रास्ते में उसे 'ख' मिला और निवेदन किया कि वह उसे उज्जैन तक लेता चले। 'क' ने उसका निवेदन स्वीकार कर लिया, लेकिन उज्जैन पहुँचने पर बार-बार कहने पर भी 'ख' को वहाँ नहीं उतारा। 'ख' की इच्छा के विरुद्ध 'क' उसे इन्दौर तक ले गया। यहाँ :

(a) 'A' is guilty of kidnapping 'B'/ `क', 'ख' के व्यपहरण का दोषी है
(b) 'A' has committed no offence/ `क', ने कोई अपराध नहीं किया है

(c) 'A' is guilty of abducting 'B'/
`क' 'ख' के अपहरण का दोषी है

(d) 'A' is guilty of knowingly confining 'B'/
`क','ख' का सदोष परिरोध कारित करने का दोषी है

MP (ADPO) 2009 Paper-II

Ans. (d): प्रस्तुत मामले में 'A' 'B' का सदोष परिरोध कारित करने के अपराध का दोषी है। धारा 340 सदोष परिरोध को परिभाषित करती है। भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 340 के अनुसार जो कोई किसी व्यक्ति का इस प्रकार सदोष अवरोध करता है कि उस व्यक्ति को निश्चित परिसीमा से परे जाने से निवारित कर दे, वह उस व्यक्ति का 'सदोष परिरोध' करता है, कहा जाता है।

220. "A" was on his journey by car from Allahabad to Lucknow. "B" met him in the way and requested for a lift upto Rae Bareli, an intermediate town. "A" agreed to his request but on reaching Rae Bareli did not drop "B" there in spite of his repeated requests. "B" was carried over to Lucknow against his wishes.
Here:
''अ'' अपनी कार द्वारा इलाहाबाद से लखनऊ जा रहा था। रास्ते में ''ब'' उससे मिला और निवेदन किया कि वह उसे मध्यवर्ती नगर रायबरेली तक अपनी कार से लेता चले। ''अ'' ने उसका निवेदन स्वीकार कर लिया और उसे कार में बैठा लिया परन्तु रायबरेली पहुँचने पर ''ब'' के बार-बार निवेदन करने के बावजूद उसे वहाँ नहीं उतारा और ''ब'' की इच्छा के विरुद्ध उसे लखनऊ तक ले गया।
यहाँ-

(a) "A" is guilty of kidnapping "B"
''अ'', ब के व्यपहरण का दोषी है

(b) "A" has committed no offence.
''अ'', ने कोई अपराध नहीं किया है

(c) "A" is guilty of wrongfully confining "B"
''अ'', ''ब'', का सदोष परिरोध कारित करने का दोषी है।

(d) "A" is guilty of abducting "B"
''अ'', ''ब'' के अपहरण का दोषी है।

UPPCS (J) 2003

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

221. 'A' was on his journey by car from Delhi to Agra 'B' met him in the way and requested for a lift up to Mathura, an intermediate town. 'A' acceded to his request, but on reaching Mathura, did not drop 'B' there in spite of his repeated requests 'B' was carried over to Agra against his wishes./'अ' कार से दिल्ली से आगरा तक की यात्रा पर था। 'ब' उसे रास्ते में मिला तथा बीच के नगर मथुरा तक लिफ्ट देने के लिए प्रार्थना की। 'अ' ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया परन्तु मथुरा आने पर उसके बार-बार प्रार्थना करने पर भी 'ब' को वहां नहीं उतारा। 'ब' को उसकी इच्छा के विरुद्ध आगरा तक जाना पड़ा।

(a) 'A' is not guilty of any offence/'अ' किसी भी अपराध का दोषी नहीं है

(b) 'A' is guilty of offence of abduction/'अ' अपहरण के अपराध का दोषी है

(c) 'A' is guilty of offence of wrongful confinement/'अ' सदोष परिरोध के अपराध का दोषी है

(d) 'A' is guilty of using criminal force/'अ' आपराधिक बल प्रयोग करने का दोषी है

UP (APO) 2006

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

222. To prevent his wife from going out, her husband stopped the door of the wife's room from outside. What crime has he committed?
अपनी पत्नी को बाहर जाने से रोकने हेतु उसके पति ने पत्नी के कमरे के दरवाजे की बाहर से सिटकनी बंद कर दी। उसने कौन-सा अपराध किया है?

(a) Wrongful restraint / सदोष अवरोध

(b) Wrongful confinement / सदोष परिरोध

(c) Mischief / रिष्टि

(d) No offence has been committed / कोई अपराध नहीं किया

Rajasthan (APO) 2015

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

223. In which of the conditions the act will not be wrongful confinement?/ किन परिस्थितियों में कोई कार्य सदोष परिरोध नहीं होगा?

(a) Circumscribing limits/परिसीमाएँ

(b) Malice/दुर्भाव

(c) Moral force/नैतिक बल

(d) Mistaken exercise of power / शक्ति का भूलवश प्रयोग

UGC (NET) November, 2017 Paper-III

Ans. (b) :दुर्भाव (Malice) सदोष परिरोध के अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है। अतः दुर्भाव (विद्वेष) से किये गये कार्य से सदोष परिरोध नहीं होगा। जबकि निश्चित परिसीमा, नैतिक बल तथा शक्ति का भूल वश प्रयोग सदोष परिरोध की संरचना करते हैं।

224. A police officer arrested a person without warrant who was drunk and creating disturbance in a public street. The action of police amounts to/ एक पुलिस अधिकारी ने एक व्यक्ति को, जो सार्वजनिक गली में शराब पीकर गड़बड़ी मचा रहा था, बिना वारण्ट के गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का यह कृत्य है।

(a) Detention/नजरबन्दी

(b) Wrongful confinement/सदोष परिरोध

(c) Wrongful restrain/सदोष अवरोध

(d) None of them/उपर्युक्त में से कोई नहीं

UGC (NET) September, 2013 Paper-III

Ans. (b) : प्रस्तुत समस्या में पुलिस का यह कृत्य यह सदोष परिरोध करने का है।
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 340 के अनुसार- जो कोई किसी व्यक्ति का इस प्रकार सदोष अवरोध करता है कि उस व्यक्ति को निश्चित परिसीमा से परे जाने से निवारित कर दे वह उस व्यक्ति का सदोष परिरोध करता है।
उक्त प्रश्न के तथ्य **गोपाल नायडू (1922)46 मद्रास 605** के वाद पर आधारित है।

225. A Jail doctor confined a prisoner in a cell to administer enema against his will. He is guilty of
जेल का एक चिकित्सक एक बन्दी को उसकी सहमति के बिना एनीमा देने के लिए कोठरी में बन्द करता है। वह दोषी है -

(a) No offence/किसी भी अपराध के लिए नहीं
(b) Kidnapping/व्यपहरण के लिए
(c) Wrongful confinement/सदोष परिरोध के लिए
(d) Wrongful restraint/सदोष अवरोध के लिए

UP (APO) 2007 (Special)

Ans: (c) प्रस्तुत समस्या में जेल के चिकित्सक ने भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 340 में परिभाषित सदोष परिरोध किया है। प्रस्तुत समस्या के तथ्य वी0सी0 शाहा (1902) 30 कलकत्ता 95 के मामले के तथ्यों के समान हैं। इस वाद में जेल में कारावास की अवधि व्यतीत कर रहे कैदी को उसकी इच्छा के विरूद्ध एनिमा लगाने को सदोष परिरोध माना गया। अतः जेल के चिकित्सक ने कैदी का सदोष परिरोध किया है।

226. For the offence of wrongful confinement there must be circumscribing limits which may be:
सदोष परिरोध के अपराध के लिए यह आवश्यक है कि सीमाओं को सीमाबद्ध किया जाए जो कि–

(a) Large or narrow boundary/वृहद् अथवा सीमित सीमा हो
(b) Visible or tangible area/दृष्टव्य अथवा मूर्त हो
(c) Movable or fixed territory/चल अथवा स्थिर क्षेत्र
(d) All of above/उपर्युक्त सभी

UGC (NET) December, 2011

Ans. (d) : भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 340 में सदोष परिरोध के अपराध की परिभाषा दी गयी है तथा धारा 342 में इसके लिए दण्ड का प्रावधान किया गया है।

सदोष परिरोध के अपराध का आवश्यक तत्व-

(A) एक व्यक्ति का सदोष तरीके से अवरोध होना चाहिए
(B) ऐसा अवरोध उस व्यक्ति को कतिपय निश्चित परिसीमा के परे आगे बढ़ने से रोके
(C) अवरोध पूर्ण होने चाहिए।

227. In which Section of the Indian Penal Code the Punishmet for 'wrongful restraint' has been provided?
भारतीय दण्ड संहिता की किस धारा में 'सदोष अवरोध' के लिए दण्ड का प्रावधान किया गया है?

(a) Section 340/ धारा 340
(b) Section 341/ धारा 341
(c) Section 342/ धारा 342
(d) Section 360/ धारा 360

Bihar (APO) 2020

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा 339** में परिभाषित सदोष अवरोध के लिए **धारा 341** में दण्ड का प्रावधान किया गया है, धारा 341 निम्नवत् है-

जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करेगा वह सादा कारावास से जिसकी अवधि एक माह तक हो सकेगी,या जुर्माने से जो पाँच सौ रूपये तक का हो सकेगा,या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

228. Choose incorrect pair/गलत जोड़ी चुनिए:

(a) Punishment for wrongful confinement- Sec 341
/सदोष परिरोध के लिए दण्ड - धारा 341
(b) Criminal force - Sec 350
/आपराधिक बल - धारा 350
(c) Abduction - Sec 362
/अपहरण - धारा 362
(d) Assault - Sec 351
/हमला - धारा 351

MP (ADPO) 1997

Ans : (a) सदोष परिरोध के लिए दण्ड का प्रावधान भा0दं0सं0 की धारा 342 में किया गया है। जबकि धारा 341में सदोष अवरोध के लए दण्ड का प्रावधान किया गया है अतः विकल्प (a) गलत जोड़ी है।

229. Under which Section of IPC punishment for 'wrongful confinement' is provided?
भारतीय दण्ड संहिता की किस धारा में 'सदोष परिरोध' का दण्ड निर्धारित है?

(a) Section 339/धारा 339 (b) Section 340/धारा 340
(c) Section 341/धारा 341 (d) Section 342/धारा 342

MP (ADPO) 2010 Paper-II
MPHC CJ 2018 Shift I

Ans.(d): भारतीय दण्ड संहिता की धारा 342 में सदोष परिरोध के लिए दण्ड का प्रावधान किया गया है।

धारा 342 के अनुसार जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि **एक वर्ष तक की हो सकेगी या 1000 रुपये तक के जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा ।**

230. The restrainment of a person in a place or compelling the person to go in a particular direction with an exterior motive will amount to:
किसी बाह्य उद्देश्य से किसी व्यक्ति के किसी स्थान में प्रवेश करने पर रोक लगाना या किसी विशेष दिशा में जाने के लिए मजबूर करना माना जाएगा:

(a) visit to shrine/किसी पूजास्थल का दौरा
(b) custodial imprisonment/अभिरक्षात्मक कारावास
(c) wrongful confinement/सदोष परिरोध
(d) confinement against the will of a person to administer enema by the doctor/डॉक्टर द्वारा एनिमा दिए जाने के लिए किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध परिरोध

UGC (NET) July, 2016 Paper-III

Ans. (c) : नानूराम बनाम मध्यप्रदेश राज्य, 1995 क्रि.ला.ज. 1870, के अनुसार, विवाध्यता के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट दिशा की ओर चलने के लिए बाध्य करना धारा 340 में सदोष परिरोध का अपराध है।

आपराधिक बल एवं हमले (धारा 349-358)

231. Which one of the following provision of Indian Penal Code relates to "Criminal Force"?
भारतीय दण्ड संहिता की निम्न में से कौन-सी धारा आपराधिक बल से संबंधित है?

(a) Section 349/धारा 349
(b) Section 350/धारा 350
(c) Section 351/धारा 351
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

Chhattishgarh (J) 2020

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 350 में आपराधिक बल का प्रावधान किया गया है। धारा 350 के अनुसार, जो कोई किसी व्यक्ति पर उस व्यक्ति की सम्मति के बिना बल का प्रयोग किसी अपराध को करने के लिए या उस व्यक्ति को, जिस पर बल का प्रयोग किया जाता है, क्षति, भय या क्षोभ, ऐसे बल के प्रयोग से कारित करने के आशय से, या ऐसे बल के प्रयोग से सम्भाव्यत: कारित करेगा, यह जानते हुए साशय करता है, वह उस अन्य व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है, यह कहा जाता है।

232. 'A' is sitting in a moved boat on a river. 'B' unfastens the rope without A's consent and thus intentionally causes the boat to drift down the river. 'B' has committed the offence of:
'अ' नदी के किनारे रस्सी से बंधी हुई नाव पर बैठा है, 'ब' बिना 'अ' की सम्मति के रस्सी को खोल देता है और इस प्रकार नाव को साशय धारा में बहा देता है। 'ब' ने अपराध किया है:

(a) Mischief/रिष्टि का
(b) Assault/हमला का
(c) Nuisance/उपताप (कंटक) का
(d) Criminal force/आपराधिक बल का
(e) None of these/इनमें से कोई नहीं

Chhattishgarh (ADPO) 2013

Ans. (d) : प्रस्तुत समस्या में 'B' ने भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा-350 के अन्तर्गत 'आपराधिक बल' का प्रयोग किया है। **यह समस्या धारा-350 के दृष्टांत-A पर आधारित है।**

संहिता की धारा-350 के अनुसार–जो कोई किसी व्यक्ति पर उस व्यक्ति की सम्मति के बिना बल का प्रयोग–
(1) किसी अपराध को करने के लिए या
(2) उस व्यक्ति को, जिस पर बल का प्रयोग किया जाता है, क्षति, भय या क्षोभ कारित करने के आशय से
बल प्रयोग करता है, उस व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है, यह कहा जाता है।

233. 'A' incites a dog to spring upon 'Z' without Z's consent with the intention to annoy 'Z', Here 'A' has committed on offence of
'क' एक कुत्ते को 'Z' की बिना सहमति के उसे Z के ऊपर कूदने को उकसाता है ताकि 'Z' को कष्ट हो। 'क' ने निम्न में कौन अपराध किया है?

(a) Criminal force/आपराधिक बल
(b) Criminal assault/आपराधिक हमला
(c) Grievous hurt/गंभीर उपहति
(d) Defamation/मानहानि

UPPCS (J) 2015
MPHC CJ 2013 Shift II
JPSC (APO) 2012
UP (APO) 2006
Bihar (APO) 2020
MP (ADPO) 2010 Paper II
MP (ADPO) 2016
Uttrakhand (J)2006, 2015

Ans. (a) : प्रस्तुत समस्या में A ने भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 350 के अन्तर्गत आपराधिक बल का प्रयोग किया है। यह समस्या धारा 350 के दृष्टांत (h) पर आधारित है। धारा 350 के अनुसार, जो कोई किसी व्यक्ति पर उस व्यक्ति के सम्मति के बिना बल का प्रयोग किसी अपराध को करने के लिए या उस व्यक्ति को, जिस पर बल का प्रयोग किया जाता है, क्षति, भय या क्षोभ, ऐसे बल के प्रयोग से कारित करने के आशय से, या ऐसे बल के प्रयोग से सम्भाव्यत: कारित करेगा, यह जानते हुए साशय करता है, वह उस अन्य व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है, यह कहा जाता है।

234. 'A' was riding on a horse 'B' in order to scare him, whips his horse and the horse knocks him down. Has 'B' committed any offence?
'अ' एक घोड़े पर सवारी कर रहा था। 'ब' उसे डराने के उद्देश्य से, उसके घोड़े को चाबुक मारता है और घोड़े ने उसे गिरा दिया। क्या 'ब' ने कोई अपराध किया है?

(a) Force/बल
(b) Criminal Force/आपराधिक बल
(c) Trivial act/तुच्छ कृत्य
(d) did not commit any offence/कोई अपराध नहीं किया

Rajasthan (APO) 2015

Ans. (b) : प्रस्तुत समस्या में B ने भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 350 के अन्तर्गत आपराधिक बल का प्रयोग किया है। भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 350 के अनुसार जो कोई किसी व्यक्ति पर उस व्यक्ति की सम्मति के बिना बल का प्रयोग किसी अपराध को करने के लिए या उस व्यक्ति को जिस पर बल का प्रयोग किया जाता है, क्षति, भय या क्षोभ ऐसे बल के प्रयोग से कारित करने के आशय से या ऐसे बल के प्रयोग से सम्भाव्यत: कारित करेगा यह जानते हुए साशय करता है वह उस अन्य व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है, यह कहा जाता है।

235. Which one of the following is not an illustration of criminal force?
निम्नलिखित में से कौन आपराधिक बल का उदाहरण नहीं है?

(a) A spits over B.
A, B के ऊपर थूकता है
(b) A removes the veil of a lady B causing annoyance to her.
A एक महिला B का घूँघट हटा देता है, जिससे उसे क्षोभ होता है
(c) A shakes his fist at B.
A, अपना मुक्का B की तरफ हिलाता है।

(d) A pours boiling water in the bucket from which B was bathing.
A, उस बाल्टी में उबलता पानी डाल देता है, जिससे B नहा रहा था।

UPPCS (J) 2012

Ans. (c) : A, B के ऊपर थूकता है, A एक महिला B का घूँघट हटा देता है, जिससे उसे क्षोभ होता है, तथा A उस बाल्टी में उबलता पानी डाल देता है, जिससे B नहा रहा था। ये सभी दृष्टान्त भारतीय दण्ड संहिता की धारा 350 में **आपराधिक बल के दृष्टान्त हैं** जबकि A का B की ओर मुक्का हिलाना संहिता की धारा 351 (a) के दृष्टान्त के अधीन हमला का दृष्टान्त है।

236. 'A' intentionally pulls up a woman's veil in order to annoy her. 'A' commits :
'अ' साशय एक स्त्री को क्षुभित करने के इरादे से उसके चेहरे पर पड़ा घूंघट हटा देता है। 'अ' दोषी है

(a) Wrongful restraint/सदोष अवरोध का
(b) Assault/हमले का
(c) Criminal force/आपराधिक बल प्रयोग करने का
(d) Defamation/मानहानि का

UP (APO) 2015
Uttrakhand (J) 2008, 2016
Chhattishgarh (ADPO) 2008

Ans. (c) : प्रस्तुत समस्या में A आपराधिक बल का प्रयोग करने के अपराध का दोषी है। यह समस्या धारा 350 के दृष्टांत (f) पर आधारित है। A, स्त्री का घूंघट साशय हटाता है। यहाँ पर A ने उस पर साशय बल का प्रयोग किया है और यदि उसने उस स्त्री की सम्मत्ति के बिना यह कार्य यह आशय रखते हुए या संभाव्य जानते हुए किया है कि उससे उसको क्षति, भय या क्षोभ उत्पन्न हो तो उसने उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है और वह आपराधिक बल के प्रयोग का दोषी होगा।

237. A spits over B, A would be liable for the offence of-
A ने B पर थूक दिया है। A किस अपराध के लिए उत्तरदायी होगा

(a) Annoyance/क्षोभ के लिए
(b) Assault/हमले के लिए
(c) Using criminal force/आपराधिक बल प्रयोग के लिए
(d) Defamation/मानहानि के लिए

Uttarakhand (J) 2002
Uttarakhand (APO) 2009

Ans. (c) : A ने B के ऊपर थूक दिया जिससे B को क्षोभ होता है इसलिए A आपराधिक बल के प्रयोग के लिए दायी होगा। आपराधिक बल को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 350 में परिभाषित किया गया है, जिसके निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं-
1. किसी व्यक्ति पर बल का एक आशयपूर्ण प्रयोग अवश्य होना चाहिए।
2. ऐसा बल उस व्यक्ति की सहमति के बिना प्रयोग किया जाना चाहिए।
3. बल का प्रयोग-
(a) किसी अपराध को कारित करने के लिए, या
(b) उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध यह प्रयोग किया गया है उपहति, भय या क्षोभ कारित करने के आशय से किया जाना चाहिए।

238. 'A' shakes his fist at Z, intending or knowing it to be likely that he may thereby cause Z to believe that 'A' is about to strike Z, A has.
'Z' पर अपना मुक्का 'A' इस आशय से यह संभाव्य जानते हुये हिलाता है कि उसके द्वारा 'Z' को यह विश्वास हो जाये कि 'A', 'Z' को मारने वाला ही है। 'A' ने - - -

(a) Committed force/बल प्रयोग किया है
(b) Committed assault/हमला किया है
(c) Committed grave provocation/गंभीर प्रकोपन किया है
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

Chhattishgarh (J) 2019
UP APO 2007

Ans. (b) : प्रस्तुत समस्या में A ने हमला किया है। प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 351 के दृष्टान्त (a) पर आधारित है। जो कोई, कोई अंग विक्षेप या कोई तैयारी इस आशय से करता है या सम्भाव्य जानते हुए करता है कि ऐसे अंगविक्षेप या ऐसी तैयारी करने से किसी उपस्थित व्यक्ति को यह आशंका हो जाय कि जो वैसा अंगविक्षेप या तैयारी करता है। केवल शब्द हमले की कोटि में नहीं आते हैं।

239. A एक हिंसक कुत्ते की मुखबन्धीन इस आशय से यह सम्भाव्य जानते हुए खोलना आरम्भ करता है कि उसके द्वारा B को यह विश्वास हो जाये कि वह B पर कुत्ते से आक्रमण कराने वाला है। A दोषी है

(a) हमले का (b) आपराधिक बल का
(c) सदोष अवरोध का (d) साधारण उपहति का

BPSC (APO) 2009

Ans : (a) प्रस्तुत समस्या में A ने भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 351 के अन्तर्गत हमला का प्रयोग किया है। प्रस्तुत समस्या धारा 351 के दृष्टांत (b) पर आधारित है।

240. 'A' takes up a stick saying to 'B', "I will give you a beating", Point out which of the offence if any mentoned below has been committed by 'A'?/ 'ख' से यह कहते हुए कि 'मै तुम्हें पीटूँगा' 'क' एक छड़ी उठा लेता है। निर्दिष्ट करे कि निम्न में से कौन सा अपराध, यदि कोई हो तो 'क' द्वारा कारित किया गया है?

(a) Criminal Intimidation/आपराधिक अभित्रास
(b) Assault/हमला
(c) No offence/कोई अपराध नहीं
(d) Attempt to commit hurt/उपहति करने का प्रयत्न

UP (APO) 2011

Ans. (b) : प्रश्नगत समस्या भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 351 के **दृष्टांत (c)** पर आधारित है। यहाँ पर A हमला के अपराध का दोषी होगा।

241. Making his point, 'A' waved his stick at 'B' to kill him, what offence did 'A' commit?
अपनी त्योरी चढ़ाते हुए, 'अ' ने 'ब' को मारने हेतु उस पर अपनी छड़ी लहराई, 'अ' ने कौन-सा अपराध किया है?

(a) Did not commit any offence/कोई अपराध नहीं किया

(b) Foce /बल
(c) Criminal force/आपराधिक बल
(d) Assault/हमला

Rajasthan (APO) 2015

Ans. (d) : प्रस्तुत समस्या में A ने भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 351 के अन्तर्गत हमला का का अपराध किया है। यह समस्या धारा 351 के दृष्टांत (c) पर आधारित है।

242. Which of the following is not an illustration of assault?
निम्न में से कौन 'हमला' का दृष्टान्त नहीं है?

(a) 'A' takes up a stick saying to 'B', "I will beat you"/'अ', 'ब' से यह कहते हुए ''मैं तुम्हें पीटूंगा'' एक छड़ी उठा लेता है।
(b) 'A' threatens 'B' to see him later on/'अ', 'ब' को बाद में देख लेने की धमकी देता है।
(c) 'A' medically examines a woman 'B' without her consent/'अ', एक महिला 'ब' का उसकी सहमति के बिना चिकित्सा परीक्षण करता है।
(d) 'A' throws brickbats into the house of 'B'/ 'अ', 'ब' के घर में ईंट पत्थर फेका।

UP (APO) 2007

Ans : (b) A, B को बाद में देख लेने की धमकी देता है यह हमला के अपराध का दृष्टान्त नहीं है जबकि शेष सभी हमला के अपराध के दृष्टान्त हैं। भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 351 के स्पष्टीकरण के अनुसार,** केवल शब्द हमले की कोटि में नहीं आते किन्तु जो शब्द कोई व्यक्ति प्रयोग करता है वे उसके अंग विक्षेप या तैयारियों को ऐसा अर्थ दे सकते हैं जिनसे ये अंग विक्षेप या तैयारियां हमले की कोटि में आ जाये।

243. Which one of the following is not an illustration of criminal force?
निम्न में से कौन आपराधिक बल का दृष्टांत नहीं है?

(a) A shakes his fist at B/अ अपना मुक्का ब की तरफ हिलाता है
(b) A spits over B/अ, ब के ऊपर थूकता है
(c) A removes the veil of a lady B without her consent/अ एक महिला ब का घूंघट बिना उसकी सहमति के उठा देता है।
(d) A tortures his tenant B in order to compel him to pay his rent/अ अपने किरायेदार ब को किराया अदा करने के लिए विवश करने के उद्देश्य से यातना पहुँचाता है।

UP (APO) 2007 (Special)

Ans: (a) A अपना मुक्का B की तरफ हिलाता है यह दृष्टान्त आपराधिक बल का नहीं अपितु हमला के अपराध का है। जबकि शेष सभी आपराधिक बल के दृष्टान्त हैं।

244. 'Assault' under Section 351 of the Indian Penal Code can be caused by
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 351 के अंतर्गत 'हमला' कारित किया जा सकता है।

(a) gestures only/केवल भावभंगिमा से
(b) preparation only/केवल तैयारी से
(c) mere words/शब्दों से
(d) gestures or any preparation/भावभंगिमा या कोई तैयारी से

Bihar (APO) 2020
Uttrakhand (J) 2011

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 351 में परिभाषित हमला अंगविक्षेप (gesture) या तैयारी के द्वारा किया जा सकता है। हमला के अपराध के लिए आवश्यक है -
1- किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की उपस्थिति में कोई अंगविक्षेप या तैयारी करना तथा
2- इस सम्भाव्यता का आशय अथवा ज्ञान कि वह उपस्थित व्यक्ति उस अंगविक्षेप या तैयारी से यह आशंका कर सकता है कि अंगविक्षेप या तैयारी करने वाला व्यक्ति उसके विरूद्ध ''आपराधिक बल'' का प्रयोग करने वाला है।

245. Assault cannot be caused by :
हमला नहीं किया जा सकता है-

(a) mere gestures/अंगविक्षेप मात्र से
(b) mere words/शब्द मात्र से
(c) mere preparation/तैयारी मात्र से
(d) All the above/उपर्युक्त सभी से

Jharkhand (J) 2016
MPHC CJ 2006

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 351 के अन्तर्गत हमला का अपराध केवल शब्दों के प्रयोग से नहीं किया जा सकता है। धारा 351 के स्पष्टीकरण के अनुसार केवल शब्द हमले की कोटि में आते नहीं किन्तु जो शब्द कोई व्यक्ति प्रयोग करता है वे उसके अंगविक्षेप या तैयारियों को ऐसा अर्थ दे सकते हैं जिससे वे अंगविक्षेप या तैयारियां हमले की कोटि में आ जाएं।

246. The apprehension of the use of criminal force must be from the person making the gesture, but if it arises from some other person, then what offence, if any, has been caused?/आपराधिक बल के प्रयोग की आशंका भंगिमा करने वाले व्यक्ति से ही होनी चाहिए, परन्तु यदि यह किसी अन्य व्यक्ति से होता है, तो कौन सा अपराध, यदि कोई हो, कारित होता है?

(a) Common intention to cause assault
हमला करवाने का समान आशय
(b) Common object to cause assault
हमला करवाने का समान उद्देश्य
(c) Criminal force/आपराधिक बल
(d) No offence/कोई अपराध नहीं

UGC (NET) July, 2016 Paper-III

Ans. (d) **:** आपराधिक बल के प्रयोग की आशंका हाव भाव या तैयारी करने वाले व्यक्ति से ही होनी चाहिए, यदि यह कोई अन्य व्यक्ति करेगा तो कोई अपराध गठित नहीं करेगा।

247. Assult in order to outrage the modesty of a woman is punishable under
महिला की लज्जा भंग करने सम्बन्धी हमला दण्डनीय है-

(a) Section 363, I.P.C.
भा0दं0सं0 की धारा 363 के अन्तर्गत
(b) Section 509, I.P.C.
भा0दं0सं0 की धारा 509 के अन्तर्गत
(c) Section 511, I.P.C.
भा0दं0सं0 की धारा 511 के अन्तर्गत
(d) Section 354, I.P.C.
भा0दं0सं0 की धारा 354 के अन्तर्गत

UPPCS (J) 2006, 2012
UP (APO) 2007
MP (ADPO) 2010 Paper II

Ans. (d) : महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला भारतीय दण्ड संहिता 354 के अन्तर्गत दण्डनीय है। **धारा 354** के अनुसार, जो कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से या यह सम्भाव्य जानते हुए कि तद्द्वारा वह उसकी लज्जा भंग करेगा, उस स्त्री पर हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, वह दोनों में से, किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दण्डित किया जायेगा।
दण्ड विधि संशोधन अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत धारा 354 में संशोधन करके कारावास की सजा जो कम से कम एक वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दण्डित किया जायेगा, का प्रावधान किया गया। यह एक गैर-जमानतीय संज्ञेय अपराध है।

248. 'A' entered in the room of a girl aged about two years, who was sleeping, and injured her private parts. In this case/'क' ने लगभग दो वर्ष की एक बालिका जो सो रही थी, के कमरे में घुसकर उसके गुप्तांगों को क्षति पहुँचाई। इस मामले में :

(a) 'A' has committed no offence/'क' ने कोई अपराध नहीं किया है
(b) 'A' is guilty of an offence under Section 354 I.P.C./'क' ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 के अधीन अपराध कारित किया है
(c) 'A' is guilty of rape/'क' बलात्संग का दोषी है
(d) 'A' is guilty of house-trespass/'क' गृह अतिचार का दोषी है

MP (ADPO) 2009 Paper-II

Ans.(b): प्रस्तुत मामले में 'A' ने भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 354 के अधीन अपराध किया है। **पंजाब राज्य बनाम मेजर सिंह** (AIR 1967 SC) के वाद में अभियुक्त ने एक घर में प्रवेश करके साढ़े सात माह की बालिका पर जो सो रही थी अश्लील आक्रमण किया। वह इस धारा के अन्तर्गत अपराधी घोषित किया गया, क्योंकि उसने न केवल उस बालिका की लज्जा ही भंग की वरन् जो कुछ भी लज्जा वह नन्ही बालिका संजोये थी उसे भंग करने का उसका आशय भी था।

249. 'Sexual harassment' as offence under I.P.C. was added by which of the Criminal Amendment Act?
'लैंगिक उत्पीड़न' को अपराध के रूप में भारतीय दण्ड संहिता में किस आपराधिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया?

(a) 2013/2013
(b) 2018/2018
(c) by both (a) and (b) /(a) एवं (b) दोनों
(d) None of the above/उक्त में से कोई नहीं

UP (HESC) 2021

Ans. (a) : 'लैंगिक उत्पीड़न' को अपराध के रूप में भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में वर्ष 2013 में दण्ड विधि संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 (2013 का 13) की धारा 7 द्वारा धाराएं 354 A, 354 B, 354 C तथा 354 D अन्तः स्थापित (Inserted) किया गया। यह 3 फरवरी 2013 से लागू है।

250. A man has committed physical contact involving unwelcome sexual overture against a female. What offence has been caused by him under IPC?
एक पुरुष अवांछित यौन प्रस्ताव के साथ महिला से शारीरिक सम्पर्क करता है। उसने आई.पी.सी. के अंतर्गत, किस प्रकार का अपराध किया है?

(a) Requesting for sexual favour as per Sec.354-A(1)(ii)/धारा 354क (1)(i) के अनुसार यौन संबंध के लिए अनुरोध
(b) Sexual harassment as per Sec.354A(1)(i) धारा 354 (1)(i) के अनुसार यौन शोषण
(c) Out-raging of modesty as per Sec.354/धारा 354 के अनुसार शालीनता का अतिक्रमण करने
(d) Attempt to rape as per Sec.370(A)/धारा 370-A के अनुसार बलात्कार करने का प्रयास

UGC (NET) December, 2014 Paper-II

Ans. (b) : एक पुरूष जो अवांछित यौन प्रस्ताव के साथ महिला से शारीरिक सम्पर्क करता है वह पुरूष लैंगिक उत्पीड़न (यौन शोषण) के अपराध का दोषी होगा।
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354-A लैंगिक को परिभाषित करती है इसके अनुसार-ऐसा कोई निम्नलिखित कार्य, अर्थात्-
(i) शारीरिक सम्पर्क और अग्रक्रियाएं करने, जिनमें अवांछनीय और लैंगिक संबंध बनाने संबंधी स्पष्ट प्रस्ताव अन्तवर्लित हों, या
(ii) लैंगिक स्वीकृति की मांग या अनुरोध करने या
(iii) किसी स्त्री की इच्छा के विरूद्ध बलात् अश्लील् साहित्य दिखाने या
(iv) लैंगिक आभासी टिप्पणियाँ करने
वाला पुरूष लैंगिक उत्पीड़न के अपराध का दोषी होगा।
धारा 354A (2) के अनुसार-ऐसा कोई पुरूष, जो उपधारा (1) के खण्ड (i) या खण्ड (ii) या खण्ड (iii) में विनिर्दिष्ट अपराध करेगा वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जायेगा।
धारा 354A (3) के अनुसार-ऐसा कोई पुरूष, जो उपधारा (1) के खण्ड (iv) में विनिर्दिष्ट अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

251. A demand or request for sexual favour from a woman is punishable offence under Indian Penal Code 1860, under :
किसी स्त्री से लैंगिक अनुग्रह के लिए मांग या अनुरोध भारतीय दण्ड संहिता 1860 में दण्डनीय अपराध है-

(a) Section 354A/धारा 354A में
(b) Section 354B/धारा 354B में
(c) Section 354C/धारा 354C में
(d) Section 354D/धारा 354D में

Uttarakhand (J) 2015
Chhatisgarh (J) 2020

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 354A के अन्तर्गत किसी स्त्री से लैंगिक अनुग्रह के लिए मांग या अनुरोध करना लैंगिक उत्पीड़न का अपराध गठित करता है।
धारा 354B - विवरण करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।

धारा 354C - दृश्यरतिकता।
धारा 354D - पीछा करना।
उपर्युक्त धाराएं दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 द्वारा अन्तः स्थापित की गई।

252. Which of the following section of Indian Penal Code is related to the offence of "Voyeurism"?
भारतीय दण्ड संहिता की निम्न में से कौन-सी धारा ''दृश्यरतिकता'' के अपराध से संबंधित है?

(a) 354A/354ए (b) 354B/354बी
(c) 354C/354सी (d) 354D/354डी

MPHC CJ 2014,2018
MP(HJS) 2014
Rajsthan (APO)2015

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में दृश्यरतिकता को धारा 354(**c**) में दण्डनीय बनाया गया है। कोई पुरूष, जो प्राइवेट कार्य में संलग्न स्त्री को उन परिस्थितियों में देखेगा या का चित्र खींचेगा, जहाँ उसे सामान्यतया या तो अपराधी द्वारा या अपराधी की पहल पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा देखे न जाने की प्रत्याशा होगी, या ऐसे चित्र को प्रसारित करेगा, प्रथम दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से न्यून न होगी, किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा एवं जुर्माने से भी दण्डनीय होगा और द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से न्यून नहीं होगी, किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

253. Under which one of the following Section of the Indian Penal Code the offence of 'Voyeurism' has been defined?
भारतीय दण्ड संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा में 'दृश्यरतिकता' को परिभाषित किया गया है?

(a) Section 354-A/धारा 354-क में
(b) Section 354-B/धारा 354-ख में
(c) Section 354-C/धारा 354-ग में
(d) Section 354-D/धारा 354-घ में

UP PCS (J) 2018
UP (APO) 2018
Uttarakhand (J) 2019

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 354-C में दृश्यरतिकता को परिभाषित किया गया है। धारा 354-C के अनुसार ऐसा कोई पुरुष किसी प्राइवेट कार्य में संलग्न स्त्री को देखेगा या चित्र खीचेंगा या ऐसे चित्र को प्रसारित करेगा, वह इस धारा के तहत दृश्यरतिकता के अपराध का दोषी होगा।

254. C being the wife of B, has obtained a decree of separation from the competent Court but they are still living in the same premises. B subjects C to intercourse. Their neighbour A watchesthe act and files an FIR. Which proposition is correct in these circumstanes–
सी ने बी की पत्नी रहते हुए सक्षम न्यायालय से पृथक्करण की डिक्री प्राप्त कर ली है परन्तु वे अभी भी एक ही परिसर में रह रहें हैं। बी, सी के साथ संभोग करता है। ए, जो कि उनका पड़ौसी है, यह कृत्य देखता है और एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाता है। इन परिस्थितियों में कौन-सा कथन सही है–

(a) B is guilty of the offence punishable under Section 376-B IPC./बी, धारा 376-ख भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का दोषी है।
(b) B is not guilty of any offence because C continues to be his legally wedded wife./बी, किसी भी अपराध का दोषी नहीं है क्योंकि सी निरन्तर उसकी वैध विवाहिता पत्नी है।
(c) A would be guilty of the offence punishable under Section 354-C IPC./ए, धारा 354-ग भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का दोषी होगा।
(d) None of the above./उपरोक्त में से कोई नहीं।

Rajasthan (J) 2017

Ans. (c) : प्रस्तुत समस्या में 'A' भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354-C के प्रभाव से दृश्यरतिकता के अपराध का दोषी होगा। प्रस्तुत समस्या में A का कृत्य दृश्यरतिकता के अपराध का गठन करता है। A प्राइवेट कृत्य में लगी स्त्री को देखता है और F.I.R. कर उसके (C एवं D) के कृत्य का प्रकाशन करता है अतः वह दृश्यरतिकता का अपराध करता है।

255. When a woman was taking bath in her bathroom, "X" captures the image in his mobile and upload it on her facebook page. What offence has been committed by "X"?
जब एक महिला अपने स्नानघर में स्नान कर रही थी तो उसी समय "X" ने अपने मोबाइल से उसकी फोटो खींच ली और उसके फेसबुक पेज पर डाल दी। यहाँ X ने अपराध किया है-

(a) Sexual assault/लैगिंक उत्पीड़न का
(b) Insulting the modesty of a woman/किसी स्त्री की लज्जा के अनादर का
(c) Voyeurism/दृश्यरतिकता (वोयुरिज्म) का
(d) Stalking/पीछा करना (स्टाकिंग) का

Uttarakhand (J) 2015

Ans. (c) : प्रस्तुत समस्या में "X" ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354-C के अन्तर्गत दृश्यरतिकता (voyeurism) का अपराध किया। इस धारा के अनुसार, ऐसा कोई पुरुष, जो किसी प्राइवेट कृत्य मे लगी स्त्री को एकटक देखेगा या उसका चित्र खीचेंगा अथवा प्रसारित करेगा, **प्रथम दोषसिद्धि** पर दोनों में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु तीन वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से भी दण्डित किया जायेगा। **द्वितीय दोषसिद्धि** पर, दोनों में से किसी भाँति का कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से भी दण्डित किया जायेगा।
यह धारा दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम 2013 द्वारा अन्तःस्थापित की गई।

256. When a women was taking bath in her bathroom, X captures the image in this mobile. What offence has been committed by X.
जब एक महिला अपने स्नानघर में स्नान कर रही थी तो उसी समय X ने अपने मोबाइल से उसकी फोटो खींच ली। यहां X ने अपराध किया है।

(a) Sexual assault/लैंगिक उत्पीड़न
(b) Insulting the modesty of a women/किसी स्त्री की लज्जा के अनादर

(c) Voyeurism/दृश्यरतिकता
(d) Stalking/पीछा करना

MP CJ 2021

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

257. Where a man secretly capture images of a woman who was using washroom for changing her clothes, will be guilty for the offence under Indian Penal Code under
जहाँ एक पुरुष किसी महिला का जो वाशरूम में अपने कपड़े बदल रही थी, का चित्र गुप्त रूप से खींच लेता है, भारतीय दण्ड संहिता की निम्न में से किस धारा के अपराध के लिए उत्तरदायी होगा?
(a) Section 354-C/धारा 354-ग में
(b) Section 354 /धारा 354 में
(c) Section 354-B/धारा 354-ख में
(d) Section 354-D/धारा 354-घ में

Uttarakhand (APO) 2015

Ans. (a) : किसी पुरुष द्वारा किसी महिला का जो वाशरूम में अपने कपड़े बदल रही थी, का चित्र खींचना भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354-C में परिभाषित दृश्यरतिकता (voyeurism) का अपराध होता है।

258. The Criminal Law (Amendment) Act, 2013 has inserted four new sections after section 354 of the Penal Code. One of the newly inserted sections deals with Voyeurism. Mark the Section:
दण्ड विधि संशोधन अधिनियम, 2013 द्वारा दण्ड संहिता की धारा 354 के पश्चात् चार नई धाराएँ अन्तःस्थापित की गई हैं, अतंःस्थापित की गई नयी धाराओं में से एक दृश्यरतिकता के विषय में है। उस धारा को चिन्हित करें-
(a) section 354 A/धारा 354 A
(b) section 354 B/धारा 354 B
(c) section 354 C/धारा 354 C
(d) section 354 D/धारा 354 D

UP (HJS) 2018 Part-I

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

259. Voyeurism has been criminalized in India by virtue of which amendment to IPC?
भारतीय दण्ड संहिता के कौन-से संशोधन के रूप में दर्शनरित (Yoyeurism) को अपराधीकरण कर दिया गया है?
(a) 2015 (b) 1983
(c) 1870 (d) 2013

Chhattishgarh (J) 2015

Ans. (d) : दण्ड विधि संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 के पश्चात् धारा 354A, 354B, 354C, 354D को जोड़ा गया जो कि निम्नवत् हैं–
(i) 354 A – लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दण्ड।
(ii) 354 B – विवरण करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।
(iii) 354 C – दृश्यरतिकता
(iv) 354 D – पीछा करना

75. Under Indian Penal Code stalking as an offence has been added by
भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत पीछा करने को अपराध के रूप में जोड़ा गया-
(a) Criminal Law (Amendment) Act, 2013/आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 द्वारा
(b) Criminal Law (Amendment) Act, 2005/ आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा
(c) Criminal Law (Amendment) Act, 2015/ आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा
(d) Criminal Law (Amendment) Act, 1955/ आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 1955 द्वारा

Uttarakhand (J) 2021

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

260. Under Indian Penal Code, the offence of 'Stalking' has been defined
भारतीय दण्ड संहिता की निम्न में से किस धारा में 'पीछा करना' को परिभाषित किया गया है?
(a) under Section 354-A/धारा 354-क में
(b) under Section 354-B/धारा 354-ख में
(c) under Section 354-C/धारा 354-ग में
(d) under Section 354-D/धारा 354-घ में

Uttarakhand (APO) 2015

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 354D में **पीछा करना** (Stalking) को परिभाषित किया गया है। इस धारा के अनुसार- (1) कोई पुरूष, जो (i) किसी स्त्री का पीछा करेगा या ऐसी स्त्री द्वारा अनिच्छा के स्पष्ट उपदर्शन के बावजूद व्यक्तिगत, अन्योन्यक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए बार-बार ऐसी स्त्री से सम्पर्क करेगा या सम्पर्क करने का प्रयत्न करेगा। या (ii) स्त्री द्वारा इण्टरनेट, ई-मेल या इलेक्ट्रानिक संसूचना के किसी अन्य प्रकार के प्रयोग का अनुवीक्षण करेगा।
पीछा करने का अपराध करेगा।

261. In which of the section of the Indian Penal Code 'Stalking' of a woman by any man is punishable?
भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अन्तर्गत किसी पुरुष द्वारा महिला का ''पीछा करना'' दण्डनीय है?
(a) 354-A/354-क (b) 354-B/354-ख
(c) 354-C/354-ग (d) 354-D/354-घ

MPHC CJ 2015
MP (HJS) 2015

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 354D की उपधारा (2) में पीछा करना (Stalking) को दण्डनीय बनाया गया है। इस उपधारा के अनुसार -
जो कोई पीछा करने का अपराध कारित करेगा, वह प्रथम दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा और दूसरी या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि पाँच वर्ष तक हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

262. According to Indian Penal Code, any man who monitors the use by a woman of the internet, email or any other form of electronic communication commits the offence of
भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार, ऐसा कोई पुरुष, जो किसी स्त्री द्वारा इंटरनेट, ई-मेल या किसी अन्य प्रारूप की इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का प्रयोग किये जाने को मॉनीटर करता है, वह अपराध करता है-

(a) Voyeurism/दृश्यरतिकता (b) Stalking/पीछा करना
(c) Watching/निगरानी करना (d) Searching/पता लगाना

MPHC CJ 2018 Shift-I

Ans. (b) : ऐसा कोई पुरूष,जो किसी स्त्री द्वारा इंटरनेट, ई-मेल या किसी अन्य पुरूष की इलेक्ट्रानिक संसूचना का प्रयोग किये जाने को मानीटर करता है,वह भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 354D के अन्तर्गत पीछा करने का अपराध करता है।

263. Section 354-D of Indian Penal Code is related to-/धारा 354-घ भारतीय दण्ड संहिता संबंधित है-

(a) Voyeurism/किसी स्त्री को छुपकर देखना
(b) Touching of woman with sexual intent
किसी स्त्री को लैंगिक आशय से स्पर्श करना
(c) Disrobe a woman in a public place
किसी स्त्री को लोक स्थान पर निर्वस्त्र करना
(d) Stalking/किसी स्त्री का पुरुष द्वारा पीछा करना

MPHC CJ 2018 Shift-II

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 354D किसी स्त्री का पुरुष द्वारा पीछा (Stalking) से सम्बन्धित है। धारा 354D दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम 2013 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।

264. A man who regularly visits the instagram page of a bikini model women celebrity and also follows her commits the offence of:
एक व्यक्ति मशहूर महिला बिकनी मॉडल के इंस्टाग्राम पेज को रोज देखता है एवं फॉलो करता है, वह व्यक्ति अपराध करता है-

(a) stalking/पीछा करता है
(b) voyeurism/दृश्यरतिकता
(c) obscenity/अश्लीलता
(d) man commits no offence/पुरुष कोई अपराध नहीं करता

MPHC CJ 2020

Ans. (d) : एक व्यक्ति द्वारा मशहूर महिला बिकनी मॉडल के इंस्टाग्राम पेज को रोज देखना एवं फॉलो करना कोई अपराध नहीं है। क्योंकि व्यक्ति द्वारा इंस्टाग्राम पेज को देखना एवं फॉलो करना महिला की सम्मत्ति से किया जाता है। अतः व्यक्ति का कृत्य उचित एवं तर्कसंगत है अपराध नहीं है।

265. 'A' & 'B' are good friends, 'A' proposes 'B' for marriage, but she denies. 'A', in suspicion of B's love after with someone else, monitored her Mobile Phone and email account used by 'B' what offence has been committed by 'A'?
'ए' और 'बी' अच्छे दोस्त हैं, 'ए' 'बी' से शादी का प्रस्ताव करता है किंतु 'बी' इंकार कर देती है, 'ए' यह संदेह करता है कि 'बी' का प्रेम संबंध किसी अन्य से है और 'ए', 'बी' द्वारा उपयोग करने वाले मोबाईल फोन और ई-मेल अकाउंट मॉनिटर करता है, 'ए' द्वारा कौन सा अपराध किया गया है?

(a) outrage the modesty/लज्जा भंग करने का
(b) Voyeurism/दृश्यरतिकता (तांक-झांक)
(c) Stalking/पीछा करना
(d) None of these/इनमें से कोई नहीं

MPHC CJ 2019 Shift-II
Rajsthan (J) 2016

Ans. (c) : प्रस्तुत समस्या में A द्वारा भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 354 D के अन्तर्गत पीछा करने का अपराध किया है। धारा 354(1) (ii) के अनुसार - जो कोई किसी स्त्री द्वारा इंटरनेट, ई-मेल या किसी अन्य प्ररूप की इलेक्ट्रानिक संसूचना का प्रयोग किए जाने को मानीटर करना है, वह पीछा करने का अपराध करता है।

266. A man who monitors the use by a woman of internet, e-mail or any other form of electronic communication, commit the offence of
एक व्यक्ति जो किसी स्त्री के इन्टरनेट, ई-मेल या अन्य प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संचार पर नजर रखता है, उसने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया है?

(a) Trafficking of woman/औरत का दुर्व्यापार का
(b) Sexual harassment/लैंगिक उत्पीड़न का
(c) Voyeurism/दृश्यरतिकता का
(d) Stalking/पीछा करने का

MPHC CJ 2013 Shift I
Uttarakhand (APO) 2015
Chhattishgarh (J) 2017
Uttarakhand (J) 2019
MPHC CJ 2020

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 354-D 'पीछा करना' (Stalking) से सम्बन्धित है। धारा 354-D के अनुसार, ऐसा कोई पुरुष जो (i) किसी स्त्री का उससे व्यक्तिगत अन्योन्य क्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, उस स्त्री द्वारा स्पष्ट रूप से अनिच्छा उपदर्शित किये जाने के बावजूद बार-बार पीछा करता है और संपर्क करता है या संपर्क करने का प्रयत्न करता है, (ii) जो कोई स्त्री द्वारा इंटरनेट, इमेल या किसी अन्य प्रारूप की इलेक्ट्रानिक संसूचना का प्रयोग किये जाने को मानीटर करता है, पीछा करने का अपराध करता है।

267. Even after clear indication of disinterest shown by a women to man, if such man follows her, then under which circumstance it would not constitute offence of stalking?
किसी स्त्री द्वारा स्पष्ट रूप से पुरूष से अनिच्छा उपदर्शित किए जाने के बावजूद उस पुरूष द्वारा पीछा करना किन परिस्थितियों में पीछा करने का अपराध नहीं है?

(a) It was pursued under a law
विधि के अधीन पीछा किया गया था
(b) One-sided love affair/एकतरफा प्रेम प्रसंग में
(c) Due to a commerical transaction
वाणिज्यिक संव्यवहार के कारण
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

MPHC CJ 2014

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 के धारा 354D में स्त्री द्वारा अनिच्छा दर्शित करने के बाद भी किसी पुरुष द्वारा उसका पीछा करना तीन वर्ष तक के कारावास और जुर्माना से दण्डनीय है।

इस धारा के **परन्तुक के अनुसार निम्नवत् दशाओं में स्त्री की अनिच्छा के पश्चात् भी पीछा करना अपराध नहीं है–**

(I) जब अपराध के निवारण हेतु ऐसा पुरुष पीछा करे जो राज्य द्वारा इस निमित्त सशक्त हो

(II) जब विधि के अनुवर्तन में हो,

(III) विशिष्ट परिस्थिति में जब ऐसा आचरण युक्तियुक्त तथा न्यायोचित हो।

268. Under which of the following provisions of the Indian Penal Code, 1860 an assult or criminal force used in attempting to commit theft of property is punishable?
भारतीय दंड संहिता, 1860 के निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अंतर्गत संपत्ति की चोरी के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग दंडनीय है?

(a) Section 356/धारा 356
(b) Section 378/धारा 378
(c) Section 379/धारा 379
(d) Section 384/धारा 384

UGC (NET) July, 2018 Paper-II
UPPCS (J) 2016

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 356 के अन्तर्गत सम्पत्ति के चोरी के प्रयत्न में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग दण्डनीय है। धारा 356 के अनुसार "जो कोई किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किसी ऐसी सम्पत्ति के चोरी करने के प्रयत्न में करेगा जिसे वह व्यक्ति उस समय पहने हुए है या ले जा रहा हो, वह दोनो में से किसी भी प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि **दो वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनो से दण्डित किया जायेगा।**

269. Given below are two statements, one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R/अभिकथन (A) और तर्क (R) दोनों को पढ़ें:

Assertion A: Whoever assaults or uses criminal force on any person, in attempting to commit theft on any property which that person is then wearing or carrying. Shall be punished with with both/अभिकथन (A) : जो कोई किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किसी ऐसी संपत्ति की चोरी करने के प्रयत्न में करेगा जिसे वह व्यक्ति उस समय पहने हुए हो, या लिए जा रहा हो, वह दोनों में से, किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

Reason R: Section 356 of Indian Penal Code provides for the punishment of imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both if a person assaults or uses criminal force on any person in attempting to commit theft or any property which that person is then wearing or carrying/तर्क (R) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 356 में यह प्रावधान है कि कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किसी ऐसी संपत्ति की चोरी करने के प्रयत्न में करेगा जिसे वह व्यक्ति उस समय पहने हुए है या लिए जा रहा हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिनकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जाएगा

In light of the above statements, choose the correct answer from the options given below/नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर चुनें:

(a) Both A and R are true and R is the correct explanation of A/(A) और (R) दोनों सही है और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(b) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A/(A) और (R) दोनों सही हैं किन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(c) A is true but R is false/(A) सही है किन्तु (R) गलत है।
(d) A is false but R is true/(A) गलत है किन्तु (R) सही है।

UGC (NET) June, 2020 Paper-II

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

व्यपहरण, अपहरण, दासत्व और बलात्श्रम (धारा 359-374)

270. A and B, both are 16 years of age. A entices B for marriage and takes her to another city where police caught then. What offence has been committed by 'A'/'अ' और 'ब' दोनों 16 वर्ष के हैं। 'अ' शादी करने के बहाने 'ब' को दूसरे शहर ले जाता है जहां पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। यहां 'अ' :

(a) Kidnapping/व्यपहरण का अपराधी है
(b) No offence because B has gone with her own offence/ 'ब' को 'अ' उसकी सम्मति से ले गया है, अतः कोई अपराध नहीं है
(c) Abduction/अपहरण का दोषी है
(d) A is himself minor, hence A has committed no offence/'अ' स्वयं अवयस्क है; अतः उसने कोई अपराध नहीं किया है

MP (ADPO) 2010 Paper-II

Ans. (a): प्रस्तुत समस्या में 'A' ने व्यपहरण का अपराध किया है। भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 359 में यह कहा गया है कि व्यपहरण दो किस्म का होता है –

(1) भारत में से व्यपहरण और

(2) विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण।

वास्तव में 'अ' द्वारा किया गया कृत्य विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण है। धारा 361 के अनुसार जो कोई किसी अवयस्क को यदि नर है तो 16 वर्ष से कम आयु वाले को या यदि वह नारी है तो 18 वर्ष से कम आयु वाली को या किसी विकृतचित्त व्यक्ति को ऐसे अवयस्क या विकृतचित्त व्यक्ति के विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से उसकी सम्मति के बिना ले जाता है या बहका ले जाता है, वह ऐसे अप्राप्तवय या ऐसे व्यक्ति का विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण करता है। **धारा 363 के अंतर्गत व्यपहरण के लिए सात वर्ष तक के किसी भांति के कारावास और जुर्माने के दण्ड का प्रावधान है।**

271. How many kinds of kidnapping are there in the Indian Penal Code?
भारतीय दण्ड संहिता में व्यपहरण कितने प्रकार है-

(a) One /1 (b) Two /2
(c) Three /3 (d) Four /4

MPHC CJ 2002
Uttarakhand (J) 2006
BPSC (APO) 2009

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अन्तर्गत व्यपहरण के दो प्रकार हैं -
1- भारत में से व्यपहरण और
2- विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण

272. Which one of the following is not an essential ingredient of the offence of kidnapping under the Indian Penal Code?
भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत व्यपहरण के अपराध का निम्नलिखित में से कौन-सा आवश्यक तत्त्व नहीं है–

(a) Minor Child/अवयस्क शिशु
(b) Intention of the accused/अभियुक्त का आशय
(c) Without the consent of lawful guardian/विधिपूर्ण संरक्षक की सम्मति के बिना
(d) Out of the keeping of the lawful guardian/ विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता से परे ले जाना

UP (APO) 2002

Ans: (b) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 359, 360 एवं 361 व्यपहरण से सम्बन्धित है। इन धाराओं के अनुसार व्यपहरण के अपराध के लिए अभियुक्त के आशय का कोई महत्व नहीं होता है।

273. In kidnapping, consent of minor is
व्यपहरण के मामले में, अवयस्क की सम्मति-

(a) wholly immaterial/पूर्णरूपेण महत्वहीन है
(b) partly immaterial/आंशिक रूप से महत्वहीन है
(c) wholly material/का पूर्ण महत्व है
(d) partly material/का आंशिक महत्व है

JPSC (APO) 2012
Jharkhand (J) 2014

Ans. (a) : विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण का एक आवश्यक तत्व है-संरक्षक की सम्मति के बिना ले जाया जाना। अवयस्क की सम्मति का कोई महत्व नहीं हैं। **ओयली मियाँ बनाम नवाब अली** (1952) के मामले में न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि व्यपहरण किये जाने वाले व्यक्ति की सम्मति का कोई अर्थ नहीं होता। व्यपहरण का अपराध गठित होने के लिए जो कुछ आवश्यक है, वह है-संरक्षक की सम्मति का अभाव।

274. 'A' is seventeen years old daughter of 'B', 'C' without consent of 'B' takes 'A' for a tour of south India 'C' has committed the offence of-
''अ'' जो कि एक 17 वर्ष की ''ब'' की पुत्री है को ''स'' ''ब'' की सहमति के बिना ''अ'' को दक्षिण भारत घुमाने के लिए ले जाता है ''स'' ने कौन सा अपराध किया है-

(a) Kidnapping/व्यपहरण
(b) Abduction/अपहरण
(c) Wrongful confinement/सदोष परिरोध
(d) wrongful restraint/सदोष अवरोध

MPHC CJ 2019 Shift-II
Uttrakhand (J) 2012

Ans. (a) : प्रस्तुत समस्या में 'C' ने व्यपहरण का अपराध किया है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 361 विधिपूर्ण संरक्षता से व्यपहरण को प्रावधानित करता है। जिसके अनुसार – जो कोई किसी अप्राप्तवय को यदि वह 16 वर्ष से कम का नर हो या 18 वर्ष से कम की नारी हो या विकृतचित्त हो, को विधिपूर्ण संरक्षक के सहमति के बिना ले जाता है या बहका ले जाता है तो वह इस धारा के अंतर्गत दण्डनीय होगा।

275. A and B both are 16 year old. A takes B to another city on the pretains of getting married where the police arrests them. Here A
'अ' और 'ब' दोनों 16 वर्ष के हैं। 'अ' शादी करने के बहाने 'ब' को दूसरे शहर ले जाता है जहाँ पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। यहाँ 'अ':

(a) Is guilty of kidnapping/व्यपहरण का अपराधी है
(b) A takes B with consent so no offence committed/'ब' को 'अ' उसकी सम्मति से ले गया है अतः कोई अपराध नहीं है
(c) It is not abduction/अपहरण नहीं है
(d) A itself minor, so he has not committed any offence./'अ' स्वयं अवयस्क है अतः उसने कोई अपराध नहीं किया है

MP (ADPO) 2003

Ans. (a) : प्रस्तुत समस्या में 'A' व्यपहरण के अपराध का दोषी है। भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 361 विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण को अपराध घोषित करता है। इस धारा के अनुसार जो कोई किसी अप्राप्तवय को, यदि वह नर हो, तो सोलह वर्ष से कम आयु वाले को, या यदि वह नारी हो तो, अट्ठारह वर्ष से कम आयु वाली को या किसी विकृतचित्त व्यक्ति को, ऐसे अप्राप्तवय या विकृतचित्त व्यक्ति के विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से ऐसे संरक्षक की सम्मति के बिना ले जाता है या बहका ले जाता है, वह ऐसे अप्राप्तवय या ऐसे व्यक्ति का विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण करता है, यह कहा जाता है।
धारा 363 में व्यपहरण के लिए दण्ड का प्रावधान किया गया है।

276. A takes a girl out of the custody of her lawful guardians. Which of the following statements is a complete defence if A is charged under Section 361 of the IPC for kidnapping on the ground that the girl was below the age of 18 years when taken away?
A एक लड़की को उसके वैध अभिभावकों के कस्टडी से बाहर ले जाता है। निम्नलिखित कथनों में से किसमें एक पूर्ण बचाव है, अगर A को IPC की धारा 361 के तहत इस आधार पर आरोपित किया जाता है कि लड़की को 18 साल से कम उम्र में अपहरण कर लिया गया था?

(a) The girl was a student in a college and could understand what was right or wrong for her/लड़की किसी कॉलेज की एक छात्रा थी और समझ सकती थी कि उसके लिए सही या गलत क्या था
(b) The girl was maltreated by the guardians and A promised her a better life/लड़की के अभिभावक उससे अच्छे व्यवहार नहीं करते थे और A ने इसे बेहतर जीवन देने का वादा किया था
(c) The girl looked more than 18 years of age and the accused had satisfied himself that she was

more than 18 years of age/लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक दिखती थी और आरोपी ने स्वयं को सन्तुष्ट कर लिया था कि उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है

(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

Jharkhand (J) 2019

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 361 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु की किसी महिला को विधिपूर्ण संरक्षकता से बाहर ले जाता है, तो वह व्यपहरण का अपराध करता है। इससे किसी भी प्रकार का बचाव उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि यह दुराशय (Mens rea) के अपवाद के अंतर्गत आता है अर्थात दुराशय का महत्व नहीं होता है।

277. Divorced parents of a three year old child living separately. The child's mother, a teacher, when she goes to school, leaves the child under her mother's care. In the absence of the wife and without informing her mother in law, her husband takes the child with him. What is his criminal liability?

एक तीन वर्षीय बच्चे के तलाकशुदा माता-पिता पृथक-पृथक रहते है। बच्चे की माँ एक अध्यापिका, जब वह विद्यालय जाती है, बच्चे को अपनी माँ की देख-रेख में छोड़ती है। पत्नी की अनुपस्थिति में एवं अपनी सास को बिना बताये, उसका पति बच्चे को अपने साथ ले जाता है। उसका आपराधिक दायित्व क्या है?

(a) Abduction/अपहरण

(b) kidnapping/व्यपहरण

(c) Criminal force/आपराधिक बल

(d) Mischief/रिष्टि

Rajasthan (APO) 2015

Ans. (b) : पति द्वारा किया गया कार्य विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण का अपराध होगा। जिसे भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 361 में परिभाषित किया गया है- जो कई किसी अप्राप्तवय को यदि वह **नर हो, तो सोलह वर्ष से** कम आयु वाले को, या यदि वह **नारी है तो अट्ठारह वर्ष से कम आयु वाली** को या किसी **विकृतचित व्यक्ति को,** ऐसे अप्राप्तवय या विकृतचित व्यक्ति के विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से ऐसे संरक्षक की सम्मति के बिना ले जाता है या बहका ले जाता है, वह ऐसे अप्राप्तवय या ऐसे व्यक्ति का विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण करता है। **स्पष्टीकरण के अनुसार विधिपूर्ण संरक्षक शब्दों के** अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति आता है जिस पर ऐसे अप्राप्तव्य या अन्य व्यक्ति की देख-रेख या अभिरक्षा का भार विधिपूर्वक व्यस्त किया गया है।

278. In a case where a minor girl was in the custody of her mother. Later the mother obtained divorce from her husband and thereafter the father forcefully removed the daughter from the school. What offence is created by the father?

एक मामला जहाँ नाबालिग लड़की अपनी माँ की अभिरक्षा में थी। बाद में माँ ने अपने पति से तलाक ले लिया और बाद में पिता ने लड़की को जबरन स्कूल से निकलवा दिया। पिता ने क्या अपराध किया?

कूटः

(a) Abduction/अपहरण (b) Kidnapping/व्यपहरण

(c) Confinement/परिरोध (d) Custody/अभिरक्षा

UGC (NET) December, 2012 Paper-III

Ans. (b) : प्रस्तुत मामले में पिता ने व्यपहरण का अपराध किया। भारतीय दंड संहिता की धारा 361 के स्पष्टीकरण के अनुसार, इस धारा में ''विधिपूर्ण संरक्षक'' शब्दों के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति आता है जिस पर ऐसे अवयस्क या अन्य व्यक्ति की देख-रेख या अभिरक्षा का भार विधिपूर्वक न्यस्त किया गया है।

प्रस्तुत समस्या में अवयस्क लड़की का अभिरक्षा माँ के पास था। माँ ही विधिपूर्ण संरक्षक थी। अवयस्क लड़की के माँ के बिना सहमति के तलाकशुदा पिता स्कूल से जबरन ले जाता है तो वह व्यपहरण का अपराध कारित करता है।

279. 'A meets a girl aged fifteen years in a park. She tells him that she is sixteen years of age and she is ill-treated at her house by her father and that she would be happy to be taken away from there. Thereafter 'A' takes the girl to his house and allows her to remain there. In this case.

'A' एक पार्क में पन्द्रह वर्षीय एक लड़की से मिला। वह लड़की उसको बताती है कि वह सोलह वर्ष की है और उसके पिता उसके साथ बुरा बर्ताव करते है। उसे यहाँ से कहीं अन्यत्र ले जाया जाये तो उसे खुशी होगी। तत्पश्चात् 'A' उसे अपने घर ले जाता है और उसे वहीं रहने देता है। इस मामले में :

(a) 'A' has committed no offence as the girl has come with him with her own consent.
'A' ने कोई अपराध नहीं किया है क्योंकि लड़की ने अपनी सहमति से उसके साथ आयी है।

(b) 'A' has committed no offence as the girl misrepresented her age and 'A' believed her matured and capable of consenting.
'A' ने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि लड़की ने अपनी उम्र गलत बताई थी और 'A' ने उसके परिपक्व होने पर विश्वास किया एवं सहमति के योग्य समझा।

(c) 'A' has committed the offence of kidnapping of minor from the lawful guardian.
'A' ने विधिपूर्ण संरक्षकता से अवयस्क के व्यपहरण का अपराध किया है।

(d) 'A' has committed the offence of kidnapping and wrongful confinement
'A' ने व्यपहरण एवं सदोष परिरोध का अपराध किया है।

UPPCS (J) 2013

Ans. (c) : प्रस्तुत मामले में A ने विधिपूर्ण संरक्षकता से अवयस्क के व्यपहरण का अपराध किया है। भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 361** विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण को परिभाषित करती है। जो कोई किसी अप्राप्तवय को, यदि वह नर हो, तो 16 वर्ष से कम आयु वाले को, या यदि वह नारी हो, तो 18 वर्ष से कम आयु वाली को या किसी विकृतचित्त व्यक्ति को, ऐसे अप्राप्तवय या विकृतचित व्यक्ति के विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से ऐसे संरक्षक की सम्मत्ति के बिना ले जाता है या बहका ले जाता है, वह ऐसे अप्राप्तवय या ऐसे व्यक्ति का विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण करता है, यह कहा जाता है।

280. Kidnapping from lawful guardianship under Section 361 of IPC can be:
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 361 के अन्तर्गत विधिपूर्ण संरक्षकता में व्यपहरण हो सकता है-

(a) of a person under sixteen years of age if male/ यदि वह नर हो तो सोलह वर्ष से कम आयु का हो
(b) of a person under eighteen years of age if female/यदि वह नारी हो तो अट्ठारह वर्ष से कम आयु की हो
(c) of a person of unsound mind/एक विकृतचित व्यक्ति हो
(d) All of the above/उपरोक्त सभी

UP (HJS) 2018 Part-I

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 361 में विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण के बारे में उपबन्ध है। धारा 361 के अनुसार, जो कोई अवयस्क को, यदि वह नर हो तो सोलह वर्ष से कम आयु वाले को या यदि वह नारी हो तो अठ्ठारह वर्ष से कम आयु वाली को या किसी विकृतचित व्यक्ति को, ऐसे अवयस्क या विकृतचित व्यक्ति के विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से ऐसे संरक्षक की सहमति के बिना ले जाता या बहका ले जाता है, वह ऐसे अवयस्क या ऐसे व्यक्ति का विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण करता है, यह कहा जाता है।

281. For the offence of kidnapping, what should be the age of the minor?
व्यपहरण के अपराध के लिए अवयस्क की आयु कितनी होनी चाहिए:

(a) Sixteen years/सोलह वर्ष
(b) Eighteen years/अठारह वर्ष
(c) Below sixteen years if a male and below eighteen years if a female/यदि पुरुष हो तो सोलह वर्ष से कम एवं महिला हो तो अठारह वर्ष से कम
(d) Within twenty one years if male and within eighteen years if a female/यदि पुरुष हो तो इक्कीस वर्ष से कम एवं महिला हो तो अठारह वर्ष के भीतर

MPHC (CJ) 2015
UP APO (2007) Special
Chhattishgarh (J) 2008
MPHC CJ 1997, 2006
Uttrakhand (J) 2014

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 361 के अनुसार, व्यपहरण के अपराध के लिए अवयस्क की आयु यदि पुरूष हो तो 16 वर्ष से कम एवं महिला हो तो 18 वर्ष से कम होना चाहिए।

282. To constitute the offence of kidnapping from lawful guardianship under Section 361 of Indian Penal Code the age of the minor should be
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 361 के अधीन विधिसम्मत अभिभावक से अपहरण का अपराध गठित करने के लिए अवयस्क की आयु होनी चाहिए?

1. **Under eighteen years if male /पुरुष होने की दशा में 18 वर्ष से कम**
2. **Under sixteen years if male /पुरुष होने की दशा में 16 वर्ष से कम**
3. **Under eighteen years if female /महिला होने की दशा में 18 वर्ष से कम**
4. **Under sixteen years if female /महिला होने की दशा में 16 वर्ष से कम**

Choose the correct option:
सही विकल्प चुनें:

(a) 1 and 2/1 और 2 (b) 1 and 3/1 और 3
(c) 2 and 3/2 और 3 (d) 1 and 4/1 और 4

UGC (NET) December, 2019 Paper-II

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

283. For an offence of kidnapping from lawful guardianship the age of a girl must be-
विधिपूर्ण संरक्षकता से व्यपहरण के अपराध के लिये किसी बालिका की उम्र होनी चाहिए–

(a) Below 18 years/18 वर्ष से कम
(b) Below 15 years/15 वर्ष से कम
(c) Below 21 years/21 वर्ष से कम
(d) Below 16 years/16 वर्ष से कम

MPHC CJ 2018 Shift-I
UP (APO) 2007 (Special)
Uttrakhand (J) 2016

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

284. The age of minor male for the offence of kidnapping must be .....
व्यपहरण के अपराध के लिए पीड़ित अवयस्क बालक की उम्र ..... होना चाहिए।

(a) below 14 years/14 वर्ष से कम
(b) below 16 years /16 वर्ष से कम
(c) below 18 years /18 वर्ष से कम
(d) below 21 years /21 वर्ष से कम

MP (HJS) 2018

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

285. Age of minor for the offence of kidnapping from lawful guardianship should be:
विधिपूर्ण संरक्षकता से व्यपहरण के लिए अप्राप्तवय की आयु होनी चाहिए

(a) under twenty years/बीस वर्ष के अन्दर
(b) under twenty one years /इक्कीस वर्ष के अन्दर
(c) under sixteen years if male and under eighteen years of age if a female/यदि पुरुष हो तो सोलह वर्ष से कम और यदि महिला हो तो अठारह वर्ष से कम आयु
(d) under twenty one years of male and under eighteen years of female/पुरुष हो तो इक्कीस वर्ष से कम और महिला हो तो अठारह वर्ष से कम आयु

Uttarakhand (APO) 2021

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

286. The word 'takes' in Section 361 of IPC signifies
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 361 में शब्द ''ले जाता है'' शामिल करता है:

(a) Taking by force/बल द्वारा ले जाना
(b) Taking by fraud/कपट द्वारा ले जाना

(c) Physical taking/भौतिक रूप से ले जाना
(d) All of these/यह सभी

JPSC (APO) 2019

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 361 द्वारा विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण' को परिभाषित किया गया है। धारा 361 के अंतर्गत 'ले जाता है' शब्द में शामिल है, भौतिक रूप से ले जाना (Take away physically)।

287. Which of the following is not an essential element for the offence of kidnapping?
निम्नलिखित में से व्यपहरण के अपराध के लिये क्या आवश्यक नहीं है?
(a) Minor/अवयस्क
(b) Intention of the accused/अभियुक्त का उद्देश्य
(c) Without the consent of lawful guardian/कानूनी संरक्षण की अस्वीकृति
(d) Beyond the control of lawful guardian/कानूनी अभिभावक के नियंत्रण से परे

Jharkhand (J) 2014

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 361 में परिभाषित व्यपहरण के अपराध के गठन हेतु अवयस्क शिशु, विधिपूर्ण संरक्षक की सम्मति के बिना तथा विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता से परे ले जाना, इसके आवश्क तत्व है। व्यपहरण के अपराध के गठन हेतु **अभियुक्त के उद्देश्य को** महत्व नहीं दिया जाता है।

288. Under Section 361 of Indian Penal Code the "kidnapping from lawful guardianship" is/भारतीय दण्ड संहिता की धारा 361 के अंतर्गत, विधिपूर्ण संरक्षता में से व्यपहरण है:
A. When someone takes or entices any minor without the consent of the guardian/जब कोई किसी अप्राप्तवय को संरक्षक की सम्मति के बिना ले जाता है या बहका ले जाता है।
B. When someone takes or entices any person of unsound mind out of the keeping of lawful guardian without the consent of the guardian/जब कोई किसी विकृतचित्त व्यक्ति को विधि पूर्ण संरक्षक की सम्मति के बिना उसकी संरक्षता में से ले जाता है या बहका ले जाता है।
C. When someone entices or takes away any minor under 16 years of age if male and 18 years of age if female without consent of the guardian/जब कोई किसी अप्राप्तवय को यदि वह नर हो, तो सोलह वर्ष से कम आयु वाले को, या यदि वह नारी हो तो अठ्ठारह वर्ष से कम आयु वाली को विधिपूर्ण संरक्षक की सम्मति के बिना उसकी संरक्षता से ले जाता है या बहका ले जाता है।

Choose the correct answer from the options given below/नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें:
(a) A and B only/A और B
(b) A, B and C all/A, B और C
(c) A and C only/A और C
(d) B and C only/B और C

UGC (NET) June, 2020 Paper-II

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

289. The offence of Section 361 IPC is basically against
धारा 361 भा.द.सं. का अपराध मूलतः विरूद्ध है-
(a) family/परिवार
(b) society/समाज
(c) any person/कोई व्यक्ति
(d) lawful guardian/विधिपूर्ण संरक्षक

MPHC CJ 2019 Shift-I
Uttrakhand (J) 2014

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 361 में उपबन्धित अपराध मूलतः विधिपूर्ण संरक्षक के विरूद्ध है इन प्रावधानों का उद्देश्य है-
1. कम आयु के बच्चों की, उनके विधिपूर्ण संरक्षक की अभिरक्षा से, अनुचित प्रयोजनों के लिए व्यपहरण करने या फुसलाये जाने से रक्षा करना एवं
2. स्वयं संरक्षक को संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान करना।

290. Enticing a minor girl amounts to:
अवयस्क लड़की को फुसलाना समझा जाता है
(a) Kidnapping/व्यपहरण
(b) Abduction/अपहरण
(c) Absence from free consent/स्वतंत्र सहमति की अनुपस्थिति
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

UGC (NET) December, 2011

Ans. (a) : अवयस्क लड़की को फुसलाना व्यपहरण समझा जाता है। यह भारतीय दंड संहिता की धारा 363 में एक दण्डनीय अपराध है।

291. An idea of inducement by exiciting hope or desire on the others is known as
दूसरों की आशा या वांछा को प्रदीप्त करके उत्प्रेरित करने के विचार को किसके रूप में जाना जाता है?
(a) Seduction/विलुब्ध करना
(b) Enticing/फुसलाकर ले जाना
(c) Inciting/उद्दीप्त करना
(d) Abduction/अपहरण

UGC (NET) December, 2015 Paper-III

Ans. (b) : दूसरों की आशा या वांछा (इच्छा) को प्रदीप्त करके उत्प्रेरित करने के विचार को फुसला कर ले जाना या बहका ले जाना के रूप में जाना जाता है। यह व्यपहरण के अपराध का आवश्यक तत्व है। व्यपहरण दो प्रकार का होता है-
(1) भारत में से व्यपहरण
(2) विधिपूवर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण।
धारा 361 में व्यपहरण को अपराध बताया गया है। धारा 363 इसके लिए दण्ड का प्रावधान करती है।

292. Whoever by force compels, or by any deceitful means induces, any person to go from any place, commit the offence of:
जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए किन्हीं प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा या बल से, उत्प्रेरित करता है, अपराध करता है:
(a) wrongful restraint/सदोष अवरोध का
(b) abduction/अपहरण का

(c) kidnapping/व्यपहरण का
(d) abetment/दुष्प्रेरण का

Uttarakhand (APO) 2015
Uttarakhand (J) 2019

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 362 के अनुसार- जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए बल द्वारा विवश करता है या किन्हीं प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित करता है, वह उस व्यक्ति का अपहरण करता है।

293. When a person takes a boy under seventeen years of age by lures or otherwise, Then it will be said that he has committed/जब कोई व्यक्ति सत्रह वर्ष की आयु के किसी लड़के को फुसलाकर या अन्यथा ले जाता है, तब यह कहा जायेगा कि उसने कारित किया है-
(a) offence of kidnapping/व्यपहरण का अपराध
(b) No any offence/कोई अपराध नहीं
(c) Offence of abduction/अपहरण का अपराध
(d) offence of kidnapping from lawful guardianship/वैध संरक्षण में से अपहरण का अपराध

MP (ADPO) 1995

Ans : (c) जब कोई व्यक्ति सत्रह वर्ष की आयु के किसी लड़के को फुसलाकर या अन्यथा ले जाता है तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 362 के अन्तर्गत अपहरण करता है यह कहा जाता है। धारा 362 के अन्तर्गत किसी भी आयु के व्यक्ति का अपहरण किया जा सकता है।

294. For the offence of abduction of person, abducted must be :-
अपहरण के अपराध के लिए व्यक्ति जिसे अपहरण किया जाता है होना चाहिए :-
(a) Minor/अवयस्क
(b) Major/वयस्क
(c) Minor or major/वयस्क या अवयस्क
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

Chhattishgarh (J) 2020
Jharkhand (J) 2014

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 362 में अपहरण के अपराध को परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार, जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए बल द्वारा विवश करता है या किन्ही प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित करता, वह व्यक्ति अपहरण करता है, यह कहा जाता है।
अतः परिभाषा से स्पष्ट है कि अपहरण का अपराध वयस्क या अवयस्क किसी के प्रति किया जा सकता है।

295. Under Section 362 of Indian Penal Code the offence of abduction may be committed with
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 362 में अपहरण का अपराध किसके साथ किया जा सकता है?
(a) a girl under 18 years of age
18 वर्ष से कम आयु की लड़की से
(b) a boy under 16 years of age
16 वर्ष से कम आयु के लड़के से
(c) a person of unsound mind/विकृतचित्त व्यक्ति से
(d) None of the above is correct
इनमें से कोई सही नहीं है

UPPCS (J) 2012

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 362 के अनुसार, जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए बल द्वारा विवश करता है, या किन्ही प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित करता है, वह उस व्यक्ति का अपहरण करता है, यह कहा जाता है। अत: अपहरण **किसी भी आयु के व्यक्ति का हो सकता है।**

296. For the offence of abduction, the abducted person:
अपहरण के अपराध के लिये अपहृत व्यक्ति:
(a) Below the age of 16 year/16 वर्ष से कम होना चाहिए
(b) Below the age of 18 year/18 वर्ष से कम होना चाहिए
(c) Must be unsound mind/विक्षिप्त मस्तिष्क का होना चाहिए
(d) May be of any age/किसी भी उम्र का हो सकता है

MP (ADPO) 2003

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

297. When a minor leaves her parental house completely without any inducement from the accused, then what offence it amounts to?
जब एक अवयस्क, अभियुक्त से किसी प्रलोभन के बिना अपने माता-पिता का घर पूरी तरह से छोड़ देता है तो यह कौन सा अपराध है?
(a) Abduction/अपहरण
(b) Enticing/फुसलाना
(c) Kidnapping/व्यपहरण
(d) no offence/कोई अपराध नहीं

UGC (NET) September, 2016 Paper-II

Ans. (d) : प्रस्तुत समस्या में अभियुक्त के द्वारा अवयस्क को घर छोड़ने के लिए न तो बल का प्रयोग और न ही प्रवंचनापूर्ण-तरीके से मजबूर किया। इसलिए अभियुक्त कोई अपराध कारित नहीं किया है। जब एक अवयस्क, अभियुक्त से किसी प्रलोभन के बिना अपने माता-पिता का घर पूरी तरह से छोड़ देता है तो यह कोई अपराध नहीं होता है।
भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 362 के अनुसार जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए बल द्वारा विवश करता है, या किन्हीं प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित करता है, वह उस व्यक्ति का अपहरण करता है, यह कहा जाता है।

298. What offence if any, has been committed by a married woman giving free consent to her own abduction?
किसी विवाहित महिला का अपने अपहरण की सहमति देना यदि कोई अपराध है, तो वह किस तरह का अपराध है?
(a) Abetting her own abduction/अपने अपहरण के लिए दुष्प्रेरण
(b) Criminal conspiracy for abduction/अपहरण का आपराधिक षड्यंत्र
(c) No criminal liability against her as the act was not committed in deceitful manner/महिला का कोई आपराधिक दायित्त्व नहीं, क्योंकि वह कृत्य प्रवंचना पूर्ण ढंग से नहीं किया गया
(d) Attempt to abduction when there was failure to obtain clear consent/स्पष्ट सहमति पाने की असफलता की स्थिति में अपहरण का प्रयास

UGC (NET) January, 2017 Paper-III

Ans. (c) : किसी विवाहिता महिला का अपने अपहरण की सहमति देना कोई अपराध नहीं है तथा महिला का कोई आपराधिक दायित्व नहीं है, क्योंकि वह कृत्य प्रवंचनापूर्ण ढंग से नहीं किया गया है।

299. An aggravated form of wrongful confinement of a girl amounts to:
लड़की के सदोष परिरोध का अपरिवर्तित रूप कहलाता है–

(a) Kidnaping/व्यपहरण
(b) Abduction/अपहरण
(c) Enticing/प्रलोभित करना
(d) Taking away/ले जाना

UGC (NET) December, 2010

Ans. (b) : सदोष परिरोध (धारा 340) का अपरिवर्तित रूप अपहरण कहलाता है।
भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 362 के अनुसार व्यपहरण के निम्न तत्व है-
(1) बलपूर्वक बाध्यता अथवा प्रबंचना पूर्ण उपायो द्वारा उत्प्रेरण
(2) ऐसी बाध्यता तथा उत्प्रेरण का उद्देश्य किसी व्यक्ति की किसी स्थान से लाने का हो।

300. Which one of the following is a continuing offence?
निम्नलिखित में से अनवरत अपराध कौन-सा है?

(a) Abetment/दुष्प्रेरण (b) Rape/बलात्कार
(c) Abduction/अपहरण (d) Theft/चोरी

UP (APO) 2018
Uttrakhand (J) 2012, 2015
UPPCS (J) 2012

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 362 में परिभाषित अपहरण (Abduction) एक अनवरत अपराध है। यह तब तक गतिमान रहता है। जब तक अपहत व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है।

301. Which one of the following is not an essential element of abduction?
निम्नलिखित में से कौन अपहरण का आवश्यक तत्व नहीं है?

(a) A person is compelled by use of force to move from one place to another/एक व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए बल प्रयोग द्वारा विवश किया जाता है
(b) A person is induced by deceitful means to move from one place to another/एक व्यक्ति को प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए उत्प्रेरित किया जाता है
(c) Neither use of force nor deceitful means are necessary to constitute abduction/न तो बल का प्रयोग और न प्रवंचनापूर्ण उपाय ही अपहरण के लिए आवश्यक है
(d) Actual use of force is necessary and merely show of forece is not sufficient/वास्तविक बल प्रयोग आवश्यक है और केवल बल का प्रदर्शन मात्र पर्याप्त नहीं है

UP (APO) 2007 (Special)

Ans: (c) अपहरण को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 धारा 362 में परिभाषित किया गया है परन्तु इस धारा के अन्तर्गत अपहरण एक मूल अपराध नहीं है अपितु एक सहायक कार्य है जो स्वतः दण्डनीय नहीं है। अपहरण तभी आपराधिक होता है जब इसे किसी आपराधिक आशय से किया गया हो इसके आवश्यक तत्त्व निम्न है—
(1) बलपूर्वक बाध्यता या प्रवंचनपूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरण
(2) ऐसी बाध्यता या उत्प्रेरण का उद्देश्य किसी व्यक्ति को किसी स्थान से ले जाने का हो।

302. The case of S. Vardrajan v. State relates to which of the following provisions of IPC, 1860?
एस. वरदराजन बनाम राज्य का मामला भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की किस धारा से जुड़ा है?

(a) Section 366/धारा 366
(b) Section 365/धारा 365
(c) Section 364/धारा 364
(d) Section 363/धारा 363

Uttarakhand (J) 2009
JPSC (APO) 2019

Ans. (d) : एस. वरदराजन बनाम राज्य (1965 SC) का वाद भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363 से सम्बंधित है। धारा 363 के अंतर्गत व्यपहरण के अपराध के लिए दण्ड का प्रावधान किया गया है।

303. In which one of the following Sections of India Penal Code "Kidnapping or maiming a minor for purposes of begging" has been discussed?
भारतीय दण्ड संहिता की निम्न में से किस धारा में ''भीख माँगने के प्रयोजनों के लिए अप्राप्तवय का व्यपहरण या विकलांगीकरण'' को वर्णित किया गया है?

(a) Section 363/धारा 363 में
(b) Section 364/धारा 364 में
(c) Section 363-A/धारा 363-A में
(d) Section 364-A/धारा 364- A में

UP (APO) 2015, 2018

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 363-A ''भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए अप्राप्तवय का व्यवहरण या विकलांगीकरण'' का प्रावधान करती है।

304. For the purpose of section 363-A of Indian Penal Code, 1860 'Minor means':
भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 363-क के प्रयोजनार्थ 'अप्राप्तवय' से अभिप्रेत है:

(a) A person under 18 years of age/18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति
(b) A person under 21 years of age /21 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति
(c) A female under 18 years of age /18 वर्ष से कम आयु की नारी
(d) A male under 18 years of age /18 वर्ष से कम आयु का नर

Rajasthan (J)2021

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 363-A की उपधारा (4) (b) के अनुसार - अप्राप्तवय से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जो
(1) यदि नर है, तो सोलह वर्ष से कम आयु का है, तथा
(2) यदि नारी है, तो अठारह वर्ष से कम आयु की है।
अतः धारा 363-A के प्रयोजनों के लिए अप्राप्तवय से क्रमशः नर सोलह वर्ष एवं नारी अठारह वर्ष अभिप्रेत है।

305. Section 363-A The kidnapping of a victim male for the purpose of begging is punishable under the IPC.
धारा 363-क भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत भीख मांगने के प्रयोजन से किसी पीडित नर का व्यपहरण दण्डनीय है।

(a) If the neutered male is less than 16 years of age/यदि वह व्यपहरित नर 16 वर्ष से कम आयु का है
(b) If the neutered male is less than 18 years of age/यदि वह व्यपहरित नर 18 वर्ष से कम आयु का है
(c) If the abducted male is less than 21 years of age/यदि व्यपहरित नर 21 वर्ष से कम आयु का है
(d) The age of the abducted male is irrelevant to the constitution of such offence/व्यपहरित नर की आयु ऐसे अपराध के गठन हेतु अप्रासंगिक है

MPHC (DLAO)2021

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 363- (A) के अन्तर्गत भीख मांगने के प्रयोजन से किसी पीड़ित नर का व्यपहरण दण्डनीय है यदि व्यपहरित नर 16 वर्ष से कम आयु का है।

306. 'A' forcibly carries or entices 'B' away from his home in order that 'B' may be murdered. 'A' has committed the offence in Indian Penal Code under/'क', 'ख' को उसके गृह से इसलिये बलपूर्वक बहकाकर ले जाता है कि 'ख' की हत्या की जा सके। 'क' ने भारतीय दण्ड संहिता के किस उपबन्ध के अधीन अपराध कारित किया है?

(a) Section 362/ धारा 362
(b) Section 364/ धारा 364
(c) Section 365/ धारा 365
(d) Section 367/ धारा 367

Uttarakhand (APO) 2009

Ans. (b) : प्रस्तुत समस्या में A ने भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 364 के अन्तर्गत हत्या करने के प्रयोजन से व्यपहरण या अपहरण का अपराध किया है। **धारा 364 के अनुसार,** जो कोई इसलिए किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करेगा, ऐसे व्यक्ति की हत्या की जाए या उसको ऐसे व्ययनित किया जाए कि वह अपनी हत्या होने के खतरे में पड़ जाए, वह आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

307. Under which section of IPC, kidnapping for ransom is provided?/भारतीय दण्ड संहिता की किस धारा में फिरौती के लिए व्यपहरण का उपबंध है?

(a) Section 364/धारा 364
(b) Section 362/धारा 362
(c) Section 363A/धारा 363क
(d) Section 364A/धारा 364क

UP (APO) 2011

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 364A में फिरौती आदि के लिए व्यपहरण का उपबन्ध किया गया है यह धारा आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम 1993 के द्वारा अन्तः स्थापित किया गया है।

308. Punishment provided for kidnapping for ransom in Indian Penal Code is
भारतीय दण्ड संहिता में मुक्ति-धन के लिए व्यपहरण, के लिए दण्ड का प्रावधान है-

(a) upto seven years imprisonment
सात वर्ष तक कारावास
(b) life imprisonment only/आजीवन कारावास मात्र
(c) death sentence or life imprisonment
मृत्यु दण्ड अथवा आजीवन कारावास
(d) ten years rigorous imprisonment
दस वर्ष का कठोर कारावास

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की **धारा 364-A** फिरौती, आदि के लिए व्यपहरण का उपबंध करती हैं। जो कि **मृत्यु या आजीवन कारावास और जुर्माने से** दण्डनीय है।

309. Fill in the gap which is more appropriate.
रिक्त स्थान को भरें:
Inducing a girl under 18 years of age to go away with him from ..... is an offence of
18 वर्ष से कम आयु की लड़की को ..... से उसके साथ जाने के लिये प्रलोभित करना अपराध है।

(a) Normal house/साधारण घर
(b) Place of work/कार्यस्थल
(c) Domestic area/घरेलू क्षेत्र
(d) Any place/कोई भी स्थान

UGC (NET) June, 2012 Paper-III

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 366A के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के लड़की को **किसी भी स्थान से** जाने के लिए इस आशय के साथ विवश या विलुब्ध करना कि अन्य व्यक्ति के साथ अयुक्त संभोग किया जा सके दस वर्ष तक के कारावास और जुर्माना से दण्डनीय होगा।

310. The expression 'Seduced' used in Section 366A of Indian Penl Code means to ..... a woman to submit to illicit intercourse at any time.
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 366A में उपयोग की अभिव्यक्ति 'विलुब्ध' (सेड्यूस्ड) का अर्थ स्त्री का किसी भी समय पर अयुक्त संभोग के लिये ..... होता है।

(a) use of force by stress/तनाव द्वारा बल का प्रयोग
(b) deceitfully induce/धोखे से उत्प्रेरित करना
(c) willfully influence/जान-बूझकर प्रभावित करना
(d) none of them/उपर्युक्त में से कोई नहीं

UGC (NET) December, 2012 Paper-II

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा में 366A में प्रयुक्त अभिव्यक्ति विलुब्ध का अर्थ है, स्त्री को अयुक्त संभोग के किसी भी समय धोखे से उत्प्रेरित करना। ऐसा कृत्य धारा 366A के अंतर्गत 'अप्राप्तवय लड़की की उपापन' का अपराध है, यदि 18 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ ऐसा किया जाता है।

311. Which offence is constituted under Section 366-A of Indian Penal Code?
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 366-क में किस अपराध का उल्लेख है?

(a) Kidnapping/व्यपहरण
(b) Kidnapping for begging
भीख माँगने के लिए व्यपहरण
(c) Procuration of minor girl
अप्राप्तवय लड़की का उपापन

(d) Importing of girl from Jammu and Kashmir State/जम्मू-कश्मीर राज्य से लड़की का आयात करना

UPPCS (J) 2013

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की **धारा 366-A** अप्राप्तवय लड़की का उपापन के अपराध से सम्बन्धित हैं, जो इस प्रकार है-

जो कोई 18 वर्ष से कम आयु की अप्राप्तवय लड़की को अन्य व्यक्ति से अयुक्त सम्भोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से या तद्द्वारा विवश या विलुब्ध किया जायेगा, यह सम्भाव्य जानते हुए ऐसी लड़की को किसी स्थान से जाने को या कोई कार्य करने को, किसी भी साधन द्वारा उत्प्रेरित करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

312. Given below are two statements, one labeled as Assertion (A) and the other labeled as Reason (R). Read the statements and choose the correct answer using the code given below:

Assertion (A): A person imports into India from a foreign country or from the state of Jammu and Kashmir, a girl with the intention of forcing her to illicit intercourse with another person, shall be punished with ten years imprisonment

Reason (R): It is so provided under Section 366-B of the Indian Penal Code.

नीचे दिए गए है जिनमें से एक अभिकथन (A) तथा दूसरा तर्क (R) है। कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

अभिकथन (A): यदि कोई व्यक्ति किसी लड़की को भारत के बाहर के किसी देश से या जम्मू-कश्मीर राज्य से, उसे किसी अन्य व्यक्ति से अयुक्त संभाग करने के लिए विवश करने के आशय से आयात करता है, तो वह 10 वर्ष के कारावास से दंडित होगा।

तर्क (R): भारतीय दंड संहिता की धारा 366-ख के अंतर्गत इसका उपबंध किया गया है।

कूट:

(a) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)/(A) और (R) दोनों सही है और (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है

(b) Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A)/(A) और (R) दोनों सही है लेकिन (R), (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है

(c) (A) is true, but (R) is false/(A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है

(d) (A) is false, but (R) is true/(A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है

UGC (NET) December, 2018 Paper-II

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 366-B** विदेश से लड़की आयात करने के संबंध में प्रावधान करती है, जिसके अनुसार जो कोई इक्कीस वर्ष से कम आयु की किसी लड़की को भारत के बाहर के किसी देश से या जम्मू-कश्मीर राज्य से आयात, उसे किसी अन्य व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से या तद्द्वारा वह विवश या विलुब्ध की जाएगी, यह सम्भाव्य जानते हुए करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

अतः A एवं R दोनों सही है R A का सही स्पष्टीकरण है

313. Punishment for offence of importing girls from any country outside India or from Jammu and Kashmir is up to 10 years if the age of the girl is under

निम्नलिखित में से किस उम्र तक की लड़की के भारत से बाहर के किसी देश से या जम्मू तथा कश्मीर से आयात करने के अपराध के लिए 10 वर्ष तक के कारवास के दण्ड का विधान है?

(a) 14 years/14 वर्ष (b) 18 years/18 वर्ष

(c) 19 years/19 वर्ष (d) 21 years/21 वर्ष

Uttarakhand (J) 2011
Bihar (APO) 2020

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के धारा 366 B के अनुसार जो कोई **21 वर्ष से कम आयु की किसी लड़की को** भारत के बाहर किसी देश से या जम्मू कश्मीर राज्य से आयात, उसे किसी अन्य व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से या तद्द्वारा वह विवश या विलुब्ध की जाएगी, यह सम्भाव्य जानते हुए करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

314. Which of the factor are essential for fixing criminal liability on importing girls from different territory other than India for seduction?

विलुब्ध करने हेतु भारत से इतर अन्य विभिन्न क्षेत्रों से लड़कियों को लाने के मामलों पर आपराधिक दायित्त्व तय करने के लिए निम्नलिखित में से कौन-से कारक आवश्यक हैं?

(a) That girl must be below the age of 21 years/उस लड़की को अनिवार्य रूप से 21 वर्ष से कम की उम्र का होना चाहिए

(b) The imported girl must be from Indian origin irrespective of age/लायी गई लड़की भारतीय मूल की होनी चाहिए भले ही उसके उम्र कुछ भी हो

(c) That girl must be from Jammu and Kashmir or any other UN recognised to render domestic help/वह लड़की जम्मू-कश्मीर अथवा संयुक्त राष्ट्र से मान्यता प्राप्त किसी अन्य देश की होनी चाहिए और घरेलू काम करने के लिए बलपूर्वक लायी गयी होनी चाहिए

(d) That girl is on a tourist visa and above 21 years and is likely that she will be forced to illicit intercourse/वह लड़की पर्यटक वीजा लेकर आयी होनी चाहिए और उसकी उम्र 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए तथा यह सम्भावना होनी चाहिए कि उसे अवैध शारीरिक सम्बन्ध में धकेला जाएगा

UGC (NET) November, 2017 Paper-II

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

315. Section 366-B of the Indian Penal Code is related to the offence of

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 366-ख निम्न में से किस अपराध से सम्बन्धित है?

(a) importation of girl from foreign country/विदेश से लड़की के आयात के
(b) procuration of minor girl/अप्राप्तवय लड़की के उपापन के
(c) kidnapping or abducting in order to murder/ हत्या करने हेतु व्यपहरण या अपहरण के
(d) None of the above/उपरोक्त किसी से नहीं

Uttarakhand (APO) 2015

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 366-B के अन्तर्गत विदेश से लड़की का आयात करना, का प्रावधान किया गया है। इस धारा को आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 1995 के अधिनियम संख्या 24 द्वारा प्रतिस्थापित (Substituted) किया गया है।

316. Whoever kidnaps or abducts any child with intention of taking dishonestly any movable property from the person of such child, shall be punished under Section 369 of IPC if the child is under-/ जो कोई किसी शिशु का इस आशय से व्यपहरण या अपहरण करेगा कि ऐसे शिशु के शरीर पर से कोई जंगम सम्पत्ति बेईमानी से ले ले, वह भा.द.सं. की धारा 369 के अंतर्गत दण्डित किया जाएगा, अगर शिशु की आयुः

(a) Ten years/दस (b) Twelve years/बारह
(c) Fourteen years/चौदह (d) Fifteen years/पन्द्रह

Chhattishgarh (J) 2004
MPHC CJ 2002, 2014, 2018 Shift 1

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 369 के अनुसार, जो कोई **दस वर्ष से कम आयु के किसी शिशु का** इस आशय से व्यपहरण या अपहरण करेगा कि ऐसे शिशु के शरीर पर से कोई जंगम सम्पत्ति बेईमानी से ले ले, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

317. Punishment for Trafficking of person is-
व्यक्तियों के दुर्व्यापार के अपराध का है-

(a) Section 366-A of IPC/धारा 366-क भा.दं.सं. में
(b) Section 368 of IPC/धारा 368 भा.दं.सं. में
(c) Section 364-A of IPC/धारा 364-क भा.दं.सं. में
(d) Section 370 of IPC/धारा 370 भा.दं.सं. में

MPHC CJ 2018 Shift-II

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 370 व्यक्तियों के दुर्व्यापार को परिभाषित तथा दण्ड की व्यवस्था करता है। धारा 370 दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम 2013 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

318. IPC provides imprisonment which may be extended to ten years for:
1. Stalking
2. Habitual dealing in slaves
3. Kidnapping children under ten years
4. Unlawful compulsory labour
आई.पी.सी. में ..... हेतु दस साल तक के लिए बढ़ाए जा सकने वाले कारावास की सजा का प्रावधान है।
1. पीछा करने (स्टॉकिंग)
2. गुलामों के आदतन क्रय-विक्रय
3. दस साल से कम उम्र के बच्चों के अपहरण
4. गैर-कानूनी बाध्यकारी श्रम
विकल्प

(a) Only 1/केवल 1
(b) Only 2/केवल 2
(c) Only 3/केवल 3
(d) Only 4/केवल 4
(e) Both 1 and 3/1 और 3 दोनों

Chhattishgarh (ADPO) 2017

Ans. (b) : दासों के अभ्यासिक क्रय-विक्रय के अपराध हेतु भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 371 में कम से कम दस वर्ष के कठोर कारावास जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है का प्रावधान किया गया है।

319. The provision regarding 'selling minors for purposes of prostitution etc' is given in Indian penal code/भारतीय दण्ड संहिता में 'वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्तवय को बेचना संबंधी प्रावधान निम्नलिखित धारा में हैं:

(a) Section 372/धारा 372
(b) Section 373/धारा 373
(c) Section 370A/धारा 370A
(d) Section 371/धारा 371

UGC (NET) June, 2020 Paper-II

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 372 में 'वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्तवय को बेचना' संबंधी प्रावधान किया गया है। धारा 372 के अनुसार, जो कोई अठ्ठारह वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को इस आशय से कि ऐसा व्यक्ति किसी आयु में भी वेश्यावृत्ति या किसी व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए या किसी विधिविरूद्ध और दुराचारिक प्रयोजन के लिए काम में लाया या उपयोग किया जाय या यह सम्भाव्य जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति किसी आयु में भी ऐसे किसी प्रयोजन के लिए काम में लाया जायेगा या उपयोग किया जायेगा, बेचेगा, भाड़े पर देगा या अन्यथा व्ययनित करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा।

320. "Illicit intercourse" implies
''अयुक्त संभोग'' का आशय है

(a) Rape/बलात्कार
(b) Prostitution/वेश्यावृत्ति
(c) Sex between two person not united by lawful marriage/विधिवत विवाह द्वारा न जुड़े दो व्यक्तियों के बीच यौन संबंध
(d) Sex with a sleeping woman/निद्रा अवस्था वाली स्त्री से यौन संबंध

MP (ADPO) 2016 Paper-II

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 कि **धारा 372 के स्पष्टीकरण 2 के अनुसार** ''आयुक्त संभोग'' से इस धारा के प्रयोजनों के लिये ऐसे व्यक्तियों से मैथुन अभिप्रेत है जो विवाह से संयुक्त नहीं है, या ऐसे किसी संयोग या बंधन से संयुक्त नहीं हैं जो यद्यपि विवाह की कोटि में तो नहीं आता तथापि उस समुदाय की, जिसके वे है, या यदि वे भिन्न समुदायों के हैं तो ऐसे दोनों समुदायों की, स्वीय विधि या रूढ़ि द्वारा उनके बीच में विवाह-सदृश संबंध अभिज्ञात किया जाता हो।

यौन अपराध एवं प्रकृति-विरूद्ध अपराध (धारा 375-377)

321. A man is said to commit "rape" if the penetrates his penis, to any extent, into the ……of a woman:
एक व्यक्ति 'बलात्संग'' करता है, यह कहा जाता है, यदि वह व्यक्ति अपने लिंग को किसी सीमा तक प्रवेशन.....स्त्री में करता है।
(a) Vagina /योनि
(b) Mouth/ मुख
(c) Urethra or Anus/मुत्रनली या गुदा
(d) All of the above/उपरोक्त सभी

Bihar (HJS) 2018

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा 375 (a) के** अनुसार, एक व्यक्ति बलात्संग करता है, यह कहा जाता है। यदि वह व्यक्ति अपने लिंग का किसी सीमा तक स्त्री की योनि, मुख, मूत्रनली या गुदा में प्रवेश करता है या उससे अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा कराता है।

322. 'A' promises to marry 'B' his student and induced her to cohabit with him. He has given her a false assurance of marriage and also fraudulenlty gone through certain ceremonies of marriage, making 'B' believe that she was a lawfully wedded wife of 'A'. Later 'A' refused to recognize her as his wife. What offence has been committed by 'A'?
''अ'' अपनी छात्रा ''ब'' से विवाह करने का वचन देता है और उसको अपने साथ सहवास करने के लिये उत्प्रेरित करता है। ''अ'' ने ''ब'' को विवाह का झूठा विश्वास दिलाया और कपटपूर्ण विवाह की कुछ रस्में भी की, जिससे ''ब'' को विश्वास हो गया कि वह ''अ'' की विधिक तौर पर विवाहित पत्नी थी। बाद में ''अ'' ने उसको अपनी पत्नी मानने से इन्कार कर दिया। ''अ'' ने किस प्रकार का अपराध किया है?
(a) Rape/बलात्कार
(b) Adultery/जारकर्म
(c) Outraging modesty of a woman
महिला का शील भंग या लज्जा भंग
(d) 'A' has committed no offence
''अ'' ने कोई अपराध नहीं किया।

UPPCS (J) 2006

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 375 के चौथे खण्ड के अनुसार-** उस स्त्री की सम्मति से, जबकि वह पुरुष यह जानता है कि वह उस स्त्री का पति नहीं है और उस स्त्री ने सम्मति इसलिए दी है कि वह विश्वास करती है कि वह ऐसा पुरुष है जिससे वह विधिपूर्वक विवाहित है या विवाहित होने का विश्वास करती है। 'अ' अपनी छात्रा 'ब' से विवाह करने का वचन देता है और उसको अपने सहवास करने के लिए उत्प्रेरित करता है ''अ'' ने ''ब'' को विवाह का झूठा विश्वास दिलाया और कपटपूर्ण विवाह की कुछ रस्मे भी की, जिससे ''ब'' को विश्वास हो गया कि वह ''अ'' की विधिक विवाहित पत्नी थी और इस भ्रम के अधीन उसने 'अ' को सहवास की सम्मति दी किन्तु 'अ' यह जानता था कि वह ''ब'' का पति नहीं है, एवं तत्पश्चात् उसने 'ब' को अपनी पत्नी मानने से इन्कार करके उसकी पुष्टि भी कर दी। अत: 'अ' ने **(धारा 375 खण्ड (4) के अनुसार)** बलात्कार का **अपराध किया है। जिसके** लिए वह IPC की **धारा 376 के तहत दण्डनीय है।**

323. B a married man commits sex with C a girls child of 16 year with her consent. What offence B has committed?
एक विवाहित व्यक्ति B, 16 वर्ष की लड़की C के साथ उसकी सहमति से सम्भोग करता है। B ने कौन सा अपराध किया है?
(a) Adultery/जारकर्म
(b) Rape/बलात्कार
(c) No offence/कोई अपराध नहीं
(d) Sexual outraging/शील भंग करना

UGC (NET) December, 2013 Paper-II

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

324. D, a girl aged 16 years out of her free will goes out with B for having sexual intercourse and there is no evidence of use of force or inducement by deceitful means by B. Here :
द, एक 16 वर्षीय बालिका अपनी स्वतंत्र इच्छा से ब के साथ लैंगिक संभोग के लिए जाती है और ब द्वारा किसी प्रकार के बल प्रयोग अथवा प्रवंचनापूर्ण रीति से उत्प्रेरण का कोई साक्ष्य नहीं है। यहाँ :
(a) B is not guilty of any offence/ब किसी अपराध का दोषी नहीं है
(b) B is guilty of committing rape/ब बलात्संग कारित करने का दोषी है
(c) B is guilty of kidnapping/ब व्यपहरण का दोषी है
(d) B is guilty of abduction/ब अपहरण का दोषी है

UP (APO) 2007 (Special)

Ans: (b) भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 375 के खण्ड (6) के अनुसार 18** वर्ष से कम आयु वाली स्त्री की इच्छा या बिना इच्छा से उसके साथ किया गया संभोग बलात्संग होगा। अत: यहाँ पर ब बलात्संग कारित करने का दोषी धारा 376 के अधीन होगा।

325. A has intercourse with widow B under 16 year of age with her consent:
A एक 16 वर्ष से कम आयु की विधवा B के साथ उसकी सहमति से संभोग करता है:
(a) A has not committed the offence of Rape/A ने बलात्कार का अपराध नहीं किया है
(b) A has committed adultery /A ने जारकर्म किया है
(c) A has committed rape with B/A ने B के साथ बलात्कार किया है
(d) None of the above correct/उपर्युक्त में कोई सही नहीं है

MP (ADPO) 2003

Ans. (c) : प्रस्तुत समस्या में (A) ने (B) के साथ बलात्कार (रेप) किया है भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 375 खण्ड (6) के अनुसार** किसी व्यक्ति द्वारा किसी स्त्री से उस स्त्री की सम्मति से या बिना सम्मति के, जबकि वह 18 वर्ष से कम आयु की है, किया गया सम्भोग इस धारा के अन्तर्गत अपराध है और धारा 376 के तहत दण्डनीय है।

326. A minor girl of 15 years of age left her father's house with Rupees 10,000 and accompanied 'Z' to various places. All the travelling as well as Hotel charges were paid out of the said amount journey 'Z' had no money. During the course of their journey 'Z' had sexual intercourse with her thrice with her consent. Here 'Z' is liable under Section/ एक 15 वर्ष की अवयस्क लड़की अपने पिता का घर छोड़कर एवं दस हजार रुपये साथ में लेकर 'ज' के साथ चली गई जो उसे विभिन्न स्थानों पर ले गया। सारा यात्रा-व्यय तथा विभिन्न स्थानों पर होटल आदि में ठहरने का खर्च उसी पैसे से किया गया क्योंकि 'ज' के पास पैसे नहीं थे। इस दौरान 'ज' ने उसके साथ तीन बार उसकी सहमति से मैथुन किया। यहाँ 'ज' दायित्वाधीन है

(a) 363 of Indian Penal Code/भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363 के अन्तर्गत

(b) 366 of Indian Penal Code/भारतीय दण्ड संहिता की धारा 366 के अन्तर्गत

(c) 366-A of Indian Penal Code/भारतीय दण्ड संहिता की धारा 366-अ के अन्तर्गत

(d) 376 of Indian Penal Code/भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 के अन्तर्गत

UP (APO) 2007

Ans : (d) धारा 375 के खण्ड (6) के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु वाली स्त्री के साथ उसकी इच्छा से या इच्छा के बिना उसके साथ किया गया संभोग बलात्संग होगा। अतः धारा 376 के अधीन ज बलात्संग का दोषी होगा।

327. 'A' has sexual intercourse with a widow with her consent.'A' is guilty of
'A' एक विधवा के साथ यौन संबंध उसकी सहमति से स्थापित करता है। 'A' दोषी है

(a) rape/बलात्कार का

(b) adultery/जारकर्म का

(c) insulting modesty of widow/विधवा के लज्जा भंग का

(d) no offence/कोई अपराध नहीं

Uttarakhand (J) 2008

Ans. (d) : A एक विधवा के साथ यौन सम्बन्ध विधवा की सहमति से स्थापित करता है। अतः A किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं हैं। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375 के अन्तर्गत बलात्कार की छः परिस्थितियों में से कोई भी परिस्थिति इसमें सम्मिलित नहीं है तथा धारा 497 के अन्तर्गत जारकर्म भी नहीं है क्योंकि जारकर्म का अपराध स्त्री के पति के विरुद्ध अपराध होता है।

328 Where the accused caught hold of a girl, grabbed her by force by the side of the bushes, threw her down on the ground, removed her under garments, got over her and attempted to penetrate, but before he could succeed, the girl started bleeding.
जहां अभियुक्त ने एक लड़की को पकड़ा और उसे बलपूर्वक झाड़ियों के पास ले गया, उसे जमीन पर गिराकर उसके अंदरूनी वस्त्र हटाये, उसके ऊपर चढ़ गया तथा घुसाने का प्रयास किया लेकिन वह सफल होता इसके पूर्व लड़की को रक्तस्राव होने लगा

(a) the accused was guilty of preparation of rape only/अभियुक्त बलात्कार के लिए तैयारी का ही दोषी है

(b) the accused was guilty of outraging modesty of the girl/अभियुक्त लड़की की लज्जा भंग करने का ही दोषी है

(c) the accused was guilty of attempted rape अभियुक्त बलात्कार के प्रयास का दोषी है

(d) the accused was guilty of insulting the modesty of the girl/अभियुक्त लड़की की लज्जा का अपमान करने का दोषी है

MPHC CJ 2020

Ans. (c) : प्रस्तुत समस्या में अभियुक्त बलात्कार के प्रयास का दोषी है। बलात्कार को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375 में परिभाषित किया गया है, जिसको धारा 376 में दण्डनीय बनाया गया है।
नोट—दण्ड विधि संशोधन (अधिनियम), 2013 के द्वारा बलात्संग के अपराध के लिए **प्रवेशन की अनिवार्यता समाप्त हो गयी है इसलिए प्रस्तुत समस्या में बलात्संग के अपराध का गठन होता है।**

329. A, an 11 year aged boy, entered in the room of a girl B, aged about 8 year who was sleeping. A injured her private parts. In this case/'अ', एक 11 वर्ष का लड़का, लगभग 8 वर्ष की लड़की जो सो रही थी, के कमरे में घुसा व 'अ' ने लड़की के गुप्तांगों को क्षति पहुंचाई। इस केस में :

(a) A has committed no offence/ 'अ' ने कोई अपराध नहीं किया है

(b) A is guilty of an offence under Section 354 of IPC / 'अ' ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 के अंतर्गत अपराध किया है

(c) A is guilty of rape / 'अ' बलात्संग का दोषी है

(d) A is guilty of attempt to rape / 'अ' बलात्संग के प्रयास का दोषी है

MP (ADPO) 2010 Paper-II

Ans. (c): प्रस्तुत मामले में 'अ' भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 375 में परिभाषित 'बलात्संग' का दोषी है, क्योंकि धारा 375 की परिभाषा में 'पुरुष' शब्द को प्रयुक्त किया गया है। धारा 10 के अनुसार 'पुरुष' शब्द किसी भी आयु के मानव नर का द्योतक है। संहिता के धारा 83 के अंतर्गत 7 वर्ष से अधिक किन्तु 12 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को सीमित उन्मुक्ति प्रदान की गई है। यहां 'अ' अपने कार्य को समझता था और सोती हुई स्त्री को सम्मति देने में असमर्थ माना जाता है। अतः 'अ' बलात्संग के अपराध का दोषी है।

330. A man is said to commit rape if he has sexual intercourse with a women with or without her consent, if her age is below ..... years of
इसे बलात्कार कहा जायेगा यदि एक आदमी एक महिला की सहमति या असहमति से उसके साथ यौन संबंध बनाता है और जिसकी आयु ..... वर्ष से कम है।

(a) 16 (b) 14
(c) 15 (d) 18

Chhattishgarh (J) 2016

Ans. (d) : आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम, 2013 द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375 व 376 में संशोधन किया गया। इस संशोधन के उपरांत **धारा 375 खण्ड 6 के अनुसार**, स्त्री की सम्मति से या सम्मति के बिना जब वह 18 वर्ष से कम आयु की है, किसी पुरुष द्वारा बनाया गया शारीरिक संबंध बलात्कार है।

331. Under Indian Penal Code, sexual intercourse by a man with a woman who is not his wife with her consent is a rape, if she is below the age of/ किसी भी पुरूष द्वारा ऐसी स्त्री जो उसकी पत्नी नहीं है, के साथ उसकी सहमति से किया गया सम्भोग भा. दं. सं. के तहत, बलात्कार होगा यदि उसकी आयु-

(a) 16 years /16 वर्ष से कम है
(b) 17 years /17 वर्ष से कम है
(c) 18 years /18 वर्ष से कम है
(d) 19 years /19 वर्ष से कम है

MPHC CJ 2013 Shift-I

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 375 खण्ड छठवॉ** के अनुसार, किसी पुरुष द्वारा ऐसी स्त्री जो उसकी पत्नी नही है, के साथ उसकी सहमति से किया गया सम्भोग बलात्कार होगा यदि उसकी आयु 18 वर्ष से कम है।

332. The sexual intercourse by a man with a woman with her consent would not be rape, if she has attained the age of :
एक पुरुष द्वारा एक स्त्री के साथ संभोग उसकी सहमति से बलात्कार नहीं होगा, यदि महिला–

(a) 15 years/15 वर्ष की है
(b) 16 years/16 वर्ष की है
(c) 17 years/17 वर्ष की है
(d) 18 years/18 वर्ष की है

UPHESC 2014

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की **धारा 375 के छठाँ खण्ड** से यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी पुरुष द्वारा एक स्त्री के साथ संभोग उसकी सहमति से बलात्कार नहीं होगा, यदि महिला ने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो।

333. Sexual intercourse by a man with a woman even with her consent is a rape, if she is below the age of :/जब कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ मैथुन उसकी सम्मति से भी करता है, तो भी वह बलात्संग है, यदि उस स्त्री की आयु कम है–

(a) 17 years/17वर्ष से
(b) 16 years /16 वर्ष से
(c) 19 years /19 वर्ष से
(d) 18 years /18 वर्ष से

UP (APO) 2002, 2018

Ans: (d) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

334. What is not correct about 'Rape'?
बलात्संग के बारे में क्या सत्य नहीं है?

(a) Consent is immaterial if she is under 16 years/सहमति अतात्विक है, यदि महिला की उम्र 16 वर्ष से कम है
(b) Penetration is sufficient/प्रवेशन ही पर्याप्त है
(c) Intercourse by a man with his own wife and the wife is not being under 15 years, is not rape/यदि पत्नी की उम्र 15 वर्ष से कम नहीं है तो पति द्वारा किया गया संभोग बलात्संग नहीं है
(d) Death penalty may be awarded/मृत्यदण्ड भी दिया जा सकता है

Chhattishgarh (J) 2004
MPHC CJ 1997

Ans. (d) : प्रश्न काल के समय बलात्कार के लिए अधिकतम आजीवन कारावास का दण्ड प्रावधानित था किन्तु 2013 एवं 2018 के संशोधन के पश्चात् जो कोई बलात्संग करेगा वह दोनों में से किसी भी भॉति के कारावास जो दस वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु आजीवन कारावास तक हो सकेगी और जुर्माने से भी दण्डित किया जायेगा।

धारा 376A, 376AB, 376DB, 376E में मृत्युदण्ड का भी प्रावधान किया गया है।

2013 के संशोधन के पश्चात धारा 375 में निम्न संशोधन हुआ–

1. स्त्री की सहमति या बिना सहमति महत्वहीन है, जब वह स्त्री अट्ठारह वर्ष से कम आयु की है।
2. प्रवेशन आवश्यक नहीं है।
3. यदि पत्नी की आयु 15 वर्ष से कम आयु की है तो पति द्वारा कारित मैथुन बलात्संग गठित करेगा। **इनडिपेडेट थाट बनाम भारत संघ** के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि 15 वर्ष के स्थान पर 18 वर्ष पढ़ा जाय। अर्थात् 18 वर्ष से कम आयु के अपनी पत्नी से किया गया मैथुन भी बलात्संग का अपराध गठित करेगा।

335. When a man has sexual intercourse with a woman, under which of the following circumstances it will be rape/एक पुरुष द्वारा किसी स्त्री के साथ मैथुन करने पर निम्नलिखित में से कौन-सी परिस्थिति में उसका कृत्य बलात्कार माना जायेगा?

(a) Intercourse with her consent when she is under sixteen years of age/मैथुन स्त्री की सहमति से हुआ, जबकि स्त्री की उम्र सोलह वर्ष से कम है
(b) Intercourse without her consent when she is his wife and of fifteen years of age/मैथुन स्त्री की सहमति के बिना हुआ, जबकि स्त्री उसकी पत्नी है तथा उसकी उम्र पन्द्रह वर्ष है
(c) Intercourse with her consent, but she is wife of another man/मैथुन स्त्री की सहमति से हुआ, परन्तु स्त्री किसी दूसरे की पत्नी है
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

MP (ADPO) 2008 Paper-II

Ans.(a): भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 375 में 'बलात्संग' को परिभाषित किया गया है। धारा 375 के स्पष्टीकरण 6 के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के किसी स्त्री के साथ उसकी सम्मति या सम्मति बिना किया गया मैथुन बलात्संग है।

नोट – **इंडिपेन्डेन्ट थॉट बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया (2017)** के वाद में उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया कि यदि पत्नी 18 वर्ष से कम आयु की है तो पुरुष द्वारा किया गया मैथून बलात्संग की कोटि में आयेगा।

336. A is accused of rape. What defence is permissible to him according to law:
'अ' बलात्संग के अपराध का अभियुक्त है। क्या प्रतिरक्षा विधि अनुसार अनुज्ञेय है:

(a) They love each other and want to marry
वे प्रेम करते थे और विवाह करना चाहते थे
(b) He lost his control under circumstances
परिस्थितियोंवश उसने अपना संयम खो दिया था
(c) She consents to the act of sexual intercourse
सम्भोग के लिए महिला सहमत थी
(d) None of the above /उपर्युक्त में से कोई नहीं

MPHC CJ 2007

Ans. (c) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 375 पर आधारित है। 'A' बलात्संग के अपराध में यह प्रतिरक्षा ले सकता है कि महिला के सहमति से ही संभोग हुआ था। सहमति साबित करने का भार भी अभियुक्त पर ही होगा। **(धारा 114क साक्ष्य अधिनियम 1872)**

337. Sex with a girl with fraudulent consent amounts to:
छलपूर्ण रजामन्दी से लड़की के साथ यौन सम्बन्ध निम्नलिखित कहलाता है–

(a) Simple physical assault/सादा शारीरिक प्रहार
(b) Molestation/छेड़छाड़
(c) Outraging of modesty/शालीनता भंग करना
(d) Rape/बलात्कार

UGC (NET) December, 2010

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 375 के अनुसार, छलपूर्ण रजामन्दी से लड़की के साथ यौन सम्बन्ध बलात्कार के अपराध के अन्तर्गत आता है। **धारा 375 के स्पष्टीकरण 2 के अनुसार,** सहमति से ऐसा स्पष्ट स्वैच्छिक करार सहमति अभिप्रेत है जब स्त्री शब्दों, भाव भंगिमाओं या मौखिक या गैर मौखिक संसूचना के किसी भी रूप द्वारा विनिर्दिष्ट कार्य में भागीदारी करने की रजामंदी संसूचित करती हो।

338. Sexual inter course with his own wife is rape, When/अपनी स्वयं की पत्नी के साथ लैंगिक सम्भोग तब बलात्कार होता है, जबकि:

(a) Done against her will/पत्नी की इच्छा के विरुद्ध किया गया हो
(b) Done against her will, when wife is under eighteen years of age/पत्नी जब अठारह वर्ष से कम आयु की हो तब उसकी इच्छा के विरुद्ध किया गया हो
(c) Done against her will, when wife is under sixteen years of age/पत्नी जब सोलह वर्ष से कम आयु की हो तब उसकी इच्छा के विरुद्ध किया गया हो
(d) Done with or without her consent, when wife in under fifteen years of age/जब पत्नी पन्द्रह वर्ष से कम आयु की हो तब उसकी सहमति अथवा असहमति से किया गया हो

MP (ADPO) 1995

Ans : (d) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा **375 का अपवाद 2 के अनुसार-** पुरुष का अपनी पत्नी के साथ मैथुन बलात्संग नहीं है जबकि पत्नी पन्द्रह वर्ष से कम आयु की नहीं है अर्थात् **पत्नी की आयु 15 वर्ष से कम है तो किया गया मैथुन बलात्संग होगा।**

नोट - इंडिपेडेन्ट थाट बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया (2017) के वाद में उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया कि 18 वर्ष से कम आयु की महिला के पति द्वारा महिला से किया गया मैथुन बलात्कार होगा।

339. Sexual intercourse by a man with his own wife is rape, if the wife is of age
एक व्यक्ति द्वारा अपनी ही पत्नी से किया गया मैथुन, बलात्कार है, अगर पत्नी की उम्र है

(a) Less than 17 Years /17 वर्ष से कम
(b) Less than 15 Years /15 वर्ष से कम
(c) Less than 18 Years /18 वर्ष से कम
(d) Less than 21 Years /21 वर्ष से कम

BPSC (APO) 2009

Ans : (b) भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 375 के अपवाद 2 के** अनुसार, पुरुष का अपनी ही पत्नी के साथ मैथुन या यौन क्रिया बलात्संग नहीं है, जब पत्नी पन्द्रह वर्ष से कम आयु की नहीं है।
नोट- Independent thought vs Union of India (2017 SC) के वाद में उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया कि यदि पत्नी 18 वर्ष से कम आयु की है तो पुरुष द्वारा किया गया मैथुन बलात्संग की कोटि में आयेगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि वर्तमान समय में उत्तर (c) होगा।

340. A has sexual intercourse with his own wife aged about 14 years with her consent. A committed:
A अपनी 14 वर्षीय पत्नी B के साथ उसकी रजामंदी से मैथुन करता है। A ने कौन सा अपराध किया?

(a) No offence/कोई अपराध नहीं
(b) Rape/बलात्संग किया
(c) Intercourse with own wife is not rape/अपनी पत्नी के साथ बलात्संग नहीं होता
(d) As there was consent hence A cannot be held guilty for rape/की रजामंदी थी इसलिए केवल संभोग किया अपराध नहीं

Chhattishgarh (J) 2003

Ans. (b) : प्रस्तुत समस्या में 'A' ने बलात्संग का अपराध किया है क्योंकि 'A' की पत्नी 'B' की आयु 15 वर्ष से कम है, तो उसकी सम्मति या बिना सम्मति से किया गया सम्भोग बलात्संग होगा। भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की **धारा 375 के अपवाद-2 के अनुसार,** किसी पुरुष का अपनी स्वयं की पत्नी के साथ किया गया लैंगिक सम्भोग बलात्संग है, यदि पत्नी 15 वर्ष से कम आयु की है।
नोट- इंडिपेन्डेन्ट थॉट बनाम भारत संघ के वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 375 के अपवाद 2 में यदि पत्नी की आयु 18 वर्ष से कम है तो किसी पुरूष का अपनी स्वयं की पत्नी के साथ किया गया लैंगिक सम्भोग बलात्संग है।

341. What is not an offence under IPC?
भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत क्या एक अपराध नहीं है?

(a) Marital rape/वैवाहिक बलात्कार
(b) Bigamy/द्विविवाह
(c) Affray/दंगा करना
(d) Mischief/शरारत करना

Chhattishgarh (J) 2015

Ans. (a) : वैवाहिक बलात्कार– धारा 375 के अपवाद 2 के अनुसार– वैवाहिक बलात्संग अपराध नहीं है जब तक कि पत्नी की आयु 15 वर्ष से कम न हो।
नोट– इंडिपेंडेंट थाट बनाम भारत संघ (2018) के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह धारित किया है कि 18 वर्ष से कम आयु की पत्नी के साथ लैंगिक सम्भोग वैवाहिक बलात्संग है।

342. Point out incorrect answer:
गलत उत्तर बताइए :
Rape means sexual intercourse by a man with a woman if it is :
किसी पुरुष द्वारा किसी महिला के साथ लैंगिक सम्भोग करना बलात्संग कहलाता है यदि :

(a) against her will/यह उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध हो
(b) by her husband when she is below 16 years of age/यह उसके पति द्वारा हो जबकि उस महिला की उम्र 16 वर्ष से कम हो
(c) without her consent/यह उस स्त्री की सम्मति के बिना हो
(d) with her consent when she is under 16 years of age/यह उस स्त्री की सम्मति से हो जबकि उसकी उम्र 16 वर्ष से कम हो

UP (APO) 2007 (Special)

Ans: (b) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 375 के अपवाद 2 के अनुसार, किसी व्यक्ति का अपनी पत्नी के साथ संभोग बलात्संग है यदि पत्नी 15 वर्ष से कम आयु की हैं। परन्तु यदि पत्नी 15 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुकी है तो उसकी सम्मति से किया गया संभोग बलात्संग नहीं होगा।
नोटः-पत्नी के संबंध में **इंडिपेंडेंट थॉट बनाम भारत संघ के** विनिश्चय के उपरांत अब आयु सीमा 18 वर्ष कर दिया गया है। अर्थात् 18 वर्ष से कम आयु की पत्नी के साथ सम्भोग बलात्संग है।

343. Assertion (A) : Rape is a stigma on a woman hence is a punishable offence
Reason (R) : Sexual intercourse by a man with his wife is not rape
नीचे दो वक्तव्य दिये गये हैं। एक को कथन A तथा दूसरे को कारण R कहा गया है।
कथन (A): बलात्कार एक महिला पर कलंक है, इसलिए दंडनीय अपराध है
कारण (R): एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी के साथ मैथुन करना बलात्संग नहीं है।
Code :
(a) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)/'A' और 'R' दोनों सही है और 'R', 'A' का सही स्पष्टीकरण है
(b) Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)/'A' और 'R' दोनों सही है, परन्तु 'R', 'A' का सही स्पष्टीकरण नहीं है
(c) (A) is true but (R) is false
'A' सही है, परन्तु R, गलत है
(d) (A) is false but (R) is true
'A' गलत है, परन्तु R, सही है

Uttarakhand (J) 2002

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 375 में बलात्कार को परिभाषित किया गया है, जिसके लिए दण्ड का प्रावधान धारा 376 में किया गया है। **बलात्कार महिला के साथ-साथ समाज पर भी कलंक है,** इसलिए **दण्डनीय अपराध है अतः कथन (A) सही है।**
धारा 375 के अपवाद 2 के अनुसार, पुरुष का अपनी ही पत्नी के साथ मैथुन या यौन क्रिया बलात्संग नहीं है, जब पत्नी पंद्रह वर्ष से कम आयु की नहीं है।
नोटः-इन्डिपेन्डेन्ट थाट बनाम भारत संघ, 2017 (SC) के मामले में **पन्द्रह वर्ष के स्थान पर अठ्ठारह वर्ष कर दिया गया है।** अर्थात् अब अठ्ठारह वर्ष से कम आयु की पत्नी के साथ पति द्वारा मैथुन या यौन क्रिया बलात्संग होगा।
अतः पत्नी के साथ मैथुन बलात्संग नहीं होगा जब तक वो अठ्ठारह वर्ष से कम आयु की न हो। इसलिए कारण (R) का सही है।
'A' और 'R' दोनों सही है, परन्तु 'R', 'A' का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

344. 'A' commits sexual intercourse with his own wife aged under 15 years with her consent. 'A' is guilty of/'क' अपनी पत्नी, जिसकी आयु 15 वर्ष से कम है, के साथ उसकी सम्मति से मैथुन करता है। 'क' दोषी है
(a) No offence/किसी अपराध का नहीं
(b) Rape/बलात्संग का
(c) Assault/हमला करने का
(d) Use of Criminal force/आपराधिक बल प्रयोग करने का

Uttarakhand (APO) 2009

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

345. Under Indian Penal Code, 1860 the Criminal Law (Amendment) Act, 2013 has
भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अन्तर्गत दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 ने धारा 375 को
(a) Amended Sec. 375/संशोधित किया है।
(b) Substituted Sec. 375/प्रतिस्थापित किया है।
(c) Abolished Sec. 375/समाप्त कर दिया है।
(d) Weakened Sec. 375/कमजोर कर दिया है।

UPPCS (J) 2015

Ans. (b) : दण्ड विधि **संशोधन अधिनियम, 2013 ने धारा 375** को प्रतिस्थापित किया है। **धारा 375** बलात्संग से सम्बन्धित प्रावधान है जबकि धारा 376 में बलात्संग के दण्ड का प्रावधान है।

346. Sakshi Vs. Union of India A.I.R. 2003 S.C. 77 is related to :
साक्षी बनाम भारत संघ ए.आई.आर. 2003 एस.सी. 77 सम्बन्धित है :
(a) Sexual assault/यौन हमला से
(b) Molestation/छेड़-छाड़ से
(c) Use of criminal force of woman/महिला पर आपराधिक बल प्रयोग से
(d) Rape/बलात्कार से

UP (APO) 2007 (Special)

Ans: (d) साक्षी बनाम भारत संघ का वाद बलात्कार से सम्बन्धित है। बलात्कार भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375 में परिभाषित है। इसके लिए दण्ड का प्रावधान धारा 376 में है।

347. Apex court has shown as to how compromise is not a free choice of the rape survivor but a hidden secret of law where justice is reduced to a bargain between the victim's kin, state authorities and the accused. Identify the case law:
उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि बलात्कार की किसी उत्तरजीवी के लिये समझौता कोई स्वतंत्र चुनाव नहीं है, बल्कि विधि का एक अप्रकट गुप्त बात है जहाँ न्याय लघुकृत होकर पीड़िता के संबंधी, राज्य प्राधिकारी तथा आरोपी के बीच एक सौदा बनकर रह जाता है। इस निर्णय विधि की पहचान कीजिये।
(a) Ravindra v. State of M.P.
रवीन्द्र बनाम मध्य प्रदेश राज्य
(b) Shreya Singhal v. Union of India
श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ
(c) Sanskar Marathe v. State of Maharashtra
संस्कार मराठे बनाम महाराष्ट्र राज्य

(d) Khursheed Ahmed Khan v. State of U.P.
खुर्शीद अहमद खां बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

UGC (NET) December, 2015 Paper-II

Ans. (a) : रविन्द्र बनाम म. प्र. राज्य (2015) में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि बलात्कार के किसी उत्तरजीवी के लिए समझौता कोई स्वतन्त्र चुनाव नहीं है, बल्कि विधि का एक गुप्त बात है,जहाँ न्याय लघुकृत होकर पीड़िता के सम्बन्धी राज्य प्राधिकारी तथा आरोपी के बीच एक सौदा बनकर रह जाता है।

348. Recently Supreme Court has interpreted the Exeption 2 to Section 375 of IPC as "Sexual intercourse or sexual acts by a man with his own wife, the wife not below 18 years, is not rape". The case is-
हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375 के अपवाद 2 का निर्वचन निम्नानुसार किया है ''पुरुष का अपनी पत्नी के साथ मैथुन बलात्संग नहीं है जबकि पत्नी 18 वर्ष से कम आयु की नहीं है।'' वह मामला है–

(a) Independent Thought v. Union of India
इंडीपेन्डेंट थॉट विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया

(b) Youth Advocate Association v. Union of India/यूथ एडवोकेट एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ

(c) Lilly Thomas v. Union of India
लिलि थॉमस विरुद्ध भारत संघ

(d) Alakh Alok Shrivastava v. Union of India
अलख आलोक श्रीवास्तव विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया

MPHC CJ 2018 Shift-II

Ans. (a) : उच्चतम न्यायालय ने **इंडिपेन्डेन्ट थॉट बनाम यूनियन आफ इण्डिया (2017) के मामले** में निर्धारित किया कि पुरुष का अपनी पत्नी के साथ मैथुन या यौन क्रिया बलात्संग नहीं है, जब पत्नी 18 वर्ष से कम आयु की नहीं है।

349. In which of the following judgment the hon'ble supreme court has determined that the exception 2 of section 375 of IPC is violation of the right of girls below the age of 18 years –
निम्न में से किस निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि भा.द.वि. की धारा 375 का अपवाद दो, 18 वर्ष से कम उम्र की बच्ची के अधिकारों का उल्लंघन है–

(a) Independent thought v. union of India /इंडिपेंडेंट थॉट विरुद्ध ऑफ इंडिया

(b) S.R. Sukumar v. Sunad Raghuram /एस.आर. सुकुमार विरुद्ध सुनाद रघुराम

(c) Arnesh kumar v. state of Bihar /अरनेश कुमार विरुद्ध बिहार राज्य

(d) Ramesh Chandra Ambalal Joshi v. State of Gujarat / रमेश चन्द्र अम्बालाल जोशी विरुद्ध गुजरात राज्य

MP (HJS) 2018

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

350. Which one of the following case is related to the offence of rape?/निम्नलिखित में से कौन सा वाद बलात्संग से सम्बन्धित है?

(a) Kuldeep Kumar Mahato Vs. State of Bihar/ कुलदीप कुमार महतो बनाम बिहार राज्य

(b) T.D. Vadgama Vs. State of Gujarat/टी. डी. वाडगमा बनाम गुजरात राज्य

(c) Baldeo Singh Vs. State/बलदेवसिंह बनाम राज्य

(d) Bidyadhar Naik Vs. State of Orissa/विद्याधर नायक बनाम उड़ीसा राज्य

UP (APO) 2011

Ans. (a) : कुलदीप कुमार महतो बनाम बिहार राज्य का वाद बलात्संग से सम्बन्धित है।

351. The Supreme Court made it clear that factors like the character or reputation or status of a reped victim are wholly alien to the very scope and object of Section 376 in the case of:
निम्न प्रकरण में उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बलात्कार की पीड़िता का चरित्र या मर्यादा या हैसियत के कारक धारा 376 के विस्तार एवं उद्देश्य के ही असंगत है:

(a) Swati Lodha Vs. State of Rajasthan, 1991; Cr.L.J. 939 (Raj.)/स्वाति लोधा बनाम राजस्थान राज्य, 1991 क्रि.लॉ ज. 939 (राज.)

(b) State of Haryana Vs. Prem Chand, 1990, Cr.L.J. 454 (S.C.)/हरियाणा राज्य बनाम प्रेमचन्द, 1990 क्रि.लॉ ज. 454(एस.सी.)

(c) State of Rajashtan Vs. Om Prakash, 2002, Cr. L.J. 2951 (S.C.)/राजस्थान राज्य बनाम ओम प्रकाश, 2002 क्रि.लॉ ज. 2951 (एस.सी.)

(d) Kanahi Mishra Vs. State of Bihar, 2001, Cr. L.J. 1259 (S.C.)/कन्हई मिश्र बनाम बिहार राज्य, 2001 क्रि.लॉ ज. 1259 (एस.सी.)

(e) None of these/इनमें से कोई नहीं

Chhattishgarh (ADPO) 2013

Ans. (b) : हरियाणा राज्य बनाम प्रेमचन्द्र (1990) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि बलात्कार की पीड़िता का चरित्र, ख्याति अथवा हैसियत अपराधी के दण्ड के निर्धारण में विचारणीय तथ्य नहीं हो सकते।

352. In which of the following case, it has been held that Consensual physical relationship does not amount rape under Section 375 of I.P.C.?
निम्नलिखित में से किस वाद में यह निर्णित किया गया है कि सहमतिजन्य शारीरिक सम्बन्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375 के अन्तर्गत बलातसंग नहीं होता है ?

(a) Dhruvarm Murlidhar Sonar Vs. State of Maharashtra /ध्रुवराम मुरलीधर सोनार बनाम महाराष्ट्र राज्य

(b) Surjit Sarkar Vs. State of West Bengal/सुरजीत सरकार बनाम वेस्ट बंगाल राज्य

(c) Mithu Vs. State of West Bengal/मीठू बनाम वेस्ट बंगाल राज्य

(d) Dr. Saroja Dharampal Patil Vs. State/डॉ. सरोजा धर्मपाल पाटिल बनाम राज्य

UP (HESC) 2021

Ans. (a) : ध्रुवराम मुरलीधर सोनार बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि सहमति जन्म शारीरिक सम्बन्ध से भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375 के अन्तर्गत बलात्कार का अपराध गठित नहीं होता है।

353. Which section will be attracted if a public servant, commits rape on a woman in his custody?/ भारतीय दण्ड संहिता की निम्नलिखित में से कौन-सी धारा आकर्षित होगी, यदि लोक सेवक द्वारा अपनी अभिरक्षा में की किसी स्त्री के साथ बलात्संग किया जाता है?

(a) Section 376(2)(a) of IPC
भा.दं.सं. की धारा 376(2)(क)
(b) Section 376(2)(d)/धारा 376(2)(घ)
(c) Section 376(2)(g)/ धारा 376(2)(छ)
(d) Section 376(2)(b)/ धारा 376(2)(ख)

MPHC CJ 2019 Shift-I
MP (HJS) 2017

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 376(2)(b) के अनुसार - जो कोई लोक सेवक होते हुए, ऐसे लोक सेवक की अभिरक्षा में स्त्री से बलात्संग करेगा, वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नही होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

354. In which of the following section of the Indian Penal Code, the provision relating to intercourse by public servant with woman in his custody is given?/लोक सेवक द्वारा अपनी अभिरक्षा में किसी स्त्री के साथ सम्भोग सम्बन्धी उपबंध भारतीय दण्ड संहिता की किस धारा में किया गया है?

(a) Section 376-A/ धारा 376-क
(b) Section 376-C/ धारा 376-ग
(c) Section 376-B/ धारा 376-ख
(d) Section 376/ धारा 376

Uttarakhand (APO) 2009

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 376-B लोक सेवक द्वारा अपनी अभिरक्षा में की किसी स्त्री के साथ संभोग का प्रावधान करती है।
किन्तु दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 द्वारा इसे धारा 376(2) (ख) में प्रतिस्थापित किया गया।

355. Under which of the following sections of the Indian Penal code, 1860 a sentence of death may be passed in reference to the offence of rape?
भारतीय दण्ड संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से किसमें मृत्युदण्ड तक का दण्डादेश, बलात्संग के अपराध के सन्दर्भ में दिया जा सकता है?

(a) 376 D / 376 घ (b) 376 C / 376 ग
(c) 376 B / 376 ख (d) 376 A / 376 क

MP (HJS) 2015

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की **धारा 376 A के अंतर्गत मृत्युदण्ड तक** का दण्डादेश, ब्लात्संग के अपराध के संदर्भ में दिया जा सकता है।
धारा 376 B - सात वर्ष तक का दण्ड दिया जा सकता है।
धारा 376 C - दस वर्ष तक का दण्ड दिया जा सकता है।
धारा 376 D - आजीवन कारावास तक का दण्ड दिया जा सकता है।
नोट–धारा 376A, 376B, 376C, 376D को दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया है।

356. Which one of the following Sections of the I.P.C. provides punishment for causing death or resulting in persistent vegetative state of victim?/भारतीय दण्ड संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा मृत्यु कारित करने या पीड़िता के सतत् विनाशक स्थिति में परिणामित होने के दण्ड का प्रावधान करती है?

(a) Section 376A/धारा 376-क
(b) Section 376 B/धारा 376-ख
(c) Section 376 C/धारा 376-ग
(d) Section 376 E/धारा 376-ङ

Uttarakhand (J) 2018

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376-क पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकृतशील दशा कारित करने के लिए दण्ड का प्रावधान करती है, जो कठोर कारावास से, जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी या मृत्युदण्ड से दण्डित होगा।

357. Which of the following provision was inserted by Act 22 of 2018 in Indian Penal Code?
भारतीय दण्ड संहिता में वर्ष 2018 के अधिनियम 22 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध अंतः स्थापित किया गया?

(a) Punishment for causing death or resulting persistent vegetative state of victim /मृत्यु अथवा पीड़िता को निरंतर मरणासन्न अवस्था मे लाने के लिए कारित अपराध के लिए दण्ड
(b) Punishment for rape on women under Twelve Years of age /बारह वर्ष से कम आयु की महिला के साथ दुष्कर्म करने पर दण्ड
(c) Sexual intercourse by husband upon his wife during separation /विवाह विच्छेद के दौरान पति द्वारा पत्नी के साथ सहवास
(d) Sexual intercourse by a person in authority /किसी प्राधिकारी द्वारा मैथुन

UGC (NET) December, 2019 Paper-II

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 में दण्ड विधि (संशोधन) अधिनिय, 2018 द्वारा धारा 376-AB को अन्तःस्थापित किया गया, जो 21 अप्रैल, 2018 से प्रभावी है।
धारा 376-AB में प्रावधान किया गया है कि जो कोई 12 वर्ष से कम आयु की किसी स्त्री से बलात्संग करेगा, वह कठिन कारावास से, **जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्रकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा, तक की हो सकेगी और जुर्माने से, अथवा मृत्युदण्ड से दण्डित किया जायेगा।**

358. 'A' has sexual intercourse with his own wife who is living separately from his under a decree of separation without her consent. Which Section of Indian Penal Code covers this matter?/ अपनी पत्नी, जो कि अलग रहने की डिक्री के अधीन उससे पृथक रह रही है, उसकी सहमति के बिना मैथुन करता है। भारतीय दण्ड संहिता की कौन सी धारा इस मामले से सम्बन्धित है?

(a) Section 376/धारा 376
(b) Section 376A/धारा 376(क)

(c) Section 376B/धारा 376(ख)
(d) Section 376C/धारा 376(ग)

Uttarakhand (J) 2006

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 376 B के अन्तर्गत पृथक रहने के दौरान अपनी ही पत्नी के साथ मैथुन किया जाना दण्डनीय बनाया गया है। जिसके अनुसार, जो कोई अपनी पत्नी के साथ जो चाहे पृथक्करण की किसी डिक्री के अधीन या अन्यथा पृथक रह रही हो, उसकी सम्मति के बिना मैथुन करेगा, वह किसी भी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

359. A public servant commits sexual intercourse with a woman in his custody which does not fall under the category of rape. The maximum punishment which may be given to the public servant is /लोकसेवक अपनी हिरासत में किसी स्त्री के साथ मैथुन करता है जो बलात्संग के अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। ऐसे लोकसेवक को अधिकतम सजा दी जा सकती है-

(a) Seven years /सात वर्ष
(b) Five years /पाँच वर्ष
(c) Ten years /दस वर्ष
(d) Life imprisonment /आजीवन कारावास

Rajasthan (APO) 2005

Ans. (b) : कोई लोक सेवक अपनी हिरासत में किसी स्त्री के साथ मैथुन करता है जो बलात्संग के श्रेणी में नहीं आता है तो ऐसे लोक सेवक को अधिकतम् 5 साल की सजा दी जा सकती थी।

नोट- किन्तु **2013 में दण्ड विधि संशोधन अधिनियम 2013 के द्वारा धारा 376सी में संशोधन किया गया और अब लोक सेवक द्वारा किसी स्त्री के साथ हिरासत में मैथुन करता है तो वह दोनों में से किसी भी भाँति के कठोर कारावास से जिसकी अवधि पाँच वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु दस वर्ष तक हो सकेगी दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।**

360. 'Gang Rape' has been made punishable under which section of IPC, 1860?
''सामूहिक बलात्संग'', भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में दण्डनीय है:

(a) Section 376 A/धारा 376 क
(b) Section 376 B/धारा 376 ख
(c) Section 376 C/धारा 376 ग
(d) Section 376 D/धारा 376 घ

JPSC (APO) 2014, 2019
Chhattisgarh (J) 2020

Ans. (d) : सामूहिक बलात्संग (Gang rape) से संबंधित प्रावधान भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376-D में किया गया है। इस धारा के अनुसार, जहाँ समूह को गठित करने वाले या सामान्य आशय के अग्रसारण में कार्य करने वाले एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा स्त्री से बलात्संग किया जाता है, वहाँ यह समझा जायेगा कि उन व्यक्तियों में से प्रत्येक ने बलात्संग का अपराध कारित किया है और कठोर कारावास से जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी जिसका तात्पर्य उस व्यक्ति के नैसर्गिक जीवन के शेष के लिए कारावास से होगा और जुर्माना से दण्डित किया जायेगा।

361. After Criminal law (Amendment), 2013 to the Indian Penal Code the offence of Gang Rape is punishable under section:
आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम 2013 जो कि भारतीय दण्ड विधान में हुआ के पश्चात् सामूहिक बलात्कार किस धारा के तहत दण्डनीय होगा-

(a) 376(2)(g)/376(2)(छ)
(b) 376B/376ख
(c) 376C/376ग
(d) 376D/376घ

MPHC CJ 2014, 2016

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 376D में सामूहिक बलात्कार के लिए दण्ड का उपबन्ध किया गया है। जिसमें दण्ड, कठोर कारावास जो 20 वर्ष से कम नहीं होगी या आजीवन कारावास तक हो सकती है। इस धारा को आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा जोड़ा गया है।

362. What does section 376-D of the Indian Penal code relate to?/ भारतीय दंड संहिता की धारा 376-D किससे संबंधित है?

(a) Custodial rape/हिरासत में बलात्कार
(b) Gang rape/गिरोह द्वारा बलात्कार
(c) Compensation to victim of rape /बलात्कार-पीड़ित को मुआवजा
(d) Rape of husband/पति द्वारा बलात्कार

Chhattishgarh (J) 2017

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

363. The Criminal Law (Amendment) Act, 2013 has added a new Section 376-D. What does it relate to?
आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 में एक नई धारा 376-D जोड़ी गयी है। यह किससे संबंधित है?

(a) Custodial Rape/हिरासत में बलात्कार
(b) Gang Rape/सामूहिक बलात्कार
(c) Rape by Public Servants/सरकारी कर्मचारी द्वारा बलात्कार
(d) Speedy Trial of Rape Offenders/बलात्कार के अपराधियों पर त्वरित सुनवाई

Chhattishgarh (J) 2016

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

364. Maximum Punishment for Gang-Rape under 376D of IPC is
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376-घ के अंतर्गत सामूहिक बलात्संग के लिये अधिकतम दण्ड है-

(a) 10 years/10 वर्ष
(b) 20 years/20 वर्ष
(c) Imprisonment for life which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life
आजीवन कारावास से, जिसका तात्पर्य उस व्यक्ति के शेष जीवन काल के लिये कारावास से होगा
(d) Punished with Death /मृत्युदण्ड

MPHC CJ 2017

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 376 D में गैंग रेप के लिए दण्ड का प्रावधान किया गया है। इस धारा के अन्तर्गत गैग रेप (सामूहिक बलात्संग) के लिए कठोर कारावास जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी तथा जुर्माना भी होगा।

365. Where a woman is gang raped, each of those persons shall be deemed to have committed the offence of rape and shall be punished with:
जहाँ किसी औरत के साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है, वहाँ प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा बलात्कार का अपराध किया माना जाएगा और दण्डित किया जाएगा-

(a) Death/मृत्युदण्ड से
(b) Imprisonment for life/आजीवन कारावास से
(c) Imprisonment for life with fine/आजीवन कारावास जुर्माना सहित से
(d) Rigorous imprisonment not less than twenty years/कठोर कारावास से जो 20 वर्षों से कम का नहीं होगा

Uttarakhand (J) 2019

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376-D में सामूहिक बलात्कार को परिभाषित किया गया है। धारा 376-D के अनुसार जहाँ किसी स्त्री से एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा या समूह गठित करने वाले या सामान्य आशय को अग्रसर करने में कार्य करते हुए बलात्संग किया जाता है वहाँ उन व्यक्तियों में से प्रत्येक के बारे में यह समझा जायेगा कि उसने बलात्संग का अपराध किया है और कठोर कारावास से **जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम नहीं हो सकेगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास अभिप्रेत होगा दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।**

366. The punishment for 'Gang Rape' as provided under section 376D of Indian Penal Code, 1860 is:
भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 376 D के अन्तर्गत 'सामूहिक बलात्कार' के लिए सजा उपबंधित है:

(a) Rigorous imprisonment which will be not less than 20 years but it may be extended upto life imprisonment /कठोर कारावास जो 20 वर्ष से कम नहीं होगा, किन्तु जो आजीवन कारावास तक विस्तारित किया जा सकता है।
(b) Death sentence /मृत्युदण्ड
(c) Life imprisonment only/केवल आजीवन कारावास
(d) Rigorous imprisonment which will be not less than 10 years but it may extended upto life imprisonment./कठोर कारावास जो 10 वर्ष से कम नहीं होगा, किन्तु जो आजीवन कारावास तक विस्तारित किया जा सकता है।

Uttarakhand (J) 2021

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

367. The punishment prescribed for the offence of gang rape under Indian Penal code is
भारतीय दण्ड संहिता में सामूहिक बलात्संग के अपराध के लिए दण्ड उपबंधित है:

(a) Minimum 5 year imprisonment which may extend to life imprisonment and fine as per section 376(2)(g) / धारा 376 (2)(छ) के अन्तर्गत न्यूनतम 5 वर्ष किन्तु जो आजीवन हो सकेगी तथा अर्थदण्ड
(b) Minimum 7 year imprisonment which may extend to life imprisonment and fine as per section 376(2)(g) / धारा 376 (2)(छ) के अन्तर्गत न्यूनतम 7 वर्ष किन्तु जो आजीवन हो सकेगी तथा अर्थदण्ड
(c) Minimum 20 year imprisonment which may extend to life imprisonment and fine as per section 376 D / धारा 376 घ के अन्तर्गत न्यूनतम 20 वर्ष किन्तु जो आजीवन हो सकेगी तथा अर्थदण्ड
(d) Minimum 20 year imprisonment which may extend to imprisonment for life which means imprisonment for the rest of the life of the person convicted and fine as per section 376 D/ धारा 376 घ के अन्तर्गत न्यूनतम 20 वर्ष किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी जिससे उस व्यक्ति को नैसर्गिक जीवन के शेष भाग तक हो सकेगी तथा अर्थदण्ड

MP (HJS) 2016

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

368. Can a woman be prosecuted for gang rape?
क्या स्त्री पर समूह बलात्कार के लिये मुकदमा चलाया जा सकता है?

(a) Occasionally/कभी-कभी
(b) As the case demands/जैसा की मामले की माँग हो
(c) Not at all/बिल्कुल नहीं
(d) When she is a party to it/जब वह उसमें पक्षकार हो

UGC (NET) December, 2012 Paper-III

Ans. (c) : भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 376-D के अन्तर्गत गैंग रेप या समूह बलात्कार दण्डनीय अपराध है। यह अपराध पुरूषों द्वारा किया जाता है महिला इस अपराध की पीड़ित होती है।

369. Section 376 DB of Indian Penal Code provides for the/भारतीय दण्ड संहिता की धारा '376 डी बी' में निम्नलिखित संबंधी प्रावधान है:

(a) Punishment for gang rape of a woman under sixteen years of age/सोलह वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ सामूहिक बलात्संग हेतु दण्ड
(b) Punishment of rape of woman under twelve years of age/बारह वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ बलात्संग हेतु दण्ड
(c) Punishment for gang rape of a woman under twelve years of age/बारह वर्ष की आयु से कम आयु की स्त्री के साथ सामूहिक बलात्संग हेतु दण्ड
(d) Punishment for causing death or resulting in a persistent vegetative state of the victim/पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकृतशील दशा कारित करने के लिए दण्ड

UGC (NET) June, 2020 Paper-II

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की **धारा 376 DB** में बारह वर्ष से कम आयु की स्त्री से सामूहिक बलात्संग के लिए दण्ड का प्रावधान किया गया है। धारा 376DB के अनुसार, जो कोई 12 वर्ष से कम आयु के स्त्री के साथ सामूहिक बलात्कार करेगा वह आजीवन कारावास से जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति का शेष जीवन का कारावास होगा और जुर्माना या मृत्युदण्ड से दण्डित किया जायेगा।
उपरोक्त धाराएं दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 के द्वारा अन्तः स्थापित की गई है।

370. After amendment in the IPC, if any person has been previously convicted under section 376 of IPC and he again gets convicted under the same section then he will be punished under which section of the Indian Penal code, 1860.
भा.द.सं. के हाल के संशोधन के पश्चात्, यदि कोई व्यक्ति भा.दं.सं. की धारा- 376 के तहत दण्डनीय अपराध का पूर्व में दोषसिद्ध किया गया है और उसी अपराध के लिये बाद में दोषसिद्ध किया गया है तो भा.द.सं. की निम्नलिखित मे से किस एक धारा के तहत उसे दण्डित किया जाएगा–

(a) 376 C / 376 ग (b) 376 F / 376 च
(c) 376 E / 376 ड़ (d) 376 D / 376 घ

MP (HJS) 2013

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 376-E में पुनरावृत्तिकर्ता अपराधियों के लिए दण्ड का प्रावधान किया गया है। इस धारा को दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 की धारा 9 द्वारा धारा 376-E के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। वर्ष 2018 के दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम द्वारा इसमें धारा 376-AB या धारा 376-D या धारा 376-DA या धारा 376-AB शब्द प्रतिस्थापित किया गया है। इस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का पूर्व में दोषसिद्ध किया गया है और उसी अपराध के लिए बाद में दोषसिद्ध किया गया है, तो वह इस धारा के तहत दण्डनीय होगा।

371. A who was previously convicted under section 376 of I.P.C. and is again convicted under same section for life imprisonment. Here imprisonment for life means—
'ए' जो पूर्व में धारा 376 भा.दं.वि. के अंतर्गत दण्डित हो चुका है और उसे पुनः उसी धारा के अंतर्गत, दोषी पाकर आजीवन कारावास से दण्डित किया जाता है। यहाँ आजीवन कारावास का अर्थ है–

(a) Remainder of A's natural life
'ए' का शेष प्राकृत जीवन
(b) 20 years /20 वर्ष
(c) 14 years /14 वर्ष
(d) 30 years /30 वर्ष

MPHC CJ 2013 Shift-II

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376E के अनुसार धारा 376, 376A, 376B, 376BA 376D, 376DA या 376 DB के अपराध की पुनरावृत्ति अपराधी के लिए दण्ड का प्रावधान किया गया है। धारा 376E के तहत दोषसिद्ध व्यक्ति को आजीवन कारावास (जिसका तात्पर्य व्यक्ति के शेष बचे नैसर्गिक जीवन से होगा), या मृत्यु दण्ड से दण्डित किया जायेगा।

372. For the offence committed under Section 376 E of the Indian Penal Code 1860, the punishment shall be:
भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 376ङ में किये गये अपराध के लिए सजा होगीः

(a) Twenty years simple imprisonment/बीस वर्षों का साधारण कारावास
(b) Twenty years rigorous imprisonment/बीस वर्षों का कठोर कारावास
(c) Fourteen years rigorous imprisonment/चौदह वर्षों का कठोर कारावास
(d) Life imprisonment or death/आजीवन कारावास या मृत्युदण्ड

Uttarakhand (APO) 2021

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

373. An offender who has been previously punished for an offence punishable under section 376 or section 376A or section 376D and thereafter gets convicted under any one of the said sections then he will be punishable with :
कोई अपराधी, जो धारा 376 या धारा 376क या धारा 376घ के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए पूर्व में दण्डित किया गया है और तत्पश्चात् उक्त धाराओं में से किसी के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है, तो वह दण्डनीय होगा–

(a) with imprisonment for life, which shall means imprisonment for the remainder of that person's natural life, or with death. / आजीवन कारावास से, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा या मृत्युदण्ड से
(b) with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than ten years but which may extend to imprisonment for life / कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी
(c) with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than seven years but which may extend to ten years / कठोर कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी
(d) with rigorous imprisonment for a term which may extend to ten years and fine /कठोर कारावास से, जो दस वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से

MP (HJS) 2016,2017

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

374. In which case, the Supreme Court unanimously ruled that individual autonomy and intimacy and identity are protected under fundamental rights?
किस मामले में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने एकमत से विचार व्यक्त किया कि व्यक्तिगत स्वायत्तता और आत्मीयता और पहचान को मूल अधिकारों के अन्तर्गत संरक्षित किया गया है?

(a) Navtej Singh Johar V. Union of India/नवतेज सिंह जोहर बनाम भारत संघ
(b) Suresh Kumar Kaushal V. Naz foundation/सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज फाउन्डेशन
(c) Castle Rock V. Gozales/कैसल रॉक बनाम गोंजेल्स
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं।

UPPCS (J)-2018

Ans. (a) : नवतेज सिंह जोहर बनाम भारत संघ, 2018 (SC) के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वसम्मति से यह अभिनिश्चय किया कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 377 आंशिक रूप से असंवैधानिक है और व्यक्तिगत स्वयत्तता व आत्मीय पहचान मूल अधिकार के रूप में संरक्षित है।

375. Which one of the following cases pertains to the constitutionality of Section 377, IPC?
निम्नलिखित में से कौन-सा एक केस धारा 377, IPC की संवैधानिकता से सम्बन्धित है?

(a) Vishakha vs. State of Rajasthan, AIR 1997 SC 3011/विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, AIR 1997 SC 3011
(b) Pratim alias Peter Mukherjee vs. Union of India, AIR 2018 BOM 224/प्रतिम उर्फ पीटर मुखर्जी बनाम भारत संघ, AIR 2018 BOM 224
(c) Navtej Singh Johar vs. Union of India, AIR 2018 SC 4321/नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ, AIR 2018 SC 4321
(d) Jasmeet Kaur vs. Navtej Singh, AIR 2018 SC (Supp.) 898/जसमीत कौर बनाम नवतेज सिंह, AIR 2018 SC (Supp.) 898

Jharkhand (J) 2019

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

376. Unnatural offence is not possible
प्रकृति-विरुद्ध अपराध संभव नहीं है

(a) by man / पुरुष द्वारा
(b) by woman / स्त्री द्वारा
(c) with animals / जीव-जन्तु के साथ
(d) by animals / जीव-जन्तु द्वारा

BPSC (APO) 2009

Ans : (d) भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 377 के अनुसार जो कोई,
(a) किसी पुरुष
(b) स्त्री, या
(c) जीव-जन्तु के साथ
प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध स्वेच्छया इंद्रिया-भोग करेगा वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति की कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
इस प्रकार प्रकृति विरुद्ध अपराध जीव जन्तु के साथ तो हो सकता है किन्तु जीव जन्तु के द्वारा नहीं किया जा सकता है।

377. Whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of nature with any man, woman, or animal shall be punished with maximum imprisonment of :
जो कोई किसी पुरुष, स्त्री या जीव-जन्तु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध स्वेच्छया इन्द्रीय भोग करेगा उसे अधिकतम सजा दी जा सकती है।

(a) Imprisonment of life / आजीवन कारावास
(b) Imprisonment upto ten years / दस वर्ष तक का कारावास
(c) Imprisonment upto seven years / सात वर्ष तक का कारावास
(d) Imprisonment upto three years / तीन वर्ष तक का कारावास

Rajasthan (APO) 2005

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 377 में प्रकृति विरुद्ध अपराध का प्रावधान किया गया है। धारा 377 के अनुसार जो कोई किसी पुरुष, स्त्री, जीव-जन्तु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध स्वच्छेया इन्द्रिय भोग करेगा वह आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डित किया जायेगा।
नोट- सर्वोच्च न्यायालय ने ''नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ के मामले में धारा 377 को आशिक रूप से असंवैधानिक घोषित कर दिया।''

378. The consensual sexual act of an adult is criminalised under which of the following legislations/वयस्क व्यक्ति के सहमतिपूर्ण यौनाचार को निम्नलिखित में से किस कानून के अंतर्गत अपराध माना गया है?

(a) Indian Penal Code/भारतीय दंड संहिता
(b) POSCO/पोस्को
(c) Criminal Law (Amendment) Act 2013/अपराध विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013
(d) हिंदू विवाह अधिनियम, 1955

UGC (NET) June, 2020 Paper-II

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 377 के अनुसार, जो कोई किसी पुरूष, स्त्री या जीवजन्तु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरूद्ध (against the order of nature) स्वेच्छया इन्द्रिय भोग करेगा वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा। **नवतेज सिंह जौहर वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारा 377 को आंशिक रूप से असंवैधानिक घोषित कर वयस्क व्यक्तियों के मध्य सहमतिपूर्ण यौनाचार को वैध घोषित किया।**

379. Buggery is an offence against:
लौंडेबाजी निम्नलिखित के विरुद्ध अपराध है–

(a) Having sexual intercourse with a women/स्त्री के साथ संभोग
(b) Offence committed without use of force/बल प्रयोग के बिना किया गया अपराध
(c) Depravity against natural order of sex/यौन की प्राकृतिक क्रम के विरुद्ध दुराचारिता
(d) Manipulation and movement of male organ/पुरुष अंग का हस्तप्रयोग एवं गति

UGC (NET) June, 2010

Ans. (c) :लौडेंबाजी (Buggery) यौन की प्राकृतिक क्रम के विरूद्ध दुराचारिता के विरूद्ध अपराध है। भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 377 प्रकृति विरूद्ध अपराध का प्रावधान करती है।

380. In the famous case of Naz Foundation v. Government of N.C.T. of Delhi, the Section of the Indian Penal Code, whose Constitutional Validity was challenged, is
बहुचर्चित नॉज फाउन्डेशन बनाम एन.सी.टी. ऑफ दिल्ली के बाद में भारतीय दण्ड संहिता की जिस धारा की संवैधानिकता को चुनौती दी गयी थी, वह है:
(a) Section 377/धारा 377
(b) Section 375/धारा 375
(c) Section 497/धारा 497
(d) Section 498/धारा 498

Uttarakhand (J) 2018

Ans. (a) : नॉज फाउन्डेशन बनाम एन.सी.टी. ऑफ दिल्ली के वाद में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 377 की संविधानिकता कों चुनौती दी गयी थी।
सुरेश कौशल बनाम नाज फाउन्डेशन (2013 SC) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 377 का संवैधानिक घोषित किया।
नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018 SC) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 377 को आंशिक रूप से असंवैधानिक घोषित किया क्योंकि अब दो समान लिंगियों द्वारा सहमति से किया गया इंद्रिय भोग अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है।

381. In which of the following cases has the consitutional validity of Section 377 Indian Penal Code been upheld by Supreme Court?
निम्नलिखित मामलों में से किसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 377 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया है?
(a) Suresh Kumar Kaushal v. Naz Foundation/सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज फाउंडेशन
(b) Naz Foundation v. govt. of NCT Delhi/ नाज फाउंडेशन बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(c) Subramanium Swamy v. Union of India/सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ
(d) Shreya Singhal v. Union of India/श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ

Chhattishgarh (J) 2016

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 377 की संवैधानिकता को सर्वप्रथम **नाज फाउंडेशन बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली** (2009) के वाद में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दिया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक करार दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने **सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज फाउंडेशन** (AIR 2013) के वाद में धारा 377 को संवैधानिक घोषित किया। किन्तु सर्वोच्च न्यायालय ने **नवतेज सिंह जोहर बनाम भारत संघ** (AIR 2018) के मामले में धारा 377 को आंशिक असंवैधानिक करार दिया है।

382. What is the legal position of section 377 of Indian Penal Code?
भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 377* की वैधानिक अवस्था (स्थिति) क्या है?
(a) Unconstitutional/असंवैधानिक
(b) Invalid/अविधिमान्य
(c) Valid/विधिमान्य
(d) Void/शून्य

Rajasthan (APO) 2015

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

383. In which of the following judgments did the Supreme Court set aside the judgment of the High Court of Delhi which decriminalized Section 377 of the Indian Penal Code, 1860:-
निम्न में से किस न्यायिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस निर्णय को अपास्त किया, जिसमें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 377 को निंअपराधिक (decriminalized) घोषित किया था-
(a) Sakshi v. Union of India, AIR 2004 SC 3566/साक्षी बनाम भारत संघ – एआईआर 2004 एससी 3566
(b) Naz Foundation (India) Trust v. Suresh Kumar Koushal, (2014) 3 SCC 220/नाज फाउण्डेशन (इण्डिया) ट्रस्ट बनाम सुरेश कुमार कौशल (2014) 3 एससीसी 220
(c) PUCL v. Union of India, (2010) 14 SCC 245/पी यू सी एल बनाम भारत संघ (2020) 14 एससीसी 245
(d) Suresh Kumar Kaushal v. Naz Foundation (India) Trust, (2014) 1 SCC 1/सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज फाउण्डनेशन (इण्डिया) ट्रस्ट (2014) 1 एससीसी 1

Rajasthan (J) 2015

Ans. (d) : सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज फाउण्डनेशन (इण्डिया) (2014 SC) वाद में उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते हुए धारा 377 I.P.C को संवैधानिक घोषित कर दिया था। किन्तु सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में **नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ** के मामले में अपने पूर्व विनिश्चय को उलटते हुए धारा 377 को आंशिक रूप से असंवैधानिक घोषित कर दिया।

384. In which of the following cases, recently the Supreme Court has upheld the constitutional validity of a criminal statute in "offences agaisnt the order of the nature"?
निम्नलिखित में से किस वाद में, अभी हाल में उच्चतम न्यायालय ने एक अपराधिक संविधि में ''प्रकृति विरुद्ध अपराध'' की सांविधानिकता सिद्ध की है?
(a) National Legal Services Authority Vs. Union of India
नेशनल लीगल सर्विसेज अथारिटी बनाम भारत संघ
(b) Charu Khurana Vs. Union of India
चारु खुराना बनाम भारत संघ
(c) Jaya Bhaduri Vs. Union of India
जया भादुड़ी बनाम भारत संघ

(d) Suresh Kumar Kaushal Vs. Naz Foundation
सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज फाउन्डेशन

UP (APO) 2015
Uttrakhand (J) 2016

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

385. The famous pronouncement of Delhi High Court regarding constitutional validity of Section 377 Indian Penal Code, was reversed by the Supreme Court in-
निम्नांकित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के प्रसिद्ध वाद, जो धारा 377 भारतीय दण्ड संहिता की संवैधानिक वैधता विषयक था, को उलट दिया था?

(a) NALSA v. Union of India/नालसा ब. भारत संघ में
(b) Naz Foundation v. Govt. of NCT Delhi/नाज फाउन्डेशन ब. दिल्ली एन.सी.टी. सरकार में
(c) Suresh Kaushal v. Naz Foundation/सुरेश कौशल ब. नाज फाउन्डेशन में
(d) Shabnam Hasmi v. Union of India/शबनम हाशमी ब. भारत संघ में

Uttarakhand (APO) 2015

Ans. (c) : सुरेश कौशल ब. नाज फाउन्डेशन 2013 (एस.सी.) के मामले में दो न्यायाधीशों की खण्डपीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मामले **नाज फाउन्डेशन बनाम दिल्ली एन.सी.टी. सरकार (2009) को उलट दिया,** जिसमें उच्च न्यायालय ने समलैंगिकता को अपराध के दायरे से बाहर किया था। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 377 समलैंगिकता को अपराध घोषित करती है।
नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ, 2018 (एस.सी.) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया और धारा 377 को अंशतः असंवैधानिक घोषित किया।

386. Transgender has been recognised as third gender with all rights and a right to reservation by the Supreme Court in the case of
''उच्चतम न्यायालय ने किन्नर (ट्रान्सजेन्डर) को तीसरे लिंग के रूप में स्वीकार किया है जिन्हें सभी अधिकार व आरक्षण का अधिकर प्राप्त है निम्नलिखित में से किस वाद में?

(a) NAZ Foundation v. Government of NCT (Delhi)/नाज फाउण्डेशन बनाम रा. राजधानी क्षेत्र (दिल्ली) में
(b) Baljit Singh v. State of Haryana/बलजीत बनाम हरियाणा राज्य में
(c) NALSA v. Union of India/नालसा बनाम भारत संघ
(d) Vajresh Venkatray Anvekar v. State of Karnataka/बजरेश वेंकटरे अनवेकर बनाम कर्नाटक राज्य में

Uttarakhand (J) 2015

Ans. (c) : नालसा बनाम भारत संघ (2014, S.C.) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने धारित किया है कि सरकार किन्नरों को देश में 'तृतीय लिंग' की पहचान और देश के अन्य नागरिकों की तरह उन्हें सभी विधिक, संवैधानिक अधिकार व आरक्षण प्रदान किया जाना सुनिश्चित करें।

387. In which of the following cases, decriminalizing homosexuality, the Supreme Court of India held that "consensual sexual acts between adults cannot be a crime":
निम्नांकित वादों में से किसमें, समलैंगिकता का गैर अपराधिकरण करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि ''वयस्कों के मध्य सहमतियुक्त लैंगिक कृत्य अपराध नहीं है।''

(a) Sakshi Versus Union of India/साक्षी बनाम भारत संघ
(b) Naz Foundation (India) Trust Versus Suresh Kuma Koushal/नाज फाउण्डेशन (इण्डिया) ट्रस्ट बनाम सुरेश कुमार कौशल
(c) Navtaj Singh Johar Versus Union of India/नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ
(d) Suresh Kumar Kuoushal Versus Naz Foundation (India) Trust/सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज फाउण्डेशन (इण्डिया) ट्रस्ट

UP (HJS) 2018 Part-III

Ans. (c) : नवतेज सिंह जौहर एवं अन्य बनाम भारत संघ, 2018 (S.C.) के वाद में उच्चतम न्यायालय ने भा.द.सं., 1860 की धारा 377 में प्रावधानित समलैंगिकता को अनुच्छेद 21 के आधार पर आंशिक रूप से असंवैधानिक घोषित करते हुए निर्धारित किया कि अब वयस्कों के मध्य सहमतियुक्त लैंगिक कृत्य अपराध नहीं है।

388. In which case, offence under Section 377 was held to be partially unconstitutional:
किस मामले में धारा 377 भा.द.सं. में वर्णित अपराध को अंशतः असंवैधानिक कहा गया है:

(a) Navtej Singh Johar v. Union of India
नवतेज सिंह जौहर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया
(b) Joseph Shine v. Union of India
जोसेफ शाईन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया
(c) Malkiat Singh v. State of Punjab
मल्कियतसिंह बनाम पंजाब राज्य
(d) Balwant Singh v. State of Punjab
बलवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य

MPHC CJ 2020

Ans. (a) : नवतेज सिंह जौहर बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया, 2018 (SC) के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 377 को अंशतः असंवैधानिक घोषित किया।

धारा 377 प्रकृति विरुद्ध अपराध के सम्बन्ध में प्रावधान करती है, जिसके अनुसार–जो कोई किसी पुरुष, स्त्री या जीव-जन्तु के साथ प्रकृति की अवस्था के विरुद्ध स्वेच्छया इन्द्रिय भोग करेगा, वह प्रकृति विरुद्ध अपराध करता है यह कहा जाता है।

नवतेज सिंह जौहर के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किसी व्यक्ति का किसी पुरुष या स्त्री के साथ प्रकृति की अवस्था के विरुद्ध स्वेच्छया इन्द्रिय भोग को अपराध की श्रेणी से बाहर करते हुए धारा 377 को अंशतः असंवैधानिक घोषित किया।

अध्याय – 19

सम्पत्ति के विरूद्ध अपराध

अपराध (धारा 378-462)

A. चोरी (धारा 378-382)

1. Chapter XVII of the IPC deals with what offences?
भारतीय दण्ड संहिता का अध्याय XVII किन अपराधों की चर्चा करता है?

(a) Offence Against property/सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध
(b) Offence Against human body/मानव शरीर के विरुद्ध अपराध
(c) Offence Against women/महिलाओं के विरुद्ध अपराध
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

JPSC (APO) 2012

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 का अध्याय XVII (धारा 378-462) सम्पत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में उपबन्ध किया गया है।

2. Theft is defined by
चोरी को परिभाषित किया गया है?

(a) section 379 /धारा 379 में
(b) section 380/धारा 380 में
(c) section 381/धारा 381 में
(d) section 378/धारा 378 में

Rajasthan (APO) 2005

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 में चोरी को धारा 378 में परिभाषित किया गया है। धारा 378 के अनुसार, जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से, उस व्यक्ति की सम्मति के बिना कोई जंगम सम्पत्ति बेईमानी से ले लेने का आशय रखते हुए, वह सम्पत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है, वह चोरी करता है।

3. Theft is an offence against
चोरी अपराध है-

(a) a person/व्यक्ति के विरुद्ध
(b) immovable property/अचल सम्पत्ति के विरुद्ध
(c) movable property/चल समपत्ति के विरुद्ध
(d) both movable and immovable property
चल, अचल दोनों प्रकार की सम्पत्ति के विरुद्ध

UPPCS (J) 2012

Ans. (c) : चोरी चल सम्पत्ति के विरूद्ध अपराध है। भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की **धारा 378** में चोरी को परिभाषित किया गया है तथा धारा 379 में चोटी के लिए दण्ड की व्यवस्था की गई है।

4. Which one is not essential element of theft?
कौन सा चोरी का आवश्यक तत्व नहीं है?

(a) Movable property/चल सम्पत्ति
(b) Possession of that property/उस सम्पत्ति का कब्जा
(c) Ownership of that property
उस सम्पत्ति का स्वामित्व
(d) Removal of that property
उस सम्पत्ति का हटाया जाना

Uttarakhand (J) 2018

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 378 में चोरी को परिभाषित किया गया है, जिसके निम्नलिखित आवश्यक तत्व है—
1. सम्पत्ति किसी व्यक्ति के कब्जे में हो,
2. सम्पत्ति चल हो,
3. उस व्यक्ति की सम्मति के बिना सम्पत्ति लेना,
4. सम्पत्ति को बेईमानी से लेने का आशय,
5. ऐसी सम्पत्ति को लेने के लिए हटाना।
इस प्रकार चोरी का आवश्यक तत्व कब्जा है, न कि सम्पत्ति का स्वामित्व।

5. Which of the following is not an essential element of theft?/निम्नलिखित में से कौन-सा चोरी का आवश्यक तत्व नहीं है?

(a) Dishonest intention/बेईमानीपूर्ण आशय
(b) Removal from possession/कब्जे से हटाना
(c) Immovable property/अचल सम्पत्ति
(d) Without consent of the person in possession/ कब्जेदार की सहमति के बिना

Jharkhand (J) 2012, 2014,2016

Ans. (c) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

6. Essential element of theft is-
चोरी के अपराध का आवश्यक तत्व है:

(a) Intention/आशय
(b) Object/उद्देश्य
(c) Knowledge/ज्ञान
(d) All the above/उपर्युक्त सभी

MP (ADPO) 1993

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

7. Which one of the following is essential ingredient for the offence of theft under section of 378 of IPC?
निम्नलिखित में से कौन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 378 के अन्तर्गत चोरी के अपराध का आवश्यक तत्व है?

(a) Fraudulently/कपटपूर्वक
(b) Dishonestly/बेईमानीपूर्वक
(c) Without good faith/सद्भाव के बिना
(d) Maliciously/विद्वेषपूर्ण

Uttarakhand (J) 2021

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

8. In order to constitute theft, what is not an ingredient in IPC?
चोरी सिद्ध करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता में निम्न में से कौन-सा एक घटक नहीं है?

(a) Dishonest intention/बेईमानपूर्ण उद्देश्य
(b) Moving of the property/संपत्ति का स्थानांतरण
(c) Common intention/सामान्य उद्देश्य
(d) Movable property/चल संपत्ति

Chhattishgarh (J) 2015

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

9. Point out correct response :
सही उत्तर बताइये :
In theft there must be
चोरी में यह आवश्यक है कि

(a) Dishonest intention to take any kind of property/किसी भी प्रकार की सम्पत्ति लेने के बेईमानीपूर्ण आशय हो
(b) Dishonest intention to take any valuable security/कोई मूल्यवान प्रतिभूति लेने को बेईमानीपूर्ण आशय हो
(c) Dishonest intention to take any movable property/कोई चल सम्पत्ति लेने का बेईमानीपूर्ण आशय हो
(d) Dishonest intention to take only immovable property/कोई अचल सम्पत्ति लेने का बेईमानीपूर्ण आशय हो

UP (APO) 2007

Ans : (c) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

10. Which one of the following is not correct in respect to the definition of theft?
निम्नलिखित में से कौन-सा एक चोरी की परिभाषा के संबंध में सत्य नहीं है।

(a) Removal of movable property of another/किसी अन्य की चल संपत्ति का हटाया जाना
(b) Out of ownership of that person/उस व्यक्ति के स्वामित्व से हटाया जाना
(c) Without his consent/उस व्यक्ति की सहमति के बिना
(d) With intent to take away that property/उस सम्पत्ति को ले जाने के आशय से

MP (ADPO) 2003
Bihar (APO) 2020

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

11. Which one of the following is not a correct ingredient of the offence of theft?
निम्नलिखित में से कौन चोरी का सही तत्व नहीं है–

(a) Dishonest intention of take property/सम्पत्ति को बेईमानी पूर्ण आशय से लेना
(b) Property must be movable/सम्पत्ति चल हो
(c) Property must be taken without the consent of the person in whose possession it is/सम्पत्ति जिसके कब्जे में है उसकी सम्मति के बिना ली जानी चाहिए
(d) Property must be taken without consent of the owner of the property/सम्पत्ति मालिक की सम्मति के बिना ली जानी चाहिए

UP (APO) 2002

Ans: (d) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

12. To constitute the offence of theft under Indian Penal Code, there must be
भारतीय दण्ड संहिता के अधीन चोरी के अपराध में क्या शामिल होगा?

1. taking away of the movable property /चल संपत्ति ले जाना
2. without the consent of the person /व्यक्ति की सहमति के बिना
3. taking away of the immovable property /अचल संपत्ति ले जाना
4. with the consent of person /व्यक्ति की सहमति से

Choose the correct option:
सही विकल्प चुनें:

(a) 2 and 3/2 और 3 (b) 1 and 2/1 और 2
(c) 1 and 4/1 और 4 (d) 2 and 4/2 और 4

UGC (NET) December, 2019 Paper-II

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

13. According to Indian penal code, not a component of theft.
भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के तहत, चोरी के अपराध का घटक कौन-सा नहीं है?

(a) Any property/कोई भी संपत्ति
(b) Intention to take away dishonestly /बेईमानीपूर्वक ले लेने का आशय
(c) Without the consent of such person /उस व्यक्ति की सहमति के बिना
(d) Remove to possession /कब्जे से हटाना

MP (HJS) 2018

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

14. Which of the following is not an ingredient of theft?
निम्न में से कौन सा तथ्य चोरी के अपराध से संबंद्ध नहीं है?

(a) dishonest intention/बेईमानीपूर्ण आशय
(b) removal from possession/ कब्जे से हटाना
(c) any property/कोई सम्पत्ति
(d) without consent of the person /व्यक्ति की सहमति के बिना

Uttarakhand (J) 2008

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

15. Theft is an offence against movable property in which consent/चोरी, जंगम संपत्ति के विरूद्ध वह अपराध है जिसमें सहमति-

(a) Is not taken/नहीं ली जाती है
(b) Taken by deception/धोखे से ली जाती है
(c) Taken under presure/दबाव में ली जाती है
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

MP (ADPO) 1997

Ans : (a) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

16. Which of the following properties could not be held to be an offence of theft, when committed/taken by a person?
निम्न में से कौन सी सम्पत्तियाँ ऐसी है, जिन्हें व्यक्ति द्वारा करने/लेने पर वे चोरी का अपराध नहीं मानी जाएँगी?

(a) Durga Idol/दुर्गा की मूर्ति
(b) Cooking Gas/खाना पकाने की गैस
(c) Running Electricity/चालु बिजली
(d) Forgotten Umbrella/भूला गया छाता

UGC (NET) December, 2014 Paper-III

Ans. (c) : अवतार सिंह AIR 1965 SC के वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि विद्युत तार में प्रवाहित, विद्युत चल सम्पत्ति नहीं है, अतः बेईमानी से इसका अपकर्षण भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत चोरी नहीं है। परन्तु इसके लिए भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 39 के अन्तर्गत वाद दायर किया जा सकता है।

17. 'A' cut down tree B's land with intention to take away that tree without B's consent. A has committed the offence of:
'A' 'B' की जमीन पर बिना 'B' की सहमति के इस नियत से पेड़ काटता है कि वह उसे दूर ले जाये। 'A' ने क्या अपराध किया है

(a) No offence until the tree is taken away/कोई अपराध नहीं किया जब जक वह पेड़ को उठाकर ले नहीं जाता
(b) Criminal breach of trust/आपराधिक न्यास भंग
(c) Theft as soon as tree was cut down and served from ground/चोरी, ज्यों ही उसने पेड़ को काट दिया जमीन से अलग कर दिया
(d) Criminal misappropriation of property/सम्पत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग

MP (ADPO) 2016 Paper-II
UP (APO) 2018

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 378 के तहत A ने 'चोरी' का अपराध किया। प्रस्तुत समस्या धारा 378 के दृष्टात (a) पर आधारित है। A ने ज्यों ही वृक्ष को काटकर भूमि से पृथक किया, उपरोक्त प्रावधान के अंगर्तत चोरी का अपराध किया। **स्पष्टीकरण 1** के अनुसार जब तक कोई वस्तु भूबद्ध रहती है, जंगम सम्पत्ति न होने से चोरी का विषय नहीं होती, किन्तु ज्यों ही वह भूमि से पृथक् की जाती है, वह चोरी का विषय होने योग्य हो जाती है।

18. 'A' cuts down a tree on 'B's land with the intention of dishonestly taking the tree out of 'B's possession, without 'B's consent. Which offence is committed by 'A'?
'ए' द्वारा 'बी' की भूमि में खड़ा वृक्ष बेईमानीपूर्वक 'बी' के आधिपत्य से हटाने के आशय से 'बी' की सहमति के बगैर काटा जाता है। 'ए' द्वारा कौन सा अपराध किया गया?

(a) Robbery /लूट
(b) Criminal breach of trust /आपराधिक न्यास भंग
(c) Extortion /उद्दापन
(d) Theft /चोरी

JPSC (APO) 2012
UP(APO) 2015
MPHC CJ 2016

Ans. (d) : 'A' ने चोरी का अपराध कारित किया। प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 378 के स्पष्टीकरण 1 एवं दृष्टांत (a) पर आधारित है। धारा 378 के स्पष्टीकरण 1 के अनुसार- जब तक कोई वस्तु भूबद्ध रहती है जंगम सम्पत्ति न होने से चोरी का विषय नहीं होती, किन्तु ज्यो ही वह भूमि से पृथक किया जाता है वह चोरी का विषय होने योग्य हो जाती है।

19. 'A' meets a bullock carrying a box of treasure. He drives the bullock in a certain direction in order that he may dishonestly take the treasure. A has committed
मूल्यवान वस्तुओ की पेटी ले जाता हुआ एक बैल 'अ' को मिलता है, वह उस बैल को इसलिये एक विशेष दिशा में हांकता है कि वह मूल्यवान वस्तुएँ बेईमानी से ले सके। 'अ' ने कारित की है

(a) Robbery/लूट
(b) Criminal breach of trust/आपराधिक न्यास भंग
(c) Theft/चोरी
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

UP (APO) 2018

Ans. (c) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 378 के दृष्टान्त (c) पर आधारित है। अ द्वारा बैल को किसी खास दिशा में हाकना उसके बेईमानीपूर्ण आशय को दर्शाता है क्योंकि अ ने सम्पत्ति को बेईमानीपूर्ण तरीके से लेने के लिए बैल को खास दिशा में हाका है। इसलिए चोरी का अपराध होगा।

20. A being Z's servant and entrusted by Z with the care of Z's plate dishonestly runs away with the plate without Z's consent. For which offence A is liable?
A, जो Z का सेवक है और जिसे Z ने अपनी प्लेट की देख-रेख न्यस्त कर दी है, Z की सम्मति के बिना प्लेट को लेकर बेईमानी से भाग गया। A कौन-सा अपराध कारित करने का दोषी है?

(a) Theft/चोरी
(b) Criminal breach of trust/आपराधिक न्यास-भंग
(c) Criminal misappropriation/आपराधिक दुर्विनियोग
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

JPSC (APO) 2012
Chhattisgarh (ADPO) 2008

Ans. (a) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 378 के दृष्टांत (d) पर आधारित है जिसके अनुसार 'A' चोरी के अपराध का दोषी है।

21. 'A' finds a ring lying on the highway, not in the possession of any person 'A' by taking it commits:-
'क' को राजमार्ग पर एक अंगूठी पड़ी मिलती है, जो किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं है। 'क' ने उसे लेकर किया है :
(a) Criminal misappropriation /आपराधिक दुर्विनियोग
(b) No offence /कोई अपराध नहीं
(c) Theft /चोरी
(d) Criminal breach of trust /आपराधिक न्यास भंग

Chhattishgarh (ADPO) 2008

Ans. (b): प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 378 के दृष्टान्त (g) पर आधारित है। यहाँ 'क' केवल उसे लेने मात्र से चोरी नहीं की है, अतः वह किसी अपराध का दोषी नहीं है। यदि वह अगूँठी को लेने के बाद उसका बेइमानी पूर्वक उपयोग कर लेता है तो वह आपराधिक दुर्विनियोग का दोषी हो जायेगा।

22. A takes a camera belonging to B, out of the possession of B, without the consent of B, with the intention of keeping it until he gets reward from B for its restoration. A is guilty of/'क' एक कैमरा 'ख' के कब्जे से, 'ख' की सहमति के बिना इस आशय से लेता है कि वह उस कैमरे को तब तक रखे रहेगा जब तक कि वह उसे लौटाने का इनाम 'ख' से प्राप्त न कर ले। 'क' दोषी है :
(a) Criminal misappropriation/आपराधिक दुर्विनियोग का
(b) Extortion/उद्दापन का
(c) Theft/चोरी का
(d) Cheating/छल का

MP (ADPO) 2010 Paper-II

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

23. 'A' removes B's book from his house without his consent with the intention to return it to him if he as a friend rewards him for the return. 'A' is liable for :
'अ' 'ब' के घर से उसकी पुस्तक इस आशय से उसकी सम्मति के बिना हटाता है कि यदि वह मित्र की तरह उसे वापस करने पर पुरस्कृत करेगा, तो वह पुस्तक वापस लौटा देगा। 'अ' दोषी है–
(a) Theft/चोरी के लिए
(b) Attempt to theft/चोरी के प्रयत्न के लिए
(c) Criminal breach of trust/आपराधिक न्यास भंग के लिए
(d) Attempt to criminal breach of trust/आपराधिक न्यास भंग के प्रयत्न के लिए

UP (APO) 2002

Ans: (a) प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 378 के दृष्टांत (*l*) के सदृश्य है जिसके अनुसार A चोरी के अपराध को दोषी होगा। धारा 378 के अन्तर्गत चोरी के अपराध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि सम्पत्ति स्थायी रूप से ली गई हो या अपनाने के आशय से ली गई हो।

24. 'B' takes a gold ring of 'A' out of 'A's possession without 'A's consent with the intention of keeping it till 'A' gives 'B' some money for it's restoration to 'A'. 'B' is guilty of:
'B' सोने की एक अंगूठी 'A' के कब्जे से 'A' की सहमति के बिना इस आशय से लेता है कि जब तक 'A' कुछ धन 'B' को नहीं देता 'B' वह अंगूठी 'A' को वापस नहीं लौटाएगा। 'B' दोषी है
(a) Cheating/छल का
(b) Criminal breach of trust/आपराधिक न्यास भंग का
(c) Criminal misappropriation of property/ आपराधिक दुर्विनियोग का
(d) Theft/चोरी का

Uttarakhand (J) 2006

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

25. 'A' is paramour of 'Z's wife. She gives a ring of gold which 'A' knows to belong to her husband 'Z'
'A' 'Z' की पत्नी का जार है। वह 'A' को सोने की एक अंगूठी देती है जिसे 'A' जानता है कि यह 'Z' के पति की है।
(a) 'A' commits theft of ring/'A' ने अंगूठी की चोरी का अपराध किया है
(b) 'A' does not commit theft of ring/'A' ने अंगूठी की चोरी का अपराध नहीं किया है
(c) 'Z's wife commit theft/'Z' की पत्नी ने चोरी का अपराध किया है
(d) 'Z's wife does not commit theft./'Z' की पत्नी ने चोरी का अपराध नहीं किया है

UGC (NET) June, 2009

Ans. (a) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 378 के दृष्टांत (o) पर आधारित है जिसके तहत A चोरी के अपराध का दोषी होगा यदि A यह जानते हुए अंगूठी लेता है कि सोने की अंगूठी Z की है जिसे देने का प्राधिकार Z की पत्नी को प्राप्त नहीं है।

26. "A" is the lover of "B's" wife, and receives valuable property belonging to her husband, knowing she has no such authority, is guilty of offence of/''अ'' जो कि ''ब'' की पत्नी का प्रेमी है पत्नी से पति की बहुमूल्य सम्पत्ति को उपहार में प्राप्त कर लेता है, यह जानते हुए भी कि उसे उस सम्पत्ति को देने का प्राधिकार नहीं है, निम्न में से किस अपराध का दोषी है?
(a) cheating/छल का
(b) theft/चोरी का
(c) adultery/जारकर्म का
(d) criminal misappropriation/आपराधिक दुर्विनियोग का

Jharkhand (J) 2014
Uttarakhand (APO) 2015

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

27. The requirement of possession has been highlighted by illustrations/कब्जे के आवश्यक तत्वों पर निम्न में से किस दृष्टांत में प्रकाश डाला गया है?
(a) (A), (B), (C) and (D) in Section 378 of IPC/भारतीय दण्ड संहिता की धारा 378 के दृष्टांत (A), (B), (C) तथा (D) में

(b) (B), (C), (D) and (E) in Section 378 of IPC/भारतीय दण्ड संहिता की धारा 378 के दृष्टांत (B), (C), (D) तथा (E) में

(c) (C), (D), (E) and (F) in Section 378 of IPC/भारतीय दण्ड संहिता की धारा 378 के दृष्टांत (C), (D), (E) तथा (F) में

(d) (D), (E), (F) and (G) in Section 378 of IPC/भारतीय दण्ड संहिता की धारा 378 के दृष्टांत (D), (E), (F) तथा (G) में

Jharkhand (J) 2016

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 378 के दृष्टांत (C), (D), (E) तथा (F) में कब्जे (Possession) के आवश्यक तत्वों पर प्रकाश डाला गया है।
धारा 378 में चोरी के अपराध को परिभाषित किया गया है तथा चोरी के अपराध के लिए यह आवश्यक है कि चुराई गई सम्पत्ति किसी व्यक्ति के कब्जे से हटाई गई हो। चोरी का अपराध कब्जे के विरूद्ध होता है, न कि स्वामित्व के विरूद्ध।

28. 'A' and 'B' both are cadets in the Indian Air Force take out from the Jodhpur Aerodrome an aircraft, without the authority of the commandant and fly it away to Pakistan what offence has been committed by them:/'अ' और 'ब' जो भारतीय वायुसेना के कैडेट हैं, जोधपुर के हवाई अड्डे से एक वायुयान कमान्डेंट के प्रधिकार के बिना हटाते हैं और उसको पाकिस्तान की ओर उड़ा ले जाते हैं। उनके द्वारा कौन सा अपराध किया गया है।

(a) Theft /चोरी

(b) Criminal breach of trust /आपराधिक न्यासभंग

(c) Criminal mis-appropriation
आपराधिक दुर्विनियोग

(d) Sedition /राजद्रोह

MPHC CJ 1996

Ans. (a) भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अनुसार, प्रश्न में दी गयी समस्या चोरी के अपराध से सम्बन्धित है। इसमें 'अ' और 'ब' दोनों चोरी के अपराध के लिए दोषी होंगे क्योंकि चोरी के लिए बेईमानीपूर्ण आशय से जिस व्यक्ति के कब्जे में सम्पत्ति है, उसकी सम्मति के बिना हटाना मात्र पर्याप्त है।

29. A finds a ring belonging to B on a table in the house which B occupies. Here the ring is in possession of B and A in good faith believing that it belongs to him takes it. A commits the offence of
जिस गृह पर ख का अधिभोग है, उसकी मेज पर ख की अंगूठी क को मिलती है यहां वह अंगूठी ख के कब्जे में है और क उसे स्वयं की संपत्ति होने का सद्भावपूर्वक विश्वास करते हुए ले लेता है, क का अपराध है

(a) theft/चोरी

(b) criminal misappropriation/आपराधिक दुर्विनियोग

(c) criminal breach of trust/आपराधिक न्यासभंग

(d) none of these/इनमें से कोई नहीं

MPHC CJ 2020

Ans. (d) : प्रस्तुत समस्या में A किसी भी अपराध का दोषी नहीं है। चोरी के अपराध का मूल तत्व आशय है। सम्पत्ति लेने का आशय बेईमानीपूर्वक होना चाहिए और इसका उस समय इसी रूप में विद्यमान रहना आवश्यक है जिस समय सम्पत्ति हटायी जा रही हो। अतः सम्पत्ति को बेईमानी से लेने का आशय सम्पत्ति हटाते समय ही विद्यमान होना चाहिए।

31. 'A' in good faith believing property of 'Z' to be own property, takes the property out of 'B's possession. Here 'A' commits?
'य' की सम्पत्ति को अपनी स्वयं की सम्पत्ति होने का सद्भावपूर्वक विश्वास करते हुए 'ख' के कब्जे से उस सम्पत्ति को 'क' ले लेता है। यहाँ 'क' का अपराध है?

(a) Theft /चोरी

(b) Criminal Misappropriation of Property
सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग

(c) Criminal Breach of Trust/आपराधिक न्यास भंग

(d) No offence /कोई अपराध नहीं

MPHC CJ 2017
UPPCS (J) 2016

Ans. (d) : 'क' किसी अपराध का दोषी नहीं है क्योंकि 'क' ने सद्भावपूर्वक विश्वास में सम्पत्ति को 'ख' के कब्जे से लेता है। चोरी का अपराध होने के लिए सम्पत्ति बेईमानीपूर्वक ली जानी चाहिए चूँकि क सम्पत्ति को सद्भावपूर्वक अपना समझ लेता है। अतः 'क' ने कोई अपराध नहीं किया है।

31. 'A', a creditor takes some movable property out of the possession of 'B', who is his debtor, without his consent, with the intention to pressurise him to repay his debt. 'A' is:
'अ' एक ऋणदाता है जो अपनी ऋणी, 'ब' के कब्जे से, बिना उसकी सहमति से, कुछ चल संपत्ति, अपना ऋण वापस करने हेतु उस पर दबाव डालने के आशय से, ले लेता है। 'अ' है:

(a) guilty of theft/चोरी का दोषी

(b) guilty of extortion/बलात हरण का दोषी

(c) Not guilty/दोषी नहीं

(d) guilty of robbery/लूट का दोषी

(e) None of these/उपरोक्त में कोई नहीं

Uttarakhand (J) 2002
Chhattishgarh (ADPO) 2013

Ans. (a) : प्रस्तुत समस्या में 'अ' को चोरी का दोषी माना जाएगा। केशवी चन्द (1959) के वाद में न्यायालय ने अवधारित किया कि यदि कोई ऋणदाता अपने ऋणी के कब्जे में से उसकी चल सम्पत्ति उसकी सम्मति के बिना ले लेता है ताकि ऋणी को ऋण की अदायगी के लिए मजबूर किया जा सके तो वह धारा 378 के अन्तर्गत चोरी का अपराधी होगा।

32. Y owed some money to X. X removed the bulock of Y grazing by the side of a stream and kept it tied in his own house. When Y asked him to release the bulock, X told him that he would do so when the money was paid, X is guilty of-
Y को X का उधार देना था। Y का बैल झरने के पास चर रहा था। X उसे हटाकर ले गया और अपने घर में बांध दिया। जब Y ने उससे बैल छोड़ने के लिए कहा तो X का कहना था कि वह बैल तभी छोड़ेगा जब उसे धन का भुगतान हो जाएगा। X दोषी है:

(a) Criminal breach of trust/आपराधिक न्यास भंग का
(b) Criminal misappropriation/आपराधिक दुर्विनियोग
(c) Extortion/उद्दापन का
(d) Theft/चोरी का

Uttarakhand (J) 2002

Ans. (d) **:** उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

33. A Cashier of a Bank took away Rs. 10,000 from the bank with an intention to restore the money within one month, the cashier committed :
एक बैंक का एक कैशियर, बैंक से 10,000 रु. इस नियत से ले गया कि एक माह के अंदर रुपया वापस रख देगा। कैशियर ने कौनसा अपराध किया?
(a) Criminal Misappropriation /आपराधिक दुर्विनियोग का
(b) Criminal breach of trust/आपराधिक न्यास भंग का
(c) Theft/चोरी का
(d) Attempt to theft/चोरी के प्रयत्न का

UP (APO) 2007 (Special)

Ans: (c) कैशियर ने भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 378 के अधीन चोरी का अपराध किया है क्योंकि चोरी के अपराध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि सम्पत्ति स्थायी रूप से ली गई हो।

34. X, an accused drove off amongst his own lambs, without knowing it, a lamb belonging to Y. After X discovered the error, he sold the lamb belonging to Y with his own lambs. X is guilty of:
'X' एक अभियुक्त ने अज्ञानतावश अपनी भेड़ों के साथ 'Y' की एक भेड़ को हाँक दिया। जब 'X' को भूल की जानकारी हुई तो अपनी भेड़ों के साथ 'Y' की भेड़ को भी बेच दिया। 'X' दोषी है–
(a) theft/चोरी
(b) theft and continuing trespass
चोरी तथा निरंतर अतिचार
(c) continuing trespass/निरंतर अतिचार
(d) none of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

UGC (NET) December, 2010

Ans. (a**) :** प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 378 में परिभाषित चोरी के अपराध से सम्बन्धित है।
उपरोक्त समस्या में X को भूल की जानकारी होने के बाद अपनी भेड़ों के साथ Y की भेड़ को बेचता धारा 378 के अन्तर्गत अपराध का गठन करता है।

35. X a servant committed theft of Mobile phone of his master M and ran away from home. While travelling the said mobile phone was taken away by Y a co-traveller without the knowledge of X. Decide the liability of Y, choose correct one among the following.
X नामक नौकर ने अपने मालिक M के घर से मोबाइल फोन चुराया और भाग गया। यात्रा में X की जानकारी के बिना वही मोबाइल फोन Y ने ले लिया। नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन का चयन कर Y की देयता निर्धारित कीजिए।
(a) Criminal misappropriation as the phone was lying on the seat of X/आपराधिक दुर्विनियोजन क्योंकि फोन X की सीट पर पड़ा था
(b) Criminal Breach of Trust as they were co-travellers/आपराधिक विश्वास भंग क्योंकि वे सह-यात्री थे
(c) Theft as property in possession of X was taken without his consent/चोरी क्योंकि X के अधिकार की वस्तु बिना उसकी सहमति के ली गई थी
(d) Cheating as the method adopted was dubious/धोखाधड़ी-क्योंकि जो तरीका अपनाया गया था, संदिग्ध था

UGC (NET) June, 2015 Paper-III

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 378 के अनुसार यह चोरी है, क्योंकि X के अधिकार की विषय वस्तु बिना उसके सहमति की ली गयी है। भले ही X ने वह मोबाइल फोन अपने मालिक के घर से चुराया हो। चोरी कब्जे के विरुद्ध अपराध होता है। अतः Y चोरी का दोषी है।

36. A take his own suit from the tailor without his knowledge but had the intention of returning it to the tailor later. What offence, if any has been committed by A?
A दर्जी से उसकी जानकारी के बिना अपना सूट ले लेता है, किन्तु उसका आशय बाद में इसे दर्जी को वापस करने का था। A ने यदि कोई अपराध किया है तो वह क्या है?
(a) Stealing/चुपके से ले लेना
(b) Dishonest taking/बेईमानी से ले लेना
(c) Theft/चोरी
(d) Unlawful retention/अवैध प्रतिधारण

UGC (NET) December, 2015 Paper-III

Ans. (c**) :** प्रस्तुत समस्या में अ ने बेईमानीपूर्ण आशय से कार्य किया है इसलिए वह चोरी का अपराध किया है जिसे भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 378 में परिभाषित किया गया है।
जैसे ही किसी बेईमानीपूर्ण आशय से सम्पत्ति को हटाया जाता है यह अपराध पूर्ण हो जाता है। सम्पत्ति का उसके स्थान से रंचमात्र हटाया जाना ही चोरी का अपराध गठित कर देता है। इस समस्या में भले ही उसका आशय बाद में दर्जी को वापस करने का था परन्तु जैसे ही वह दर्जी के कब्जे से लेता है उसका बेईमानीपूर्ण आशय उत्पन्न हो जाता है।

37. 'A' dishonestly abstracts electricity running in electric wire connected in his house. The offence of committing theft of property is punishable under which of the provisions of IPC?
A बेइमानीपूर्वक अपने घर से जुड़े बिजली के तार में बह रही बिजली को चुराता है। संपत्ति की चोरी करने का अपराध आई.पी.सी. के किन प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय है?
(a) Causing theft without consent as per Section 378 of IPC is punishable under Section 379 of IPC/आई.पी.सी. की धारा 378 के अनुसार सहमति के बिना चोरी करना आई.पी.सी. की धारा 379 के अंतर्गत दंडनीय है
(b) In such cases use of penal provisions under IPC for theft is banned as there is a special law for the purpose/ऐसे केसों में चोरी के लिए आई.पी.सी. के अंतर्गत दण्डनीय प्रावधानों का प्रयोग प्रतिबंधित है क्योंकि इस प्रयोजन के लिए विशेष कानून है

(c) As there is dishonest movement of electricity the offence of theft is complete, so as to attract Section 379 of IPC/चूँकि बिजली को बेईमानीपूर्वक जे जाया जा रहा है इसलिए चोरी का अपराध पूर्ण है जिससे यह आई.पी.सी. की धारा 379 आकृष्ट करता है

(d) As moving of electricity does not fall within the category of immovable property, no offence is possible/चूँकि बिजली ले जाना अचल संपत्ति की श्रेणी में नहीं आता है कोई भी अपराध संभव नहीं है

UGC (NET) September, 2016 Paper-III

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

38. A cuts two trees from his neighobor's field without his permission.
'अ' अपने पड़ोसी के खेत से उसकी इजाजत के बिना दो पेड़ काट लेता है, पड़ोसी के ज्ञान में लाये बिना उठाकर ले जाता है-

(a) It's an extortion /यह एक उद्दापन है

(b) It's a theft/यह एक चोरी है

(c) It's a criminal Trespass/यह एक आपराधिक अतिचार है

(d) It's a misappropriation /यह एक बेईमानी से दुर्विनियोग है

Rajasthan (APO) 2005

Ans. (b) : 'अ' ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 378 के अधीन चोरी का अपराध कारित किया है।
धारा 378 के अनुसार- जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति के सहमति के बिना कोई जंगम सम्पत्ति बेईमानी से ले लेने का आशय रखते हुए वह सम्पत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है वह चोरी करता है, यह कहा जाता हैं
स्पष्टीकरण - जब तक कोई वस्तु भूबद्ध रहती है जगम सम्पत्ति न होने से चोरी का विषय नहीं होती है किन्तु ज्यो ही वह भूमि से पृथक की जाती है वह चोरी का विषय होने योग्य है।

39. A gave his watch to a watchmaker one day in the absence of the watchman, dishonestly picked up his watch without paying the repair cast. What crime has been committed?
अ ने अपनी घड़ी एक घड़ीसाज को मरम्मत करने हेतु दी। एक दिन घड़ीसाज की अनुपस्थिति में, उसे बिना मरम्मत खर्च का भुगतान किये, बेईमानीपूर्वक अ घड़ी उठा लाया। उसने कौन-सा अपराध किया है?

(a) theft/चोरी

(b) extortion/उद्दापन

(c) Criminal breach of trust/आपराधिक न्यास भंग

(d) No offence/कोई अपराध नहीं

UPPCS (J) 2013
Rajasthan (APO) 2015

Ans. (a) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 378 के दृष्टान्त (j) पर आधारित है जिसमें अनुसार अ के द्वारा किया गया कार्य चोरी होगा क्योंकि वह घड़ी को बेईमानी से लेता है।

40. 'A' finds a ring belonging to 'Z' on a table in the house which 'Y' occupies. A dishonestly removes the ring. A has committed which of the following offence?
'क' 'य' के कब्जे में के गृह के मेज पर 'ज' से सम्बन्धित अंगूठी को पाता है। 'क' बेइमानीपूर्वक अंगूठी को हटाता है। 'क' निम्न में से कौन-सा अपराध किया है-

(a) Criminal breach of trust/आपराधिक न्यास भंग

(b) Criminal misappropriation of property/सम्पत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग

(c) Theft/चोरी

(d) Dishonestly receiving stolen property./बेईमानी से चुराई गयी सम्पत्ति प्राप्त करना

UP (HJS) 2012

Ans. (c) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 378 के दृष्टांत (f) पर आधारित है जिसके तहत A चोरी के अपराध को दोषी होगा।

41. Theft under Indian Penal Code differs from larceny in English Law which contemplated
भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत चोरी, अंग्रेजी कानूनी में लार्सेनी से भिन्न है, जिसमें विचारित है-

(a) Permanent gain and loss/स्थायी लाभ तथा हानि

(b) Loss of property/सम्पत्ति की हानि

(c) Moving of property/चल सम्पत्ति

(d) Denying the owner of his property/मालिक को उसकी सम्पत्ति से इंकार

Jharkhand (J) 2016

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत चोरी (धारा 378), अंग्रेजी विधि में लार्सेनी से भिन्नता स्थायी लाभ तथा हानि के बिन्दु पर है।
धारा 378 के तहत चोरी के अपराध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति को स्थायी लाभ या स्थायी हानि हो।

42. 'A', 'B' and 'C' are joint owners of some property,'a' removes the property.
'A', 'B' और 'C' सम्पत्ति के संयुक्त मालिक है। 'A' सम्पत्ति को हटा लेता है।'

(a) 'A' is not guilty of theft as property belongs to him/'A' चोरी का अपराधी नहीं है क्योंकि वह सम्पत्ति का मालिक है

(b) 'A' is guilty of theft as he is only a joint owner/'A' चोरी का अपराधी है क्योंकि वह सम्पत्ति का सिर्फ संयुक्त मालिक है

(c) 'A' is guilty of criminal misappropriation/'A' आपराधिक दुर्विनियोजन का अपराधी है

(d) 'A' is guilty of breach of trust/'A' न्यास भंग का अपराधी है

UGC (NET) December, 2009

Ans. (a) : प्रस्तुत मामले में 'A' चोरी के अपराध का दोषी नहीं है। चूंकि A भी B और C के साथ संयुक्त स्वामी है और उसने मात्र सम्पत्ति को हटाया है। यहां बेईमानीपूर्ण आशय का अभाव है। इसलिए चोरी के सभी आवश्यक तत्व पूरे नहीं हो रहे हैं। यहां आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध भी नहीं बनता क्योंकि आपराधिक दुर्विनियोग तभी होगा जब सम्पत्ति का दुर्विनियोग किया गया हो या उसको अपने उपयोग के लिए सम्परिवर्तित किया गया हो। यहां न्यासभंग का अपराध भी नहीं होगा क्योंकि सम्पत्ति A को न्यस्त नहीं की गयी है।

43. The offence of theft is punishable in IPC under:
भारतीय दण्ड संहिता में चोरी का अपराध दण्डनीय है, अन्तर्गत:

(a) Section 378 /धारा 378
(b) Section 379/धारा 379
(c) Section 380/धारा 380
(d) Section 381/धारा 381

Uttarakhand (J) 2021

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 में चोरी के अपराध के लिए दण्ड का प्रावधान किया गया है।

44. According to Indian Penal Code punishment for theft./भारतीय दण्ड संहिता के अधीन चोरी के लिए दण्ड हो सकेगा

(a) 3 year/3 वर्ष तक
(b) 5 year/5 वर्ष तक
(c) 2 year/ 2 वर्ष तक
(d) None of these/उपर्युक्त में से कोई नहीं

BPSC (APO) 2009

Ans : (a) भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 379 के अन्तर्गत जो कोई चोरी करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

45. Section 379 of the Indian Penal Code
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379:

(a) Defines offence of theft/चोरी के अपराध को परिभाषित करती है
(b) Provides punishment of theft/चोरी के अपराध के दण्ड का प्रावधान करती है
(c) Both (a) and (b)/उपर्युक्त (a) तथा (b) दोनों
(d) None of these/उपर्युक्त में से कोई नहीं।

Uttarakhand (J) 2018

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

46. Under which Section of the Indian Penal Code, committing theft of a computer from a shop is punishable?
भारतीय दण्ड संहिता की किस धारा के अन्तर्गत दुकान से एक कम्प्यूटर की चोरी करना दण्डनीय है?

(a) Section 379/धारा 379
(b) Section 380/धारा 380
(c) Section 381/धारा 381
(d) Section 383/धारा 383

Uttarakhand (J) 2011

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता 1860, की धारा 380 के अनुसार जो कोई ऐसे किसी निर्माण, तम्बू या जलयान में चोरी करेगा जो निर्माण, तम्बू या जलयान मानव निवास के रूप में या सम्पत्ति की अभिरक्षा के लिए, उपयोग में आता हो, वह 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

47. Under which section of Indian Penal Code, committing theft in dwelling house etc. is punishable?
भारतीय दण्ड संहिता की किस धारा के अन्तर्गत निवासगृह आदि में चोरी करना दण्डनीय है?

(a) Section 380/धारा 380
(b) Section 379/धारा 379
(c) Section 381/धारा 381
(d) Section 383/धारा 383

Uttarakhand (APO) 2021

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

48. 'A' commits theft on property in 'B' possession and while committing theft he has a loaded pistol under his garment kept for the purpose of hurting 'B' in case 'B' resists.
The offence committed by 'A' is defined under which section of the Indian Penal Code?
'B' के कब्जे में की सम्पत्ति पर 'A' चोरी करता है और यह चोरी करते समय अपने पास अपने वस्त्रों के भीतर एक भरी हुई पिस्तौल रखता है जिसे उसने 'B' द्वारा प्रतिरोध किये जाने की दशा में 'B' को उपहत करने के लिये अपने पास रखा था। 'A' द्वारा किया गया अपराध भारतीय दण्ड संहिता की किस धारा में परिभाषित किया गया है?

(a) Section 382/धारा 382
(b) Section 379/धारा 379
(c) Section 390/धारा 390
(d) Section 381/धारा 381

UPPCS (J) 2006, 2012
UPAPO 2011

Ans. (a) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 382 के दृष्टान्त (a) पर आधारित है। **धारा 382** में चोरी करने के लिए मृत्यु, उपहति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात् चोरी के लिए दण्ड का प्रावधान किया गया है। जिसके तहत कठोर कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

उद्दापन (धारा 383-389)

49. Under which section of the Indian Penal Code the word 'extortion' is defind?
भारतीय दण्ड संहिता की किस धारा में 'उद्दापन' शब्द को परिभाषित किया गया है?

(a) Section 383/ धारा 383
(b) Section 387/ धारा 387
(c) Section 389/ धारा 389
(d) Section 390/ धारा 390

Uttarkhand (J) 2019
Bihar (APO) 2020

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 383 के अनुसार, ''जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को कोई क्षति करने के भय में साशय डालता है, और तद्द्वारा इस प्रकार भय में डाले गये व्यक्ति को कोई सम्पत्ति, मूल्यवान प्रतिभूति या हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई चीज जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सके, किसी व्यक्ति को परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करता है वह ''उद्दापन'' करता है।

50. Inducting a person with dishonest intention to part with his property by putting him in fear of physical injury amounts to an offence of
किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति के भय में डालकर बेईमानी के आशय से अपनी सम्पत्ति देने के लिये उत्प्रेरित करना अपराध है-
(a) theft/चोरी का
(b) criminal misappropriation/आपराधिक दुर्विनियोजन का
(c) extortion/उद्दापन का
(d) criminal intimidation/आपराधिक अभित्रास का

Jharkhand (J) 2014

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

51. 'A' obtained a sum of ₹ 10,000/- from 'B' by putting 'B' in fear of death. Which one of the following offences was committed by 'A' ?
'क' ने 'ख' को मृत्यु की धमकी देकर 'ख' से ₹10,000 की राशि ले ली। 'क' ने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया है?
(a) Cheating/छल (b) Robbery/लूट
(c) Mischief/रिष्टि (d) Extortion/उद्दापन

UP (APO) 2015

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

52. A obtains property from Z by saying - "your child is in the hands of my gang, and will be put to death unless you send us ten thousand rupees" In which category his act will come to/
अ यह कहकर ''तुम्हार बच्चा हमारे गिरोह के हाथों में है यदि तुमने हमें रुपये दस हजार की राशि नहीं भेजी तब उसे मार दिया जायेगा'' क से सम्पत्ति प्राप्त करता है। उसका कृत्य किस कोटि में आयेगा?
(a) Theft/चोरी की
(b) Robbery/लूट की
(c) Abduction for ransom/फिरौती के लिए अपहरण की
(d) Extortion/उद्दापन की

MP (ADPO) 1995

Ans : (d) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

53. A threatens to publish a statment of defamation on the telephone to B and says that unless he pays him twenty thousnad rupees, as a result B pays twenty thousnand rupees to A. Here A has committed an offence.
'क' 'ख' को टेलीफोन पर मानहानि का कथन प्रकाशित करने की धमकी देता है और कहता है कि जब तक वह उसे 20,000/- रु नहीं दे देता। इसके परिणाम स्वरूप 'ख' 'क' को 20,000/- रु दे देता है। यहाँ 'क' ने अपराध किया है-
(a) theft/चोरी
(b) criminal intimidation /आपराधिक अभित्रास
(c) extortion/उद्दापन
(d) robbery/लूट

Rajasthan (APO) 2005

Ans. (c) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 383 के दृष्टांत (a) पर आधारित है जिसके अनुसार A ने उद्दापन का अपराध कारित किया।

54. 'A' threatens to publish a defamatory libel concerning 'B', unless 'B' gives him money. He thus induces 'B' to give him money. A has committed—
'अ','ब' को धमकी देता है कि वह उसे पैसा दे अन्यथा वह उसके विरूद्ध अपमानजनक लेख प्रकाशित करेगा। इस तरह वह 'ब' को पैसा देने के लिए प्रेरित करता है। 'अ' ने कौन सा अपराध किया?
(a) Extortion /उद्दापन
(b) Defamation /मानहानि
(c) Criminal intimidation /अपराधिक अभित्रास
(d) Robbery /लूट

MPHC CJ 1997
UP(HJS)2016
Uttarakhand (APO) 2021

Ans. (a) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

55. A threatens Z that he will keep Z's son in wrongful confinement unless Z will sign and deliver to A a promissory note binding Z to pay certain money to A, Z signs and delivers the note to A. What offence is committed by A
क, य को यह धमकी देता है कि यदि वह क को कुछ धन देने के सम्बन्ध में अपने आपको आबद्ध करने वाला एक वचन पत्र हस्ताक्षर करके क को परिदत्त नहीं कर देता, तो वह य के शिशु को सदोष परिरोध में रखेगा । य वचन पत्र हस्ताक्षर करके परिदत्त कर देता है। क द्वारा कौन सा अपराध कारित किया गया
(a) Dishonest misappropriation of property /बेईमानी से सम्पत्ति का दुर्विनियोग
(b) Robbery/लूट
(c) Extortion/उद्धापन
(d) Criminal breach of trust /आपराधिक न्यास भंग

Rajasthan (DJC) 2012

Ans. (c) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 383 के दृष्टांत (b) पर आधारित है जिसके अनुसार A ने उद्दापन का अपराध कारित किया।

56. 'A' by putting 'B' in fear of greivous hurt, dishonestly induce B to sign on a blank paper and deliver it to 'A'. 'A' has committed the offence of
'क', 'ख' को घोर उपहति करने के भय में डालकर बेईमानी से 'ख' को उत्प्रेरित करता है कि वह एक कोरे कागज पर हस्ताक्षर कर दे और उसे 'क' को परिदत्त कर दे, 'क' द्वारा किया गया अपराध है?
(a) Cheating /छल
(b) Extortion /उद्दापन
(c) Criminal breach of trust/आपराधिक न्यास-भंग
(d) Forgery/कूटरचना

MPHC (CJ)1996, 2012
Chhattisgarh (J) 2003
Uttarakhand (J) 2002, 2008
UP(APO) 2006

Ans. (b) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 383 के दृष्टांत (d) पर आधारित है जिसके अनुसार A ने उद्दापन का अपराध कारित किया।

57. A by putting Z in fear of dimang dishonestly induces Z to sing in cheak and deliver into A. Z signs and deliver the paper to A. A is guilty.
'ए' के द्वारा 'जेड' को क्षति के भय में डालकर बेईमानीपूर्वक 'जेड' को प्रेरित किया जाता है कि वह कोरा चैक पर हस्ताक्षर करते हुए उसे 'ए' को प्रदान करें। 'जेड' के द्वारा चैक पर हस्ताक्षर कर 'ए' को प्रदान किया जाता है। 'ए' अपराधी है:

(a) Theft/चोरी का
(b) Extortion/भयादोहन का
(c) Robbery/लूट का
(d) Attemt of extration/भयादोहन करने के प्रयास का

Chhattishgarh (J) 2011

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

58. The offence of 'extortion' can be committed against which of the following/'उद्दापन' का अपराध निम्न में से किसके विषय में किया जा सकता है?

(a) Moveable property/चल सम्पत्ति
(b) Immoveable property/स्थावर सम्पत्ति
(c) Valuable security/मूल्यवान प्रतिभूति
(d) All of these/ये सभी

MP (ADPO) 2009 Paper-II

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 383 में उल्लिखित 'उद्दापन' का अपराध किसी सम्पत्ति (चल,अचल व मूल्यवान प्रतिभूति) के विषय में किया सकता है।

59. The quantum of punsihments given under Indian Penal code are/भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दिए गए दण्डों की मात्रा निम्नलिखित है:

A. Whoever commits extortion shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years or with fine or with both/जो कोई उद्दापन करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जाएगा।
B. Whoever commits criminal breach of trust shall be punished for a term which may extend to seven years/जो कोई आपराधिक न्यासभंग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के करावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक हो सकेगी, से दण्डित किया जाएगा।
C. Whoever dishonestly misappropriates or converts to his own use any movable property, shall be punsihed with imprisonment of either description for a term which may extend to two years or with fine or with both/जो कोई बेईमानी से किसी जंगम संपत्ति का दुर्विनियोग करेगा या उसको अपने उपयोग के लिए सम्परिवर्तित कर लेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।
D. Whoever makes any preparation for committing dacoity shall be punished with fine only/जो कोई डकैती करने के लिए कोई तैयारी करेगा, वह मात्र जुर्माने से दण्डित होगा।
E. If at the time of attempting to commit robbery or decoity the offender is armed with deadly weapons, shall be punished for two years/यदि लूट या डकैती करने का प्रयत्न करते समय, अपराधी किसी घातक आयुध से सज्जित होगा तो उसे दो वर्ष के कारावास से दण्डित किया जाएगा।

Choose the correct answer from the options given below/निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(a) B and C only/केवल B और C
(b) B and D only/केवल B और D
(c) A, D and E only/केवल A, D और E
(d) A and C only/केवल A और C

UGC (NET) June, 2020 Paper-II

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 384 उद्दापन के लिए दण्ड का उपबंध करती है। धारा 384 के अनुसार, जो कोई उद्दापन करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।
इसी संहिता की धारा 403 के अनुसार, जो कोई बेईमानी से किसी जंगम सम्पत्ति का दुर्विनियोग करेगा या उसको अपने उपयोग के लिए सम्परिवर्तित कर लेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

60. Raju by putting Shaym in fear of grievous hurt, dishonestly induces Shyam to deliver Rs. 5000 and golden chain. Which offence is committed by Raju?
राजू श्याम को घोर उपहति के भय में डालकर बेईमानी से श्याम को 5000रुपये और एक सोने की चेन देने के लिए उत्प्रेरित करता है। राजू के द्वारा कौन सा अपराध किया गया है?

(a) theft/चोरी
(b) robbery /लूट
(c) extortion/उद्दापन
(d) dacoity/डकैती

Bihar (HJS) 2016

Ans. (c) : राजू ने उद्दापन का अपराध कारित किया है। भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 386 के अनुसार,जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालकर उद्दापन करेगा,वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्नीय होगा।

61. Section 387 IPC relates to
भा.दं.सं. की धारा 387 का संबंध है

(a) Extortion by putting a person in fear of death/किसी व्यक्ति को मृत्यु के भय में डालकर उद्दापन
(b) Putting person in fear of death or of grievous hurt in order to commit extortion/उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालना
(c) Extortion by threat of accusation of an offence punishable with death or imprisonment for life etc./मृत्यु या आजीवन कारावास आदि से दंडनीय अपराध का अभियोग लगाने की धमकी दे कर उद्दापन

(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

Uttarakhand (APO) 2009

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 387 किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालकर उद्दापन करने से सम्बन्धित है।

62. Under which one of the following Sections of the Indian Penal Code, 1860, an accused in order to commit extortion puts the person into fear of death or grievous hurt is punishable?
भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की निम्न किस धारा में उद्दापन कारित करने के लिए व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के भय में डालना दण्डनीय है?

(a) Section 383/धारा 383 में
(b) Section 385/धारा 385 में
(c) Section 386/धारा 386 में
(d) Section 382/धारा 382 में

UPPCS (J) 2016

Ans. (*) : प्रस्तुत प्रश्न का सही उत्तर **धारा 387** है लेकिन चारों विकल्पों में दिया नहीं गया है जबकि आयोग ने सही उत्तर विकल्प (c) ही माना है।

लूट एवं डकैती (धारा 390-402)

63. What should be the minimum person to commit the offence of robbery?
लूट के अपराध के लिए न्यूनतम कितने व्यक्ति होने चाहिए?

(a) One/एक (b) Two/दो
(c) Three/तीन (d) Four/चार

JPSC (APO) 2019
Uttarakhand (J) 2008

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 390 में लूट को परिभाषित किया गया है। इस धारा के अनुसार, सब प्रकार के लूट में या तो चोरी या उद्दापन होता है। अतः लूट के अपराध के लिए न्यूनतम व्यक्तियों की कोई व्याख्या नही की गयी है इसलिये एक व्यक्ति भी लूट कारित कर सकता है।

64. Which of the following statement are not correct?
निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

(a) In Every robbery at least two people required/प्रत्येक लूट में कम-से-कम दो व्यक्ति रहते हैं
(b) There is fear of violence in every robbery/प्रत्येक लूट में हिंसा का भय रहता है
(c) In all robbery there is either theft or extortion /प्रत्येक लूट में चोरी या उद्दापन रहता है
(d) In all docoity there is robbery/प्रत्येक डकैती में लूट होती है

MP (ADPO) 2003

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

65. Which offence does not require a minimum number of five persons?
निम्नलिखित में से किस अपराध में न्यूनतम पाँच सदस्यों की आवश्यकता नहीं होती?

(a) Unlawful Assembly/विधिविरुद्ध जमाव में
(b) Riot/बल्वा में
(c) Robbery /लूट में
(d) Dacoity/डकैती में

UPPCS (J) 2012

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

66. Read the following :
निम्न पर विचार कीजिए :

(1) There is either theft or extortion in robbery.
प्रत्येक प्रकार की लूट में या तो चोरी या उद्दापन होता है।

(2) The offence of theft become robbery when it is coupled with danger of life.
चोरी, लूट हो जाती है जब उसके साथ जीवन को जोखिम में डाल दिया जाता है?

Of the above :/उपरोक्त में:

(a) (1) is true but (2) is false.
(1) सही है, किन्तु (2) गलत है
(b) (1) is false but (2) is true.
(1) गलत है, किन्तु (2) सही है।
(c) (1) and (2) both are true.
(1) तथा (2) दोनों सही हैं।
(d) (1) and (2) both are false.
(1) तथा (2) दोनों गलत हैं।

UP (APO) 2015

Ans. (c) : कथन (1) तथा (2) दोनों सही है। लूट चोरी या उद्दापन का उग्र रूप है। अतः प्रत्येक लूट में या चोरी या उद्दापन होता है। संहिता की धारा 390 लूट को परिभाषित करती हैं।

67. Offence of robbery includes
लूट के अपराध के सम्मिलित है:

(a) Theft only/केवल चोरी
(b) Extortion only/केवल उद्दापन
(c) Either (a) or (b)/उपर्युक्त (a) अथवा (b)
(d) None of these/उपर्युक्त में से कोई नहीं।

Uttarakhand (J) 2018
MPHC(CJ)2017

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 390 में परिभाषित 'लूट' के अपराध में या तो चोरी या उद्दापन होता है। चोरी या उद्दापन में जब स्वेच्छापूर्वक बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब वह लूट बन जाता है। लूट, चोरी या उद्दापन का उग्र रूप है।

68. Under Indian Penal Code, in robbery there is
भारतीय दण्ड संहिता के अधीन, 'लूट' में होता है

(a) Theft and dacoity/चोरी और डकैती
(b) Extortion and dacoity/उद्दापन और डकैती
(c) Neither theft nor extortion/न तो चोरी और नही उद्दापन
(d) Either theft or extortion/या तो चोरी या उद्दापन

Uttarakhand (APO) 2009

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

69. Fill in the blank:
खाली स्थान भरिये–

Extortion is _____, when it is committed under fear of instant hurt.
खसोट उस स्थित में ..... है, जब तत्काल चोट पहुँचाने का भय दिखाकर ऐसा किया जाता है।

(a) Theft/चोरी
(b) Attempt to steal property
सम्पत्ति की चोरी का प्रयास
(c) Robbery/लूट
(d) Wrongful restraint/अनुचित रूप से रोकना

UGC (NET) December, 2013 Paper-II
MP(HJS) 2019

Ans. (c) : खसोट (उद्दापन) उस स्थिति में लूट है जब तत्काल चोट पहुँचाने का भय दिखाकर ऐसा किया जाता है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 383 में उद्दापन को परिभाषित किया गया है।
धारा 390 लूट को परिभाषित किया गया है।
उद्दापन कब लूट है- उद्दापन लूट है यदि अपराधी वह उद्दापन करते समय भय में डाले गए व्यक्ति की उपस्थिति में है और उस व्यक्ति को स्वयं उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की तत्काल मृत्यु या तत्काल उपहति या तत्काल सदोष अवरोध के भय में डालकर वह उद्दापन करता है और इस प्रकार भय में डालकर इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को उद्दापन की जाने वाली चीज उसी समय और वहाँ ही परिदत्त करने के लिए उत्प्रेरित करता है, तो वह लूट करता है।

70. Fill in the blank with appropriate offence:
Extortion is ....., when it is committed under fear of instant hurt.
उपरोक्त अपराध द्वारा रिक्त स्थान भरिये–
उद्दपन ..... हैं, अगर यह तत्काल चोट का डर दे कर किया गया हो।

(a) Theft/चोरी
(b) Attempt to murder/हत्या का प्रयास
(c) Robbery/लूट
(d) Wrongful restraint/सदोष अवरोध

UGC (NET) December, 2013 Paper-III

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

71. The offence of theft becomes robbery when it is/चोरी का अपराध लूट बन जाता है तब

(a) committed by 5 or more persons/पाँच या अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है
(b) Committed by 2 or more persons, but less than five persons/दो या उससे अधिक किन्तु पाँच से कम व्यक्तियों द्वारा किया जाता है
(c) coupled with force/उसमें बल जुड़ जाता है
(d) coupled with imminent danger to life/उसमें प्राण का आसन्न संकट जुड़ जाता है

UP (APO) 2006
UP(APO) 2007 (Special)
Uttarakhand (J) 2002

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 390 के अनुसार, चोरी लूट है यदि चोरी करने के लिए या चोरी करने में या चोरी द्वारा अभिप्राप्त सम्पत्ति को ले जाने या ले जाने का प्रयत्न करने में अपराधी उस उद्देश्य से स्वेच्छया किसी व्यक्ति की मृत्यु, उपहति, सदोष अवरोध या तत्काल मृत्यु, उपहति या सदोष अवरोध का भय कारित करता है या कारित करने का प्रयत्न करता है।

72. Which of the following cases amount to robeery/निम्नलिखित में से कौन-सा लूट का अपराध है?

(a) Taking away ornaments from the body of a lady while she was in coma/किसी महिला, जब वह 'कोमा' में थी, के शरीर से आभूषण ले जाना
(b) Removal of ornaments after death of a lady/किसी महिला की मृत्यु के पश्चात् आभूषण हटाना
(c) Voluntary disposition of valuables/बहुमूल्य वस्तुओं का स्वैच्छिक व्ययन
(d) While theft is committed along with assault/जब हमले के साथ चोरी भी की गयी है

UGC (NET) December, 2015 Paper-III

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

73. Which of the following statements is false/निम्न में से कौन सा कथन असत्य है:

(a) theft is "robbery" if, in order to the committing of the theft, or in committing the theft, or in carrying away or attempting to carry away property obtained by the theft, the offender, for that end, voluntarily causes or attempts to cause to any person death or hurt or wrongful restraint, or fear of instant death or of instant hurt, or of instant wrongful restraint/चोरी 'लूट' है यदि उस चोरी को करने के लिए, या उस चोरी के करने में, या उस चोरी द्वारा अभिप्राप्त संपत्ति को ले जाने, या ले जाने का प्रयत्न करने में, अपराधी उस उद्देश्य से स्वेच्छया किसी व्यक्ति की मृत्यु, या उपहति या उसको सदोष अवरोध या तत्काल मृत्यु का, या तत्काल उपहति का, या तत्काल सदोष अवराध का भय कारित करता है या कारित करने का प्रयत्न करता है
(b) Extortion is "robbery" to the offender, at the time of committing the extortion, is in the presence of the person put in fear and commits the extortion by putting that person in fear of instant death, of instant hurt, or of instant wrongful restraint, to that person or to some other person, and by so putting in fear, includes the person, so put in fear than and there to deliver up the thing extorted
उद्दापन 'लूट' है यदि अपराधी वह उद्दापन करते समय भय में डाले गए व्यक्ति की उपस्थिति में है और उस व्यक्ति को स्वयं उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की तत्काल मृत्यु या तत्काल उपहति या तत्काल सदोष अवरोध के भय में डालकर इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को उद्दापन की जाने वाली चीज उसी समय और वही परिदत्त करने के लिए उत्प्रेरित करता है
(c) Property, the possession whereof has been transferred by theft, or by extortion, or by robbery, any property which has been criminally misappropriated or in respect of which criminal breach of trust has been committed is designated as "stolen property"/वह संपत्ति, जिसका आधिपत्य चोरी द्वारा या उद्दापन द्वारा या लूट द्वारा अंतरित किया गया है

और वह संपत्ति, जिसका आपराधिक दुर्विनियोग किया गया है या जिसके विषय में आपराधिक न्यास-भंग किया गया है, ''चुराई हुई संपत्ति'' कहलाती है

(d) None of these/इनमें से कोई नहीं

MPHC CJ 2020

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

74. Certain factors are essential to get Extortion converted to Robbery. Following are a few given factors. Choose the one which is not required for the said conversion:
जबरन वसूली को लूट में बदलने के लिए कुछ कारक वांछित है। नीचे कुछ कारक दिए गए है उपर्युक्त परिवर्तन के लिए जो वांछित नहीं उसका चयन कीजिए:

(a) Dishonesty/ बेईमानी

(b) Removal of property from the possession of another, by putting him in fear/डर दिखाकर किसी को किसी की सम्पत्ति से बेदखल करना

(c) It is immaterial whether the person putting another in fear must be in the immediate presence or far away/ यह महत्वपूर्ण नही है कि डराने वाला व्यक्ति वहीं पर होना चाहिए या दूर

(d) Such fear should result in the delivery of property/ इस प्रकार के डर का परिणाम सम्पत्ति देना होता है

UGC (NET) June, 2015 Paper-III

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 383 में उद्यापन तथा धारा 390 में लूट परिभाषित है। लूट का अपराध चोरी या उद्यापन के माध्यम से किया जाता है। लूट के संदर्भ में उपरोक्त कथन कि 'यह महत्वपूर्ण नहीं है कि डराने वाला व्यक्ति वहीं पर होना चाहिए या दूर' गलत है क्योंकि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 390 के स्पष्टीकरण के अनुसार, लूट के अपराध को करते समय अभियुक्त का इतना पास होना आवश्यक है, जिससे कि वह भय में डालने हेतु पर्याप्त निकट हो। अतः लूट के लिए भी अभियुक्त व्यक्ति की उपस्थिति आवश्यक है। क्योंकि डकैती लूट का गम्भीर रूप है। धारा 390 के अनुसार, सब प्रकार की लूट में या तो चोर या डकैती होता है।

75. A contigent of police led by Sub-Inspector is on patrolling duty at night. They are attacked by two criminals in which one constable is severely injured and criminals escaped with their property. Here, a case can be made under Indian Penal Code 1860 for the offence of
एक उपनिरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस की एक टुकड़ी रात में गश्त लगाने की ड्यूटी पर है उन पर दो अपराधियों ने हमला किया जिसमें एक सिपाही गम्भीर रूप से घायल हो गया और अपराधी सम्पत्ति लेकर भाग निकलते है यहाँ पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 में किस अपराध के लिए मामला दर्ज कराया जा सकता है?

(a) Theft/चोरी के (b) Dacoity/डकैती के

(c) Robbery/लूट के (d) Mischief/रिष्टि के

Uttarakhand (J) 2015

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 390 के अन्तर्गत लूट के अपराध हेतु मामला दर्ज कराया जा सकता है। इस धारा के अनुसार—चोरी ''लूट'' है, यदि उस चोरी को करने के लिए या उस चोरी के करने में, या चोरी द्वार अभिप्राप्त सम्पत्ति को ले जाने या ले जाने का प्रयत्न करने में, अपराधी उस उद्देश्य से स्वेच्छया किसी व्यक्ति की—

(1) मृत्यु, या उपहति या सदोष अवरोध, या

(2) तत्काल मृत्यु का, या तत्काल उपहति का, या तत्काल सदोष अवरोध का भय कारित करता है या कारित करने का प्रयत्न करता है।

76. 'A' holds 'B' down and fraudulently takes 'B's money from his pocket without his consent. 'A' has committed:
'अ' 'ब' को दबोच लेता है, और 'ब' की जेब से, उसकी सम्मति के बगैर, कपट पूर्वक रुपये निकाल लेता है। 'अ' कारित करता है:

(a) theft/चोरी

(b) extortion/उद्यापन (बलात् ग्रहण)

(c) dishonest misappropriation of property/सम्पत्ति का कपट पूर्वक दुर्विनियोग

(d) robbery/लूट

(e) None of these/इनमें से कोई नहीं

Chhattishgarh (ADPO) 2013
MPHC (CJ) 2007
MP(ADPO)2003

Ans. (d) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 390 के दृष्टांत (a) पर आधारित है जिसके अनुसार A ने लूट का अपराध किया है।

उक्त समस्या में A, B को पकड़कर कपटपूर्ण आशय से उसकी जेब में से रूपये निकाल लेता है, यहाँ A ने चोरी की है और वह चोरी करने के लिए स्वेच्छया B को सदोष अवरोध कारित करता है, इसलिए A लूट का दोषी है।

77. A holds Z down and fraudulently takes Z's money and jewels from Z's clothes without Z's consent. A is guilty of
क, य को दबोच लेता है, और य के कपड़े में से य का धन और आभूषण य की सम्मति के बिना कपटपूर्वक निकाल लेता है। क दोषी है :

(a) Theft/चोरी का

(b) Extortion/उद्यापन का

(c) Robbery/लूट का

(d) Dishonest misappropriation of property/सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग

CBI (PP/APP) 2021
Delhi (APP)2021
MPHC CJ 2019
UP (APO) 2007
JPSC (APO) 2012

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

78. A meets B on National High-way, shows him a pistol and demands B's purse. B, in consequence, surrenders his purse. Which one of the following offence was committed by A?
A, B को राष्ट्रीय राजमार्ग पर मिलता है, उसे पिस्तौल दिखाकर B का पर्स माँगता है। परिणामस्वरूप B

अपना पर्स उसे दे देता है। निम्नलिखित में से कौन-सा अपराध A ने किया था?

(a) Theft/चोरी
(b) Robbery/लूट
(c) Dacoity/डकैती
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

Bihar (APO) 2020
Uttarakhand (J) 2011
UP (APO) 2007

Ans. (b) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता 1860 के धारा 390 के दृष्टांत (b) पर आधारित है जिसके अनुसार A लूट के अपराध का दोषी है।

प्रस्तुत समस्या में A, B को राजमार्ग पर पिस्तौल दिखाकर तत्काल उपहति के भय में डालकर पर्स उद्दापित करता है तथा ऐसा करते समय वह वहाँ उपस्थित है, अतः A ने लूट की है।

79. 'X' meets 'Y' in the way, 'Y' points out a dangerous knife to 'X' and demands his watch. 'X' gives the watch to 'Y'. What offence has been committed?
'X' रास्ते में 'Y' से मिलता है। 'Y' एक खतरनाक चाकू 'X' को दिखाता है और उसकी घड़ी की माँग करता है। 'X' अपनी घड़ी 'Y' को दे देता है। कौन सा अपराध किया गया है?

(a) Theft/चोरी (b) Extortion/उद्दापन
(c) Robbery/लूट (d) Assault/हमला

Uttarakhand (J) 2018

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न कीा व्याख्या देखें।

80. A having delivered money to his servant to carry to a distant place disguises himself and robs the servant on the highway with an intent to charge him. A commits the offence of
A अपने नौकर को पैसे देता है कि वो उसे किसी दूर स्थान पर ले जाये। तत्पश्चात् वह अपना वेश बदलता है और अपने नौकर को आरोपित करने की मंशा से उसे उच्चपथ पर लूटता है। A कौन-सा अपराध करता है?

(a) theft/चोरी
(b) extortion/जबरन वसूली
(c) robbery/लूट
(d) criminal breach of trust/आपराधिक विश्वासघात

Jharkhand (J) 2019

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न कीा व्याख्या देखें।

81. 'A' meets 'B' and his child in a jungle, 'A' takes the child threatens to kill him unless 'B' delivers his purse to 'A' and consequently 'B' delivers his purse, 'A' has committed/'अ', 'ब' और उसके बच्चे को जंगल में मिलता है। 'अ' बच्चे को पकड़ता है और उसे जान से मार देने की धमकी देता है बशर्ते कि 'ब' अपना बटुआ 'अ' को सौंप दे और 'ब' अपना बटुआ सौंप देता है। 'अ' ने कारित किया है :

(a) Extotion/उद्दापन (b) Theft/चोरी
(c) Robbery/लूट (d) Dacoity/डकैती

MP (ADPO) 2009 Paper-II

Ans (c): प्रस्तुत मामले में A ने B के शिशु को जान से मारने की धमकी देकर B से बटुआ उद्दापित किया है अतः A ने लूट कारित किया है।

प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 390 के दृष्टांत (c) पर आधारित है।

82. A commits robbery in hosiery shop and at the same night he return the loot amount to the shop owner. A has committed the offence/'अ' एक कपड़े की दुकान में लूट करता है और उसी रात उसे वह लूट की रकम दुकान के मालिक को लौटा देता है। 'अ' ने अपराध किय-

(a) Robbery/लूट
(b) Attempt to robbery/लूट का प्रयत्न
(c) No offence/कोई अपराध नहीं
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

MP (ADPO) 1997

Ans : (a) A भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 390 में परिभाषित लूट का अपराध किया। धारा 390 के अनुसार, सब प्रकार की लूट में या तो चोरी या उद्दापन होता है।

83. 'X' armed with a loaded pistol and 'Y' empty handed go to 'Z' shop in furtherance of their common intention to commit robbery, X enters the shop and on being resisted in carrying away property shoots Z with pistol Z dies at once. For what acts of X, Y is liable:
'क' एक भरी हुई पिस्तौल से लैस होकर तथा 'ख' खाली हाथ लूट करने के उनके सामान्य आशय को अग्रसर करने में 'ग' की दुकान पर जाते हैं। 'क' दुकान के अंदर जाता है और सम्पत्ति को ले जाने में 'ग' द्वारा प्रतिरोध किये जाने पर उसको गोली मार देता है 'ग' तुरन्त मर जाता है। 'क' के किन कृत्यों के लिए 'ख' दायित्व के अधीन है?

(a) Dacoity with murder /डकैती के साथ हत्या
(b) Extortion and culpable homicide not amounting to murder /उद्दापन या हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध
(c) Attempt to commit robbery when armed with deadly weapon
घातक आयुध से सज्जित होकर लूट करने का प्रयत्न
(d) Robbery and murder लूट और हत्या

MPHC CJ 1996

Ans. (d) प्रस्तुत समस्या में A और B लूट एवं हत्या के अपराध के दोषी हैं क्योंकि दोनों ने लूट का कार्य सामान्य आशय के अग्रसर करने में किया है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 390/34 तथा धारा 302/34 के अन्तर्गत दायित्वाधीन होंगे।

84. A holds B down and fradulently takes B's cell phone from B's trouser without his consent. Under Indian Penal Code. A commits the offence of
'क', 'य' को दबोच लेता है और 'य' की पतलून से 'य' का सेल फोन उसकी सम्मति के बिना कपटपूर्वक निकाल लेता है। भारतीय दंड संहिता के अनुसार 'क' ने अपराध किया है-

(a) robbery /लूट
(b) extortion /उद्दापन
(c) dacoity /डकैती
(d) criminal misappropriation /आपराधिक दुर्विनियोग

MPHC CJ 2013 Shift-I

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 390 के तहत A ने लूट का अपराध किया है।
चूँकि A, B को दबोच कर उसकी पतलून से उसकी सम्मति के बिना सेल फोन कपटपूर्वक निकाल लेता है। यहाँ A ने चोरी की है और वह चोरी करने में स्वेच्छया B का सदोष अवरोध कारित करता है। इसलिए B ने लूट की है।

85. Fear with murder A obtain from B twenty thousand.Which offence A has been committed?
मृत्यु कारित करने का भय दिखाकर 'अ' 'ब' से 20,000/- रु प्राप्त कर लेता है। 'अ' ने कौन-सा अपराध किया है?
(a) Extortion/उद्दापन (b) Mischiep /रिष्टि
(c) Robbery/लूट (d) Cheating/छल
Rajasthan (APO) 2005

Ans. (c) : प्रस्तुत समस्या में A लूट का अपराध कारित किया है। A के द्वारा तत्काल मृत्यु का भय दिखाकर B से 20,000 रू. उद्दापित किया गया और उद्दापन करते समय A वहाँ उपस्थित था, अतः 'A' ने लूट का अपराध कारित किया।

86. In a narrow and secluded street A puts a knife on B's neck and threatens to give him his purse. B has delivered his purse. What crime has A committed?
एक सकडी एवं एकांत गली में अ ने ब की गर्दन पर चाकू रखकर उसे अपना बटवा देने हेतु धमकी देता है। ब ने बटवा दे दिया। अ ने क्या अपराध किया है?
(a) Theft/चोरी
(b) Extortion/उद्दापन
(c) Robbery/लूट
(d) Criminal intimidation/आपराधिक अभित्रास
Rajasthan (APO) 2015

Ans. (c) : प्रस्तुत मामले में A ने लूट का अपराध किया है। A के द्वारा तत्काल उपहति का भय दिखाकर B का बटुआ उद्दापित किया गया और उद्दापन करते समय A वहां उपस्थित था। अतः A ने लूट का अपराध कारित किया है।

87. "A" pulls an earring from the ear of woman and thereby tears and wounds her ear badly. Here "A" is guilty for the offence of
''क'' एक महिला के कानों से कुण्डल खींचता है और इससे उसके कान को चीरते हुए बुरी तहर घायल कर देता है। यहाँ ''क'' उत्तरदायी होगा अपराध से
(a) mischief/रिष्टि के
(b) robbery/लूट के
(c) extortion/उद्दापन के
(d) misappropriation/दुर्विनियोग के
Uttarakhand (APO) 2015

Ans. (b) : प्रस्तुत समस्या टिकईगीर (1866) के वाद पर आधारित है, जिसमें यह निर्णीत किया गया कि यदि अभियुक्त किसी महिला की नाक से नथनी खींचकर उसे उपहति कारित करता है तथा महिला की नाक से खून बहने लगता है, तो अभियुक्त लूट के लिए दण्डित होगा। अतः यहाँ 'A' भारतीय दण्ड संहिता की धारा 390 में परिभाषित लूट के अपराध का दोषी होगा।

88. "X" who stole jewellery to a shop caused fear of instant hurt to "Z" who tried to stop him while carrying away the stolen watch. Here "X" can be held liable for the offence of
"X" जिसने एक आभूषणों की दुकान से गहने चुराए ने "Z" को तात्कालिक क्षति कारित करने को भय कारित किया, जो कि "X" को चुराई गई सम्पत्ति को ले जाने से रोकने का प्रयास कर रहा था। यहाँ "X" निम्नलिखित में से किस अपराध के लिए उत्तरदायी होगा?
(a) Extortion/उद्दापन के (b) Robberty/लूट के
(c) Theft/चोरी के (d) Dacoity/डकैती के
Uttarakhand (J) 2015

Ans. (b) : प्रस्तुत समस्या में A ने भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 390 में परिभाषित लूट का अपराध किया। प्रस्तुत समस्या में A ने आभूषणों की दुकान में चोरी करने के क्रम में Z को स्वेच्छया भय में डाला, अतः A लूट के अपराध का दोषी होगा।

89. PRINCIPLE : Theft + Violence or Threat to violence = Robbery.
सिद्धांत: चोरी + हिंसा या हिंसा की धमकी = लूट
Facts: M meets B and her child on a river bridge. M takes the child and threatens to fling it down to the river unless B delivers her purse. B in consequence delivers her purse.
तथ्य: M, B और उसके बच्चे को नदी के पुल पर मिलता है। M बच्चे को उठा लेता है और उसे नीचे नदी में पटक देने की धमकी देता है जब तक कि वह उसे अपना पर्स नहीं दे देती। फलस्वरूप B पर्स उसे थमा देती है।
What offence 'M' has committed?
M ने क्या अपराध किया?
(a) M is liable for theft/M चोरी के लिये जिम्मेदार है
(b) M is liable for coercion/M प्रतीड़न के लिये जिम्मेदार है
(c) M is liable for robbery/M लूट के लिये जिम्मेदार है
(d) M is liable for extortion/M उद्दापन के लिये जिम्मेदार है
UGC (NET) June, 2012 Paper-III

Ans. (c) : प्रस्तुत समस्या में M लूट के अपराध का दोषी है। लूट को भारतीय दण्ड संहिता के धारा 390 में परिभाषित किया गया है। इस धारा के अनुसार सब प्रकार की लूट में या तो चोरी या उद्दापन होता है। उद्दापन लूट है यदि अपराधी ऐसा करते समय भय में डाले गये व्यक्ति को स्वयं उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की तत्काल मृत्यु, तत्काल उपहति या तत्काल सदोष अवरोध के भय में डालकर उद्दापन करता है और भय में डाले गये व्यक्ति को कोई वस्तु उसी समय और वही परिदत्त करने को उत्प्रेरित करता है।

90. Which of the following is NOT a correct match?

(offence/अपराध)	**(Sections of Indian Penal Code/भारतीय दण्ड संहिता की धाराएँ)**
(a) Extortion/उद्दापन	- Section 383/धारा 383

(b) Dacoity/डकैती - Section 391/धारा 391
(c) Robbery/लूट - Section 389/धारा 389
(d) Theft/चोरी - Section 378/धारा 378

UP (APO) 2018

Ans. (c) : भारतीय दण्ड सहिंता 1860 की धारा 390 में लूट को परिभाषित किया गया है, जबकि धारा 389 उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को अपराध का अभियोग लगाने के भय में डालने से सम्बन्धित प्रावधान किया गया है।

91. Which section of Indian Penal code 1860 define Dacoity/भारतीय दण्ड संहिता की कौन-सी धारा डकैती को परिभाषित करती है?

(a) Section 390/धारा 390
(b) Section 391/धारा 391
(c) Section/धारा 395
(d) Section393/धारा 393

BPSC (APO) 2009

Ans : (b) भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 391 के अनुसार, जब 5 या अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट (धारा 390) करते है या करने का प्रयत्न करते है और वे व्यक्ति जो उपस्थित है और ऐसी लूट के किये जाने या ऐसे प्रयत्न में मदद करते है, कुल मिलाकर 5 या अधिक है, तब हर व्यक्ति जो इस प्रकार लूट करता है या उसका प्रयत्न करता है या उसमें मदद करता है, कहा जाता है कि वह डकैती करता है।

92. Whoever associated with four other for purpose of committing robbery and taking swag, He is guilty of/जो कोई भी व्यक्ति लूटमार कारित करने के उद्देश्य से और लूट का माल ले जाने हेतु अन्य चार के साथ सहयुक्त होता है, वह दोषी होता है:

(a) Dacoity/डाकू होने का
(b) Robbery/लुटेरा होने का
(c) Thug/ठग होने का
(d) Theft/चोर होने का

MP (ADPO) 1995

Ans : (a) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

93. The offence of 'dacoity' under Indian Penal Code may be committed by way of
भारतीय दण्ड संहिता के अधीन ''डकैती'' का अपराध किया जा सकता है

(a) theft only/केवल चोरी के द्वारा
(b) extortion only/केवल उद्दापन के द्वारा
(c) cheating only/केवल छल के द्वारा
(d) robbery only/केवल लूट के द्वारा

Uttarakhand (APO) 2015

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा 391** में 'डकैती' को परिभाषत किया गया है, जिसके अनुसार पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों द्वारा की गई लूट डकैती होती है। जब पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर या तो लूट करते हैं या लूट करने का प्रयत्न करते हैं तभी डकैती का अपराध गठित होता है।

94. Robbery is dacoity if committed conjointly by:
संयुक्त होकर की गई लूट डकैती कहलाती है, जब वह कारित की जाए:

(a) more than two persons but less than five persons/दो से अधिक किन्तु पाँच से कम व्यक्तियों द्वारा
(b) Five or more than five persons/पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों द्वारा
(c) at least seven persons./कम से कम सात व्यक्तियों द्वारा
(d) at least ten persons/कम से कम दस व्यक्तियों द्वारा

Uttarakhand (APO) 2021
MPHC CJ 2006, 2010, 2018

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

95. For committing offence of dacoity under Section 391 IPC, what is the minimum number of persons that are required? /आईपीसी की धारा 391 के अंतर्गत डकैती के अपराध के लिए, आवश्यक व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या है?

(a) 3 (b) 7
(c) 5 (d) 10

MP HC (CJ) 2002
Chhattishgarh (J) 2016

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

96. To constitute the crime of "Robbery" which of the following is necessary/'डकैती का अपराध गठित करने के लिए निम्नांकित में से क्या आवश्यक है?

(a) Theft/चोरी
(b) Extortion/उद्दापन
(c) Cheating/छल
(d) Either theft or extortion/चोरी या उद्दापन

MP (ADPO) 2008 Paper-II

Ans: (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

97. 6 person are prosecuted for robbery the court acquainted two person due to suspicion of identity. Rest four person.
छः व्यक्तियों को डकैती के लिए अभियोजित किया गया। न्यायालय ने उनमें से दो को पहचान संदिग्ध होने के कारण छोड़ दिया। शेष चार व्यक्तियों को:

(a) Can be convicted for dacoity/
डकैती के लिए दण्डित किया जा सकता है
(b) Cannot be convicted for dacoity/
डकैती के लिए दण्डित नहीं किया जा सकता है
(c) May be convicted for robbery only because number of person is less than 5/केवल लूट के लिए दण्डित किया जा सकता है क्योंकि उनकी संख्या पाँच से कम है
(d) None of the above correct/
उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है

MP (ADPO) 2003

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता के धारा 391 के अनुसार डकैती के अपराध के लिए यह आवश्यक है कि लूट कारित करने वाले और वहाँ उपस्थित व्यक्तियों को मिलाकर उनकी कुल संख्या पाँच या अधिक हो।

इस प्रकार जब अभियुक्तों की कुल संख्या 5 से कम है, तो डकैती का अपराध गठित नहीं होगा। अतः प्रस्तुत मामले में शेष चारों लोगों के ऊपर लूट का आरोप लगाया जा सकेगा। **लिंगय्या के मामले में (ए0आई0आर0 1958 ए0पी0510)** न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि डकैती के अपराध के लिए कम से कम पाँच व्यक्ति होने चाहिए।

98. 'A' and his four associates attempted to commit theft at the place of 'B' and caused hurt to 'B'. They were forced to retreat without collecting the goods because of stiff resistance by the inmates. They are guilty of/ 'अ' एवं उसके चार साथियों ने 'ब' के स्थान में चोरी करने का प्रयत्न किया और 'ब' को उपहति कारित की। वहाँ के अन्तःवासियों ने घोर प्रतिरोध किया और इस कारण वे लोग बिना लूट का माल लिए लौट गए। वे दोषी हैं

(a) theft/चोरी के
(b) robbery/लूट के
(c) decoity/डकैती के
(d) criminal misappropriation/आपराधिक दुर्विनियोग के

UP (APO) 2011

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 390 के अधीन कुछ दशाओं में चोरी लूट होती है और जब पांच या पांच से अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं या लूट करने का प्रयत्न करते हैं तो किया गया अपराध धारा 391 के अधीन डकैती होगा।

99. Consider the following statements
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. A person is not guilty of dacoity unless he has committed, attempted to commit or aided in committing robbery/कोई व्यक्ति डकैती करने का दोषी तब तक नहीं है जब तक उसने लूट का अपराध या तो किया नहीं हो अथवा प्रयास नहीं किया जो, या लूट करने में सहयोग नहीं किया हो
2. When two persons conjointly commit robbery, every person so committing robbery is said to commit dacoity/जब दो व्यक्ति मिलकर लूट की घटना करते हैं, तो लूट मचाने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा डकैती करना माना जाता है।

of the above statements/उपरोक्त कथनों में से-

(a) 1 and 2 are true/1 एवं 2 सत्य है
(b) 1 and 2 are false/1 एवं 2 असत्य है
(c) 1 is true but 2 is false/1 सत्य परंतु 2 असत्य है
(d) 1 is false but 2 is true/1 असत्य परंतु 2 सत्य है

Jharkhand (J) 2019

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
नोटः-आयोग द्वारा सही विकल्प (b) माना गया है।

100. Which of the following is the offence which is punishable in four stages?
निम्नलिखित में से कौन-सा ऐसा अपराध है जो चार चरणों में दण्डनीय है?

(a) Robbery/लूट (b) Dacoity/डकैती
(c) Murder/हत्या (d) Rape/बलात्कार

UGC (NET) December, 2009

Ans. (b) : अपराध के चार चरण होते है। ये चरण निम्नलिखित है- (1) आशय (2) तैयारी (3) प्रयास (4) अपराध की पूर्णता। सामान्यता अपराध के प्रयास तथा अपराध की पूर्णता दण्डनीय है। कुछ अवस्था में तैयारी भी दण्डनीय है, जैसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 122, 233, 399 आदि। आशय सामान्यता दण्डनीय नहीं है, लेकिन 402 में दण्डनीय है। अतः डकैती एक मात्र अपराध जो सभी चार चरणों में दण्डनीय है।

101. Which one of the following factors distinguishes 'robbery' from 'dacoity'?
निम्नलिखित में से कौन-सा कारक 'लूट' एवं 'डकैती' के बीच अन्तर स्पष्ट करता है?

(a) Time span/समय
(b) Property/सम्पत्ति
(c) Number of Offenders/अपराधियों की संख्या
(d) Place of Offence/अपराध का स्थान

Uttarakhand (J) 2015, 2016

Ans. (c) : डकैती के अपराध के लिए अपराधियों की न्यूनतम संख्या पांच जबकि अधिकतम कितनी भी हो सकती है (धारा 391)। लूट के अपराध के लिए अपराधियों की न्यूनतम संख्या एक जबकि अधिकतम चार हो सकती है (धारा 390)।
इस प्रकार लूट तथा डकैती के मध्य अपराधियों की संख्या के आधार पर अन्तर किया जाता है।

102. 'X' along wih four other armed hoodlums seizes the child of 'Y' and threaten to kill him unless 'Y' parts with his watch and diamond ring. 'X' has committed the offence of
'X' ने अन्य चार सशस्त्र गुंडो के साथ मिलकर 'Y' के बच्चे को पकड़कर यह धमकी दी कि यदि अपनी घड़ी और हीरे की अंगूठी नहीं देगा तो वह बच्चे को मार डालेगा। 'X' ने कौन सा अपराध किया है?

(a) robbery/लूट
(b) dacoity/डकैती
(c) attempt to murder/हत्या का प्रयत्न
(d) theft/चोरी

Uttarakhand (J) 2014

Ans : (b) 'X' ने भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 391 के अन्तर्गत डकैती का अपराध कारित करता है, क्योंकि X चार अन्य लोगों के साथ मिलकर उद्दापन सहित लूट का अपराध कारित किया है। जब 5 या पाँच से अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट कारित करते हैं तो वह डकैती करते हैं।

103. 'A' committed robbery on the National Highway between 10.00 p.m. to 11.00 p.m. 'A' may be imprisoned for maximum period of:-
'अ' ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर रात्रि 10 बजे से 11 बजे के मध्य लूट कारित की। 'अ' को अधिकतम कितनी अवधि के लिये कारावास से दण्डित किया जायेगा :

(a) 10 years /10 वर्ष
(b) 14 years /14 वर्ष
(c) 7 years /7 वर्ष
(d) None of these /इनमें से कोई नहीं

Chhattishgarh (ADPO) 2008

Ans. (b): भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 392 के अनुसार यदि लूट राजमार्ग पर सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच की जाए तो कारावास 14 वर्ष तक का हो सकेगा।

104. "Attempt to commit robbery" is punishable under Indian Penal Code in .....
भारतीय दण्ड संहिता की किस धारा में ''लूट करने का प्रयत्न'' दण्डनीय अपराध है?

(a) Section 390/धारा 390 में
(b) Section 391/धारा 391 में
(c) Section 392/धारा 392 में
(d) Section 393/धारा 393 में

Uttarakhand (APO) 2015
UP (APO) 2002
Chhattisgarh (J)2020

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा 393** 'लूट के प्रयत्न' को दण्डनीय बनाती है, जिसके अनुसार जो कोई लूट करने का प्रयत्न करेगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से की दण्डनीय होगा।

105. Under IPC, attempt to commit dacoity is punished under/डकैती के प्रयास के लिये दण्ड की व्यवस्था है, भारतीय दण्ड संहिता की-

(a) Section 393/धारा 393 में
(b) Section 394/धारा 394 में
(c) Section 395/धारा 395 में
(d) Section 396/धारा 396 में

Jharkhand (J) 2014
Chhattisgarh (J) 2020

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

106. Offence of Dacoity with murder is punishable under Indian penal code in which section?/हत्या सहित डकैती के अपराध का दण्ड भा.दं.सं. की किस धारा में उपबंधित है?

(a) Section 396/धारा 396
(b) Section 395/धारा 395
(c) Section 398/धारा 398
(d) Section 397/धारा 397

MP (HJS) 2016

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 396 में हत्या सहित डकैती को परिभाषित किया गया है। धारा 396 के अनुसार - यदि ऐसे पाँच या अधिक व्यक्तियों में से जो संयुक्त होकर डकैती कर रहे हो, कोई एक व्यक्ति इस प्रकार डकैती करने में हत्या करेगा तो उन व्यक्तियों में से हर व्यक्ति मृत्यु से या आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक हो सकेगी दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

107. Dacoity with murder creates co-extensive responsibility of each participant because
डकैती के साथ हत्या के मामले में जिम्मेदारी गिरोह के प्रत्येक सदस्य एक सम-विस्तीर्ण होती है क्योंकि:

(a) Collective liability is the core-essence whether it was culminated suddenly or not/सामूहिक दायित्त्व उसका केंद्रीय तत्त्व है, चाहे वह आकस्मिक रूप से ही हुआ हो या नहीं
(b) Mere non-participation in dacoity will not exempt from criminal liability since there was pre-concert/सिर्फ डकैती में भाग नहीं लेने से कोई आपराधिक दायित्व से बरी नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसे पूर्व निर्धारित किया गया था
(c) Planning was to commit only dacoity, but another person, for earlier enemity, abetted to commit murder while there was no common object/सिर्फ डकैती डालने की योजना थी, लेकिन एक अन्य व्यक्ति ने अपनी पुरानी दुश्मनी की वजह से हत्या को अंजाम दिया, जबकि वह गिरोह का सामान्य उद्देश्य नहीं था
(d) There must be one or more participants for the constructive action by each member/प्रत्येक सदस्य द्वारा संयोजित कृत्य के लिए एक या अधिक सदस्यों का होना आवश्यक होगा

UGC (NET) January, 2017 Paper-III

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 396 में हत्या सहित डकैती के बारे में उपबन्ध है।
धारा 396 लागू होने के लिए यह आवश्यक है कि-
(1) अभियुक्तों ने अपने संयुक्त कार्य द्वारा डकैती किया हो, तथा
(2) हत्या डकैती करने के दौरान की गई हो।
यदि 5 या अधिक व्यक्तियों में से जो संयुक्त होकर डकैती कर रहे हैं कोई एक व्यक्ति इस प्रकार डकैती करने में हत्या कर देता है तो उस समूह का प्रत्येक व्यक्ति हत्या के लिए उत्तरदायी होगा।

108. Which of the following offences is punishable with a minimum sentence of seven years:
निम्न में से कौन-सा अपराध न्यूनतम सात वर्ष के कारावास से दण्डनीय है:

(a) 326 IPC/326 भा.द.वि.
(b) 376(2)(g) IPC/376 (2) (जी) भा.द.वि.
(c) 397 IPC/397 भा.द.वि.
(d) 409 IPC/409 भा.द.वि.

Chhattishgarh (J) 2008

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 397 में दिया गया अपराध न्यूनतम सात वर्ष के कारावास से दण्डनीय है।
धारा 397 में प्रावधान किया गया है कि जो कोई मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती करेगा वह कारावास से दण्डित किया जायेगा जो 7 वर्ष से कम की नहीं होगी।

109. Whether Sec. 397 I.P.C. Create a separate substantive offence./क्या भा.द.सं. की धारा 397, एक पृथक् सारवान अपराध का गठन करती है?

(a) yes /हाँ
(b) Depend on some other factor/कुछ अन्य कारकों पर निर्भर
(c) It provides minimum imprisonment for offence specifed in section./यह केवल धारा में उल्लेखित अपराधों के सम्बन्ध में न्यूनतम जेल कारावास का प्रावधान करती है
(d) None of the above /उपरोक्त में से कोई नहीं

MP (HJS) 2014

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

110. What is the minimum imprisonment prescribed for use of deadly weapons in dacoity under Indian Penal Code?/भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत डकैती में घातक आयुध उपयोग करने पर न्यूनतम कितना कारावास निहित है?

(a) 10 years/10 साल (b) 7 years/7 साल
(c) 5 years/5 साल (d) 14 years/14 साल

Uttarakhand (J) 2006, 2011

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 398 के अनुसार घातक आयुद्ध से सुसज्जित होकर लूट या डकैती करने के प्रयत्न के लिए न्यूनतम दण्ड 7 वर्ष है।

111. Only prepretion is offence which of the following.
निम्न के संबंध में केवल तैयारी भी अपराध है:

(a) Theft/चोरी (b) Murder/हत्या
(c) Dacoity /डकैती (d) Rape/बलात्कार

Uttarakhand (APO) 2015
Chhattishgarh (J) 2011

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 399 के तहत डकैती करने के लिए तैयारी करना दण्डनीय अपराध है। धारा 399 के अनुसार,जो कोई डकैती करने के लिए कोई तैयारी करेगा, वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

112. Making preparation to commit dacoity is
डकैती करने के लिये तैयारी करना:

(a) not punishable unless accompanied with attempt/दण्डनीय नहीं है जब तक प्रयास के साथ न हो।
(b) punishable with simple imprisonment up to three months/3 महीने तक के साधारण कारावास से दंडनीय है।
(c) punishable with simple imprisonment up to three years/3 वर्ष तक के साधारण कारावास से दंडनीय है।
(d) punishable with rigorous imprisonment up to ten years/10 वर्ष तक के कठोर कारावास से दंडनीय है।

CBI (PP/APP) 2021
Delhi (APP)2021

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

113. Prepretion of offence is punishable in which of the following.
निम्न में से किए अपराध की तैयारी दण्डनीय है?

(a) Robbey/लूट (b) Extortion/उद्दापन
(c) Rioting/बलवा (d) Dacoity/डकैती

Chhattishgarh (J) 2004, 2008, 2012
MPHC (CJ) 1997

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

114. Under which Section of the Indian Penal Code, 1860 preparation to commit dacoity is punishable/भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की किस धारा के अन्तर्गत डकैती करने के लिए तैयारी करना दण्डनीय है?

(a) Section 396/धारा 396
(b) Section 391/धारा 391
(c) Section 399/धारा 399
(b) Section 402/धारा 402

MP (ADPO) 2009 Paper-II
UP APO 2002, 2018

Ans. (c): उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

115. Generally preparation of an offence defined in IPC is not punishable but preparation of ..... is punishable under IPC as an offence.
भारतीय दण्ड संहिता में प्रायः किसी अपराध की तैयारी दंडनीय नहीं होती है, परंतु ..... की तैयार दंडनीय अपराध है।

(a) Theft /चोरी (b) Extortion/उद्यापन
(c) Robbery /लूट (d) Dacoity/डकैती

MPHC CJ 2017

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

116. Preparation to commit dacoity is a–
डकैती कारित करने की तैयारी है–

(a) punishable offence/दण्डनीय अपराध
(b) not punishable offence/दण्डनीय अपराध नहीं
(c) no offence/कोई अपराध नहीं
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

UP (HJS) 2009

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

117. Which of the following preparation are not offence.
निम्नलिखित में से कौन-सी तैयारी अपराध नहीं है?

(a) Preparation of bank robbery/बैंक लूटन की तैयारी
(b) preparation to commit dacoity in bank/बैंक में डकैती डालने की तैयारी
(c) Making die for counterfeiting coin/सिक्कों के कूटकरण के लिए डाई बनाना
(d) making die for counterfeiting Indian coin/भारतीय सिक्कों के कूटकरण के लिए डाई बनाना

MP (ADPO) 2003

Ans. (a) : तैयारी किसी अपराध का दूसरा चरण होता है। साधारणतया तैयारी दण्डनीय नहीं है क्योंकि इससे व्यक्ति का दुराशय परिलक्षित नहीं होता है। परन्तु निम्नवत् धाराओं में तैयारी को एक दण्डनीय अपराध बनाया गया है-
(1) धारा 122-सरकार के विरूद्ध युद्ध की तैयारी
(2) धारा 126-भारत सरकार के साथ शांति से सत्ता के क्षेत्रों पर लूटपाट करने की तैयारी
(3) धारा 233 से 235-सिक्कों की जालसाजी के लिए उपकरण बनाना या बेचना
(4) धारा 242, 243, 259, 266 और 474- नकली सिक्के, नकली वजन या माप और जाली दस्तावेज रखना।
(5) धारा 255 व 257-सरकारी टिकटों की छपाई के लिए उपकरण बनाना या बेचना
(6) धारा 399: डकैती करने की तैयारी

118. Preparation of which of the following offences is punishable:
निम्नलिखित अपराधों में से किसकी तैयारी दण्डनीय है:

(a) Robbery/लूट (b) Extortion/उद्यापन
(c) Riot/बलवा (d) Dacoity/डकैती

UP(HJS) 2020

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

आपराधिक दुर्विनियोग एवं न्यासभंग (धारा 403-409)

119. Under which section of Indian Penal Code, dishonest misappropriation of property has been defined?
भारतीय दण्ड संहिता की किस धारा के अन्तर्गत सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग परिभाषित किया गया है?

(a) Section 406/धारा 406
(b) Section 405/धारा 405
(c) Section 403/धारा 403
(d) Section 415/धारा 415

Uttarakhand (APO) 2021
Bihar (APO) 2020
Uttarakhand (J) 2006, 2011

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की **धारा 403** के अन्तर्गत सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग परिभाषित किया गया है। **धारा 403** के अनुसार जो कोई बेईमानी से किसी जंगम सम्पत्ति का दुर्विनियोग करेगा या उसको अपने उपयोग के लिए सम्परिवर्तित कर लेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

120. Fill in the gap with the offence that the accused has committed.
Whoever dishonestly used any movable property to his own advantage has committed the offence of...../रिक्त स्थान को निम्नलिखित में से अभियुक्त ने जो अपराध किया है, के द्वारा भरें:
जो कोई भी व्यक्ति दुर्भावना से किसी चल सम्पत्ति को अपने लाभ के लिए प्रयोग करता है वह ..... अपराध का दोषी है।

(a) Breach of trust/न्यास भंग
(b) Wrongful gain/अनुचित लाभ
(c) Misappropriation/दुर्विनियोजन
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

UGC (NET) June, 2013 Paper-III

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

121. "Dishonest misappropriation of property" is an offence against:-
'सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग' निम्न में से किसके विरुद्ध अपराध है?

(a) Movable property/चल सम्पत्ति
(b) Immovable property/अचल सम्पत्ति
(c) Both (a) and (b)/(a) तथा (b) दोनों
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

UP (APO) 2015

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा 403** में परिभाषित सम्पत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध केवल चल (जंगम) सम्पत्ति के विरूद्ध होता है।

122. In case of criminal misappropriation, subsequent intention must be-
आपराधिक दुर्विनियोग के मामले में पश्चातवर्ती आशय होना चाहिए–

(a) Fraudulent/कपटपूर्ण (b) Dishonest/बेईमानी
(c) Innocent/निर्दोष (d) Illegal/अवैध

UPPCS (J)-2018

Ans. (b) : आपराधिक दुर्विनियोग के मामले में पश्चातवर्ती आशय बेईमानी पूर्ण होना चाहिए। आपराधिक दुर्विनियोग को भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा 403** में परिभाषित किया गया है। इस धारा के अन्तर्गत आपराधिक दुर्विनियोग के लिए पश्चातवर्ती आशय बेईमानीपूर्ण होना चाहिए। आपराधिक दुर्विनियोग के अपराध का सार यह है कि सम्पत्ति निरपराधपूर्ण रीति से अभियुक्त के कब्जे में आती है किन्तु पश्चातवर्ती बेईमानीपूर्ण संपरिवर्तन या दुर्विनियोग के कारण यह अपराध संरचित हो जाता है।

123. in which of the following case (s) a dishonest misappropriation has not been commited:
1. 'A' takes a book from his friend 'B' s library for reading it overnight. 'B' was not present when 'A' took the book. The next day while coming to return the book 'A' was tempted to see a movie but had no money, so he pawned the book to pay for the ticket
2. 'A' and 'B' where joint owners of a horse. 'A' took the horse to another station for his exclusive use without informing 'B'. 'A' did not return the horse and when it grew old sold it and pocketed the money.
3. 'A' found a purse on the road, he picked it up and kept it in his pocket.
निम्नलिखित में किस मामले में बेईमानी पूर्ण दुर्विनियोग (गबन) का अपराध नहीं हुआ है-
1. 'A' अपने मित्र 'B' के साथ पुस्तकालय से रात में पढ़ने के लिए पुस्तक लाता है। जब 'A' पुस्तक लाया तब 'B' वहाँ उपस्थित नहीं था। दूसरे दिन जब 'A' पुस्तक वापस करने के लिए आ रहा था 'A' को मूवी देखने की इच्छा हुई लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह पुस्तक को टिकट के लिए गिरवी रख दिया।
2. 'A' तथा 'B' एक घोड़े के संयुक्त स्वामी थे। 'A' ने घोड़े को 'B' की सूचना दिये बिना अन्य स्थान पर ले गया। 'A' ने घोड़े को वापस नहीं किया और जब वह बूढ़ा हो गया तो उसे बेंच दिया और पैसे को अपने पास रख लिया।
3. 'A' ने सड़क पर एक पर्स पाया, वह उसे उठा लिया तथा उसे अपने पाकेट में रख लिया।

(a) 1 and 2/1 और 2
(b) 2 and 3/2 और 3
(c) 3 alone/केवल 3
(d) 1, 2 and 3/1, 2 और 3

UP (HJS) 2016,2018 Part-III

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 403 में सम्पत्ति का बेईमानी से आपराधिक दुर्विनियोग को परिभाषित किया गया है। **प्रश्न का कथन 1 धारा 403 के दृष्टान्त (b)** पर आधारित है जिसमें A द्वारा पुस्तक को पढ़ने के लिए लेने पर अपराध नहीं

होगा क्योंकि यहाँ बेईमानीपूर्ण आशय नहीं है किन्तु फिल्म के टिकट के भुगतान के लिए पुस्तक को गिरवी रख देना बेईमानी से दुर्विनियोग होगा।

प्रश्न का कथन 2 धारा 403 के दृष्टान्त (c) पर आधारित है जिसमें A द्वारा घोड़े को बेच कर सम्पूर्ण आगम अपने लिए विनियोग कर लेने के कारण बेईमानी से दुर्विनियोग किया गया है।

प्रश्न के कथन 3 में बेईमानी से दुर्विनियोग नहीं किया गया है। यह समस्या **धारा 403 के स्पष्टीकरण 2 के दृष्टांत (a)** पर आधारित है। इस समस्या में 'A' ने आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध नहीं किया है।

124. A and B, being joint owners of a elephant, A takes the elephant out of B's possession, intending to use it. A, then sells the elephant and appropriates the whole proceeds to his own use. What offence has A committed?
क और ख एक हाथी के संयुक्त स्वामी है। क उस हाथी को उपयोग में लाने के आशय से ख के कब्जे में से उसे ले जाता है। क उस हाथी को बेच देता है और संपूर्ण आगम का अपने लिए विनियोग कर लेता है। क ने कौन सा अपराध कारित किया?

(a) Cheating/छल
(b) Theft/चोरी
(c) Criminal breach of trust/आपराधिक न्यासभंग
(d) Dishonest Misappropriation
बेईमानी से दुर्विनियोग

MPHC CJ 2020

Ans. (d) : क ने आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध किया है। प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा 403 के दृष्टांत C** पर आधारित है।

125. X finds a Government promissory note belonging to C bearing a blank endorsement X knowing that the note belongs to C pledged it with a banker as a security for loan intending to restore it to C within a week. X:
'क' को 'स' का एक सरकारी वचन-पत्र मिलता है, जिस पर निरंक पृष्ठांकन है। 'क' यह जानते हुए कि वचन-पत्र 'स' का है, उसे ऋण के लिए प्रतिभूति के रूप में बैंकर के पास इस आशय से गिरवी रख देता है कि वह एक सप्ताह के अंदर उसे 'स' को प्रत्यावर्तित कर देगा। 'क'–

(a) Is not guilty of any offence
किसी अपराध का दोषी नहीं है।
(b) Is guilty of criminal breach of trust
आपराधिक न्यासभंग का दोषी है।
(c) Is guilty of cheating /छल का दोषी है
(d) Is guilty of criminal misappropriation
आपराधिक दुर्विनियोग का दोषी है।

MPHC (CJ) 1996,2015

Ans. (d) प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की **धारा 403 स्पष्टीकरण 1 के दृष्टांत** पर आधारित है। इस समस्या में 'क' आपराधिक दुर्विनियोग का दोषी है क्योंकि **स्पष्टीकरण 1** यह प्रावधान करता है कि केवल कुछ समय के लिए बेईमानी से दुर्विनियोग करना इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत दुर्विनियोग है।

126. 'A' finds a purse with money on the high-road, not knowing to whom the purse belonging 'A' picks up the purse. He has committed in offence under:
'क' को एक पर्स, जिसमें धन है, राज मार्ग पर पड़ा मिलता है। यह न जानते हुए कि पर्स किसका है 'क' उस पर्स को उठा लेता है। 'क' किस धारा के अधीन अपराध करता है?

(a) Section 403 IPC/धारा 403 भा. द. सं.
(b) Section 404IPC/धारा 404 भा. द. सं.
(c) Section 405 IPC/धारा 405 भा. द. सं.
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

Uttarakhand (J) 2006

Ans. (d) : क ने कोई अपराध नहीं किया है। प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता 1860 **की धारा 403 के स्पष्टीकरण 2 के दृष्टान्त (a) पर आधारित है।** आपराधिक दुर्विनियोग तब होता है जब यह जानते हुए सम्पत्ति उसकी नहीं है और उसका दुर्विनियोग करता है या अपने उपयोग के लिए परिवर्तित करता है। यहाँ क का आशय स्पष्ट नहीं है इसलिए क किसी भी अपराध का दोषी नहीं होगा।

127. A finds a ring lying on the high road. By taking it a commits:
'क' को सड़क पर पड़ी हुई अंगूठी मिलती है, 'क' उसे उठाकर अपने पास रख लेता है। 'क' ने कौन-सा अपराध किया है?

(a) No offence/कोई अपराध नहीं
(b) Theft/चोरी
(c) Criminal misappropriation of property/संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग
(d) Loot/लूट

Chhattishgarh (J) 2003

Ans. (a) : प्रस्तुत समस्या में 'क' किसी अपराध का दोषी नहीं होगा क्योंकि उसने प्राप्त की गयी अंगूठी को दुर्विनियोग या अपने उपयोग के लिए सम्परिवर्तित नहीं किया है। प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की **धारा 403 स्पष्टीकरण 2 के दृष्टांत (a)** पर आधारित है।

धारा 403 के स्पष्टीकरण 2 के अनुसार- जिस व्यक्ति को ऐसी सम्पत्ति पड़ी मिल जाती है जो अन्य व्यक्ति के कब्जे में नहीं है और वह उसके स्वामी के लिए उसको संरक्षित रखने या उसके स्वामी को उसे प्रत्यावर्तित करने के प्रयोजन से ऐसी सम्पत्ति को लेता है वह न तो बेईमानी से उसे लेता है और न बेईमानी से उसका दुर्विनियोग करता है तो वह किसी अपराध का दोषी नहीं है।

128. X find one thousand rupees note on the public road. He does not know to whom the note belongs. X pick up the note. Here X has:
X को सार्वजनिक मार्ग पर पड़ा हुआ एक हजार का नोट मिलता है। वह नहीं जानता की नोट किसका है और नोट उठा लेता है। X ने :

(a) not committed any offence
कोई अपराध नहीं किया
(b) committed dishonest misappropriation of property /बेईमानी से सम्पत्ति का दुर्विनियोग का अपराध किया है।

(c) committed robbery /लूट का अपराध किया है
(d) committed theft /चोरी का अपराध किया है

MPHC CJ 2006

Ans. (a) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा 403 के स्पष्टीकरण 2 के दृष्टांत (a)** पर आधारित है। X ने कोई अपराध कारित नहीं किया क्योंकि X ने यह न जानते हुए कि वह रूपया किसका है, वह उठा लेता है। इसलिए X ने अपराध कारित नहीं किया।

129. A, finds a rupee on the highway not knowing to whom the rupee belongs. A picks up the rupee. A, has committed the offence of
क को राजमार्ग पर एक रुपया पड़ा मिलता है। यह न जानते हुए कि वह रुपया किसका है, उस रुपए को उठा लेता है। क ने अपराध कारित किया है

(a) Dishonest misappropriation of property/सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग
(b) Theft/चोरी
(c) Dishonestly receiving stolen property/चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

Uttarakhand (APO) 2009

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

130. A finds Rs. 2000/- note on public place. He has no idea as to whom the Rs. 2000/- note belongs. He picks up the note. A has committed-
'ए' को लोक स्थान पर 2,000/- रूपये का नोट पड़ा हुआ मिलता है। उसको कोई जानकारी नहीं थी कि 2,000/- रुपये का नोट किसका है। वह नोट को उठा लेता है। 'ए' ने कारित किया-

(a) Theft/चोरी
(b) Dishonest misappropriation of property सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग
(c) attempt to theft/चोरी का प्रयास
(d) has not committed any offence उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया

MPHC CJ 2018 Shift-I

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

131. Suresh is poor student. He found a letter lying on the road. Containing a bank note. From the instructions and the subject matter given in that letter, It becomes known to whom the note belongs. He uses that note to by some books. What crime has suresh committed?
सुरेश एक गरीब विद्यार्थी है। उसको सड़क पर एक चिट्ठी पड़ी मिलती है जिसमें एक बैंक नोट है। उस चिट्ठी में दिये हुए निदेश और विषयवस्तु से उसे ज्ञात हो जाता है कि वह नोट किसका है। वह उस नोट का उपयोग कुछ पुस्तकें खरीदने के लिए करता है। सुरेश ने कौन-सा अपराध किया है?

(a) Dishonest misappropriation of property/ सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग
(b) theft/ चोरी
(c) Criminal Breach of trust/आपराधिक न्यासभंग
(d) No offence/ कोई अपराध नहीं

BPSC (APO) 2009
MPHC (CJ) 2019 Shift-II

Ans : (a) प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की **धारा 403 स्पष्टीकरण 2 के दृष्टान्त (b)** पर आधारित है। इस समस्या में सुरेश ने धारा 403 के अन्तर्गत सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग का अपराध कारित किया है।

132. 'A' finds a purse with money, not knowing to whom it belongs; he afterwards discovers that it belongs to 'B' and appropriates to his own use. 'A' is guilty of :
'अ' को एक पर्स जिसमे मुद्रा थी, पड़ा मिला। वह नहीं जानता था कि वह पर्स किसका है बाद में उसे पता चला कि वह पर्स 'ब' का है और वह उसे स्वयं उपयोग कर लेता है। 'अ' दोषी है–

(a) Theft/चोरी के लिए
(b) Criminal misappropriation/आपराधिक दुर्विनियोग के लिए
(c) Criminal breach of trust/आपराधिक न्यासभंग के लिए
(d) Cheating/छल के लिए

UP (APO) 2002

Ans: (b) प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की **धारा 403 के स्पष्टीकरण 2 के दृष्टांत (e)** पर आधारित है। 'अ' इस धारा के अन्तर्गत आपराधिक दुर्विनियोग का दोषी होगा, क्योंकि उसे पर्स की जानकारी प्राप्त होने के बाद सूचना देने का अवसर था जो कि उसने नहीं दिया और अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर लिया। इसलिए वह आपराधिक दुर्विनियोग का दोषी होगा।

133. A finds a valuable ring, not knowing to whom it belongs. A sells it immediately without attempt to discover its owner. A is guilty of an offence under section ..... Indian Penal Code.
'क' को एक कीमती अंगूठी पड़ी मिलती है, वह नहीं जानता है कि वह किसकी है। 'क' उसके स्वामी को खोज निकालने का प्रयत्न किये बिना उसे तुरंत बेच देता है। 'क' भारतीय दण्ड संहिता की धारा ..... के अपराध का दोषी है।

(a) 403 (b) 379
(c) 406 (d) 384

MPHC CJ 2019 Shift-II

Ans. (a) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की **धारा 403 स्पष्टीकरण 2 के दृष्टान्त (f)** पर आधारित है। इस समस्या में चूँकि 'क' उसके स्वामी को खोज निकालने का प्रयत्न किये बिना अंगूठी तुरंत बेच देता है अतः क धारा 403 के अन्तर्गत सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग का दोषी है।

134. 'A' finds a diamond ring in shopping mall not knowing to whom it belongs. 'A' sells it immediately without attempting to discover the true owner. Has 'A' Committed any offence? Select correct answer from the given options.
'A' को शॉपिंग मॉल में एक हीरे की अंगूठी मिलती है और उसे पता नहीं कि वह किसकी है। सही मालिक का पता करने की कोशिश किए बिना 'A' इसे तुरंत बेच

देता है। क्या 'A' ने कोई अपराध किया है? दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें।

(a) 'A' has committed offence of criminal breach of trust. /'A' ने आपराधिक न्यासभंग (क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट) का अपराध किया है

(b) 'A' has committed offence of mischief/'A' ने शरारत (मिस्चिफ) का अपराध किया है

(c) 'A' has not committed any offence /'A' ने कोई अपराध नहीं किया है

(d) 'A' has committed offence of dishonest misapprorpriation of property. /'A' ने संपत्ति के कपटपूर्ण दुर्विनियोजन (डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी) का अपराध किया है

Chhattishgarh (J) 2017

Ans. (d) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की **धारा 403 स्पष्टीकरण 2 के दृष्टान्त (f)** के समान है। इस समस्या में A ने धारा 403 के अन्तर्गत सम्पत्ति के बेईमानी से दुर्विनियोग का दोषी है।

135. 'A' finds a watch on the floor of a state transpor– bus while he was leaving it is as the last passenger. He picked it up and kept it in his pocket instead of returning in to the State Transport Authorities. Next day he sold the watch. 'A' is liable for/'क' जब राज्य परिवहन की बस से उतरने वाला अंतिम यात्री था, एक घड़ी बस के फर्श पर पाता है। राज्य परिवहन अधिकारियों को सौंपने के बजाय उसने घड़ी उठाकर अपनी जेब में रख ली। दूसरे दिन उसने घड़ी बेच दी। 'क' उत्तरदायी है :

(a) Theft/चोरी के लिए

(b) Criminal misappropriation/ आपराधिक दुर्विनियोग के लिए

(c) Criminal breach of trust/आपराधिक न्यासभंग के लिए

(d) Extortion उद्दापन के लिए

MP (ADPO) 2009 Paper-II

Ans.(b): प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की **धारा 403 के स्पष्टीकरण 2** पर आधारित है। इस समस्या में 'क' धारा 403 के अन्तर्गत सम्पत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग का दोषी है, क्योंकि 'क' घड़ी को राज्य परिवहन अधिकारियों को सौपने के बजाय उसे बेच दिया और इस प्रकार उसका दुर्विनियोग कर लिया।

136. A is Travelling from M.P.S.R.T.C. bus where he found a gold ring, He picks it up from there and sells later. A has committed offence/'अ' म. प्र. रा. प. नि. की बस में सफर कर रहा है जहाँ उसे एक सोने की अंगूठी पड़ी मिली, वह उसे वहाँ से उठा लाता है और बाद में बेच देता है। 'अ' ने अपराध किया-

(a) Theft/चोरी

(b) Criminal misappropriation/आपराधिक दुर्विनियोग

(c) Criminal Breach of trust/आपराधिक न्यास भंग

(d) No one/कोई नहीं

MP (ADPO) 1997

Ans : (b) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

137. 'A' finds a valuable ring not knowing to whom it belongs. 'A' sells it immediately without attempting to discover the owner. what offence had he committed?
'क' को एक मूल्यावन अँगूठी पड़ी मिलती है वह नहीं जानता है कि वह किसकी है। 'क' उसके स्वामी को खोज निकालने का प्रयत्न किये बिना उसे तुरन्त बेंच देता है। उसने कौन-सा अपराध किया है?

(a) Theft/चोरी

(b) Extortion/उद्दापन

(c) Criminal breach of trust/आपराधिक न्यास भंग

(d) Dishonest misappropriation of property/सम्पत्ति को बेईमानी से दुर्विनियोग

UP (APO) 2018

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

138. 'B' and 'C' were on the railway platform. 'B' had taken a ticket from Allahabad to Delhi. 'B', an illiterate woman handed over the ticket to 'C' in order to ascertain whether she had a right ticket. 'C' under the pretence of returning the ticket to Delhi substituted it for the ticket of shorter journey and returned that as 'B's ticket. In this case. 'C' is liable for.
''ब'' और ''स'' दोनों रेलवे प्लेटफार्म पर थे। ''ब'' ने इलाहाबाद से दिल्ली का टिकट खरीदा था। ''ब'' जो एक अशिक्षित महिला थी, ने अपना टिकट ''स'' को यह देखने के लिए दिया कि उसका टिकट सही है। ''स'' इस बहाने से कि वह ''ब'' का टिकट वापस कर रहा है, उसे कम दूरी का दूसरा टिकट दे दिया और ''ब'' का टिकट अपने ही पास रख लिया। इस मामले में, ''स'' दोषी है

(a) cheating 'B'/''ब'' से छल के अपराध का

(b) criminal misappropriation आपराधिक दुर्विनियोग का

(c) theft/चोरी का

(d) criminal breach of trust/आपाराधिक न्यास भंग का

UPPCS (J) 2006

Ans. (b) : प्रश्न में प्रस्तुत मामले में 'स' भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की **धारा 403** में उपबंधित **आपराधिक दुर्विनियोग** के अपराध का दोषी होगा। प्रस्तुत समस्या **इम्परर बनाम रजा हुसैन, 1904** इलाहाबाद हाई कोर्ट के वाद पर आधारित है।

139. 'A' and 'B' were about to travel from Allahabad to Delhi by the same train. 'B' had two tickets from Allahabad to Aligarh and 'A' had a ticket from Allahabad to Delhi. 'A' voluntarily handed over his ticket to 'B' in order to check that it was the right one; 'B' under the pretence of returning A's ticket substituted it by one of his own and kept A's ticket. What offence did 'B' commit?
'क' एवं 'ख' इलाहाबाद से दिल्ली एक ही ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। 'ख' के पास इलाहाबाद से अलीगढ़ के दो टिकट थे तथा 'क' के पास इलाहाबाद से दिल्ली का टिकट था। 'क', अपने टिकट को स्वेच्छया 'ख' को यह देखने के लिए दिया है कि टिकट असली है।

'ख' 'क' के टिकट की जगह अपना एक टिकट वापस कर देता है और 'क' का टिकट रख लेता है। 'ख' ने क्या अपराध कारित किया है?

(a) Theft/चोरी
(b) Extortion/उद्दापन
(c) Criminal misappropriation/आपराधिक दुर्विनियोग
(d) Cheating/छल

Uttarakhand(J) 2002
UP (HJS) 2012

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

140. 'A' finds a ring lying on the high-road not in the possession of any person. He keeps it to himself. 'A' has committed
'क' को राजमार्ग पर पड़ी हुई अँगूठी मिलती है, जो किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं है। वह उसे अपने लिये रख लेता है। 'क' कारित करता है

(a) Theft/चोरी
(b) Criminal misappropriation/आपराधिक दुर्विनियोग
(c) Criminal breach of trust/आपराधिक न्यास-भंग
(d) None of the above/उपरोक्त में कोई नहीं

UP (APO) 2015

Ans. (b) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की **धारा 403 के स्पष्टीकरण 2** से सम्बन्धित हैं। इस समस्या में 'क' आपराधिक दुर्विनियोग के अपराध का दोषी होगा, क्योंकि 'क' अँगूठी को अपने लिए रख लेता है और इस प्रकार उसका अपने लिए दुर्विनियोग कर लेता है।

141. Removal of ornaments dishonestly from the body of deceased person is
किसी मृत व्यक्ति के शरीर से बेईमानी से गहने निकाल लेने का अपराध है:

(a) धारा 392 भा.दं.सं. के अंतर्गत लूट
Robbery under Section 392 of IPC
(b) धारा 379 भा.दं.सं. के अंतर्गत चोरी
Theft under Section 417 of IPC
(c) धारा 417 भा.दं.सं. के अन्तर्गत छल
Cheating under Section 417 of IPC
(d) धारा 404 भा.दं.सं. के अंतर्गत अपराध
An offence under Section 404 of IPC

MPHC CJ 2014,2016

Ans. (d) : किसी मृत व्यक्ति के शरीर से बेईमानी से गहने निकाल लेने का अपराध भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की **धारा 404** के अन्तर्गत अपराध है। **धारा 404** के अनुसार जो कोई किसी सम्पत्ति को, यह जानते हुए कि ऐसी सम्पत्ति किसी व्यक्ति की मृत्यु के समय उस मृत व्यक्ति के कब्जे में थी, और तब से किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं रही है, जो ऐसे कब्जे का वैध रूप से हकदार है, बेईमानी से दुर्विनियोजित करेगा या अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर लेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा, और यदि वह अपराधी, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के समय लिपिक या सेवक के रूप में उसके द्वारा नियोजित था, तो कारावास सात वर्ष तक का हो सकेगा।

142. Dishonest misappropriation of property possessed by deceased person at the time of his death, is an offence punishable under the Indian Penal Code in:
ऐसी सम्पत्ति जो मृत व्यक्ति के कब्जे में उसकी मृत्यु के समय थी, जो बेईमानी से दुर्विनियोग करता है, भारतीय दण्ड संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा में दण्डनीय अपराध है?

(a) Section 404/धारा 404 में
(b) Section 406/धारा 406 में
(c) Section 407/धारा 407 में
(d) Section 409/धारा 409 में

Uttarakhand (J) 2019
Uttarakhand (APO) 2015

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

143. Removal of ornaments from the body of one after causing his death constitutes an offence under Section
मृत्यु कारित करने के उपरांत किसी के शरीर से आभूषण हटाना भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की निम्न किस धारा के अंतर्गत अपराध है?

(a) 392 of the Indian Penal Code
धारा 392 के अन्तर्गत
(b) 379 of the Indian Penal Code
धारा 379 के अन्तर्गत
(c) 420 of the Indian Penal Code
धारा 420 के अन्तर्गत
(d) 404 of the Indian Penal Code
धारा 404 के अन्तर्गत

UPPCS (J) 2016

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

144. According to Indian Penal Code, taking property dishonestly from the dead body?
भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार, मृत शरीर से बेईमानी से सम्पत्ति लेना-

(a) does not amount any offence
किसी अपराध की कोटि में नहीं आता है
(b) amount to the offence to theft
चोरी के अपराध की कोटि में आता है
(c) amount to the offence of Criminal misappropriation
आपराधिक दुर्विनियोग के अपराध की कोटि में आता है
(d) amount to the offence of criminal breach of trust /आपराधिक न्यास भंग के अपराध की कोटि में आता है

MPHC CJ 2013 Shift-I, 2018 Shift-II

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 404 के अनुसार, मृत शरीर से बेईमानी से सम्पत्ति लेना आपराधिक दुर्विनियोग के अपराध की कोटि में आता है।

145. Fill in the blank with suitable statement Z dies in possession of gold ring, gold chain and a gold wrist watch during the course of an accident. A, before anyone entitled to such possession, dishonestly misappropriates the same causing .....

उपरोक्त कथन द्वारा रिक्त स्थान भरिये–

Z की दुर्घटना के दौरान मृत्यु हो जाती है। उस समय उसके पास एक सोने की अँगूठी, सोने की चेन तथा एक सोने की कलाई घड़ी थी। इससे पहले कि इन सब वस्तुओं पर असली अधिकार रखने वाला सामने आए A इनका बेईमानी से विर्नियोग करता है। A ने अपराध किया है .....

(a) An aggravated form of misappropriation as per Section 404 of IPC/भारतीय दण्ड संहिता की धारा 404 के अन्तर्गत दुर्विनियोजन की गुरुतर किस्म

(b) A type of possession by some process as per Section 405 of IPC/भारतीय दण्ड संहिता की धारा 405 के अन्तर्गत किसी प्रक्रिया द्वारा कब्जे की एक किस्म

(c) No offence because the property in question was entrusted to A before the death of Z/यह कोई अपराधी नहीं है क्योंकि यह सम्पत्ति की मृत्यु से पहले को सौंप दी गई थी

(d) No offence because the property in question was possessed by some casualty/कोई अपराधी नहीं है क्योंकि सम्पत्ति किसी दुर्घटना से प्राप्त हुई थी

UGC (NET) December, 2013 Paper-III

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

146. Z dies in possession of furniture and money. His servant A, before the money comes into the possession of any such person who is entitled to, dishonestly misappropriates it. A has committed offence under which of the following Sections of the IPC?

Z के कब्जे में फर्नीचर और धन था, वह मर जाता है। उसका सेवक A उस धन के किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे में आने से पूर्व, जो ऐसे कब्जे का हकदार है, बेईमानी से उसका दुर्विनियोग करता है। A ने भारतीय दण्ड संहिता की किस धारा के अन्तर्गत अपराध किया है?

(a) Section 403/धारा 403

(b) Section 404/धारा 404

(c) Section 405/धारा 405

(d) Section 406/धारा 406

JPSC (APO) 2012

Ans. (b) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की **धारा 404 के दृष्टान्त** पर आधारित है। 'क' ने धारा 404 में परिभाषित अपराध किया है।

147. Under which section is the criminal breach of trust defined/आपराधिक न्यायभंग किस धारा के अधीन परिभाषित है।

(a) Indian Panel Code Section 403/भारतीय दण्ड संहिता की धारा 403

(b) Indian Panel Code Section 504/भारतीय दण्ड संहिता की धारा 405

(c) Indian Panel Code Section 409/भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409

(d) Indian Panel Code Section 411/भारतीय दण्ड संहिता की धारा 411

BPSC (APO) 2009

Ans : (b) भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा 405** में आपराधिक न्यासभंग को परिभाषित किया गया है। **धारा 405** के अनुसार –जो कोई सम्पत्ति या सम्पत्ति पर कोई भी अख्त्यार किसी प्रकार अपने को न्यस्त किये जाने पर उस सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग कर लेता है या उसे अपने उपयोग में सम्परिवर्तित कर लेता है या जिस प्रकार ऐसा न्यास निर्वहन किया जाना है, उसको विहित करने वाली विधि के किसी निर्देश का या ऐसे न्यास के निर्वहन के बारे में उसके द्वारा की गयी किसी अभिव्यक्त या विवक्षित वैध संविदा का अतिक्रमण करके बेईमानी से उस सम्पत्ति का उपयोग या व्ययन करता है, या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति का ऐसा करना सहन करता है, वह ''आपराधिक न्यासभंग'' करता है।

148. Criminal breach of trust is related to आपराधिक न्यास-भंग सम्बन्धित है–

(a) movable property only/केवल चल सम्पत्ति से

(b) immovable property only/केवल अचल सम्पत्ति से

(c) both movable and immovable property/चल एवं अचल सम्पत्ति दोनों से ही

(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

JPSC (APO) 2012

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा 405** में आपराधिक न्यासभंग को परिभाषित किया गया है। आपराधिक न्यासभंग का अपराध चल एवं अचल दोनों प्रकार की सम्पत्ति का किया जाता है।

149. An offence against property may be/सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध हो सकता है

(a) Wrongful Confinement/सदोष परिरोध

(b) Criminal breach of trust only/केवल आपराधिक न्यासभंग

(c) Defamation/मानहानि

(d) Public nuisance/लोक अपदूषण

UP (APO) 2011

Ans. (b) : लोक अपदूषण लोक स्वास्थ्य, क्षेम तथा सुविधा के विरुद्ध अपराध है। सदोष परिरोध तथा मानहानि व्यक्ति के विरुद्ध अपराध है तथा अपराधिक न्यासभंग संपत्ति के विरुद्ध अपराध है।

150. Can a person commit a breach of trust for his own property?

क्या कोई व्यक्ति अपनी स्वयं की संपत्ति के संबंध में न्यासभंग कर सकता है?

(a) Yes/हाँ

(b) No/नहीं

(c) It will depend upon facts of the case प्रकरण की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा

(d) It will depend upon discretion of the Court न्यायालय के विवेक पर निर्भर करेगा

MPHC CJ 2019 Shift-I

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 कि **धारा 405** में आपराधिक न्यायभंग को परिभाषित किया गया है। कोई व्यक्ति यदि अपनी सम्पत्ति जो उसे ही देखरेख हेतु विधि द्वारा न्यस्त किया गया है तथा उस सम्पत्ति का विधि विरूद्ध तरीके से उपयोग करता है, तो वह अपनी ही सम्पत्ति के सम्बंध में न्यासभंग करता है।

151. Criminal breach of trust is an offence which signifies:
आपराधिक न्यास भंग अपराध है जो निम्नलिखित का संकेत करता है:
(a) Entrustment/सौंपना
(b) Demand/माँग
(c) Refusal/इन्कार
(d) Wrongful intention/सदोषपूर्ण प्रयोजन

UGC (NET) December, 2012 Paper-III

Ans. (a) : भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 405 से 409 तक में आपराधिक न्यास भंग (विश्वास भंग) के विषय में प्रावधान किया गया है। आपराधिक न्यास भंग का अपराध सौपना (न्यस्त) का संकेत करता है।

152. Read Assertion (A) and Reason (R) and using codes given below, answer:
अभिकथन (A) और कारण (R) को पढ़िये और नीचे दिये गये कूटों का प्रयोग करके उत्तर चुनिए:
Assertion (A): In criminal breach of trust, there is conversion of property held by a person in a fiduciary capacity.
अभिकथन (A): विश्वास के आपराधिक भंग से किसी व्यक्ति द्वारा वैश्वासिक ढंग से धारित संपत्ति का परिवर्तन होता है।
Reason (R): A person has a right to convert property held by him in a fiduciary capacity.
कारण (R): किसी व्यक्ति द्वारा वैश्वासिक ढंग से धारित संपत्ति को परिवर्तित करने का अधिकार उसे होता है।
Codes/कूट:
(a) Both (A) and (R) are right and (R) is correct reason for (A)/(A) और (R) दोनों सही है और (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है
(b) (A) is right, but (R) is wrong/(A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है
(c) (A) is wrong, but (R) is right/(A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है
(d) Both (A) and (R) are wrong/(A) तथा (R) दोनों गलत है

UGC (NET) December, 2014 Paper-III

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा 405** आपराधिक न्यासभंग को परिभाषित करती है। इस धारा के अन्तर्गत अपराध संरचित करने के लिये यह आवश्यक है कि सम्पत्ति का दुर्विनियोग बेईमानी से किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाये जिसमें सम्पत्ति के संरक्षण या प्रबन्ध के सम्बन्ध में विश्वास किया गया है।
इस प्रकार स्पष्ट है कि विश्वास के आपराधिक भंग से किसी व्यक्ति द्वारा वैश्वासिक ढंग से धारित सम्पत्ति का परिवर्तन होता है।
अतः (A) सत्य है (R) गलत है।

153. A an employer deducts a contain percentage from the employee's monthly salary as contribution towards a prediction but fails to deposit the amount of deduction in that fund. A has committed an offence.
'अ' एक नियोक्ता कर्मचारी के मासिक वेतन से एक निश्चित प्रतिशत एक भविष्यनिधि की तरफ अंशदान के रूप में कटौती करता है, लेकिन उस निधि में कटौती की रकम जमा नहीं करवा पाता है। 'अ' ने अपराध किया है-
(a) Criminal breach of trust/आपराधिक न्यासभंग
(b) Criminal misappropiation/आपराधिक दुर्विनियोग
(c) Cheating/छल
(d) Theft/चोरी

Rajasthan (APO) 2005
UP(APO) 2006

Ans. (a) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की **धारा 405 के स्पष्टीकरण (1)** से सम्बन्धित है। यह स्पष्टीकरण नियोक्ता को आपराधिक न्यासभंग के लिए दण्डनीय बनाता है यदि वह भविष्य निधि में अभिदाय रकम का बेईमानीपूर्वक दुर्विनियोग करता है अथवा कटौती की रकम जमा नहीं करवाता है, क्योंकि यह समझा जायेगा कि इस प्रकार कटौती किये गये अभिदाय की रकम उसे न्यस्त कर दी गयी है।
अतः इस समस्या में 'अ' ने आपराधिक न्यासभंग का अपराध कारित किया है।

154. An employer deducting the employees contribution under Employees Provident Fund & Maintenance provision Act, from the wages payable for credit to the fund, but does not deposit the same with the Fund. he is guilty of committing:
नियोक्ता प्राविडेन्ट फण्ड तथा भरण पोषण अधिनियम के अन्तर्गत नियोजक नियोक्ता के मजदूरी में से रकम निधि (फंड) में जमा करने के लिए लेता है और फंड में जमा नहीं करता है। नियोजक कारित करने के लिए उत्तरदायी है-
(a) criminal misappropriation of property/सम्पत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग
(b) criminal breach of trust/आपराधिक न्यास भंग
(c) theft/चोरी
(d) cheating/छल

UP (HJS) 2016

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

155. 'A' being executor to the will of a deceased person dishonestly disobeys the law which directs him to divide the effects according to the will and appropriates them to his own use. Which offence 'A' has committed?/ 'अ' एक मृत व्यक्ति की इच्छापत्र का निष्पादक होते हुए उस विधि की जो चीज-वस्त को इच्छापत्र के अनुसार विभाजित करने के लिए निर्देश देती है, बेईमानी से अवज्ञा करता है और चीज-वस्त को अपने प्रयोग हेतु विनियुक्त कर लेता है। 'अ' ने कौन सा अपराध किया?
(a) Theft/चोरी
(b) Criminal misappropriation/आपराधिक दुर्विनियोग
(c) Criminal breach of trust/आपराधिक न्यासभंग
(d) Cheating/छल

Chhattisgarh (J) 2012
UP (APO) 2011

Ans. (c) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा 405 के दृष्टांत (a)** पर आधारित है। 'अ' ने आपराधिक न्यासभंग का अपराध कारित किया है।

156. Z while proceeding on a journey, entrust his furniture to A, who is warehouse keeper, in a contract that the shall return the same to him on payment of stipulated charges of the warehouse room. A however dishonestly sells the good, A has committed which of following offence:
य यात्रा को जाते हुये, अपना फर्नीचर क के पास जो कि भाण्डागारिक है, इस संविदा के अधीन न्यस्त कर जाता है कि वह भाण्डागार के कमरे के लिए ठहराई राशि को दे दिए जाने पर लौटा दिया जायेगा। क उस माल को बेईमानी से बेच देता है। क ने निम्न में से कौन-सा अपराध कारित किया–
(a) Criminal breach of trust/आपराधिक न्यास भंग
(b) misappropriation of property/सम्पति का आपराधिक दुविर्नियोग
(c) Cheating/छल
(d) Mischief/रिष्टि

Rajasthan (DJC) 2012
MP (HJS) 2004

Ans. (a) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की **धारा 405 के दृष्टान्त (b)** पर आधारित है। इस समस्या में 'क' ने आपराधिक न्यासभंग का अपराध कारित किया है।

157. A, residing in Calcutta, is agent for Z, residing at Delhi. There is an express or implied contract between A and Z, that all sums remitted by Z to A shall be invested by A, according to Z's direction. Z remits a lakh of rupees of A, with directions to A to invest the same in Company's paper. A is good faith, believing that it will be more for Z's advantage to hold shares in the Bank of Bengal, disobey's Z's direction, and buys shares in the Bank of Bengal, for Z, instead of buying Company's paper. Z suffers loss. A is liable for
क जो कि कलकत्ता में रहता है, दिल्ली में रहने वाले ख का अभिकर्ता है, क और ख के बीच यह अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा है कि ख द्वारा क को प्रेषित सब राशियां क द्वारा ख के निर्देशानुसार निवेशित की जायेंगी। ख, क को इन निर्देशों सहित 1 लाख रु. भेजता है कि इस राशि को कंपनी पत्रों में निवेशित किया जाये। क सद्भावनापूर्वक यह विश्वास रखते हुए कि बैंक ऑफ बंगाल में अंशधारण करना ख के लिए अधिक लाभप्रद होगा, ख के निर्देशों की अवज्ञा करता है और कंपनी के पत्रों को खरीदने की बजाय बैंक ऑफ बंगाल के अंश खरीदता है। ख को हानि हो जाती है। क उत्तरदायी है:
(a) cheating/छल
(b) criminal breach of trust/आपराधिक न्यासभंग
(c) criminal misappropriation/आपराधिक दुर्विनियोग
(d) no offence is committed/कोई अपराध नहीं किया गया

MPHC CJ 2020

Ans. (d) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा 405** में परिभाषित आपराधिक न्यास भंग के **दृष्टांत (c) और (d)** पर आधारित है। प्रस्तुत समस्या में 'क' किसी अपराध का दोषी नहीं होगा।

158. A police officer has received a sum of Rs. 5000/- against fine from the person violating traffic rules. Instead of depositing the fine money with State Treasury, he utilized the same for his personal use. What offence under Indian Penal Code, the police officer has committed?
एक पुलिस अधिकारी द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों से 5,000 रुपये का जुर्माना प्राप्त किया गया है। जुर्माने को राजकीय कोष में जमा कराने के बजाय वह उसका स्वयं के हितार्थ उपयोग कर लेता है। पुलिस अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता के अधीन कौनसा अपराध कारित किया गया है?
(a) Criminal breach of trust/आपराधिक न्यास भंग
(b) Mischief/रिष्टि
(c) Cheating the Government/सरकार से छल
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

Rajasthan (J) 2013
UP (HJS) 2018 Part-I

Ans. (a) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की **धारा 405** पर आधारित है। **धारा 405** में आपराधिक न्यासभंग को परिभाषित किया गया है। इस समस्या में पुलिस अधिकारी ने आपराधिक न्यासभंग का अपराध कारित किया है, क्योंकि उसने जुर्माने को राजकीय कोष में जमा कराने के बजाय वह उसका स्वयं के हितार्थ उपयोग कर लेता है। यह माना जाता है कि जुर्माने की रकम उसे न्यस्त की गयी है, जिसको राजकीय कोष में जमा करने का उसका कर्तव्य होता है।

159. 'A' a carrier, is entrusted by 'Z' with property to be carried by land or by water. 'A' dishonestly misappropriates of property.
A has committed the offence of:
भूमि या जल से ले जाने के लिए 'य' ने 'क' के पास, जो एक वाहक है, सम्पत्ति न्यस्त की है, 'क' उस सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग कर लेता है।
'क' ने अपराध किया है:
(a) Criminal misappropriation of property/सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग का
(b) Cheating/छल का
(c) Criminal breach of trust/आपराधिक न्यासभंग का
(d) Criminal breach of trust by carrier, etc./वाहक आदि द्वारा आपराधिक न्यास भंग का

UK PCS (J) 2019
Uttarakhand (J) 2019

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा 405** आपराधिक न्यासभंग को परिभाषित करती है। प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 405 के दृष्टांत (f)** पर आधारित है। क ने आपराधिक न्यासभंग का अपराध किया है।

160. 'Z' going on a journey, entrusted his Golden plate to 'A', till Z shall return. 'A' carries the plate to market and sells it. What crime was

committed by 'A/`Z' ने यात्रा पर जाते समय अपनी सोने की प्लेट `A' को `Z' के लौटने तक सौंप देता है। `A' उस प्लेट को बाजार ले जाता है और बेच देता है। `A' ने कौन-सा अपराध किया है?

(a) Theft/चोरी
(b) Extortion/उद्दापन
(c) Cheating/छल
(d) Criminal Breach of Trust/आपराधिक न्यासभंग

MP (ADPO) 2008 Paper-II

Ans. (d): प्रस्तुत समस्या में A ने आपराधिक न्यासभंग का अपराध किया है। आपराधिक न्यास भंग को भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 405 में परिभाषित किया गया है। यह समस्या वस्तुतः धारा 378 (चोरी) के दृष्टांत (e) पर आधारित है।

161. The accused was entrusted with some silver for the purpose of making ornaments and he dishonestly mixed copper into the ornaments. The offence committed is:
अभियुक्त को कुछ चांदी गहने बनाने के लिए सौंपी गई और उसने बेईमानीपूर्वक गहनों में तांबा मिश्रित कर दिया। यह अपराध है:

(a) Fraud /कपट
(b) Cheating /छल
(c) Extortion /उद्दापन
(d) Criminal breach of trust /आपराधिक न्यास भंग

MPHC CJ 2012

Ans. (d) : प्रस्तुत प्रश्न में अभियुक्त आपराधिक न्यास भंग का दोषी होगा। आपराधिक न्यास भंग को भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा 405** में परिभाषित किया गया है। इसके आवश्यक तत्व निम्नवत् हैं –

(I) सम्पत्ति या सम्पत्ति पर कोई हक न्यस्त किया गया हो, और
(II) जिस व्यक्ति को न्यस्त किया गया हो उसने दुर्विनियोग कर लिया हो, या
(III) स्वयं के उपयोग के लिए संपरिवर्तित कर लिया हो
(IV) न्यास को शासित करने वाले किसी विधि का या किसी अभिव्यक्त या विवक्षित शर्त का उल्लंघन करके ऐसा किया हो। या
(V) किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसा किया जाना साशय सहन करता है। वह आपराधिक न्यासभंग करता है।

162. A lady wishing to get a railway ticket finding a crowd at ticket window at Station asked 'B' who was near Window to get a ticket for her and handed him over money for same. 'B' took money and instead of getting ticket ran away with money. What offence has been committed by 'B'?
रेलवे स्टेशन पर महिला टिकट लेने पहुंची तब अधिक भीड़ होने से टिकट खिड़की के पास खड़े 'बी' को उसने टिकट लेने के लिए अनुग्रह कर पैसे दिये किन्तु 'बी' टिकट लिए बिना पैसे लेकर भाग गया, 'बी' ने क्या अपराध किया?

(a) theft/चोरी
(b) Criminal Mis-appropriation
आपराधिक दुर्विनियोग
(c) Criminal breach of trust
आपराधिक न्यास भंग
(d) Cheating/छल

MPHC CJ 2018 Shift-I

Ans. (c) : प्रस्तुत समस्या में B ने आपराधिक न्यासभंग का अपराध कारित किया है। भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 405 आपराधिक न्यासभंग को परिभाषित करती है।
प्रस्तुत समस्या में महिला ने B को पैसे टिकट लेने के लिए न्यस्त किया था परन्तु B टिकट न लेकर पैसे लेकर भाग गया, अतः स्पष्ट है कि B ने आपराधिक न्यासभंग का अपराध कारित किया है।

163. "A" sends a mobile phone to his friend through his servant "B". The servant took the phone at his house and used it over a period of time. "B" is the guilty of the offence of
'क' अपने सेवक 'ख' के माध्यम से अपने मित्र को एक मोबाइल फोन भेजता है। सेवक उस फोन को अपने घर ले जाता है और उसका कुछ समय तक उपयोग करता है। 'ख' ..... के अपराध का दोषी है।

(a) Theft/चोरी
(b) Criminal Misappropriation of property
सम्पत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग
(c) Criminal Breach of trust/आपराधिक न्यासभंग
(d) Cheating/छल

MPHC CJ 2019 Shift-I
MP (HJS) 2016
UTTRAKHAND (J) 2006

Ans. (c) : प्रस्तुत समस्या में ''ख'' भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा 405** के तहत आपराधिक न्यासभंग के अपराध का दोषी है,क्योंकि 'ख' अपने मालिक के निर्देश का पालन नहीं करता है और न्यस्त मोबाइल का उपयोग कर लेता है।

164. Mohan borrowed a bicycle from Ram promising to return the same within a period of three days. He failed to fulfill the promise and disposed of the bicycle and appropriated the proceeds to his own use. Mohan is guilty of:
मोहन राम से एक साईकिल इस वादे के साथ उधार लेता है कि वह उसे तीन दिन में लौटा देगा। वह अपना वचन निभाने में असफल रहा तथा साईकिल को बेंच दिया तथा आय को अपने स्वयं के प्रयोग में विनियोजित कर लिया। मोहन दोषी है:

(a) criminal misappropriation /आपराधिक दुर्विनियोग
(b) criminal breach of trust /आपराधिक न्यास भंग
(c) extortion /उद्दापन
(d) theft /चोरी

Bihar (HJS) 2016

Ans. (b) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की **धारा 405** पर आधारित है। इस समस्या में मोहन ने आपराधिक न्यासभंग का अपराध कारित किया है, क्योंकि वह अपना वचन निभाने में असफल रहा तथा साईकिल को बेंच दिया तथा आय को अपने स्वयं के प्रयोग में विनियोजित कर लिया।

165. A Car given to a groom on marriage on the breakdown of the marriage. He was asked to return the car for which he refused, what is his crime.

विवाह पर एक वर को कार भेंट में दी गयी, विवाह के टुटने पर उसे कार लौटाने को कहा गया जिसके लिए उसने मना कर दिया, उसका अपराध क्या है?

(a) Criminal breach of trust/आपराधिक न्यास भंग
(b) Criminal misappropriation /आपराधिक दुर्विनियोग
(c) Cruelty on wife/पत्नी पर क्रूरता
(d) No offence committed/कोई अपराध नहीं

Rajasthan (APO) 2015

Ans. (a) : प्रस्तुत समस्या में वर ने भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की **धारा 405** के अंतर्गत आपराधिक न्यासभंग का अपराध कारित किया है। इस प्रकार के मामले में वर को दी गई भेट स्त्री की स्त्रीधन सम्पत्ति मानी जाती है, जिसकी वह स्त्री स्वामी होती है और वर को मात्र न्यस्त की गई मानी जाती है।
अतः स्पष्ट है कि विवाह टुटने पर कार लौटने के लिए कहे जाने पर यदि वर मना करता है तो वह आपराधिक न्यासभंग के अपराध का दोषी होगा।

166. A newly married wife gave her jewelery to her husband to keep in the back locker, he mortgaged then else where for the security of a loan what crime has he committed?
एक नवविवाहिता पत्नी ने अपने जेवर बैंक लोकर में रखने हेतु अपने पति को दिए, उसने उन्हें, अन्यत्र एक ऋण की प्रतिभूति हेतु गिरवी रख दिया। उसने क्या अपराध किया है?

(a) forgery/कूटरचना
(b) cheating/छल
(c) criminal breach of trust/आपराधिक न्यास भंग
(d) criminal misappropriation /आरपाधिक दुर्विनियोग

Rajasthan (APO) 2015

Ans. (c) : पति द्वारा किया गया कार्य भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा 405** में परिभाषित आपराधिक न्यास भंग का अपराध होगा, क्योंकि पति को जेवर न्यस्त किया गया था जो कि उसने उसका अपने उपयोग के लिये सम्परिवर्तित कर लिया।

167. A servant collected money from the debtor of his master as authorised by him. The servant retained the money because it was due to him as wages. He commits/एक नौकर अपने मालिक के उधारदाता से पैसा प्राप्त करता है जिसे वह प्राधिकृत करता है। नौकर उस पैसे को रखे रहता है क्योंकि उसकी मजदूरी उस पर बाकी रहती है। वह निम्न में से कौन-सा अपराध करता है?

(a) criminal breach of trust
भरोसे को आपराधिक रूप से तोड़ना
(b) theft/चोरी
(c) no offence/कोई गलती नहीं
(d) criminal misappropriation/आपराधिक असंगतता

UGC (NET) June, 2019 Paper-II

Ans. (a) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की **धारा 405** पर आधारित है। इस समस्या में नौकर ने आपराधिक न्यासभंग का अपराध कारित किया है, क्योंकि उसने उधारदाता से प्राप्त पैसे को अपने उपयोग के लिए रख लेता है। यह माना जाता है कि उधारदाता से प्राप्त पैसा उसे न्यस्त किया गया है और वह मालिक के निर्देशों के अनुसार उसका उपयोग करने के लिए वह बाध्य होता है। वह उसका उपयोग अपनी मजदूरी के एवज में नहीं कर सकता।

168. 'A' who was entrusted by 'B' with certain block for printing a catalogue, prints catalogue of rival's firm with the same block. 'A' is guilty of:
'अ' को 'ब' ने एक विषय–सूची प्रिन्ट करने के लिए कुछ ब्लाक दिये थे उसने एक प्रतिस्पर्धी फर्म की विषय–सूची उन्हीं ब्लाक से छाप दिए। 'अ' उत्तरदायी है–

(a) Criminal breach of trust/आपराधिक–न्यासभंग का
(b) Criminal misappropriation/आपराधिक दुर्विनियोग का
(c) Cheating/छल का
(d) Theft/चोरी का

UPPCS (J)-2018

Ans. (a) : 'अ' भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की **धारा 405** में आपराधिक न्यासभंग के अपराध का दोषी होगा, क्योंकि उसने अपने को न्यस्त की गई ब्लाक को 'ब' द्वारा दिये गये निर्देशों से अन्यथा छाप दिया।

169. 'A' a carrier, is entrusted by 'Z' with property to be carried by land or by water. 'A' dishonestly misappropriates of property.
A has committed the offence of:
भूमि या जल से ले जाने के लिए 'य' ने 'क' के पास, जो एक वाहक है, सम्पत्ति न्यस्त की है, 'क' उस सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग कर लेता है।
'क' ने अपराध किया है:

(a) Criminal misappropriation of property/सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग का
(b) Cheating/छल का
(c) Criminal breach of trust/आपराधिक न्यासभंग का
(d) Criminal breach of trust by carrier, etc./वाहक आदि द्वारा आपराधिक न्यास भंग का

UK PCS (J) 2019
Uttarakhand (J) 2019

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा 405** आपराधिक न्यासभंग को परिभाषित करती है। प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 405 के दृष्टांत (f)** पर आधारित है। क ने आपराधिक न्यासभंग का अपराध किया है।

170. A Police Officer receives a sum of Rs. 5000/- as fine from a traffic violator. He deposits the amount in the Treasury three months after the stipulated period. He commits;
एक पुलिस अधिकारी, यातायात उल्लंघनकर्ता से 5000/– रुपये की राशि जुर्माने के रूप में प्राप्त करता है। वह उक्त राशि नियत अवधि के तीन माह पश्चात राजकोष में जमा करवाता है। वह करता है,

(a) Offence punishable under Section 407 IPC./धारा 407 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दण्डनीय अपराध।
(b) Offence punishable under Section 409 IPC./धारा 409 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दण्डनीय अपराध।
(c) Offence punishable under Section 420 IPC./धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दण्डनीय अपराध।

(d) None of the above./उपरोक्त में से कोई नहीं।

Rajasthan (J) 2018,2019

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की **धारा 409** के अनुसार, जो कोई लोक सेवक के नाते अथवा बैंकर, व्यापारी, फैक्टर, दलाल, अटार्नी या अभिकर्ता के रूप में अपने कारबार के अनुक्रम में किसी प्रकार की संपत्ति, संपत्ति पर कोई भी अख्त्यार अपने को न्यस्त होते हुए उस संपत्ति के विषय में आपराधिक न्यासभंग करेगा, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

171. Which is not the stolen property?
कौन-सी वस्तु चोरी की संपत्ति नहीं कही जाएगी:

(a) Possession whereof was obtained by cheating/ जिसका कब्जा छल के द्वारा प्राप्त हुआ हो
(b) Possession whereof was obtained by robbery/ जिसका कब्जा लूट के द्वारा प्राप्त हुआ हो
(c) Possession whereof was obtained by dacoity/ जिसका कब्जा डकैती के द्वारा प्राप्त हुआ हो
(d) Possession whereof was obtained by criminal breach of trust/जिसका कब्जा आपराधिक न्यासभंग के द्वारा प्राप्त हुआ हो

Chhattishgarh (J) 2004
MPHC (CJ) 1997

Ans. (a) : जिसका कब्जा छल के द्वारा प्राप्त किया गया हो, वह चोरी की सम्पत्ति नहीं कहीं जाएगी। भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 410 के अनुसार, वह सम्पत्ति, जिसका कब्जा चोरी द्वारा या उद्दापन द्वारा या लूट द्वारा अंतरित किया गया है, और वह सम्पत्ति, जिसका आपराधिक दुर्विनियोग किया गया है या जिसके विषय में आपराधिक न्यासभंग किया गया है ''चुराई हुई सम्पत्ति'' कहलाती है, चाहे वह अंतरण या वह दुर्विनियोग या न्यासभंग भारत के भीतर किया गया हो या बाहर। किन्तु यदि ऐसी सम्पत्ति तत्पश्चात् ऐसे व्यक्ति के कब्जे में पहुँच जाती है जो उसके कब्जे के लिये वैध रूप से हकदार है, तो वह चुराई हुई सम्पत्ति नहीं रह जाती।

172. In an offence under Sections 410 and 412 of the Indian Penal Code, the actus reus is in respect of...../भारतीय दण्ड संहिता की धारा 410 एवं 412 का आपराधिक तत्व किस संबंध में है?

(a) Place/स्थान
(b) Time/समय
(c) Person/व्यक्ति
(d) Possession of stolen property चोरी की संपत्ति पर कब्जा

MP (HJS) 2020

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की **धारा 410** के अंतर्गत, चुराई हुई सम्पत्ति पर कब्जा चोरी द्वारा या उद्यापन द्वारा या लूट द्वारा प्राप्त किया जाता है, जबकि **धारा 412** के अंतर्गत चुराई गई सम्पत्ति पर कब्जा डकैती द्वारा प्राप्त किया जाता है।
अतः **धारा 410 एवं 412** का आपराधिक तत्व चोरी की सम्पत्ति पर कब्जा प्राप्त करना है।

173. The aforesaid facts reconered from the accused immediately after the incident of docaity one sufficient to bring the matter under the purview of an offence punisable under which section.
लूटी गई वस्तुएँ आरोपियों के पास से डकैती की घटना के तुरंत बाद बरामद की गयी। उपरोक्त तथ्य मामले को किस धारा के अधीन दण्डनीय अपराध की परिधि में लाने के लिए पर्याप्त है?

(a) only section 412 Indian Penal Code /केवल धारा 412 भा.द.वि.
(b) only section 395 Indian Penal Code /केवल धारा 395 भा.द.वि.
(c) Section 412 Indian Penal Code and section section 395 Indian Penal Code/धारा 412 भा.द.वि. एवं धारा 395 भा.द.वि. दोनों
(d) None of these/इनमें से कोई नहीं

MP (HJS) 2018

Ans. (c) : यदि लूटी गई वस्तुएँ आरोपियों के पास से डकैती की घटना के तुरंत बाद बरामद की गयी है, तो ऐसे मामलों में आरोपियों को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की **धारा 395 तथा 412** के अध्यधीन दण्डित किया जायेगा।

छल (धारा 415-420)

174. Provisions regarding cheating is explained under which section of Indian Penal Code
छल से संबंधित प्रावधानों को भारतीय दण्ड संहिता की किस धारा में समझाया गया है

(a) Section 415/धारा 415
(b) Section 428/धारा 428
(c) Section 411/धारा 411
(d) Section 403/धारा 403

MP (ADPO) 2016 Paper-II

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की **धारा 415** के अनुसार जो कोई किसी व्यक्ति से प्रवंचना कर उस व्यक्ति को, जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है, कपटपूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि वह कोई सम्पत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे या यह सम्मति दे दे कि कोई व्यक्ति किसी सम्पत्ति को रख रखे या साशय उस व्यक्ति को, जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है, उत्प्रेरित करता है कि वह ऐसा कोई कार्य करे, या करने का लोप करे जिसे वह यदि इस प्रकार प्रवंचित न किया गया होता तो न करता, या करने का लोप न करता और जिस कार्य या लोप से उस व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, ख्याति सम्बन्धी या साम्पत्तिक नुकसान या अपहानि कारित होती है या कारित होनी संभाव्य है, वह छल करता है यह कहा जाता है।

175. Deceiving is an essential element under the Indian Penal Code./ भारतीय दण्ड विधान के तहत प्रवंचना आवश्यक तत्व है–

(a) Criminal breach of trust/आपराधिक न्यास भंग का
(b) Cheating/छल का
(c) forgery/कूटरचना का
(d) Criminal misappropriation/आपराधिक दुर्विनियोग का

MP (HJS) 2016

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अधीन ''प्रवंचना'' ''छल''के अपराध के लिए आवश्यक तत्व है, जिसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 415 में परिभाषित किया गया है।

176. For an offence of cheating intention to cheat should be present–
छल के अपराध के लिए छल करने का आशय विद्यमान होना चाहिए–
(a) in the end/अन्त में
(b) in the middle/मध्य में
(c) Both the above/उपर्युक्त दोनों
(d) from the very beginning/प्रारम्भ से ही

UP (HJS) 2009

Ans. (d) : सूर्यलक्ष्मी कॉटन मिल्स लि. बनाम राजवीर इण्डस्ट्रीज लि. (2008 SCC) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह धारित किया कि **धारा 415** और **धारा 420** के अंतर्गत छल के अपराध के गठन हेतु कपटपूर्ण अथवा बेईमानीपूर्ण उत्प्रेरण प्रारम्भ से ही होना चाहिए, न कि किसी बाद के प्रक्रम पर।

177. Fraudulently or dishonestly inducing a person to deliver any property to any person is :
किसी व्यक्ति को अपनी सम्पत्ति अन्य व्यक्ति को परिदत्त करने के लिए कपटपूर्वक अथवा बेईमानीपूर्वक उत्प्रेरित करना :
(a) Theft/चोरी है
(b) Criminal misappropriation/आपराधिक दुर्विनियोग है
(c) No offence/कोई अपराध नहीं है
(d) Cheating/छल है

UP (APO) 2007 (Special)

Ans: (d) किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति अन्य व्यक्ति को परिदत्त करने के लिए कपटपूर्वक अथवा बेईमानीपूर्वक उत्प्रेरित करना **धारा 415** के अधीन छल का अपराध गठित करेगा। **धारा 415** के आवश्यक तत्व निम्न है–
(1) किसी व्यक्ति को प्रवंचित किया जाये,
(2) (अ) प्रवंचित व्यक्ति को कपटपूर्वक या बेईमानी से,
(क) किसी व्यक्ति को संपत्ति परिदत्त करने, या
(ख) किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति रखने हेतु सम्मति देने के लिए उत्प्रेरित किया जाये।
(ब) साशय उस व्यक्ति को कोई कार्य करने या करने का लोप करने के लिए उत्प्रेरित करना जिसे यदि उसे इस प्रकार प्रवंचित न किया गया होता तो न करता या लोप न करता तथा जिस कार्य या लोप से उस व्यक्ति को शारीरिक मानसिक, ख्याति संबंधित या साम्पत्तिक नुकसान या अपहानि कारित होती है या कारित होनी संभाव्य है।

178. Fill in blanks:
Deceiving dishonestly by inducing a person to retain the property is known as…offence.
खाली स्थान भरिये–
किसी व्यक्ति को सम्पत्ति रखने के लिये प्रवृत्त करके बेईमानी से ठगना ..... अपराध कहलाता है।
(a) Concealment/छिपाव
(b) Deception by false pretention
गलत आडम्बर से धोखा
(c) Cheating/धोखा
(d) Fraud/कपट

UGC (NET) June, 2013 Paper-II
UP (APO) 2006
MPHC (CJ)2013 Shift-II

Ans. (c) : किसी व्यक्ति को सम्पत्ति रखने के लिए प्रवृत्त करके बेईमानी से ठगना धोखा (छल) कहलाता हैं। भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा 415** छल को परिभाषित करता है। **धारा 417** के अनुसार छल के लिए 1वर्ष तक के कारावास का दण्ड या जुर्माना या दोनों दिया जा सकता है।

179. Which of the following offence under Indian Penal Code 1860 is an offence causing harm or damage to body, mind, reputation or property?
भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अधीन निम्न में से कौन सा अपराध शारीरिक, मानसिक, ख्याति या सम्पत्ति के नुकसान या अपहानि कारित करने से सम्बन्धित अपराध है?
(a) Trespass /अतिचार का
(b) Dacoity/डकैती का
(c) Cheating/छल का
(d) Defamation/मानहानि का

Uttarakhand (APO) 2021

Ans. (c) : छल का अपराध शारीरिक, मानसिक (भावनाओं), ख्याति या सम्पत्ति के नुकसान या अपहानि कारित करने से सम्बन्धित अपराध है। छल को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की **धारा 415** में परिभाषित किया गया है।

180. Which of the following is an offence against body, property, and reputation and feelings under Indian Penal Code, 1860? The offence of
भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अधीन निम्न में से कौन सा अपराध शरीर, सम्पत्ति, ख्याति व भावनाओं के विरुद्ध है?
मुख्यतः–
(a) kidnapping/व्यपहरण का अपराध
(b) abduction/अपहरण का अपराध
(c) rape/बलात्कार का अपराध
(d) cheating/छल का अपराध

UPPCS (J) 2012

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

181. 'A' falsely pretends to be in Civil Service, intentionally deceives 'Z' and thus dishonestly include 'Z' to let him have on credit goods for which he does not mean to pay 'A' commits the offence
'क' सिविल सेवा में होने का मिथ्या अपदेश करने का साशय 'य' से प्रवंचना करना है और इस प्रकार बेईमानी से 'य' को उत्प्रेरित करता है कि वह उसे उधार पर माल ले लेने दें, जिसका मूल्य चुकाने का उसका कोई इरादा नहीं है। 'क' के द्वारा किया गया अपराध-
(a) False Representation /मिथ्या अपदेशन
(b) Cheating /छल
(c) Attempt to Extortion /उद्यापन का प्रयास
(d) Attempt to Theft /चोरी का प्रयास

MPHC CJ 2017
UP(APO) 2015

Ans. (b) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की **धारा 415 के दृष्टान्त (a)** पर आधारित है। चूँकि 'क' सिविल सेवा में होने का मिथ्या अपदेश करके 'य' से सम्पत्ति उधार में लेता है, जिसका मूल्य चुकाने का इरादा नही है। 'क' **धारा 415** के तहत छल के अपराध का दोषी है।

182. A, by putting a counterfeit mark on an article, intentionally deceives B into a belief that this article was made by a certain celebrated manufacturer, and thus dishonestly induces B to buy and pay for the article. by doing this A has committed an offence of/अ एक वस्तु पर कूटकृत चिन्ह लगाकर ब को यह विश्वास कराता है कि वह वस्तु एक प्रतिष्ठापित विनिर्माता द्वारा निर्मित है, प्रवंचित करता है और इस प्रकार ब को उस वस्तु का मूल्य देकर क्रय करने हेतु उत्प्रेरित करता है। ऐसा करके अ ने कारित किया है अपराध :

(a) Forgery/कूट रचना का
(b) Cheating/छल का
(c) Criminal breach of trust/न्यासभंग करने का
(d) Personation/प्रतिरुपण का

MP (ADPO) 1995

Ans : (b) प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की **धारा 415 के दृष्टान्त (b)** पर आधारित है। इस समस्या में चूँकि 'अ' प्रवंचना कर उस वस्तु का क्रय करने और उसका मूल्य चुकाने के लिए 'य' को बेईमानी से उत्प्रेरित करता है। अतः वह छल का अपराध कारित करता है।

183. A gives a cheque for Rs. 1500/- to B, which he knows will be dishonoured. In this case
क एक 1500 रुपये का चेक ख को देता है जिसे वह जानता है कि वह आदर नहीं किया जायेगा। इस मामले में:

(a) A has committed no offence/क ने कोई अपराध नहीं किया
(b) A is guilty of attempting to cheat/क छल के अपराध के प्रयत्न का दोषी होगा
(c) A is liable for cheating/क छलकारित करने का दोषी होगा
(d) A is liable for abeting to cheat/क छल के दुष्प्रेरण का दोषी होगा

UP (APO) 2007 (Special)

Ans: (c) क द्वारा छल का अपराध किया गया है। प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा 415 के दृष्टांत (d)** पर आधारित है। यहाँ चेक इस आशय से दिया गया है कि उसका आदर नहीं किया जायेगा। अतः क छल के अपराध का दोषी होगा।

184. "A" by pledging as diamonds articles which he knows are not diamond, intentionally deceives "Z" and thereby dishonestly induces "Z" to lend money. Here "A" is guilty of the offence of/''क'' ऐसे नगों को जिनको वह जानता है कि वे हीरे नहीं हैं, हीरों के रूप में गिरवी रखकर साशय प्रवंचना करता है, और तद्द्वारा धन उधार देने के लिए ''य'' को उत्प्रेरित करता है। यहाँ ''क'' निम्नांकित में से किस अपराध का दोषी है?

(a) dishonest misappropriation of property/सम्पत्ति के बेइमानीपूर्वक दुर्विनियोग का
(b) cheating/छल का
(c) thuggy/ठगी का
(d) robbery/लूट का

Uttarakhand (APO) 2015

Ans. (b) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा 415 के दृष्टांत (e)** पर आधारित है। क छल के अपराध का दोषी होगा।

185. A intentionally deceives Z into a belief that A has performed A's part of contract made with Z, which he has not performed and thereby dishonestly induces Z to pay money, A commits the offence of:
क साशय प्रवंचना करके य को यह विश्वास दिलाता है कि क ने य के साथ की गई संविदा के अपने भाग का पालन कर दिया है, जबकि उसका पालन उसने नहीं किया है और एतदद्वारा य को बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि वह धन दे। क कौन-सा अपराध कारित करता है–

(a) Criminal breach of trust/आपराधिक न्यासभंग
(b) Cheating/छल
(c) Dishonest misappropriation of property/सम्पति का आपराधिक दुविर्नियोग
(d) None of above/उपरोक्त में से कोई नहीं

Rajasthan (DJC) 2012

Ans. (b) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता, **1860 की धारा 415 के दृष्टान्त (h)** पर आधारित है। इस समस्या में 'क' ने छल का अपराध कारित किया है।

186. A has received the goods on the basis of that document by making a forged electronic document on the computer. What crime has be committed?
A ने कम्प्यूटर पर जाली इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज बनाकर उस दस्तावेज के आधार पर माल प्राप्त कर लिया है। A ने कौन-सा अपराध कारित किया है?

(a) Cheat / छल
(b) theft / चोरी
(c) Criminal misappropriation /आपराधिक दुर्विनियोग
(d) None of these / उपर्युक्त में से कोई नहीं

BPSC (APO) 2009

Ans : (a) प्रस्तुत समस्या में 'A' ने छल का अपराध कारित किया है, क्योंकि उसने जाली इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज बनाकर उस दस्तावेज के आधार पर माल प्राप्त कर लिया है। भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा 415** छल को परिभाषित करती है।

187. A was a person not intended in office cneated a belief that he would be in that office and thus obtained the gratification what offence A has committed.
'अ' एक व्यक्ति पद पर आशयित नहीं था, ने ऐसा विश्वास पैदा किया वह उस पद पर होगा और इस प्रकार परितोषण प्राप्त कर लिया। 'अ' ने कौन-सा अपराध किया है।

(a) misappropiation/दुर्विनियोग
(b) cheating/छल
(c) personation/प्रतिरूपण
(d) mischeaf/रिश्वत

Rajasthan (APO) 2005
Uttarakhand (J) 2002

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

188. 'A' is not a servant in Income-tax department but showing himself as Income-tax officer putting raid in 'B' business centre and gets valuable articles thus 'A' commits:
'क' जो इन्कम-टैक्स विभाग में कार्यरत नहीं है, इन्कम टैक्स अधिकारी बनकर एक व्यापारी 'ख' के व्यापारिक प्रतिष्ठान में छापा डालता है और मूल्यवान प्रतिभूति प्राप्त करता है। 'क' ने:

(a) Cheating/छल किया है
(b) Cheating by personation/प्रतिरूपण द्वारा छल किया है
(c) Robbery/लूट किया है
(d) Fraud/धोखा किया है

Chhattishgarh (J) 2003

Ans. (b) : प्रस्तुत समस्या में क ने भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की **धारा 416** में परिभाषित प्रतिरूपण द्वारा छल का अपराध किया है क्योंकि क इन्कम टैक्स विभाग में कार्यरत नहीं है, फिर भी इन्कम टैक्स अधिकारी बनकर व्यापारी ख के व्यापारिक प्रतिष्ठान में छापा डालता हैं एवं मूल्यवान प्रतिभूति प्राप्त करता है।
धारा 416 के अनुसार कोई व्यक्ति ''प्रतिरूपण द्वारा छल करता है'', यह तब कहा जाता है, जब वह यह अपदेश करके कि वह कोई अन्य व्यक्ति है, या एक व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के रूप में जानते हुए प्रतिस्थापित करके, या यह व्यपदिष्ट करके कि वह या कोई अन्य व्यक्ति कोई ऐसा व्यक्ति है, जो वस्तुतः उससे या अन्य व्यक्ति से भिन्न है, छल करता है।

189. To sit at an examination falsely personating another and signing papers in that others name, amounts to/किसी अन्य व्यक्ति का छद्म-प्रतिरूपण करके स्वयं परीक्षा में बैठना तथा अन्य के नाम से दस्तावेज हस्ताक्षरित करना:

(a) Cheating as well as forgery/छल और कूट रचना है
(b) Forgery only/केवल कूट रचना है
(c) Cheating only/केवल छल है
(d) Cheating by personation as well as forgery/प्रतिरूपण द्वारा छल तथा कूट रचना दोनों है

MP (ADPO) 2009 Paper-II

Ans. (d): किसी अन्य व्यक्ति का छद्म-प्रतिरूपण करके स्वयं परीक्षा में बैठना तथा उस अन्य व्यक्ति के नाम से दस्तावेज हस्ताक्षरित करना प्रतिरूपण द्वारा छल तथा कूटरचना दोनों है। भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की **धारा 416** में प्रतिरुपण द्वारा छल को तथा **धारा 463** में 'कूटरचना' को परिभाषित किया गया है।

190. Which one of the following sections of the Indian Penal Code relates with punishment for cheating?
निम्न में से भारतीय दण्ड संहिता की कौन-सी धारा छल के अपराध के दण्ड से सम्बन्धित है?

(a) Section 415/धारा 415
(b) Section 417/धारा 417
(c) Section 416/धारा 416
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

Uttarakhand (J) 2009

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 417 छल के लिए दण्ड का उपबंध करती है, जिसके अनुसार, जो कोई छल करेगा, दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

191. Section 417 of IPC provides for the punishment for cheating, which is imprisonment for a maximum term of:
आई.पी.सी. की धारा 417 धोखाधड़ी के लिए सजा का प्रावधान करती है जो कि अधिकतम ..... की अवधि का कारावास है।

(a) 6 Months/माह
(b) 2 Years/वर्ष
(c) 5 Years/वर्ष
(d) 3 Years/वर्ष
(e) 1 Years/वर्ष

Chhattishgarh (ADPO) 2017

Ans. (e) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

192. 'A' intentionally assumes z that the who lends one lakh rupees to a will repay it soon. Where as he does not intend to pay the said amount. Accordingly he dishonestly induces Z for the said amount under which section an offence punishable by A has been committed?
'क' 'य' को आशयपूर्वक यह विश्वास दिलाता है कि वह जो एक लाख रूपये 'क' को उधार देगा, शीघ्र ही चुका देगा। जबकि उसका आशय उक्त राशि चुकाने का नहीं है। तदानुसार वह बेईमानी से 'य' को उक्त रकम के लिए उत्प्रेरित करता है। 'क' के द्वारा कौन सी धारा के अंतर्गत दण्डनीय अपराध किया गया है–

(a) Section 422 IPC / धारा 422 भा.दं.सं.
(b) Section 419 IPC / धारा 419 भा.दं.सं.
(c) Section 418 IPC / धारा 418 भा.दं.सं.
(d) Section 417 IPC / धारा 417 भा.दं.सं.

MP (HJS) 2019

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा 416** के अधीन 'क' 'छल' का अपराध करता है तथा 'क' **धारा 417** के अधीन दण्डित किया जायेगा।

193. 'A' pretends to be 'B' who has died. Under which Section 'A' is guilty/'क' कपटपूर्वक अपने को 'ब' बताता है जो मर चुका है। 'क' किस धारा के अन्तर्गत दोषी है?

(a) Section 417 I.P.C./धारा 417 भा.द.सं.
(a) Section 418 I.P.C. /धारा 418 भा.द.सं.
(c) Section 419 I.P.C./धारा 419 भा.द.सं.
(d) Section 420 I.P.C./धारा 420 भा.द.सं.

MP (ADPO) 2009 Paper-II, 2010 Paper-II

Ans–(c) प्रस्तुत मामले में 'क' ने भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की **धारा 416** में परिभाषित 'प्रतिरूपण द्वारा छल' किया है। अतः वह संहिता की **धारा 419** के अंतर्गत दोषी होगा। प्रतिरूपण के द्वारा छल के लिए **धारा 419** के अन्तर्गत तीन वर्ष तक के किसी भाँति के कारावास या जुर्माने या दोनों के दण्ड का प्रावधान किया गया है।

194. 'A' cheats by pretending to be B, a person who is deceased 'A' is liableto be punished under
'अ' अपने को ''ब का जिसकी मृत्यु हो चुकी है, बहाना करके छल करता है। 'अ' दण्ड का दोषी है।

(a) Section 420 of IPC/भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के अन्तर्गत
(b) Section 419 of IPC /भारतीय दण्ड संहिता की धारा 419 के अन्तर्गत
(c) Section 418 of IPC /भारतीय दण्ड संहिता की धारा 418 के अन्तर्गत
(d) Section 417 of IPC /भारतीय दण्ड संहिता की धारा 417 के अन्तर्गत

UP (APO) 2002

Ans: (b) प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा 416 के दृष्टांत (b)** पर आधारित है। **धारा 416** के अनुसार 'अ' प्रतिरूपण द्वारा छल करता है। प्रतिरूपण द्वारा छल के लिए दण्ड का प्रावधान **धारा 419** में किया गया है।

195. Cheating by personation is punishable with imprisonment upto:
प्रतिरूपण द्वारा छल का अपराध अधिकतमः
(a) Seven years/सात वर्ष
(b) Three years/तीन वर्ष
(c) Five years/पाँच वर्ष
(d) Two years/दो वर्ष
के कारावास से दण्डनीय है।

Chhattishgarh (J) 2008

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की **धारा 419** प्रतिरूपण द्वारा छल के लिये दण्ड का प्रावधान करती है। इस धारा के अनुसार प्रतिरूपण द्वारा छल के अपराध के लिए अधिकतम तीन वर्ष के कारावास का दण्ड या जुर्माना या दोनो का दण्ड दिया जा सकता है।

196. 'A' and 'B' orally agree to sell an estate. 'A' dishonestly induces 'B' to make advance payment of Rs. 5 lakh and make final payment at the execution of conveyance. 'B' pays advance amount. Later on, at the request of 'B' to execute the conveyance, 'A' denies the agreement as well as the receipt of any amount. What offence has been committed by 'A'?
'अ' और 'ब' एक सम्पदा के बेचने हेतु मौखिक करार करते है। 'अ' बेईमानीपूर्वक 'ब' को उत्प्रेरित करता है कि 'ब' पांच लाख रुपये का अग्रिम भुगतान कर दे तथा अंतिम भुगतान हस्तान्तर-पत्र लिखने के समय कर दिया जाए। 'ब' अग्रिम भुगतान करता है। बाद में, 'ब' द्वारा हस्तान्तर-पत्र लिखने का निवेदन करने पर 'अ' करार के साथ-साथ उसके द्वारा कोई रकम प्राप्त करने से, इन्कार करता है। 'अ' द्वारा कौनसा अपराध किया गया है?
(a) Offence under Section 403 Indian Penal Code/अपराध अंतर्गत धारा 403 भारतीय दण्ड संहिता।
(b) Offence under Section 406 Indian Penal Code/अपराध अंतर्गत धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता।
(c) Offence under Section 420 Indian Penal Code/अपराध अंतर्गत धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता।
(d) Offence under Section 420 & 465 Indian Penal Code/अपराध अंतर्गत धारा 420 व 465 भारतीय दण्ड संहिता।

Rajasthan (J) 2016

Ans. (c) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा 420** पर आधारित है जिसके अनुसार– जो कोई छल करेगा और तद्द्वारा उस व्यक्ति को जिसे प्रवंचित किया गया है, बेईमानी से उत्प्रेरित करेगा कि वह कोई सम्पत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे, या किसी भी मूल्यवान प्रतिभूति को या किसी चीज को, जो हस्ताक्षरित या मुद्रांकित हो, और जो मूल्यवान प्रतिभूति में सम्परिवर्तित किये जाने योग्य हो, पूर्णतः या अंशतः रच दे, परिवर्तित कर दे या नष्ट कर दे, वह दोनों में से किसी भी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि **7 वर्ष** तक हो सकेगी दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

रिष्टि (धारा 425-440)

197. Fill in the blank with correct proposition of law:
सही विधि विधान से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिये–
The malicious injury to property as per maxim Sic Utere tuo ut alienum non laedas (to use your own property so as not to injure your neighbour's property as provided in.....
सूक्ति (*Sic Utere tuo ut alienum non laedas*) (अपनी स्वयं सम्पत्ति का इस प्रकार उपयोग करें कि अपने पड़ोसी की सम्पत्ति को कोई हानि न हो) सम्पत्ति की विद्वेषपूर्ण हानि का यह प्रावधान ..... में दिया गया है।
(a) Damage of property as per Section 427, IPC/भा.दं.सं. की धारा 427 के अनुसार सम्पत्ति को नुकसान
(b) Mischief as per Section 425, IPC/भा.दं.सं. की धारा 425 के अनुसार रिष्टि
(c) Mischief to cause wrongful restraint as per Section 440, IPC/भा.दं.सं. की धारा 440 के अनुसार दोषपूर्ण परिरोध करने की रिष्टि
(d) Destruction of landmark as per Section 433, IPC/भा.दं.सं. की धारा 433 के अनुसार सीमाचिन्ह का विनाश

UGC (NET) December, 2013 Paper-III

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा 425** में रिष्टि को परिभाषित किया गया है। **धारा 425** के अनुसार- जो कोई इस आशय से, या यह सम्भाव्य जानते हुए कि वह लोक को या किसी व्यक्ति को सदोष हानि या नुकसान कारित करे, किसी सम्पत्ति का नाश या किसी सम्पत्ति में या उसकी स्थिति में ऐसी तब्दीली कारित करता है, जिससे उसका मूल्य या उपयोगिता नष्ट या कम हो जाती है, या उस पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ता है, वह 'रिष्टि' करता है।
सूक्ति (***Sic Utere tuo ut alienum non laedas***) **धारा 425** से ही सम्बन्धित है।

198. A voluntarily burns a valuable security belonging to Z intending to cause wrongful loss to Z. A has committed the offence of:
'य' को सदोष हानि कारित करने के आशय से 'य' की मूल्यवान प्रतिभूतियों को 'क' स्वेच्छया जला देता है। 'क' ने अपराध किया है:

(a) Theft/चोरी का
(b) Mischief/रिष्टि का
(c) Dacoity/डकैती का
(d) Cheating by personating/प्रतिरूपण द्वारा छल का

Uttarakhand (APO) 2021

Ans. (b) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा 425 के दृष्टांत (a)** पर आधारित है। 'क' ने रिष्टि का अपराध कारित किया है।

199. 'A' introduces water into the ice-house belonging to 'B' and thus causes the ice to melt intending wrongful loss to 'B'. 'A' has committed offence of
'ब' को सदोष हानि करने के आशय से उसके बर्फ के घर में 'अ' पानी छोड़ देता है और इस प्रकार बर्फ को गला देता है। 'अ' ने क्या अपराध किया है।
(a) Extortion/उद्दापन का
(b) Cheating/छल का
(c) Mischief/रिष्टि का
(d) Theft/चोरी का

Uttarakhand (J) 2012

Ans : (c) भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा 425** के अनुसार, 'अ' ने रिष्टि का अपराध कारित किया है। प्रश्नगत समस्या **धारा 425 के दृष्टांत (b)** पर आधारित है। **धारा 425** में 'रिष्टि' की परिभाषा दी गई है।

200. A voluntarily throws into a river a ring belonging to B with intention thereby causing wrongful loss to B. A has committed—
'अ', 'ब' को सदोष हानि पहुँचाने के आशय से उसकी अँगूठी को नदी में फेंक देता है। 'अ' ने कौन-सा अपराध किया?
(a) Theft /चोरी (b) Extortion /उद्दापन
(c) Robbery /लूट (d) Mischief /रिष्टि

MPHC CJ 1997
Uttarakhand (APO) 2015
Uttarakhand (J) 2014

Ans. (d) प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा 425 के दृष्टांत (c)** पर आधारित है। 'अ' ने रिष्टि का अपराध कारित किया है।

201. A sets his car on fire with the intention of causing loss to the insurance company. What offence has he committed?
बीमा कम्पनी को हानि पहुचाने के आशय से, अ ने अपनी कार को आग लगा दी। उसने क्या अपराध किया है।
(a) mischief /रिष्टि
(b) criminal breach of trust/आपराधिक न्यास भंग
(c) criminal intimidation /आपराधिक अभित्रास
(d) no offence /कोई अपराध नहीं

Rajasthan (APO) 2015

Ans. (a) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा 425 के स्पष्टीकरण 2** पर आधारित है। इस समस्या में 'अ' ने रिष्टि का अपराध कारित किया है। **स्पष्टीकरण 2** से यह स्पष्ट होता है कि कोई व्यक्ति अपनी ही सम्पत्ति नष्ट कर इस धारा में वर्णित अपराध कारित कर सकता है। यह समस्या **धारा 425 का दृष्टांत (e)** पर आधारित है।

धर्मोदास घोष बनाम नसीरूद्दीन (1886)– यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसी सम्पत्ति को विनष्ट करता है जो विनष्ट करते समय उसी की थी और वह उस सम्पत्ति को इस आशय अथवा ज्ञान से विनष्ट करता है कि उसके कारण सम्भाव्यतः किसी अन्य को सदोष हानि या नुकसान होगा, तो वह इस धारा के अन्तर्गत रिष्टि का दोषी है।

202. 'A', having insured his shop, voluntarily causes fire to his shop, intending to realize insured money from the insurance company. 'A' has committed
'अ', एक बीमा कम्पनी से पैसा वसूलने के लिये जानबूझकर अपनी बीमा शुदा दुकान में आग लगा देता है। 'अ' ने कौन सा अपराध किया है?
(a) Mischief/रिष्टि
(b) Cheating/छल
(c) Extortion/उद्दापन
(d) None of the above/उपरोक्त में कोई नहीं

UP (APO) 2015

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

203. "A" causes cattle to enter upon a field belong to "B" intending to cause and knowing that it is likely to cause damages to "B's" crop. "A" is the guilty of offence of
''अ'' इस आशय से और यह सम्भाव्य जानते हुए कि वह ''ब'' की फसल को नुकसान कारित करे और ''ब'' के खेत में जानवर का प्रवेश कारित कर देता है। यहाँ ''अ'' निम्नांकित में से किस अपराध का दोषी होगा?
(a) theft/चोरी का
(b) criminal trespass/आपराधिक अतिचार का
(c) criminal misappropriation/आपराधिक दुर्विनियोग का
(d) mischief/रिष्टि का

Uttarakhand (APO) 2015
Uttarakhand (J)2019

Ans. (d) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा 425 के दृष्टांत (h)** पर आधारित है। यहां 'अ' रिष्टि (mischief) के अपराध का दोषी होगा।

204. In a case A had a dispute about possession of a land with C. C dug a well with a view to cultivate the said land but A forcibly entered on the land and damaged well. A committed/अ एवं स के बीच भूमि पर कब्जे को लेकर विवाद है। स भूमि पर खेती करने के लिए कुआँ खोदता है, परंतु अ भूमि पर जबरन प्रवेश करता है और कुएं को क्षति कारित करता है। अ ने अपराध किया है–
(a) Criminal trespass/आपराधिक अतिचार
(b) Mischief/रिष्टि
(c) Criminal force/आपराधिक बल
(d) None of these/इनमें से कोई नहीं

MP (HJS) 2020

Ans. (b) : प्रस्तुत समस्या में 'अ' ने भारतीय दण्ड संहिता 1860 कि **धारा 425** के अंतर्गत, रिष्टि का अपराध कारित किया है।

प्रस्तुत समस्या **अब्दुल हुसैन (1943)** के वाद के तथ्यों पर आधारित है, जिसमें न्यायालय ने यह धारित किया कि, 'अ' ने रिष्टि कारित की है चाहे भले ही परिवादकर्ता उस भूमि पर एक अतिचारी के रूप में रहा हो।

205. Which one of the following section of Indian Penal Code relates with punishment for mischief?
निम्न में से भारतीय दण्ड संहिता की कौन सी धारा रिष्टि के अपराध के दण्ड से संबंधित है?
(a) Section 426/धारा 426
(b) Section 427/धारा 427
(c) Section 428/धारा 428
(d) None of above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

Chhattishgarh (J) 2020

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा 426** रिष्टि के अपराध के दण्ड से संबंधित है। जो कोई रिष्टि करेगा वह कारावास से जो तीन माह की या जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

206. The maximum imprisonment for mischief in the Indian penal code?
भारतीय दण्ड संहिता में रिष्टि के लिये अधिकतम कारावास है-
(a) one month /1 माह (b) two months /2 माह
(c) three months /3 माह (d) six months /6 माह

Rajasthan (APO) 2007

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

207. 'A' having joint property with Z in a horse, intending thereby to cause wrongful loss to Z, shoots the horse. Under what section of IPC. 'A' shall be charged with?
'क' य के साथ एक घोड़े में संयुक्त सम्पत्ति रखते हुए य को सदोष हानि कारित करने के लिए 'क' उस घोड़े को गोली मार देता है। भा.द.सं. की किस धारा के अधीन 'क' को आरोपित किया जाएगा।
(a) Section 426/धारा 426
(b) Section 429/धारा 429
(c) Section 437/धारा 437
(d) Section 438/धारा 438

Uttarakhand (J) 2014

Ans : (a) उक्त समस्या भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा 425 के दृष्टांत (g)** पर आधारित है तथा 'क' रिष्टि के अपराध का दोषी है, जिसे भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 426** के अधीन आरोपित किया जायेगा।

208. "A" is owner of a Stud Farm, where water supply service is available to have drinking water for horses. "B" diverts the flow of water supply towards his agriculture land knowing that it shall cause diminution of the supply of drinking water to the horses. "B" commits an offence under:
'अ' एक अश्वशाला का स्वामी है, जहाँ घोड़ों की पेयजल हेतु जलप्रदाय सेवा उपलब्ध है। 'ब' उक्त जलप्रदाय सेवा के प्रवाह को यह जानते हुए भी कि इससे घोड़ों के पेयजल में कमी कारित होगी, अपने कृषि भूमि की ओर मोड़ देता है। 'ब' एक अपराध कारित करता है–
(a) Section 428 Indian Penal Code./अन्तर्गत धारा 428 भारतीय दण्ड संहिता
(b) Section 431 Indian Penal Code./अन्तर्गत धारा 431 भारतीय दण्ड संहिता
(c) Section 430 Indian Penal Code./अन्तर्गत धारा 430 भारतीय दण्ड संहिता
(d) Under Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960/अन्तर्गत पशु क्रूरता निषेध अधिनियम, 1960

Rajasthan (DJC) 2015

Ans. (c) : प्रस्तुत समस्या में 'ब' भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की **धारा 430** के अन्तर्गत जल को दोषपूर्वक मोड़ने द्वारा रिष्टि का अपराध कारित करता है।
धारा 430 के अनुसार- जो कोई किसी ऐसे कार्य के करने द्वारा रिष्टि करेगा, जिससे कृषिक प्रयोजनों के लिए, या मानव-प्राणियों के या उन जीव-जन्तुओं के,जो सम्पत्ति है, खाने या पीने के या सफाई के या किसी विनिर्माण को चलाने के जलप्रदाय में कमी कारित होती हो, या कमी कारित होना वह सम्भाव्य जानता हो, वह दोनों में से, किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

आपराधिक अतिचार (धारा 441-462)

209. Criminal trespass has been defined in which section of Indian Penal Code?
भारतीय दण्ड संहिता की किस धारा में आपराधिक अतिचार परिभाषित है?
(a) Section 441/धारा 441
(b) Section 440/धारा 440
(c) Section 452/धारा 452
(d) Section 457/धारा 457

Uttarakhand (J) 2002

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा 441** आपराधिक अतिचार को परिभाषित करती है, जिसके अनुसार, जो कोई ऐसी सम्पत्ति में या ऐसी सम्पत्ति पर, जो किसी दूसरे के कब्जे में है, इस आशय से प्रवेश करता है, कि वह कोई अपराध करे या किसी व्यक्ति को, जिसके कब्जे में ऐसी सम्पत्ति है, अभित्रस्त, अपमानित या क्षुब्ध करें, अथवा ऐसी सम्पत्ति में या ऐसी सम्पत्ति पर, विधिपूर्वक प्रवेश करके वहां विधिविरुद्ध रूप में इस आशय से बना रहता है कि तद्द्वारा वह किसी ऐसे व्यक्ति को अभित्रस्त, अपमानित या क्षुब्ध करे या इस आशय से बना रहता है कि वह कोई अपराध करे, वह ''आपराधिक अतिचार' करता है, यह कहा जाता है।

210. Which of the following is the 'sine qua non' of the offence of criminal trespass?
निम्न से कौन आपराधिक अतिचार की 'आवश्यक स्थिति' है?
(a) Assault/हमला
(b) Intention to commit an offence/अपराध करने का आशय

(c) Intention to intimidate, insult or annoy/अभित्रस्त, अपमानित या क्षुब्ध करने का आशय
(d) Both (b) and (c)/दोनों (b) एवं (c)
(e) None of these/इनमें से कोई नहीं

Chhattishgarh (ADPO) 2013

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा-441 के अनुसार–आपराधिक अतिचार (Criminal Trespass) के निम्नलिखित तत्व हैं–
(1) किसी दूसरे व्यक्ति के कब्जे में विद्यमान सम्पत्ति में या सम्पत्ति पर प्रवेश,
(2) यदि ऐसा प्रवेश विधि सम्मत है, तो विधि विरुद्ध रीति से ऐसी सम्पत्ति में ..... पर बने रहना,
(3) ऐसी प्रविष्टि या अवैध रीति से बने रहना–
(क) कोई अपराध कारित करने के आशय से, या
(ख) किसी व्यक्ति को, जिसके अधिपत्य में ऐसी सम्पत्ति है, अभित्रस्त अपमानित या क्षुब्ध करने के आशय से, किय गया हो।

211. A group of eunuchs entered A's house and demanded money for which he refused and asked them to come out. They did not come out of the house. How they committed any crime?
किन्नरों के एक समूह ने अ के घर में प्रवेश किया और रूपयों की मांग की जिसके लिए उसने मना कर दिया व उन्हें बाहर निकलने को कहा, वे मकान से बाहर नहीं निकले। क्या उन्होंने कोई अपराध किया है?
(a) nuisance/न्यूसेंस
(b) criminal trespass /आपराधिक अतिचार
(c) no offence /कोई अपराध नहीं
(d) mischief /रिष्टि

Rajasthan (APO) 2015

Ans. (b) : किन्नरों के द्वारा किया गया कार्य भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा 441** में परिभाषित आपराधिक अतिचार का अपराध होगा, क्योंकि जैसे ही घर के स्वामी ने किन्नरों को घर से निकलने को कहा उसके बाद में उनका वहां से बाहर नही निकलना उनका विधिविरूद्व माना जायेगा और ऐसा कार्य भवन स्वामी को अभित्रस्त, अपमानित या क्षुब्ध कारित करेगा।

212. X with a view to murder Y enters Y's bedroom at night when Y is out of station. X is guilty of
Y कि हत्या करने के उद्देश्य से X रात में Y के बेडरूम में प्रवेश करता है, जब Y वहाँ नहीं रहता है। X दोषी है
(a) murder/हत्या का
(b) house-trespass/घर के अतिचार का
(c) attempt to murder/हत्या के प्रयास का
(d) no offence/कोई अपराध नहीं

Jharkhand (J) 2019

Ans. (b) : प्रस्तुत समस्या में X घर (गृह) में अतिचार (House Trespass) का दोषी होगा। भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा 442** में गृह अतिचार को परिभाषित किया गया है। **धारा 442** के अनुसार- जो कोई किसी निर्माण, तम्बू या जलयान में, जो मानव-निवास के रूप में उपयोग में आता है या किसी निर्माण में, जो उपासना-स्थान के रूप में, या किसी सम्पत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में आता है, प्रवेश करके या उसमें बना रह कर आपराधिक अतिचार करता है, वह ''गृह-अतिचार'' करता है, यह कहा जाता है।

213. "B" enters into her house of 'A', without obtaining 'A's permission, to congratulate his on his success. What crime was committed by 'B/`A' के घर में उसकी अनुमति लिए बिना `B' प्रवेश कर `A' को उसकी सफलता पर बधाई देता है। `B' ने कौन-सा अपराध किया?
(a) Criminal trespass/आपराधिक अतिचार
(b) House trespass/गृह अतिचार
(c) Mischief/रिष्टि
(d) None of these/इनमें से कोई नहीं

MP (ADPO) 2008 Paper-II

Ans.(d) : प्रस्तुत समस्या में B ने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि **धारा 442** के अंतर्गत गृह अतिचार के लिए आपराधिक अतिचार का किया जाना आवश्यक है और **धारा 441** के अनुसार आपराधिक अतिचार का अपराध तभी हो सकता है जबकि कोई व्यक्ति किसी दूसरे के कब्जे में की सम्पत्ति में या ऐसी सम्पत्ति पर इस आशय से प्रवेश करे कि वह कोई अपराध करे या किसी व्यक्ति को जिसके कब्जे में ऐसी सम्पत्ति है उसे अभित्रस्त, अपमानित या क्षुब्ध करे।

214. "A" intending to commit theft enters the house of "B" at night and removes from one of the rooms a box to the courtyard where he opens it. He does not find in the box anything worth-taking and leaving the box there goes away. In this case:
''अ'' चोरी करने के आशय से रात्रि में ''ब'' के घर में प्रवेश करता है और एक कमरे से एक संदूक निकालकर आंगन में ले जाता है जहाँ वह उसे खोलता है। खोलने के बाद वह उस संदूक में ऐसी कोई चीज नहीं पाता जो ले जाने योग्य हो और संदूक को वही छोड़कर चला जाता है। इस मामले में:
(a) "A" is liable only for house trespass
''अ'' केवल गृह अतिचार का दोषी है।
(b) "A" is liable for theft
''अ'' चोरी का दोषी है
(c) "A" has committed no offence
''अ'' ने कोई अपराध नहीं किया है
(d) "A" is liable for house trespass and attempt to commit theft.
''अ'' गृह अतिचार एवं चोरी के प्रयत्न का दोषी है

UPPCS (J) 2003

Ans. (d) : 'अ' गृह अतिचार एवं चोरी के प्रयत्न का दोषी है। भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की **धारा 442** गृह अतिचार के सम्बन्ध में प्रावधान करती है। इस धारा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी भवन या निर्माण में प्रवेश करके या उसमें बना रह कर आपराधिक अतिचार करता है, वह गृह अतिचार का दोषी होगा। आपराधिक प्रयत्न का उल्लेख भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 511** में किया गया है। **धारा 511** आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दण्डनीय उन अपराधों को करने के लिए बनाया गया है, जिसको करने का प्रयत्न किया गया है किन्तु उसके लिए भारतीय दण्ड संहिता में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया हो। धारा 511 अवशिष्ट प्रकृति का एक विशेष उपबंध है।

215. 'A' enters into a house of 'B' with intent to cause grievous hurt to 'B', but finds that 'B' is not in the house. What offence, if any, has been committed by 'A'?
'A', 'B' को घोर उपहति कारित करने के आशय से 'B' के घर में प्रवेश करता है, किन्तु पाता है कि 'B' घर में नहीं है। 'A' द्वारा कौन सा अपराध, यदि कोई है, किया गया है?

(a) Attempt to cause grievous hurt
घोर उपहति कारित करने का प्रयास
(b) House trespass/गृह-अतिचार
(c) No offence/कोई अपराध नहीं
(d) (a) and (b) both/उपर्युक्त (a) तथा (b) दोनों

Uttarakhand (J) 2018

Ans. (b) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड सहिंता 1860 की धारा 442 पर आधारित है। इस समस्या में A द्वारा किया गया अपराध गृह-अतिचार होगा, क्योंकि वह B के घर में घोर उपहति (अपराध) करने के आशय से प्रवेश करता है।

216. In which one of the following section of the Indian Penal Code, 1860 Lurking House Trespass has been defined?
भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की निम्न किस धारा के अन्तर्गत प्रच्छन्न गृह अतिचार अपराध को परिभाषित किया गया है?

(a) Sec. 442/धारा 442 में
(b) Sec. 444/धारा 444 में
(c) Sec. 445/धारा 445 में
(d) Sec. 443/धारा 443 में

UPPCS (J) 2015

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता,1860 की **धारा 443** में प्रच्छन्न गृह अतिचार अपराध को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार, जो कोई यह पूर्वावधानी बरतने के पश्चात गृह अतिचार करता है कि ऐसे गृह अतिचार को किसी ऐसे व्यक्ति से छिपाया जाए जिसे उस निर्माण, तम्बू या जलयान में से, जो अतिचार का विषय है, अतिचारी को अपवर्जित करने या बाहर कर देने का अधिकार है, वह 'प्रच्छन्न गृह- अतिचार' करता है, यह कहा जाता है।

217. A enters B's house through open door but quits from house through such hole made by himself, Act of A says that
'क' 'ख' के घर में एक खुले दरवाजे से प्रवेश करता है किन्तु मकान से उस छेद से बाहर निकलता है जो उसने स्वयं किया है। 'क' का कृत्य कहलायेगा।

(a) House trespass /गृह अतिचार
(b) House breaking /गृह भेदन
(c) Only criminal trespass/केवल आपराधिक अतिचार
(d) Lurking house trespass/प्रच्छन्न गृह अतिचार

MPHC (DLAO)2021

Ans. (b) : क द्वारा किया गया कृत्य गृह-भेदन का अपराध है। भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा 445** के अनुसार-जो कोई व्यक्ति गृह अतिचार करता है गृह भेदन करता है यदि वह उस गृह में या उसके किसी भाग में निम्न छः तरीकों में से किसी तरीके से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है।

(1) यदि वह ऐसे रास्ते से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है जो स्वयं उसने या उस गृह-अतिचार के किसी दुष्प्रेरक ने वह गृह-अतिचार के लिये बनाया है।
(2) यदि वह किसी ऐसे रास्ते से, जो उससे या उस अपराध के दुष्प्रेरक से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा मानव प्रवेश के लिए आशयित नहीं है या किसी ऐसे रास्ते से, जिस तक किसी दीवार या निर्माण पर सीढ़ी द्वारा अन्यथा चढ़कर पहुंचा है, प्रवेश करता या बाहर निकलता है।
(3) यदि वह किसी ऐसे रास्ते से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है जिसको उसने या उस गृह अतिचार के किसी दुष्प्रेरक ने वह गृह-अतिचार करने के लिए किसी ऐसे साधन द्वारा खोला है, जिसके द्वारा उस रास्ते का खोला जाना उस गृह के अधिभोगी द्वारा आशयित नहीं था।
(4) यदि उस गृह-अतिचार को करने के लिए, या गृह अतिचार के पश्चात् उस गृह से निकल जाने के लिए वह किसी ताले को खोलकर प्रवेश करता या बाहर निकलता है।
(5) यदि आपराधिक बल के प्रयोग या हमले या किसी व्यक्ति पर हमला करने की धमकी द्वारा अपना प्रवेश करता है या प्रस्थान करता है।
(6) यदि वह किसी ऐसे रास्ते से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है जिसके बारे में वह जानता है कि वह ऐसे प्रवेश या प्रस्थान को रोकने के लिए बन्द किया हुआ है और अपने द्वारा या उस गृह अतिचार के दुष्प्रेरक द्वारा खोला गया है।

218. 'A' enters Z's house through a window. 'A' commits:
'Z' के घर में एक खिड़की से 'A' प्रवेश करता है, 'A' करता है।

(a) Trespass/अतिचार
(b) House trespass/गृह अतिचार
(c) House breaking/गृह भेदन
(d) All the above/उपर्युक्त सभी

Uttarakhand (J) 2006
Uttarakhand (APO) 2009, 2015

Ans. (c) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 445 के दृष्टांत (c) पर आधारित है। इस समस्या में A गृह-भेदन का अपराध कारित करता है।

219. 'A' finds the key to 'Y's house door, which 'Y' had lost and commits home trespass by entering 'Y's house having opened the door with that key. What offence has 'A' committed?
'अ' को 'य' के घर के द्वार की चाबी मिल जाती है, जो 'य' से खो गई थी और वह उस चाबी से द्वार खोलकर 'य' के घर में प्रवेश करता है। 'अ' ने कौन-सा अपराध किया है?

(a) Lurking house trespass/प्रच्छन्न गृह अतिचार
(b) Criminal misappropriation/आपराधिक दुर्विनियोग
(c) Attempt to commit theft/चोरी करने का प्रयत्न
(d) House breaking/गृहभेदन

Chhattishgarh (J) 2004
Chhattishgrah (ADPO)2017
MP (ADPO)2009 Paper-II
MPHC (CJ) 2015,1996,2018 Shift II
UP (APO) 2007 (Special)

Ans. (d) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 445 के दृष्टांत **(f)** पर आधारित है। इस समस्या में 'अ' ने गृह-भेदन का अपराध कारित किया है।
धारा 445 के चौथे खण्ड के अनुसार कोई व्यक्ति गृह-भेदन का तब दोषी होता है यदि वह उस गृह अतिचार को करने के लिए, या गृह अतिचार करने के पश्चात् उस गृह से निकल जाने के लिए वह किसी ताले को खोलकर प्रवेश करता है या बाहर निकलता है।

220. 'Z', the doorkeeper of 'Y'. is standing Y's doorway. 'A' commits house trespass by entering the house, having deterred 'Z' from opposing him by threatening to beat him 'A' has committed?
'य' जो 'म' का दरबान है, 'म' की ड्योढ़ी में खड़ा है। 'य' को मारने की धमकी देकर 'क' उसको विरोध करने से भयोपरत करके उस गृह में प्रवेश करने द्वारा गृह अतिचार करता है। 'क' ने किया है?
(a) House trespass/गृह अतिचार
(b) Criminal trespass/आपराधिक अतिचार
(c) Lurking house trespass/प्रच्छन्न गृह अतिचार
(d) House breaking/गृह भेदन

MPHC CJ 2019 Shift-I
MP (HJS) 2016

Ans. (d) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 445 के दृष्टांत (h) पर आधारित है। चूंकि क, य को मारने की धमकी देकर गृह में प्रवेश करता है अत: 'क' धारा 445 के पाँचवे खण्ड के अन्तर्गत गृह भेदन (House breaking) के अपराध को दोषी है।

221. Arrange the provisions of Indian Penal Code in chronological order, section –wise/भारतीय दण्ड संहिता के निम्नलिखित प्रावधानों को धारा - वार क्रमबद्ध करें
A. House-trespass in order to commit an offence punishable with imprisonment for life/आजीवन कारावास तक का दण्डनीय अपराध को करने के लिए गृह- अतिचार
B. House-trespass in order to commit an offence punishable with death/मौत की सजा तक का दण्डनीय अपराध को करने के लिए गृह-अतिचार
C. Lurking house-trespass or house-breaking in order to commit an offence punishable with imprisonment/कारावास तक का दण्डनीय अपराध करने के लिए प्रच्छन्न गृह अतिचार या गृह - भेदन
D. House-trespass in order to commit an offence puncishable with imprisonment/कारावास तक का दण्डनीय अपराध करने के लिए गृह - अतिचार
E. Lurking house-trespass or house-breaking by night in order to commit an offence punishable with imprisonment/कारावास तक का दंडनीय अपराध करने के लिए रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रि गृभ - भेदन

Choose the correct answer from the options given below/ नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें:
(a) E, A, C, B, D
(b) D, A, E, C, B
(c) A, B, C, D, E
(d) B, A, D, C, E

UGC (NET) June, 2020 Paper-II

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं का व्यवस्थित कालक्रम इस प्रकार हैं
धारा 449- मृत्यु से दण्डनीय अपराध को करने के लिए गृह-अतिचार।
धारा 450- आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध को करने के लिए गृह-अतिचार।
धारा 451- कारावास से दण्डनीय अपराध को करने के लिए गृह-अतिचार।
धारा 454- कारावास से दण्डनीय अपराध करने के लिए प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन।
धारा 457- कारावास से दण्डनीय अपराध करने के लिए रात्रौ प्रच्छन्न गृह-अतिचार या रात्रौ गृह-भेदन।

222. Ram while going on pilgrimage, entrusted a box containing jewellery to his neighbour Shayam. Shayam dishonestly with the intent to commit mischief, break open the box without having any authority. Shayam has committed the offence of;
राम तीर्थयात्रा पर जाते समय अपना संदूक जिसमें गहने हैं, अपने पड़ोसी श्याम को न्यस्त करके जाता है। श्याम उक्त संदूक को बिना किसी प्राधिकार के बेईमानीपूर्वक, रिष्टी करने के आशय से तोड़कर खोल लेता है। श्याम द्वारा अपराध किया गया है;
(a) Section 406 of Indian Penal Code./भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406 का।
(b) Section 379 of Indian Penal Code./भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 का।
(c) Section 462 of Indian Penal Code./भारतीय दण्ड संहिता की धारा 462 का।
(d) None of the above./उपरोक्त में से कोई नहीं।

Rajasthan (J) 2018, 2019

Ans. (c) : प्रस्तुत समस्या में श्याम द्वारा भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा 462** के अन्तर्गत अपराध किया गया है। **धारा 462** के अनुसार, जो कोई ऐसा बन्द पात्र, जिसमें सम्पत्ति हो, या होने का विश्वास हो, अपने पास न्यस्त किये जाने पर उसको खोलने का प्राधिकार न रखते हुए, बेईमानी से या रिष्टि करने के आशय से, उस पात्र को तोड़कर खोलेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने, या दोनों से, दंडित किया जायेगा।

अध्याय – 20

दस्तावेजों और सम्पत्ति चिह्नों सम्बन्धी अपराध (धारा 463-489E)

1. In which section forgery is defined?
कूटरचना को किस धारा में परिभाषित किया गया है?
(a) Section 463/धारा 463
(b) Section 464 /धारा 464
(c) Section 465/धारा 465
(d) Section 468/धारा 468

Rajasthan (APO) 2005
Uttarakhand (APO) 2009
Uttarakhand (J) 2002

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 463 में कूटरचना को परिभाषित किया गया है। धारा 463 के अनुसार, जो कोई किसी मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के किसी भाग को इस आशय से रचता है कि लोक को या किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षति कारित की जाये या किसी दावे या हेतु का समर्थन किया जाय या यह कारित किया जाय कि कोई व्यक्ति सम्पत्ति अलग करे या कोई अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा करे या इस आशय से रचता है कि कपट करे या कपट किया जा सके वह कूट रचना करता है।

2. A prepares a mark sheet with an intention to get a job thereby he committed the offence of
'अ' एक अंक सूची नौकरी पाने के आशय से तैयार करता है, उसने अपराध किया है :
(a) Mischief /रिष्टि की
(b) Cheating /छल किया
(c) Forgery /कूटरचना
(d) Misrepresentation /दुर्व्यपदेशन

MPHC CJ 2015,2016
MPHC(CJ) 2013 Shift-II

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

3. Which of the following do not constitute an offence of forgery?
निम्नलिखित में से कौन-सा जालसाजी का अपराध नहीं है?
(a) The intention to induce a believe that the document was duly signed/यह विश्वास उत्प्रेरित करने का आशय कि प्रलेख विधिवत् हस्ताक्षरित है
(b) The intention to induced a believe that the document was duly sealed/यह विश्वास उत्प्रेरित करने का आशय कि प्रलेख विधिवत् सीलबंद है
(c) The intention to induce a believe that the document was executed by the authority of a person/यह विश्वास उत्प्रेरित करने का आशय कि प्रलेख व्यक्ति के प्राधिकार द्वारा निष्पादित किया गया है
(d) knowingly makes false entries initially in the public record on his own authority by a public officer/सरकारी अधिकारी के द्वारा स्वयं के प्राधिकार से सरकारी रिकॉर्ड में जान-बूझकर आरम्भ में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियाँ की जाती है

UGC (NET) December, 2015 Paper-III

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

4. Z dictates his will to A. A intentionally writes down a different legatee named by Z, and by representing to Z that he has prepared the will according to his instructions, induces Z to sign the will. A has committed:
Z जुबानी बोल कर से अपनी वसीयत लिखवाता है। A जानबूझकर Z द्वारा नामित व्यक्ति से अलग किसी अन्य को वसीयतदार के रूप में लिखता है। वह Z के सामने यह वसीयत यह दर्शाते हुए लाता है कि Z के निर्देशों के अनुसार ही वसीयत तैयार की गई है और Z को वसीयत पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रेरित करता है। A ने ..... किया है।
(a) Cheating/धोखाधड़ी
(b) Fraud/कपट
(c) Forgery/जालसाजी
(d) Dishonest misappropriation/बेईमानी पूर्वक गबन
(e) Thug/ठगी

Chhattishgarh (ADPO) 2017

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

5. By which Act of 2000, some sections relating to forgery under the IPC was amended/भारतीय दण्ड संहिता में जालसाजी से सम्बन्धित कुछ धाराओं में सन् 2000 के किस अधिनियम द्वारा संशोधन किया गया?
(a) The Information Technology Act/ सूचना तकनीकी अधिनियम
(b) The Cr. P.C (Amendment)Act/दण्ड प्रक्रिया संहिता, (संशोधन) अधिनियम
(c) The Trade Mark Act/ट्रेडमार्क अधिनियम
(d) The Indian Evidence (Amendment)Act/ भारतीय साक्ष्य (संशोधन) अधिनियम

MP (ADPO) 2008 Paper-II

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 का अध्याय 18 दस्तावेजों और सम्पत्ति चिन्हों सम्बन्धी अपराधों के सम्बन्ध में उपबंध करता है। इस अध्याय की धाराओं 463, 464, 466, 470,

471, 474, 476, 477(A) में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 द्वारा संशोधन किया गया है। ये धारायें जालसाजी (कूटरचना) से सम्बन्धित है।

6. Information Technology Act, 2008 has made amendments in the following Sections of IPC:/सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2008 द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की निम्न धाराओं में संशोधन हुए हैं:

(a) Section 463/धारा 463
(b) Section 466 and Section 477 A/धारा 466 और धारा 477 A
(c) (a) and (b) both are correct/ (a) और (b) दोनों सही हैं।
(d) only (b) is correct./केवल (b) ही सही है।

UPPCS (J) 2006
UP (APO) 2011

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

7. Which of the following provisions of Indian Penal Code defines 'Making a false document'? निम्न में से कौन सी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 'मिथ्या दस्तावेज रचना' को परिभाषित करती है?

(a) Section 464/धारा 464
(b) Section 465/धारा 465
(c) Section 466/धारा 466
(d) Section 467/धारा 467

Uttarakhand (J) 2018

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 464 के अनुसार– कोई व्यक्ति मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख रचता है जब वह बेइमानी से या कपटपूर्ण आशय से–
(1) किसी दस्तावेज को या दस्तावेज के भाग को रचित हस्ताक्षरित, मुद्रांकित या निष्पादित करता है।
(2) किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को या किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के भाग को रचित या पारेषित करता है।
(3) किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर कोई चिह्न लगाता है।
(4) किसी दस्तावेज के निष्पादन का या ऐसे व्यक्ति या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की अधिप्रमाणिकता का द्योतक करेन वाला कोई चिह्न लगाता है।

8. 'A' signs his own name to a Bill of Exchange, intending that it may be believed that the bill was drawn by another person of same name. 'A' has committed the offence of
'क' एक विनिमय-पत्र पर अपने हस्ताक्षर इस आशय से करता है कि यह विश्वास कर लिया जाय कि वह विनिमय-पत्र उसी नाम से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखा गया है। 'क' ने अपराध किया है:

(a) Cheating/छल का
(b) Mischief/रिष्टि का
(c) Forgery/कूट-रचना का
(d) Fabricating false evidence/मिथ्या साक्ष्य गढ़ने का

UK PCS (J) 2019
Uttarakhand (J) 2019

Ans. (c) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 464 के स्पष्टीकरण 1 के दृष्टांत (a) पर आधारित है, जिसके अनुसार किसी व्यक्ति का स्वयं अपने नाम का हस्ताक्षर करना कूटरचना की कोटि में आ सकेगा। अतः प्रस्तुत समस्या में 'A' ने कूट रचना की है।

9. 'A' signs his own name to a document intending that the document was signed by another person of the same name. Which of the offences defined in IPC is committed by 'A'
'अ' किसी दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर इस आशय से बनाता है कि इस हस्ताक्षर को उसके नाम के ही किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किया गया माना जाए। 'अ' ने भारतीय दण्ड संहिता की किस धारा के अंतर्गत अपराध किया है–

(a) Section 461/धारा 461
(b) Section 464/ धारा 464
(c) No offence/कोई अपराध नहीं
(d) Section 491/ धारा 491

Chhattishgarh (J) 2014

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

10. Z's will contains these words: "I direct that all my remaining property be equally divided between 'A', 'B' & 'C'. 'A' dishonestly scratches out B's name, intending that it may be believed that whole was left to himself and 'C'. What offence 'A' has committed under Indian Penal Code, 1860?
'य' की वसीयत में ये शब्द अन्तर्विष्ट है कि 'मैं निदेश देता हूँ कि मेरी समस्त शेष सम्पत्ति 'क', 'ख' और 'ग' में बराबर बांट दी जाए। 'क' बेईमानी से 'ख' का नाम इस आशय से खुरच डालता है कि यह विश्वास कर लिया जाए कि समस्त सम्पत्ति उसके स्वयं के लिए और 'ग' के लिए ही छोड़ी गई थी। 'क' ने भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अन्तर्गत कौन सा अपराध किया है?

(a) Cheating /छल
(b) Forgery/कूटरचना
(c) Counterfeit/कूटकरण
(d) None of the above option/उपरोक्त में से कोई विकल्प नहीं

Rajasthan (J)2021

Ans. (b) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 464 के दृष्टांत (f) पर आधारित है, जिसमें A कूटरचना का अपराध किया है।

11. "A" having lost the receipt for debt which he has paid to "B" makes out another recipt himself and when "B" sues him puts up the made-up receipt in evidence. In this case:
''अ'' ने ''ब'' से ऋण लिया था जिसका भुगतान वह कर चुका था परन्तु उसकी रसीद उससे खो गई थी, उस भुगतान की वह दूसरी रसीद बना लेता है। जब ''ब'' उस

पर पुन: भुगतान का दावा करता है तो उस रसीद को ''अ'' साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करता है। इस मामले में:

(a) "A" is guilty of the offence of forgery
''अ'' कूटरचना के अपराध का दोषी है

(b) "A " is guilty of no offence
''अ''किसी अपराध का दोषी नहीं है।

(c) "A" is guilty of cheating "B"
''अ'', ''ब'' के साथ छल करने का दोषी है।

(d) none of the above answer is correct
उपरोक्त में से कोई उत्तर सही नहीं है।

UPPCS (J) 2003

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा 471** के अनुसार, "A" किसी अपराध का दोषी नहीं है। धारा 471 में प्रावधान किया गया है कि जो कोई किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को जिसके बारे में वह यह जानता हो कि वह कूटरचित है कपटपूर्वक या बेइमानी से असली के रूप में उपयोग करता है तो वह कूटरचना के लिए दण्डित किया जायेगा।
प्रस्तुत समस्या में "A" कूटरचित रसीद का साक्ष्य के रूप में उपयोग करता है। अतः किसी अपराध का दोषी नहीं होगा।

12. Falsification of account is an offence being a clerical officer or servant or being employed or acting in the said relation.
लिपिक, अधिकारी या सेवक होते हुए अथवा उक्त नाते नियोजित होते हुए या कार्य करते हुए लेखा का मिथ्याकरण अपराध है–

(a) Indian Panel Code 447/477 भा.दं.सं.
(b) Indian Panel Code 476 /476 भा.दं.सं.
(c) Indian Panel Code 477-A /477-क भा.दं.सं.
(d) Indian Panel Code 475 /475 भा.दं.सं.

MP (HJS) 2019

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 477A के अनुसार, जो कोई लिपिक, आफिसर या सेवक होते हुए या नियोजित होते हुए या कार्य करते हुए किसी पुस्तक इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, कागज, लेख, मूल्यावान प्रतिभूति या लेखा को जो उसके नियोजक का हो या नियोजक के कब्जे में हो या जिसे उसने नियोजक के लिए या उसकी ओर से प्राप्त किया हो जान-बूझकर और कपट करने के आशय से नष्ट, परिवर्तित, विकृत, या मिथ्याकृत करेगा अथवा किसी ऐसी पुस्तक इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख कागज लेख मूल्यावान प्रतिभूति या लेखा से जानबूझकर कपट करने के आशय से कोई मिथ्या प्रविष्टि करेगा या करने का दुष्प्रेरण करेगा या उसमें से या उसमें किसी तात्विक विशिष्ट का लोप या परिवर्तन करेगा या करने का दुष्प्रेरण करेगा वह दोनों में से किसी की भांति के कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

13. A Patwari while preparing a revenue record, intentionally enters incorrect facts in the documents and signs & certifies the same with the intention of causing loss to the true owner of the land. The Patwari is guilty of–
एक पटवारी राजस्व अभिलेख तैयार करते समय, आशय पूर्वक, दस्तावेजों में गलत तथ्यों को प्रविष्ठ करता है और उसे भूमि के वास्तविक स्वामी को हानि कारित करने के आशय से हस्ताक्षरित एवं सत्यापित करता है। पटवारी दोषी है–

(a) Offence of creating false/forged documents punishable under Sections 467 and 468 IPC./भारतीय दण्ड संहिता की धारा 467 और 468 के अन्तर्गत दण्डनीय, मिथ्या/कूटरचित दस्तावेज बनाने के अपराध का।

(b) Offence of using a forged document punishable under Section 471 IPC./भारतीय दण्ड संहिता की धारा 471 के अन्तर्गत दण्डनीय, कूटरचित दस्तावेज को प्रयुक्त करने के अपराध का।

(c) Offence of criminal breach of trust punishable under Section 406 IPC./भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406 के अन्तर्गत दण्डनीय, आपराधिक न्यासभंग के अपराध का।

(d) None of the above./उपरोक्त में से कोई नहीं।

Rajasthan (J) 2017

Ans. (d) : प्रस्तुत समस्या में पटवारी भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 477-A के अंतर्गत लेखा के मिथ्याकरण, का दोषी है।

14. Which section of the Indian Penal code deals with property marks?/ भारतीय दण्ड संहिता की कौन-सी धारा 'सम्पत्ति चिन्ह' से सम्बन्धित है?

(a) Section 478/धारा 478
(b) Section 476/धारा 476
(c) Section 479/धारा 479
(d) Section 480/धारा 480

BPSC (APO) 2009

Ans : (c) भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 479 'सम्पत्ति चिन्ह' से सम्बन्धित है। इस धारा के अनुसार, वह चिन्ह, जो यह द्योतन करने के लिए उपयोग में लाया जाता है कि जंगम सम्पत्ति किसी विशिष्ट व्यक्ति की है, सम्पत्ति चिह्न कहा जाता है।

15. Which one of the following section of the Indian Penal Code relates with punishment for counterfeiting currency notes or Bank notes?
निम्न में से भारतीय दण्ड संहिता की कौन सी धारा करेन्सी नोटों अथवा बैक नोटों के कूटकरण के अपराध से संबंधित है?

(a) Section 489A/धारा 489A
(b) Section 489B/धारा 489B
(c) Section 489C/धारा 489C
(d) Section 489D/धारा 489D

Chhattishgarh (J) 2020

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 489A करेंसी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण के अपराध से संबंधित है। धारा 489A के अनुसार, जो यह अपराध कारित करेगा वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

16. Section-489A of I.P.C. is related to:-
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 489 A संबंधित है–

(a) Property mark /सम्पत्ति चिह्न से
(b) Falsification of account /लेखा के मिथ्याकरण से

(c) Counterfeiting currency notes and bank notes करेन्सी नोटों तथा बैंक नोटों के कूटकरण से
(d) Counterfeiting a mark used by a public servant लोक सेवक द्वारा उपयोग में लाये गये चिह्न के कूटकरण से

Chhattishgarh (ADPO) 2008

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

सेवा संविदाओं के अपराधिक भंग (धारा 490-492)

17. Under which Section of the Indian Penal Code, it is omission, and not an act, which is an offence?/भारतीय दण्ड संहिता की किस धारा के अन्तर्गत 'लोप' न कि कोई कार्य, अपराध है?

(a) Section 491/धारा 491
(b) Section 296/धारा 296
(c) Section 468/धारा 468
(d) Section 508/धारा 508

Uttarakhand (J) 2006

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 491 के अन्तर्गत कोई लोप न कि कोई कार्य अपराध है। धारा 491 में प्रावधान किया गया है कि जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति की, जो किशोरावस्था या चित्तविकृति या रोग या शारीरिक दुर्बलता के कारण असहाय है या अपनी निजी आवश्यकताओं की पूति करने के लिए असमर्थ है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विधिपूर्ण संविदा द्वारा आबद्ध होते हुए स्वेच्छया ऐसा करने में लोप करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकेगी या 200 रुपये तक के जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

विवाह सम्बन्धी अपराध (धारा 493-498)

18. In which of the following offence mens rea is not an essential element under Indian Penal Code?/भारतीय दण्ड संहिता के निम्न में से किस अपराध के लिए दुराशय एक आवश्यक तत्त्व नहीं है?

(a) Bigamy/द्विविवाह के
(b) Murder/हत्या के
(c) Theft/चोरी के
(d) Robbery/लूट के

Uttarakhand (APO) 2015
Uttarakhand (J) 2012, 2016
UP (APO) 2015

Ans. (a) : सामान्यतः किसी अपराध को गठित करने के लिए दोषी मस्तिष्क अर्थात् दुराशय (mens rea) का होना आवश्यक है। जिन अपराधों में दुराशय की आवश्यकता नहीं रहती है, ऐसे अपराध कठोर दायित्व या पूर्ण दायित्व के अपराध कहे जाते है। कुछ अपराध ऐसे है जिनमें दुराशय एक आवश्यक तत्व नहीं है-
(1) द्विविवाह (Bigamy)
(2) लोक उपताप (Public nuisance)
(3) वैयक्तिक अपलेख (Private libel)
(4) न्यायालय की मानहानि (contempt of Court)
(5) अपहरण (Abduction)

19. In which of the following offence criminal intention (mens rea) is irrelevant? निम्नलिखित में से किस अपराध के लिए आपराधिक आशय (आपराधिक मनःस्थिति) महत्वहीन है?

(a) Attempt to commit crime/अपराध कारित करने का प्रयत्न
(b) Food adulteration/खाद्य अपमिश्रण
(c) Bigamy/द्विपत्नीकरण
(d) Dacoity/डकैती

MP (ADPO) 2009, 2010
UP(APO) 2015

Ans.(c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

20. The law of bigamy does not apply where: द्विविवाह विधि लागू नहीं होती जहाँ

(a) There was no mens rea/यदि आपराधिक मनःस्थिति नहीं है
(b) The other spouse was living in a shared house/दूसरा/दूसरी पति/पत्नी एक ही मकान के हिस्से में रहते थे
(c) Bonafide reasons to believe that spouse was dead/यदि भरोसे के योग्य सद्भावपूर्वक कारण हो कि पति/पत्नी की मृत्यु हुई है
(d) None of these are correct/इनमें से कोई सही नहीं

MP (ADPO) 2016 Paper-II
UGC NET (June) 2011

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 494 में द्विविवाह के अपराध के लिए दण्ड का प्रावधान किया गया है। धारा 494 के अपवाद के अनुसार द्विविवाह विधि वहाँ लागू नही होती जहाँ भरोसे योग्य सद्भावपूर्वक कारण हो कि पति/पत्नी की मृत्यु हुई है।

21. Who are affected by Section 494 of I.P.C. relating to the crime of bigamy/द्विविवाह-अपराध से संबंधित भारतीय दण्ड संहिता की धारा 494 से कौन प्रभावित होते हैं?

(a) Only male Hindus /केवल हिन्दू पुरुष
(b) Male and female Hindus/हिन्दू पुरुष एवं हिन्दू महिलाएँ
(c) Male Muslims/मुस्लिम पुरुष
(d) Male of all religions/सभी धर्मों के पुरुष

MP (ADPO) 2008 Paper-II

Ans. (b): भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 494 के अनुसार जो कोई पति या पत्नी के जीवित होते हुए उसके जीवन काल में विवाह करेगा वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा। धारा 494 से स्पष्ट है कि द्विविवाह से पुरुष एवं महिला समान रूप से प्रभावित होते हैं। द्विविवाह का प्रावधान सभी धर्म की महिलाओं पर तथा हिन्दू पुरुष पर लागू होगा।

22. Sarla Mudgal, President of Kalyani vs. Union of India is a case on which of the follwoing? सरला मुद्गल, प्रेसीडेंट, कल्याणी बनाम भारत संघ प्रकरण निम्नलिखित में से किससे सम्बंधित है?

(a) Rape/बलात्संग
(b) Adultery/जारकर्म

(c) Bigamy/द्विविवाह
(d) Kidnapping/व्यपहरण

Bihar (APO) 2020
UPPCS (J) 2015

Ans. (c) : सरला मुद्गल, प्रेसीडेंट, कल्याणी बनाम भारत संघ, 1995(S.C.) का वाद भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 494 में प्रावधानित द्विविवाह से सम्बन्धित है।

23. Under which of the following Sections of Indian Penal Code, "Marriage ceremony fraudulently gone through without lawful marriage" is punishable?
भारतीय दण्ड संहिता की निम्नांकित में से किस धारा में ''विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्ण विवाहकर्म के पूरा कर लेना'' दण्डनीय है?
(a) Section 494/धारा 494 में
(b) Section 496/धारा 496 में
(c) Section 495/धारा 495 में
(d) Section 498/धारा 498 में

Uttarakhand (APO) 2015

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा 496** 'विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्ण विवाह कर्म को पूरा कर लेना' को परिभाषित करती है। जिसके अनुसार, जो कोई बेईमानी से या कपटपूर्ण आशय से विवाहित होने का कर्म यह जानते हुए पूरा करेगा कि तद्द्वारा वह विधिपूर्वक विवाहित नहीं हुआ है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

24. In Joseph shine Vs. Union of India Supreme Court of India declared which section of I.P.C. ultra-vires?
जोसेफ साईन विरूद्ध भारत संघ के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दण्ड संहिता की किस धारा को असंवैधानिक करार दिया है?
(a) Section 494/धारा 494
(b) Section 495/धारा 495
(c) Section 498/धारा 498
(d) Section 497/धारा 497

MPHC CJ 2019 Shift-II

Ans. (d) : जोसेफ साइन बनाम भारत संघ, 2018 (S.C.) के वाद में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 497 को असंवैधानिक करार दिया, जो जारकर्म को प्रावधानित करता है।

25. Section 497 IPC, which punishes only a male participant in the offence of adultery is intra vires, in view of which provision of the Constitution of India–
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 497, जारता के अपराध के लिए केवल पुरुष को दण्डित किया जाना अधिकारिता के अन्तर्गत है, भारतीय संविधान के किस प्रावधान के संदर्भ में है-
(a) Article 14/अनुच्छेद 14
(b) Article 15(3)/अनुच्छेद 15(3)
(c) Article 16(4)/अनुच्छेद 16(4)
(d) Article 21/अनुच्छेद 21

UP (HJS) 2014

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 497, जारता के अपराध के लिए केवल पुरुष को दण्डित किया जाना अधिकारिता के अन्तर्गत है, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 (3) के सन्दर्भ में प्रावधानित है।
नोट-जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ (2018) के वाद में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 497 को संवैधानिक घोषित किया गया।

26. Aultery as defined under section 497 of I.P.C. is an affence agaist:
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 497 में परिभाषित जारता, किसके विरुद्ध होने वाला एक अपराध है?
(a) wife/पत्नी
(b) husband/पति
(c) both (a) & (b)/ (a) और (b) दोनों
(d) Either (a) or (b)/या तो (a) या (b)

BPSC (APO) 2009

Ans : (b) भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 497 जारता के अपराध के लिए केवल पुरुष को दण्डित किया जाता है और यह अपराध महिला के पति के विरूद्ध किया जाता है, जारता के अपराध में महिला को दोषी नहीं माना जाता है।
नोट-जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ (2018) के वाद में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 497 को संवैधानिक घोषित किया गया।

27. A married woman commits the offence of adultery if she has sexual intercourse with a/an
कोई विवाहित महिला जारता का अपराध करती है, यदि वह मैथुन करती है?
(a) married man except her husband/अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य विवाहित पुरुष के साथ
(b) unmarried man/अविवाहित पुरुष के साथ
(c) married man without his consent/विवाहित पुरुष के साथ उसकी सम्मति के बिना
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

JPSC (APO) 2012

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 497 के अनुसार, यदि कोई पुरूष (विवाहित या अविवाहित) किसी विवाहित महिला के साथ उसके पति की सम्मति या मौनानुकूलता के बिना जारकर्म करता है तो वह इस धारा के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।
नोट-जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ (2018) के वाद में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 497 को संवैधानिक घोषित किया गया।

28. A person commits adultery under the Indian Penal Code if he has sexual Intercourse.
भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत एक व्यक्ति जारकर्म करता है, यदि वह लैंगिक संभोग करता है–
(a) with an unmarried/अविवाहिता महिला के साथ
(b) with married woman/विवाहिता महिला के साथ
(c) with married woman other than the wife/पत्नी के अलावा अन्य विवाहिता महिला के साथ
(d) with married woman without her husbands consent /विवाहिता महिला के साथ, उसके पति की सहमति के बिना

MP (HJS) 2018

Ans. (d) :उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

29. Adultery is 'not an offence if the intercourse is made with the
जारता अपराध नहीं है, यदि मैथुन में सहमति है–

(a) consent of the parties/पक्षकारों की
(b) consent of the woman/स्त्री की
(c) consent of the wife/पत्नी की
(d) consent of the husband/पति की

Uttarakhand (J) 2002
JPSC (APO) 2012

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 497 में 'जारता' को परिभाषित किया गया है। इस धारा के अनुसार कोई व्यक्ति किसी अन्य पुरुष की पत्नी से उस पुरुष (महिला का पति) की सहमति से मैथुन करता है, तो वह जारता के अपराध का दोषी नहीं है।

नोट-जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ (2018) के वाद में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 497 को संवैधानिक घोषित किया गया।

30. "B" a married women voluntarily indulges in sexual intercourse with the consent of her husband with a married man "A". "A" is guilty of :
'ब' एक विवाहित स्त्री, स्वैच्छया से अपने पति की सहमति से एक विवाहित पुरुष 'अ' के साथ सम्भोग करती है। 'अ' दोषी है–

(a) Adultery/व्याभिचार का
(b) Rape/बलात्कार का
(c) Abatement/दुष्प्रेरण का
(d) None of the above/उपरोक्त में से किसी का नहीं

Rajasthan (DJC) 2015

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

31. 'A' has sexual intercourse with an adult married woman whom he knows to be wife of another man, without the consent or connivance of that man but with the consent of that woman. 'A' is guilty of—
'क' एक व्यस्क विवाहित स्त्री के साथ जिसको वह किसी अन्य पुरुष की पत्नी होना जानता है, उस पुरुष की सम्मति या मौनानुकूलता के बिना किन्तु उस स्त्री की सम्मति से मैथुन करता है। 'क' दोषी है-

(a) Rape /बलात्संग का
(b) Adultery /जारकर्म का
(c) Insulting the modesty of the woman
स्त्री की लज्जा का अनादर करने का
(d) No offence /किसी भी अपराध का नहीं

MPHC CJ 2002

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

32. A married man commits adultery if he commits sexual intercourse with
यदि विवाहित पुरुष निम्नलिखित के साथ संभोग करता है, वह व्यभिचार/परस्त्रीगमन करता है:

(a) A teen aged girl/किशोरावस्था की लड़की
(b) An unmarried woman/अविवाहित स्त्री
(c) Any woman who is not his wife
कोई भी स्त्री जो उसकी पत्नी नहीं है
(d) Married woman/विवाहित स्त्री

UGC (NET) December, 2012 Paper-III
MPHC (CJ)2009, 2016

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

33. Adultery is an offence committed
जारकर्म का अपराध कारित किया जाता है:

(a) with the consent of a married woman
किसी विवाहित स्त्री के साथ उसकी सम्मति से।
(b) with the consent of a woman
किसी स्त्री के साथ उसकी सम्मति से।
(c) without the consent of a woman but with the consent of her husband/किसी स्त्री के साथ बिना उसकी सम्मति के, किन्तु उसके पति की सम्मति से।
(d) with the consent of a minor girl/किसी अल्पवय की लड़की के साथ उसकी सम्मति से।

Uttarakhand (J) 2009

Ans. (a) : भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 497 में परिभाषित जारकर्म के अपराध का गठन तभी होता है जब लैंगिक सम्भोग विवाहित महिला की सम्मति से किया गया हो, जबकि यदि लैंगिक सम्भोग विवाहित महिला की सम्मति के बगैर किया जाता है तो वह बलात्संग की कोटी में आयेगा।

34. With whom the offence of adultery may be committed under the Indian Penal Code?
भारतीय दण्ड संहिता के अधीन 'जारकर्म' का अपराध किसके साथ किया जा सकता है?

(a) Married woman/विवाहिता स्त्री के साथ
(b) Unmarried woman/अविवाहिता स्त्री के साथ
(c) Both (a) and (b) above/उपर्युक्त (a) तथा (b) दोनों
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

Uttarakhand (APO) 2009

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

35. Illicit intercourse implies:
विधि विरुद्ध संभोग का आशय है–

(a) Rape/बलात्कार
(b) Prostitution/वेश्यावृत्ति
(c) Sex between two persons not united by lawful marriage/विधिवत विवाह द्वारा न जुड़े दो व्यक्तियों के बीच यौन सम्बन्ध
(d) Sex with a sleeping woman/निद्रा में या निष्क्रिय स्त्री के साथ यौन सम्बन्ध

UGC (NET) June, 2010

Ans. (c) : विधि विरुद्ध संभोग का आशय उस स्थिति से है जब विधिवत विवाह द्वारा न जुड़े दो व्यक्तियों के बीच यौन सम्बन्ध होता है।

36. In which of the following cases, the Supreme Court has remarked that 'husband is not the master of his wife'?
निम्न में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि 'पति अपनी पत्नी का स्वामी नहीं है'?

(a) Joseph Shine V. Union of India./जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ
(b) Sarla Mudgal, President, Kalyani V. Union of India./सरला मुद्गल, प्रेसीडेंट, कल्याणी बनाम भारत संघ
(c) Lily Thomas V. Union of India/लिली थामस बनाम भारत संघ
(d) Kailash Singh V. Priti Pratihar/कैलाश सिंह बनाम प्रीती प्रतिहार

UPPCS (J)-2018

Ans. (a) : जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ, 2018 (SC) के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि 'पति अपनी पत्नी का स्वामी नहीं है।' यह वाद धारा 497 जारकर्म से संबंधित है।

37. The Supreme Court of India has upheld the constitutional validity of Section 497 of Indian Penal Code (Adultery) in :
भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 497 (जारकर्म) की संवैधानिक मान्यता को घोषित किया है

(a) Suit, Sowmithri Vishnu v. Union of India/ श्रीमती सौमित्रि विष्णु बनाम भारत संघ के वाद में
(b) K.M. Nanawati v. State of Maharastra/के.एम. नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य के वाद में
(c) Priya Bala Ghosh v. Suresh/प्रियबाला घोष बनाम सुरेश चन्द्र घोष के वाद में
(d) Sukhbeer Singh v. State of Haryana/सुखबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य के वाद में

UP (APO) 2007

Ans : (a) श्रीमती सौमित्रि विष्णु बनाम भारत संघ एवं अन्य (1985 S.C.) के वाद में न्यायालय ने अवधारित किया की भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 497 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 15 के उल्लंघन में नहीं है।

38. Section 497 of Indian Penal Code is struck down by the Supreme Court in which of the following case?
भा.द.स. की धारा 497 को उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस वाद में निरस्त किया है?

(a) Navtej Singh Johar v. Union of India/नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ
(b) Joseph Shine v. Union of India/जोसेफ साइन बनाम भारत संघ
(c) Tahsean S. Poonawala v. Union of India/तहसीन एस. पूनावाला बनाम भारत संघ
(d) Naz Foundation Trust v. Suresh Kumar Kaushal/नाज फाउन्डेशन ट्रस्ट बनाम सुरेश कुमार कौशल

Uttarakhand (J) 2019
Jharkhand (J) 2019

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

39. 'A' entices away B's wife from the house of 'B'. 'A' has committed the offence under:
'अ', 'ब' की पत्नी को 'ब' के घर से फुसला कर ले जाता है। 'अ' ने अपराध कारित किया है, अधीनः

(a) Section 498-A I.P.C./धारा 498-क, भा.दं.सं. के
(b) Section 498 I.P.C./धारा 498, भा.दं.सं. के
(c) Section 497 I.P.C./धारा 497, भा.दं.सं. के
(d) Section 493-A I.P.C./धारा 493, भा.दं.सं. के
(e) None of these/इनमें से कोई नहीं

Chhattishgarh (ADPO) 2013

Ans. (b) : प्रस्तुत समस्या में 'अ' भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा-498 के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए दण्डित किया जाएगा।
भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 498 के अनुसार जो कोई विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जायेगा या किसी व्यक्ति के साथ अयुक्त संभोग करने के आशय से किसी स्त्री को छिपायेगा या निरुद्ध करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

40. Punishment for luring or currying or detaining married women with criminal intent./विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाने या ले जाने या निरुद्ध रखने के लिए दण्ड है

(a) only two year/केवल दो वर्ष
(b) only three year/केवल तीन वर्ष
(c) two year or fine/ दो वर्ष या जुर्माना
(d) two year or fine or bath/दो वर्ष या जुर्माना या दोनों

BPSC (APO) 2009

Ans : (d) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

41. For the offences relating to marriage under Indian Penal Code, the minimum punishment has been provided under
भारतीय दण्ड संहिता के अधीन विवाह से संबंधित अपराधों में न्यूनतम दण्ड या सजा है

(a) Sections 493 and 494/धारा 493 व 494 में
(b) Section 498/धारा 498 में
(c) Section 497/धारा 497 में
(d) Section 495/धारा 495 में

Uttarakhand (APO) 2015

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

अध्याय – 21

पति या पति के नातेदारों द्वारा क्रूरता (धारा 498A)

1. Which Section of Indian Penal Code defines 'cruelty'?
भारतीय दण्ड संहिता की किस धारा में क्रूरता की परिभाषा दी गई है?

(a) Section 304-B/धारा 304-ख
(b) Section 356/धारा 356
(c) Section 376-A/धारा 376-क
(d) Section 498-A/धारा 498-क

Uttarakhand (J) 2011
Bihar (APO) 2020
MPHC (CJ) 2009

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 498A में क्रूरता की परिभाषा दी गई है। धारा 498A के स्पष्टीकरण के अनुसार क्रूरता से अभिप्रेत है-
(क) जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की या उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को (जो मानसिक हो या शारीरिक) गम्भीर क्षति का खतरा कारित करने की सम्भावना है, या
(ख) किसी स्त्री को तंग करना, जहाँ उसे या उससे सम्बन्धित किसी व्यक्ति को किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधिविरूद्ध मांग को पूरी करने के लिए प्रपीड़ित करने की दृष्टि से या उसके अथवा उससे सम्बन्धित किसी व्यक्ति के ऐसे माँग पूरी करने में असफल रहने के कारण इस प्रकार तंग किया जा रहा है।

2. Which section of the IPC provides for punishment for subjecting women to cruelty?
निम्न में से भारतीय दण्ड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं के प्रति क्रूरता करने के लिए सजा का प्रावधान करती है?

(a) Section 498/धारा 498
(b) Section 498A/धारा 498A
(c) Section 498B/धारा 498B
(d) Section 375/धारा 375

Chhattishgarh (J) 2015

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 के धारा 498A महिलाओं के पति क्रूरता करने के लिए सजा का प्रावधान करती है। इस धारा के अन्तर्गत किसी स्त्री के पति या उसके नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करने के लिए तीन वर्ष तक के कारावास और जुर्माना दण्ड का प्रावधान किया गया है।

3. Section 498A of Indian Penal Code was enacted to
भारतीय दंड संहिता की धारा 498 क को क्यों अधिनियमित किया गया है?

(a) to meet the cases of child marriage
बाल विवाह के मामले रोकने के लिए
(b) to meet the cases of dowry deaths
दहेज मृत्यु के मामले रोकने के लिए
(c) to meet the cases of sexual harrasment
यौन उत्पीड़न के मामले रोकने के लिए
(d) all the above/उपर्युक्त सभी

Uttarakhand (J) 2012
Uttarakhand (APO) 2021

Ans : (b) भारतीय दण्ड सहिंता 1860 की धारा 498A को दहेज मृत्यु के मामले को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया। धारा 498-क के तहत किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना, से संबंधित विधि का प्रावधान किया गया है। यह धारा 1983 के अधिनियम संख्या 46 द्वारा अन्तः स्थापित की गई।

4. Under section 498-A of I.P.C. cruelty includes/ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498-A के अन्तर्गत निर्दयता में निहित है

(a) Physical cruelty only/केवल शारीरिक निर्दयता
(b) Mental cruelty only/केवल मानसिक निर्दयता
(c) Harassment of the woman/स्त्री का उत्पीड़न
(d) Cruelty by wife/पत्नी द्वारा निर्दयता

UP (APO) 2006

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 498-A के स्पष्टीकरण में क्रूरता को परिभाषित किया गया है। क्रूरता से अभिप्रेत है जानबूझकर किया गया कोई आचरण जिससे उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की या उस स्त्री के जीवन अंग या स्वास्थ्य को (चाहे वह मानसिक हो या शारीरिक) गम्भीर क्षति या खतरा कारित करने की सम्भावना है, या किसी स्त्री को तंग करना, जहाँ उसे या उससे सम्बन्धित किसी व्यक्ति को किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधिविरूद्ध मांग को पूरी करने के लिए प्रपीड़ित करने की दृष्टि से या उसके अथवा उससे सम्बन्धित किसी व्यक्ति के ऐसे माँग पूरी करने में असफल रहने के कारण इस प्रकार तंग किया जा रहा है। यह धारा 1983 के संशोधन के द्वारा

अंतः स्थापित की गयी। शब्द ''निर्दयता'' (क्रूरता) में स्त्री का उत्पीड़न निहित है।

इन्दरराज मालिक बनाम सुनीता मलिक के वाद में ''क्रूरता'' का परिभाषित करते हुए न्यायालय ने कहा कि किसी सम्पत्ति या मूल्वाान प्रतिभूति की अवैध माँग करना महिला का उत्पीड़न करना है।

5. Under Section 498-A of IPC cruelty includes/धारा 498-A, भारतीय दण्ड संहिता में क्रूरता के अंतर्गत आता है :

(a) harassment of woman/महिला का उत्पीड़न
(b) physical cruelty only/केवल शारीरिक क्रूरता
(c) mental cruelty only/केवल मानसिक क्रूरता
(d) All of the above/उपर्युक्त सभी

MP (ADPO) 2010 Paper-II

Ans. (d): उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

6. Under Section 498-A cruelty means mental and physical torture-
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498-क के अंतर्गत अपराध के लिए अभिव्यक्त ''क्रूरता'' में मानसिक तथा शारीरिक दुःख और क्लेश सम्मिलित हैः

(a) Right/सही है
(b) Wrong/गलत है
(c) Only demand of dowry includes/केवल दहेज की मांग शामिल है
(d) Only physical torture includes/केवल शारीरिक दुःख शामिल है

Chhattishgarh (J) 2004

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

7. Which 'mens rea' element is expressly used in Section 498-A of IPC, 1860?
धारा 498क, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में कौन सा ''मेंस रिया'' तत्व अभिव्यक्त रूप से प्रयुक्त हैं?

(a) Intentional conduct/साशय आचरण
(b) Negligent conduct/उपेक्षापूर्ण आचरण
(c) Wilful conduct/जानबूझकर आचरण
(d) Reason to believe/विश्वास करने का कारण

JPSC (APO) 2019

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 498-क में 'मेंस रिया' तत्व के रूप में 'जानबूझकर आचरण' (Wilful conduct) अभिव्यक्ति रूप से प्रयुक्त है।

8. Whoever, being the husband or relative of the husband of a woman, subjects to such woman to cruelty shall be punished with .....
जो कोई, किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए, ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वह दण्डनीय होगा-

(a) imprisonment for a term which may extend to two years/ऐसे कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी
(b) fine only/केवल जुर्माने से
(c) imprisonment for a term which may extend to three years and shall also be liable to fine/ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी तथा जुर्माने का भी दायी होगा
(d) None of the above/उपरोक्त किसी से नहीं

Uttarakhand (APO) 2015

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा 498-A** के अनुसार, जो कोई किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए, ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

9. Sec 498-A of the Indian Penal Code, 1860 came into force from
भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 498-क प्रवृत्त हुई है

(a) 25th December, 1983/25 दिसम्बर, 1983 से
(b) 26th December, 1986/26 दिसम्बर, 1986 से
(c) 25th December, 1987/25 दिसम्बर, 1987 से
(d) 25th December, 1988/25 दिसम्बर, 1988 से

UPPCS (J) 2015
UPPCS (J) 2015

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की **धारा 498- A,** 1983 के अधिनियम संख्या 46 द्वारा अन्त: स्थापित की गई जो कि **25 दिसम्बर 1983** से प्रवृत्त हुई है।

अध्याय XX-A (20- A) **धारा 498- A** पति या पति के नातेदारों द्वारा स्त्री के प्रति क्रूरता से संबंधित है।

10. Which one of the following cases pertains to the misuse of Section 498A, IPC?
निम्नलिखित में से कौन-सा एक केस धारा 498A, IPC के दुरुपयोग से सम्बन्धित है?

(a) Naresh Kumar vs. State of Himanchal Pradesh AIR 2017 SC 3859/नरेश कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, AIR 2017 SC 3859
(b) Preeti Gupta vs. State of Jharkhand, AIR 2010 SC 3363/प्रीति गुप्ता बनाम झारखण्ड राज्य, AIR 2010 SC 3363
(c) Rajendra Paswan vs. State of Jharkhand & Others, AIR 2017 Jhar 123/राजेन्द्र पासवान बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य, AIR 2017 Jhar 123
(d) Z. vs. State of Bihar, AIR 2017 SC 3908/जेड़ बनाम बिहार राज्य, AIR 2017 SC 3908

Jharkhand (J) 2019

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498-A किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना से संबंधित प्रावधान करता है।

प्रीति गुप्ता बनाम झारखण्ड राज्य (AIR 2010 SC 3363) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने धारा 498-A भारतीय दण्ड संहिता से संबंधित प्रावधान के दुरुपयोग को रोकने से संबंधित दिशा-निर्देश दिया है।

मानहानि (धारा 499-502)

11. 'A' says - 'Z' is an honest man, he never stole 'B's watch; intending to cause to be believed that 'Z' did steal B's watch. 'A' is liable for
'अ' यह विश्वास कराने के आशय से कि जो 'ज' ने 'ब' की घड़ी अवश्य चुराई है, कहता है कि 'ज' एक ईमानदार व्यक्ति है, उसने 'ब' की घड़ी कभी नहीं चुराई। 'अ' उत्तर दायी है :

(a) No offence/किसी अपराध के लिए
(b) Breach of trust/न्यास भंग के लिए
(c) Defamation/मानहानि के लिए
(d) Theft/चोरी के लिए

Uttarakhand (J) 2012

Ans : (c) प्रस्तुत समस्या में A मानहानि के लिए उत्तरदायी है। प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 499 के दृष्टान्त (a) पर आधारित है। A यह विश्वास कराने के आशय से कि Z ने B की धड़ी अवश्य चुराई है, कहता है, "Z एक ईमानदार व्यक्ति है, उसने B की घड़ी कभी नहीं चुराई।" जब तक कि यह अपवादों में से किसी के अन्तर्गत न आता हो, यह मानहानि है।

12. A drows a picture of Z with the intention of believing that Z has stolen B's watch from which he is running away with B's watch here what offence he has committed./A यह विश्वास करने के आशय से कि Z ने B की घड़ी चुराई है, Z का एक चित्र खींचता है जिसमें वह B की घड़ी लेकर भाग रहा है। यहाँ A ने क्या अपराध कारित किया है?

(a) theft/चोरी
(b) criminal breach of trust /आपराधिक न्यास भंग
(c) defamation/मानहानि
(d) extortion/उद्दापन

BPSC (APO) 2009

Ans : (c) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखे।

13. A, a shopkeeper, to protect his own money says to B, who manages his business–"Sell nothing to Z unless he pays you ready money, for I have no good opinion of his honesty." A is
क, एक दुकानदार, अपनी राशि को सुरक्षित करने के लिए ख, जो उसके कारोबार का प्रबंध करता है, से कहता है कि य को कुछ नहीं बेचना जब तक कि वह तुम्हें नकद धन न दे दे, क्योंकि उसकी ईमानदारी के बारे में मेरी राय अच्छी नहीं है। क उत्तरदायी है

(a) liable for defamation under Section 499 of IPC /धारा 499 भा.द.सं. के अंतर्गत मानहानि के लिए
(b) liable for defamation under Section 496 of IPC/धारा 496 भा.द.सं. के अंतर्गत मानहानि के लिए
(c) liable for defamation under Section 506 of IPC/धारा 506 भा.द.सं. के अंतर्गत मानहानि के लिए
(d) not liable for defamation
मानहानि के लिए उत्तरदायी नहीं है

MPHC CJ 2020

Ans. (d) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 499 में परिभाषित मानहानि के नौवें अपवाद के दृष्टान्त (a) पर आधारित है। प्रस्तुत समस्या में A मानहानि के लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि किसी अन्य के शील पर लांछन लगाना मानहानि नहीं है, परन्तु यह तब जबकि उसे लगाने वाले व्यक्ति के या किसी अन्य व्यक्ति के हित की संरक्षा के लिए, या लोक कल्याण के लिए वह लांछन सद्भावपूर्वक लगाया गया हो।

14. Due to commercial competition, A made a false statement that the food articles of Z company contained any harmful substances. Has he committed any crime?
व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के कारण अ ने मिथ्या कथन किया की जेड कम्पनी की खाद्य वस्तुओं में कोई हानिकारक तत्व है। क्या उसने कोई अपराध किया है?

(a) Defamation/मानहानि
(b) Mischief/रिष्टि
(c) Nuisance/न्युसेंस
(d) No offence/कोई अपराध नहीं

Rajasthan (APO) 2015

Ans. (a) : प्रस्तुत समस्या में A द्वारा किया गया कथन भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 499 में परिभाषित मानहानि के अपराध का दोषी होगा। जो कोई बोले गए या पढ़े जाने के लिए आशयित शब्दों द्वारा या दृश्य-रूपणों द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन इस आशय से लगाता या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि की जाए या यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए लगाता या प्रकाशित करता है, जिससे ख्याति की अपहानि होगी, वह मानहानि करता है।

15. The feeling of hatredness exciting an individual is an offence of:
घृणा की भावना, जो व्यक्ति को उत्तेजित करती है, अपराध है-

(a) Conspiracy/षड्यंत्र
(b) Abetment/दुष्प्रेरण
(c) Defamation/मानहानि
(d) None of above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

UGC (NET) December, 2010

Ans. (c) : धृणा की भावना, जो व्यक्ति को उत्तेजित करती है वह मानहानि का अपराध गठित करती है। मानहानि के तीन अवयव है- 1. व्यक्ति 2. ख्याति तथा 3. उसकी ख्याति को अपहानि जिसमें आवश्यक मनः स्थिति अपेक्षित है।

16. Which of the following is correct?
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

(a) A publisher is responsible for publishing a defamatory statement for first time only and not repeating it/कोई प्रकाशक किसी मानहानिकारक

वक्तव्य को प्रकाशित करने के लिए सिर्फ पहली बार उत्तरदायी होता है, उसे बार-बार दोहराने के लिए नहीं

(b) Only editor and not printer and publisher are responsible for that defamatory statement in the newspaper/समाचार पत्र में प्रकाशित उस मानहानिकारक वक्तव्य के लिए सिर्फ सम्पादक उत्तरदायी होता है न कि मुद्रक और प्रकाशक

(c) Defamaotry imputation concerning any person may be conveyed obliquely or indirectly, or by way of question, conjecture, exclamation or by irony/किसी व्यक्ति से जुड़े मानहानिकारक आरोप को परोक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, अथवा प्रश्न, अटकल, विस्मय या व्यंग के माध्यम से प्रकट किया जाना चाहिए

(d) The court does not distinguish between "character" and "reputation" against defamation/न्यायालय मानहानि के खिलाफ जिम्मेदारी तय करने के लिए ''चरित्र'' और ''ख्याति'' के बीच अंतर नहीं करता है

UGC (NET) November, 2017 Paper-III

Ans. (c) : किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को क्षति करना मानहानि है। मानहानिकारक कथन को परोक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में या प्रश्न, अटकल या व्यंग के माध्यम से प्रकट किया जा सकता है। (धारा 499, स्पष्टीकरण-3)

मानहानिकारक बात की पुनरावृति एक नूतन प्रकाशन है तथा कोई प्रकाशक किसी मानहानिकारक वक्तव्य को प्रकाशित करने के लिए सिर्फ पहली बार उत्तरदायी नहीं होता, बल्कि उसे बार-बार दोहराने के लिए भी उत्तरदायी होता है तथा इससे जुड़े सम्पादक मुद्रक भी जिम्मेदार होते हैं।

17. Defamation can be/मानहानि हो सकती है ?

(a) Only of a living person/केवल जीवित व्यक्ति की

(b) Of a living as well as deceased person/ एक जीवित तथा मृत व्यक्ति की

(c) Of an individual, a company, association or collection of persons/एक व्यक्ति, एक कम्पनी, संघ या व्यक्ति समूह की

(d) Both (b) and (c)/(b) और (c) दोनों को

MP (ADPO) 2009 Paper-II

Ans. (d): भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 499 में मानहानि को परिभाषित किया गया है। धारा 499 के स्पष्टीकरण 1 एवं 2 तथा परिभाषा से स्पष्ट है कि मानहानि जीवित व्यक्ति, मृत व्यक्ति, कम्पनी, संघ (संगम) या व्यक्ति समूह की हो सकती है।

18. How many exceptions have been provided for the offence of defamation under Section 499 of the Indian Penal Code?
भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत धारा 499 के मानहानि के अपराध के कितने अपवादों का प्राविधान किया गया है?

(a) 4 (b) 10
(c) 6 (d) 9

Uttarakhand (J) 2009
MP (ADPO) 1997
Chattishgarh (J) 2018, 2020

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 499 के अन्तर्गत 10 अपवाद है, जो निम्न है-

1. सत्य बात का लांछन जिसका लगाया जाना या प्रकाशित किया जाना लोक कल्याण के लिए अपेक्षित है।
2. लोक सेवकों का लोकाचरण।
3. किसी लोक-प्रश्न के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति का आचरण।
4. न्यायालयों की कार्यवाहियों की रिपोर्टों का प्रकाशन।
5. न्यायालय में विनिश्चित मामले के गुणागुण या साक्षियों तथा सम्पृक्त अन्य व्यक्तियों का आचरण।
6. लोककृति के गुणागुण।
7. किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर विधिपूर्ण प्राधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा सद्भावपूर्वक की गयी परिनिन्दा।
8. प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष सद्भावपूर्वक अभियोग लगाना।
9. अपने या अन्य के हितों की संरक्षा के लिये किसी व्यक्ति द्वारा सद्भावपूर्वक लगाया गया लांछन।
10. सावधानी, जो उस व्यक्ति की भलाई के लिये, जिसे कि वह दी गयी है या लोक-कल्याण के लिए आशयित है।

19. Which one is not an exception of defamation under Section 499 of Indian Penal Code?
निम्न में कौन सा धारा 499 भा.द.स. के अन्तर्गत मानहानि का अपवाद नहीं है?

(a) Public conduct of public servant/लोक सेवकों का लोक आचरण

(b) Malicious statements/द्वेषपूर्ण कथन

(c) Conduct of any person touching any public question/किसी व्यक्ति का लोक प्रश्न से जुड़ा आचरण

(d) Publication of reports of proceedings of court/न्यायालय की कार्यवाहियों की आख्या का प्रकाशन

Uttarakhand (J) 2019

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

20. Which of the following facts does not amount to defamation?
निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य मानहानि की कोटि में नहीं आता है?

(a) stigmatize a dead person/मृत व्यक्ति पर लांछन लगाना

(b) conduct of any person in relation to any public question/किसी लोक प्रश्न के संबंध में किसी व्यक्ति का आचरण

(c) alternative or ironically stigmatization/ अनुकल्प या व्यगोक्ति के रूप में लांछन

(d) none of these/इनमें से कोई नहीं

MP (HJS) 2019

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

21. Which of the following is not a defence in a defamation suit.
निम्न में से कौन-सा मानहानि के मुकदमें में बचाव नहीं होगा?

(a) Conduct of any person touching any public question/लोक प्रश्न के संबंध में किसी व्यक्ति का आचरण

(b) Merits of case decided in court or conduct of witness and other's concerned./न्यायालय में साक्षियों तथा सम्बद्ध अन्य व्यक्तियों का आचरण

(c) act to show a minister having committed on offence./किसी मंत्री को अपराध करते हुए दर्शाने के लिए कार्य करना

(d) Accusation preferred in good faith to outraised person/प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष सद्भावपूर्वक चलाना

Rajasthan (APO) 2005

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 499 में मानहानि को परिभाषित किया गया है। धारा 499 के अधीन 10 अपवाद दिये गये है जिसे अपराध नहीं माना जाता है। निम्नवत कथन अपवाद में आता है-

(1) लोक प्रश्न के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति का आचरण
अपवाद-3

(2) न्यायालय में साक्षियों तथा सम्बन्ध अन्य व्यक्तियों का आचरण अपवाद -5

(3) प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष सद्भावपूर्वक अभियोग चलाना अपवाद - 8

किन्तु किसी मंत्री को अपराध करते हुए दर्शाने के लिए कार्य करना मानहानि के मुकदमें में बचाव के अन्तर्गत नहीं आता है।

22. Under Indian Penal Code, which of the following amounts to defamation-
भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत, निम्नलिखित में से कौन-सा मानहानि की श्रेणी में आता है-

(a) To convey a caution intended for good of person, to whom conveyed or for public good
सावधानी जो उस व्यक्ति की भलाई के लिए जिसे कि वह दी गई है, या लोक कल्याण के लिए आशयित है

(b) To make an imputation concerning a company or an association or collection of persons as such/किसी कंपनी, संगम या व्यक्तियों के समूह के बारे में लगाया गया लांछन

(c) Censure passed in good faith by person having lawful authority over others
किसी अन्य व्यक्ति पर विधिपूर्ण प्राधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा सद्भावनापूर्वक की गई परनिंदा

(d) Publication of reports of proceedings of court
न्यायालय की कार्यवाहियों की रिपोर्टों का प्रकाशन

MPHC (CJ) 2016, 2018 Shift-I

Ans. (b) : मानहानि आपराधिक कृत्य के साथ-साथ एक सिविल दोष भी है। मानहानि को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 499 में परिभाषित किया गया है तथा धारा 500 में मानहानि के लिए दण्ड का प्रावधान किया गया है।

उपरोक्त प्रश्न में निम्नलिखित मानहानि की श्रेणी में नहीं आता

(क) सावधानी जो उस व्यक्ति की भलाई के लिए जिसे कि वह दी गई है, या लोक कल्याण के लिए आशयित है- (अपवाद 10)

(ख) किसी अन्य व्यक्ति पर विधिपूर्ण प्राधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा सद्भावनापूर्वक की गई परनिंदा (अपवाद-7)

(ग) न्यायालय की कार्यवाहियों की रिपोर्टों का प्रकाशन(अपवाद 4)

धारा 499 के स्पष्टीकरण-2 के अनुसार, किसी कम्पनी या संगम या व्यक्तियों के समूह के संबंध में उसकी वैसी हैसियत में कोई लांछन लगाना मानहानि की कोटि में आ सकेगा।

23. Which of the fallowing fact does not amount to defamation/निम्नांकित में से कौन-सी दशा में मानहानि नहीं है?

(a) Publication of any imputation/लांछन का प्रकाशन

(b) Imputation to a deceased/किसी मृतक पर लांछन लगाना

(c) Imputation to a company/ किसी कम्पनी पर लांछन लगाना

(d) Opinion regarding public conduct of a public servant/किसी लोक सेवक के लोक-आचरण के संबंध में राय

MP (ADPO) 2008 Paper-II

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 499 में मानहानि के सम्बन्ध में उपबंध किये गये हैं। धारा 499 के अपवाद 2 के अनुसार किसी लोक सेवक के लोककृत्यों के निर्वहन में लोक सेवक के आचरण के विषय में या उसके आचरण से सम्बन्धित शील के विषय में सद्भावपूर्वक अभिव्यक्त राय मानहानि नहीं है।

24. Which one of the following statements is not defamatory?
निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानहानि कारक नहीं है?

(a) 'A' says about a woman 'B' that she has paramour wherever she goes.
''अ एक महिला ''ब'' के विषय में कहता है कि वह जहाँ जाती है वहीं उसके आशिक होते हैं

(b) 'A' publishes a photograph with a false caption 'Goonda'
''अ'' एक चित्र का प्रकाशन करता है, जिसका शीर्षक ''गुंडा'' मिथ्या है।

(c) "A" says, "I am not surprised that 'B's book is foolish for he is a libertine".
''अ'' कहता है, ''मुझे इस बात का आश्चर्य नहीं है कि ''ब'' की पुस्तक मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि वह एक लम्पट व्यक्ति है।

(d) 'A' in the course of a police investigation says, 'B' may be involved in the murder of 'D' because both of them were bitter enemies.
''अ'' एक पुलिस अन्वेषण के दौरान बयान देता है कि ''ब' का '''द'' की हत्या में हाथ हो सकता है, क्योंकि दोनों में घोर दुश्मनी थी।

UPPCS (J) 2006

Ans. (d) : प्रस्तुत समस्या में A, B के ऊपर सद्भावपूर्वक अभियोग लगाता है अतः मानहानि के अपराध का दोषी नही होगा। भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 499 के अपवाद 8 के अनुसार, किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई अभियोग ऐसे किसी व्यक्ति के समक्ष सद्भावपूर्वक लगाना जो उस व्यक्ति के ऊपर अभियोग की विषय-वस्तु के सम्बन्ध में विधिपूर्ण प्राधिकार रखता हो, मानहानि नही है।

25. 'A' in good faith accuses 'Z' before Magistrate;/ 'अ' एक मजिस्ट्रेट के समक्ष 'ज' पर सद्भाव पूर्वक अभियोग लगाता है;

(a) 'A' has committed on offence/'अ' ने कोई अपराध नहीं किया है

(b) 'A' has committed the offence of defamation/ 'अ' ने मानहानि का अपराध किया है

(c) 'A' has committed the offence of defamation but he can take defence u/s 93 of I.P.C./'अ' ने मानहानि का अपराध किया है, किन्तु वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 93 के अन्तर्गत अपना बचाव कर सकता है

(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

UP (APO) 2006

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

26. A is magistrate, is making report to superior officer about B's character imputation made in good faith and for public good. A commits:
'क' एक मजिस्ट्रेट है, 'ख' के शील के विषय में लांछन लगाते हुए अपने वरिष्ठ अधिकारी को रिपोर्ट भेजता है, जो सद्भावनापूर्वक एवं लोक कल्याण के लिए था, 'क' ने कौन-सा अपराध किया है?

(a) Offence under Section 500 IPC/
धारा 500 भा.द.सं. का अपराध

(b) Offence under Section 501 IPC/
धारा 501 भा.द.सं. का अपराध

(c) No offence as it is within exception under Section 499/
धारा 499 भा.द.सं. के अपवाद के अंतर्गत आने से कोई अपराध नहीं है

(d) Under Section 504 IPC/
धारा 504 भा.द.सं. का अपराध

Chhattishgarh (J) 2003

Ans. (c) : प्रस्तुत समस्या, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 499 के अपवाद-9 के दृष्टांत (b) पर आधारित है जिसके अनुसार 'A' ने कोई अपराध नहीं किया।
धारा 499 के अपवाद-9 के अनुसार, अपने या अन्य के हितों की संरक्षा के लिए किसी व्यक्ति द्वारा सद्भावपूर्वक एवं लोक कल्याण के लिए लगाया गया लाछंन मानहानि नहीं है।

27. 'A' in good faith says of a book published by 'Z' that 'Z's book is indecent, 'Z' must be a man of impure mind. Is this defamation punishable under Section 500 of IPC?
'अ', 'ग' द्वारा प्रकाशित पुस्तक के संबंध में सद्भावनापूर्वक कहता है कि - 'ग' की पुस्तक अशिष्टतापूर्ण है, वह अवश्य ही अपवित्र विचारों का व्यक्ति होना चाहिए। क्या यह भा.द.सं. की धारा 500 के अंतर्गत मानहानि है?

(a) Yes, because the opinion respects 'Z's character/
हाँ, क्योंकि राय 'ग' के चरित्र से संबंध रखती है

(b) No, because it is an exception to section 499/
नहीं, क्योंकि धारा 499 के अपवादों के अंतर्गत आता है

(c) No, because it is slander/
नहीं, क्योंकि वह अपवचन है

(d) No, because it has not been repeated/
नहीं, क्योंकि वह दोहराया नहीं गया है

Chhattishgarh (J) 2004
MPHC (CJ)1996

Ans. (b) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 499 के अपवाद 6 के दृष्टात (d) पर आधारित है जिसके तहत A मानहानि के अपराध का दोषी नहीं है।

28. What does the recent Supreme Court judgement in Subramanium Swami v. Union of India relate to?
सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट का हाल का फैसला किससे संबंधित है?

(a) Right to die/मृत्यु का अधिकार

(b) Upholding Section 499 and 500 (criminal defamation) IPC/
आईपीसी की धारा 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) को बरकरार रखना

(c) Upholding Section 388 IPC/
आईपीसी की धारा 388 को बरकरार रखना

(d) Contempt of Court/न्यायालय की अवमानना

Chhattishgarh (J) 2016
Rajasthan (J) 2016
UPHJS 2018 Paper-II

Ans. (b) : सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ 2018 के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह धारित किया कि भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 499 तथा 500 संवैधानिक है क्योंकि ख्याति का अधिकार अनुच्छेद 21 में प्रावधानित गरिमापूर्ण जीवन का एक अभिन्न अंग है।

अध्याय – 22

आपराधिक अभित्रास, अपमान और क्षोभ (धारा 503-510)

1. Jairam threatens to burn down Pradeep's house with the intention of inducing Pradeep to continue to pursue civil suit. What crime has Jairam committed./ सिविल वाद चलाने से प्रतिविरत रहने के लिए प्रदीप को उत्प्रेरित करने के प्रयोजन से प्रदीप के घर को जलाने की धमकी जयराम देता है। जयराम ने कौन-सा अपराध कारित किया है?

(a) Extortion/उद्दापन
(b) Criminal intimidation/आपराधिक अभित्रास
(c) Cheating/छल
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

BPSC (APO) 2009

Ans : (b) प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 503 के दृष्टान्त पर आधारित है। इस समस्या में जयराम द्वारा आपराधिक अभित्रास का अपराध कारित किया गया है। भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 503 के अनुसार जो कोई किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, ख्याति या सम्पत्ति को, या किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर या ख्याति को जिससे की वह व्यक्ति हितबद्ध हो, कोई क्षति कारित करने की धमकी उस अन्य व्यक्ति को इस आशय से देता है कि उसे संत्रास कारित किया जाये या उससे ऐसी धमकी के निष्पादन का परिवर्जन करने के साधन स्वरूप कोई ऐसा कार्य कराया जाये जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध न हो या किसी ऐसे कार्य को करने का लोप कराया जाए, जिसे करने के लिए वह वैध रूप से हकदार हो, वह आपराधिक अभित्रास करता है।

2. Threatens to burn down B's house for the purpose of inducing B to continue to pursue a civil suit what offence has a committed?
सिविल वाद चलाने से उपरत रहने के लिए, 'ब' को उत्प्रेरित करने के प्रयोजन से 'ब' के घर को जलाने की धमकी 'अ' देता है। 'अ' भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दोषी है:

(a) criminal intimidation/आपराधिक अभित्रास का
(b) house-trespass/गृह भेदन का
(c) mischief /रिष्टि का
(d) wrongful restraint /सदोष अवरोध का

Chhattishgarh (J) 2012
UP(APO)2007
MP(ADPO)2008

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

3. A threatens B that if she does not give him 50,000 rupees, he will publish a derogatory article against him but B did not give the money. Has A committed any crime?
अ ने ब को धमकी दी की अगर वह उसे 50,000 रूपये नहीं देती है तो वह उसके विरूद्ध अपमानजनक लेख प्रकाशित कर देगा परन्तु ब ने रूपये नहीं दिए। क्या अ ने कोई अपराध किया है?

(a) extortion/उद्दापन
(b) robbery/लूट
(c) criminal intimidation/आपराधिक अभित्रास
(d) no offence/कोई अपराध नहीं

Rajasthan (APO) 2015

Ans. (c) : प्रस्तुत समस्या में A ने भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 503 के अन्तर्गत आपराधिक अभित्रास का अपराध कारित किया है। यदि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की ख्याति को क्षति कारित करने की धमकी देता तो वह इस धारा में वर्णित अपराध का दोषी होगा रमेश चन्द्र अरोरा 1960 SC का मामला इससे सम्बन्धित प्रमुख वाद है।

4. "A", house owner tortures his tenant "B" in order to compel him to pay his rent and realises his dues without causing any hurt to "B". Here:
''क'' एक मकान मालिक अपने किरायेदार ''ख'' को इस उद्देश्य से यन्त्रणा देता है कि वह मजबूर होकर उसको मकान का किराया अदा कर दे और इस प्रकार बिना किसी प्रकार की उपहति कारित किए देय राशि वसूल लेता है। यहाँ-

(a) "A" is liable for criminal intimidation under Section 503 of indian Penal Code
''क'', भा0दं0सं0 की धारा 503 के अधीन आपराधिक अभित्रास का दोषी है
(b) "A" is liable for causing criminal force under Section 350 of Indian Penal Code.
''क'', भा0दं0सं0 की धारा 350 के अधीन आपराधिक बल प्रयोग का दोषी है
(c) "A" is liable for extortion under Section 383 of Indian Penal Code
''क'', भा0दं0सं0 की धारा 383 के अधीन उद्दापन का दोषी है।
(d) "A" is liable for assault under Section 351 of Indian Penal Code.
''क'', भा0दं0सं0 की धारा 351 के अधीन हमला के अपराध का दोषी है।

UPPCS (J) 2003

Ans. (a) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड सहिता 1860 की धारा 503 पर आधारित है इस समस्या में A ने धारा 503 के अन्तर्ग आपराधिक अभित्रास के अपराध का दोषी है

5. **'A' Threatens 'B' to injure the reputation of 'C' a deceased in whom 'B' is interested. 'A' has committed:-**
'क', 'ख' को 'ग', जो मृत है तथा जिसमें 'ख' हितबद्ध है, की ख्याति को नुकसान पहुँचाने की धमकी देता है। 'क' ने किया है :
(a) No offence /कोई अपराध नहीं
(b) Defamation /मानहानि
(c) Criminal intimidation /आपराधिक अभित्रास
(d) Both (a) and (b) /(b) और (c) दोनों

Chhattishgarh (ADPO) 2008

Ans.(c): प्रस्तुत समस्या में 'क' ने आपराधिक अभित्रास' का अपराध किया है। धारा 503 आपराधिक अभित्रास को परिभाषित करती है। धारा 503 के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि किसी ऐसे मृत व्यक्ति की ख्याति को क्षति करने की धमकी, जिससे कि वह व्यक्ति, जिसे धमकी दी गई है, हितबद्ध हो, धारा 503 के अन्तर्गत आता है।

6. **Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, is punishable under/लोक शान्ति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से साशय अपमान, दण्डनीय है :**
(a) Section 508 I.P.C./धारा 508 भा.द.सं.
(b) Section 507 I.P.C./धारा 507 भा.द.सं.
(c) Section 503 I.P.C./धारा 503 भा.द.सं.
(d) Section 504 I.P.C./धारा 504 भा.द.सं.

MP (ADPO) 2009 Paper-II

Ans. (d): लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से साशय अपमान, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 504 के अधीन दण्डनीय है। धारा 504 के अनुसार जो कोई किसी व्यक्ति को साशय अपमानित करेगा और तद्द्वारा उस व्यक्ति को इस आशय से या यह सम्भाव्य जानते हुए प्रकोपित करेगा कि ऐसे प्रकोपन से वह लोक-शांति भंग या कोई अन्य अपराध कारित करेगा, वह दो वर्ष तक की दोनों में से किसी भाँति के कारावास की जिसकी अवधि हो सकेगी से या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

7. **Which section of IPC deals with divine displeasure notion?**
आई.पी.सी. की कौन-सी धारा दैवीय नाराजगी (डिवाइन डिसप्लेजर) की अवधारणा से संबंधित है?
(a) Section/धारा 508
(b) Section/धारा 504
(c) Section/धारा 506
(d) Section/धारा 499
(e) Section/धारा 500

Chhattishgarh (ADPO) 2017

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 508 में दैवीय प्रकोपन का भागी होने (डिवाइन डिसप्लेजर) के अपराध की अवधारणा का उपबंध किया गया है।
धारा 508 व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करके कि वह दैवीय अप्रसाद का भाजन होगा, कराये गये कार्य को दण्डनीय बनाती है।

8. **A young man waves a currency note of rupees two thousands in front of a woman as he offers the money for an indecent favour from the woman.Under which section of the I.P.C. will he be prosecuted?**
एक युवा व्यक्ति किसी महिला के सामने दो हजार रुपए का नोट इस तरह लहराता है मानो महिला से किसी अशिष्ट व्यवहार के बदले वह धन देना चाहता है। उसे भा.द.स. की किस धारा के अन्तर्गत अभियोजित किया जाएगा?
(a) Section 509 IPC/धारा 509 में
(b) Section 489-B IPC/धारा 489-B में
(c) Section 508 IPC/धारा 508 में
(d) Section 354-B IPC/धारा 354-B में

UGC NET 2017
Uttarakhand (J) 2019

Ans. (a) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता की धारा 509 पर आधारित है। धारा 509 के अनुसार, जो कोई किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहेगा, कोई ध्वनि या अंग विक्षेप करेगा या कोई वस्तु प्रदर्शित करेगा, इस आशय से कि ऐसी स्त्री द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाय या ऐसा अंगविक्षेप या वस्तु देखी जाय या ऐसी स्त्री के एकान्तता का अतिक्रमण करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

9. **A man used derogatory language for the purpose of teasing a group of women what crime has he committed?**
महिलाओं के एक समूह को चिढ़ने के उद्देश्य से एक व्यक्ति ने मलिनतापूर्ण भाषा का प्रयोग किया। उसने क्या अपराध किया है?
(a) nuisance/न्युसेंस
(b) criminal intimidation /आपराधिक अभित्रास
(c) mischief /रिष्टि
(d) insult the modesty of a women/महिलाओं की लज्जा का अनादर

Rajasthan (APO) 2015

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

10. **Mrs. 'R' lodges a first information report at Police Station with assertion that Mr. 'X' by sending her vulgar message either by forwarding e-mails or through Short Messaging Service (SMS) intrudes upon her privacy. For what offence, the case may be registered against Mr. 'X'?/श्रीमती 'आर' पुलिस थाने पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल करती है कि श्री 'एक्स' उन्हें ई-मेल अग्रेषित कर या लघु संदेश सेवा (एसएमएस) द्वारा भद्दे संदेश भेजकर उनकी एकान्तता का अतिक्रमण कर रहे हैं। श्री 'एक्स' के विरुद्ध किस अपराध हेतु प्रकरण दर्ज किया जा सकता है?**

(a) Section 509 Indian Penal Code and 66-A of the Information Technology Act, 2000/धारा 509 भारतीय दण्ड संहिता एवं 66-क सूचना प्रोद्यौगिकी अधिनियम, 2000

(b) Section 66-A of the Information Technology Act, 2000/66-क सूचना प्रोद्यौगिकी अधिनियम, 2000

(c) Section 509 Indian Penal Code and 66-E of the Information Technology Act, 2000/धारा 509 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 66-ङ सूचना प्रोद्यौगिकी अधिनियम, 2000

(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

Rajasthan (J) 2013

Ans. (c) : प्रस्तुत समस्या में X के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 509 एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66-E के अन्तर्गत मामला दर्ज किया जायेगा। भा0द0सं0 की धारा 509 के अनुसार– जो कोई किसी स्त्री के लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहेगा, कोई ध्वनि या अंग विक्षेप करेगा, या कोई वस्तु प्रदर्शित करेगा, इस आशय से कि ऐसे स्त्री द्वारा ऐसे शब्द या ध्वनि सुनी जाये या ऐसा अंग विक्षेप या वस्तु देखी जाये अथवा ऐसी स्त्री की एकान्तता का अतिक्रमण करेगा, वह सादा कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66-E के अन्तर्गत जो कोई व्यक्ति की एकांतता का अतिक्रमण करने वाली परिस्थितियों में उसकी सहमति के बिना चित्र खीचेगा, प्रकाशित या पारेषित करेगा, वह ऐसे कारावास से जो 3 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो 2 लाख रूपये से अधिक का नहीं हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा।

11. Which one of the following provisions of the Indian Penal Code, punishes to misconduct in public by a drunken person?/निम्न में से भारतीय दण्ड संहिता का कौन सा प्रावधान मत्त व्यक्ति द्वारा लोक-स्थान में अवचार को दण्डित करता है?

(a) Section 507/धारा 507

(b) Section 508/धारा 508

(c) Section 509/धारा 509

(d) Section 510/धारा 510

Uttarakhand (J) 2018

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 510 में प्रावधान किया गया है जो कोई मत्तता की हालत में किसी लोक स्थान में या किसी ऐसे स्थान में जिसमें उसका प्रवेश करना अतिचार हो, आएगा और वहा इस प्रकार का आचरण करेगा जिससे किसी व्यक्ति को क्षोभ हो, वह सदा कारावास से जिसकी अवधि 24 घण्टे तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 10 रुपये तक हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।

12. The minimum duration of imprisonment provided for an offence under the Indian Penal Code is imprisonment for/भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत किसी अपराध के लिए प्रदान की गई कारावास की न्यूनतम अवधि है-

(a) Twenty four hours under Section 511/धारा 511 के अंतर्गत 24 घण्टे

(b) Twenty four hours under Section 510/धारा 510 के अंतर्गत 24 घण्टे

(c) Sentence of 20 hours under Section 510/धारा 510 के अंतर्गत 20 घण्टे की सजा

(d) Sentence of imprisonment till rising of the court under Section 511/धारा 511 के कारावास की सजा अदालत के उठने तक

Jharkhand (J) 2016

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

13. The minimum punishment in term of imprisonment provided under the Indian Penal Code is:
भारतीय दण्ड संहिता के अधीन कारावास के रूप में न्यूनतम सजा है:

(a) 24 hours/चौबीस घण्टे (b) 7 days/7 दिन

(c) two days/दो दिन (d) one month/एक माह

UK PCS (J) 2019
Uttarakhand (J) 2019

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

अपराधों को करने का प्रयत्न (धारा 511)

14. Which chapter of the Indian Penal code deals with attempts to commit offence/ भारतीय दण्ड संहिता का कौन-सा अध्याय 'अपराधों को करने के प्रयत्नों' से सम्बन्धित है?

(a) chapter 13/ अध्याय 13

(b) chapter 23/अध्याय 23

(c) chapter 19/ अध्याय 19

(d) chapter 21/अध्याय 21

BPSC (APO) 2009

Ans : (b) भारतीय दण्ड संहिता 1860 का अध्याय 23 'अपराधों को करने के प्रयत्नों' से सम्बन्धित है।

15. The punishment for attempting to commit offence punishable with imprisonment for life or other imprisonment is provided in
आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दण्डनीय अपराधों को करने के प्रयत्न के लिए दण्ड का प्रावधान किया गया है:

(a) under Section 511 IPC/भा.द.स. की धारा 511 में

(b) under Section 509 IPC/भा.द.स. की धारा 509 में

(c) under Section 510 IPC/भा.द.स. की धारा 510 में
(d) under Section 507 IPC/भा.द.स. की धारा 507 में

UK PCS (J) 2019
Uttarakhand (J) 2019
Uttarakhand (APO) 2015

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 511 के अंतर्गत आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दण्डनीय अपराधों को करने के प्रयत्न के लिए दण्ड का प्रावधान किया गया है। इस धारा के अनुसार जो कोई इस संहिता द्वारा आजीवन कारावास से या कारावास से दण्डनीय अपराध करने का या ऐसा अपराध कारित किये जाने का प्रयत्न करता है और ऐसे प्रयत्न के दण्ड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबन्ध इस संहिता द्वारा नहीं किया गया है वहाँ वह उस अपराध के लिए उपबन्धित किसी भी भाँति के कारावास के लिए उस अवधि के लिए जो यथास्थिति आजीवन कारावास से आधे तक हो सकेगी या उस अपराध के लिए उपबन्धित दीर्घतम अवधि से आधे तक हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से जो उस अपराध के लिए उपबन्धित हो या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

16. Section 511 of Indian Penal Code will apply to .....
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 511 लागू होगी.....

(a) Attempt to commit murder
हत्या करने का प्रयास में
(b) Attempt to commit suicide
आत्महत्या करने का प्रयास में
(c) Attempt to commit theft/चोरी करने का प्रयास में
(d) Attempt to commit robbery
लूट करने का प्रयास में

MPHC CJ 2016

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

17. Attempt to commit any offence is punishable with:/ अपराध का प्रयत्न उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास के:

(a) Half/आधे
(b) One fourth/एक चौथाई
(c) One third/एक तिहाई
(d) Full/पूरे

of the term of imprisonment provided for the offence
अवधि से दण्डनीय होगा।

Chhattishgarh (J) 2008

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

18. For which offence the last section of the IPC makes provision for punishment/भारतीय दण्ड संहिता की अंतिम धारा किस अपराध के लिए दण्ड का प्रावधान करती है?

(a) Abetment to commit an offence/
अपराध करने हेतु उकसाना
(b) Attempt to commit an offence/
अपराध करने का प्रयत्न
(c) Planning to commit an offence/
अपराध करने की योजना बनाना
(d) Preparation to commit an offence/
अपराध करने की तैयारी करना

MP (ADPO) 2008 Paper-II

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

19. Section 511 of the Indian penal code provides:
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 511 प्रावधान करती है

(a) For application of I.P.C. in Jammu and Kashmir/जम्मू एवं कश्मीर में भारतीय दण्ड संहिता लागू करने की शक्ति
(b) A power to executive to frame rules of India penal code/भारतीय दण्ड संहिता में नियम बनाने की कार्यपालिका को शक्ति
(c) A power to court to declare any act as an offence/न्यायालय को किसी भी कृत्य को अपराध घोषित करने की शक्ति
(d) A residuary section criminal attempt/आपराधिक प्रयास की एक अवशिष्ट धारा

MP (ADPO) 2016 Paper-II

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 511 आपराधिक प्रयास (criminal attempt) की एक अवशिष्ट (residuary) धारा है। धारा 511 में आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दण्डनीय अपराधों को करने के प्रयत्न करने के लिए दण्ड का उपबन्ध किया गया है।

20. Section 511 of I.P.C. does not apply in case of attempt of:-
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 511 लागू नहीं है :

(a) Theft /चोरी के प्रयास में
(b) Affray /दंगा के प्रयास में
(c) Riot /बल्वा के प्रयास में
(d) Murder /हत्या के प्रयास में

UGC (NET) June, 2009
Chhattishgarh (ADPO) 2008
Jharkhand (J) 2016

Ans (d): भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 511 आजीवन कारावास आ अन्य कारावास से दण्डनीय उन अपराधों को करने के प्रयत्न के लिए दण्ड का उपबंध करती है। जिसके लिए दण्ड का अभिव्यक्त उपबंध इस संहिता द्वारा नहीं किया गया है। धारा 511 के अनुसार जो कोई इस संहिता द्वारा आजीवन कारावास से या कारावास से दण्डनीय अपराध करने का या ऐसा अपराध कारित किए जाने का प्रयत्न करेगा और ऐसे प्रयत्न 'में अपराध की दिशा में कोई कार्य करेगा, जहाँ कि ऐसे प्रयत्न के लिए कोई दण्ड अभिव्यक्ततः इस संहिता में नहीं किया गया वहाँ वह उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भाँति के कारावास से उस अवधि के लिए जो यथास्थिति आजीवन कारावास से आधे तक की या उस अपराध के लिए उपबंधित दीर्घतम अवधि के आधे तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से जो उस अपराध के लिए उपबंधित या दोनों से दण्डित किया जाएगा। चूँकि हत्या के प्रयास के लिए धारा 307 में स्वयं 10 वर्ष तक के कारावास तथा जुर्माने या दोनों का उपबंध है अतः यहाँ धारा 511 लागू नहीं होगी।

21. Section 511 of the Indian Penal Code, 1860 does apply in case of
भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 511 निम्न किस में लागू नहीं होती है?

(a) attempt of rioting/बलवा के प्रयास में
(b) attempt of theft/चोरी के प्रयास में
(c) attempt of wagering war against the Government of India
भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के प्रयास में
(d) attempt of affray/दंगा के प्रयास में

UPPCS (J) 2016

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की **धारा 511** आजीवन कारावास से या अन्य कारावास से दण्डनीय अपराधों को करने के प्रयत्न करने के लिए दण्ड का प्रावधान करती है। जहां कि ऐसे प्रयत्न के दण्ड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध इस संहिता द्वारा नहीं दिया गया है। उपरोक्त विकल्पों में धारा 511 केवल भारत सरकार के विरूद्ध युद्ध करने के प्रयास में लागू नहीं होगी क्योंकि इसका स्पष्ट उपबन्ध धारा 121 में किया गया है।

22. A makes an attempt to pick the pocket of Z by thrusting his hand into Z's pocket. A fails in the attempt in consequence of Z's having nothing in his pocket. Which of the following is true in the given context?
A, Z की जेब में अपना हाथ डाल कर जेब काटने का प्रयास करता है। Z की जेब में कुछ ना होने की वजह से A अपने प्रयास में असफल रहता है।
दी गयी परिस्थिति में निम्न में से कौन-सा विकल्प सही है?

(a) A is not guilty of any offence/A किसी भी अपराध का दोषी नहीं है
(b) A is guilty under section 511 of IPC/A आई.पी.सी. की धारा 511 के तहत दोषी है
(c) A is guilty under section 512 of IPC/A आई.पी.सी. की धारा 512 के तहत दोषी है
(d) A is guilty under section 510 of IPC/A आई.पी.सी. की धारा 510 के तहत दोषी है
(e) A is guilty of pick pocketing./A पाकेटमारी का दोषी है

Chhattishgarh (ADPO) 2017
MPHC (CJ)1997
MP (ADPO) 2010 Paper-II

Ans. (b) : प्रस्तुत समस्या में A भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 511 के अंतर्गत चोरी करने के प्रयत्न के अपराध का दोषी है। प्रस्तुत समस्या धारा 511 के दृष्टांत (b) पर आधारित है।

23. A makes an attempt to pick the pocket of Z by thrusting his hand into Z's pocket. A fails in the attempt in consequence of Z's having nothing in his pocket. A is guilty under:
क, य की जेब में हाथ डालकर य की जेब से चुराने का प्रयत्न करता है। य की जेब में कुछ न होने के परिणामस्वरूप 'क' अपने प्रयत्न में असफल रहता है। 'क' दोषी है, अन्तर्गतः

(a) Section 499 of IPC / भा.द.स. की धारा 499
(b) Section 503 of IPC / भा.द.स. की धारा 503
(c) Section 504 of IPC / भा.द.स. की धारा 504
(d) Section 511 of IPC / भा.द.स. की धारा 511

Uttarakhand (APO) 2021

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

24. 'A' makes an attempt to pick the pocket of 'Z' by thrusting his hands into 'Z's pockets. 'A' fails in the attempt in consequence of 'Z' s having nothing in his pocket. 'A' is guilty of
'A','Z' की जेब में हाथ डालकर 'Z' की जेब से कुछ चुराने का प्रयत्न करता है। 'Z' की जेब में कुछ न होने के परिणामस्वरूप 'A' अपने प्रयत्न में असफल रहता है, 'A' दोषी है-

(a) Attempt to commit theft/चोरी का प्रयत्न करने का
(b) Attempt to commit tresspass/अतिचार का प्रयत्न करने का
(c) Theft in dwelling house/निवास गृह से चोरी करने का
(d) None of these/इनमें से कोई नहीं

Uttarakhand (J) 2021

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

25. 'A' thrusts his hand into 'Z' pocket to pick his purse. The pocket was empty. In this matter which statement is true/A, Z की जेब से उसका पर्स चुराने के लिए Z की जेब में हाथ डालता है। Z की जेब खाली थी। इस मामले में कौन-सा कथन सही है?

(a) 'A' commits theft/A चोरी का अपराधी
(b) 'A' commits mischief/A रिष्टि कारित करता है
(c) 'A' is guilty of criminal breach of trust/ A आपराधिक न्यास भंग का दोषी है
(d) 'A' is guilty and liable for punishment/ A दोषी है और दण्ड का भागी होगा

MP (ADPO) 2008 Paper-II

Ans.(d) : प्रस्तुत समस्या में A भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 511 के अंतर्गत चोरी के प्रयत्न का दोषी है। अतः विकल्प (d) सही है। धारा 511 आजीवन कारावास या अन्य कारावास को दण्डनीय अपराधों को करने के प्रयत्न के लिए दण्ड का उपबंध करती है।

26. 'A' makes an attempt to steal some jewels by breaking open a box, and finds after so opening the box, that there is no jewel in it. Under I.P.C., 'A' has committed—
'अ' एक बाक्स को तोड़कर कुछ आभूषण चुराने का प्रयास करता है और बाक्स खोलने के बाद पाता है कि उसमें कोई आभूषण नहीं है। भा.दं.सं. के तहत, 'अ' ने कारित किया है–

(a) No offence /कोई अपराध नहीं

(b) theft /चोरी

(c) attempt to theft /चोरी का प्रयास

(d) house breaking /गृह भेदन

MPHC CJ 2013 Shift-II
Uttarakhand (APO) 2009
UP (APO) 2007, 2018
Chhattisgarh (J) 2012

Ans. (c) : प्रस्तुत समस्या में 'A' ने भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 511 के अंतर्गत 'अ' ने चोरी के प्रयत्न का अपराध किया है। प्रस्तुत समस्या धारा 511 के दृष्टान्त B पर आधारित है।

27. Which one of the following is an illustration of criminal attempt?/निम्नलिखित में से कौन सा आपराधिक प्रयत्न का दृष्टान्त है?

(a) 'A' tries to kill 'B' by witchcraft/'अ' जादूटोना द्वारा 'ब' को मार डालने का प्रयत्न करता है।

(b) 'A' goes to Mumbai to buy dye to make counterfeit currency notes/'अ' कूटकृत करेंसी नोट बनाने के लिए रंग खरीदने मुम्बई जाता है

(c) 'A' intending to kill 'B' fires at 'B's coat hanging in his room treating it 'B'/'अ', 'ब' की मृत्यु कारित करने के आशय से 'ब' के कमरे में टंगे हुए कोट को 'ब' समझकर उस पर गोली चलाता है

(d) 'A' takes away his own umbrella thinking it to be of someone else/'अ' अपना ही छाता किसी दूसरे का समझकर ले जाता है

UP (APO) 2006

Ans. (c) : 'A', 'B' की मृत्यु कारित करने के आशय से 'B' के कमरे में टंगे हुए कोट को 'B' समझकर उस पर गोली चलाता है, यह भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 511 के अन्तर्गत आपराधिक प्रयत्न का दृष्टान्त है।

28. A makes an attempt to steal some jewels by breaking open a box and finds there no jewel in it. A is guilty of attempt of theft. What punishment may be awarded to him:
'अ' एक बाक्स को तोड़कर आभूषण चुराने का प्रयत्न करता है। बाक्स में कोई आभूषण वह नहीं पाता है। 'अ' को चोरी के प्रयत्न के अपराध के लिए कितना दण्ड दिया जा सकता है?

(a) The same punishment as for theft
चोरी के अपराध के लिए दिया जाने वाला दण्ड

(b) One half of the term of imprisonment provided for the offence of theft or with such fine as provided for the offence or with both
चोरी के अपराध के लिए दिए जाने वाले कारावास से आधी अवधि का कारावास या अर्थदण्ड जो चोरी के अपराध का हो सकता या दोनों

(c) Express provision is provided for the punishment "Attempt to Theft" in Indian Penal Code /चोरी के प्रयत्न के लिए भारतीय दण्ड संहिता में पृथक् से प्रावधान हैं

(d) Only Fine /केवल जुर्माना

MPHC CJ 2007

Ans. (b) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिताा 1860 की धारा 511 के दृष्टांत (a) पर आधारित है। धारा 511 के अनुसार, जो कोई आजीवन कारावास या कारावास से दण्डनीय अपराधों को करने के प्रयत्न करेगा, वहां वह उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के कारावास से उस अवधि के लिए जो आजीवन कारावास से आधे तक की या उस अपराध के लिए उपबंधित दीर्घतम अवधि के आधे तक की हो सकेगी।

29. X with the intention to steal ornaments opens Y's box and found it empty. Which of the following statements is correct?
X ने आभूषणों को चोरी करने के उद्देश्य से Y के बॉक्स को खोला तथा उसे खाली पाया। निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

(a) X is not liable for attempt to commit theft as the box being empty, commission of theft was impossible/चूंकि बॉक्स खाली था इसलिए X को चोरी करने हेतु जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि चोरी करना असंभव था

(b) X is not liable for attempt to commit theft as he did not do the penultimate act towards commission of theft/X को चोरी करने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि उसने उपांतिम कार्य को चोरी करने के क्रम में नहीं किया

(c) X is not guilty for attempt to commit theft as the ornaments were not in the box/X को चोरी करने हेतु दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि बॉक्स में आभूषण ही नहीं थे

(d) X is guilty for attempt to commit theft as he had an intention to commit theft and did an act toward its commission/X को चोरी करने के लिए दोषी ठहराया जा सकता है क्योंकि उसका उद्देश्य चोरी करना ही था जिसके लिए उसने यह कार्य किया

UGC (NET) June, 2019 Paper-II

Ans. (d) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता की धारा 511 के दृष्टांत (a) पर आधारित है, जिसके अनुसार जो कोई इस संहिता द्वारा आजीवन कारावास से या कारावास से दण्डनीय अपराध करने का या ऐसा अपराध किये जाने का प्रयत्न करेगा और ऐसे प्रयत्न में अपराध करने की दिशा में कोई कार्य करेगा ऐसे अपराध के लिए यदि संहिता में दंड का उपबंध नहीं है, तो वह धारा 511 के दण्ड से दण्डित किया जायेगा।

30. 'A' makes an attempt to pick the pocket of 'B' by thrusting his hand into 'B's pocket. A fails in attempt in consequence of 'B's having nothing in his pocket. A is guilty of-

'अ' ने चोरी करने के आशय से 'ब' के पॉकेट में हाथ डाला, किन्तु उसे कुछ नहीं मिला 'अ' ने कौन-सा अपराध किया?

(a) None offence/कोई अपराध नही

(b) Theft/चोरी

(c) Attempt to theft/चोरी का प्रयत्न

(d) Using criminal force/आपराधिक बल का प्रयोग

MP (ADPO) 2009 Paper-II
Uttarakhand (J) 2009
Chhattishgarh (J) 2004
MP (ADPO) 1995

Ans. (c) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 511 के दृष्टांन्त (ख) पर आधारित है। 'Y' चोरी के प्रयत्न का दोषी होगा भले 'Z' की जेब खाली थी। क्योंकि उसके कृत्य से उसका आशय स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है भले ही वह अभिष्ट लक्ष्य को प्राप्त न कर सका हो।

31. Y inserts his hand into the pocket of Z but the pocket was empty. Y guilty of:
Y ने Z को जेब में अपना हाथ डाल दिया लेकिन जेब खाली थी। तब Y :

(a) no offence as the offence was not completed
किसी अपराध का दोषी नहीं क्योंकि अपराध पूर्ण नहीं हुआ

(b) theft /चोरी का दोषी है

(c) mischief /रिष्टि का दोषी है

(d) attempt to theft /चोरी के प्रयत्न का दोषी है

Uttarakhand (J) 2002
UP (APO) 2002
MPHC CJ 2006
UP (APO) 2007 Special
MPHC (CJ) 2015

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

32. Which of the following is an instance of criminal attempt/निम्नलिखित में से कौन सा अपराधिक प्रयत्न है

(a) "A" procures die or instrument with an intention to make counterfeit coins/'अ' खोटे सिक्के बनाने के आशय से डाई या उपकरण प्राप्त करता है

(b) 'A' is in possession of some obscene photographs. He thought of publishing them/'क' के पास एक अश्लील चित्र है। उसे उसने छापने का विचार बना लिया है

(c) 'A' with intent to Kill 'B' administers in B's food sugar thinking it to be poison powder/'ब' को मारने का आशय से 'अ' ने चीनी को जहर-पाउडर समझ कर 'ब' के भोजन में मिला दिया

(d) None of these/उपर्युक्त में से कोई नहीं

MP (ADPO) 2009 Paper-II

Ans.(a): 'अ' द्वारा खोटे सिक्के बनाने के आशय से डाई या उपकरण प्राप्त करना आपराधिक प्रयत्न माना जायेगा। आपराधिक प्रयत्न से सम्बन्धित विधि का उल्लेख भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 511 में किया गया है। प्रस्तुत मामले में 'अ' द्वारा खोटे सिक्के बनाने के आशय से डाई या उपकरण प्राप्त करना अपराध कि दशा में कार्य करना है अतः क अपराधिक प्रयत्न का दोषी है।

33. Two persons break the donation box of a temple but did not get any money from it, have they committed any crime?
दो व्यक्ति एक मंदिर के दान पात्र को तोड़ते है परन्तु उसमें से कोई रूपये नहीं मिले, क्या उन्होंने कोई अपराध किया है?

(a) attempt to theft/चोरी का प्रयास

(b) theft/चोरी

(c) extortion/उद्दापन

(d) Robbery/लूट

Rajasthan (APO) 2015

Ans. (a) : दोनों व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य चोरी का प्रयास है जिसे भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 511 में दण्डनीय बनाना गया है। धारा 511 एक अवशिष्ट धारा है जिसमें प्रयास सम्बन्धी उन अपराधों के लिए दण्ड का प्रावधान किया गया है, जिनका उपबन्ध संहिता में नहीं किया गया है। प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 511 के दृष्टांत 'ख' पर आधारित जिसमें अपराध करने के प्रयत्न का दोषी होगा।

34. Which one of the following is an illustration of criminal attempt?
निम्न में से कौन आपराधिक प्रयत्न का द्रष्टान्त है?

(a) 'A' tries to kill 'B' by witchcraft/'अ' जादूटोना द्वारा 'ब' को मार डालने का प्रयत्न करता है

(b) 'A' administers a poisonous drug to a woman 'B' with an intention to cause miscarriage, but the woman was not pregnant/'अ' स्त्री 'ब' को एक विषैला पदार्थ गर्भपात-कराने के आशय से खिलाता है परन्तु महिला गर्भवती नहीं थी

(c) 'A' takes away his own umbrella thinking it to be of someone else/'अ', अपना ही छाता, किसी अन्य का समझ कर ले जाता है

(d) 'A' goes to Kolkata to buy dyes to make counterfeit currency notes/'अ' कूटकृत करेंसी नोट बनाने के लिए रंग खरीदने कोलकाता जाता है।

UP (APO) 2007

Ans : (b) 'A' स्त्री 'B' कोएक विषैला पदार्थ गर्भपात कराने के आशय से खिलाता है परन्तु महिला गर्भवती नहीं थी, यह आपराधिक प्रयत्न का दृष्टांत है। आर बनाम गुडाल के मामले में एक महिला का गर्भपात कराने के आशय से दवा खिलाया गया किन्तु वह महिला गर्भवती नहीं थी, न्यायालय ने इसे आपराधिक प्रयत्न का अपराध माना।

35. 'A' administers poisonous drug to a woman 'B' to cause miscarriage. It is found that 'B' was not pregnant. In this case
'अ' एक महिला 'ब' को गर्भपात कारित करने के आशय से एक विषैली दवा देता हैं। यह पाया जाता है कि महिला 'ब' गर्भवती नहीं थी। इस मामले में

(a) 'A' is not guilty of attempt to cause miscarriage/'अ' गर्भपात कारित करने के प्रयत्न का दोषी नहीं है।

(b) 'A' is guilty of attempt to cause miscarriage/'अ' गर्भपात कारित करने के प्रयत्न का दोषी है।

(c) 'A' is guilty of murder/'अ' हत्या का दोषी है।

(d) 'A' is not guilty of no offence/'अ' किसी अपराध का दोषी नही है।

Uttarakhand (J) 2009

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

36. A with the intention of stealing the jewelry opens the box kept under B's seat but it is empty.
'अ' गहने चोरी के आशय से 'ब' की सीट के नीचे रखा हुआ बॉक्स खोलता है, लेकिन वह खाली होता है। 'अ' ने-

(a) is not guilty of attempting to steal because he has not acted before the last act of committing theft/चोरी करने के प्रयत्न का अपराधी नहीं है, क्योंकि चोरी करने के लिए अन्तिम कार्य से पहले का कार्य नहीं किया है।

(b) is not guilty of attempting to steal because box is empty/चोरी करने के प्रयत्न का अपराधी नहीं है, क्योंकि बॉक्स खाली था।

(c) is not guilty of attempting to steal because he had just prepared to commit a crime/चोरी करने का प्रयत्न का अपराधी नहीं है, क्योंकि उसने सिर्फ अपराध करने की तैयारी की थी।

(d) A is guilty of attempting to steal because his intention was for theft he has worked on this way. /चोरी करने के प्रयत्न का अपराधी है क्योंकि उसका आशय चोरी करने का था तथा उसने इस ओर कार्य भी किया था।

Rajasthan (APO) 2005

Ans. (d) : प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 511 के दृष्टांत (a) के सदृश्य है जिसके अनुसार 'A' चोरी करने के प्रयत्न का दोषी होगा, क्योंकि उसने चोरी करने की दिशा में कार्य किया है।

37. Which one of the following is an inchoate-crime?
निम्नलिखित में से कौन सा अपूर्ण अपराध है?

(a) Riot/बलवा

(b) Criminal attempt/आपराधिक प्रयत्न

(c) Unlawful assembly/विधिविरूद्ध जमाव

(d) Public nuisance/लोक न्यूसेन्स

Uttarakhand (J) 2006
UP (APO) 2006,2007
JPSC (APO) 2012

Ans : (b) आपराधिक प्रयत्न अपूर्ण अपराध है। कुछ ऐसे मामले है जिनमें आपराधिक कृतय यद्यपि पूर्ण न हुआ हो या किसी व्यक्ति को क्षति न हुई हो फिर भी अपराध गठित हो जाता है। ये अपूर्ण अपराध के मामले है जैसे- प्रयत्न, दुस्प्रेरण व षड्यन्त्र आदि।

38. A mixed sugar in B's food knowing is to be arsenic. 'B' did not take that food. What offence has 'A' committed?
'क', 'ख' के भोजन में चीनी मिलाता है जिसे वह संखिया समझता है। 'ख' ने वह खाना नहीं खाया। 'क' ने कौन सा अपराध किया है?

(a) A has committed no offence/'क' ने कोई अपराध नहीं किया

(b) A is guilty for assault/'क' हमला करने का दोषी है।

(c) A is not guilty for assault/'क' हमला करने का दोषी नहीं है।

(d) A is guilty for attempt to murder/'क' हत्या के प्रयत्न का दोषी है।

Uttarakhand (J) 2014

Ans : (a) प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 511 पर आधारित है तथा इस समस्या में 'A' ने कोई अपराध कारित नहीं किया, क्योंकि जिस कार्य से अपराध होना असम्भव हो वह कार्य अपराध की कोटी में नहीं आता है।

39. 'X' with the intention to kill 'Y' supplies him powdered sugar believing it to be poison. 'Y' eats the powder. 'X' is guilty of:
'Y' की मृत्यु कारित करने के आशय से 'X' उसे विष समझकर पिसी हुई चीनी दे देता है। 'Y' वह चीनी खा लेता है। 'X' ने

(a) no offence/कोई अपराध नहीं किया

(b) attempt to commit murder/हत्या का प्रयत्न किया

(c) attempt to commit culpable homicide not amounting murder/आपराधिक मानव-वध जो हत्या नहीं है, का प्रयत्न किया

(d) abetment to commit murder/हत्या का दुष्प्रेरण किया

Uttarakhand (J) 2006

Ans. (a) : प्रस्तुत समस्या में X, Y की मृत्यु कारित करने के आशय से विष की जगह उसे चीनी खिला देता है। चीनी से Y की मृत्यु कारित नहीं हो सकती है अतः X ने कोई अपराध कारित नहीं किया।

40. Which one is not a theory of attempt for Section 511 of Indian Penal Code?
इनमें से कौन सा धारा 511 भा.द.स. के लिए प्रयत्न का सिद्धान्त नहीं है?

(a) Proximity rule/सामीप्य का नियम
(b) Theory of impossibility/असंभाव्यता का सिद्धान्त
(c) Object theory/वस्तुनिष्ठ का सिद्धान्त
(d) Durhum rule/डरहम का नियम

Uttarakhand (J) 2019

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 511 में आपराधिक प्रयत्न के लिए दण्ड का उपबंध किया गया है।
आपराधिक प्रयत्न से संबंधित निम्नलिखित सिद्धांत है—
1. सन्निकटता का सिद्धांत (Proximity rule)
2. असंभाव्यता का सिद्धांत (Theory of impossibility)
3. वस्तुनिष्ठ का सिद्धान्त (Object theory)
4. कार्य की ओर अग्रसर होने का सिद्धांत (On the job theory)

41. To distinguish attempt from mere preparation to commit an offence, the Supreme Court of India in State of Maharashtra vs. Mohd. Yakub (1980) applied the test of :
महाराष्ट्र राज्य बनाम मोहम्मद याकूब (1980) के वाद में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने प्रयास को अपराध कारित करने की तैयारी मात्र से विभेदित करने के लिए सिद्धान्त लागू किया–
(a) Impossibility/असम्भाव्यता का
(b) Last act/अन्तिम कार्य का
(c) Locus penitentiae/पश्चाताप के बिन्दु का
(d) Proximity/सामीप्यता का

UPHESC 2014

Ans. (d) : महाराष्ट्र राज्य बनाम मोहम्मद याकूब (1980 क्रि.लॉ.ज.) के मामले में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने प्रयास (प्रयत्न) को अपराध कारित करने की तैयारी मात्र से विभेदित करने के लिए सामीप्यता का सिद्धान्त (सन्निकटता का सिद्धान्त) लागू किया।
न्यायमूर्ति चिनप्पा रेड्डी ने निम्न सम्प्रेक्षण किया, प्रयत्न गठित करने हेतु निम्नलिखित आवश्यक तत्व है-
(1) किसी अपराध को कारित करने का आशय होना चाहिए।
(2) कुछ कार्य अवश्य किया गया हो, जो अपराध कारित करने हेतु किया जाना आवश्यक हो और
(3) ऐसा कार्य आशयित परिणाम के सन्निकट होना चाहिए।

42. To which of the following offences the Apex Court judgment in Abhayanand Mishra v. State of Bihar is related to?
शीर्ष न्यायालय का अभयानन्द मिश्रा बनाम बिहार राज्य का निर्णय निम्नलिखित में किन अपराधों से सम्बन्धित है?
(a) Section 420 and 511 of IPC/धारा 420 और 511 भा.द.सं. से
(b) Section 511 of IPC only/केवल धारा 511 भा.द.सं. से
(c) Section 420 of IPC only/केवल धारा 420 भा.द.सं. से
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

Uttarakhand (J) 2014

Ans : (a) अभयानन्द मिश्रा बनाम बिहार राज्य (1961 SC) का वाद भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 420 तथा 511 से सम्बन्धित है।
इस वाद में यह अवधारित किया गया कि किसी कार्य का प्रयत्न होने के लिए उसे अपराध कारित किये जाने की दशा में उपान्तिम कार्य होना आवश्यक नहीं है बल्कि उस कार्य को अपराध कारित किये जाने के दौरान किया गया कार्य होना चाहिए।

43. 'A' sought to appear in LLB examination on the basis of forged mark-sheet of B.A., but forged mark-sheet was detected before the commencement of examination :
'अ' ने बी.ए. की जाली अंकपत्र के आधारपर एल.एल.बी. परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन किया किन्तु परीक्षा आरम्भ होने के पूर्व ही जाली अंकपत्र पकड़ लिया गया। 'अ' :
(a) 'A' is not guilty of cheating/छल का दोषी नहीं है
(b) 'A' is guilty of attempt to cheat/छल के प्रयत्न का दोषी है
(c) 'A' is guilty of cheating/छल का दोषी है
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

UP (APO) 2007

Ans : (b) प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 511 तथा अभयानन्द मिश्र बनाम बिहार राज्य (1961) के वाद पर आधारित है जिसके तहत 'A' छल के प्रयत्न का दोषी होगा।

44. Which one of the following case is not related to criminal attempt?
निम्नलिखित में से कौन सा वाद आपराधिक प्रयत्न से सम्बन्धित नहीं है?
(a) Abhayanand Misra v. State of Bihar
अभयानन्द मिश्र बनाम बिहार राज्य
(b) Sudhir Kumar Mukherjee v. State of West Bengal
सुधीर कुमार मुखर्जी बनाम बंगाल राज्य
(c) State of Maharashtra v. Mohd. Yakub
महाराष्ट्र राज्य बनाम मोहम्मद याकूब
(d) State of Rajasthan v. Om Prakash
राजस्थान राज्य बनाम ओम प्रकाश

UPPCS (J) 2003

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 511** में आपराधिक प्रयत्न के अपराध को परिभाषित किया गया है। धारा 511 अवशिष्ट प्रकृति का एक विशेष उपबंध है। धारा 511 में आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दण्डनीय अपराधों को करने के प्रयत्न के लिए दण्ड का प्रावधान है। **अभयानन्द मिश्रा बनाम बिहार राज्य (1961), सुधीर कुमार मुखर्जी बनाम बंगाल राज्य (1973)** तथा **महाराष्ट्र राज्य बनाम मोहम्मद याकूब** ये तीनों वाद धारा 511 आपराधिक प्रयत्न से सम्बन्धित है। **राजस्थान राज्य बनाम ओम प्रकाश** का वाद भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 से सम्बन्धित है।

महत्वपूर्ण एवं नवीनतम वाद

45. Match List-I with List-II and select the correct answer from the codes given below the Lists—
सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिये गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए:

	List-I/सूची-I	List-II/सूची-II
A.	Tukaram v. State of Maharastra/तुकाराम बनाम महाराष्ट्र राज्य	1. General A.S. Vaidya case/जनरल ए.एस. वैद्य मामला
B.	State v. Nalini/स्टेट बनाम नलिनी	2. Mathura rape case/ मथुरा बलात्संग मामला
C.	Barendra Kumar Ghosh v. Emperor/बारेन्द्र कुमारघोष	3. Post-master murder case/पोस्ट मास्टर हत्या मामला
D.	State of Maharastra v. Sukh Deo Singh/महाराष्ट्र राज्य बनाम सुखदेव सिंह	4. Rajeev Gandhi murder case/ राजीव गांधी हत्या मामला

Codes/कूट :

	A	B	C	D
(a)	2	4	3	1
(b)	1	2	3	4
(c)	4	3	2	1
(d)	3	1	2	4

UP (APO) 2007

Ans : (a) सुमेल निम्न प्रकार से होगा—

सूची-I	सूची-II
A. तुकाराम बनाम महाराष्ट्र राज्य	- मथुरा बलात्संग मामला
B. स्टेट बनाम नलिनी	- राजीव गांधी हत्या मामला
C. बारेन्द्र कुमार घोष	- पोस्ट मास्टर हत्या मामला
D. महाराष्ट्र राज्य बनाम सुखदेव सिंह मामला	- जनरल ए.एस. वैद्य मामला

46. In which one of the following cases the Supreme Court of India has held that wife cannot be charged for harbouring her husband?
उच्चतम न्यायालय ने निम्न वादों में से किसमें कहा है कि पत्नी अपने पति को संरक्षण देने पर दोषारोपित नहीं की जा सकती?

(a) State v. Ratan Singh/राज्य बनाम रतन सिंह
(b) State of Tamil Nadu v. Nalini/स्टेट ऑफ तमिलनाडु बनाम नलिनी
(c) Jai Narain Mishra v. State/जय नारायण मिश्रा बनाम स्टेट
(d) Sardara Singh v. State/सरदार सिंह बनाम स्टेट

Uttarakhand (J) 2008

Ans. (b) **: स्टेट आफ तमिलनाडु बनाम नलिनी (1988 SC)** के वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया कि पत्नी को अपने पति के संश्रय के लिए मात्र इस कारण अभियोजित नहीं किया जा सकता कि वह अपने पति के साथ उसी घर में निवास कर रही थी।

47. The real and abiding concern for the dignity of human life was decided in the case of:
मानवीय जीवन के सम्मान के प्रति वास्तविक एवं पूर्ण निर्णय को किस मामले में निर्णीत किया गया?

(a) Rajendra Prasad v. State of U.P.
राजेन्द्र प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य
(b) Mohindra Singh v. Delhi Administration
मोहिन्द्र सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन
(c) Javed Ahmed v. State of Maharashtra
जावेद अहमद बनाम महाराष्ट्र राज्य
(d) Bachan Singh v. State of Punjab
बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य

UGC (NET) June, 2014 Paper-III

Ans. (d) **: बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980)** के वाद में मानवीय जीवन के सम्मान के प्रति वास्तविक एवं पूर्ण निर्णय को निर्णित किया गया था।

48. Death penalty cannot be done away with from Indian society. Life imprisonment is a rule and death penalty is an exception. Therefore, the apex Court pronounced its judgment that it can be awarded only in "rarest of rare cases". The name of the case is
भारतीय समाज से मृत्यु, दण्ड नहीं हटाया जा सकता है। उम्र कैद एक नियम है और मृत्यु दण्ड अपवाद। अतः उच्चतम् न्यायालय ने किस मामले में निर्णय दिया कि मृत्यु दण्ड विरल से विरलतम मामलों में ही दिया जा सकता है?

(a) Hardayal v. State of U.P.
हरदयाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य
(b) State of U.P. v. Parasnath
उत्तर प्रदेश राज्य बनाम पारसनाथ
(c) Bachan Singh v. State of Punjab
बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य
(d) Sri Bhagwan v. State of Rajasthan
श्री भगवान बनाम स्टेट आफ राजस्थान

Uttarakhand (J) 2011

Ans. (c) : बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1980 SC) के वाद में न्यायालय ने धारित किया कि मुत्युदण्ड विरल से विरलतम (Rarest of rare) मामलों में दिया जाना चाहिए अन्यथा नहीं।

49. "Death sentence should be awarded in rarest of rare cases" was held in/''मृत्यु दण्ड बिरले में से बिरलतम अपराधों से ही दिया जाना चाहिये'', अभिनिर्धारित किया गया था

(a) Bachan Singh v. State of Punjab/बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य में

(b) Rameshwar v. State of U.P./रामेश्वर बनाम उ. प्र. राज्य में

(c) T.V. Vatheeswaran v. State of Tamil Nadu/टी. वी. वथेस्वरन बनाम तमिलनाडु राज्य में

(d) State of U.P. v. M.K. Anthony/उ. प्र. राज्य बनाम एम. के. एन्थोनी में

UP (APO) 2006
MP (ADPO) 2009

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

50. Bachan Singh v State of Punjab relating to which of the following-
बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य का सम्बन्ध निम्न में से किससे है?

(a) Death sentence in India/भारत में मृत्युदण्ड से

(b) Custody of undertrial prisoner/विचाराधीन बन्दी की अभिरक्षा से

(c) Prosecution of suicide attempt/आत्महत्या के प्रयास के अभियोजन से

(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

MP (ADPO) 2003

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

51. Which of the following cases is known as the 'Nirbhaya Case'?
निर्भया काण्ड से कौन-सा मामला जाना जाता है?

(a) Mumbai rape case/मुम्बई रेप केस

(b) Delhi gang rape/दिल्ली गैंग रेप

(c) Mathura rape case/मथुरा रेप केस

(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

UP (HJS) 2014

Ans. (b) :

- दिल्ली गैंग रेप (2012) → निर्भया काण्ड
- शक्ति मिल्स गैंग रेप (2013) → मुम्बई रेप केस
- तुकाराम एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य (1978) → मथुरा रेप केस के नाम से जाना जाता है।

52. "In the matter of Kidnapping and Rape, the evidence given by prosecutrix being, illiterate and rustic young woman, some contradictions and omission are natural as her recollection, memory, observance and narration of chain of events"
It was held by the Supreme Court in
''अपहरण और बलात्कार के मामले में निरक्षर तथा गंवार युवती अभियोक्ता के द्वारा दिये गये साक्ष्य के मामले में विरोधाभास और चूक स्वाभाविक है, जहाँ तक उसकी याददाश्त, निरीक्षण और घटनाओं की कड़ी के वर्णन का सम्बन्ध है।''
यह सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में कहा?

(a) Manoj Yadav v. Pushpa
मनोज यादव बनाम पुष्पा में

(b) State of U.P. v Chhoteylal
स्टेट ऑफ यू0पी0 बनाम छोटेलाल में

(c) Madhu Verma v. Urmila Devi/
मधु वर्मा बनाम उर्मिला देवी में

(d) Lakhan Lal v. State of Bihar
लखनलाल बनाम स्टेट बिहार में

UPPCS (J) 2012

Ans. (b) : स्टेट ऑफ यू0पी0 बनाम छोटेलाल (2011 SC **)** के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अपहरण और बलात्कार के मामले में निरक्षर तथा गंवार युवती अभियोक्ता के द्वारा दिये गये साक्ष्य के मामले में विरोधाभास और चूक स्वाभाविक है, जहाँ तक उसकी याददाश्त, निरीक्षण और घटनाओं की कड़ी के वर्णन का सम्बन्ध है।

53. Read the following :
निम्न पर विचार कीजिए :

(1) R.Vs. MC Naughten is the case related with insanity as a defence.
आर. बनाम मैक्नाटेन, विकृतचित्तता एक बचाव, से सम्बन्धित वाद है।

(2) R. Vs., Govinda is the case related with common intention.
आर. बनाम गोविन्दा, सामान्य आशय से सम्बन्धित वाद है।

Of the above :/उपरोक्त में

(a) (1) is true but (2) is false.
(1) सही है, किन्तु (2) गलत है।

(b) (1) is false but (2) is true.
(1) गलत है, किन्तु (2) सही है।

(c) Both (1) and (2) are true.
(1) तथा (2) दोनों सही हैं।

(d) Both (1) and (2) are false.
(1) तथा (2) दोनों गलत हैं।

UP (APO) 2015

Ans. (a) : आर बनाम मैक्नाटेन (1813) का वाद भारतीय दण्ड संहिता की धारा 84 पर आधारित है जो चित्त विकृतता के बारे में बचाव का प्रावधान करती है जबकि **आर बनाम गोविन्दा (1876)** का वाद आपराधिक मानव वध (धारा 299) तथा हत्या (धारा 300) के बीच अन्तर पर आधारित है।

54. Read the following :/निम्न पर विचार कीजिए

(1) R. Vs. Dudley & Stephens is the case related with necessity.
आर. बनाम डडले एण्ड स्टीफेंस आवश्यकता से सम्बन्धित वाद है।

(2) State Vs. K.M. Nanawati is the case related with murder on grave and sudden provocation.

राज्य बनाम के.एम. नानावती, गम्भीर एवं अचानक प्रकोपन के कारण हत्या से सम्बन्धित वाद है।

Of the above :/उपरोक्त में

(a) (1) is true but (2) is false.
(1) सही है, (2) किन्तु गलत है।

(b) (1) is false but (2) is true.
(1) गलत है, किन्तु (2) सही है।

(c) Both (1) and (2) are true.
(1) तथा (2) दोनों सही हैं।

(d) Both (1) and (2) are false.
(1) तथा (2) दोनों गलत हैं।

UP (APO) 2015

Ans. (c) : आर बनाम डडले एण्ड स्टोफेंस का मामला आवश्यकता से सम्बन्धित है। आवश्यकता से सम्बन्धित सिद्धान्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 81 में सम्मिलित किया गया है। यह धारा किसी गुरुत्तर हानि के निवारण हेतु लघुतर अपहानि को कारित करने की अनुमति देता है।

के.एम. नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य (1962SC) का मामला गंभीर और अचानक प्रकोपन से सम्बन्धित हैं। गंभीर और अचानक प्रकोपन से सम्बन्धित प्रावधान भारतीय दण्ड संहिता की धारा 300 के प्रथम स्पष्टीकरण में किया गया है।

55. 'In every State mens rea is to be implied unless contrary is shown from the language of the Statute.' This view was expressed in :
'प्रत्येक संविधि मे दुराशय अन्तर्निहित माना जाता है, जब तक इसके प्रतिकूल संविधि की भाषा से प्रकट न हो।' यह मत प्रकट किया गया था

(a) Sherras v. De Rutzen/शेराज बनाम डे रूटजेन में

(b) R. v. Dudley and Stephen/आर. बनाम डडले एण्ड स्टीफेन में

(c) Queen v. Tolson/क्वीन बनाम टाल्सन में

(d) R. v. Arnold/आर. बनाम अरनाल्ड में

UP (APO) 2007

Ans : (a) **शेराज बनाम डी रूटजेन (1895)** के वाद में **लार्ड राइट** ने यह मत प्रकट किया कि प्रत्येक अधिनियम में मनःस्थिति अन्तर्निहित है जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए। इसके विपरीत दूसरी विचारधारा **होब्स बनाम विन्चस्टर कार्पोरेशन (1910)** के वाद में मिलती है। इस वाद में **न्यायाधीश केनेडी** ने कहा कि अधिनियम की हमें शब्दिक रूप मे व्याख्या करनी चाहिए जब तक कि कोई चीज यह स्पष्ट न करे की मनःस्थिति आवयश्क है।

56. In which of the following mens rea is considered an essential element of offence.
निम्नलिखित में से किसमें दुराशय को अपराध का एक आवश्यक अंग माना गया है?

(a) Sriniwasmal Barolia Vs. Empror/श्रीनिवासमल बरौलिया बनाम एम्परर ने

(b) R.V. Tolson/आर. बनाम टॉल्सन में

(c) Nathulal Vs. State of M.P./नाथूलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य में

(d) All of the above/उपर्युक्त सभी में

MP (ADPO) 2003

Ans. (c) : नाथू लाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य AIR 1966 के वाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि दुराशय किसी भी अपराध के लिए तब तक आवश्यक तत्व है जब तक कि कोई भी संविधि स्पष्ट शब्दों द्वारा अथवा उसमें निहित आवश्यक भावार्थ द्वारा इस आवश्यक तत्व को स्वीकार करने से इन्कार न कर दें।

57. In R.V. Prince case, the basic of conviction to prince was-
आर. बनाम प्रिंस के प्रकरण में प्रिंस को दण्डित करने का आधार था:

(a) Prohibited act of prince/प्रिंस का निषिद्ध कार्य करना

(b) Illegal Act of prince/प्रिंस का अवैध कार्य करना

(c) Willful civil tort by prince/प्रिंस का जानबूझकर सिविल अपकृत्य करना

(d) The act of prince was illegal and prohibited/प्रिंस का कार्य अवैध और निषिद्ध था

MP (ADPO) 2003

Ans. (d) : आर. बनाम प्रिंस वाद में प्रिंस का कार्य विधि द्वारा निषिद्ध कृत्य होने के कारण उसे दण्डित किया गया। यह माना गया कि 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री के बारे में यह साधारण परिकल्पना है कि वह संरक्षक के अधीन है और संरक्षक की सहमति के बिना संरक्षकता से हटाना स्वतः उसके दुराशय को अभिदर्शित करता है।

58. On account of an agitation the lawyers ceased to participate in court proceeding and resorted to 'Satyagrah'. An editorial in a newspaper criticised as to whether it is appropriate to the lawyers as a class to resort to strike. The lawyers were inter-alia described as "Kajia dalal" i.e. dispute broker, in the editorial/अधिवक्ताओं ने एक आन्दोलन के कारण न्यायालय की कार्यवाहियों में भाग लेना बंद कर दिया तथा 'सत्याग्रह' किया। एक समाचार पत्र ने अपने सम्पादकीय में यह आलोचना की कि क्या एक वर्ग के रूप में अधिवक्ताओं को हड़ताल पर जाना उचित है? अधिवक्ताओं को ''कांजिया दलाल'' अर्थात् विवाद दलाल के नाम से सम्पादकीय लेख में सम्बोधित किया गया था

(a) Editor of the newspaper is guilty of offence of defamation/समाचार पत्र का सम्पादक मानहानि कारित करने के अपराध का दोषी है

(b) Editor of the newspaper is guilty of offence of defamation/समाचार पत्र का सम्पादक मानहानि कारित करने के अपराध का दोषी नहीं है

(c) Not only editor, but Chairman of Board of Directors and its General Mangaer are also

guilty of defamation/सम्पादक ही नहीं वरन निदेशक मण्डल के अध्यक्ष तथा इसके प्रधान प्रबन्धक भी मानहानि कारित करने के अपराध के दोषी है

(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

UP (APO) 2006

Ans. (b) : प्रश्नगत समस्या **एन0 एल0 शाह बनाम पटेल मगन भाई रेवा भाई एवं अन्य (1984)** के वाद पर आधारित है। 'काजिया-दलाल' शब्द अनेकार्थी है और यदि इसे उचित परिप्रेक्ष्य में पढ़ा जाये तो यह अधिवक्ताओं के पूरे समुदाय को इंगित करता है न की किसी विशिष्ट अधिवक्ता की मानहानि करता है। अतः सम्पादक उत्तरदायी नहीं होगा।

59. Which one of the following combinations is eorrectly matched? /निम्नलिखित में से कौन से संयोजन सही सुमेलित है?

1. K. M. Nanawati v. State of Maharashtra- Grave and sudden provication/के. एम. नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य- गम्भीर एवं अचानक प्रकोपन

2. State of Himachal Pradesh v. Asha Ram- Rape/हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम आशा राम- बलात्संग

3. Karan Singh v. State of Utter Pradesh- Right of Private Defence/करन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य- प्राईवेट प्रतिरक्षा का अधिकार

4. Harjit Singh v. State of Punjab- Dowry death/हरजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य- दहेज मृत्यु

Select the correct answer using the code given below: /नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए:

Code:/कूटः

(a) 1, 2 and 3/1, 2 और 3

(b) 2, 3 and 4/2, 3 और 4

(c) 1, 3 and 4/1, 3 और 4

(d) 1, 2 and 4/1, 2 और 4

UP (APO) 2006

Ans. (d) 1. के. एम. नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य - गम्भीर एवं अचानक प्रकोपन

2. हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम आशा राम - बलात्संग

3. करन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य - हत्या

4. हरजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य - दहेज मृत्यु

60. Principle of vicarious liability was first time decided in the case/प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धान्त प्रथम बार निर्णय किया गया था

(a) R. v. Huggins/आर बनाम हगिन्स के वाद में

(b) R. v. Stephenson/आर बनाम स्टीफेन्सन के वाद में

(c) R. v. Tolson/आर बनाम टॉलसन के वाद में

(d) R. v. Prince/आर बनाम प्रिन्स के वाद में

UP (APO) 2006

Ans. (a) : प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत सर्वप्रथम **आर बनाम हगिन्स (1730)** के वाद में प्रतिपादित किया गया था। इस वाद में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा कारित अपराध के लिए प्रतिनिहित दायित्व के अधीन नहीं होगा परन्तु यदि उसने अपराध कारित करने के लिए पूर्वानुमति या सम्मति दे रखी है तो वह दायी होगा।

61. Which of the following is not correctly matched?
निम्न में से कौन सही समेलित नहीं है?

(a) Navtej Singh Johar V.
Union of India- Section 498-A, I.P.C.
नवतेज सिंह जोहर बनाम भारत संघ–धारा 498–क, भा.दं.सं.

(b) K.N. Mehra V.
State of Rajasthan- Section 378. I.P.C.
के.एन. मेहरा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान–धारा 378 भा.दं.सं.

(c) Niharendu Datt Majumdar V.
Emperor- Section 124-A, I.P.C.
निहारेन्द्र दत्त मजूमदार बनाम इम्परर –धारा 124–क, भा.दं.सं.

(d) State of Haryana V. Raja Ram- Section 361, I.P.C.
स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम राजाराम –धारा 361 भा.दं.सं.

UPPCS (J)-2018

Ans. (a) : नवतेज सिंह जोहर बनाम भारत संघ (2018 SC)–धारा 377
के.एन. मेहरा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान (1957 SC)–धारा 378
निहारेन्द्र दत्त मजूमदार बनाम इम्परर (1939 PC)–धारा 124–A
स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम राजाराम (1972 SC)–धारा 361

62. Consider the following cases and arrange them in chronological order:

(1) W. Kalyani V. State through inspector of Police.

(2) Yusuf Abdul Aziz V. State of Bombay

(3) Joseph Shine V. Union of India.

(4) V. Revthi V. Union of India.

Select correct answer from the code given below:

निम्नलिखित वादों पर विचार कीजिए और उन्हें क्रम में व्यवस्थित कीजिए:

1. डब्ल्यू. कल्याणी बनाम राज्य द्वारा इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस

2. यूसुफ अब्दुल अजीज बनाम स्टेट ऑफ बाम्बे

3. जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ

4. वी. रेवती बनाम भारत संघ

नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:

Code/कूट:

(a) 4, 1, 2, 3 (b) 2, 4, 1, 3

(c) 1, 3, 4, 2 (d) 3, 2, 1, 4

UPPCS (J)-2018

Ans. (b) : सही क्रम—

(1) यूसुफ अब्दुल अजीज बनाम स्टेट ऑफ बाम्बे, 1954

(2) वी. रेवती बनाम भारत संघ, 1988

(3) डब्ल्यू. कल्याणी बनाम राज्य द्वारा इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, 2011

(4) जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ, 2018

उपर्युक्त चारों वाद भारतीय दण्ड संहिता की धारा 497 (जारता) पर आधारित है।

63. In the eventuality of grievous hurt becomes culpable homicide not amounting to murder the injury which is actually found should itself be such that it may put the life of the injured in danger, was decided in the case of :

घोर उपहति के परिणामस्वरूप मानव वध, जो हत्या नहीं है, के होने पर वास्तव में हुई क्षति ऐसी होनी चाहिए जो चोट पाने वाले व्यक्ति के जीवन को खतरे में डाल सकती है, यह निर्णय किस मामले में लिया गया?

(a) Maung Po Yi. v. Mo E Tin/मोंग पो.यी. बनाम मो. ई टिन

(b) Government of Bombay v. Abdul Wahab/बम्बई सरकार बनाम अब्दुल वहाब

(c) Muhammad Rafi v. King/मुहम्मद रफी बनाम किंग

(d) Bishnounam Surma v. King/बिश्नोवनम सुर्मा बनाम किंग

UGC (NET) July, 2016 Paper-III

Ans. (b) : बम्बई सरकार बनाम अब्दुल वहाब (1946) के मामले में न्यायालय ने कहा कि घोर उपहति के परिणामस्वरूप मानव वध, जो हत्या नहीं है, के होने पर वास्तव में हुई क्षति ऐसी होनी चाहिए जो चोट पाने वाले व्यक्ति के जीवन को खतरे में डाल सकती है।

64. In which case Hon'ble "Supreme Court has directed to pay minimum compensation of Rs. 3,00,000/- per acid attack victim-

अम्ल हमले के प्रत्येक आहत को न्यूनतम राशि 3,00,000/-रूपए प्रतिकर भुगतान के आदेश, माननीय उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में दिये हैं?

(a) Laxmi v. Union of India/लक्ष्मी बनाम भारत संघ

(b) Sujoy Mitra v. State of West Bengal सुजाय मित्रा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य

(c) Vennagot Anuradha Samir v. Vennagot Mohandas Samir/वेन्नागाट अनुराधा समीर बनाम रेन्नागाट मोहनदास समीर

(d) Indra Vijay Alok v. State of Madhya Pradesh इंद्र विजय आलोक बनाम म.प्र. राज्य

MPHC CJ 2019 Shift-I

Ans. (a) : लक्ष्मी बनाम भारत संघ (2014 S.C.) के वाद में उच्चतम न्यायालय ने आदेशित किया कि अम्ल हमले (Acid attack) के प्रत्येक मामले में प्रतिकर की राशि न्यूनतम 3 लाख रूपये दिया जाय।

65. The criminal Law (Amendment) Act, 1983 was the culmination of the following judgement of the Supreme Court/सुप्रीम कोर्ट का निम्नलिखित निर्णय दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम, 1983 पारित करने का चरम आधार था?

(a) Nandani Satpathi Vs. PL. Dhani/ नन्दनी सत्पथी बनाम पी.एल. घानी

(b) Tuka Ram Vs. State/तूकाराम बनाम राज्य

(c) Vishakha Vs. State/विशाखा बनाम राज्य

(d) Pratap Mishra Vs. State/प्रताप मिश्रा बनाम राज्य

MP (ADPO) 2009 Paper-II

Ans. (b): तुकाराम बनाम राज्य (1979 S.C.) के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा किये गये निर्णय कि भर्त्सना पूरे समाज द्वारा की गई। जिसके फलस्वरूप दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम, 1983 को पारित किया गया। तुकाराम का मामला भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 375 (बलात्संग) से सम्बन्धित है।

विविध

66. Which of the following pairs is NOT correctly matched?

निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है?

(a) Section 366-A - procuration of minor girl/धारा 366-क - अप्राप्तवय लड़की का उपापन

(b) Section 372 - selling minor for prostitution/धारा 372 - वेश्यावृत्ति आदि हेतु अप्राप्तवय को बेचना

(c) Section 376-B - sexual intercourse by a man with is wife during separation/धारा 376-ख - पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन

(d) Section 497 - enticing away a married woman with criminal intent/धारा 497 - विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना

Uttarakhand (APO) 2015

Ans. (d) : सही सुमेलन—

धारा 366-क - अप्राप्तवय लड़की का उपापन।

धारा 372 - वेश्यावृत्ति आदि हेतु अप्राप्तवय को बेचना।

धारा 376-ख -लोक सेवा द्वारा अपनी अभिरक्षा में की किसी स्त्री के साथ संभोग।

धारा 497 - जारकर्म।

67. Match List-I with List-II and select the correct answer using the code given below the lists-

List-I	List-II
(A) Common Intention	**1. Theft**
(B) Common object	**2. Abetement**
(C) Instigation	**3. Joint Liability**
(D) Dishonest Intention	**4. Constructive Liability**

सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

सूची-I	सूची-II
A. सामान्य आशय	1. चोरी
B. सामान्य उद्देश्य	2. दुष्प्रेरण
C. उत्प्रेरण	3. संयुक्त दायित्व
D. बेईमानी का आशय	4. आन्वयिक दायित्व

कूट:

	A	**B**	**C**	**D**
(a)	3	1	2	4
(b)	2	4	3	1
(c)	3	4	2	1
(d)	2	1	3	4

Uttarakhand (J) 2006

Ans. (c) :

A. सामान्य आशय	1. संयुक्त दायित्व
B. सामान्य उद्देश्य	2. आन्वयिक दायित्व
C. उत्प्रेरण	3. दुष्प्रेरण
D. बेईमानी का आशय	4. चोरी

68. Match List-I and List-II and select the correct answer using the code given below the lists-

	List-I (Case)		List-II (Subject)
(A)	'Kehar Singh v. Delhi Administration	**1.**	Right of Private Defence
(B)	Nawab Ali v. State of UP	**2.**	Criminal Conspiracy
(C)	Vishwanath v. State of UP	**3.**	Common Intention
(D)	Mehboob Shah v. Emperor	**4.**	Common object

सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

	सूची-I (वाद)		सूची-II (विषय)
(A)	केहर सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन	**1.**	व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार
(B)	नवाब अली बनाम उ.प्र. राज्य	**2.**	आपराधिक षड्यंत्र
(C)	विश्वनाथ बनाम उ.प्र.	**3.**	सामान्य आशय
(D)	महबूब शाह बनाम एम्परर	**4.**	सामान्य उद्देश्य

कूट:

	A	B	C	D
(a)	2	4	1	3
(b)	3	1	4	2
(c)	3	4	1	2
(d)	2	1	4	3

Uttarakhand (J) 2006

Ans. (a) : सही सुमेलन निम्नलिखित है

A. केहर सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन	1. आपराधिक षड्यंत्र
B. नवाब अली बनाम उ.प्र. राज्य	2. सामान्य उद्देश्य
C. विश्वनाथ बनाम उ.प्र. राज्य	3. व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार
D. महबूब शाह बनाम एम्परर	4. सामान्य आशय

69. Shatrughan Chauhan Vs. Union of India (2014) 3 S.C.C. 1 is the case related to
शत्रुघन चौहान बनाम भारत संघ (2014)3 एस.सी.सी. 1 वाद किससे सम्बन्धित है?

(a) giving false evidence before the court
न्यायालय के समक्ष झूठी गवाही देने से

(b) waging war against the state
राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ने से

(c) commutation of death sentence to life imprisonment
फाँसी की सजा को आजीवन कारावास में बदलने से

(d) none of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

UP (APO) 2015

Ans. (c) : शत्रुघन चौहान बनाम भारत संघ 2014 के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मृत्यु दण्ड के कार्यान्वयन में लम्बे समय तक विलम्ब से स्वतः मानसिक कष्ट और बेदना उत्पन्न होते है जो कि पश्चात्वर्ती मृत्यु दण्ड के कार्यान्वयन को अमानवीय तथा बर्बर कर देते है। इसलिए इस मामले में मृत्युदण्ड को आजीवन कारावास में बदल दिया गया।

70. Which one of the following is not correctly matched?
निम्नलिखित में से कौन-सा एक युग्म सुमेलित नहीं है?

(a) Bribery at election - Section 171-B/निर्वाचन में रिश्वत-धारा 171-B

(b) Affray-Section 159/दंगा-धारा 159

(c) Thug-Section 310/ठग-धारा 310

(d) Public Nuisance-Section 267
लोक न्यूसेंस-धारा 267

Uttarakhand (J) 2016

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171-B निर्वाचन में रिश्वत।
धारा 159 - दंगा।
धारा 310 - ठग।
धारा 267 - खोटे वाट या माप का बनाना या बेचना।
धारा 268 - लोक न्यूसेंस।

71. Which of the following pairs is not correctly matched under Indian Penal Code?
भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत - निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?

(a) Section 93 - Communication made in good faith/धारा 93 - सद्भावपूर्वक दी गई सूचना

(b) Section 95 - Act causing slight harm/धारा 95 - तुच्छ हानि कारित करने वाला कार्य

(c) Section 54 - Commutation of sentence of imprisonment for life/धारा 54 - आजीवन कारावास के दण्डादेश का लघुकरण

(d) Section 54-A - Definition of 'appropriate government/धारा 54-A - 'समुचित सरकार' की परिभाषा

UK PCS (J) 2019
Uttarakhand (J) 2019

Ans. (c & d) : भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 54** मृत्यु दण्डादेश का लघुकरण, **धारा 55** अजीवन कारावास के दण्डादेश का लघुकरण एवं **धारा 55-A** समुचित सरकार को परिभाषित करती है। उपरोक्त विकल्प में C & D दोनों सही सुमेलित नहीं है।

72. Which one of the following statements is not true?
निम्नलिखित कथनों में कौन–सा एक कथन सत्य नहीं है–

(a) For an unlawful assembly the number of person must be five or more./विधिविरुद्ध जमाव में व्यक्तियों की संख्या 5 या 5 से अधिक होनी चाहिए

(b) Mere presence of a person at the scene of offence does not make him a member of an unlawful assembly./केवल घटना स्थल पर व्यक्तियों के उपस्थित होने से विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य नहीं हो सकते

(c) An assembly which was not unlawful when it assembled may subsequently become an unlawful assembly./जमाव (सभा) जो विधिविरुद्ध नहीं है, बाद में विधिविरुद्ध जमाव हो सकती है

(d) When the accused persons are charged for committing mischief and for rioting separately, the acquittal from charge of mischief would entail automatically acquittal from charge of rioting./अभियुक्त पृथक्तः रिष्टि एवं बलवा के लिए आरोपित किया गया, रिष्टि के लिए वह दोषमुक्त कर दिया गया इसलिए वह स्वतंत्र ढंग के आरोप से दोषमुक्त हो जायेगा।

UP (HJS) 2012

Ans. (d) : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत रिष्टि तथा बलवा दो पृथक-पृथक अपराध है तथा प्रस्तुत समस्या में दोनों अपराध पृथकतः आरोपित किये गये है अतः एक अपराध में दोषमुक्ति दूसरे अपराध में स्वतः दोषयुक्ति नहीं होगी। जबकि विधिविरुध जमाव में व्यक्तियों की संख्य 5 या 5 से अधिक होनी चाहिए।

- केवल घटनास्थल पर उपस्थिति मात्र से अपराध गठित नहीं होता जबतक कि सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में कोई अपराध नहीं किया जाता है।
- धारा 141 के स्पष्टीकरण के अनुसार कोई जमाव इकट्ठा होते समय विधि विरुद्ध नहीं था,बाद में विधिविरुद्ध जमाव हो सकेगा।

73. Match List-I with List-II and select the correct answer by using the codes given below the list:

	List-I	List-II
(A)	Delivery of Property	**1.** Criminal Breach of Trust
(B)	Taking of Property	**2.** Criminal Misa-Property ppropriation of
(C)	Entrusment of Property	**3.** Theft
(D)	Convertibility of Property innocently got to one's own use	**4.** Extortion

सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिये गये कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिये :

	सूची- I	सूची- II
(A)	सम्पति का परिदान	**1.** आपराधिक न्यास भंग
(B)	सम्पत्ति का लेना	**2.** सम्पत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग
(C)	सम्पत्ति का न्यस्त होना	**3.** चोरी
(D)	स्वयं के प्रयोग के लिए निर्देषित: प्राप्त सम्पत्ति का सपरिवर्तन	**4.** उद्दापन

Codes/कूट:

	A	B	C	D
(a)	3	4	1	2
(b)	4	3	1	2
(c)	4	2	3	1
(d)	3	1	2	4

UPPCS (J) 2013

Ans. (b) :
सम्पत्ति का परिदान → उद्दापन (धारा-383)
सम्पत्ति को लेना → चोरी (धारा-378)
सम्पत्ति का न्यस्त होना → आपराधिक न्यास-भंग (धारा-406)
स्वयं के प्रयोग के लिए निर्देषित: प्राप्त सम्पत्ति का संपरिवर्तन → सम्पत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग (धारा-403)

74. Match List-I with List-II and select the correct answer by using the code given below the list :

	List-I	List-II
(A)	Rex V. Levett	**1.** Murder
(B)	Tabu Chetia V. State of Assam	**2.** Criminal conspiracy
(C)	Vijayan V. State of Kerala	**3.** Insanity
(D)	State of U.P. V. Virendra Prasad	**4.** Mistake of fact

सूची-I को सूची- II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिये गये कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिये :

	सूची- I	सूची- II
(A)	रैक्स बनाम लेवैट	**1.** हत्या
(B)	तबु चेतिया बनाम असम राज्य	**2.** आपराधिक षड्यन्त्र
(C)	विजयन बनाम केरल राज्य	**3**. चित्तविकृतता
(D)	उ0 प्र0 राज्य बनाम वीरेन्द्र प्रसाद	**4.** तथ्य की भूल

Codes/कूट:

	A	B	C	D
(a)	1	2	3	4
(b)	1	3	4	2
(c)	4	3	2	1
(d)	3	4	2	1

UPPCS (J) 2013

Ans. (c) :
रैक्स बनाम लेवैट का वाद- तथ्य की भूल से, सम्बन्धित है
तबु चेतिया बनाम असम राज्य का वाद- चित्तविकृतता से, सम्बन्धित है
विजयन बनाम केरल राज्य- आपराधिक षड्यन्त्र सम्बन्धित है
उ0 प्र0 राज्य बनाम वीरेन्द्र प्रसाद- हत्या से सम्बन्धित वाद है।

75. Match List-I with List-II and select the correct answer by using the codes given below the lists.

	List-I	List-II
(A)	Criminal Breach of Trust	**1.** Section 396
(B)	Public Nuisance	**2.** Section 354
(C)	Dacoity with Murder	**3.** Section 405
(D)	Assault with intention to outrage modesty of woman	**4.** Section 268

सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए-

	सूची- I	सूची-II
(A)	आपराधिक न्यास भंग	**1.** धारा 396
(B)	लोक उपताप	**2.** धारा 354
(C)	हत्या सहित डकैती	**3.** धारा 405
(D)	स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से हमला करना	**4.** धारा 268

Code/कूट:

	A	B	C	D
(a)	1	2	3	4
(b)	2	1	4	3
(c)	4	3	2	1
(d)	3	4	1	2

UPPCS (J) 2006

Ans. (d) : सूची- I तथा सूची- II सही सुमेलित क्रम निम्न है-
आपराधिक न्यास भंग - धारा 405
लोक उपताप - धारा 268
हत्या सहित डकैती - धारा 396
स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से हमला करना - धारा 354

76. Which one of the following combinations are not correctly matched?

1.	Mehboob Shah v. Emperor	-	Common Object
2.	State of Maharashtra v M.H. George	-	Mens Rea
3.	Director Public Prosecutor v Beard	-	Defence of Insanity
4.	P. Rathiman v. Union of India	-	Dowry Death

Select the correct answer using the codes given below:
निम्नलिखित में से कौन-से संयोजन सही सुमेलित नहीं है?

1.	महबूबशाह बनाम एम्परर	-	सामान्य उद्देश्य
2.	महाराष्ट्र राज्य बनाम एम0एच0 जार्ज	-	दुराशय
3.	डायरेक्टर पब्लिक प्रोजिक्यूटर बनाम बियर्ड	-	विकृतचित्तता का बचाव
4.	पी0रथिनाम बनाम भारत संघ	-	दहेज मृत्यु

नीचे दिये गये कूट की सहायता से सही उत्तर दिजिये:

Code /कूट:

(a) (1), (2) and (4)/(1), (2) और (4)
(b) (2), (3) and (4)/(2), (3) और (4)
(c) (1), (3) and, (4)/(1), (3) और (4)
(d) (1), (2) and (4)/(1), (2) और (4)

UPPCS (J) 2006

Ans. (c) : प्रस्तुत प्रश्न में कूट (1), (3) एवं (4) सही सुमेलित रुप में नही है- क्योंकि **महबूब शाह बनाम इम्परर** का वाद भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 में उल्लिखित सामान्य आशय तथा समान आशय में अन्तर से सम्बन्धित है।

''**महाराष्ट्र राज्य बनाम एम0एच0 जॉर्ज** का वाद दुराशय से सम्बन्धित है। **पी0 रथिनाम बनाम भारत संघ** का वाद आत्महत्या के प्रयत्न से सम्बन्धित है तथा **डी0पी0पी0 बनाम बियर्ड** का वाद अनैच्छिक मत्तता के बचाव (धारा 85) से संबंधित है।

77. Which of the following pair is not correctly matched?
निम्नलिखित में से कौन स युग्म सुमेलित नहीं है?

1.	Mens Rea दुराशय	-	R. V. Prince आर0 बनाम प्रिंस
2.	Necessity आवश्यकता	-	D.P.P. v. Beard डी0पी0पी0 बनाम बनाम बियर्ड
3.	Insanity चित्तविकृति	-	Mc Naughten case मैकनाटेन का वाद
4.	Intoxication मत्तता	-	Basudeo v. State of Pepsu बासुदेव बनाम पेप्स राज्य

UPPCS (J) 2006, 2012

Ans. (b) : निम्नलिखित युग्म सुमेलित है-
दुराशय - आर0बनाम प्रिंस
चित्तविकृति - मैकनाटेन का वाद
मत्तता - वासुदेव बनाम पेप्सू राज्य
डी0पी0पी0 बनाम बियर्ड नशे से सम्बन्धित वाद है। आवश्यकता से सम्बन्धित प्रमुख वाद आर0 बनाम डडले एण्ड स्टीफेन है।

78. Which one of the following combinations is not correctly matched?
1. Dowry death - Sec. 498-A
2. Rape - Sec. 377
3. Adultery - Sec. 497
4. Robbery - Sec. 391
Select the correct answer using the code given below:
निम्न में से कौन से संयोजन सही सुमेलित नहीं है?
1. दहेज मृत्यु - धारा 498-क
2. बलात्संग - धारा 377
3. जारकर्म - धारा 497
4. लूट - धारा 391

Code/कूट-
(a)(1), (3) and (4)/(1), (3) और (4)
(b)(1), (2) and (4)/(1), (2) और (4)
(c)(1), (2) and (3)/(1), (2) और (3)
(d)(2), (3) and (4)/(2), (3) और (4)

UPPCS (J) 2003

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 497** में 'जारकर्म' का अपराध वर्णित है। जबकि दहेज मृत्यु **धारा 304-ख** में, बलात्संग **धारा 375** में, लूट **धारा 390** में दिया गया है। **धारा 498-क** पति या पति के नातेदारों द्वारा स्त्री के प्रति क्रूरता से संबंधित है। यह धारा 25 दिसम्बर, 1983 से प्रवृत्त हुई। **धारा 377** प्रकृति-विरुद्ध अपराध से तथा **धारा 391** में डकैती को परिभाषित किया गया है

79. Which of the following combinations are not correctly matched?

1.	Sherras v. De Rutzen	-	Mens rea
2.	Barendra Kumar Ghosh v. Emperor	-	Intoxication
3.	Abhayanand Misra v. State of Bihar	-	Right to die
4.	Gian Kaur v. State of Punjab	-	Criminal attempt

Select the correct answer using the code given below
निम्न में से कौन से संयोजन सही सुमेलित नहीं हैं?

1.	शेराज बनाम डे रुटजेन	-	दुराशय
2.	बारेन्द्र कुमार घोष बनाम एम्परर	-	मत्तता
3.	अभयानन्द मिश्र बनाम बिहार राज्य	-	मरने का अधिकार
4.	ग्यान कौर बनाम पंजाब राज्य	-	अपराध करने का प्रयत्न

नीचे दिये गये कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए:

Code/कूट:
(a) (2), (3) and (4)/(2), (3) और (4)
(b) (1), (2) and (3)/(1), (2) और (3)
(c) (1), (3) and (4)/(1), (3) और (4)
(d) (1), (2) and (4)/(1), (2) और (4)

UPPCS (J) 2003

Ans. (a) : शेराज बनाम डी रुटजन का वाद दुराशय से सम्बन्धित है अत: यह सही सुमेलित किया गया है। जबकि-
वीरेन्द्र कुमार घोष बनाम इम्परर का वाद धारा 34 सामान्य आशय से, **अभयानन्द मिश्रा बनाम बिहार राज्य** का वाद धारा 511 आपराधिक प्रयत्न से, **ग्यानकौर बनाम पंजाब राज्य** का वाद धारा 309 आत्महत्या करने के प्रयत्न से सम्बन्धित है। मत्तता धारा 85 **डी.पी.पी. बनाम बियर्ड** के वाद से सम्बन्धित है।

80. Assertion (A) : Nothing is an offence which is done by a person who, at the time of doing it, by reason of unsoundness of mind, is incapabel of knowing the nature of the act.
Reason (R) : Mistake of fact is a good defence and mistake of law is no defence.
कथन (A) : कोई बात अपराध नहीं है, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है, जो उसकेकरते समय चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति जानने में असमर्थ है।
कारण (R) : तथ्य की भूल एक अच्छा बचाव है और विधि की भूल बचाव नहीं है।

(a) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
A और R दोनों सही हैं, और R, A का सही स्पष्टीकरण है।

(b) Both A and R are true but R is not correct explanation of A.
A और R दोनों सही हैं, परन्तु R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

(c) A is true but R is false.
A सही है परन्तु R गलत है।

(d) A is false but R is true.
A गलत है परन्तु R सही है।

UPPCS (J) 2003

Ans. (b) : भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 84** के अनुसार, कोई बात अपराध नहीं है, जो उसे करते समय चित्तविकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति, या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है। **धारा 76** के अनुसार, कोई बात अपराध नहीं है, जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो या जो तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि की भूल के कारण, सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। अत: धारा 76 उस लैटिन सूत्र को व्यक्त करती है जिसका अर्थ है **''तथ्य की भूल क्षम्य है, विधि की भूल क्षम्य नहीं है'' (Ignorantia facit excusat, Ignorantia juris non-excusat)** अत: A और R दोनों दोनों सही है, परन्तु R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

81. Which of the following is not matched correctly under Indian Penal Code ?
भारतीय दण्ड संहिता के अधीन निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है?

(a)	Thug/ठग	-	Section 309/ धारा 309
(b)	Counterfeiting coins सिक्के का कूटकरण	-	Section 231/ धारा 231
(c)	Bribery/ रिश्वत	-	Section 171-B/ धारा 171-ख
(d)	Gender/ लिंग	-	Section 8/ धारा 8

UP (APO) 2015

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 310 में 'ठग' शब्द को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है 'जो कोई इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात किसी समय हत्या द्वारा या हत्या सहित लूट या शिशुओं की चोरी करने के प्रयोजन के लिए अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों से अभ्यासतः सहयुक्त रहता है, वह ठग है। धारा 309 आत्महत्या करने के प्रयत्न से संबंधित है।

82. Match the following :
निम्न को सुमेलित कीजिये

	List-I/सूची-I (Offence) (अपराध)	**List-II/सूची-II (Sections of I.P.C.) (भारतीय दण्ड संहिता की धारा)**
(A)	Criminal conspiracy/ अपराधिक षड़यंत्र	Section 307/ धारा 307
(B)	Attempt to murder/ हत्या का प्रयास	Section 383/ धारा 383
(C)	Culpable Homicide/ अपराधिक मानव-वध	Section 120-A/ धारा 120-क
(D)	Extortion/ उद्दापन	Section 299/ धारा 299

Codes :

	A	**B**	**C**	**D**
(a)	3	1	4	2
(b)	1	2	3	4
(c)	4	3	2	1
(d)	3	4	1	2

UP (APO) 2015

Ans. (a) : सुमेल निम्न प्रकार से होगा-
(a) अपराधिक षड्यंत्र - 3 धारा 120 क
(b) हत्या का प्रयास - 1 धारा 307
(c) आपराधिक मानव वध- 4 धारा 299
(d) उद्दापन - 2 धारा 383

83. Match List-I with List-II/सूची-I और सूची-II को सुमेलित कीजिए:

	List-I/सूची-I	**List-II/सूची-II**
(A)	Reg Vs. Govinda/ रेग बनाम गोविन्दा	1. Insanity / चित्तविकृति
(B)	State of Maharashtra Vs. M.H. George/ महाराष्ट्र राज्य बनाम एम. एच. जॉर्ज	2. Common Intention/ सामान्य आशय
(C)	Mehboob Shah Vs. Emperor/ महबूब शाह बनाम एम्परर	3. Murder/ हत्या
(D)	Mc Naughten Case/ मैकनाटन वाद	4. Mens rea/ दुराशय

Codes:/कूट:

	A	**B**	**C**	**D**
(a)	2	1	3	4
(b)	4	3	1	2
(c)	3	4	2	1
(d)	1	2	3	4

UP (APO) 2011

Ans. (c) : सुमेल निम्न प्रकार से होगा :

सूची-I	सूची-II
A. रेग बनाम गोविन्दा	3. हत्या
B. महाराष्ट्र राज्य बनाम एच.एच.जार्ज	4. दुराशय
C. महबूब शाह बनाम एम्परर	2. सामान्य आशय
D. मैकनाटन वाद	1. चित्त विकृत्ति

84. Match List-I with List-II and select the correct answer by using the codes given below :
सूची-I और सूची-II को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की मदद से सही उत्तर चुनिए :

List-I सूची-I	List-II सूची-II
(A) Vishwanath Vs. State of U.P. विश्वनाथ बनाम उ.प्र. राज्य	(i) S. 299 I.P.C. धारा 299 भा.द.सं.
(B) Abettor दुष्प्रेरक	(ii) S. 107 I.P.C. धारा 107 भा.द.सं.
(C) Abetment of a thing किसी वस्तु का दुष्प्रेरण	(iii) S. 108 I.P.C. धारा 108 भा.द.सं.
(D) Kusa Majhi Vs. State of Orissa कुसा माझी बनाम उड़ीसा राज्य	(iv) S. 100 I.P.C. धारा 100 भा.द.सं.

Code/कूट :

	(A)	(B)	(C)	(D)
(a)	(iv)	(iii)	(ii)	(i)
(b)	(i)	(iii)	(ii)	(iv)
(c)	(iii)	(i)	(ii)	(iv)
(d)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)

UP (APO) 2007 (Special)

Ans: (a) सही सुमेलित क्रम इस प्रकार है—

सूची-I	सूची-II
A. विश्वनाथ बनाम उ.प्र. राज्य	4. धारा 100 भा.द.सं.
B. दुष्प्रेरक	3. धारा 108 भा.द.सं.
C. किसी वस्तु का दुष्प्रेरण	2. धारा 107 भा.द.सं.
D. कुसा माझी बनाम उड़ीसा राज्य	1. धारा 299 भा.द.सं.

85. Which of the following Sections of I.P.C. have no reference to offence relating to sex?
भा.द.सं. की कौन धाराएँ लिंग अपराध से सम्बन्धित नहीं है?

(i) Section 87/धारा 87
(ii) Section 375/धारा 375
(iii) Section 88/धारा 88
(iv) Section 89/धारा 89

Select correct answer with the help of code given below :
निम्नांकित कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए :

(a) (i) and (iii)/ (i) और (iii)
(b) (ii) and (iii)/ (ii) और (iii)
(c) (i), (ii), (iii) and (iv)/ (i), (ii), (iii) और (iv)
(d) (i), (iii) and (iv)/ (i), (iii) और (iv)

UP (APO) 2007 (Special)

Ans: (d) धारा 87 - सम्मति से किया गया कार्य अपराध नहीं है
धारा 88 - फायदे के लिए सद्भावपूर्वक सम्मति से कार्य अपराध नहीं है।
धारा 89 - संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से फायदे के लिए कार्य अपराध नहीं है।
धारा 375 - बलात्संग (लिंग आधारित अपराध)।

86. Which one of the following pairs is incorrect?
निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म गलत है?

(a) Pandurang Vs. State of Hyderabad – Common intention
पाण्डुरंग बनाम स्टेट ऑफ हैदराबाद – सामान्य आशय
(b) R. Vs. McNaughten – act of person of unsound mind
आर. बनाम मैकनाटन – विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य
(c) R. Vs. Prince – Mens rea
आर. बनाम प्रिन्स – दुराशय
(d) R. Vs. Williams – Murder
आर. बनाम विलियम्स – हत्या

UP (APO) 2007 (Special)

Ans: (d) आर. बनाम विलियम्स का वाद हत्या से संबंधित नहीं है यह वाद धोखे द्वारा ली गयी सहमति से सम्बन्धित है।

87. Match List-I with List-II and select the correct answer with the help of codes given below :
सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए:

List-I	List-II
(A) Section 73 धारा 73	(i) Sedition राजद्रोह
(B) Section 84 धारा 84	(ii) Act of a person of unsound mind विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य
(C) Section 124-A धारा 124-A	(iii) Rioting बलबा
(D) Section 146 धारा 146	(iv) Solitary confinement एकान्त परिरोध

Code/कूट :

	(A)	(B)	(C)	(D)
(a)	(iv)	(ii)	(i)	(iii)
(b)	(iv)	(ii)	(iii)	(i)
(c)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
(d)	(ii)	(iv)	(i)	(iii)

UP (APO) 2007 (Special)

Ans: (a) सही सुमेलित क्रम इस प्रकार है—

सूची-I	सूची-II
A. धारा 73	(iv) एकान्त परिरोध
B. धारा 84	(ii) विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य
C. धारा 124- A	(i) राजद्रोह
D. धारा 146	(iii) बलवा करना

88. Match List-I with List-II and select the correct answer by using the code given below :
सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए:

List-I	List-II
(A) Rex Vs. Levett रेक्स बनाम लेवेट	(i) Murder हत्या
(B) Tabu Chetia Vs. State of Assam तबू चेतिया बनाम असम राज्य	(ii) Criminal Conspiracy आपराधिक षड्यंत्र
(C) Vijayan Vs. State of Kerala विजयन बनाम केरल राज्य	(iii) Insanity उन्मत्तता
(D) State of U.P. Vs. Virendra Prasad उ.प्र. राज्य बनाम वीरेन्द्र प्रसाद	(iv) Mistake of Fact तथ्य की भूल

Code/कूट :

	(A)	(B)	(C)	(D)
(a)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
(b)	(i)	(iii)	(iv)	(ii)
(c)	(iv)	(iii)	(ii)	(i)
(d)	(iii)	(iv)	(ii)	(i)

UP (APO) 2007 (Special)

Ans: (c) सही सुमेलित क्रम इस प्रकार है—

A. रेक्स बनाम लेवेट	4. तथ्य की भूल
B. तबू चेतिया बनाम असम राज्य	3.उन्मत्तता
C. विजयन बनाम केरल राज्य	2. आपराधिक षडयंयत्र
D. उत्तर प्रदेश राज्य बनाम वीरेन्द्र प्रसाद	1. हत्या

89. Match List-I (Case) with List-II (Subject) and select the correct answer from the codes given below the Lists—
सूची-I (वाद) को सूची-II (विषय) के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

	List-I सूची-I	List-II सूची-II
A.	Kehar Singh v. Delhi Administration/ केहर सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन	1. Right of private defence/प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार
B.	Nawab Ali v. State of Uttar Pradesh/ नवाब अली बनाम उ.प्र. राज्य	2. Criminal Conspiracy/ आपराधिक षड़यन्त्र
C.	Vishwanath v. State of Uttar Pradesh/ विश्वनाथ बनाम उ.प्र. राज्य	3. Common intention/ सामान्य आशय
D.	Mehboob Shah v. Emperor/महबूब शाह बनाम सम्राट	4. Common Object/ सामान्य उद्देश्य
		5. Mistake of fact/ तथ्य की भूल

Codes/कूट :

	A	B	C	D
(a)	2	4	1	3
(b)	3	1	5	2
(c)	3	4	1	2
(d)	2	1	5	3

UP (APO) 2007
Uttarakhand (J) 2016

Ans : (a) सुमेल निम्न प्रकार से होगा—

सूची-I	सूची-II
A. केहर सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन	2. आपराधिक षड़यन्त्र
B. नवाब अली बनाम उ.प्र. राज्य	4. सामान्य उद्देश्य
C. विश्वनाथ बनाम उ.प्र. राज्य	1. प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार
D. महबूब शाह बनाम सम्राट	3. सामान्य आशय

90. Match List-I with List-II and select the correct answer from the codes given below the Lists—
सूची-I से सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिये गए कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए :

	List-I/सूची-I	List-II/सूची-II
A.	Act of Judge when acting judicially/न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य	1. Section 82 of IPC/भारतीय दण्ड संहिता की धारा 82
B.	Accident in doing a lawful act/विधिक कार्य करते हुए दुर्घटना	2. Section 84 of IPC/भारतीय दण्ड संहिता की धारा 84
C.	Act of a child under seven years of age/सात वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य	3. Section 77 of IPC/ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 77

D. Act of a person of unsound mind/विक्षिप्त मस्तिष्क वाले व्यक्ति का कार्य — 4. Section 80 of IPC/ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 80

Codes/कूट :

	A	B	C	D
(a)	4	1	2	3
(b)	3	4	1	2
(c)	1	2	3	4
(d)	2	1	4	1

UP (APO) 2007

Ans : (b) सुमेल निम्न प्रकार से होगा—

सूची-I	सूची-II
A. न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य	3. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 77
B. विधिक कार्य करते हुए दुर्घटना	4. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 80
C. सात वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य	1. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 82
D. विक्षिप्त मस्तिष्क वाले व्यक्ति का कार्य	2. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 84

91. Match List I with List II and select the correct answer using the code given below the list: / सूची को सूची से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए:

	List I/सूची	List II/सूची
(a)	Dowry death/ दहेज मृत्यु	Section 340 I.P.C./ धारा 340 भा.द.स.
(b)	House-breaking/ गृह भेदन	Section 351 I.P.C./ धारा 351 भा.द.स.
(c)	Assault/ हमला	Section 304 B I.P.C/धारा 304 'ख'भा.द.स.
(d)	Wrongful confinement/ सदोष परिरोध	Section 445 I.P.C/धारा 445 भा.द.स.

Code:/कूटः

	A	B	C	D
(a)	4	3	2	1
(b)	3	4	1	2
(c)	3	4	2	1
(d)	1	2	3	4

UP (APO) 2006

Ans. (c) : सुमेलित निम्न प्रकार से होगा-

A.	दहेज मृत्यु	3. धार 304 ख
B.	गृह भेदन	4. धार 345
C.	हमला	2. धार 351
D.	सदोष प्रतिरोध	1. धार 340

92. Under which of the following sections of I.P.C., there is provision of death sentence? Answer with the help of code given below:/भारतीय दण्ड संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धाराओं के अन्तर्गत मृत्युदण्ड दिए जाने का प्रावधान है? नीचे दिये गये कूट की सहायता से उत्तर दें:

1. **Sections 194 and 449/धाराएं 194 और 449**
2. **Section 132 and 194/धाराएं 132 और 194**
3. **Section 364 A and 396/धाराएं 364क और 396**
4. **Section 124A and 132/धाराएं 124क और 132**

Code:/कूटः

(a) 1 and 2 only/1 और 2 केवल
(b) 2 and 3 only/2 और 3 केवल
(c) 3 and 4 only/3 और 4 केवल
(d) 1 and 4 only/1 और 4 केवल

UP (APO) 2006

Ans. (b) : मृत्यु दण्ड से सम्बन्धित दण्डनीय धारायें निम्न हैं-

धारा	प्रावधान	दण्ड
132	विद्रोह का दुष्प्रेरण यदि उसके परिणाम स्वरूप विद्रोह किया जाए	मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष का कारावास
194	यदि निर्दोष व्यक्ति एतद्द्वारा दोष सिद्ध किया जाय और उसे फाँसी दी जाये	मृत्युदण्ड
364क	मुक्ति धन, इत्यादि के लिए व्यपहरण	मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास
396	हत्या सहित डकैती	मृत्यु या आजीवन कारावास या कठिन कारावास

93. Match list-I and list-II and select correct answer using the codes given below the lists— सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

	List-I/सूची-I (Section)	List-II/सूची-II (Offence)
(A)	Section 463/धारा 463	1. Criminal Trespass/ आपराधिक अतिचार
(B)	Section 445/धारा 445	2. Forgery/कूट रचना
(C)	Section 441/धारा 441	3. Criminal intimidation / आपराधिक अभित्रास
(D)	Section 503/धारा 503	4. House-breaking/ गृहभेदन

Codes/कूट :

	A	B	C	D
(a)	2	4	1	3
(b)	2	4	3	1
(c)	2	1	3	4
(d)	1	2	3	4

UP (APO) 2002

Ans: (a) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 463 कूट रचना से, धारा 445-गृहभेदन से, धारा 441 आपराधिक अतिचार से तथा धारा 503 आपराधिक अभित्रास से सम्बन्धित है।

94. Match the following:
सुमेलित कीजिये:

	List-I/सूची- I	List-II/सूची- II
A	Attempt to commit culpable homicide/आपराधिक मानववध का प्रयत्न	1. Section 351, IPC/ धारा 351, भा.दं.सं.
B	Attempt to commit suicide /आत्महत्या करने का प्रयत्न	2. Section 362, IPC/ धारा 362, भा.दं.सं.
C	Assault/हमला	3. Section 308, IPC/ धारा 308, भा.दं.सं.
D	Abduction/अपहरण	4. Section 309, IPC/ धारा 309, भा.दं.सं.

codes/कूट

	A	B	C	D
(a)	3	4	2	1
(b)	1	2	4	3
(c)	4	2	1	3
(d)	3	4	1	2

UP (APO) 2018

Ans. (d) : सही सुमेलन–

आपराधिक मानव वध का प्रयत्न	– धारा 308
हमला	– धारा 351
अपहरण	– धारा 362
आत्महत्या करने का प्रयत्न	– धारा 309

95. Which of the following pairs is NOT correctly matched?
अधोलिखित में कौन-सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?

(a) Mens rea/दुराशय-R v. Prince/आर बनाम प्रिंस
(b) Necessity/आवश्यकता-R.V.Dudley and Stephens/आर बनाम डडले एण्ड स्टीफेंस
(c) Insanity/ पागलपन-Mc 'Naghten's case /मैकनाटन वाद
(d) Intoxication/मत्तता -Basudeo v State of PEPSU/वासुदेव बनाम पेप्सू राज्य

UP (APO) 2018

Ans. (*) : प्रस्तुत प्रश्न में सभी विकल्प सही है किन्तु उ0प्र0 लोक सेवा आयोग ने विकल्प (d) को सही उत्तर माना है।

96. Match List-I with List-II and select the correct answer using the codes given below the lists:

	List-I/सूची- I	List-II/सूची- II
A.	Section 81, IPC धारा 81, भा.दं.सं.	1. Act of person of unsound mind विकृति चित्त व्यक्ति का कार्य
B.	Section 84, IPC धारा 84, भा.दं.सं.	2. Act of causing slight harm/हल्का हानि पहुँचने का कार्य
C.	Section 86, IPC धारा 86, भा.दं.सं.	3. Defence of necessity आवश्यकता का बचाव
D.	Section 95, IPC धारा 95, भा.दं.सं.	4. Intoxication मत्तता

Codes/कूट

	A	B	C	D
(a)	1	2	3	4
(b)	3	1	4	2
(c)	2	1	3	4
(d)	3	2	4	1

UP (APO) 2018

Ans. (b) : सही सुमेलन–
धारा 81 – आवश्यकता का बचाव
धारा 84 – विकृति चित्त व्यक्ति का कार्य
धारा 86 – मत्तता
धारा 95 – हल्का हानि पहुँचने का कार्य

97. Match the following:
निम्न को सुमेलित कीजिये :

	List-I/सूची- I (Decided Cases/निर्णीत वाद)	List-II/सूची- II (Related Sections of Indian Penal Code/ भारतीय दण्ड संहिता की संबंधित धारा)
A	Barendra Kumar Ghosh v. Emperor/ बरीन्द कुमार घोष बनाम सम्राट	1. Section 303/ धारा 303
B	K.M. Nanavati v. State of Maharashtra/के.एम. नानावटी बनाम महाराष्ट्र राज्य	2. Section 34/ धारा 34
C	Mitthu v. State of Punjab/मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य	Distinguish between section/ धारा 299 व 300में अन्तर
D	R.V. Govind/ आर बनाम गोविन्द	Section 300/ धारा 300

Codes:

	A	B	C	D
(a)	2	4	1	3
(b)	3	2	1	4
(c)	4	2	1	3
(d)	2	1	3	4

UP (APO) 2018

Ans. (a) : सही सुमेलन–
निर्णीत वाद – भारतीय दण्ड संहिता की संबंधित धारा
बरीन्द कुमार घोष बनाम सम्राट – धारा 34
आर. बनाम गोविन्द – धारा 299 व 300 में अन्तर
के. एम. नानावटी बनाम महाराष्ट्र राज्य – धारा 300
मिठ्ठू बनाम पंजाब राज्य – धारा 303

98. Match List-I with List-II and select the correct answer using the codes given below the list:
सूची-I को सूची-II से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही विकल्प चुनें:

List-I (सूची- I)	**List-II (सूची- II)**
A. Delivery of Property सम्पत्ति का परिदान	**1.** Criminal breach of trust आपराधिक न्यासभंग
B. Taking of Property सम्पत्ति का लेना	**2.** Criminal misappropriation of property सम्पत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग
C. Entrustment of Property सम्पत्ति का न्यस्त होना	**3.** Theft चोरी
D. Convertibility of property got innocently to one's own use निर्दोष तरीके से प्राप्त सम्पत्ति को संपरिवर्तित करके अपने स्वयं के प्रयोग में लाना	**4.** Extortion उद्दापन

Code/कूट:

	A	**B**	**C**	**D**
(a)	4	3	1	2
(b)	3	4	1	2
(c)	4	2	3	1
(d)	3	1	2	4

UP (APO) 2011
UPPCS (J)-2018

Ans. (a) :
सम्पत्ति का परिदान - उद्दापन (धारा 383)
सम्पत्ति का लेना - चोरी (धारा 378)
सम्पत्ति का न्यस्त होना - आपराधिक न्यासभंग (धारा 405)
निर्दोष तरीके से प्राप्त सम्पत्ति को संपरिवर्तित करके अपने स्वयं के प्रयोग में लाना - सम्पत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग (धारा 403)

99. Match List-I with List-II and give the correct answer by using the code given below:
सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित करें और नीचे दिये गये कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दें–

List-I/सूची-I	**List-II/सूची-II**
A. Dishonest taking of property/ बेईमानी से संपत्ति ले लेना	1. Criminal breach of Trust/ आपराधिक न्यासभंग
B. Dishonestly inducing any person to deliver property/ बेईमानी से किसी व्यक्ति को सम्पत्ति परिदत्त करने के लिए उत्प्रेरित करना	**2.** Extortion/ उद्दापन
C. Entrustment of property/ सम्पत्ति सौंपा जाना	**3.** Criminal Misappropriation/ आपराधिक दुर्विनियोग
D. Conversion of property/ सम्पत्ति का संपरिवर्तन	**4.** Theft/ चोरी

Code:/कोड–

	A	**B**	**C**	**D**
(a)	1	2	3	4
(b)	4	2	1	3
(c)	3	4	2	1
(d)	2	3	1	4

UGC (NET) July, 2018 Paper-II

Ans. (b) : सुमेलितः
A. बेइमानी से सम्पत्ति लेना - चोरी (धारा 378)
B. बेइमानी से किसी व्यक्ति को सम्पत्ति परिदत्त करने के लिए उत्प्रेरित करना - उद्यापन (धारा 383)
C. सम्पत्ति सौपा जाना - अपराधिक न्यासभंग (धारा 405)
D. सम्पत्ति का संपरिवर्तन - अपराधिक दुर्विर्नियोग (धारा 403)

100. Which of the following combinations are correctly matched?

1.	Harbour	-	Section 51-A, I.P.C.
2.	Wrongful Loss	-	Section 23, I.P.C.
3.	Gang rape on	-	Section 376-DB,

	woman under twelve years of age		I.P.C.
4.	Gang rape	-	Section 376-D.I.P.C.

Select the correct answer using the code given below:
निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित है?

1.	संश्रय	-	धारा 51–क, भा.दं.सं.
2.	सदोष हानि	-	धारा–23, भा.दं.सं.
3.	बारह वर्ष से कम आयु की महिला के साथ सामुहिक बलात्संग	-	धारा 376–घ ख, भा.दं.सं.
4.	सामूहिक बलात्संग	-	धारा 376–घ, भा.दं.सं.

(a) 1, 3 and 4/1, 3 और 4
(b) 1, 2 and 3/1, 2 और 3
(c) 2, 3 and 4/2, 3 और 4
(d) 1, 2 and 4/1, 2 और 4

UPPCS (J)-2018

Ans. (c) : सही सुमेलन

1. संश्रय	– धारा 52–A
2. सदोष हानि	– धारा–23, भा.दं.सं.
3. बारह वर्ष से कम आयु की महिला के साथ सामुहिक बलात्संग	– धारा 376–DB
4. सामूहिक बलात्संग	– धारा 376–D

101. Match List-I (Objectives) with List-II (Propositions) and select the correct answer using the codes given below:
सूची-I (लक्ष्य) को सूची-II (प्रस्ताविकी) के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिये गये कूटों का उपयोग करते हुये सही उत्तर का चयन कीजिये–

List-I/सूची-I	**List-I/सूची-II**
A. Inchoate crime अपूर्ण अपराध	**1.** 'Whaton' says it is the beginning but not complete/'व्हाटन' ने कहा यह शुरूआत है, लेकिन पूर्ण नहीं
B. Attempt प्रयास	**2.** It does not act towards the commissions of offence/यह अपराध करने की दिशा में कार्य नहीं करता है
C. Preparation तैयारी	**3.** Culprit commences to do something/अपराधी कुछ शुरू करता है
D. Intention इरादा	**4.** When preparation merges itself with attempt/जब तैयारी स्वयं प्रयास में विलयित हो जाती है

Codes:/कूट:

	A	**B**	**C**	**D**
(a)	2	3	4	1
(b)	1	2	3	4
(c)	3	4	1	2
(d)	4	1	2	3

UGC (NET) June, 2013 Paper-II

Ans. (b) :

List-I/सूची-I	**List-I/सूची-II**
A. अपूर्ण अपराध	1. 'व्हाटन' ने कहा यह शुरूआत है, पूर्ण नहीं
B. प्रयास	2. यह अपराध करने की दिशा में कार्य नहीं करता है
C. तैयारी	3. अपराधी कुछ शुरू करता है
D. इरादा (आशय)	4. जब तैयारी स्वयं प्रयास में विलयित हो जाती है

102. Read Assertion I and Reason II and with the help of codes given below write the appropriate answer:
अभिकथन (A) और तर्क (R) को पढ़िये तथा नीचे दिये गए कूटों की सहायता से समुचित उत्तर लिखिये–

Assertion (A): The distinctive feature between preparation and attempt must be based on.
अभिकथन (A): तैयारी और प्रयास के बीच विशिष्ट गुण निम्नलिखित पर आधारित होने चाहिये।

Reason (R): Preparation consists in devising means necessary for the commission of offence while attempt is the direct movement towords commission.
तर्क (R): तरीके तैयार करने में शामिल तैयारी उस समय अपराध करने के लिये आवश्यक है, जब कार्य करने की ओर प्रत्यक्ष संचलन है।

Codes:/कूट:

(a) Both (A) and (R) are true but (R) is not correct explanation of (A)/(A) और (R) दोनों सही है और (R), (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है
(b) Both (A) and (R) are true while (R) is the correct explanation of (A)/(A) और (R) दोनों सही है (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है
(c) (A) is true, but (R) is false/(A) सही है परन्तु (R) गलत है
(d) (R) is true, but (A) is only a stage of crime/(A) गलत है। (R) अपराध का केवल चरण है।

UGC (NET) December, 2013 Paper-III

Ans. (b) : अपराध के चार चरण होते है-
1. आशय (Intention)
2. तैयारी (Preparation)
3. प्रयत्न (Attempt)
4. अपराध की पूर्णता (Commission of offence)
तैयारी और प्रयास के बीच विशिष्ट गुण ''तरीके तैयार करने में शामिल तैयारी उस समय अपराध करने के लिए आवश्यक है जब कार्य करने की ओर प्रत्यक्ष संचलन है'' जरूरी है।
अतः A तथा R दोनो सही है तथा R, A का सही स्पष्टीकरण है।

103. Read the Assertion (A) and the Reason (R) given below to answer the correct explanation using the codes:
अभिकथन (A) और कारण (R) को पढ़िये और नीचे दिये गये कूटों का प्रयोग करके सही व्याख्या का उत्तर दीजिए:

Assertion (A): The legal right involves freedom from penalty.
अभिकथन (A): कानूनी अधिकार में दंड से मुक्ति शामिल है।
Reason (R): A legal right is one which is either enforceable or recognised.
तर्क (R): कानूनी अधिकार वह है जो या तो प्रवर्तनीय है या मान्यता प्राप्त है।

Codes:/कूट:
(a) Both (A) and (R) are correct, but (R) is not the correct explanation of (A)/(A) और (R) दोनों सही है और (R), (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है
(b) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)/(A) और (R) दोनों सही है और (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है
(c) Assertion (A) is correct, but Reason (R) is wrong/(A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है
(d) Assertion (A) is incorrect because Reason (R) fixes liability when not enforceable or derecognised/(A) असत्य है क्योंकि (R) उत्तरदायित्व निश्चित करता है जब वह प्रवर्तनीय या अमान्यताकृत होता है

UGC (NET) December, 2014 Paper-II

Ans. (b) : कानूनी अधिकार में दण्ड से मुक्ति शामिल होती है तथा कानूनी अधिकार वह होता है जो या तो प्रवर्तनीय होता है या मान्यता प्राप्त है।

104. Read Assertion (A) and Reason (R) and with the help of codes given below find the correct explanation:
अभिकथन (A) और तर्क (R) को पढ़िये और नीचे दिये गये कूटों की मदद से सही व्याख्या ढूँढिए:

Assertion (A): Participation in some manner in the act constituting the offence of common intention by all the persons to be prosecuted is necessary.
अभिकथन (A): उन सभी व्यक्तियों जिन पर मुकदमा चलाना आवश्यक है, उनके द्वारा समान इरादे के किए गए अपराध का निर्माण करनेवाले कृत्य में, किसी प्रकार से भागीदारी।
Reason (R): Physical presence at the time of commission of crimes is not mandatory in all cases:
तर्क (R): अपराध किए जाने के समय में सभी मामलों में भौतिक उपस्थिति अनिवार्य नही होती।

Codes/कूट:
(a) Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A)/(A) और (R) दोनों सही है और (R), (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है
(b) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)/(A) और (R) दोनों सही है लेकिन (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है
(c) (A) is correct, but (R) is false/(A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है
(d) (A) is false, but (R) is true/(A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है

UGC (NET) December, 2014 Paper-III

Ans. (b) : जब किसी अपराधिक विधि में अपराध का निर्माण करने वाले कृत्य में समान इरादे से भागीदारी है, उन सभी व्यक्ति पर वाद चलाना आवश्यक होता है क्योंकि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 यह प्रावधानित करती है कि जब कि कोई अपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सब के सामान्य आशय के अग्रसर में किया जाता है। ऐसे व्यक्ति में हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार से दायित्व के अधीन है, मानों वह कार्य अकेले उसी ने किया। लेकिन अपराध किये जाने के समय सभी मामलों में भौतिक उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती है।

105. Match cases from Group A with relevant legal provision from Group B and find the correct
सूमह-A के मामलों को सम्बद्ध कानून व्यवस्था समूह-B से सुमेलित कर सही उत्तर का चयन कीजिए।

Group-A/ग्रुप -A		Group-B/ग्रुप-B	
A.	K.N. Mehra v. State of Rajasthan/के.एन.मेहरा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान	1.	Section 300/धारा 300
B.	Aruna Ramchand Shanbaugh v. Union of India/अरूणा रामचन्द बनाम यूनियन ऑफ इंडिया	**2.**	Section 120-A/धारा 120-**A**

C.	State (NCT of Delhi) v. Navjot Sandhu @ Afsana Guru/स्टेट (एन.सी.टी. ऑफ दिल्ली) बनाम नवजोत सन्धू @ अफसान गुरू	**3.**	Section 309/धारा 309
D.	Virsa Singh v. State of Punjab/विरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य	**4.**	Section 378/धारा 378

Code:/कोड–

	A	**B**	**C**	**D**
(a)	1	3	4	2
(b)	1	3	2	4
(c)	4	3	2	1
(d)	3	4	2	1

UGC (NET) June, 2015 Paper-III

Ans. (c) : सुमेलित सूची

सूची I	**सूची II**
के.एन. मेहरा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान	धारा 378 (भा.द. संहिता)
अरुणा रामचन्द्र शानबाग बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया	धारा 309
स्टेट (एन.सी.टी.ऑफ दिल्ली) बनाम नवजोत सिन्धु @ अफसान गुरु	धारा 120 A
विरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य	धारा 300

106. Criminal Law (Amendment) Act 2013, seems to have determined quantum of punishment proportionate to the severity of offence. Following are two sets of offences and punishment. Match the correct ones and give appropriate answer using the code.

ऐसा प्रतीत होता है कि दंड विधि (संशोधन) अधिनियम 2013 मे अपराध की गम्भीरता के अनुपात में सजा की मात्रा निर्धारित की गई है। नीचे अपराध और दंड की दो सूचियाँ दी गई हैं। सही मिलान कर कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए।

List-I/अपराध		**List-II/अधिकतम दंड**	
A.	Voluntarily causing grevious hurt by acid attack/एसिड से हमला कर जानबूझ्कर गम्भीर चोट पहुँचाना	1.	Life imprisonment (Remainder of the period of life)/आजीवन कारावास (बची हुई जिंदगी तक)
B.	Stalking/पीछा करना	**2.**	3 years/तीन वर्ष
C.	Gang Rape/सामूहिक बलात्कार (दिल्ली) बनाम नवजोत	**3.**	Life imprisonment and fine/आजीवन कारावास और जुर्माना
D.	Sexual intercourse by husband upon his wife during separation/संबध विच्छेद के दौरान पति द्वारा पत्नी के यौनाचार	**4.**	7 years and fine/ 7 वर्ष कारावास और जुर्माना

Code:/कोड–

	A	**B**	**C**	**D**
(a)	2	3	1	4
(b)	3	2	1	4
(c)	1	2	3	4
(d)	1	3	2	4

UGC (NET) June, 2015 Paper-III

Ans. (b) : सुमेलित सूची

सूची I	**सूची II**
एसिड से हमला कर जानबूझकर गम्भीर चोट पहुँचाना 326-A	आजीवन कारावास और जुर्माना
पीछा करना [धारा 354-D]	तीन वर्ष
सामूहिक बलात्कार 376-D	आजीवन कारावास (शेष जीवन तक)
सम्बन्ध विच्छेद के दौरान पति द्वारा पत्नी का यौन यौनाचार 376-B	7 वर्ष का कारावास और जुर्माना

107. Read the following situations and state which combination is correct to claim benefit under the broad concept of unsoundness of mind:

निम्नलिखित स्थितियों को पढ़कर बताइए कि कौन सा युग्म विक्षिप्त मानसिक अवस्था से लाभ लेने का सही दावा है?

1. Extreme Anger/अत्यधिक क्रोध

2. Somnambulism/निद्रा भ्रमण

3. Irresistible impulse/अत्यन्त सम्मोहक आवेग

4. Hallucination/मति भ्रम

Codes:/कूट:

(a) 1 and 2 both/1 और 2 दोनों

(b) 1 and 3 both/1 और 3 दोनों

(c) 2 and 3 both/2 और 3 दोनों

(d) 2 and 4 both/2 और 4 दोनों

UGC (NET) June, 2015 Paper-III

Ans. (d) : मस्तिष्क की अस्वस्थता शब्द को संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है। स्टीफेन के अनुसार यह पागलपन के समतुल्य है। पागलपन मस्तिष्क की वह अवस्था है जिसमें अनुभूति ज्ञान सम्वेदना तथा इच्छा आदि की एक या अनेक क्रियायें असामान्य ढंग से सम्पादित होती है अतः विक्षिप्त मानसिक अवस्था से लाभ लेने में निद्रा भ्रमण व मति भ्रम की अवस्था में मिलेगा।

108. The law is clear that consent of the party becomes immaterial when the very act itself in unlawful. In which of the cases there could be an exception?/विधि इस सम्बन्ध में स्पष्ट है कि किसी पक्ष की सहमति कोई अर्थ नहीं रखती है, जब कार्य स्वयं विधि-विरुद्ध हो। यह निम्नलिखित में से किन मामलों में अपवाद हो सकता है?

(a) Prize fight/पुरस्कार युद्ध

(b) Advantage taken in a game of fencing
असिक्रीड़ा में लिया गया लाभ

(c) Aiding and abetting in a game boxing
बॉक्सिंग के खेल में सहायता और दुष्प्रेरणा

(d) Negligent while sky-diving
स्काई डाइविंग के दौरान उपेक्षा

UGC (NET) July, 2016 Paper-III

Ans. (a) : विधि का सामान्य सिद्धान्त है कि पक्षकार सहमति द्वारा विधि की अवहेलना नहीं कर सकते विधि विरूद्ध कार्य के सम्बन्ध में पक्षकारों की सहमति का महत्व नहीं होता है।

109. Given below are two statements, one labeled as Assertion (A) and the other labeled as Reason (R). Read the statements and choose the correct answer using the code given below:
अभिकथन (A) तथा कारण (R) को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर दर्शाएँ :

Assertion (A): Section 304-A is directed at offences outside the range of Section 299 and 300.

Reason (R): It contemplates those acts into which neither intention nor knowledge enters.

अभिकथन (A): धारा 304-A उन अपराधों की तरफ निर्देशित हैं, जो अनुच्छेद 299 तथा 300 के क्षेत्र से बाहर है।

कारण (R): यह उन कृत्यों पर विचार करता है, जिसमें न तो इरादा और न ही जानकारी का कोई तत्व रहता है।

Codes:/कूटः

(a) Both (A) and (R) are correct as the act results form rash and negligence act/(A) और (R) दोनों सही है क्योंकि वह कृत्य अविवेक और लापरवाही का परिणाम होता है।

(b) (A) is correct as certain acts are unjustifiable while (R) is not the correct reason as it falls short of culpable homicide/(A) सही है क्योंकि कुछ कृत्य उचित नहीं ठहराए जा सकते, लेकिन (R) उसका सही कारण नहीं है, क्योंकि वह आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आता

(c) (R) is correct while (A) is incorrect application to the rule of coupabl homicide to cause murder(R) सही है जबकि (A) हत्या के कारण के रूप में आपराधिक मानव वध को सही ढंग से लागू नहीं करता

(d) Both (A) and (R) are incorrect statements as to imposing penalty/(A) और (R) दोनों दण्ड लागू करने के सम्बन्ध में गलत है

UGC (NET) January, 2017 Paper-II

Ans. (a) : यह अभिकथन सत्य है कि 'धारा 304 A' उन अपराधों की तरफ निर्देशित है जो अनुच्छेद 299 तथा 300 के क्षेत्र से बाहर है क्योंकि यह उन कृत्यों पर विचार करता है जिसमें न तो इरादा और न ही जानकारी का कोई प्रवेश रहता है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304-A उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने से संबंधित प्रावधान करता है।

110. Read Assertion (A) and Reason (R) and using the codes given below write the correct answer.
अभिकथन (A) तथा कारण (R) को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दर्शाएँः

Assertion (A): in a case of attempt to rape there must be an indecent assault or action with any resistance from the victim.

अभिकथन (A): बलात्कार की कोशिश के किसी मामले में कोई ऐसा अनुचित हमला या कृत्य होना चाहिए, जिसका पीड़ित ने किसी तरह से विरोध किया हो।

Reason (R): There was some action which shows that he was going to have sexual connection with her.

कारण (R): वहाँ ऐसा कोई कृत्य हुआ जो दर्शाता है कि वह (पुरुष) उसके (स्त्री) के साथ यौनिक सम्बन्ध बनाना चाहता था।

Codes:/कूटः

(a) (R) is correct explanation of (A) and both (A) and (R) are complementary to each other/(R), (A) की सही व्याख्या करता है तथा (A) और (R) परस्पर पूरक है।

(b) (A) is correct but (R) is not complementary to (A)/(A) सही है पर (R), (A) का पूरक नहीं है

(c) (A) and (R) have no legal standing in view of change of burden of proof/(A) और (R) को कोई वैधानिक महत्त्व नहीं है, उसे साबित करने की जिम्मेदादी में किए गए बदलाव की दृष्टि से।

(d) (R) is essential to formulate (A) otherwise there may not be a crime/(A) को सूत्रबद्ध करने के लिए (R) आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना वह अपराध नहीं होगा।

UGC (NET) January, 2017 Paper-III

Ans. (a) : ब्लात्कार की कोशिश के किसी मामले में कोई ऐसा अनुचित हमला या कृत्य होना चाहिए, जिसका पीड़ित ने किसी तरह से विरोध किया हो। वहाँ ऐसा कोई कृत्य हुआ हो जो दर्शाता हो कि वह (पुरुष) उसके (स्त्री) के साथ यौनिक सम्बन्ध बनाना चाहता था। बलात्कार की कोशिश भारतीय दण्ड संहिता की धारा 511 के तहत दण्डनीय होगा।

111. Match the appropriate statements with that of its authors:
निम्नलिखित कथनों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करें:

A.	The behavior as Criminal is part of the political process / अपराधी जैसा व्यवहार होना राजनीतिक प्रक्रिया का भाग है	**1.**	Klar H.J. क्लेयर एच.जे.
B.	Disobedience of law May be termed as a crime/ कानून का पालन न करना अपराध कहा जा सकता है	**2.**	Huda/ हुडा
C.	Crime is not Absolute like sin/ अपराध पाप की तरह निरपेक्ष नहीं है	**3.**	Terence Morris/ टेरेंस मॉरिस
D.	Crime is an act committed or omitted in violation of a public law/ अपराध वह कार्य है जो लोक विधि के उल्लंघन में किया जाता है	**4.**	Blackstone/ ब्लैकस्टोन

Code:/कोड–

	A	B	C	D
(a)	4	3	2	1
(b)	2	3	1	4
(c)	1	4	2	3
(d)	1	2	3	4

UGC (NET) November, 2017 Paper-II

Ans. (a) :

(A)	अपराधी जैसा व्यवहार होना राजनैतिक प्रक्रिया का भाग है।	ब्लैक स्टोन
(B)	कानून का पालन न करना अपराध कहा जा सकता है	टेरेन्स मारिस
(C)	अपराध पाप की तरह निरपेक्ष नही है।	हुडा
(D)	अपराध वह कार्य है जो लोक विधि के उल्लंघन में किया जाता है।	क्लेयर एच.जे.

112. In the absence of any evidence as to the mens rea in which of the cases the criminal liability can be fixed upon a person?/ दुराशय के रूप में किसी साक्ष्य के अभाव में किन परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है?

(a) where the consequences are not so harmful to the society/जहाँ अपराध के परिणाम समाज के लिए उतना नुकसानदायक नहीं हो

(b) Where there is no violent presumption/जहाँ कोई हिंसक पूर्वधारणा न हो

(c) The intended consequence is not injurious but conjointly injurious on other facts/अभिप्रेत परिणाम हानिकारक न हो लेकिन अन्य तथ्यों के सम्बन्ध में संयुक्त रूप से हानिकारक हो

(d) Where an act is not performed wantonly/जहाँ कोई कार्य अनियंत्रित रूप से नहीं किया गया हो

UGC (NET) November, 2017 Paper-II

Ans. (c) : दुराशय के रूप में किसी साक्ष्य के अभाव में किसी व्यक्ति को अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है यदि अभिप्रेत परिणाम हानिकारक न हो लेकिन अन्य तथ्यों के सम्बन्ध में संयुक्त रूप से हानिकारक हो।

113. Read Assertion (A) and Reason (R) and give the correct answer by using the code given below:
अभिकथन (A) तथा तर्क (R) को पढ़े और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दें:

Assertion (A): Nothing is an offence which is done by a person who, at the time of doing it, by reason of unsoundness of mind, is incapable of knowing the exact nuature of the act.

अभिकथन (A): कुछ भी अपराध नहीं है जो एक व्यक्ति के द्वारा किया गया जो यह करते समय चित्त विकृति के कारण उस कार्य की ठीक-ठीक प्रकृति जानने में असमर्थ है।

Reason (R) : Mistake of fact is a good defence and mistake of law is no defence.

तर्क (R) : तथ्य की त्रुटि एक अच्छा बचाव है और कानून की त्रुटि कोई बचाव नहीं है।

Code:/कूट:

(a) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct expalantion of (A)/(A) और (R) दोनों सही है और (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है

(b) Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A)/(A) और (R) दोनों सही है लेकिन (R), (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है

(c) (A) is true but (R) is false/(A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है

(d) (A) is false but (R) is true/(A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है

UGC (NET) July, 2018 Paper-II
UGC (NET) December, 2018 Paper-II

Ans. (b) : प्रस्तुत अभिकथन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 84 पर आधारित है। धारा 84 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं जो एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया गया है जो उसे करते समय चित्तविकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति जानने में असमर्थ है।
तथ्य की त्रुटि एक बचाव है जो भारतीय दण्ड संहिता के धारा 76 एवं 79 में वर्णित है। तथ्य के भूल में किया गया कार्य अपराध नहीं होता है। अतः A एवं R दोनों सही है लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नही है।

114. Match List-I with List-II and give the correct answer by using the code given below:
सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित करें और नीचे दिये गये कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दें–

List-I/सूची-I		List-II/सूची-II	
A.	Mehboob Shah v. Emperor/महबूब शाह बनाम सम्राट	1.	Mens rea/ आपराधिक मनःस्थिति
B.	State of Maharashtra v. M.H. George/ महाराष्ट्र राज्य बनाम एम.एच. जॉर्ज	**2.**	Intoxication/ मत्तता
C.	Director of Public Prosecutions v. Beard/निदेशक, लोक अभियोजन बनाम बेयर्ड	**3.**	Common Intention/ सामान्य आशय
D.	R.V.Dudley v. Stephens/ आर.वी. डडले बनाम स्टीफेन्स	**4.**	Necessity/ आवश्यकता

Code:/कोड–

	A	B	C	D
(a)	1	2	3	4
(b)	2	4	1	3
(c)	3	1	2	4
(d)	4	2	3	1

UGC (NET) July, 2018 Paper-II

Ans. (c) : सुमेलितः

A. महबूब शाह बनाम सम्राट (1945 PC) - सामान्य आशय (sec.34)
B. महाराष्ट्र राज्य बनाम एम.एच. जॉर्ज (1964 SC) - आपराधिक मनः स्थिति
C. निदेशक, लोक अभियोजन बनाम बेयर्ड (1976) - मत्तता (sec. 85)
D. आर.वी. डडले बनाम स्टीफेन्स (1884) - आवश्यकता (sec. 81)

115. Match List-I with List-II and give the correct answer by using the code given below:
सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित करें और नीचे दिये गये कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दें–

List-I/सूची-I (..... के लिए प्रावधान)		List-II/सूची-II (भारतीय दंड संहिता की धाराएँ)	
A.	Punishment for causing death or resulting in persisting vegtative state of victim/ पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकृतशील दशा कारित करने के लिए दंड	1.	Section 376-D/ धारा 376-डी
B.	Sexual intercourse by husband upon his wife during separation/ पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन	**2.**	Section 376-B/ धारा 376-बी
C.	Sexual intercourse by a person in authority/ प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन	**3.**	Section 376-A/ धारा 376-ए
D.	Gang rape/ सामूहिक बलात्कार	**4.**	Section 376-C/ धारा 376-सी

Code:/कोड–

	A	B	C	D
(a)	1	2	3	4
(b)	2	4	1	3
(c)	3	2	4	1
(d)	4	1	3	2

UGC (NET) July, 2018 Paper-II

Ans. (c) : सुमेलितः

A. पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकृतशील दशा कारित करने के लिए दंड - sec.376 A
B. पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन - धारा 376 B
C. प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन - धारा 376 C
D. सामूहिक बलात्कार - धारा 376 D

116. Match the items of List-I with the items of List-II and choose the correct answer from the code given below
सूची-I (वाद का नाम) की मदों को सूची-II (अपराध) से मिलान कीजिए और नीचे दिये गये कूट में से सही उत्तर को चुनिए–

List-I/सूची-I (Name of case) (वाद का नाम)		List-II/सूची-II (Offence) (अपराध)	
A.	Vishwanath v. State of U.P./ विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य	**1.**	Kidnapping/ अपहरण
B.	State of Punjab v. major singh/ पंजाब राज्य बनाम मेजर सिंह	**2.**	Private defence/ आत्मरक्षा
C.	M. Varadarajan v. State of Madras/	**3.**	Modesty of women/ महिला की लज्जा
D.	Amar Singh v. State of Rajastha/ अमर सिंह बनाम राजस्थान राज्य	**4.**	Dowry death/ दहेज हत्या

Code:/कोड–

	A	B	C	D
(a)	2	3	4	1
(b)	2	3	1	4
(c)	4	2	3	1
(d)	4	2	1	3

UGC (NET) December, 2018 Paper-II

Ans. (b) : सुमेलित

- विश्वनाथ बनाम उ0प्र0 राज्य (1959) ----आत्मरक्षा
- पंजाब राज्य बनाम मेजर सिंह (1966) ----- महिला की लज्जा
- एस. वरदराजन बनाम मद्रास राज्य (1964) -----अपहरण
- अमर सिंह बनाम राजस्थान राज्य (2010) ----- दहेज हत्या

117. Match the items of List-I with the items of List-II and choose the correct answer from the code given below
सूची-I की मदों को सूची-II से मिलान कीजिए और नीचे दिये गये कूट में से सही उत्तर को चुनिए–

List-I/सूची-I (Provision for) (उपबंध)		List-II/सूची-II (Section of I.P.C) (भारतीय दंड संहिता की धारा)	
A.	General explanation of 'life'/ 'जीवन' की सामान्य व्याख्या	**1.**	Section 45/ धारा 45
B.	Act of judge when acting judicially न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश का कृत्य	**2.**	Section 52/ धारा 52
C.	Act of child under seven years of age/ 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का कृत्य	**3.**	Section 77/ धारा 77
D.	Explanation of 'Good faith'/ 'सद्भावपूर्वक' की व्याख्या	**4.**	Section 82/ धारा 82

Code:/कोड–

	A	B	C	D
(a)	1	2	3	4
(b)	2	4	1	3
(c)	1	3	4	2
(d)	4	3	2	1

UGC (NET) December, 2018 Paper-II

Ans. (c) : सुमेलित -

- जीवन की सामान्य व्याख्या - धारा 45
- न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश का कृत्य - धारा 77
- 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का कृत्य - धारा 82
- सद्भावपूर्वक की व्याख्या - धारा 52

118. Match List-I with List-II:
सूची-I को सूची-II को सुमेलित कीजिए:

List-I/सूची-I		List-II/सूची-II	
A.	Fighting by two or more persons in किसी सार्वजनिक स्थल पर दो या दो से अधिक लोगों द्वारा झगड़ा करना	**1.**	Abetment/ दुष्प्रेरण
B.	Intentional aiding in commission of an offence/ किसी गुनाह को करने के लिए साशय सहायता	**2.**	Sedition/ राजद्रोह
C.	Violence is caused by five or more persons/ पाँच अथवा अधिक लोगों द्वारा हिंसा होती है	**3.**	Affray/ बलवा
D.	Offence committed against state by words, signs or visible representation / शब्दों, प्रतीकों अथवा दृश्य प्रदर्शन द्वारा राज्य के विरुद्ध अपराध	**4.**	Riot/ दंगा

Code:/कोड–

	A	B	C	D
(a)	3	2	4	1
(b)	3	1	4	2

(c)	4	1	3	2
(d)	1	4	2	3

UGC (NET) June, 2019 Paper-II

Ans. (c) : सही सुमेलित इस प्रकार है-

1.	किसी सार्वजनिक स्थल पर दो या दो से अधिक लोगों से झगड़ा करना	दंगा (धारा 159)
2.	किसी गुनाह को करने के लिए साशय सहायता	दुष्प्रेरण (धारा 107)
3.	पाँच अथवा अधिक लोगों द्वारा हिंसा होती है	बलवा (धारा 146)
4.	शब्दों, प्रतीकों अथवा दृश्य प्रदर्शन द्वारा राज्य के विरुद्ध अपराध	राजद्रोह (धारा124-A)

119. Match the following sections of Indian Penal Code with provision given there under:
भारतीय दण्ड संहिता की निम्नलिखित धाराओं को संबंधित उपबंधों से सुमेलित कीजिए:

A. Section 80/धारा 80	**1.** Act done by person justified or by mistake of fact believing himself justified by law/किसी व्यक्ति द्वारा कारित कृत्य जो न्यायोचित हो अथवा इस क्रामक मान्यता से कि वह विधि द्वारा उचित ठहराया गया है
B. Section 82/धारा 82	**2.** Act of a child above seven and under twelve of immature understanding/ सात वर्ष से ऊपर और बारह वर्ष से कम आयु के बालक का कृत्य जिसकी समझ अपरिपक्व हो
C. Section 83/धारा 83	**3.** Act of child under seven years of age/ सात वर्ष से कम आयु के बालक का कृत्य
D. Section 79/धारा 79	**4.** Accident in doing a lawful act/विधिसम्मत कृत्य करने में हुई दुर्घटना

Choose the correct option from those given below:
सही विकल्प चुनिए:

	A	**B**	**C**	**D**
(a)	4	2	3	1
(b)	2	4	1	3
(c)	4	3	2	1
(d)	3	4	2	1

UGC (NET) December, 2019 Paper-II

Ans. (c) : भारतीय दण्ड संहिता के धाराओं से सम्बन्धित उपबंध निम्नलिखित होगे-

A. Section 80/धारा 80	1. Accident in doing a lawful act/विधिसम्मत कृत्य करने में हुई दुर्घटना
B. Section 82/धारा 82	2. Act of child under seven years of age/सात वर्ष से कम आयु के बालक का कृत्य
C. Section 83/धारा 83	3. Act of a child above seven and under twelve of immature understanding/ सात वर्ष से ऊपर और बारह वर्ष से कम आयु के बालक का कृत्य जिसकी समझ अपरिपक्व हो
D. Section 79/धारा 79	4. Act done by person justified or by mistake of fact believing himself justified by law/किसी व्यक्ति द्वारा कारित कृत्य जो न्यायोचित हो अथवा इस भ्रामक मान्यता से कि वह विधि द्वारा उचित ठहराया गया है

120. Match the following cases decided by the Supreme Court with the subject given therein:
उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिश्चत निम्नलिखित वादों को संबंधित विषय के साथ सुमेलित कीजिए:

A. Hussainara Khatoon v. State of Bihar/हुसैनारा खानून बनाम बिहार राज्य	1. Ban on smoking in public places सार्वजनिक स्थलों में धूम्रपान पर प्रतिबंध
B. Murli S. Deora v. Union of India मुरली एस. देवरा बनाम भारत संघ	2. Protection against inhuman treatment in jail/जेल में अमानवीय व्यवहार से संरक्षण
C. Lakshmi Kant Pandey v. Union of India /लक्ष्मीकांत पांडेय बनाम भारत संघ	3. Speedy Trial त्वरित विचारण
D. Sunil Batra v. Delhi Administration सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन	4. Child welfare बाल कल्याण

Choose the correct option from these given below:
सही विकल्प चुनिए:

	A	**B**	**C**	**D**
(a)	1	2	3	4
(b)	1	3	4	2
(c)	3	1	4	2
(d)	2	4	3	1

UGC (NET) December, 2019 Paper-II

Ans. (c) : सुमेलित

(1) हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य का मामला त्वरित विचारण से सम्बन्धित है।

(2) मुरली एस. देवड़ा बनाम भारत संघ का मामला सार्वजनिक स्थलों में धूम्रपान पर प्रतिबंध से सम्बन्धित है।

(3) लक्ष्मीकांत पाण्डेय बनाम भारत संघ का मामला बाल कल्याण से सम्बन्धित है।

(4) सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन का मामला जेल में अमानवीय व्यवहार से संरक्षण से सम्बन्धित है।

121. Match List-I with List-II and select the correct answer using the code given below the lists:

List-I	List-II
(A) Queen Vs. Mohite	**1.** Common Intention
(B) R. Vs. Arsborn	**2.** Unsound Mind
(C) Rishidev Pandey Vs. State of UP	**3.** Crimnal Attempt
(D) R. Vs. Arnold	**4.** Abetment

सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिये गये कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

सूची-I	सूची-II
(A) क्वीन बनाम मोहित	**1.** सामान्य आशय
(B) आर. बनाम ऑस्बोर्न	**2.** चित-विकृति
(C) ऋषिदेव पाण्डेय बनाम यू.पी. राज्य	**3.** आपराधिक प्रयत्न
(D) आर. बनाम आरनॉल्ड	**4.** उत्प्रेरण

	A	B	C	D
(a)	4	3	1	2
(b)	3	4	2	1
(c)	2	1	3	4
(d)	1	2	4	3

BPSC (APO) 2009

Ans : (a) सही सुमेलन इस प्रकार है-

(A) कीन बनाम मोहित - उत्प्रेरण

(B) आर. बनाम ऑस्बोर्न - आपराधिक प्रयत्न

(C) ऋषिदेव पाण्डेय बनाम - सामान्य आशय यू.पी. राज्य

(D) आर. बनाम आरनॉल्ड - चित्त-विकृति

122. Match List-I with List-II and select the correct answer using the code given below the lists:

List-I	List-II
(A) Defence of unsound mind	**1.** Empper Vs. Barendra Kumar Ghosh
(B) Common Intention	**2.** R. Vs. Mc. Naughten
(C) Necessity	**3.** State Vs. K.M. Nanavati
(D) Murder on grave & sudden provocation	**4.** R. Vs. Dadle and Stephens

सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिये गये कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

सूची-I	सूची-II
(A) विकृतचितता प्रतिरक्षा के रूप में	1. एम्परर बनाम बिरेन्द्र कुमार घोष
(B) सामान्य आशय	2. आर. बनाम मैकनॉटन
(C) आवश्यकता	3. राज्य बनाम के.एम. नानावटी
(D) गंभीर और अचानक प्रकोपन पर हत्या	4. आर. बनाम डाडले एण्ड स्टीफेन्स

	A	B	C	D
(a)	2	1	4	3
(b)	1	2	4	3
(c)	2	1	3	4
(d)	1	2	3	4

BPSC (APO) 2009

Ans : (a) सही सुमेलन इस प्रकार है-

(A) विकृतचितता प्रतिरक्षा के रूप में - आर. बनाम मैकनॉटन

(B) सामान्य आशय - एम्परर बनाम वीरेन्द्र कुमार घोष

(C) आवश्यकता - आर. बनाम डंडले एण्ड स्टीफेन्स

(D) गंभीर और अचानक प्रकोपन पर हत्या - राज्य बनाम के.एम. नानावती

123. Match the following :
निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए:

A. Rioting/बलवा	**1. 511**
B. Affray/दंगा	**2. 146**
C. Abetment/दुष्प्रेरण	**3. 107**
D. Attempt to commit offence/अपराध करने का प्रयत्न	**4. 159**

(a) A-4,B-2,C-1,D-3

(b) A-4,B-3,C-2,D-1

(c) A-2,B-4,C-3,D-1

(d) A-2,B-4,C-1,D-3

Uttarakhand (J) 2021

Ans. (c) : सही सुमेलन :-

बलवा	—	धारा 146
दंगा	—	धारा 159
दुष्प्रेरण	—	धारा 107
अपराध करने का प्रयत्न	—	धारा 511